(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 4] सप्तम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 25 वां दिवस [संख्या 17

मंगलवार

दिनांक 16 मार्च, 1982

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न

कृषि योग्य भूमि की सिंचाई

448. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें :-

(1) राजस्थान की 26 मिलियन हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से कितनी भूमि को अब तक सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जा चुके हैं ?

(2) राजस्थान नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अन्य मरु भूमि वाले क्षेत्र और प्रायः सदा ही सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों के लिये सिंचाई अथवा पानी के साधन उपलब्ध कराके व कृष्यकरण रिक्लेम करके हरा भरा और उपजाऊ बनाने की क्या कोई वृहद, दीर्घकालीन अथवा छोटी अथवा अल्पकालीन योजनायें बनाई गई हैं ? यदि हां तो क्या हैं और उनसे राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि में से कितनी भूमि को पानी मिल सकेगा ?

(3) क्या कई अन्य राज्यों की तरह राजस्थान सरकार द्वारा भी कोई लम्बी अवधि या अल्प अवधि में पूरी की जाने वाली सिंचाई के कोई लक्ष्य निश्चित किये गये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

(4) क्या उक्त संबंध में माह अक्टूबर में केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मन्त्री ने अपने जोधपुर के दौरे के समय यह आदेश दिये थे कि रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए सम्पूर्ण शक्ति से कार्य करना अनिवार्य है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर): (1) सतही स्रोतों से सिंचाई विभाग के अधीन योजनाओं द्वारा मार्च, 1981 तक राजस्थान प्रदेश के 18 लाख 89 हजार हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साधन सुलभ कराये जा चुके हैं।

Page No 2

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(2) पर्सपेक्टिव योजना के अन्तर्गत राज्य के 38 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सन् 2000 तक आवश्यक साधनों की उपलब्धि पर सिंचाई सुविधा सुलभ कराना सम्भव होगा इसके लिये राज्य के शेष बचे हुए भाग में आन्तरिक एवं बाहरी सतही जल स्रोत्रों से अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई के साधन सुलभ कराने के लिये मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। इस मास्टर प्लान के तहत बहुद्देश्यीय, वृहद, मध्यम, एवं लघु सिंचाई योजनायें प्रस्तावित हैं। मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् ही योजनाओं की सूची दी जा सकेगी।

(3) जी हां। छठी पंचवर्षीय योजना काल के लिये सतही जल स्रोतों से 5 लाख 58 हजार हैक्टेयर क्षेत्र के लिये अतिरिक्त सिंचाई सुविधा के लक्ष्य रखे गये हैं। इनकी प्राप्ति आवश्यक वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगी।

(4) राज्य सरकार को इस प्रकार के कोई आदेश की जानकारी नहीं है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि राजस्थान में कुल कितनी प्रतिशत भूमि सिंचाई से लाभान्वित हो सकेगी, जो मैंने पूछा उसका उत्तर नहीं दिया, यह बताया जाय कि कितना प्रतिशत भाग भूमि का सिंचित हो सकेगा, सवाल नम्बर एक....

सिंचाई मन्त्री (**श्री परसराम मदरेणा**) : अध्यक्ष महोदय प्रश्न के दूसरे भाग के जवाब में बताया जा चुका है कि योजना के अन्तर्गत 38 लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई करने की योजना है। यह राज्य के अन्दर और राज्य के बाहर से मिलने वाले पानी से सिंचाई हो सकेगी। उसमें से पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक 18 लाख 89 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। जहां तक ग्राउण्ड वाटर पोटेंशियलिटी डवलप करने का प्रश्न यह असेसमेन्ट पर निर्भर करता है। पूरे राज्य में पोटेन्शियलिटी 20 लाख हैक्टेयर की है। इसमें से पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक या पांचवी पंचवर्षीय योजना के एक साल से पूर्व तक 14 लाख और 9 हजार हैक्टेयर भूमि में पानी की सुविधा उपलब्ध हुई। इस प्रकार अण्डर ग्राउन्ड वाटर पोटेन्शियलिटी को डवलप करने के लिये 5 लाख 58 हजार हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई करने के लिये सतही पानी हासिल करना है। करीबन छठी पंचवर्षीय योजना तक यह 5 लाख और 58 हजार हैक्टेयर भूमि को डवलप करेंगे। इसके आगे 13 लाख 88 हजार हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिये पोटेन्शियल करना रहेगा।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो आंकड़े सिंचाई विभाग द्वारा दिये गये हैं उनमें तो उनकी पुस्तक के अनुसार 18 प्रतिशत ही है। जैसा कि मेरे प्रश्न में है 26 मिलियन हैक्टेयर भूमि कुल कृषि योग्य है, तो यह बतायें कि अन्ततोगत्वा अधिक से अधिक 6 मिलियन हैक्टेयर भूमि उपलब्ध हो सकेगी और 20 मिलियन हैक्टेयर भूमि में पानी की सुविधा वहां करनी है जहां पर डेजर्ट एरिया है या ड्राटप्रोन एरिया है या जहां पर फेमिन पड़ता रहता है। मेरे प्रश्न में है कि क्या अन्य राज्यों की तरह राजस्थान

(श्री राजबहादुर)

सरकार द्वारा भी कोई लम्बी अवधि या अल्प अवधि में पूरी की जाने वाली सिंचाई के कोई लक्ष्य निश्चित किये गये हैं? अगर किये गये हैं, तो वह योजना क्या है? उसके सम्बन्ध में कितना क्या हो सकेगा? दूसरा नेशनल वाटर यूटिलाइजेशन बोर्ड एजेन्सी के सामने आपने रिवर वाटर से सिंचाई के लिये कोई किसी प्रकार का क्लेम रखा है क्या?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, नेशनल वाटर यूटिलाइजेशन बोर्ड एजेन्सी की एक कांफ्रेंस रखी गयी थी, जिसमें यह था कि ग्राउण्ड वाटर कितना पानी उपलब्ध हो सकेगा, कितना हम कन्ट्रोल कर सकेंगे। नेशनल लेवल पर एक प्लान बनाया है जो कि भारत सरकार का है उसमें यह है कि कितना पानी हमें मिलेगा, कितना डवलप कर सकेंगे और उससे कितने पानी का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। यह सब कुछ, केन्द्रीय सरकार के माननीय सदस्यों ने भी कहा, आर्थिक साधनों पर निर्भर करता है।

श्री राजबहादुर : मैंने प्रश्न के भाग दो में जो पूछा उसके बारे में?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारे पास जितने साधन हैं जो वेज एण्ड मीन्स हमारे हैं उसी के अनुसार राजस्थान में अतंतोगत्वा साधनों के अनुसार सिंचाई के साधन उपलब्ध करा सकते हैं।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न किया था कि आपने खुद ने इन योजनाओं के लिये कोई दावा किया है क्या? उसको फेस करने के लिये कोई योजना आपके पास है क्या? दूसरा, जो सतही साधन पानी के हैं, जिसमें हमारे चम्बल नदी वगैरह हैं, और जो दूसरी योजनायें हैं उनके लिये कार्यवाही की जायेगी क्या?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, समय समय पर जब भी मौका आया है राज्य सरकार ने क्लेम करा है। लेकिन होता यह है कि कई बार इस प्रकार के क्लेम्स में इन्टर स्टेट के मामले सामने आते हैं और केन्द्रीय सरकार के मामले भी बीच में आ जाते हैं। हमारा जो क्लेम है वह 20 मिलियन हैक्टेयर भूमि का रखा है लेकिन इतने क्लेम में से कितना हमारा क्लेम मिलता है, भारत सरकार उसमें से कितना हमें उपलब्ध कराती है और सरकार अपने साधनों से जनता को कितने साधन उपलब्ध करा सकेगी, अनंतोगत्वा जो हो सकेगा वही होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्नकर्ता।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, जो भी उत्तर दिया गया गया है वह बिलकुल नकारात्मक उत्तर दिया गया है। केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मन्त्री, श्री राव वीरेन्द्र सिंहजी जोधपुर में आये थे तब उन्होंने जो कहा वह अखबारों में छपा था कि राजस्थान में डेजर्ट को बढ़ने से रोकने लिये सम्पूर्ण शक्ति से कार्य करना अनिवार्य है। इस प्रकार के आदेश राज्य सरकार को दिये थे। यह जो जवाब प्रश्न के भाग चार

(श्री राजबहादुर)

का दिया गया है उसमें राज्य मन्त्री महोदय ने बिलकुल नकारात्मक उत्तर दिया कि इस प्रकार के ग्रादेश की सरकार को जानकारी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रध्यक्ष महोदय, जोधपुर में केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मन्त्री, श्री राव वीरेन्द्र सिंहजी ने जो एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट में कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें भाषण दिया था। एरिड जोन एरिया के ग्रौर दूसरी जगह के टेक्नोक्रेट्स भी उसमें ग्राये थे। कुछ माननीय सदस्य भी वहां पधारे थे लेकिन वहां पर उन्होंने राज्य सरकार को कोई ग्रादेश इस बारे में प्रदान नहीं किये। ग्रगर भारत सरकार इस प्रकार के कोइ ग्रादेश देगी तो उसके लिये प्लानिंग कमीशन से भी बात करेगी फिर कोई ग्रादेश देगी। लेकिन भारत सरकार के ऐसे कोई ग्रादेश डेजर्ट को कनटेन करने के लिये हमें ब्लैक एण्ड व्हाइट में नहीं मिले हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान में जो सरकार ने सिंचाई की सुविधावें बढ़ाई हैं उससे कितने प्रतिशत रकबे की सिंचाई हुई है, एक तो यह है? दूसरा, क्या सरकार उससे सन्तुष्ट है?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। ग्रलग प्रश्न।....ग्रगला प्रश्न। कृपया बैठ जाय।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सिंचाई एक ऐसा काम है....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। भाषण नहीं होगा। माननीय सदस्य कृपया........ स्थान ग्रहण करें........ग्रार्डर प्लीज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ....इससे तो राजस्थान की जमीन 100 साल तक भी सिंचित नहीं होगी....

श्री राजबहादुर : हजार साल तक भी नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कोई योजना सरकार दिमाग में रखती है क्या?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय पार्लियामेन्ट्री कन्सल्टेटिव कमेटी में केन्द्रीय सिंचाई मंत्री जी ने यह कहा है कि सन् 2000 तक पूरी भूमि को सिंचित कर दिया जायेगा। 333 मिलियन हैक्टेयर जमीन ग्राज है ग्रौर 150 मिलियन हैक्टयर जमीन का भूरक्षण करके सन् 2000 तक पूरी जमीन में सिंचाई हो जायेगी, या उपयोग कर लिया जायेगा। क्या इस सबंध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से कोई योजना मांगी हैं? उन्होने कहा है कि पूरे देश में जमीन सिंचित कर दी जायेगी, इसके बारे में क्या राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना मांगी है?

Page No 5

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, इर्रिगेशन मंत्री केन्द्रीय सरकार ने क्या कहा, वह तो मुझे मालूम नहीं लेकिन पिछले वर्ष की रिपोर्ट भेजी है उसमें यह बताया है कि कन्ट्री में एडीशनल पोर्टेंशियलिटी क्रियेट करने की क्षमता है वह 26 मिलियन हैक्टेयर की है। यह कन्ट्री की पोजिशन बताई है। कन्ट्री की पोजिशन के अलावा जो राजस्थान के पोटेंशियलिटी के आंकड़े हैं, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में दिये गये हैं। यह भी मैंने कहा है पार्ट (2) में कि राजस्थान की मेजर, मल्टीपर्पज, मीडियम और माइनर इर्रिगेशन की एडीशनल पोटेंशियलिटी की योजना के मास्टर प्लान का करीब करीब प्रारूप तैयार हो गया है और उसको अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ....पिछले सैशन में भी इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था....

श्री अध्यक्ष : समय नहीं लें। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। अगला प्रश्न।

तहसील लूणकरणसर में विभिन्न निर्माण कार्य हेतु आवंटित सीमेन्ट का उपयोग

449. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत):** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा डी. डब्ल्यू. आर. लालेरा तथा सी. डब्ल्यू. आर. लालेरा तहसील लूणकरणसर के निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार को करीब एक वर्ष पूर्व 585 थैले सीमेन्ट आवंटित किये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि मौके पर निर्माण कार्यों में आवंटित सीमेन्ट का कोई उपयोग नहीं हुआ है ?

(3) यदि उपरोक्त तथ्य सही है तो विभाग ने निर्माण कार्य की मौके पर प्रगति का निरीक्षण किये बगैर सीमेन्ट का कैसे आवंटन कर दिया ? इतने समय से ठेकेदार के पास सीमेन्ट किस कारण से छोड़ रखी है ?

(4) उपरोक्त निर्माण कार्यों की प्रगति न होना व संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का क्या कारण है ? क्या राज्य सरकार इसकी जांच करायेगी ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, लालेरा के अन्तर्गत 585 थैले सीमेन्ट ठेकेदार को दिनांक 20-10-80 को दिये गये थे। यह सीमेन्ठ निम्न कार्यों के लिए दी गई थी—

1. 5 जे-2 श्रेणी के आवास गृहों का निर्माण ग्राम असरासर एवं मेऊसर में —225 थैले।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

2. ग्राम दूदेर, खानीसर व भोजरासर, मेऊसर में जी. डब्ल्यू. आर. का निर्माण कार्य—360 थैले = कुल 585 थैले।

(2) जी हां, ग्राम दूदेर, खानीसर, भोजरासर व मेऊसर में दिनांक 30-11-80 से फील्ड फायरिंग रेन्ज में आ गये हैं इसलिए वहां पर कार्य नहीं करवाने हैं। ग्राम असरासर में ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं करने के कारण उसके विरुद्ध विभाग ने नियमानुसार कार्यवाही शुरू कर दी है।

(3) चूंकि निर्माण कार्य छोटे छोटे थे एवं अलग अलग गांवों में प्रस्तावित थे जिनमें सीमेन्ट की मांग कम होती है इसलिए दूरस्थ गांवों में लाने ले जाने की सुविधा को देखते हुए मांग के अनुसार पूरी सीमेन्ट एक साथ ही आवंटित कर दी गई थी। चूंकि निर्माण कार्य नहीं कराये जा सके इसलिए अब इस सीमेन्ट का उपयोग उसी ठेकेदार द्वारा कराये जा रहे दूसरे कार्यों पर किया जावेगा।

(4) जैसा प्रश्न संख्या (1) के उत्तर में निवेदन किया कि जिन गांवों में निर्माण कार्य होना था उनमें से अधिकांश फील्ड फायरिंग रेन्ज में आ गये हैं। आवंटित सीमेन्ट के उपयोग अथवा वापसी के संबंध में अधिशासी अभियन्ता ने नोटिस दिये हैं। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भी दो नोटिस दिये गये हैं और 3-3-82 के आदेशानुसार संबंधित ठेकेदार के भुगतान को भी रोक दिया गया है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, भाग (1) में जो मैंने पूछा उसके बारे में कृपया उत्तर दें कि क्या 585 थैले सीमेन्ट का डी. डब्ल्यू. आर. और सी. डब्ल्यू. आर. लालेरा के लिए कोई आवंटन नहीं हुआ था?

श्री जयकृष्ण शर्मा: मैंने बताया है ना 585 बोरों का ब्रेकअप।

श्री देवीसिंह भाटी: लालेरा का प्रश्न पूछा है उसका नहीं बताया।

श्री जयकृष्ण शर्मा: इनके लिए बताया मैंने।

श्री देवीसिंह भाटी: लालेरा का प्रश्न पूछा है मैंने।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): प्रश्न के भाग (1) में उत्तर दिया जा चुका है, उससे स्पष्ट है। माननीय सदस्य ने उत्तर सुना होगा उसकी प्रतिलिपि आपके पास होगी। डी. डब्ल्यू. आर. लालेरा के अगेंस्ट में सीमेन्ट नहीं दिया गया है। जिन कामों के लिए दिया गया है उसका उल्लेख पार्ट (1) के उत्तर में दिया गया है।

श्री देवीसिंह भाटी: अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि आवास गृहों के लिए मेऊसर और असरासर में अलग अलग कार्यों के लिए और जी. डब्ल्यू. आर. के निर्माण कार्य के लिए सीमेन्ट आवंटित की गयी और वह आज तक उपयोग में नहीं लाई गई।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज इसका उत्तर आ गया।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप देखिये तो सही। क्या दो वर्षों तक सीमेन्ट के बोरे रहते हैं ? क्या वह निर्माण कार्यों में उपयोग में आ सकती है ? क्या वह सीमेन्ट बेकार नहीं हो जायेगी, क्या वह निर्माण कार्य में काम में आ जायेगी ? निर्माण कार्य नहीं हुए तो वह सीमेन्ट वापस ठेकेदार से क्यों नहीं ली गयी ?

श्री परसराम मदेरणा : ठेकेदार को समय समय पर रिमाइन्डर दिये गये कि आपने काम पूरा नहीं किया इसलिये वापस कर दो लेकिन वे अभी दूसरे काम कर रहे हैं जिसके अग्रेमेन्ट में यह उन्हें दी है। लालेरा के सी. डब्ल्यू. आर. में जितनी भी सीमेन्ट दी है उतनी क्वान्टिटी की सीमेन्ट देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, टेण्डर में कण्डीशन के अनुसार। इसका मतलब यह हुआ कि जो सीमेन्ट दो साल पहले दी गयी है वह अब इतनी पुरानी हो गयी है इसलिए उस सीमेन्ट का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए ? उस ठेकेदार के दूसरे काम चल रहे हैं और इस प्रकार के आदेश नीचे के अधिकारियों को दे दिये गये हैं कि सीमेन्ट देने का डिसीजन करने के पहले अगर सीमेन्ट यूटिलाइज की जा सकती है तो वही सीमेन्ट यूज होनी चाहिए। इसलिये जो सीमेन्ट इस काम के लिए दी जाने वाली है उसको नहीं दिया जाय क्योंकि पहले वाली सीमेन्ट का वह क्या करेगा। इसलिए वही सीमेन्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। पुरानी सीमेन्ट इस्तेमाल नहीं हो इस संबंध में अबन्डेन्ट प्रिकाशन बरतने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जिस काम के लिए सीमेन्ट आवंटित की गयी क्या वह ठेकेदार दूसरे कार्यों के लिए सीमेन्ट का उपयोग कर सकता है ? क्या ऐसे निर्देश थे विभाग को ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह स्पेसिफिक प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य....

श्री देवीसिंह भाटी :........विभाग ने निर्माण कार्य की मौके पर प्रगति का निरीक्षण किये बगैर सीमेन्ट का कैसे आवंटन कर दिया ?....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : ....बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। यह तो मैंने उदाहरण दिया हैं ऐसे कई हैं....

श्री अध्यक्ष : दूसरे घोटाले होंगे उनके बारे में प्रश्न पूछ लें....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इस ठेकेदार की इतनी डिपोजिट राज्य सरकार के पास में है कि सीमेन्ट की कीमत तो बहुत कम है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : ....जब मौके के ऊपर....

Page No 8

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर आसन पैरों पर है। आप बैठ जाइये। अगला प्रश्न।....मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जब ठेकेदार के द्वारा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर समय हो रहा है। कृपया बैठ जायं आर्डर, आर्डर, उत्तर नहीं आयेगा।

श्री देवीसिंह भाटी :....जब मौके पर प्रगति का निरीक्षण ही नहीं किया अधिकारियों ने तो सीमेन्ट का कैसे आवंटन कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बड़ा अन्याय हो रहा है। हम इतनी मेहनत करके ऐसे घोटाले सदन के सामने लाते हैं और उसके उपरान्त आप ध्यान नहीं दें....

श्री अध्यक्ष : सदन के सामने आ चुका है। आर्डर, आर्डर। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : दो साल तक कोई व्यक्ति....

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आ चुका है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या हम यह अधिकार देने जा रहे हैं कि दो-तीन साल तक कोई व्यक्ति सीमेन्ट ले जाकर घर रख सकता है ? क्या आप यह अधिकार देने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : समय नहीं लें, माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जैसे कहा जा चुका है....

श्री अध्यक्ष : मैंने इजाजत नहीं दी है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह सीमेन्ट....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, समय ले रहे हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। भाषण नहीं होगा।

मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है।

(व्यवधान)

मुझे बाध्य न कीजिये। आप सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित न कीजिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री अनंग कुमार।

भवानी मंडी (झालावाड़) से जयपुर के लिये सीधी बस सेवा

450. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) एवं श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 9

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

क्या यह सही है कि झालावाड़ में भवानी मंडी कस्बा व्यापार तथा उद्योग का केन्द्र है ? यदि हां, तो क्या वहां से जयपुर के लिये सीधी बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार है ? यदि हां, तो कब से बस सेवा प्रारम्भ कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : यद्यपि भवानी मण्डी व्यापार एवं उद्योग का केन्द्र है किन्तु वर्तमान में सीधी बस सेवा हेतु पर्याप्त यात्री-भार उपलब्ध नहीं होने के कारण ऐसी सेवा प्रारम्भ करने का कोई विचार नहीं है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह तो स्वीकार किया कि भवानी मण्डी व्यापार एवं उद्योग का केन्द्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरा झालावाड़ जिला ही व्यापार एवं उद्योग का केन्द्र है और भवानी मण्डी से कोई भी बस सेवा इन्दौर के लिये सीधी नहीं जाती हैं, इससे व्यापारियों को बहुत नुकसान होता है। उनका जयपुर व झालावाड़ आने में समय बर्बाद होता है। क्या आप आश्वासन देंगे कि वहां से सीधी बस सेवा प्रारम्भ की जायेगी ? उसकी स्वीकृति पड़ी है, क्या उसके आदेश देंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भवानी मण्डी से 6 बजे बस चलती है और 8 बजे झालावाड़ से बस मिल जाती है इसलिये हर स्थान से सीधी बस सेवा जोड़ने की अभी व्यवस्था नहीं है। फिर भी यात्रियों की उपलब्धता मिल जाय तो मैं इसके लिये प्रयास करूंगा कि वहां से बस चले।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): अध्यक्ष महोदय, जो बस पाटन से जयपुर चलती है क्या उसको भवानी मण्डी होकर चलाने की व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने आपको आश्वासन दिया कि यात्रियों की उपलब्धता हुई तो इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं क्या भवानी मण्डी से इन्दौर सीधी बस सेवा के लिये कोई आदेश दिये हैं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह तो आपने पूछा नहीं है प्रश्न में।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है। अगला प्रश्न। श्री उम्मेद सिंह।

मताधिकार से वंचित आबादी क्षेत्र की जांच

451. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कभी सरकार ने यह जांच करवाई है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां की जनता को मताधिकार न तो पंचायत क्षेत्र में है और न ही नगरपालिका व नगर परिषद् क्षेत्र में है ?

(2) यदि नहीं, तो जांच क्यों नहीं करवाई गई ?

(श्री उम्मेदसिंह)

(3) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

निर्वाचन मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी नहीं। चूंकि इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। यह ज्ञात हुआ कि सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री क्षेत्र किसी पंचायत या नगरपालिका में नहीं है।

(2) इसका उत्तर भाग (1) में दिया जा चुका है।

(3) इसका उत्तर भाग (1) में दिया जा चुका है।

श्री उम्मेद सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के नागरिकों ने बार बार यह प्रार्थना की है कि उन्हें पंचायत क्षेत्र के अधिकार में माना जाय ? क्या यह ग्राम डान ग्राम का ही एक भाग है जिसको सरकार प्रोत्साहन नहीं दे रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ग्राम वाले पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। वैसे इसका इस विभाग से ताल्लुक नहीं है, चुनाव विभाग से ताल्लुक है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा सीमेन्ट फैक्ट्री सवाई माधोपुर के कर्मचारियों को नगरपालिका और पंचायत क्षेत्र से वंचित करने का क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्योंकि सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री का एरिया सवाई माधोपुर म्यूनिसिपैलिटी में सम्मिलित करने का विचार 1979 में केबिनेट के सामने आया था उस समय भी सरकार ने तारीख 8 मई, 1979 को यह निर्णय लिया था कि सीमेन्ट फैक्ट्री से लगा हुआ क्षेत्र पृथक ही रखा जाय इसलिये इसको सम्मिलित करने का प्रश्न विचारार्थ आया नहीं है। जब कभी कोई ऐसा प्रश्न आयेगा तब विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न 2--3 बार आया है इसलिये विचारार्थ तो लीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी विचार कर सकेंगे। मेरे पास तो चुनाव कराने की घोषणा आयेगी तो मैं देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : चुनाव समय पर करा देंगे आप, ठीक है।

श्री देवीसिंह भाटी : बीकानेर जिले में पाक सीमा से लगा हुआ लाडेवाला क्षेत्र न तो पंचायत क्षेत्र में लिया गया है न और किसी क्षेत्र में है। उसमें 60 घरों की आबादी है। आजादी के 35 वर्ष बाद भी उनका किसी भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस विषय में आपको प्रश्न अलग से रखना चाहिये।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान की बात है। अगर ऐसा कोई प्रसंग आता है तो अलग की कौनसी बात हुई।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, कटारिया जी बैठ जायं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या कभी सरकार ने यह जांच करवाई है कि कौन कौनसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां मताधिकार न तो पंचायत समिति में है और न नगरपालिका क्षेत्र में है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह इसमें कवर होता है। पूरे राजस्थान के बारे में यह प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आते हैं और कोई उदाहरण दिये जाते हैं तब भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या आपके विभाग ने कोई जांच करवाई कि दूर-दराज गांव में 60 घरों के व्यक्तियों में से आज तक किसी भी व्यक्ति को कोई मताधिकार नहीं मिला है? फिर अलग प्रश्न की क्या बात हुई?

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य। समय जा रहा है व्यर्थ में।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक सीधा सवाल पूछा गया है डिस-एनफ्रेन्चाइजमेंट हुआ है, लोगों को मताधिकार से वंचित किया गया है। आप इसका कुछ आश्वासन तो दें Are they not citizens of the country?

एक माननीय सदस्य : किसी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ये हम पर....

श्री अध्यक्ष : समय नहीं लें।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या यह विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि वे ऐसे क्षेत्रों की जांच करें?

श्री अध्यक्ष : समय नहीं लें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह गांव सेन्सस में आ चुका है फिर भी मताधिकार का अधिकार नहीं दे....

ी ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जो स्थान माननीय सदस्य ने कोट किया है कहीं ऐसा न हो कि सरकार उसके लिए कार्यवाही न करे। कम से कम जानकारी तो कर लें कि ऐसे क्षेत्र हिन्दुस्तान में हैं। उसके बारे में कौनसी परेशानी है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का पूरा दायरा है, यदि किसी माननीय सदस्य को शिकायत हो कि कोई क्षेत्र, गांव, घरों का समूह वंचित रह रहा है तो उनको प्रश्न पूछना चाहिए था या अब भी पूछ सकते हैं, अन्य माध्यमों को अपना सकते हैं....

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर आर्डर। व्यर्थ में समय ले रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, क्या राज की जिम्मेदारी नहीं होती कि वह इस पर कार्यवाही करे ? कहीं ऐसा न हो कि कोई शिकायत हो और वह ध्यान में आ जाय तो भी उसकी जांच न की जाय।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया गया है।

श्री देवीसिंह भाटी : अगर मैं यह प्रश्न सदन के सामने लाया हूं तो क्या सरकार उसकी जानकारी के लिए जांच करायेगी ?

श्री अध्यक्ष : इसका कोई उत्तर नहीं आयेगा, माननीय सदस्य।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि....

श्री देवीसिंह भाटी : इसका कोई जवाब जाकर पूछ सकते हैं। यह इतना भी नहीं कह सकते, जी हां, जी नहीं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह नहीं बता सकते, कल पाकिस्तान....यह इतना भी नहीं कर सकते। + + +

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आर्डर प्लीज। बैठ जायं। अंकित न हो।

(व्यवधान)

मैं कोई व्यवस्था नहीं दूंगा। अंकित न हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप समय ले रहे हैं व्यर्थ में। बैठ जायं, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। अंकित न हो। सदन का समय जा रहा है। माननीय सदस्य, बैठ जायं।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य, व्यर्थ में। आर्डर आर्डर। बैठ जायं। श्री हीरालाल आर्य। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। बैठ जायं। अंकित न हो। माननीय सदस्या, सदन की कार्यवाही में आप बाधा डाल रही हैं, बैठ जायं। अगला प्रश्न। दुबारा....

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, आखिर में यह होगा....

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया मुझे बाध्य न करें, माननीय सदस्य। नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बैठ जायं।

श्री देवीसिंह भाटी : यह क्षेत्र हमारा है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान ने अगर क्लेम कर लिया तो हिन्दुस्तान की सरकार क्या करेगी ?

श्री अध्यक्ष : आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। मैंने एक दफा निवेदन कर दिया कि मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री महावीरप्रसाद जैन : उत्तर तो दिलवा ही सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा उपस्थित कर रहे हैं।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : हमारे अधिकारों की बात है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह सदन की कार्यवाही नहीं चलायी जा सकती। बैठ जायं, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, मुझे बाध्य न करें, बैठ जायं।

(व्यवधान)

मैंने निवेदन कर दिया। बैठ जायं।

आसन पैरों पर है, बैठ जायं। कृपया बैठ जायं।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब कभी कोई प्रश्न आता है तो यह अल्पावधि का माध्यम है। प्रथम अधिकार होता है उनका जिन्होंने प्रश्न रखा है। एक दो पूरक प्रश्न की इजाजत दे दी है, उसके पश्चात् यदि आवश्यक समझूं तो एकाध अन्य माननीय सदस्य को मैं अवसर दे सकता हूं। कोई भी विषय सदन के समक्ष आ जाय, वही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सभी माननीय सदस्य सहयोग न करें व नियमों का उल्लंघन करें तो इससे सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया नियमों का ध्यान रखें। जब प्रश्न पूछने की इजाजत हो तो प्रश्न पूछें, इजाजत नहीं दूं तो फिर माननीय सदस्य कृपा करके उसके लिए सदन के अन्दर व्यवधान पैदा न करें। इसलिए आपसे निवेदन है कि एक प्रश्न के ऊपर 10–12 मिनट यों ही चले जाते हैं, बहुत से महत्वपूर्ण विषय हैं। नियमों की कम्पलायेंस होनी चाहिए नहीं तो मुझे नियमानुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। मैं कुछ माननीय सदस्यों को सदन से बाहर पधारने का निवेदन करूंगा। मैं निवेदन करूंगा मुझे बाध्य न करें। माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

मैं आपसे निवेदन करूं आपको....

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, बैठ जायं। मैंने अर्ज कर दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : + + +

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों के अनुसार कार्यवाही करूंगा, मुझे अधिकार है इसलिए....

श्री भंवरलाल शर्मा : आप ऐसा करिये, मैं एक सुझाव दूंगा....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, मैं सुझाव नहीं लूंगा। जरूरत समझूंगा तो मैं माननीय सदस्य,

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य।

श्री देवीसिंह भाटी : + + +

श्री अध्यक्ष : तलवार बहुत बड़ी है, उसका उपयोग नहीं होता, यदा-कदा मजबूर होकर करना पड़ता है वह मैं करूंगा। ऐसा कोई नियमों में प्रावधान नहीं हो सकता, न प्रावधान है और न डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतन्त्र की मन्शा है कि 8-10 माननीय सदस्य यदि चाहें तो नियमों का उल्लघन करके, जो बचे हुए माननीय सदस्य हैं उनके अधिकारों को कुछ समय के लिए कतई तौर पर छीन लें। यह इजाजत नहीं दूंगा।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई,

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : हम आसन को हमेशा कोआपरेट करते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है....

पीपल्दा क्षेत्र में कन्दरा सुधार हेतु निर्मित बांधों की मरम्मत

452 श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र में कन्दरा सुधार हेतु भूतपूर्व महाराजाओं द्वारा मिट्टी के चैक डेम बनाये गये थे और अब स्थान स्थान पर टूट जाने से कन्दरा बढ़ने से खेत खराब हो रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो इन स्थानों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) सरकार ने भूतपूर्व महाराजाओं द्वारा बनाये बांधों के टूट जाने पर उनकी मरम्मत की अब तक क्या कार्यवाही की है और भविष्य की क्या योजना है ?

(4) क्या सरकार उक्त टूटे चैक डेम्स को शीघ्र पुनः बनाने के आदेश प्रदान करने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर):

(1) जी हां।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) इन बान्धों व तालाबों का प्राथमिक सर्वे कराया जा चुका है।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(4) सर्वे रिपोर्ट की जांच के बाद आकलन योजना की स्वीकृति, धनराशि की उपलब्धि आदि कारणों पर विचारोपरान्त इस कार्य को हाथ में लेना सम्भव होगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इनको भी इजाजत मत दो।

श्री अध्यक्ष : मैं उनको इजाजत दे रहा हूं।

(व्यवधान)

यही मत है।

श्री गोपाल पचेरवला!

(व्यवधान)

यदि ऐसी ही मन्शा है तो इस तरह आप आसन को बाध्य नहीं कर सकते। मैं अपने विवेक को काम में लेकर जो जरूरी और उचित पूरक प्रश्न होते हैं उसमें समय देता हूं। मात्र यह नहीं हो सकता कि जो भी सदन के समक्ष विषय आ गया उसके अन्दर 10 मिनट 20 मिनट आधा घण्टा चर्चा होती रहे, यह इजाजत नहीं दे सकता। यह मानकर चल सकता हूं कि जिसने प्रश्न किया है, प्रस्ताव दिया है उनको उसकी जानकारी होती है इसलिए उनको सबसे अधिक सुविधा दी जाय। एकाध पूरक प्रश्न की इजाजत यदा-कदा अन्य माननीय सदस्यों को भी दी जा सकती है। यह नहीं हो कि माननीय सदस्य की जानकारी तो है नहीं, उसमें अपनी कोई तैयारी तो है नहीं और ज्यों ही कोई प्रश्न आया उस पर बोलें। इस तरह से इजाजत नहीं दे सकता, मुझे क्षमा करें। जिन माननीय सदस्यों के प्रश्न होते हैं उनको समय देता हूं और उनके अलावा भी जब मैं आवश्यक समझता हूं तो अन्य माननीय सदस्यों को भी पूरक प्रश्न करने की इजाजत दे देता हूं। लेकिन मुझे यह देखना पड़ता है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह ठीक है या नहीं। इसलिए....

श्री भंवरलाल शर्मा : आपकी भावना के अनुसार ही प्रश्न संख्या 451 में जो प्रश्नकर्ता थे उन्होंने प्रश्न किया था....

श्री अध्यक्ष : मैंने इजाजत दे दी थी।

प्रश्न संख्या 453

अगला प्रश्न। श्री गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, यह तो आपके विवेक का विषय है कि आप किसको प्रश्न करने की इजाजत दें, किसको नहीं दें लेकिन....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सबसे अधिक आप श्रद्धा के पात्र हैं। आप समझाइये माननीय सदस्यों को कि ऐसी बातें कहें जिससे सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चल सके।

श्री राजबहादुर : वही चेष्टा कर रहा हूं। हो सकता है कि आवेश में हम लोग कुछ कह दें लेकिन यह निश्चित बात है कि जो मूल प्रश्नकर्ता होते हैं उनको अधिकार होता है कि वे अपनी जानकारी के आधार पर यहां अपनी बात कह सकें। सदन के अन्दर अपनी जानकारी के आधार पर सूचना देकर सरकार से उत्तर चाहें, इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई। श्री देवीसिंहजी भाटी ने....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : मैं आपको फिर विनती करता हूं कि आपको स्वयं अलाऊ करना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : आपके जो सुझाव आए हैं मैं उनको ध्यान में रखूंगा।

प्रश्न संख्या 454

श्री रामकुमार बैरवा !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री गोकुलचन्द शर्मा।

शिवगंज एवं सुमेरपुर नगरों को पेयजल की व्यवस्था

455. **श्री गोकुलचन्द शर्मा** (सुमेरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या यह सही है कि सुमेरपुर नगर, जिला पाली की जल प्रदाय योजना अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिरोही के नियंत्रण में है ?

(2) क्या यह सही है कि शिवगंज जल प्रदाय योजना का जल स्रोत पर्याप्त नहीं होने से शिवगंज एवं सुमेरपुर नगरों को उचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सुमेरपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुमेरपुर-पुराड़ा मार्ग पर पृथक जल स्रोत प्राप्त कर योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो इस योजना की क्रियान्विति कब तक हो जायेगी और इस पर कितना व्यय होगा ?

(4) क्या यह सही है कि सुमेरपुर-पुराडा मार्ग पर प्राप्त जल स्रोत योजना पाली जिले में आती है और इसका नियन्त्रण पाली जिले के जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी अधिकारियों के अधीन होना आवश्यक है ? यदि हां, तो कब तक इस योजना का नियन्त्रण पाली जिले में दे दिया जायेगा ?

राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां।

(2) जी हां। जल योजना शिवगंज एवं सुमेरपुर दोनों योजनाओं का जल स्रोत पर्याप्त नही होने व बिजली की कटौती के कारण जल वितरण कम है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा सुमेरपुर नगर में वर्तमान योजना का रिआर्गेनाइजेशन प्रस्तावित है। जिसका

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

जल स्रोत जवाई नदी में अतिरिक्त ट्यूब वैल डाल कर बनाया जा रहा है ।

इस योजना की क्रियान्विति इसी साल चालू हो गई है । प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है । इस वर्ष 3.50 लाख रु. आवंटन किए गए हैं । योजना पर कुल व्यय 21·6 लाख रुपये अनुमानित है ।

(4) यह सही नहीं है कि सुमेरपुर जल योजना का प्रस्तावित जल स्रोत पाली जिले में है । सुमेरपुर जल योजना का वर्तमान जल स्रोत व शिवगंज का जल स्रोत एक ही है व सिरोही जिले के अधिशासी अभियन्ता के अधीन है । इस जल योजना का नियन्त्रण पाली जिले के अधिकारियों को हस्तान्तरण किया जाना आवश्यक नहीं है ।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि मैंने प्रश्न के भाग (4) में यह पूछा था कि यह जल स्रोत योजना पाली जिले में आती है इसलिए इसका नियन्त्रण पाली जिले के अधिकारियों को देना उचित होगा । अभी जो जल स्रोत बनाया जा रहा है वह पाली जिले में है और सुमेरपुर पाली के पास है इसलिए इसका काम पाली जिले के अधिकारियों को दे दिया जाय तो वहां का कार्य सुचारू रूप से चल के सकता है और यह योजना अच्छी तरह से कार्य कर सकती है ।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : जैसा कि उत्तर में आपको सूचित कर दिया गया है कि जो स्रोत अब डवलप किया जा रहा है वह पाली जिले में नहीं है बल्कि सिरोही जिले में नदी के बैंड में है और जो योजना है वह दोनों की सम्मिलित योजना है । स्रोत दोनों का एक ही है इसलिए इस योजना को रिआर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है बल्कि सुमेरपुर और शिवगंज का जल स्रोत एक है उससे सुमेरपुर को पानी पूरा मिल सके उसके लिए वर्तमान योजना का रिआर्गेनाइजेशन प्रस्तावित है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया

श्री भंवरलाल शर्मा : दो सवाल हो गए ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : वह तो आपके लिए है ।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुराड़ा रोड पर यह जल स्रोत बताया गया है यह सिरोही जिले में नहीं है बल्कि यह पाली जिले में है और पाली जिले में ही बनाया जा रहा है ।

श्री परसराम मदेरणा : आप यह कह रहे हैं कि सुमेरपुर और पुराड़ा के रास्ते, यह रोड हो सकती है इसमें रास्ता लिखा है, पर जो नया स्रोत डवलप करने जा रहे हैं वह पाली जिले में है । हमें सूचना मिली है कि वह पाली जिले में स्थित नहीं है । स्रोत की जगह लोकेशन, हो सकता है आप जो बता रहे हैं वह नहीं हो । इसलिए हमने उत्तर दिया कि आप जो जगह बता

(श्री परसराम मदेरणा)

रहे हैं वह पाली जिले में नहीं है। स्रोत डवलप करने की रिआर्गेनाइजेशन स्कीम को जो आपने पिन पाइन्ट किया है वह पाली जिले में नहीं है।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : शिवगंज में स्रोत डवलप करने की बात की जा रही है लेकिन वहां पर पानी पहले से ही नहीं है। आपने कहा कि बिजली की कमी के कारण पानी नहीं मिल रहा है लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि वास्तव में कुओं में ही पानी नहीं है इसीलिए नया स्रोत डवलप करने की बात हुई और पानी अवेलेबल कराने के लिए ट्यूबवैल खोदने की बात की गई। आप इस बात को वापस दिखवा लें, वहां पर पानी नहीं मिल रहा है और बस्ती में भी पानी अवेलेबल नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि बिजली की कटौती के कारण पानी नहीं पहुंच रहा है लेकिन वास्तव में पानी ही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि उत्तर में स्पष्ट बताया गया है कि पानी का जो स्रोत मिला है वह जवाई नदी के बैंड में मिला है। जब जवाई नदी के बैंड में है तो वहां पर इस बात को एश्योर कर लिया गया है कि पानी है और पर्याप्त मात्रा में है और वहीं स्रोत रखा जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पानी नहीं मिलेगा तो फिर जानकारी करा लूंगा।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

प्रश्न संख्या 456

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम कम बुद्धि के हैं और कम बुद्धि से चुन कर आते हैं इसलिए मैं सदन में प्रश्न नहीं करना चाहूंगा, आपके आदेशानुसार।

प्रश्न संख्या 457

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री देवीसिंह भाटी : वे तो वैसे ही नाराज होकर चले गए।

श्री अध्यक्ष : नो रनिंग कमेंट्री।

प्रश्न संख्या 458

श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ : क्योंकि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी। आप नहीं पूछना चाहते हैं तो बिराज जाइये।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य।

कार्यवाही में बाधा नहीं डालें, मैं इस प्रकार की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : ××××

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 459

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। श्री कैलाश मेघवाल।

श्री अमीन खां।

बाड़मेर—जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग

460. श्री अमीन खां (शिव) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बाड़मेर-जैसलमेर रोड नेशनल हाई वे रोड है ? यदि हां तो क्या इसकी निधारित चौड़ाई के अनुसार रोड की चौड़ाई नेशनल हाईवे रोड की है ? यदि नहीं, तो विभाग कब तक इस सड़क की चौड़ाई बढ़ायेगा ?

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : बाड़मेर से जैसलमेर नेशनल हाईवे रोड है। इसकी निर्धारित चौड़ाई के अनुसार रोड की डामर सड़क की चौड़ाई नेशनल हाईवे के सिंगल लेन रोड की है। चौड़ा करने की अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जैसलमेर नेशनल हाईवे रोड के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर और जैसलमेर दोनो बार्डर जिले हैं इसलिये यहां पर मिलिट्री का जबर्दस्त ट्रैफिक आता है। जब यह बार्डर रोड और नेशनल हाईवे दोनों है तो आप क्यों नहीं इनको चौड़ी करने के लिए लेना चाहते हैं ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि बाड़मेर और जैसलमेर दोनों बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं लेकिन अभी इस रोड पर जितना ट्रैफिक आता है उसको देखते हुए इसको चौड़ा करने की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है इसलिए इसको चौड़ा नहीं किया जा रहा है।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता चाहता हूं कि इस रोड पर जितना मिलिट्री का ट्रैफिक रहता है आपके राजस्थान के किसी नेशनल हाईवे पर उतना आवागमन नहीं है। कई कई घण्टों तक ट्रैफिक को रुकना पड़ता है। बहुत जबरदस्त ट्रैफिक मिलिट्री का चलता है जो कम से कम छः छः महीनों तक चलता है और आप इसको महत्व नहीं दे रहे हैं। इससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। इसको आप चौड़ा करवाइये।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य का कहना है कि यहां पर मिलिट्री का ट्रैफिक चलता है, मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि इस सड़क को चौड़ा कराने का कार्य केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता

Page No 20

(श्री चेतराम मीणा)

है और जब केन्द्रीय सरकार उचित समझेगी कि ट्रैफिक इतना हो गया है कि सड़क का चौड़ा कराना आवश्यक है तो उसको चौड़ा करायेगी।

श्री अमीन खां : क्या आप केंद्रीय सरकार को यह कहेंगे कि वास्तव में इस पर मिलीट्री वगैरह का ट्रैफिक अधिक होने से चौड़ा कराने की जरूरत है ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, समय समय पर ट्रैफिक की जांच होती है और जब आवश्यकाता होगी तो राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से निवेदन करेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । सुश्री पुष्पा जैन।

प्रश्न सं. 461

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : ×××

श्री अध्यक्ष : एक्स पंज ।

प्रश्न संख्या 462

श्री हंसराजे शर्मा।

प्रश्न संख्या 463

श्री लच्छूराम ! श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सरकार उत्तर नहीं देती है, अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा प्रश्न पूछना गलत है।

प्रश्न संख्या 464

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामसिंह विश्नोई : प्रश्न सं. 464।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान न करें, माननीय सदस्या। श्री माधवसिंह दीवान उपस्थित नहीं हैं। श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

मारवाड़ जंक्शन एवं दूसरी तहसील में विद्युत मांग की पूर्ति

465. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खाराची) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले को मारवाड़ जंक्शन तहसील एवं देसूरी तहसील में 1979 से अब तक विद्युत कनेक्शन हेतु कृषि, घरेलू एवं व्यावसायिक कनेक्शन के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए एवं इनमें से कितने कनेक्शन दे दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कितने आवेदन पत्र 1979 से अब तक लम्बित पड़े हैं, जिनकी डिमाण्ड राशि जमा करा दी गई है परन्तु कनेक्शन अभी तक नहीं दिये गये है ?

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

ऊर्जा मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन तहसील एवं देसूरी तहसील में 1979 से अब तक विद्युत कनेक्शन हेतु कृषि, घरेलू एवं व्यावसायिक कनेक्शन के आवेदन प्राप्त होने तथा कनेक्शन देने की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त श्रेणी के ऐसे आवेदन पत्र जिनकी डिमाण्ड राशि 1979 से जमा है तथा अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं, की संख्या निम्न प्रकार है :—

	मारवाड़ जंक्शन तहसील	देसूरी तहसील	योग
कृषि	80	51	131
व्यावसायिक	11	44	55
घरेलू	616	543	1159

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री भंरूसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो डिमाण्ड राशि उनकी भरी हुई है वह कब से भरी हुई है ? दूसरा, जो घरेलू कनेक्शंस बाकी हैं, उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के कितने कनेक्शंस हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भंरूसिंह गुर्जर : दोनों ही प्रश्न इससे सम्बन्धित हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप इसमें पूछ लेते कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने कनेक्शंस हैं, उसमें नहीं पूछा है। कनेक्शन कितने हैं यह बात पूछी है। कितने आवेदन आये, कितने पैंडिंग हैं मैं निवेदन करना चाहूंगा, मारवाड़ जंक्शन में जो भी अभी तक कनेक्शन दिये गये हैं, पिछले डेढ़ साल में, वह कृषि के 1103 हैं, व्यावसायिक के 335 दिये गये हैं और घरेलू के 3998 कनेक्शन दिये हैं। जो बाकी बचे हैं, उसकी लिस्ट दे दी गई है।

श्री भंरूसिंह गुर्जर : मेरा पहला प्रश्न था, जो डिमाण्ड राशि भरी हुई है उसके कितने कनेक्शन्स ड्यू हैं ? वह पिछले कितने समय से भरी हुई है ? जो कनेक्शन बाकी पड़े हैं उसका क्या कारण है ? कहीं यह तो कारण तो नहीं है कि मीटर सप्लाई नहीं हो रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : आपको जो संख्या बताई है, चाहे वह कृषि की हो, व्यावसायिक हो या घरेलू हो, 1979 से जो राशि जमा है उनको बतायी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री शिवदानसिंह राठौड़, श्री सूरजपाल सिंह, श्री माधवसिंह दीवान।

चण्डावल-जैतारण, जैतारण-मेड़ता सिटी, उदयपुर-नागौर व पाली-नागौर सड़कों का डामरीकरण

466. **श्री शिवदानसिंह राठौड़** (जैतारण), **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) व **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 22

(२२)

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

क्या यह सही है कि चण्डावल से जैतारण (पाली) व जैतारण से मेड़ता सिटी जो सड़क है व उदयपुर-नागौर व पाली नागौर का सबसे छोटा मार्ग है और उस पर कंकरी की तीन कुटाई भी की हुई है ? यदि हां, तो क्या उस पर डामर कराने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो इन सड़कों पर कब तक डामर कर दिया जायेगा ?

राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : यह सही है कि चण्डावल से जैतारण (पाली) जैतारण से मेड़ता सिटी सड़क होते हुए उदयपुर-नागौर मार्ग सबसे छोटा है परन्तु पाली-नागौर मार्ग इन सड़कों से होता हुआ सबसे छोटा नहीं है। यह सही है कि जैतारण से मेड़ता सिटी सड़क पर कंकरी की तीन तथा चण्डावल से जैतारण के बीच में ककरी की दो बार कुटाई हो चुकी है। इन सड़कों पर डामर कराये जाने की धनाभाव के कारण निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि डामर कराने के लिये छोटी कंकरी सड़क पर डाली गई है उसमें से कितनी पर डामर हुई है ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, चण्डावल से जैतारण सड़क की लम्बाई 30 किलोमीटर है उसमें से 17 किलोमीटर पर डामर हो चुकी है और 13 किलोमीटर पर नहीं हुई है। इसी तरह जैतारण से मेड़ता सिटी की लम्बाई 55 किलोमीटर है ? उसमें से 45 किलोमीटर पर डामर हुई है और 10 किलोमीटर पर नहीं हुई है।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : जो छोटी मूंगिया कंकरी होती है क्या वह सड़क पर डाल दी गई है ? वह कंकरी केवल डामर करने के काम आती है।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह मेरी जानकारी में नहीं है और ना माननीय सदस्य ने प्रश्न में पूछा है।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : मैंने जानकारी के लिये पूछा है। आपने फर्माया धनाभाव के कारण डामर नहीं किया जा सकेगा। डामर डालने के लिये सब जगह मूंगिया कंकरी डाल दी गई है वह किस काम आयेगी ? वह डामर के अलावा सिकी काम मे नहीं आ सकेगी।

श्री अध्यक्ष : ग्रामीण उसका सदुपयोग करेंगे।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : वह मूंगिया कंकरी सिवाय डामर के किसी काम नहीं आयेगी। डामर नहीं हो रहा है उससे सरकार का लाखों रुपया बरबाद हो चुका है। वह पैसा सड़क पर डामर डालने के लिये दिया है। सरकार डामर नहीं करा रही है। लाखों रुपया वेस्ट चला जायेगा, उसको आप दिखवाने का कष्ट करें, कृपा करके।

श्री चेतराम मीणा : जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, प्रश्न में यह नहीं था। माननीय सदस्य जैसा कह रहे हैं कि इसकी जांच करवा लें चालू वित्तीय वर्ष में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन इस तरह डाली जाती है तो मैं दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : फेमिन में डाली होगी।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : डामर करानी है, फेमिन में ले लीजिये। फेमिन का पैसा आता है उसमें कृपा करके ले लें नहीं तो लाखों रुपया वेस्ट चला जायेगा। मेड़ता सिटी में 10 किलोमीटर सड़क पर डामर डालनी है।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा होगा आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

प्रश्न संख्या 467

श्री अध्यक्ष : श्री बंसीलाल पटवा।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सारी रक्षा और सुरक्षा नहीं रखी....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री बंसीलाल पटवा : मैंने विनम्रता से निवेदन किया....

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्न पूछने की इजाजत दे सकता हूं।

श्री बंसीलाल पटवा : विनम्रता के वातावरण से सदन चले, मेरा निवेदन है कि हाउस को ठीक चलाने की दृष्टि से सभी विरोधी दलों के सदस्यों को बुलाकर....

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। बैठ जायें, माननीय सदस्य। प्रश्न पूछना हो तो पूछें।

स्थगित प्रश्न संख्या 111

(दिनांक 26 फरवरी, 1982)

स्थगित प्रश्न। श्री भगवान दास शास्त्री, श्री महावीर प्रसाद, श्री नंदलाल मीणा, श्री बालचन्द आर्यवीर, श्री सुरजा राम टांक।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : शासन की ओर से जो व्यवस्था है....

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : उसको देखते हुए कोई मतलब नहीं है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : ××××

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया ××× जाय, आपके स्वयं के विचारों से....

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

एक माननीय सदस्य : प्रश्नकाल चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ आर्डर प्लीज।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, एक वयोवृद्ध सदस्य के नाते, कृपया सदन के वातावरण को ठीक बनाने के लिये....

श्री अध्यक्ष : यह माननीय सदस्यों के हाथ में है। मेरा कोई दोष नहीं है। अच्छा वातावरण बनायें, अब बनाये रखें दूसरे घंटे में।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आप निर्णायक हैं। हम आदर करना चाहते हैं, को-आपरेट करना चाहते हैं। यह ऐसी बातें होती हैं जो मौलिक अधिकार की बातें होते हैं, आपसे संरक्षण नहीं मिले तो कहां मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्य यह मानकर चलें कि चाहे जब चाहें जिस विषय पर चाहें जितनी देर बोलें, इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजबहादुर : अगर मतभेद होते हैं तो हमसे कह दें, चेम्बर में आकर बात कर लें....

श्री अध्यक्ष : हैं ही नहीं।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न पर इतना झगड़ा हुआ उसके लिये पहल आपको करनी पड़ेगी। एक माननीय सदस्य को निलम्बित....

श्री अध्यक्ष : मैं स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे रहा हूं, उसके पश्चात् वह प्रश्न उठायें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। आर्डर प्लीज।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अन्तर्जातीय विवाह करने वाले युवा, युवतियों को सुविधायें/पुरस्कार

453. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अन्तर्जातीय विवाह करने वाले युवा, युवतियों को विशेष प्रोत्साहन, राजकीय सुविधाएं या पुरस्कार दिया जाता है ? यदि हां, तो कबसे और क्या क्या ?

उत्तर

जी नहीं। केवल सवर्ण पुरुष या महिला द्वारा किसी अनुसूचित जाति की महिला या पुरुष से विवाह करने की स्थिति में उसे 5,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।

'बी' श्रेणी की शेष नगरपालिकाओं के चुनाव

454. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

'बी' क्लास की ऐसी कितनी नगरपालिकायें हैं जिनके चुनाव अभी अन्य नगरपालिकाओं के साथ नहीं कराये गये ? चुनाव न कराये जाने के क्या कारण थे ?

Page No 25

(25)

उत्तर

बी क्लास की नगरपालिकाएं जिनके चुनाव अन्य नगरपालिकाओं के साथ नहीं कराए गए हैं, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इस सूची में चुनाव नहीं कराए जाने के कारण भी अंकित हैं।

1.	किशनगढ़, जिला अजमेर	मतदाता सूची तैयार नहीं होने के कारण
2.	चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़	सीमा विस्तार
3.	झुंझुनू, जिला झुंझुनू	वार्डों का पुनर्सीमन
4.	सरदारशहर, जिला चूरू	वार्डों का परिसीमन
5.	सवाईमाधोपुर, जिला सवाई-माधोपुर	वार्डों का परिसीमन
6.	जैसलमेर, जिला जैसलमेर	नोटिफाइड एरिया बनाने का प्रस्ताव है।
7.	माउन्ट आबू	मनोनीत मंडल होने के कारण।

पंजाब एवं हरियाणा मण्डियों में पंजीकृत ट्रक्स के राज्य में प्रवेश पर प्रतिबन्ध

457. **श्री हरिसिंह** (फुलेरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि पंजाब व हरियाणा की सभी मण्डियों में ट्रक ऑपरेटर्स की यूनियन्स हैं? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मण्डियों में राजस्थान के ट्रकों को माल लोड नहीं करने देते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या राज्य सरकार उपरोक्त मण्डियों में रजिस्टर्ड ट्रक्स के राजस्थान आने पर प्रतिबन्ध लगायेगी? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में विभाग को कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई शिकायतें इस विषय में आई है।

(2) जी नहीं।

न्यूनतम मजदूरी

458. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मेघराज तावड़)

(1) राज्य में न्यूनतम मजदूरी राज्य सरकार ने कितनी निर्धारित की है ? क्या अकाल सहायता कार्यों में कार्य करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि प्रान्त में ठेकेदार के पास काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में अकुशल कामगार की दर 182/–प्रतिमाह या 7/–प्रतिदिन, अर्द्ध-कुशल श्रमिक को 208/–प्रतिमाह या 8/–प्रतिदिन तथा कुशल कामगार को 240/–प्रतिमाह या 9/25 पैसे प्रतिदिन 1–1–1980 से निर्धारित है।

विभाग द्वारा चलाये जाने वाले अकाल राहत कार्यों पर निर्धारित श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन दर से न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 26 के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ० 1 (5) (2) श्रम/74 दिनांक 9·2 82 के तहत 30·9·82 तक छूट दी हुई है।

(2) यह सही नहीं है। अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उस पर कार्यवाही की जाती है।

जयपुर से हरिद्वार तक सीधी बस सेवा

464. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जयपुर से हरिद्वार के लिये सीधी बस सेवा की मांग काफी समय से रही है ? यदि हां, तो यह बस कब तक चालू करदी जायेगी ?

उत्तर

सीधी बस सेवा की मांग रही है। यह अन्तर्राज्यीय मार्ग है जिस पर बस सेवा पारस्परिक समझौते के बाद ही चालू की जा सकती है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम शिवदासपुरा में ग्रिड-स्टेशन

391. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम शिवदासपुरा, पंचायत समिति चाकसू की चरागाह भूमि खसरा नं. 361 से आवश्यक भूमि दिनांक 16 फरवरी, 1979 को बिजली के ग्रिड-स्टेशन के निर्माण के लिये आवंटित की गयी थी ?

(2) क्या यह ग्रिड-स्टेशन बन गया है ?

(3) यदि नहीं, तो अब कब तक पूरा कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-5) के अन्तर्गत शिवदासपुरा में 132 के. वी. सब स्टेशन बनाने की कोई योजना सम्मिलित नहीं है। अतः यह सब स्टेशन कब बन जावेगा इसके बारे में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

सिद्धमुख नहर से सिंचाई

392. **श्री दीपचन्द** (सादुलपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले की सिद्धमुख नहर का कार्य कब तक चालू करने की योजना है ?

(2) इस योजना से राजगढ़ तहसील के कितने गांवों को सिंचाई हेतु पानी मिलेगा ?

उत्तर

(1) योजना का आंकलन योजना आयोग व केन्द्रीय जल आयोग को भेजा गया था। केन्द्रीय सिंचाई सचिव ने दिनांक 15·1·82 को एक फैसला दिया है जिसके फलस्वरूप आंकलन के संशोधित होने की आवश्यकता है जो किया जा रहा है और जल्दी ही केन्द्रीय जल आयोग को संशोधित आंकलन भेज दिया जावेगा।

(2) आंकलन के संशोधन के पश्चात् ही सिंचित होने वाले गांवों की संख्या दी जा सकेगी।

तहसील कोलायत में भूमि आवंटन

393. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील कोलायत जिला बीकानेर के ग्राम गजनेर चांडासर, नाइयों की बस्ती, कोटड़ा बालाला, सालासर खारी, गोलरी मोटावता, गंगापुरा, मढ़ कोटडी, कोलायत, गुड़ा, दियातरा में कितनी राजकीय भूमि का आवंटन कर दिया गया है ? अलग अलग ग्राम की कुल आवंटित हुई भूमि की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त गांवों में वर्तमान में कितनी भूमि काश्त योग्य खाली है ? कृपया अलग अलग ग्राम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त गांवों के आवंटियों की सूची मय नाम व स्थाई पते, ग्रामवार कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन् 1976 से अब तक ग्राम खारी, चारनाम, मढ़, मोटावता गुडा, गंगापुर, गोलरी में राजकीय भूमि के किये गये आवंटन की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। शेष ग्रामों में आवंटन नहीं किया गया है।

(2) ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

Page No 28

(28)

(राजस्व मंत्री)

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

तहसील शिव के ग्राम नेगरड़ा में खसरा नं. 22 का आवंटन

394 **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर की तहसील शिव के ग्राम नेगरड़ा में खसरा नं. 22 गांव की आबादी के चारों तरफ आया हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वह खसरा नम्बर अलॉट हो जाने से गांव की पशुपालक जनता को आने जाने का रास्ता भी नहीं रहा है ?

(3) क्या जिला प्रशासन ने उक्त खसरा के बदले दूसरा खसरा अलॉट करने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो अन्य खसरा आवंटन करने की कार्यवाही कब तक हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ख. नं. 22 गांव की आबादी के चारों तरफ न होकर एक तरफ आया हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। जिला प्रशासन ने इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की है।

तारागढ़ की पहाड़ियों के बीच बांध का निर्माण

395. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में इन्दरकोट स्थित तालाब की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तारागढ़ की पहाड़ियों के बीच एक बांध का निर्माण अभी-अभी पूरा हुआ है।

(2) क्या यह भी सही है कि इस बांध के निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग में लिये जाने से दरारें पड़ गई हैं और आगामी प्रथम वर्षा में ही इसके टूट जाने का अन्देशा हो गया है ?

(3) क्या इस बांध के टूटने से अजमेर नगर की घनी जनसंख्या वाली बस्तियां, दरगाह बाजार, नला बाजार, इन्दरकोट व मदारगेट को भयंकर खतरा पैदा हो गया है ?

(4) क्या सरकार जांच करा कर इन बस्तियों को खतरे से बचाने और निम्न-स्तरीय निर्माण के लिये उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर में इन्दरकोट स्थित बांध बाढ़ के पानी व मलवे को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने हेतु बनाया गया है, जिसका निर्माण वर्ष 1980-81 में पूर्ण हो चुका है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी नहीं। सिर्फ इन्दरकोट स्थित बांध की अपस्ट्रीम फेस वाल के प्लास्टर में कुछ मामूली क्रैक्स आ गये हैं जिनसे बांध को कोई खतरा नहीं है।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(4) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

लघु उद्योगों को प्रदाय बिजली में कटौती

396. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विद्युत उत्पादन में कमी होने के कारण अजमेर नगर के लघु उद्यमियों का मिलने वाली बिजली में दिसम्बर, 1981 एवं जनवरी, 1982 में कितनी-कितनी कटौती की गई थी ?

(2) कटौती के बाद दी जाने वाली बिजली इन उद्यमियों को दिसम्बर 1981 एवं जनवरी, 1982 में किस-किस समय उपलब्ध कराई गई ? कृपया समय सारणी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि लघु उद्यमियों ने बार-बार विद्युत मण्डल के स्थानीय अधिकारियों एवं जिलाधीश, अजमेर से निवेदन किया कि उन्हें दी जाने वाली बिजली को देने का निश्चित समय तय कर दिया जाय और उस समय में उन्हें निरन्तर बिजली दी जाय ?

(4) उनकी इस वाजिब मांग को नहीं मान कर आधा-आधा घण्टा व एक-एक घण्टा के अन्तराल से थोड़ी-थोड़ी बिजली देने का क्या कारण था ?

उत्तर

(1) विद्युत उपलब्धि में कमी होने के कारण अजमेर नगर के लघु उद्योगों (25 हार्स पावर तक के) को मिलने वाली बिजली के उपभोग की मात्रा पर दिसम्बर, 81 एवं जनवरी, 82 में कोई कटौती नहीं की गई परन्तु समय को पाबन्दित किया गया था।

(2) दिसम्बर, 81 एवं जनवरी, 82 में लघु उद्योगों (25 हार्स पावर तक के) की विद्युत तंत्र प्रणाली में आये अप्रत्याशित अवरोधों को छोड़कर निम्न प्रकार विद्युत उपलब्ध कराई गई :—

दिसम्बर–81

दिनांक 1 से 16 तक—पूरे समय

दिनांक 17 से 31 तक—शहरी क्षेत्रों में प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे की अवधि को छोड़कर सारे समय।

औद्योगिक क्षेत्रों में सारे समय

जनवरी–82

दिनांक 1 से 31 तक—आठ घंटे प्रतिदिन।

(3) लघु उद्यमियों द्वारा जब जब भी स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया गया, उन्हें विद्युत उपलब्धि की वास्तविक स्थिति से अवगत करा समस्या का निवारण कर दिया गया।

(ॐ)

(ऊर्जा मंत्री)

(4) विद्युत का उपलब्धि में यदा कदा अप्रत्याशित कमी आ जाने के कारण ई. एच. टी. फीडर्स को यत्र तत्र काटना आवश्यक था अतः ऐसी स्थिति में विद्युत प्रवाह अवरुद्ध होना स्वाभाविक था।

जलदाय विभाग, अजमेर द्वारा पम्प्स की खरीद

397. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर द्वारा 2,27,300 लीटर प्रति घंटा की क्षमता के सेन्ट्रीफूगल पम्प्स एवं 43 मीटर हैड के तीन पम्प्स की खरीद की गई है ?

(2) यदि हां, तो यह सामान कब कितने मूल्य में खरीदा गया, विभाग को कब प्राप्त हुआ और इसका उपयोग कहां-कहां किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्णित क्षमता के तीन पम्पों के क्रय आदेश अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर वृत्त के कार्यालय से दिनांक 3.3.82 को जारी हुये हैं।

(2) उक्त पम्पिंग सैट्स 40,516/- रुपये प्रति पम्प की दर से 1,21,548/- रुपये राशि मूल्य के खरीदने हेतु दिनांक 3.3.82 को आदेश दिया गया है। पम्प अभी विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं। उक्त पम्प जल प्रदाय योजना अजमेर के अन्तर्गत इनफिल्ट्रेशन गैलरी के लिए प्रयोग किये जावेंगे।

जलदाय विभाग, अजमेर के कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध शिकायतें

398. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के अजमेर स्थित कार्यालय में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक के खिलाफ समय-समय पर कर्मचारियों एवं श्रमिकों की ओर से शिकायतें हुई हैं और उन शिकायतों के समर्थन में हड़तालें भी हुई हैं ?

(2) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में कब-कब शिकायतें, किस किस विषय में हुई तथा कब-कब प्रदर्शन व हड़तालें हुई और विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के अजमेर स्थित कार्यालय में कार्यरत श्री राधामोहन गुप्ता, कार्यालय अधीक्षक प्रथम के विरुद्ध समय समय पर कर्मचारियों व श्रमिकों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अप्रेल, 80 में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अजमेर स्थित

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

मंत्रालयिक कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, उनमें से एक मांग श्री राधामोहन गुप्ता से भी सम्बद्ध थी।

(2) वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में निम्न मुख्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं:—

1. पत्र दिनांक 4-1-81 द्वारा समस्त कर्मचारी।

विषय:—श्री राधामोहन गुप्ता, कार्यालय अधीक्षक अजमेर का स्थानान्तरण अजमेर से बाहर करने बाबत।

2. पत्र दिनांक 9-1-81 द्वारा महामंत्री, राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग कर्मचारी संघ, जिला शाखा अजमेर।

विषय: श्री राधामोहन गुप्ता, कार्यालय अधीक्षक, जलदाय विभाग अजमेर के विरुद्ध गम्भीर शिकायत बाबत।

3. पत्र दिनांक 16-1-81 द्वारा समस्त श्रमिकगण, अजमेर, नसीराबाद, देवली, केकड़ी, ब्यावर, पुष्कर, किशनगढ़ आदि।

विषय:—श्री राधामोहन गुप्ता द्वारा श्रमिकों को अनावश्यक परेशान करने, स्थानान्तरण की धमकियां देने तथा दुर्व्यवहार करने बाबत।

हड़तालें व प्रदर्शन के मामले में अप्रेल, 80 की उपरोक्त वर्णित हड़ताल के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकृत हड़ताल की सूचना अजमेर कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई हैं।

दिनांक 15-7-81 को शिकायतों की जांच हेतु एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है। जांच जारी है।

बीकानेर की अमरपुरा व कोडमदेसर जल प्रदाय योजनायें

399. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बीकानेर की अमरपुरा, कोडमदेसर जलप्रदाय योजना के निर्माण में कुल कितनी लागत आई तथा जल वितरण किस तिथि से शुरू किया गया?

(2) क्या उपरोक्त जलप्रदाय योजना के गांव अमरपुरा, भानीपुरा, जयमलसर, कोडमदेसर में सुचारू रूप से पानी वितरण किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उपरोक्त गांवों में जल वितरण की सुचारू व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) मूल योजना अमरपुरा, जयमलसर व भानीपुरा के लिये राजस्थान नहर से पीने के पानी सुलभ कराने के लिये 14.79 लाख रुपये की सन् 1978-79 में स्वीकृत की गई थी। जिस पर माह 2/82 तक 17.01 लाख रुपये खर्च हुआ हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

विस्तार योजना नौख-दैया-कोडमदेसर इसी योजना से आगे विस्तार करने के लिये वर्ष 1979-80 में 3·00 लाख रु० के लिये स्वीकृत की गई जिसे 5·25 लाख रु० की संशोधित करने का प्रस्ताव है। इस पर माह 2/82 तक 3·09 लाख रु० खर्च हुआ। योजना के विभिन्न गांवों में जब वितरण उनके सामने अंकित तिथियों से किया गया:—

1. अमरपुरा — 31-8-80
2. भानीपुरा — 2-6-81
3. जयमलसर — 27-1-81
4. नौखा दैया — 27-1-81
5. कोडमदेसर — 30-1-81

(2) उपरोक्त जल योजना के गांवों में वर्तमान में सुचारू रूप से पानी वितरण किया जा रहा है। अन्तिम तीन गांवों में व्यवस्था स्थानीय जयमलसर स्थित कुएं से की गयी है। क्योंकि नहर से जो मूल योजना बनी है उसमें पशुओं की मांग का प्रावधान नहीं लिया गया है व इस क्षेत्र में पशुओं की अधिकता है जिनसे पाइप-लाइन की क्षमता पशुओं व मनुष्यों दोनों की मांग पूरी करने की नहीं है।

(3) गांव जयमलसर, नौखा दैया व कोडमदेसर को नहर का पानी उपलब्ध कराने के लिये मूल जल प्रदाय योजना अमरपुर को रिवाइज करना आवश्यक है, जिसकी प्रक्रिया जारी है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग उदयपुर के नगर खण्ड (प्रथम) में सम्पन्न विभिन्न कार्य

400. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर नगर खण्ड (1) में वर्ष 1981-82 में कितना कार्य स्वीकृत हुआ, उसमें से कितना पूर्ण हो चुका है? इस कार्य के लिये कितना धन स्वीकृत हुआ एवं उसमें से 31 दिसम्बर, 1981 तक कितना खर्च हुआ?

(2) उक्त खण्ड में उक्त अवधि में कितनी पुलिया बनाई गईं, कितनी सड़कों पर डामर किया गया व कितनी गिट्टी रोड बनाई गई?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड उदयपुर में वर्ष 1981-82 में कुल 115 कार्य सड़क एवं भवन निर्माण के स्वीकृत हुए हैं। उनमें से 72 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष प्रगति पर है। इन कार्यों के लिये वर्ष 81-82 हेतु 117-41 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है एवं 31-12-81 तक इन कार्यों पर 71-71 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त सम्वत् 2037 के 106 अकाल राहत कार्य एवं सम्वत् 2036 के 16 परीक्षण राहत कार्य भी इस वर्ष प्रगति पर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

थे जिन पर कुल व्यय दिसम्बर, 1981 तक 294–58 लाख का हुआ है ।

(2) उक्त अवधि में 16½ कि. मी. लम्बाई में डामर कार्य, 21½ कि. मी. मैटल सड़क का कार्य एवं 10 पुलिया का कार्य पूरा किया गया । इसके अतिरिक्त अकाल राहत के अन्तर्गत 74 कि. मी. डामर की सड़क, 106 कि. मी. मैटल की सड़क एवं 495 कि. मी. ग्रेवल सड़क बनाई गई तथा 251 पुलियाओं का कार्य भी किया गया है ।

बीकानेर जिले में खनिज क्षेत्र की सड़कों का निर्माण

401. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खनिज क्षेत्रों में खनिज विभाग द्वारा वर्ष 1980–81 व 1981–82 में सड़क निर्माण हेतु आवंटित धनराशि में से बीकानेर जिले में कौन-कौन से खनिज क्षेत्रों की कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कराया गया ? इनमें कितनी धनराशि व्यय हुई व कितनी किलोमीटर सड़क बनी ? कृपया तहसील व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या वर्ष 1981–82 में कोलायत खनिज क्षेत्रों में सड़क निर्माण प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) खनिज क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा वर्ष 1980–81 व 1981–82 में सड़क निर्माण हेतु आवंटित धनराशि में से बीकानेर जिले में खनिज क्षेत्र में किसी भी सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं करवाया गया । खर्च की गई धनराशि तथा बनाई गई सड़कों का प्रश्न नहीं उठता ।

(2) वर्ष 1981–82 में कोलायत खनिज क्षेत्र में सड़क निर्माण की कोई योजना धनाभाव के कारण अभी विचाराधीन नहीं है ।

जिला बीकानेर में दुग्ध योजनान्तर्गत सड़क निर्माण

402. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में दुग्ध योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 व 1981–82 में कितने कार्यों की व राशि की स्वीकृति दी गई तथा कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण किया गया ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या वर्ष 1981–82 में तहसील कोलायत में दुग्ध मार्ग सड़क प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में दुग्ध योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 व 1980–81

Page No 34

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

में जिन कार्यों की राशि की स्वीकृति तथा निर्माण संबंधी वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (प्रपत्र "क")

(2) वर्ष 1981–82 में तहसील कोलायत में दुग्ध मार्ग सड़क की कोई योजना अभी धनाभाव के कारण विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अजमेर स्थित निराश्रित बाल गृह

403. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) अजमेर नगर में समाज कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त कर कितनी संस्थायें निराश्रित बाल गृह का संचालन कर रही हैं ?

(3) ये निराश्रित बाल गृह अजमेर में किस किस स्थान पर चलाये जा रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ये संस्थायें पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त हैं ? यदि हां, तो कृपया इनकी वर्तमान कार्यकारिणी अथवा संचालक मण्डल की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए प्रत्येक को कितनी कितनी वित्तीय सहायता कितने कितने बालकों हेतु स्वीकृत की गई है एवं चुकाई गई है ?

(5) इन संस्थाओं के निराश्रित बाल गृहों में आश्रय पाने वाले माह जनवरी, 1982 के बालकों की सूची मय पूरे पतों के कृपया सदन की मेज पर रखें।

(6) इन संस्थाओं ने निराश्रित बाल-गृहों पर कितने पूर्णकालीन तथा अंशकालीन कर्मचारी लगा रखे हैं ? कृपया संस्थावार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर नगर में समाज कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त कर 5 स्वेच्छिक संस्थायें निराश्रित बाल गृहों का संचालन कर रही है।

(2) सूची (परिशिष्ट क) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी हां। सूची सदन के पटल पर रखदी गई है। (परिशिष्ट "ख")

(4) वित्तीय वर्ष 81–82 में विभिन्न संस्थाओं को दी गई सहायता की सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है। (परिशिष्ट "ग")

(5) निराश्रित बाल गृहों में आश्रय पाने वाले माह जनवरी, 82 के बालकों की सूची मय पूरे पते के सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "घ")

(6) निराश्रित बाल गृहों पर कार्य करने वाले पूर्ण तथा अंशकालीन कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "च")

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. के प्रबन्धकों व जिप्सम डिवीजन की यूनियन के मध्य समझौता की अनुपालना

404. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा जिप्सम डिवीजन की मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ कोई दीर्घकालीन समझौता किया हुआ है ? यदि हां, तो क्या कम्पनी के प्रबन्धकों द्वारा उस समझौते की पूर्ण पालना की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या समझौते की पालना न होने की वजह से मामला श्रम अदालत में चल रहा है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही चल रही है ?

(3) निजी एवं सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों द्वारा श्रम न्यायालयों व औद्योगिक ट्रिब्यूनल, जयपुर से निर्णीत श्रमिकों के मामलों में जो फैसले लागू नहीं किये गये हैं ऐसे कुल कितने मामलों में औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत विभाग द्वारा क्या प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) प्रोसीक्यूशन के कुल कितने मामले श्रम विभाग में विचाराधीन हैं ? इसकी पूर्ण सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. द्वारा जिप्सम माइन्स वर्कर्स यूनियन के साथ दिनांक 28-3-80 को एक दीर्घकालीन समझौता सम्पन्न हुआ है जो 1-4-79 से 31-3-83 तक प्रभावी है।

जिप्सम माइन्स वर्कर्स यूनियन, बीकानेर की ओर से उक्त समझौते को पूर्ण रूपेण पालना नहीं करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पर प्रबन्धक राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. उदयपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था

(2) जी नहीं। समझौते की पालना नहीं करने की वजह से प्राप्त शिकायत पर श्रम विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और इसी सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी इसी बीच जिप्सम माइन्स वर्कर्स यूनियन, बीकानेर ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका नम्बर 320/1980 प्रस्तुत कर दी थी।

(3) निजी एवं सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों द्वारा श्रम न्यायालय व औद्योगिक न्यायाधिकरण के कुल 76 फैसले लागू नहीं करने की शिकायत प्राप्त हुई है। उन शिकायतों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही की गई। 17 मामलों पर आवश्यक कार्यवाही हो जाने के परिणाम स्वरूप उन्हें समाप्त किया गया। 4 मामलों पर चालान

Page No 36

(श्रम मन्त्री)

पेश करने की स्वीकृति दी गई और 5 मामलों पर हाई कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त होने पर कार्यवाही रोक दी गई है। शेष 50 मामलों पर कार्यवाही चल रही है।

(4) औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कुल 85 शिकायतें दिनांक 12-3-82 की श्रम विभाग में विचाराधीन हैं जिसकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

श्रमिक संगठनों को मान्यता

405. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में श्रमिक संगठनों को संस्थानों में मान्यता देने हेतु कौन सी प्रणाली प्रचलित है ?

(2) क्या सरकार "चैक अप" पद्धति लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार मान्यता प्रदान करने हेतु "गुप्त मतदान' पद्धति को निरन्तर अपनाये हुए हैं ? यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में किन-किन संस्थानों में चुनाव द्वारा मान्यता दिलायी गयी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में मान्यता प्राप्त संगठनों व फैडरेशन्स को कबसे मान्यता प्रदान की गयी है तथा किस पद्धति से दी गयी है ? कृपया मान्यता प्राप्त संगठनों एवं फैडरेशन्स की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रमिक संगठनों को संस्थानों में मान्यता देने हेतु कोई निश्चित प्रणाली प्रचलित नहीं है। हां औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रतिनिधि यूनियन के रूप में पंजीकृत करने के प्रावधान हैं।

(2) जी नहीं। यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) श्रमिक संगठनों व फैडरेशनों को मान्यता सम्बन्धित नियोजकों द्वारा प्रदान की जाती है, राज्य सरकार द्वारा नहीं। अतः सूची प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सवाई माधोपुर में लोक अभियोजकों की नियुक्तियां

406. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाईमाधोपुर) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में राज्य सरकार द्वारा सन् 1981 में लोक अभियोजकों की नई नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सवाई माधोपुर ने जो पेनल भेजा था उसमें किस किसका नाम आया था ?

(श्री हंसराज शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि जो पेनल जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सवाई माधोपुर ने भेजा था उसको जिला दण्डनायक, सवाई माधोपुर द्वारा बदल दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सवाई माधोपुर में लोक अभियोजक की नियुक्ति नियमानुसार की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1981 में लोक अभियोजकों की नियुक्ति हेतु जिलाधीश एवं दण्डनायक सवाई माधोपुर ने 7 व्यक्तियों के नाम का पेनल भेजा था। उनके नाम निम्नलिखित हैं—

(1) श्री डी. पी. पारीक

(2) श्री मुरारी लाल शर्मा

(3) श्री नाथूलाल मीणा

(4) श्री महावीर प्रसाद शर्मा

(5) श्री जितेन्द्र राय गोयल

(6) श्री पुरुषोतम लाल गोयल

(7) श्री कमल दास शर्मा

(2) जी नहीं। जिला दण्डनायक, सवाई माधोपुर ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश सवाई माधोपुर से धारा 24 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत राय लेकर उक्त नामों का पेनल विधि एवं न्याय नियमावली के नियम 12 के अनुसार राज्य सरकार को प्रेषित किया। लोक अभियोजक सवाई माधोपुर की नियुक्ति नियमानुसार की गई है।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सवाई माधोपुर के चरागाहों में पेयजल

407. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाईमाधोपुर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के ग्राम उलियाला व ग्राम शेरपुर खिलचीपुर के जानवरों को चरने की जो वन विभाग ने जगह निर्धारित की है उसमें जानवरों के पीने का पानी नहीं है ? यदि हां, तो यह जगह, जिन स्थानों पर वर्ष भर तक पानी भरा रहता है उन चराई के स्थानों से अलग-अलग कितनी दूरी पर है और जानवरों को वहां पर पानी क्यों नहीं पीने दिया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि अकाल के समय में जिन स्थानों पर पानी उपलब्ध है उन स्थानों पर जानवरों को पानी पिलाने की स्वीकृति हेतु जनता द्वारा मांग की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने विभाग को ऐसा कोई आदेश दिया है कि वह ऐसे स्थानों पर जानवरों को पानी पीने दे ? यदि हां, तो कब तथा किस तारीख को और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि यदि जानवरों को वन विभाग के आरक्षित क्षेत्र के अन्दर तक जाकर पानी पीने की इजाजत दे दी जावे तो वन विभाग को उसमें कोई हानि नहीं होती है ?

Page No 38

(श्री हंसराज शर्मा)

(4) यदि जानवरों द्वारा जंगल खराब करने की आशंका है, तो क्या उस स्थान तक रास्ते के दोनों तरफ फैन्सिग कराया जा सकता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी हां।

जी नहीं मवेशियों को जिन क्षेत्रों में चरने दिया जाता है वहां पर पानी उपलब्ध होने के कारण अन्य स्थानों पर पानी पिलाने हेतु ले जाने की अनुमति देना आवश्यक नहीं था।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 35 के अन्तर्गत निषेध है। वन्य जीवों में संक्रामक रोग फैलने की आशंका है।

(4) जी नहीं। रास्तों को दोनों तरफ से फैन्सिग कराना व्यावहारिक नहीं है। दोनों ओर फैन्सिग के लिए दीवार बनाने पर लगभग 20-25 लाख रुपये व्यय होने की सम्भावना है। इतना धन विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

राज्य पथ परिवहन निगम के बस चालकों की ड्यूटी अवधि

408. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे;—

(1) क्या यह सही है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों से 8 घण्टे से अधिक समय ड्यूटी ली जाती है ? यदि हां, तो क्या दुर्घटनाएं भी इसी कारण होती हैं ?

(2) क्या चालकों से 8 घण्टे से अधिक समय तक ड्यूटी न लिये जाने हेतु कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या यह सही है कि एक चालक की ड्यूटी समाप्ति होने पर यदि दूसरा चालक ड्यूटी पर नहीं आता है तो प्रथम चालक को ही बस पर ड्यूटी देनी होती है ? यदि हां, तो क्या रिजर्व में चालकों को नहीं रखा जाता ?

उत्तर

(1) किन्हीं विशेष परिस्थितियों में चालकों से अधिक समय की ड्यूटी भी ली जा सकती है परन्तु दुर्घटनाएं इस कारण नहीं होती हैं।

(2) जी हां। सामान्यतया आठ घंटे कार्य लेना निर्धारित है परन्तु मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, 1961 की धारा 13 एवं राजस्थान मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स नियम, 1962 के नियम 27 के अनुसार चालक से निम्न परिस्थिति में 8 घंटे से अधिक कार्य लिया जा सकता है:—

1. लम्बी दूरी के मार्ग पर जो कि 100 कि. मी. या उससे अधिक हो,

2. उत्सव, मेला या किसी प्रकार के अन्य अवसर जो राज्य सरकार द्वारा घोषित।

(यातायात मन्त्री)

लम्बी दूरी के वाहनों पर क्रू (Crew) के अनुसार स्पेयर चालक उपलब्ध कराये जाते हैं।

(3) जी हां। ऐसा विशेष परिस्थितियों में ही उसी चालक को वाहन ले जाना पड़ती है।

निर्धारित शिड्यूल के आधार पर स्वीकृत चालकों के पदों के अतिरिक्त 35 प्रतिशत अधिक (रिजर्व) पदों का प्रावधान रखा जाता है।

उदयपुर नगर में सीवरेज कार्य

409.. श्री. गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर नगर में चल रहे सीवरेज के कार्य हेतु कितने धन के खर्च होने का अनुमान है एवं अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है?

(2) उक्त कार्य हेतु टेण्डर कब आमन्त्रित किये गये एवं कार्य के आदेश कब व किसे दिया गया ? क्या जो ठेकेदार इस समय कार्य कर रहा है उसका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन है ? यदि हां, तो रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या है और किस तिथि का है ?

(3) क्या यह सच है कि उक्त ठेकेदार ने राजस्थान के बाहर के श्रमिक लगा रखे हैं एवं उनसे प्रातः 7 बजे से सायंकाल 7 बजे तक कार्य लेता है एवं न्यूनतम वेतन भी नहीं देता है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) योजना की लागत के अनुसार इस कार्य को पूर्ण करने में 227 लाख रु० खर्च होने का अनुमान है व अब तक 29.2 लाख रु० का व्यय दिनांक 28.2.82 तक हो चुका है

(2) कार्य हेतु निविदा जब जब आमन्त्रित किये गये व जिस ठेकेदार को आदेश दिया गया उसका विवरण संलग्न है। नियमानुसार जिन कार्यों पर एक समय 20 से ज्यादा श्रमिक कार्यरत हों वहीं श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। समस्त कार्यों में से मैसर्स सीं कन्स्ट्रक्शन के दो कार्यों पर ही 20 से ज्यादा श्रमिक कार्य करते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग उदयपुर में क्र. सं. 0257/258 दिनांक 12. 3. 82 को हो गया है।

(3) ठेकेदारों पर राज्य के बाहर के मजदूर लगाने पर नियमों में कोई पाबन्दी नहीं है। श्रमिकों से कार्य नियमानुसार ही यथा सुबह 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक व दोपहर 1.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक होना पाया गया है। न्यूनतम वेतन नहीं देने का मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

Page No 40

(६०)

नगरपालिका मांगरोल की हरिजन बस्तियों में बिजली

410. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका मांगरोल में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों में बिजली लगाने हेतु विभाग को लिखा गया है ?

(2) यदि हाँ, तो उक्त मामले की क्या प्रगति है तथा उक्त मोहल्लों में कब तक बिजली पहुंचा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) नगरपालिका मांगरोल से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के मोहल्लों में विद्युत पहुचाने हेतु एक पत्र सहायक अभियन्ता को दिनांक 13.1.82 को प्राप्त हुआ था, परन्तु निर्धारित फार्म में नही होने के कारण नगरपालिका को को निर्धारित फार्म में प्रार्थना पत्र भेजने को लिख दिया गया है।

(2) प्रश्न ही नही उठता। नगरपालिका द्वारा निर्धारित फार्म में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद ही आगामी कार्यवाही संभव हो सकेगी।

सिकराय क्षेत्र के व्यक्तियों को विद्युत कनेक्शन

411. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

निर्वाचन क्षेत्र सिकराय में कितने व्यक्तियों के एल. फार्म एवं रुपये जमा हैं जिनको विद्युत कनेक्शन देना बाकी है ? सूची मय नाम व ग्राम के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन देने हेतु 181 उपभोक्ताओं के "एल" फार्म एवं रुपये जमा हो चुके हैं, जिनको विद्युत कनेक्शन देना बाकी है। सूची ग्राम व नामवार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

जैसलमेर जिले की जल वितरण योजना

412. **श्री चन्द्रवीर सिंह** (जैसलमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले की जल वितरण योजना के अन्तर्गत खुहडी से ग्राम सम व ग्राम कनोई तक पानी का वितरण सुचारू रूप से नहीं हो रहा है?

(2) क्या भूतपूर्व जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री महोदय ने इस योजना के अन्तर्गत जांच कराने का सदन में आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम आया ?

(3) क्या जल वितरण योजना सुचारू रूप से कार्यशील है ? यदि नहीं, तो क्यों

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

व कब तक सुचारू रूप. से कार्यरत हो जावेगी ?

उत्तर

(1) यह सपी नहीं है कि जैसलमेर जिले की जल वितरण योजना के अन्तर्गत खुहडी से ग्राम सम व ग्राम कनोई तक पानी का वितरण सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। ग्राम सम एवं कनोई को नियमित रूप से पेयजल वितरण किया जा रहा है।

(2) जांच के बाद पाया गया कि योजना के वर्तमान स्वरूप में ग्राम देढादा-मोदरा, हड़ेल व सालरवा को जल वितरण करना सम्भव नहीं है।

(3) जी हां, जल वितरण योजना प्रश्न 2 के उत्तर में उल्लिखित ग्रामों के अलावा सुचारू रूप से कार्यशील है। इन गांवों में जल वितरण की व्यवस्था करने के लिए योजना में और नलकूप खोदना व बूस्टर पम्प लगाना आदि की जरूरत है जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है।

तहसील सांचौर के बांध

414. **श्री कनकराज मेहता** (सांचौर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सांचौर तहसील में वर्ष 1980-81 व 1981-82 में बांधे गये कितने बांध अधूरे पड़े हैं ? क्या यह भी सही है कि अधूरे बांध से भारी क्षति होने की संभावना है ? क्या ऐसे अधूरे बांध वर्ष 1982-83 में पूरे करा दिए जायेंगे ?

उत्तर

तहसील सांचौर में वर्ष 1980-81 व 1981-82 में अकाल राहत के अन्तर्गत 9 कार्य प्रारम्भ किये गये थे तथा अकाल राहत कार्यों के बन्द होने के कारण अधूरे रह गये। इन अधूरे बांधों के नाला पोस्सन में कार्य नहीं करवाया जा सका था। अत: अधूरे बांधों से किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है। इन कार्यों को इस वर्ष अकाल राहत के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है तथा स्वीकृति प्राप्त होने पर पूरा कराया जाना सम्भव होगा।

केसरीसिंहपुरा हेतु जल प्रदाय योजनायें

415. **श्री मनफूलराम** (केसरीसिंहपुरा) : क्या जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुरा के किन-किन ग्रामों के लिये जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं ?

(2) इन योजनाओं के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में जल प्रदाय योजना प्रारम्भ हो चुकी है और किन-किन ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्य चल रहा है ? दोनों ही प्रकार की सूचियों को कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) आगामी जल प्रदाय योजना द्वारा किस-किस गांव को पेयजल उपलब्ध

(श्री मनफूलराम)

कराने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1980-1981 से पूर्व केवल एक योजया स्वीकृत थी। वर्ष 1980-81 में 17 एवं 1981-82 में 23 योजनायें स्वीकृत की गई हैं।

(2) वर्ष 1980-81 से पूर्व की स्वीकृत एक योजना व 1980-81 में स्वीकृत एक योजना पर पेयजल चालू करा दिया गया है। वर्ष 1980-81 की स्वीकृत 16 योजनाओं पर कार्य चालू है। वर्ष 81-82 में 23 स्वीकृत योजनाओं पर कार्य चालू कराये जाने की कार्यवाही चालू है। दोनों ही प्रकार की सूचियां सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(3) बजट उपलब्धि एवं योजनायें स्वीकृति पश्चात् वर्षवार पेयजल उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

गंग कैनाल से सिंचाई व्यवस्था

416. **श्री मनफूलराम** (केसरीसिंहपुरा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अप्रेल, 1980 से जनवरी, 1981 तक गंग कैनाल के अन्तर्गत नहर एफ व नहर एच में से निर्धारित मात्रा से कितना-कितना अधिक पानी छोड़ा गया ? क्या एफ नहर बड़े-बड़े घरानों से सम्बन्धित है ? यदि नहीं, तो नहर एच के कृषकों को कम पानी देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी नहीं।

नहरों में पानी जल वितरण समिति के निर्देशानुसार दिया गया है। नहर एफ के कृषकों को एफ नहर के लगभग समान पानी मिला है।

उदयपुर नगर के श्मशानों हेतु लकड़ी की व्यवस्था

418. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि उदयपुर नगर परिषद् ने श्मशान में लकड़ी की परेशानी मिटाने हेतु वन विभाग के अधिकारी को, जिलाधीश की सहमति से, कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या वन विभाग ने उक्त पत्र का जवाब दे दिया है ? यदि हां, तो कब और क्या ?

(3) क्या यह भी सही है कि आज वन विभाग का वितरण डिपो एक मात्र किशनपोल, गुलाब मार्ग पर होने से दाह की लड़की कतार में खड़े होकर प्राप्त करनी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पड़ती है एवं डिपो से भी 6 किलमीटर दूर है ?

(4) क्या विभाग नगर की वितरण व्यवस्था के सुधारने एवं दाह संस्कार हेतु लकड़ी पर्याप्त मात्रा में एवं कम दूरी पर उपलब्ध कराने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ऐसी व्यवस्था हो जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां, नगर परिषद्, उदयपुर द्वारा पत्र संख्या आर.डी.ऐ./636/78-79 दिनांक 26. 7. 80 से जिलाधीश उदयपुर को लिखा जाकर प्रति उप वन मन्त्री संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर को पृष्ठांकित की गई थी। पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त पत्र का जवाब दे दिया गया है और बाद पत्राचार नगर परिषद् द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोहन लाल खोखावत, जीणी रेत का चौक, उदयपुर को अपना अधिकृत विक्रेता नियुक्त किया गया, जिसे नियमानुसार निर्धारित दर से नकद भुगतान पर लकड़ी बराबर सप्लाई करने के निर्देश प्रभारी अधिकारी, राजकीय विक्रय केन्द्र उदयपुर को दिये हुये हैं।

(3) जी नहीं। वन विभाग के दो विक्रय केन्द्र क्रमशः किशनपोल एवं गोवर्धन विलास पर स्थित हैं। इनमें हर समय लकड़ी उपलब्ध कराने के साथ साथ नगर परिषद् के उक्त अधिकृत विक्रता के लिय भी लकड़ी आवंटित की हुई है।

(4) खंड दो अनुसार व्यवस्था की हुई है।

(पत्र की प्रति के लिय कृपया परिशिष्ट (11 देखें)

रामगंज मण्डी (कोटा) के पोषाहार केन्द्र

419. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रामगंज मण्डी जिला कोटा में केन्द्र सरकार द्वारा खोले गये पोषाहार केन्द्र कुछ समय से बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो इन्हें कब से पुनः प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि पोषाहार केन्द्रों से हरिजनों एवं निर्धनों के बच्चों की तथा गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल रहा था ? यदि हां, तो इन्हें बन्द क्यों कर दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। शीघ्र पुनः प्रारम्भ करने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) जी हां। केयर राजस्थान से प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्री उपलब्ध न होने के कारण बन्द करना पड़ा था।

जमवारामगढ़ क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

420 **श्री भैरू लाल भारद्वाज** (जमवारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मंगलाल भारद्वाज)

(1) क्या जमवारामगढ़ क्षेत्र में सड़कों के अभाव को दूर करने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या निम्नलिखित अत्यावश्यक सड़कों के शीघ्र बनाये जाने का सरकार का विचार है :—

1) आंधी से संथल सागर

2) भानपुर कलां से टोडा मीना

3) ताला से गठवाडी

4) नकटी घाटी से घूला

5) रामसर से डगोता वाया मन्दगी, सानकोटडा, थली, नीमला रोड़

6) मनोहरपुर से गठवाड़ी, बोबाडी, रायसर

7) ताला से धौला, बलोड़, माथासूला, रायसर तक

8) राजपुर बास ताला से गठवाड़ी

9) भानपुर कलां से बाड।

यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जमवारामगढ़ क्षेत्र में सड़कों का अभाव दूर करने हेतु 16 लाख रुपये की लागत से बनाये जाने वाली सम्पर्क सड़क रायपुर के अतिरिक्त धनाभाव के कारण कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

(2) धनाभाव के कारण वर्णित सड़कों के निकट भविष्य में बनाये जाने की संभावना नहीं है।

तहसील चौहटन के ग्रामों को सिंचाई सुविधा

421. **श्री भगवानदास डोसी** (चौहटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में ऐसे कितने गांव हैं जहां पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) चौहटन तहसील में वर्ष 1978-79 व 1979-80 में अनुदान के रूप में अनाज (गेहूं) देकर कितने कुएं सिंचाई के लिये खुदाये गये थे ?

(3) क्या इस वर्ष उक्त तहसील के गांवों में अनुदान देकर कुए खोदने की सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने कुओं को खोदने का लक्ष्य है और प्रति कुएं पर कितना अनुदान दिया जायेगा ?

(4) क्या सरकार चौहटन तहसील के गांवों में अकाल के अस्थाई हल के लिए सिंचाई योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान प्रस्तावों के अनुसार बाड़मेर में प्रदेश के सतही जल से सिर्फ एक ही गांव चौहटन को मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु सिचाई योजना से सिचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित नर्मदा नहर से भी चौहटन तहसील में सिचाई सुविधा सुलभ कराई जा सकती है। गांवों का विवरण नर्मदा नहर का सर्वे पूर्ण होने तथा आंकलन तैयार होने पर ही दिया जा सकेगा।

(2) सिचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(3) सिचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(4) जी हां, सतही जल स्रोतों एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार सिचाई योजनाओं का निर्माण करने का सरकार का इरादा है।

तहसील राजगढ़ (चूरू) के गांवों का विद्युतीकरण

422. श्री दीपचन्द (सार्दुलपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजगढ़ तहसील जिला चूरू के गांव 1) हमीरवास-छोटा व बड़ा 2) निम्मा 3) बड़वास 4) खुड़ी 5) रावतसर 6) सांखू 7) रामपुरा 8) मेसला 9) नवां 10) मांजी की ढाणी का विद्युतीकरण हो जाने के बावजूद अभी तक इनमें से किसी भी गांव में सिचाई हेतु बिजली क्यों नहीं दी गई है ?

(2) इन गांवों में किसानों को सिचाई हेतु व घरों में बिजली कब तक दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) राजगढ़ तहसील जिला चूरू के ग्राम हमीरवास छोटा व बडा, निम्मो, बडवास व खुडी का विद्युतीकरण नहीं हुआ है अतः सिचाई हेतु बिजली देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ग्राम रामपुरा, नवां और मांजी की ढाणी का विद्युतीकरण जलदाय विभाग के कुओं को कनेक्शन देने के लिए किया गया था। इसके बाद उक्त ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया किन्तु अन्य कनेक्शन देने हेतु एल. टी. लाइन का प्रावधान न होने के कारण सिचाई हेतु कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं। ग्राम सांखू, रावतसर, और मेसली के सिचाई हेतु विद्युत कनेक्शन देने के प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं जिनमें प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन देने का कार्यवाही की जा रही है।

(2) हमीरवास छोटा व बड़ा, निम्मो, बड़वास तथा खुडी के विद्युतीकरण से पहले कनेक्शन देने के संबंध में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है। तीन ग्रामों रामपुरा, नवां और मांजी का ढाणी में आगामी वर्ष में एल. टी. लाइन खींचकर धन की उपलब्धि के अनुसार प्राथमिकता के आधार

Page No 46

(श्री ऊर्जा मंत्री)

पर कनेक्शन दिये जायेंगे। शेष तीन ग्रामों सांखू, रावतसर और मंसली में सभी प्रकार के कनेक्शन देने के मामले विचाराधीन हैं तथा प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिये जायेंगे।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से उद्योग विभाग द्वारा 1979 में पुलिस थाना दौसा में टिन के कोटे के ब्लैक के विषय में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत श्री श्रीराम गोटेवाला तथा श्री नवलकिशोर के विरुद्ध दर्ज किये गये मामले के विषय में,

(2) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में सिंचाई विभाग द्वारा श्रमिकों को गत 3 माह से भुगतान न करने और सार्वजनिक निर्माण विभाग व अन्य विभागों द्वारा 1500 श्रमिकों को कार्यमुक्त कर देने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार की ओर से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं :—

(3) श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत जुलाई में बाढ़ के प्रकोप से तहसील, चाकसू के क्षतिग्रस्त मकानों व कुओं के लिये सरकार द्वारा सहायता न दिये जाने के विषय में,

(4) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की पंचायत समिति, लाड़पुरा के कुछ गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या के संबंध में,

(5) श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के कई गांवों के अकालग्रस्त होने के विषय में,

(6) श्री कुंजीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर की तहसील, बामनवास की पट्टी कलां में खोली गई प्राथमिक कन्या शाला चालू न करने के विषय में,

(7) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की पीपल्दा तहसील में कई गांव अकाल ग्रस्त होने के विषय में,

(8) श्री अनगंकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में रोडवेज की अव्यवस्था होने के विषय में,

(9) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से रेगिस्तानी ग्रामीण

(श्री अध्यक्ष)

क्षेत्रों में प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल पर्याप्त मात्रा में न होने के विषय मे,

(10) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के अणु बिजलीघर की पहली इकाई

(व्यवधान)

एक वर्ष तक बन्द रहेगी, इस घोषणा के फलस्वरूप उत्पन्न विद्युत संकट के विषय में।

(11) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा की ओर से राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में ओवर ड्राफ्ट वाले राज्यों के ओवरड्राफ्ट को ऋण में परिवर्तित नहीं किया जायेगा, इस निर्णय से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(12) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य विधान सभा की ओर से पशु पोषण केन्द्रों के अन्तंगत राज्य सरकार द्वारा केवल दुधारू पशुओं के लिये ही अनुदान दिया जायेगा, इस निर्णय से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(13) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से पालेकर अवार्ड की सिफारिशें लागू न करने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी। राज्य सरकार से प्राप्त तथ्यों के अनुसार राज्य में पालेकर अवार्ड की क्रियान्विति की स्थिति संतोषजनक है; जिन समाचार पत्रों ने इसे क्रियान्वित नहीं किया है, उन्हें नोटिस दिया गया है और शीघ्र ही आवश्यक राहत प्रदान करवाई जायगे। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(14) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीड़ी उद्योग में लगे श्रमिकों के शोषण के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना गई दी थी, जिसे मैंने गत 13 मार्च को अस्वीकार कर दिया था। इस मामले में पुर्नविचार कर मैं चाहूंगा कि माननीय श्रम मंत्री इस विषय में सदन में दिनांक 22 मार्च, 1982 को एक वक्तव्य दें।

(15) सर्व श्री यदुनाथसिंह, ललित किशोर चतुर्वेदी, जीतमल जैन, रामकिशोर मीणा, गुलाब चन्द कटारिया, रघुवीरसिंह कौशल, कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से आगामी 18 मार्च से राज्य कर्मचारियों द्वारा आम हड़ताल पर जाने की घोषणा के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है। मैं चाहूंगा कि इस सबंध में राज्य सरकार की ओर से आज या कल सदन में एक वक्तव्य दिया जाय।

व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किये गये स्थगन प्रस्ताव :—

(1) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 5 जनवरी, 1982 को दहेज की मांग को लेकर किरण देवी की थाना प्रागपुरा में की गई कथित हत्या। इस प्रश्न पर सदन में कल एक वक्तव्य दिया जा रहा है।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री बहादुर सिंह व श्री फतेसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से सोम कामला अम्बा बांध पर दिनांक 25 फरवरी, 1982 को हुई एक दुर्घटना में 8 श्रमिकों की मृत्यु। इस विषय में पूर्व में व्यवस्था हो चुकी है।

व्यवस्था का प्रश्न

आधे घण्टे का चर्चा के प्रस्ताव पर निर्णय

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 49 के अन्तर्गत एक आधे घंटे की चर्चा 23 तारीख को.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। उस पर यहां चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि आधे घंटे की चर्चा के लिए जो सदस्य कोई विषय उठाना चाहे वह उस दिन से, जिस दिन कि वह उस विषय को उठाना चाहता हो, तीन दिन पहले सचिव को लिखित सूचना देगा और संक्षेप में उन बातों का उल्लेख करेगा जिनको उठाना चाहता हो।

मैंने 23 तारीख को सूचना दी। अध्यक्ष महोदय, उस प्रश्न का सम्बन्ध ऐसे दिग्गजों से है, मेरी धारणा है कि × × × मेरे यहां चार लाख की आदिवासियों के छात्रावास की जो जमीन है वह × × ×

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरे प्रश्न के उत्तर में यह आया कि कोई जमीन नहीं बेची, मैंने रजिस्ट्री पेश कर दी, उसके पश्चात् भी ...

श्री अध्यक्ष : नियमों का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × × और उसके पश्चात् 23 तारीख को मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था। मैं आपसे मिल चुका हूं, सैक्रेटरी महोदय से मिल चुका हूं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। आसन और सैक्रेटरी के विरुद्ध आरोप लगाया जा रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : + + +

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जानते हैं, मेरे चेम्बर में मेरे समक्ष पधार सकते हैं। आपने 3-4 विषय दिये थे। एक में

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कल या परसों, शायद कल आया, अन्य विषय विचाराधीन हैं, इसलिये माननीय सदस्य, उसके लिये समय दें। यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : विधान सभा की प्रशासनिक व्यवस्था के विरुद्ध आपने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है, इसलिये मैं इजाजत नहीं दूंगा। अंकित न हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब कोई माननीय सदस्य आधे घंटे की चर्चा उठाना चाहते हैं तो उसकी सूचना देते हैं। जब आधे घंटे की चर्चा के लिये सूचना आती है तब आसन के लिये यह आवश्यक नहीं है कि तत्काल ही स्वीकृति दे दी जाय। आर्डर प्लीज, मैं इजाजत नहीं दूं, ऐसा भी कर सकता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप उसको रिजेक्ट कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अन्तरिम व्यवस्था है, उसके विरुद्ध आप चर्चा नहीं कर सकते। आप चर्चा कर रहे हैं। मैं अंकित करने की इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, + + +

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अंकित न हो + + +

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकार कर दिये हैं, यदि वे माननीय सदस्य, बोलना चाहें तो दो मिनट बोल सकते हैं।

श्री रामकंवार बैरवा।

(अनुपस्थित)

सुश्री पुष्पा जैन : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था जेल मंत्री श्री डांगी के....

श्री अध्यक्ष : आसन इसकी अभी सूचना नहीं दे सकता है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, इसमें सरकार से सूचना मांगी है।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय ग्रध्यक्ष, पहले ग्राप सुन लें। मैं बहुत ही नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहती हूं....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रासन के साथ प्रश्नोत्तर न करें। माननीय सदस्या, ग्रापने दिया है तो ग्राप मालूम कर लीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : ग्राप व्यवस्था दे दें।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर। मैंने सरकार से जानकारी मंगवाई है।

सुश्री पुष्पा जैन : 6 दिन हो गये जानकारी मंगवाये।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा।

(ग्रनुपस्थित)

श्री हरीश शर्मा।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा(जयपुर ग्रामीण) : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। लक्ष्मीनारायणपुरी में पांच मकान बह गये। 15 दिन पहले दिया था........

श्री ग्रध्यक्ष : यह स्थगन प्रस्ताव का विषय है। पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं है, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : कब ग्रायेगा ? कोई समय होगा ?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रा जायेगा। यहां पर ग्रापको सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : ग्रापकी उदारता की जरूरत नहीं है। किस तरह की उदारता है ? 15 दिन, 30 दिन, 25 दिन हो गये।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री बाल चन्द्र ग्रार्यवीर।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, × × × हम नहीं बोल सकते।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री बालचन्द्र ग्रार्यवीर।

(व्यवधान)

भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य। यदि ग्राप कुछ कहना चाहें तो कह कह दीजिये।

श्री बालचन्द्र ग्रार्यवीर (डग) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में भयंकर ग्रकाल की स्थिति बनी हुई है। वहां पर सर्वे किया गया ग्रौर केवल 62 गांव ग्रकाल में घोषित किये गये। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण ग्रंचलों में वर्तमान में पीने के पानी की भयंकर ग्रव्यवस्था हो रही है ग्रौर गर्मी के दिनों में वहां पर पीने के पानी के लाले पड़ जायेंगे। इसी प्रकार, ग्रध्यक्ष महोदय, गरीब

× × × ग्रभिव्यक्ति माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गई।

(51)

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

लोगों के लिए वहां पर कोई भी रोजगार, कोई भी अकाल राहत कार्य अभी वर्तमान में प्रारम्भ नहीं हुए हैं। गरीब लोग वहां से गांव छोड़कर जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में वहां पर किसी भी प्रकार के कोई कार्य नहीं चलाये जा रहे हैं जिससे कि गरीबों को काम मिले उनको रोजी-रोटी मिले, अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण कर सकें। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां पीने के पानी की भयंकर समस्या है और लोगों को गर्मी में पीने का पानी नहीं मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार पीने के पानी की व्यवस्था करे ताकि लोग कम से कम पानी पीकर अपना जीवन बचा सकें। अध्यक्ष महोदय, वहां पर अकाल राहत कार्य खोले जायं ताकि गरीबों को काम मिले, वे अपने बाल-बच्चों का पालन पोषण कर सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री कुंजीलाल।

श्री कुंजीलाल (वामनवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे वामनवास पट्टीकलां में गये सत्र से प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया, उसका कारण मेरी समझ में एक ही आता है कि कांग्रेस केन्डीडेट को वहां से वोट मिले हैं 80, और विरोधी पक्ष को 2325 वोट मिले हैं इसलिए ही इस स्कूल को नहीं खोला गया है। इस स्कूल को चालू करवाया जाय····

श्री अध्यक्ष : यह पंचायतों के चुनाव का मामला है····

श्री कुंजीलाल : यह विधान सभा के चुनावों का रिजल्ट है इसलिये यह भेदभाव किया जा रहा है और इसीलिये स्कूल को चालू नहीं किया जा रहा है। पहले भी सेकेण्डरी स्कूल को हटाया था। इसी तरह से मण्डी को हटाया है। उसका भी एक ही कारण समझ में आता है। स्कूल को चालू नहीं किया जा रहा है, आप चाहें तो इसकी रिजल्ट की कापी आपके सामने पेश कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले की पीपल्दा तहसील में भयंकर अकाल है। कोटा जिले के गांवों में अकाल होने की वजह से लोग भूख से तड़प रहे हैं। काम की तलाश में हैं। गांव में पीने के पानी का अभाव हो रहा है इस वजह से वहां पर भयंकर असन्तोष है। सरकार को कहा गया, वहां पर अकाल का काम शुरू करना चाहिये, लेकिन बार-बार कहने के बाद भी अकाल का काम प्रारम्भ नहीं करके उस इलाके की उपेक्षा की जा रही है। उससे उन गांवों में भयंकर जन-आक्रोश है। अध्यक्ष महोदय, 6 नवम्बर को अकाल के बारे में जिलाधीश कार्यालय में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में तय किया गया था कि परीक्षण राहत कार्य इन्द्रगढ़-ठीपरी, कमलेश्वर व अनघोरा में तुरन्त प्रारम्भ करा दिये जायं। यह पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से होने वाले थे लेकिन आज तक वहां पर कोई अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से उस इलाके में पीने के पानी का अभाव है। कोई राहत कार्य प्रारम्भ नहीं होने की वजह

(श्री हीरालाल आर्य)

से लोग भूख से तड़प रहे हैं काम की तलाश में लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं, अपने पशुओं को लेकर गांव वाले पलायन कर रहे हैं। अकाल से प्रभावित लोगों की सहायता प्राथमिकता से की जानी चाहिये। सरकार की ओर से घोषणा होती है कि अकाल के काम शुरू कर रहे हैं, राहत पहुंचा रहे हैं लेकिन कोटा जिले में अकाल के तहत कोई राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा रहे हैं जिससे इलाके में भयंकर असन्तोष है। आपके माध्यम से सरकार को कहूंगा कि तुरन्त राहत कार्य प्रारम्भ कर लोगों को राहत पहुंचावें नहीं तो लोग वहां पर आन्दोलन करेंगे। अभी वे इधर-उधर भाग रहे हैं, कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है इसलिये इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। अकाल में लोगों को राहत दें, काम प्रारम्भ करें। इतना ही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार जैन।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिला रोडवेज के लिहाज से 99 प्रतिशत नेशनलाइज्ड है। पूरे झालावाड़ जिले के अन्दर एक प्राइवेट बस चलती है बाकी सारी बसें राजस्थान रोडवेज द्वारा संचालित हैं। उस जिले के अन्दर रोडवेज की बसेज की हालत यह है कि वहां पर 22 बसें बिना ड्राइवर के खड़ी हुई हैं। इस सदन में हमने पहले आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। सरकार का यह जवाब रहता है कि कोशिश की जायेगी लेकिन वहां लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। झालावड़ से बारां रूट पर एक बस चलती है। झालावाड़ से खानपुर होते हुए बसेज चलती हैं। इस रूट की हर बस के अन्दर 150/200 सवारी होती हैं। रोडवेज के कण्डक्टर, ड्राइवर के झगड़े होते हैं। झालावाड़ डिपो में तीन साल के अन्दर झालावाड़-बारां रूट की खातिर, झालावाड़-खानपुर रूट की खातिर तीन बार स्ट्राइक हुई, झगड़े हुए। बार बार निवेदन किया गया कि इस रूट पर बसेज को ठीक तरह से चलाया जाय, जो भी टाइमिंग्स सैट कर रखे हैं, उन टाइमिंग्स पर बसेज को चलाया जाय लेकिन कन्डक्टर 6 बजे आता है तो ड्राइवर 7 बजे आता है। कई बार बसेज एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा ड्राइवर के न होने के कारण लेट हो जाती है। खास तौर से जब आपने पूर्ण रूप से नेशनलाइज्ड कर रखा है वहां पर एक भी बस प्राइवेट नहीं चलती है, राजस्थान रोडवेज की बसेज वहां पर चलती हैं वे सही नहीं चलती हैं और नये रूट्स को आप अन्डरटेक करने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन जो रूट्स हैं उन रूट्स पर बसेज नहीं चल पा रही हैं। वहां पर ड्राइवर की वजह से बसेज खड़ी हुई हैं। कई बसेज मामूली सामान, छोटे से पुर्जे की वजह से खड़ी हुई हैं। झालावाड़ से जयपुर, झालावाड़ से इन्दौर जो बस चलती है उसमें एक टायर भी स्पेयर नहीं होता है। रात्रि सेवाओं के अन्दर झालावाड़ से 15 मील पर टायर पंचर हो जाता है तो रात भर बस खड़ी रहती है। इससे सवारियों को परेशानी होती है लेकिन सरकार की तरफ से, रोडवेज की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप जनरल मैनेजर से मिलने

(श्री ग्रनगकुमार जैन)

की बात करते हैं उनकी स्थिति यह है कि वे बात तक नहीं करते हैं, मंत्री महोदय, भी बात नहीं सुनते हैं। ग्रापके जो पहले वाले चेयरमैन थे वे तो कांग्रेस ग्राई के विधायकों तक से नहीं मिलते थे, वे मिलने जाते तो यह जवाब दिया जाता था कि उन्हें जनरल मैनेजर से मिल लेना चाहिए। ग्रध्यक्ष महोदय, इस विभाग के उपर ग्रापका कंट्रोल नहीं है, इस विभाग पर सरकार का कोई प्रभाव नहीं है। ग्राप बसें नहीं चला सके, जिन मार्गों को ग्राप नेशनलाइज्ड करते हैं वहां पर बसों की व्यवस्था नहीं कर सके, सवारियों को भारी ग्रसुविधा का सामना करना पड़ता है। मैं ग्रापके माध्यम से खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि ग्राप बसें नहीं चला सकते हैं, मैं यह नहीं चाहता हूं कि ग्राप नेशनलाइ को समाप्त करके प्राइवेट बस वालों को परमिट दें लेकिन जहां पर ग्राप बसें नहीं चला पा रहे हैं वहां पर प्राइवेट बस वालों को परमिट दें जब तक बसें नहीं चलती हैं तब तक उन लोगों के लिये कोई न कोई ग्राल्टरनेट व्यवस्था करें। ग्रगर ऐसे रूट प्राफिटबिल नहीं हैं, यह सब रिकार्ड पर है कि वहां पर सड़क है लेकिन वहां पर गिट्टी की सड़क भी नहीं है वह बी क्लास क्या सी क्लास का भी रूट नहीं है, उसके कारण ही रोड़वेज बसें नहीं चलाती है ग्रौर ग्राठ दिन में एक बस चलती है तो ग्राप ऐसे रूट्स को मेहरबानी करके छोड़ दीजिये जब ग्राप बसों को चलाने में सक्षम हो जायं तो उन रूट्स को वापस ले लेना लेकिन कम से कम जनता को कुछ सुविधा मुहैया करायें। एक तरफ किराया बढ़ा रहे हैं, 6 महीने में 65% तक किराया बढ़ा दिया है उसके बावजूद ग्राज ग्राम ग्रादमी को छत पर बैठकर जाना पड़ता है। उससे दुर्घटनाएं होती हैं। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करूंगा कि झालावाड़ का जो डिपो है उसका देखें तो ग्रापको पता लगेगा कि डिपो की स्थिती क्या है? ऐसी हालत खराब है कि वहां पर टायरों की व्यवस्था नहीं है। इसलिए ग्राप जिन रूटों पर बसों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, वहां पर ग्राल्टरनेट व्यवस्था करने की कृपा करें ग्रौर टायर एक्सट्रा दिलाये जायं।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्र के ग्रन्दर जो दूर दूर ढाणियों में बसने वाले किसान लोग रहते हैं वहां पर सरकार प्राइमरी ग्रौर मिडिल स्कूल खोलने की व्यवस्था नहीं कर रही है इस बारे में है।

पिछले साल भी जो दूर दूर रहने वाले हैं उनके लिये प्राइमरी ग्रौर मिडिल स्कूल नहीं खोले। सरकार की नीति है कि ग्राबादी को देखकर एक गांव में प्राइमरी स्कूल खोला जाता है जिससे ढाणियों में रहने वाले बच्चे पांच पांच छ-छः किलोमीटर तक नहीं जा पाते हैं ग्रौर वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सरकार जब ग्रामीण क्षेत्र में वोट लेने के लिये जा सकती है, एक किलोमीटर ग्रौर डेढ़ किलोमीटर पर पोलिंग स्टेशन की व्यवस्था कर सकती है ग्रौर करती है तो फिर बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था क्यों नहीं करती है। वोट देने के लिये तो कम से कम 21 वर्ष की उम्र होती है, 21 वर्ष का ग्रादमी तो वहां तक जाने में समर्थ होता है

Page No 54

५४

(श्री महाराम चौधरी)

लेकिन बच्चे डेढ़ किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। इसलिये मेरा स्थगन प्रस्ताव मंजूर किया जाकर सरकार से यह आश्वासन दिलाया जायगा कि दूर दूर ढाणियों में बसने वाले जो लोग हैं उनके लिये प्राइमरी और मिडिल स्कूल आबादी और लड़कों की संख्या को मद्देनजर नहीं रखते हुए जितनी दूर तक वे बच्चे आ सकते हैं, जहां एक स्थान पर 30-35 बच्चे 6 साल से 14 साल तक के मिल सकते हैं और कम से कम 20 बच्चे जहां मिल जायें वहां पर सरकार गांव वालों की मांग के अनुसार स्कूल खोलेगी। सदन में इस स्थगन प्रस्ताव को रखने का मेरा मतलब यही था और मैं सरकार से आश्वासन चाहता था कि जो गांवों में ढाणियों में रहने वाले आदमी हैं, उनके लिये प्राइमरी स्कूल तो कम से कम खोलने की व्यवस्था करें। मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि इसी सत्र के अन्दर, ढाणियों में रहने वाले बच्चे शिक्षा से महरूम नहीं रहें इसलिये प्राइमरी स्कूलों को खोलने की व्यवस्था कर देगी। परन्तु आज कल जो सदन का माहौल चल रहा है जिस तरह से सरकार किसी बात के ऊपर जवाब देने की इच्छा नहीं रखती है मजबूर होकर यह बात कहनी पड़ती है सरकार को सहयोग लेना है तो जो अहम् मसले हैं, जो शिक्षा और पानी के मसलें हैं, उन पर तो सरकार को उत्तर देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही आश्वासन चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिये पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक के बच्चों के लिये प्राइमरी स्कूल ज्यादा से ज्यादा खोले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन। अणु बिजली घर एक वर्ष तक बंद रहने के संबंध में।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा से जानकारी मिली कि अणु बिजलीघर की पहली इकाई एक वर्ष तक बंद रहेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहुंगी कि राजस्थान पहले से ही विद्युत संकट से घिरा हुआ है। आज की तारीख में उद्योग धन्धे बंद पड़े हैं, किसानों पर जो बिजली की मार पड़ी है उससे अकाल के वापस आने की आशंका हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, आज बिजली की फ्लेट रेट को दुगुना कर दिया गया है फिर भी किसानों को बिजली नहीं दी जा रही है, इण्डस्ट्रीज को बिजली नहीं मिल रही है। पिछले सालों में जो इण्डस्ट्रियलिस्ट को प्रोत्साहन दिया गया था कि राजस्थान में आकर इण्डस्ट्रीज लगावें, इण्डस्ट्रीज बढ़ावें वह तो सारा का सारा खतम कर दिया। आज इण्डस्ट्रीज लगाने वालों की हालत यह है कि वे राजस्थान में आने के नाम से घबराते हैं, जो हैं वे भी अपने उद्योग लेकर यहां से भाग रहे हैं। ऐसी सूरत में इस तरह की जानकारी मिली है कि अणु बिजली घर की पहली इकाई एक वर्ष तक बंद रहेगी यह बहुत बड़ी दुखमयी बात है और यह बहुत बड़े संकट की घोषणा है। मैं समझती हूं कि राजस्थान के इतिहास में बिजली का जो संकट इस बार आया है वह पिछले कई वर्षों में नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, आखिर बात क्या है ? इस बिजली बोर्ड में करोड़ों

(सुश्री पुष्पा जैन)

रुपया राज्य सरकार का लगा हुआ है, आफिसर्स सारा पैसा खा रहे हैं उनकी जांच करवाई जाय। आफिसर्स घर बना रहे हैं बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, आज बिजली बोर्ड में एक सुई भी खरीदी जाती है तो वे बम्बई प्लेन से जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड में अगर एक कप चाय भी पी जाती है तो वह राज्य सरकार के कोष के ऊपर ही भार पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी सूरत में....

श्री परसराम मदेरणा (ऊर्जा मन्त्री) : अणु बिजलीघर में तो बिजली बोर्ड की एक सुई भी नहीं लगी है।

सुश्री पुष्पा जैन : अणु बिजलीघर के खर्चे की बात कर रही हूं, बोर्ड के खर्चे की बात नहीं कर रही हूं, जहां राज्य का इतना ज्यादा पैसा लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करती हूं, मुख्य मन्त्रीजी यहां पर बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगी उसकी जो दोनों आडिट रिपोर्ट्स हैं, वे इस सदन की मेज पर पेश करें ताकि पता चल सके कि आखिर असली घोटाला क्या है, आखिर यह मर्ज क्या है। किस बात का उसमें खर्चा कर रहे हैं? यदि हम उसको चालू नहीं रख सकते हैं तो टेक्निशियन क्या करते हैं? मैं मांग करती हूं कि उसकी तकनीकी रूप से तो जांच करायी ही जाय लेकिन इसके साथ साथ इस सदन के विधायकों की एक टीम बनायें जो इस बात की जांच करे कितने खर्चे की आवश्यकता है, उसके मुताबिक ही उसमें धनराशि खर्च की जा रही है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मुझे शक है, इस बात की जांच नहीं होगी तो फिर आने वाले वक्त में राजस्थान में घोर विद्युत संकट पैदा हो जायेगा जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में ओवर ड्राफ्ट वाले राज्यों के ओवर ड्राफ्ट को ऋण में बदलने के सम्बन्ध में। संक्षेप में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, अंकित हो रहा है न? मैं आसन से पूछना चाहता हूं दो-दो मिनट का समय तो दिया है ना?

श्री परसराम मदेरणा : राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, उस स्तर के हैं। ऐसे ही लोग जाते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति नहीं हूं, विधान सभा के स्तर का व्यक्ति हूं। मैं राज्य स्तर के मुख्य मन्त्री से कहूंगा कि उनका जो राज्य है वह राष्ट्रीय विकास परिषद् की मीटिंग में सामने आ गया है।

श्री अध्यक्ष : आप इन्टरस्टेट मामले उठाते हैं। आपको पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश की भी जानकारी है इसलिये आपका क्षेत्र काफी लम्बा-चौड़ा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं थोड़ा ब्रह्माण्ड में विचरण करने की सोचता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : ग्रध्यक्ष महोदय, ×××

श्री ग्रध्यक्ष : यह रहने दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। ग्रार्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : ग्रौर यह भी कोई सदस्य कहे तब तक तो ठीक है लेकिन....

श्री ग्रध्यक्ष : मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्रध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद् की मीटिंग में सर्व सम्मति से यह फैसला हुग्रा कि इस वर्ष की ग्रवधि में ग्रनेक राज्यों का जो ग्रोवर ड्राफ्ट होगा उसे न तो लम्बी ग्रवधि के ऋण में बदला जायेगा ग्रौर न ही राज्य सरकार को उसमें किसी प्रकार की छूट दी जायेगी। छूट दो प्रकार से ही मिल सकती है एक तो फाइनेंस कमीशन की बैठक हो ग्रौर फाइनेंस कमीशन बना हुग्रा हो तो फाइनेंस कमीशन ही उसको राइट-ग्राफ कर सकता है या लम्बी ग्रवधि के ऋण में बदल सकता है। लेकिन इस प्रकार की जानकारी ग्रायी है यह मसला राष्ट्रीय विकास परिषद् की मीटिंग में उठाया गया था ग्रौर पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री ने कहा था कि जिन राज्यों पर ग्रोवर ड्राफ्ट है वह लांग टर्म लोन में बदला जाय, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी भी वहां थे, वे केन्द्र सरकार के निर्देशों के ग्रनुसार कार्यवाही कर रहे थे, उन्होंने पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री की बात का समर्थन नहीं किया। उन्होंने यह कहा कि नेचरल केलेमिटीज के ग्राधार पर जो ग्रोवर ड्राफ्ट बढ़ता है उसके ग्रलावा बाकी पर यह व्यवस्था लागू नहीं की जाय। ग्रध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर 340 करोड़ का ग्रोवर ड्राफ्ट है ग्रौर वर्तमान वित्त मन्त्री महोदय ने वर्तमान बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि केन्द्र सरकार ने ग्रादेश दिया है कि उस ग्रोवर ड्राफ्ट को हम ग्राप से वसूल नहीं करेंगे। इस ग्राधार पर ग्रागामी वित्तीय वर्ष की योजना कार्य रूप में परिणत करने का निर्णय लिया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं यदि हमें यह ग्रोवर ड्राफ्ट चुकाना पड़ेगा उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा तो फिर 500 साढ़े 500 करोड़ रुपये चुकाने पड़ेंगे ग्रौर तीन सौ चालीस इकतालीस करोड़ की जो योजना है उस पर एक भी पैसा व्यय नहीं हो सकेगा। इसलिए, ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि उसके कारण राजस्थान में ग्रागे ग्राने वाले सालों में कोई भी विकास के काम नहीं हो सकेंगे न कृषि के लिए बिजली दी जा सकेगी न किसी प्रकार की उन्नति की जा सकेगी ग्रौर न ही किसी प्रकार के काम हो सकेंगे। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, राष्ट्रीय विकास परिषद् में जो फैसला हुग्रा उससे बजट पर बहस करना, चर्चा करना या सारी बातें करना, ग्रागे की साल की योजनायें बनाना बिलकुल निरर्थक ग्रौर बेमानी हो गया है। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत रिकार्ड कायम किये हैं एक यह भी हो

××× ग्रभिव्यक्ति माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गई।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सकता है बहुत सी बातों का रिकार्ड हो चुका है, एक रिकार्ड यह भी हो जाय कि माननीय ग्रध्यक्ष जी ने ग्रपने विवेक से इस प्रकार के प्रश्न को डेढ़-दो घण्टे की चर्चा के लिए रखा ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रोवर ड्राफ्ट पर चर्चा हो चुकी है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राष्ट्रीय विकास परिषद् की मीटिंग में फैसला हो गया कि उसको हम लंबी ग्रवधि के ऋण में नहीं बदलेंगे, ग्रगले वर्ष के ग्रन्त तक ऋण रहेगा तो वसूल किया जायेगा ग्रौर चव्हाण साहब ने तो ग्रोवर ड्राफ्ट की सुविधा बंद करने की धमकी दी है । बंद करने की यदि बात हो गयी तो उसके पश्चात् हमारे सारे काम खतम हो जायेंगे, सारी जो प्रक्रियायें बजट की हैं, जिनसे हम गुजर रहे हैं, योजनायें बन रही हैं, सारी योजनायें ठप्प होकर रह जायेंगी । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ग्रध्यक्ष महोदय, विकास परिषद् की कार्यवाही हमारे ध्यान में समाचार-पत्रों के माध्यम से ग्राती है, पूरी तो ध्यान में नहीं ग्राती, विकास परिषद् की मीटिंग में केवल एक ही काम हुग्रा है कि बीस-सूत्री कार्यक्रम पर ठप्पा लगा दिया । लेकिन उससे राज्य सरकार को क्या मिला, क्योंकि बीस-सूत्री कार्यक्रम पर तो यहां से भी ठप्पा लगा सकते थे । उन्होंने 4-4, 5-5 पेज के भाषण, जो प्रिन्टेड थे, में बीस सूत्री कार्यक्रम ग्रौर श्रीमती इन्दरा गांधी का गुणगान किया ग्रौर बाकी 10 पेजों में ग्रौर बातें की हैं । लेकिन हमारे सामने समस्या उत्पन्न हो गयी है कि हम जो सारी चर्चा चला रहे हैं उससे हमको क्या मिलने वाला है । ग्रगर यह वसूल होने वाला है तो हमारी बजट की सारी प्रक्रियाग्रों का क्या होगा ? हमारी पंच-वर्षीय योजना का तीसरा साल है, उसकी जो योजना बनी उसका क्या होगा क्योंकि 340 करोड़ की योजना है ग्रौर ग्रोवर ड्राफ्ट है 342 करोड़ का । वह वसूल करेंगे तो हम क्या करेंगे ? न स्कूल खुलेंगे, न ग्रस्पताल खुलेंगे, न ग्रौर कुछ खुलेगा । हो सकता है, राज्य में ग्रार्थिक ग्रापात काल घोषित करने की स्थिति पैदा हो जाय । यह सारी परिस्थितियां हमारे सामने हैं ।

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिस प्रकार जनरल वे में किया उसी प्रकार पुनर्विचार करें । चाहे डेढ़--दो घंटे विचार सुनने के बाद ग्राप इसको रिजेक्ट कर दें लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय पर ग्राप व्यवस्था कर सकें तो मैं समझता हूं कि बहुत ही सुविधा-जनक होगी ।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : किस विषय पर ।

श्री ग्रध्यक्ष : पशु पोषण केन्द्रों के ग्रन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा केवल दुधारू पशुग्रों के लिए ही ग्रनुदान दिया जायेगा इस निर्णय से उत्पन्न स्थिति के विषय में ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के अकाल सहायता विभाग ने अपने विस्तृत आदेश क्रमांक एफ 5 (28) आर सी फोडर—81/82/5489–5500 दिनांक 28.2.82 के द्वारा यह कहा गया है कि पशु-पोषण केन्दों में केवल उन्हीं पशुओं को पौष्टिक आहार देने पर अनुदान देय होगा जो लघु सीमान्त कृषक या कमजोर वर्ग के चयनित परिवार के दूध न देने वाले उपयोगी पशु होंगे, दूध देने वाले पशुओं को पौष्टिक आहार देने पर राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान का भुगतान नहीं किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इस आदेश से जो समस्या उत्पन्न हुई है उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पशुधन के लिये, गायें या अन्य पशुओं के लिये पशु-पोषण आहार केन्द्रो को राज्य सरकार द्वारा अनुदान देय होता है, अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात पर कोई कतई एतराज नहीं है कि लघु सीमान्त कृषक या कमजोर वर्ग के चयनित गरीब परिवारों को अनुदान की राशि न दें। अध्यक्ष महोदय, इन परिवारो के पास मात्र एक दो या तीन गायें होती हैं। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में जिनके पास 100–200 या 50 गायें है, वहां आज अकाल की स्थिति में न चारा उपलब्ध है न वह अपने साधनों से उपलब्ध करवा सकते हैं, उन्हें पूर्व में राज्य सरकार द्वारा यह अनुदान दिया गया था। जिन कारणों से इस साल यह अनुदान राशि बन्द की गयी है उसका मूल कारण यह है कि राज्य सरकार ठन ठन गोपाल के पास पैसा नहीं है, दिवालिया घोषित हो चुकी है। इस प्रकार के आदेश निकाल कर मात्र एक प्रचार करना चाहती है। हमने यह आदेश निकाल दिया कि पशु-पोषण आहार पर अनुदान राशि देय है, और देंगे लेकिन इसके साथ कौन वंचित होगा? वे हजारों पशु जो पश्चिमी राजस्थान में हैं या अन्य दुसरे क्षेत्रों में हैं। आज की स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, उस पशुधन को बचाने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है और पशु पोषण आहार पर अनुदान राशि इस आदेश से बन्द कर दी गयी है। उसके कारण मैं बताऊंगा आगे आने वाले समय में जैसी भीषण अकाल की स्थिति है, हजारों गायें भूख से तड़फ तड़फ कर मरेंगी। पशु-पालकों के पास आज पैसा नहीं है वे कर्ज में है अगर अनुदान राशि नहीं मिलेगी तो कतई किसी प्रकार से बाजार दरों पर चारा न तो वे खरीद सकेंगे, न उनको दे सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत में, मैं निवेदन करना चाहता हूं आज के दिन जैसा आदेश राज्य सरकार ने निकाला है उस पर निश्चित तौर से पुर्नविचार करें। सरकार दिवालिया घोषित हो चुकी है तो अन्य किन्हीं संसाधनों से अन्य फंड से पैसा लाकर जो हजारों गायें दूर-दराज क्षेत्रों में, बोर्डर के क्षेत्रों में हैं उनके लिए व्यवस्था करें और पशु-पालकों को आहार के लिये अनुदान दें। अध्यक्ष महोदय, यह × × × सरकार है, इससे न तो ये....

श्री अध्यक्ष : × × × शब्द कार्यवाही से निकाला जाय....

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री देवीसिंह भाटी : ××× असंसदीय किस प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, यह संसदीय है। पूर्व में यह व्यवस्था दी गयी थी। मैं ××× नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ करने के काबिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ××× शब्द जो आपके द्वारा काम में लाया गया है....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसकी व्यवस्था....

श्री अध्यक्ष : आप लोग कानून बता दें। व्यवस्था पर पुनर्विचार कर लेंगे।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, ××× शब्द अन पार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आप अपने विषय पर आ जाइये। एक्सपंज वाले को बाद में....

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसी ××× सरकार को जो राजस्थान प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा नहीं कर सकती, जो ऐसे गरीबों को, ऐसे भीषण अकाल के अन्दर जिनके ऊपर आज प्रकृति के द्वारा ऐसा प्रकोप खड़ा हो गया है, जो अपने परिवारजनों को अपने पशु-धन को नहीं बचा सकते हैं ऐसी ××× सरकार के खिलाफ....

श्री अध्यक्ष : कृपया भाषा के प्रयोग में सतर्कता बरतें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं संसदीय समझता था इसलिये बार बार निकल जाता है।

श्री अध्यक्ष : जब तक कानून द्वारा तय नहीं हो जाय इसको आप नहीं बोलें।

श्री देवीसिंह भाटी : इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव लाते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने लाते हैं सरकार उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है। हम कोई भी विषय लायें उस पर न तो कार्यवाही होती है न जिस प्रकार प्रश्न देते हैं स्थगन प्रस्ताव लाते हैं उनका जवाब ही मिलता हैं। जी हां, जी नहीं के जवाब मिल जाते है। यह क्या व्यवस्था है इस सदन के अन्दर ? अध्यक्ष महोदय, यह आपको सोचना है कि किस प्रकार सदन की व्यवस्था सुचारू ढंग से चल सके।

श्री अध्यक्ष : हमारे बारे में, आसन के बारे में कुछ नहीं कहें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं सुझाव दे रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। ऐसे सुझाव मैं दे रहा हूं जिनसे इस सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। अगर मैं ××× करूं, जबर्दस्ती से इस सदन के अन्दर बोलने की कोशिश करूं तो वह गलत होगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अगर आपस में हाथ मिलाकर इस सदन को चलाना चाहेंगे

××× शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री देवीसिंह भाटी)

तो सदन चलेगा वरना यह कतई चलने वाला नहीं है ।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़ ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणसी) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं जरा....

श्री ग्रध्यक्ष : लेकिन यह चर्चा का विषय नहीं है ।

श्री रामसिंह विश्नोई : चर्चा का तो नहीं है लेकिन इससे सम्बन्धित है इसलिए मेरे सुझाव देना चाहूंगा ।

ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पशु-ग्राहार के सम्बन्ध में जो ग्रपनी ग्रापत्ति उठाई उसमें मेरे कुछ सुझाव हैं । माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां विराजे हुए हैं, राज्य के ग्रन्दर चारे की भयंकर स्थिति है ग्रौर राज्य सरकार ने पिछले 6 महीने के ग्रन्दर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था राज्य के ग्रन्दर जो सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर नहीं की है । हमने माननीय मुख्य मन्त्री जी से जब वे बीकानेर से नागौर पधारे थे उस समय भी निवेदन किया था भयंकर स्थिति है, मवेशियों की काफी गम्भीर स्थिति है । हमने ग्रगर व्यवस्था नहीं की तो ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है । इसी तरह राजस्थान के ग्रन्दर ग्रलग-ग्रलग डेयरी प्लान्ट के ग्रन्दर जो पशु-ग्राहार बनता है उसको ग्रगर राज्य सरकार ले लेती है ग्रौर खुद लेकर 50 पर्सेन्ट सब्सिडी देकर जो ग्रामीण क्षेत्र ग्रकाल से प्रभावित हैं वहां पर चाहे दूध देने वाले जानवर हों या ऐसे जानवर हो जो दूध नहीं देते हैं उनको सप्लाई करे तो स्थिति में काफी सुधार होगा । लेकिन मैंने ऐसा सुना है गौ-सेवा संघ के जो बहुत बड़े ग्रधिकारी हैं उन्होने सचिवालय के बड़े ग्रधिकारियों से मिलकर इस तरह की व्यवस्था की है ग्रौर वे यह चाहते हैं कि जो दूध देने वाली गायें या भैंसें हैं, उनको किसी प्रकार का पशु-ग्राहार उपलब्ध नहीं कराया जाय । हो सकता है इस तरह से यदि हुग्रा तो डेयरी वाले इसमें बीच में ग्रड़ंगा डालेंगे इसलिए उन्होंने इस तरह का मेरे विचार से केबिनेट का निर्णय करवा लिया कि जो बाखड़ी गायें है ग्रौर दूध देने वाली नहीं हैं उनको ही पशु-ग्राहार उपलब्ध कराया जाय ग्रौर गौ-सेवा संघ को उनके माध्यम से शत-प्रतिशत सब्सिडी दिलाई जाय । उसमें दूध देने वाली गायों भैंसों को इसलिये नहीं लिया क्योंकि दूध देने वाली गायें या भैंसें होंगी तो उससे डेयरी फैडरेशन वालों को दिक्कत होगी । ग्रगर यह बात सही है तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वह किसानों के लिये, पशुधन के लिए बहुत ही हानि प्रद होगा, इससे भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी इसलिए इस निर्णय को वापस लें, इस पर पुनर्विचार करें ग्रौर पूरे राजस्थान में जो ग्रकाल से प्रभावित क्षेत्र हैं उनको ग्राप 50 प्रतिशत सब्सिडी की दर पर पशु ग्राहार उपलब्ध करावें नहीं तो बहुत बड़ा किसानों को ग्रौर पशुग्रों को नुकसान होगा ।

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन ग्रौर करना चाहूंगा हरियाणा से,

(श्री रामसिंह विश्नोई)

पंजाब से, मध्य प्रदेश से चारा मंगाते हैं, खाखला मंगाते हैं उसके अन्दर कम से कम ढाई-तीन हजार रुपया प्रत्येक गाड़ी के ऊपर केवल भाड़े में खर्च करना पड़ता है। अगर तीन हजार रुपया सब्सिडी पर खर्च करते हैं तो एक तो जो प्लान्ट है, जहां पशु आहार बनता है, उनको राहत मिलेगी और वे पनपेंगे, दूसरा यहा के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहां जो प्लान्ट हैं वे अच्छे चलेंगे और मवेशियों को बहुत पशु आहार मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो निर्णय आपने लिया है उस पर पुनर्विचार करें। माननीय सदस्य की जो भावना है उसके अनुरूप अमल करते हैं तो राजस्थान में पशुओं का और पशुपालकों का हित होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़! पालेकर अवार्ड के सम्बन्ध में।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में कई ऐसे मामले आते हैं जो बहुत इम्पार्टेन्ट और जनहित के होते हैं, पालेकर अवार्ड भी ऐसा है। जो श्रमजीवी और छोटे पत्रकार हैं, उन पर अब तक पालेकर अवार्ड लागू नहीं किया गया और लागू करने के बारे में सरकार ने हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लागू कराने की बात नहीं की। यही नहीं, बेरी आयोग को लागू नहीं कर रहे हैं। कल प्रदर्शन हुआ कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किया और शिक्षकों को मारा उनके साथ बेरहमी से पेश आये। अध्यक्ष महोदय, यह प्रजातन्त्र नहीं है, ××× ऐसी सरकार के सामने हम अपने अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर सकते ××× हैं यह गूंगी और बहरी सरकार, इस तरह का कोई एक्शन नहीं ले सकी है और ××× ऐसी ××× सरकार के खिलाफ विरोधी पक्ष के लोग भयंकर रोष प्रकट करना चाहते हैं। हम ऐसी सरकार के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। हमारी आवाज को दबाया जाता है, ऊपर से मारो और रोने भी नहीं दो, ऐसा ××× सरकार बेरी आयोग को लागू नहीं कर सकी, पालेकर अवार्ड को लागू नहीं कर सकी, ऐसी सरकार का मैं विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

व्यवस्था का प्रश्न

अविलम्बनीय लोक
महत्व के प्रश्नों पर शासकीय वक्तव्य

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट आफ आर्डर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल की घटना पर जिक्र नहीं करना चाहता किन्तु आज प्रातः काल एक ऐसे प्रश्न पर, जो प्रश्न देश की परिस्थितियों से सम्बन्धित है और वह

××× अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No 62

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा पर है, पता नहीं कैसे अनुकम्पा आपकी नहीं रही जिसके कारण इस प्रकार के इम्पार्टेन्ट सवाल पर हमको न बोलने का मौका दिया जाता है न सरकार को मजबूर किया जाता है कि वह कुछ जवाब दे। बेरी आयोग के बारे में तो कुछ कहना नहीं है वह तो आपने कहा। मुझे पता नहीं आपने जो व्यवस्था दी है, उसमें बेरी आयोग की भी कुछ चर्चा करेंगे केवल 18 तारीख की जो बेरी आयोग के सम्बन्ध में हड़ताल....

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है उस पर वक्तव्य दिया जायेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बेरी आयोग के कारण इस प्रकार की स्थिति हुई इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सात महीने हो गये, इस सवाल को प्रत्येक स्तर पर यहां उठाया गया है, चार महीने की अवधि चीफ सैक्रेटरी साहब ने दे दी, मुख्य मन्त्रीजी ने पिछली विधान सभा में यह कह दिया कि कर देंगे। कम से कम इतना मुख्य मन्त्री जो भी कह देते कि बेरी आयोग के विषय में जो कुछ हमारा निर्णय होगा उसे करेंगे या नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको सूचित कर दूं, दस बारह यहां पर वक्तव्य दिलाये गये....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक मिनट में।

इस पर चर्चा हो गई इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार राज्य सरकार की तरफ से पिछले वर्ष और 5–6 महीने से इस प्रकार की बात आने के बाद टालमटोल की जा रही है। कल माननीय वित्त मन्त्री जी थे, उन्होंने जिस प्रकार से यहां बात कही उन्होंने भी इस प्रकार का विषय नहीं उठाया और उसके पश्चात् हमारी स्थिति ऐसी हो गई, जनता के विधायक लोग हैं, एक ही अधिकार है विरोध करने का समाज में उत्पन्न होने वाली कई समस्यायें हैं उनमें से पाकिस्तान को सीमा से लगे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन पर बात करें और ऐसे इम्पार्टेन्ट सवाल पर राज्य सरकार कुछ कहे नहीं और आपकी भी कृपा न हो....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हम सब प्रकार से, आप जो कहते हैं उसको शिरोधार्य करते हैं, मान्यता रखते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : जो आपको अच्छा लग जाय शिरोधार्य, मैंने तो यह देखा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मुझे कहना नहीं, ऐसे क्षेत्र का सवाल है इस प्रकार की आशंका प्रकट की जा सकती है।

मैं आपके सामने कल शिक्षा मन्त्रालय की मांगों के विषय में ऐसा हिन्दुस्तान का

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

नक्शा प्रस्तुत करता जिसमें राजस्थान का शिक्षा विभाग किस प्रकार की उन्नति कर रहा है, अगर पाकिस्तान, और दूसरे देशों की तुलना में अपने देश की स्थिति देखें तो हमारे देश की क्या स्थिति होगी ? माननीय विधायक ने एक क्षेत्र का जिक्र किया जिस क्षेत्र के लिए आपने बताया है कि सरकार उसकी जानकारी करेगी। सरकार कहने की स्थिति में नहीं है। ऐसा लगता है हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं हैं, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरी आपसे अपील है, हाथ जोड़कर अपील है, इस प्रकार की स्थिति बनी है, हमको लगता है कि हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, हम अपनी बात कहें, उसको....

श्री अध्यक्ष : आप तसल्ली रखिये ऐसा कुछ नहीं होगा आपके जो अधिकार हैं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कल से हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपको ऐसा लग रहा है।

(व्यवधान)

आपको ऐसा लग रहा है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : लग नहीं रहा है, हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : उस दृष्टि से देखने के लिये सब्जेक्टिव आपका एक्सपेरीयेन्स हो सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी व्यवस्था से नाराज हो जाय। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को एश्योर कर देना चाहता हूं कोई भी हमारी ओर से व्यवस्था दी जाती है, गलती तो आदमी कर सकता है, लेकिन अपने विवेक को काम में लेकर दी जाती हैं, नियमों और संविधान का पूरा पालन हो और जनहित की समस्यायें अधिक से अधिक चर्चा में यहां आवें, यह मेरा उद्देश्य रहा है और भविष्य में भी रहेगा, यह मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं। हो सकता है, कभी किसी बात में आप में और हम में मतभेद हो जाय। जहां गरमागरम बहस होती है वहां यह हो सकता है, मैं कोई गारन्टी नहीं ले सकता कि जो बात मैंने कही वह कतई सच हो लेकिन मेरे खयाल से नियमों में ऐसा प्रावधान है कि मैं कोई बात कह देता हूं तो यह एक डिसीजन हो जाता है। नियम इस प्रकार के हैं कि उसकी न अपील है न और कोई बात है। फिर भी कभी माननीय सदस्य फर्माते हैं कि आपके निर्णय के अन्दर या विनिश्चय में गलती है तो उस भूल को सुधारने की कोशिश करते हैं, उससे सबक लेते हैं। यह मैं आपको एश्योरेन्स देना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आचरण की बात है।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : प्रश्न यह है कि उस क्षेत्र के बारे में आपने यह कह दिया कि कोई उसका उपयोग करे....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया, आसन के विनिश्चयों के बारे में टीका-टिप्पणी न करें। यदि आपको कोई शिकायत है तो आप मुझसे मिल लें। आप मुझे समझायें, मैं आपको समझाऊं, लेकिन इस प्रकार यहां चर्चा नहीं होगी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा मेरा कहना है, इसलिये मैं कह रहा हूं कल से जो....

श्री अध्यक्ष : मेरा सीधा प्रश्न है, आप जानते हैं कि विचारों की स्वतंत्रता यहां पर माननीय सदस्यों को है, लेकिन जब प्रश्न पूछते हैं तब विचारों की स्वतंत्रता के नाते सभी माननीय सदस्यों की यह इच्छा हो जाये कि हम तो सभी एक साथ जब मूड आ जाय बोलेंगे, तो क्या मेरे लिये सदन की कार्यवाही चलाना सम्भव है? दूसरा, मेरा प्रश्न यह कि किन्हीं 8–10–20 माननीय सदस्यों को यह बात जच जाय कि सदन की कार्यवाही में बाधा डालनी है और सदन को चलने नहीं देना है तो क्या आसन को ऐसे अधिकार नहीं हैं कि जिस विषय को बहुमत चाहता है वह विषय चर्चा में आये? जब फाइनेंशियल मैटर विचाराधीन हो, आप जानते हैं कि फाइनेंशियल मैटर बजट सैशन के अन्दर हाइएस्ट प्रायोरिटी रखता है, कान्स्टीट्यूशन में भी रखता है। सभी तरह के प्रश्न तत्काल निपटाने होते है, यह हमारे यहां पर व्यवस्था है। कल कितने घण्टे तक बजट पर बहस नहीं होने दी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कल शिक्षा विभाग की मांग पास नहीं हुई और वह पास हुई घोषित कर दी। उससे बड़ा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया नियमों का प्रावधान पढ़िये।

मैंने पूरी कोशिश की मांग पर विचार हो किन्तु माननीय सदस्य नाराज थे, आवेश में थे। मैंने बार-बार निवेदन किया दो दफा सदन की बैठक को मैंने स्थगित किया, लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं मुझे कहना नहीं चाहिये, एक दो माननीय सदस्यों को यह कहते हुए मैंने स्वयं ने सुना कि हम सदन की कार्यवाही चलने नहीं देंगे। यह तो मैं अलाऊ नहीं कर सकता कि बाहर जो आन्दोलन चल रहा है आंदोलनकारियों से कोई सदस्य बाहर मिलें और उसकी प्रेरणा से यहां कहें और यहां की बात वहां कहें। हम किसी के मुनीम हैं क्या जो इशारों पर नाचें? हम अपने विवेक से काम करते हैं। हम उनको सुनेंगे लेकिन अपने विवेक से कहेंगे बजाय इसके कि इस प्रकार का माहौल बना दिया जाये।

बेरी आयोग की रिपोर्ट है, एक महत्वपूर्ण मसला है। सभी महत्वपूर्ण मसले सदन के समक्ष आते रहते हैं लेकिन कल माननीय सदस्यों को यह बात जच गई और पांच घण्टे तक सदन की कार्यवाही को रोके रखा। मेरे स्थान पर कोई भी माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य अध्यक्ष हो सकते हैं। वह क्या करेंगे ? इस बात का भी मुझे दुख है कि मुझे किसी माननीय सदस्य को निलम्बित करना पड़ा। यह तो जनतंत्रवाद नहीं है कि बहुमत चाहे बहुमत की उस इच्छा के विरुद्ध ये हो और माननीय सदस्य नियमों का पालन न करें, दिन भर कार्यवाही नहीं चलने दें तो मेरी भी जिम्मेदारी है। जो प्रस्ताव आते हैं मैं सब विपक्षी माननीय सदस्यों के साथ बैठ कर उन पर विचार करने को तैयार हूं, जो जनहित के प्रश्न होते हैं मैं उनको उच्चतम प्राथमिकता देता हूं ताकि चर्चा में ज्यादा से ज्यादा विषय आयें। मैं तो कभी यह भी नहीं कहता हूं जब आप कोई भाषण दे रहे होते हैं कि आपका समय 15 मिनट का समय समाप्त हो गया। मैं बीच में उनका ध्यानाकर्षण करता हूं उसके बाद कहता हूं "एक मिनट, दो मिनट।" बहुत से माननीय सदस्य नये हैं उनको नियमों के बारे में मालूम नहीं, भाषण को एकदम समाप्त नहीं किया जा सकता इसलिये उनका मैं समय बढ़ाता हूं। इसका यह मतलब नहीं सदन के अन्दर परिस्थितियां इस प्रकार की पैदा कर दी जायं। कई बार विचारणीय विषय सदन के समक्ष लिये जाते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं वह सदन की कार्य सलाहकार समिति तय करती है, पूरा सदन उस पर मोहर लगाता है उसके बाद प्रश्न काल, शून्य काल, अल्प अवधि के छोटे-मोटे मामले स्थगन प्रस्तावों, संकल्पों के माध्यम से आते हैं हमारे सामने उन पर हम निर्णय करते हैं। आम राय देते हैं, कई दफा माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि यह तो महत्वपूर्ण विषय है तो उस पर पुनर्विचार भी करते हैं। लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि कोई भी माननीय सदस्य किसी विषय को तत्काल उठायें और सदन में बाधा उपस्थित करें। यह नियमों के अन्दर नहीं है। यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह भी कहना चाहता हूं कि एम. एल. ए. का पद बड़ा शक्तिशाली है। यह सदन है, इसमें जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको सदन में अधिकार दिये गये हैं। यह भी स्पष्ट कर दूं कि क्या क्या अधिकार दिये गये हैं। लेकिन यदि बार-बार बाधा उपस्थित करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आसन को अधिकार है कि माननीय सदस्यों को चेतावनी देने पश्चात् उनको कहे कि वह सदन से बहिर्गमन करें। मैं कल यह नहीं सोचता था कि इस तरह की स्थिति बन जायेगी कि माननीय सदस्य को हमारे प्रहरी उठाकर ले जायं। यह भी आप जानते हैं कि आसन यह कह दे कि माननीय सदस्य बहिर्गमन करें, उसके बाद भी अगर वह सीट पर विराजते हैं तो उनको 500) रुपये जुर्माना विधान के अनुसार देना पड़ेगा। यही नहीं मैं और आगे बता दूं कि मान लो उनका अगर हमने बिलम्बन कर दिया तो वह अजनबी निलम्बन के समय तक के लिये हैं। उनके द्वारा यदि सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित की जाती है तो उनके साथ वही सलूक हो सकता है जैसे अजनबी यहां प्रवेश करें तो विशेषाधिकार बन जाता है उस मामले में। यह सब अधिकार दिये गये हैं। यह अधिकार आपकी ओर से दिये गये हैं ताकि सदन की जो कार्यवाही है, वह ढंग

(श्री ग्रध्यक्ष)

से चले। उसके बाद यह परम्परा नहीं कि कुछ माननीय सदस्य जो विषय चाहें, उस विषय को तत्काल रखें ग्रौर जितना समय चाहें बोलें ग्रौर हम पुकारते रहें। ग्रासन के जितने भी ग्रादेश हैं उनकी ग्रवहेलना करें, यह नहीं होना चाहिये। मैं फिर ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह ग्राप कतई छोड़ दें कि पक्ष का या विपक्ष का पक्ष लिया है। जो वाजिब बात है वह....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ग्रापकी ग्राज्ञा हमारे लिये शिरोधार्य है उसका पालन हम करते रहे हैं। यह ऐसा विषय है जिसका जन-जीवन से संबंध है। जब वक्तव्य ही देना था तो उस वक्तव्य की तारीख तय की जानी चाहिये थी। यह मामला ग्राज से नहीं सात महीने से लिंगर ग्रान होता चला ग्रा रहा है। राज्य सरकार की ग्रोर से विशेष रूप से यह बात कही गई है। मुख्य सचिव ने चार महीने की बात कही थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछली विधान सभा में कहा था कि जल्दी से इस पर निर्णय लेंगे। उसके बाद भी इस तरह की परिस्थितियां बनती चली जा रही हैं। इसलिये हम इस पर विचार करना चाहते हैं। हम ग्रापकी ग्राज्ञा मानते हैं। मुझे तो दुख यह है कि ग्रापने ऐसी बात कही। मैं इसके साथ ही यह बताना चाहता हूं कि कभी कभी हमें यह लगता है कि राज्य सरकार को ग्रनावश्यक रूप से बचाने की कोशिश को जा रही है। इस कारण यह स्थिति बनती है ग्रौर बनती चली जा रही है। इस तरह की स्थिति बनती जा रही है चाहे ग्राज का सवाल हो ग्रौर चाहे कल का हमारे मस्तिष्क में यह बात ग्रावे कि कैसे-कैसे सवालों को समय मिल गया ग्रौर ऐसे महत्वपूर्ण सवाल, जिसमें देश की भूमि का सवाल है, उस क्षेत्र का सवाल है, के बारे में माननीय मंत्री महोदय विचार करेंगे या नहीं यह कहने का मौका नहीं दें, उसको समाप्त कर दें....

(व्यवधान)

हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे ग्रधिकारों को....

श्री ग्रध्यक्ष : ऐसा कौनसा प्रश्न था, जो ध्यान में नहीं ग्राया....

(व्यवधान)

यह देश की भूमि से संबंधित नहीं था। 50-60 धारियों का समूह है, जिसको पंचायत में नहीं लिया गया है....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिये कह रहा हूं....

(व्यवधान)

बाधा उपस्थित की गई....

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : बैठ जायं, माननीय सदस्य, भाषण नहीं, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर, आर्डर ।

अंकित न हो ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा डाल रहे हैं । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपको अपने अधिकारों का पता है, आपको अपने अधिकारों की जानकारी है लेकिन जिस तरह आपने अपने अधिकारों को दोहराया है उससे ऐसा लगता है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पाइंट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचंद कटारिया ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नियम 50 के अन्तर्गत हमारी सीमायें बिलकुल टूटती जा रही हैं....

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 27 को मैंने अपना स्थगन प्रस्ताव दिया था और 11 तारीख को आपने फैसला दिया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अंकित न हो ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा । मैं इजाजत नहीं दूंगा, यह बात आपको बता दूं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अंकित न हो । अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, व्यर्थ में समय ले रहे हैं आप ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य आसन से इस तरह की चर्चा न तो कभी हुई है, न होगी और न मैं इजाजत दूंगा, यह मैं आपको बता दूं ।.... आर्डर प्लीज ।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(68)

आसन द्वारा सदस्यों के लिये प्रयुक्त शब्द

श्री देवीसिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर । अगर वास्तव में किन्ही माननीय सदस्यों ...

सुश्री पुष्पा जैन : आपने अभी....

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर है ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अभी जिस प्रकार से आसन के द्वारा सदन को संबोधित किया गया जिसके अंदर....

श्री अध्यक्ष : वह चर्चा का विषय नहीं हो सकता ।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : एक्सपन्जड, माननीय सदस्य । आसन के बारे में आलोचना नहीं कर सकते, आप जो भाषा प्रयोग कर रहें, हैं, इस तरह की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अंकित न हो ।

श्री देवीसिंह भाटी : + + +

श्री अध्यक्ष : भाषण मंगाकर देख लीजिये । बहुत सतर्कता बरतें, मैंने यह बात कही है, आर्डर प्लीज ।

श्री देवीसिंह भाटी : + + +

श्री अध्यक्ष : मैं आपको दिखा दूंगा मैंने बहुत....

श्री परसराम मदेरणा : ऐसे कौनसे शब्द का प्रयोग किया ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मुनीम शब्द का प्रयोग किया ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बात कही है, हम किसी के मुनीम नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है । कृपया बैठ जाइए । आर्डर आर्डर । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, मैं नहीं दूंगा । ऐसा है, आसन से अगर आपको कोई असंतोष है तो उसके लिये नियमों के अंदर प्रावधान है....

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या है ?

श्री अध्यक्ष : मेरा बताने का कर्त्तव्य नहीं है । आर्डर प्लीज । उसके अंदर प्रावधान है उसका आप उपयोग कर सकते हैं लेकिन यहां पर उसकी आलोचना करें और आसन की तरफ उन्मुख हो जायं मैं इजाजत नहीं दूगां माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

बैठे बैठे न बोलें ।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया । + + + माननीय अध्यक्ष के आदेशअनुसार अंकित नहीं किया गया ।

Page No 69

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आसन ने कुछ व्यवस्था दी, आसन के अपने अधिकार हैं हमको उन अधिकारों के बारे में कुछ नहीं कहना है लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर आसन....

श्री अध्यक्ष : आसन के बारे में जब कोई बात हो तो अंकित न हो।

(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन : आपके, आसन के जो अधिकार हैं, वह हमारे पढ़े हुये हैं लेकिन जिस प्रकार से आसन ने अपने अधिकार की चर्चा की × + ×

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस नहीं होगी, माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें....

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक सदस्य के नाते हमारा भी अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइए। सदन का समय ले रहे हैं। बैठ जाइए। आप व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं सदन में।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर....

सुश्री पुष्पा जैन : अभी आपने नियमों का हवाला देकर....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, मैं नियमों का हवाला और दे सकता हूं....

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : आपने सदस्यों को आसन के अधिकारों के प्रति आगाह किया उसके लिये मैं आभारी हूं लेकिन कल माननीय राजबहादुर, जो सदन के वयोवृद्ध सदस्य हैं और एक्सपेरीयंस्ड मैम्बर हैं, आपको सुझाव देने के खातिर खड़े हुये तो × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

सुश्री पुष्पा जैन : + + +

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : + + +

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज़ पर रखे जाने वाला पत्र।

सुश्री पुष्पा जैन : + + +

(1.8 म. प.)

(श्री अहमदबक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता ।

(व्यवधान)

सदन की मेज पर रखा गया पत्र
प्रतिवेदन

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, यातायात) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राजस्थान पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सहयोग कीजिये, सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में सहयोग कीजिये ।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : 1980-81 सदन की मेज पर रखता हूं ।

व्यवस्था का प्रश्न
आसन द्वारा श्री राज बहादुर के लिये प्रयुक्त शब्द

श्री राज बहादुर : पाईंट आफ आर्डर । आन ए पाईंट आफ परर्सनल एक्सप्लेनेशन कर दूं । कल मैंने सिर्फ मांग की थी बीच में खड़े होकर कि सरकार को अपना वक्तव्य देना चाहिये । सरकार वक्तव्य आज दे दे, कल दे दे बेरी कमीशन के बार में । इस पर जो भी संबोधन अध्यक्ष महोदय ने मेरे बार में किया....

अनेक माननीय सदस्य : क्या किया ?

श्री राज बहादुर : यह कहा कि 40 वर्ष के पार्लियामेंट्री एक्सपीरियेंस में यह सीखे हैं । आप कहलाना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

सुश्री पुष्पा : ये क्या जाने बुजुर्गों की इज्जत करना !

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष, आर्डर प्लीज । इन्ट्रप्शन नहीं ।

श्री राज बहादुर : मैं जीवन की उस स्टेज पर पहुंच चुका हूं जहां निंदा और स्तुति में कोई अंतर नहीं पाता । अगर मुझ से ये शब्द उन्होंने कहे तो उनकी मर्जी मैंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया । हां लोगों को बुरा लगा, लगा बुरा तो मुझे भी, लेकिन इतनी बात कह देना चाहता हूं कि सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाय, आपकी चिंता ठीक है । मुझ में सहिष्णुता है आपके प्रेम और स्नेह के कारण, यह ठीक है लेकिन सहिष्णुता मुझे भी चाहिये । मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं और आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस सिचुएशन को डिफ्यूज करना है या एक्सप्लोड करना है ? इस सिचुएशन में कुछ शांति लानी है ? यहां सदन के नेता बैठे हैं । वह बता दें ऐसी कौनसी बात हुई ? आज सवेरे सिर्फ यह था कि एक सेक्शन आफ पॉपूलेशन

(श्री राजबहादुर)

राजस्थान का है, Rajasthanies have been deprived of their right of vote उनका मताधिकार छीन लिया गया है। इसकी क्या जांच भी नहीं हो सकती ? क्या सवाल भी नहीं उठाया जा सकता ? यह सिचुएशन को डिफ्यूज करने की बात है या कन्फ्यूज करने की बात है ?

इसी तरह से बेरी श्रॉयींग के लिये, क्या यह भी नहीं कहा जा सकता था कि कल देंगे वक्तव्य ? आज सुना है वक्तव्य होने वाला है, इसको कल कह सकते थे। मैं कह सकता हूं मैंने 40 साल के अनुभव से बहुत कुछ सीखा है, मुझे सीखने की अभी भी बहुत इच्छा है और जन्म भर सीखता रहूंगा। यही मैं कहना चाहता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासकीय वक्तव्य

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष :- माननीय सदस्य। कृपया शान्त रहें। सुनिये।

यहां पर माननीय सदस्य राजबहादुर जी ने दो प्रश्न सदन के सामने उठाये हैं। एक प्रश्न तो यह है कि बेरी कमीशन के बाबत सरकार को बयान देना चाहिये। कभी भी दे। एक दूसरा सवाल यह उठाया कि आपके मुतल्लिक जो शब्द कह दिये गये हैं वह आपको अच्छे नहीं लगे और सदन को भी अच्छे नहीं लगे हैं।

एक माननीय सदस्य : उनको अच्छे नहीं लगे।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा कल जो माननीय सदस्य को निलम्बित किया गया उसके बारे में कहा। तो बेरी कमीशन के बारे में मैं यह आश्वासन देता हूं कि सरकार की····

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

अनेक माननीय सदस्य : ××××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये। मुझे कुछ बोलने दीजिये। मेरे बोलने के बीच में ही आप बोलने खड़े हो जाते हैं। कुछ तो डिसिप्लीन रखिये।

तो बेरी कमीशन के बारे में तो सरकार जवाब देगी, यह मैं आश्वासन देता हूं। बेरी कमीशन के बारे में सवाल उठाया और उसमें जिन माननीय सदस्य को निलम्बित किया गया है····

(व्यवधान)

×××माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री दीपेन्द्रसिंह : यह नहीं उठाया है। बेरी कमीशन की चर्चा की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो।

श्री दीपेन्द्र सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। श्री दाऊदयाल जोशी के निलम्बन के सम्बन्ध में सवाल उठाया जायेगा तो उस पर गौर किया जायेगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा, सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र।

श्री यदुनाथ सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सदन की कार्यवाही में बाधा नहीं डालें।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं बिलकुल बाधा नहीं डाल रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय। × × ×

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर। राज्य की ग्रामीण गरीब जनता द्वारा ले जाई जाने वाली जलाऊ लकड़ी की रायल्टी की दरें बढ़ाने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : आन ए पाईन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन को सहयोग दीजिये।

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप अपना पाइन्ट आफ आर्डर बता दीजिये। वह किसके बारे में है।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, Being a Member of the House.

श्री उपाध्यक्ष : अंग्रेजी में नहीं, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्य होने के नाते प्रत्येक माननीय सदस्य का यह अधिकार है कि वह कोई भी महत्वपूर्ण मामला सदन में उठाये। यह उसका हक है। हमारे यहां की व्यवस्था है, जो प्रक्रिया के नियम हैं···

श्री उपाध्यक्ष : किसके ऊपर है ?

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सारे हाउस के नियम हैं। नियमों में जो प्रक्रिया है उसमें माननीय सदस्य को क्या अधिकार होंगे, माननीय अध्यक्ष के क्या अधिकार

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नाथूसिंह)

होंगे, चेग्रर के क्या कर्त्तव्य होंगे, माननीय सदस्य के क्या कर्त्तव्य होंगे, कर्त्तव्य ग्रौर ग्रधिकारों के सम्बन्ध में सब लिखा हुग्रा है····

श्री उपाध्यक्ष : इन सभी बातों के लिये ग्राप क्या कह रहे हैं, यह तो सभी लोग जानते हैं ।

श्री नाथूसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कल से ग्राप सरकार का रूप देख लें, किसी माननीय सदस्य ने कोई भी मामला सदन में रखा उसका सरकार की तरफ से नकारात्मक उत्तर ग्राया है । × × × वह, उपाध्यक्ष महोदय, इस पर ध्यान दे । मैं चेयर पर ग्राक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं चेयर का सम्मान करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : चेयर के सम्बन्ध में शब्द कहे हैं वह एक्सपन्ज किये जायं । ग्रापका क्या पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है ।

श्री नाथूसिंह : वही उठा रहा हूं । कल सरकार की तरफ से यह कहा गया, उपाध्यक्ष महोदय, क्या रुख सरकार ग्रपनाये हुए है । कल ग्रासन ने माननीय सदस्य को निकाला है । मैं चेग्रर पर ग्राक्षेप नहीं करना चाहता हूं····

(व्यवधान)

सरकार को महत्वपूर्ण मामलों पर सदन में बयान····

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई बात नहीं है । यह ग्रापका कोई पोइन्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं है । ग्राप बैठ जाइये ।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर नियमों की ग्रवहेलना की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई ग्रापका पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं है । ग्राप बैठ जाइये । मैं ग्रापसे विनती करता हूं कि जो भी माननीय सदस्य पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर उठाना चाहते हैं ग्रगर कोई वास्तव में पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर हो तो वे उठावें वरना सदन का समय बरबाद न कीजिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर यह है, उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि कोई भी निर्णय यहां पर बहुमत के ग्राधार पर किया जाता है····

श्री उपाध्यक्ष : मेजोरिटी के ग्राधार पर निर्णय किया जाता है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ग्रौर बहुमत के ग्राधार पर निर्णय करने का ग्रधिकार सारे सदन को प्राप्त है । इसमें विरोधी दल का दायित्व है कि वह न केवल ग्रपनी ग्रावाज ही यहां उठाये, जनता की ग्रावाज उठाये ग्रौर ग्रपनी समस्यायें ग्रौर जनता की समस्यायें यहां पर रखें ।

श्री उपाध्यक्ष : सभी जनता की ग्रावाज ही उठाया करते हैं ।

× × × ग्रभिव्यक्ति माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गई ।

Page No 74

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो हाउस के अधिकार में है, मतलब बहुमत से पास कर दे। हम जो कोई भी बात यहां पर रखें उसको चाहे तो रिजेक्ट कर दें। लेकिन हमारा जो बोलने का अधिकार है उसको छीन लिया जावे, हमें बोलने तक नहीं दिया जाय····

श्री उपाध्यक्ष : आपका यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। यह कौनसा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो सबसे बड़ा पाइन्ट आफ आर्डर है कि हमें बोलने तक नहीं दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो बालते हैं उनका बोलने का राइट है। उसको हमेशा से ही रेस्पेक्ट किया जाता रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको बहुमत के आधार पर निर्णय करने का अधिकार है। आपको बहुमत के आधार पर निर्णय करना है तो करिये लेकिन × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बोलने का मौका आयेगा तो मैं आपको बोलने का भी अधिकार दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आपकी क्या व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

आसन पैरों पर है। आपका यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आपका यही पाइन्ट आफ आर्डर है तो आपका कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर यह नहीं है। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि सदन की कार्यवाही चले। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की क्या नीति है, सरकार क्या नीति रखती है और सरकार की क्या मंशा है यह बात हम सदन के सामने लाते हैं लेकिन कल से ऐसा माहोल है····

श्री उपाध्यक्ष : आप कौन से रूल के तहत बोल रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : सारी किताब के ऊपर बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जवाब दिया नहीं और उसकी वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के जवाब नहीं देने के कारण यह हुआ। यह स्पष्ट कारण है। सदन के बाहर जो भी बात हो रही है उसकी सदन में चर्चा हो, उसको सदन के सामने रखें। आज यहां पर कहा गया कि उसके बारे में एक वक्तव्य सदन में सरकार द्वारा दिया जायेगा। यह बात अगर कल ही कह दी जाती तो जो कल स्थिति बनी थी वह स्थिति पैदा ही नहीं होती। मेरा कहना है कि जिस तरह से यहां प्रश्न था

(श्री यदुनाथ सिंह)

उसमें उन्होंने कहा कि वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में नहीं, इस बारे में अगर कोई जवाब नहीं देते यह एक असमंजस्ता की स्थिति बनती है। उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई वास्तव में पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। इसके लिये हाउस ने प्रोसीजर मुकर्रर कर रहा है, उसके अनुसार रखा जाना चाहिये।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य के अधिकार की बात है, सरकार को कमिट करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आप सदन की कार्यवाही में बाधा नहीं डालें।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार यूं ××× बैठी रहे इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। इस तरह यहां पर हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। कुछ तो माननीय सदस्य डिसिप्लीन रखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, एक····

श्री राजबहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, यदुनाथ सिंह जी ने कहा है वह वाजिब बात है। सरकार की तरफ से जवाब आ जाये मामूली बातों का तो झगड़े हों ही नहीं, विवाद हों ही नहीं। क्यों नहीं जवाब देते ?

श्री उपाध्यक्ष : आइन्दा ध्यान रखेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ आर्डर है····

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया था इस सदन के माननीय सदस्यों के बारे में····

श्री उपाध्यक्ष : उठाया था वह बात खतम हो गयी।

श्री देवीसिंह भाटी : खतम नहीं हो गयी, उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : मैं अनुमति नहीं दूंगा। समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने ××× शब्द कहा उसको एक्सपन्ज कर दिया गया और यहां पर यह शब्द इस्तेमाल किये गये जैसे किसी के ××× हों। ऐसे शब्द भी

××× शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

76

(श्री देवीसिंह भाटी)

इस्तेमाल नहीं किये जा सकते। यह सदन के सारे माननीय सदस्य का अपमान है····

श्री उपाध्यक्ष : Expunged.

श्री देवीसिंह भाटी : क्या एक्सपञ्ड ? हर बात एक्सपंञ्ड।

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं होगा। मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। बैठ जाइये।

विधान सभा की बैठक दिनांक 15 मार्च, 1982 की कार्य सूची के अनुरूप कार्य सम्पादन

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे कार्यवाही चलाने का मौका दीजिए ताकि सदन की कार्यवाही अच्छी तरह चल सके····

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल सदन की कार्यवाही स्थगित हुई और आज की कार्य सूची सामने आई है। आज की कार्य सूची तब तक नहीं चल सकती जब तक कि कल की कार्यसूची का कार्य पूरा नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नियमों के अन्तर्गत कल की कार्य सूची का काम पूरा नहीं हुआ····

अनेक माननीय सदस्य : हो गया, हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुनिये····

श्री उपाध्यक्ष : आपकी ड्यूटी पूरी हो गयी। उसके बाद में हाउस एडजोर्न हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप मेरी बात तो सुनिये।

आप यह मानो कि कार्यसूची कल की पूरी नहीं हुई है। नियमों के अन्तर्गत कट मोशन्स पेश नहीं हुए। अपनी अलग अलग परम्परायें हैं। नियमों के अन्तर्गत यह भी है कि अध्यक्ष महोदय यह घोषणा करेंगे कि सब कट मोशन प्रस्तुत किये हुए माने जायेंगे····

श्री उपाध्यक्ष : जो कल की कार्यवाही हो गयी वह आज री-ओपन नहीं हो सकती।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप बात तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कल के बारे में कोई व्यवस्था देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप सुन तो लीजिए।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुन तो लीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : सुन तो लें। फिर व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था मैंने दे दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था होती कि कट मोशन्स का मंत्री जी जवाब देते कि सब कट मोशन अस्वीकार कर दिये जायं। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि न तो सारे कट मोशन ही पेश किये गये, न कटमोशन मूव हुए, न किसी माननीय सदस्य ने खड़े होकर कट मोशन मूव किये, न माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि कट मोशन मूव किये गये हैं, न माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि सारे कट मोशन अस्वीकार कर दिये जाये और न कट मोशन पर मतदान हुआ। आप कार्यवाही मंग कर देखिये, कार्यवाही में कहीं उल्लेख नहीं है कट मोशन के बारे। 200 से ऊपर कट मोशन थे। उन कट मोशन के बारे में कोई निर्णय नहीं हो तब तक, उपाध्यक्ष महोदय, जो मांग है वह पारित नहीं मानी जा सकती। संविधान का उल्लंघन है, नियमों का उल्लंघन है। 2 अरब रुपये का × × × शिक्षा विभाग की मांगों को इस तरह से पास करवा कर 2 अरब रुपये का × × × कोई मांग पारित नहीं हुई, कोई कट मोशन पेश नहीं हुए, किसी कट मोशन को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि दो अरब रुपये का राज्य के कोष पर × × × इसलिए मेरा निवेदन करना है कि शिक्षा विभाग के मामले में पुनर्विचार हो। आप सारी प्रॉसीडिंग्स मंगाकर देखिये, किसी भी समाचार पत्र को आप देख लें। प्रॉसीडिंग्स मंगाकर देख लें इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। सारी कार्यवाही अवैधानिक है····

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है आपने अपनी बात रख दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक मैम्बर को निकाल दिया। मंत्री जी ने कोई मूव नहीं किया। सारी कार्यवाही चैयर ने अपने पास कर ली। चैयर को कोई राइट नहीं है कि वह पारित किया हुआ घोषित कर दे। न हां हुआ न ना कहा····

श्री उपाध्यक्ष : अपनी कार्यवाही में हां या ना आ गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप टेप-रिकार्डर मंगा कर देखिये। सदन की कार्यवाही मंगा कर देखिये। इन दोनों से यह प्रमाणित है कि कल कोई मांगें पेश नहीं हुई। दो अरब रुपयों पर × × × यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये बैठिये।

(व्यवधान)

यह कोई तरीका नहीं है। आप बैठिये····

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : रूल....

श्री उपाध्यक्ष : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं और आप बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, विराज जाइये।

श्री नाथूसिंह : मेरा एक निवेदन तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : आप इस पर व्यवस्था दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था की जरूरत नहीं। आप बिराज जाइये।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मामला है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप टाइम का ख्याल नहीं रखते हैं। कितनी दफा उठते हैं। टाइम का ख्याल नहीं रखते हैं। आप एक दफा में सारी बात नहीं कहते। बार बार खड़े होकर कहा करते हैं। पूरे सदन की कार्यवाही को मैं आपके लिए सस्पेन्ड रखूं। माफ कीजियेगा।

(व्यवधान)

नहीं, यह नहीं होगा।

श्री नाथूसिंह : सुनें तो सही....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जाइये।

श्री नाथूसिंह : कल की।

श्री उपाध्यक्ष : कल की प्रासीडिंग्स री-ओपन नहीं की जा सकती। हो गया, वह हो गया।

श्री यदुनाथ सिंह : हो गया, वह हो गया, कैसे हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं उसको री-ओपन नहीं कर सकता। यह व्यवस्था दी है। आप बैठ जाइये। जो पावर्स चेयर को दी हैं उनका इस्तेमाल करते हुए मैंने कहा है।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

Page No 79

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)

आप विराज जाइये । स्टेटमेन्ट दे रहे हैं। आप बाद में कहेंगे । हां बैठ जाइये ।

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैं जानता हूं । बैठ जाइये। स्टेटमेन्ट आ रहा है ।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बहुत देर से परमिशन मांग रहा हूं....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेन्ट आने के बाद सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्यों स्टेटमेन्ट हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमसे अनुशासन की उम्मीद की जाती है । यह कैसे सम्भव होगा ? जब मैं पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रही हूं तो आप सुनेंगे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको सुनूंगा, इसके बाद ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

(व्यवधान)

शासकीय वक्तव्य

ग्रामीण गरीब जनता द्वारा ले जाने वाली जलाऊ लकड़ी की रायल्टी की दर

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी का बयान सुन लीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको सुनूंगा । जरा जोर से पढ़िये ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : साथ में ट्रैक्टर ट्राली तथा अन्य साधनों से....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ भी सुनाई नहीं दिया, मंत्री महोदय ने क्या कहा ।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या करें। उनकी बोली ही ऐसी है। आपकी तरह मोटी आवाज नहीं है, पतली है।

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, स्टेटमेन्ट दुबारा से पढ़वा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : जरा जोर से पढ़ दें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, वन) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश में वन क्षेत्रों से वन उपज की निकासी के लिये संयुक्त राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 15-1-49 को राजस्व पत्र प्रचलित किया गया था जिसमें निर्धारित दरें 1962 तक लागू रहीं।

उक्त दरें काफी पुरानी तथा असंगत थीं एवं वन उपज की बाजार विक्रय दरों के मुकाबले बहुत कम थी। अतः राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 17-8-1962 द्वारा सिरबोझ के अतिरिक्त साधनों से वन उपज निकास करने पर रायल्टी डेढ़ गुनी कर दी।

बढ़ती हुई महंगाई के कारण कुछ ही वर्षों में वन उपज की प्रचलित रायल्टी दरें विक्रय मूल्य के मुकाबले नाम मात्र को रह गईं। वन उपज की महत्वता राज्य सरकार की आय के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा रायल्टी दरों में विसंगतियां दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वन उपज की रायल्टी दरों में उचित वृद्धि करने का विचार काफी समय तक विचाराधीन रहा। तदनन्तर सन् 1976 में समस्त प्रदेश के लिये वन नीति निर्धारित करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने रायल्टी दरें बाजार भाव के 20 प्रतिशत दर से निर्धारित करने की सिफारिश की।

इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 1-8-79 से वन उपज की संशोधित रायल्टी दरें निर्धारित की गई लेकिन उक्त आदेशों के फलस्वरूप ग्रामीण जनता को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस प्रश्न पर पुनः विचार कर अधिसूचना दिनांक 20-11-79 द्वारा सिरबोझ से निकास की जाने वाली विभिन्न वन उपज की रायल्टी दर वे ही लागू रखने का निर्देश दिया गया जो 1-8-79 की अधिसूचना से पूर्व लागू थीं।

तत्पश्चात् इस सम्बन्ध में पुनः विचार हुआ एवं अधिसूचना दिनांक 4-12-79 द्वारा आदेश प्रसारित किये गये कि ट्रकों एवं अन्य प्रकार से मोटर गाड़ियों के अतिरिक्त सभी प्रकार के साधनों अर्थात् सिरबोझों, गधों, खच्चरों, भैंसों एवं बैलों, ऊंटों एवं समस्त प्रकार की बैलगाड़ियों से जलाऊ लकड़ी के वनों से निकासी हेतु अग्रिम आदेश तक वे ही दरें प्रभावशील होंगी जो दिनांक 1-8-79 की अधिसूचना से पूर्व लागू थीं।

अन्ततः राज्य सरकार ने इस समस्त प्रकरण पर पुनर्विचार कर अधिसूचना दिनांक 9 जून, 1981 द्वारा दिनांक 20-11-89 व 4-12-79 की अधिसूचनाओं को अविलम्ब निरस्त करते हुए माथा भार द्वारा निकास

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

की जाने वाली घरू उपयोग की जलाऊ लकड़ी को रायल्टी से मुक्त रखने के आदेश प्रसारित किये। साथ ही बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, ट्राली तथा ट्रक के अतिरिक्त अन्य साधनों से वन उपज निकास करने के लिये वे ही दरें लागू रखी गई जो 1-8-79 की अधिसूचना द्वारा लागू की गई थीं।

लेकिन बढ़ती हुई आबादी के कारण ईंधन की मांग निरन्तर बढ़ रही है। इसका अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि राज्य में ईंधन की कुल आवश्यकता 65·46 लाख टन है जब कि वन विभाग द्वारा इसमें से मात्र 1.53 लाख टन ही उपलब्ध कराया जा सकता है। शेष ईंधन की पूर्ति अघोषित क्षेत्रों से ही होती है। इस प्रकार विभाग कुल मांग का लगभग 2·3 प्रतिशत भाग ही उपलब्ध करा सकता है। इस कारण ही जितनी लकड़ी प्रतिदिन सिरबोझों से लाने वालों को चाहिये इतनी सूखी गिरी पड़ी लकड़ी वन क्षेत्रों में निरन्तरता के आधार पर उपलब्ध नहीं होती। अतः लोगों ने पेड़ों को काटकर गीली लकड़ी को सूखे में परिवर्तित कर लाने की प्रवृत्ति पनप रही है जो कि वनों के लिये वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व के लिये अत्यन्त हानिकारक हैं। अतः इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना आवश्यक है।

जहां तक गोगुन्दा क्षेत्र में छोटे, गरीब काश्तकारों को जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने का प्रश्न है, माथा भार से उनके द्वारा लकड़ी लाने में कोई रोक-टोक नहीं है और न ही इसके लिये उनसे किसी तरह की रायल्टी वसूल की जा रही है। कतिपय गांव जो सड़कों के किनारे तथा वनों से दूर स्थित हैं, वहां के निवासियों के लिये उपलब्धता की समस्या अवश्य है। लेकिन वे भी बैलगाड़ी, गधा, खच्चर आदि द्वारा निर्धारित शुल्क देकर समीपस्थ जंगलों से जलाऊ लकड़ी ला सकते हैं।

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार स्थानीय निवासियों को होने वाली कठिनाइयों की ओर पूर्णतया जागरुक है और उनकी कठिनाइयों को दूर करने हेतु ही सिरबोझों द्वारा लाई गई जलाऊ लकड़ी को स्वामित्व दर से मुक्त कर दिया गया है। बैलगाड़ी आदि द्वारा लाई गई जलाऊ लकड़ी के बारे में भी जन प्रतिनिधियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। उन पर विचार किया जा रहा है तथा बैलगाड़ी आदि की रायल्टी में कमी के प्रस्ताव मंत्रि मण्डल के विचाराधीन है जिस पर शीघ्र निर्णय लिये जाने की सम्भावना है।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में निम्नलिखित सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य अभी दिया....

व्यवस्था का प्रश्न

आसन द्वारा सदन के लिये प्रयुक्त शब्द व व्यवस्था के प्रश्नों पर दी गई व्यवस्था

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ पाइन्ट आफ आर्डर पेन्डिंग पड़े हैं।

Page No 82

श्री उपाध्यक्ष : अब इनफक्चुअस हो गये वह ।

श्रीमती विद्या पाठक : यह कैसे हो सकता है । मेरा पाइन्ट आफ आर्डर तब फिर से है । आप अनुमति दे रहे हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन विषयों पर पाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : तीन दिन से है न ? एक दिन और ठहर जाइये ।

श्रीमती विद्या पाठक : तीन दिन से नहीं, तीन विषयों पर है....

(व्यवधान)

मैं आसन से व्यवस्था चाहती हूं । मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहती हूं अभी कुछ देर पहले आसन से यह कहा गया है यह सदन मुनीम नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन तो मुनीम है संसदीय शब्द हो या असंसदीय....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको गलतफहमी हो रही है, माननीय सदस्या । उन्होंने यह फर्माया था कि मैं कोई मुनीम नहीं हूं.... He has to coutrol the House

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि आसन की तरफ से भी व्यवधान होता है....

(व्यवधान)

आप मेरी बात तो सुन लें । मैं यह कहना चाहती हूं कि जो अभी आसन की तरफ से कहा गया, यह सदन मुनीम नहीं है तो यह मैं कहना चाहती हूं कि यह मुनीम शब्द संसदीय हो या असंसदीय पर सदन तो मुनीम है । यह जनता के पैसों का मुनीम है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको समझकर सैटिस्फाई हो जाइये ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननी उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को भी निवेदन करना चाहती हूं यह मुनीम तो है किन्तु अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर रहा है । जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि कल दो अरब रुपयों पर ××× इसके विषय में व्यवस्था दें कि सदन मुनीम है या नहीं ।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विषय यह है कि आसन की तरफ से बार बार ये शब्द कहे जा रहे हैं कि बहुमत की सरकार तो चलेगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुमत आने से मनमानी करने, एरोगेंस और दम्भ का लाइसेन्स इन्हें कहां से मिल गया । इस विषय में व्यवस्था दें ।

(1. 37 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आपने कहा

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोशिव की गई ।

(श्रीमती विद्या पाठक)

कि मैं न्याय करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, न्याय हो ही नहीं, किया हुआ दिखना भी चाहिये हमको, प्रेस को, जनता को। मैं समझती हूं, व अलावा सत्ता पक्ष व चेयर के स्वयं के बाकी तो किसी को न्याय किया हुआ दिखता नहीं।

इन तीनों पर कृपा कर के आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : ये तीनों विषय जो उठाये गये हैं, इनका सम्बन्ध आसन से है। आसन के विरुद्ध कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता। इसलिये मैं इन पाइन्ट आफ आर्डर को निरस्त करता हूं।

मैं एक नियम की ओर भी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि करीब....

श्री भंवरलाल शर्मा : बाहर निकालने का है क्या ?

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर का और नियमों का उपयोग किस तरह से सदन में किया जाय, इसकी एक सीमा है। यदि आसन को यह महसूस हो कि नियमों का दुरुपयोग किया जा रहा है तो वह पाइन्ट आफ आर्डर उठाने के लिये अनुमति नहीं देगा। ऐसा नियमों में स्पष्ट प्रावधान है। मेरे ख्याल से माननीय सदस्य जानते हैं, काफी समय हो गया है। थोड़ा बीच में एक स्टेटमेंट हुआ था, फिर पाइन्ट आफ आर्डर आ गया। मैने कुछ समय पूर्व निवेदन किया था, वह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है....

(व्यवधान)

मैंने दोनों, तीनों देख लिये हैं, मांगों के विषय में हैं वह। अध्यक्ष निर्णय देता है सदन से मत जान करके। बिजनेस जिस दिन निश्चित हो गया उस दिन पूरा किया जाता है। जब दो बार यह कहा गया हैं मांग स्वीकार की गई तो वह की गई है।

एक माननीय सदस्य : प्रोसीडिंग मंगा कर देखें।

श्री अध्यक्ष : जो मैंने बात कही है उसको प्रत्यक्ष दर्शाया है। अब मेरे से अधिक कौन हो सकता है। इसलिये ...

कटौती प्रस्तावों पर सदन का निर्णय

श्री राजबहादुर : मुझे सुन लीजिये। मैं आपका ध्यान रूल 145, 257, 281 की ओर दिलाना चाहता हूं। उनके बिना कोई भी डिसीजन लिया नहीं जा सकता। 151 तो है कट मोशन्स के बारे में, कट मोशन्स रखे जाते हैं 256....

श्री अध्यक्ष : नियम है एक उसमें यह है कि जब निश्चित समय आ जाय।

(व्यवधान)

यह बाधा डालने के लिये प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

आर्डर आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसके बाद में कोई....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, राजबहादुर जी भी बाधा डाल रहे हैं ?

श्री राजबहादुर : आप मेरी पूरी बात सुन लें। जो कट मोशन्स हैं, ये लेप्स नहीं हो सकते। नियम 257 इस बात का है, कोई भी मोशन हो वह प्रोरोगेशन से भी लेप्स नहीं हो सकता। यह नियम 257 का अभिप्राय है....

श्री अध्यक्ष : उससे वोट पर क्या असर पड़ा ?

श्री राजबहादुर : मैं अर्ज करूं आपसे, उसके बाद आता है 281 जिसके अन्तर्गत कोई भी प्रश्न डिसाइड होता है। कोई मोशन हाउस के सामने आता है, वह डिसाइड होता है, यह मेन्डेटरी है The question shall be put to vote। उसके बाद अगर डिवीजन का मौका आता है तो डिवीजन होगा, वोइस वोट से होगा, जो कुछ होना है वह होगा। मेरा विनम्र निवेदन है कि कल जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स हुई the question was not put to vote in respect of any cut motion and therefore.कोई कट मोशन्स के लिये यह नहीं माना जासकता कि वे गिर गये या ठहर गये। मैं विनती करूंगा, पाइन्ट आफ आर्डर क्लीयर है। कल की प्रोसीडिंग्स में कहीं भी दिखा दें कि फलां कट मोशन नियम से पुट किया गया और फलां कट मोशन गिर गया तो ठीक है, वरना मेरा....

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं अच्छी तरह से जानते हैं कि व्यवस्था यह दी गयी थी। जब मांगों के ऊपर विचार प्रारम्भ हुआ था, उससे पहले अध्यक्षीय व्यवस्था यह थी कि जितने भी माननीय सदस्यों ने कट मोशन्स प्रस्तुत किये हैं, वे कट मोशन्स प्रस्तुत किये हुए माने जायेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह नहीं कहा था, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पहले दिन हुआ है। और जो हुआ है नहीं हुआ है, उसके ऊपर जब सदन की मोहर लग जाती है तब कोई त्रुटि भी रह जाती है तो वह त्रुटि भी क्षम्य हो जाती है, वह त्रुटि नहीं रहती।

दूसरा भरतपुर से पधारने वाले माननीय सदस्य ने पाइन्ट उठाया कि मोशन पुट नहीं किया गया। पुट सदन के समक्ष किया गया। जैसा पूर्व में मैंने निवेदन कर दिया था कि अल्टीमेट अथारिटी अध्यक्ष है। अगर अध्यक्ष यह समझे कि पुट किया गया और हां पक्ष जीत गया तो दो दफा कहने के बाद, आप जानते हैं स्वयं अच्छी तरह से कि उसकी फाइनेलिटी है, वह किसी तरह से रीओपन नहीं हो सकती। कोई बिल पास किया या नहीं किया, कोई मोशन पास हुआ कि नहीं हुआ, इसका सर्टिफिकेशन अध्यक्ष करता है। वह कर दिया।

श्री राजबहादुर : अब देखिये 281....

(85)

श्री अध्यक्ष : 28! मेरा देखा हुआ है।

श्री राजबहादुर : Then my objection is out of scope. अगर क्वेश्चन पुट किया है, तो जो क्वेश्चन पुट किया है, वह है नहीं...

श्री कैलाश मेघवाल : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

आसन का प्रतिपक्ष के सदस्यों के प्रति व्यवहार

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जब आप अन्दर पधारे थे, उसके पहले आपने हाउस को सम्बोधित किया था। मेरी यह कठिनाई है....

श्री अध्यक्ष : यही कठिनाई आती है उसमें कि अध्यक्ष ने कहा है, उसके विरुद्ध पोइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो आप और हम बैठ करके प्रोसीडिंग्स देख लेंगे। मैंने बहुत सतर्कता बरती थी उसमें कि इस तरह की कोई बात न हो जिससे माननीय सदस्यों के ऊपर किसी तरह का आक्षेप आये। वैसी बात नहीं कही गयी थी, नकारात्मक ढंग से कोई बात कही गयी...

श्री भंवरलाल शर्मा मैं वह बात नहीं कह रहा हूं। मेरा प्रश्न और है। मेरा प्रश्न यह है, आप अनुभव कर रहे हैं कि आप विपक्ष के प्रति बड़ी सहानुभूति और उदारता दिखा रहे हैं किन्तु जो माननीय सदस्य मेरे साथ बैठते हैं, उनकी अनुभूति है, आप बहुत कठोर हो गये हैं....

श्री अध्यक्ष : कल से हो गया ऐसा अनुभव। कल से माननीय सदस्यों को हो गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह अनुभूति हो रही है कल से। विशेषकर कल से यह लग रहा है....

श्री अध्यक्ष । यह आपको गलतफहमी है। माननीय सदस्यों को मैंने तसल्ली दिला दी है, ऐसा कुछ नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्यों की मुझे जानकारी है। मुझसे माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, उन्होंने बताया है मुझे....

श्री अध्यक्ष : ऐसा महसूस हो जाता है लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। माननीय सदस्यों को मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं....

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने निश्चित रूप से कहा है कि आपके मन में कोई ऐसी बात नहीं है। आपके व्यवहार के लिये भी आपने कहा है कि आप बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं पर, माननीय सदस्य, जो मेरे साथ बैठते हैं, की यह अनुभूति है और मैं भी उसमें शामिल हूं, दो दिन से××××

×××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : दो दिन से आपकी नाराजगी हो गयी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है....

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, यह आपको लग रहा होगा, यह भी सही हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को दो दिन से नाराजगी हो गयी है। नाराजगी इससे हुई कि 4 घण्टे तक कल सदन की कार्यवाही किसी न किसी प्रकार रोके रखी। मैंने दो दफा कार्यवाही एडजोर्न की। माननीय सदस्यों से निवेदन किया कि पधारें, पर पधारे नहीं। इस तरह से अध्यक्ष का काम थोड़ा कठिन काम है। मेरे स्थान पर आप में से यदि कोई माननीय सदस्य विराजें तो आपको भी कठिनाई अनुभव होगी। क्योंकि वित्तीय विषय विचारणीय था सदन के समक्ष, एक समयावधि के अन्दर उस सब को हमें पूरा करना पड़ता है। फिर मेरी थोड़ी कठिन ड्यूटी है क्योंकि मेरे मालिक 199 माननीय सदस्य हैं। मुझ से मान लीजिए कि कहीं त्रुटि रह सकती है। जिस तरह का माहोल बन जाता है उसमें यह सम्भव है। लेकिन यह बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं, मेरे दिल के अन्दर कोई दुर्भावना हो गयी हो। उसका तो साक्षी मैं ही हूं। कड़ाई का रुख तो ऐसा है कि यदि सदन में बाधा उपस्थित की जाय तो यह मेरा कर्त्तव्य हो जाता है, बड़ा कठिन काम है मेरा, आप जानते हैं, मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि जो काम कार्य सलाहकार समिति, जो सदन के सभी पक्षों से गठित की जाती है, निर्धारित करती है वह पूरा हो। बजट के लिए ही इस सत्र को आमंत्रित किया गया था। राज्यपाल महोदय ने आपको फर्माया कि आपको इस सत्र में बुलाया है, वह कोई किसी आयोग की रिपोर्ट या दूसरे तीसरे कार्य के लिए नहीं, प्राथमिकता उस कार्य की है। आपने प्राथमिकता इसको अधिक दी थी तो मैं सहानुभूति रखते हुए आपको निवेदन करता रहा लेकिन आखिर अपन को समय के अन्दर, समय सीमा में तो काम करना होगा। यह मेरी थोड़ी कठिन ड्यूटी है। इसमें कुछ माननीय सदस्यों की नाराजगी हो जाती है लेकिन यथासम्भव मेरी कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक जनोपयोगी विषय हैं, वे सदन के समय आयें। जहां तक समय का सवाल है, दो सौ माननीय सदस्य हैं, अपन कुल मिलाकर 5 घण्टे बैठते हैं। सभी माननीय सदस्यों को कहते हैं कुछ मिनट में वह अपनी बात कह दें क्योंकि मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। यदि आप थोड़ा लम्बा बोल लें तो मुझे निवेदन करना पड़ता है कि थोड़ा आप अपनी स्पीच को छोटा कीजिए। यह कठिनाई है हमारे सामने। यह बात आप छोड़ दीजिये कि हमारे मन में दुर्भावना है। ऐसी बात थी नहीं कभी, आज भी नहीं है और जब तक इस पद पर रहूंगा, मुझे नहीं रहेगी, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने खुद भी यह कहा कि हम लोगों की कुछ नाराजगी है। ऐसी आपको अनुभूति हो रही है...

श्री अध्यक्ष : हां, मुझे बड़ा अनुभव हो रहा है। मैं बड़ा महसूस कर रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : और हमको यह अनुभूति है कि आप नाराज हैं। आप भी सही हैं, हम भी सही हैं। अब यह स्थिति बड़ी हो गयी है कि जब सदन में यह स्थिति पैदा हो जाय कि आसन....

श्री अध्यक्ष : आप समझदार आदमी हैं जटिल से जटिल समस्या सुलझा सकते हैं। आप सुझाव दीजिए....

श्री भंवरलाल शर्मा : I will be helping you, जब आप आसन पर बैठ कर यह अनुभव करें कि आप नाराज हैं तो मानव स्वभाव भी है, आपका आचरण कुछ थोड़ा सा कठोर होगा। आप बड़े हैं इसलिए उस कठोरता में कमी रहेगी। लेकिन अगर यह धारणा है कि इधर विरोध में जो लोग बैठते हैं, उनकी आपसे नाराजगी है तो विपक्ष से जो सहानुभूति रहती है, उसमें कमी आयेगी। हमारे मन में भी यह बात है कि आज अध्यक्ष महोदय हमारे साथ अच्छा आचरण नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह आप कल शाम से ही महसूस कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, कल शाम से कर रहे हैं There are reasons for it। यदि कर रहे हैं तो कोई अकारण नहीं है। जो कार्य कर रहे हैंउसका कोई कारण है। कल केवल इतनी बात थी कि बेरी आयोग पर सरकार यह कह दे कि वह उस पर कार्यवाही कर रही है।

श्री अध्यक्ष : बेरी आयोग पर मुझे अगर स्टेटमेन्ट देना होता तो तत्काल ही मैं स्टेटमेन्ट देता। स्टेटमेन्ट सरकार को देना था, मुख्य मन्त्री जी बाहर पधारे हुए थे, करोड़ों का मामला था इसलिए तत्काल मन्त्रिमण्डल तैयार नहीं था। इतनी सी ही तो बात थी। कल आपकी भावना को मैंने समझा और समझ कर मैंने मुख्य मन्त्री जी से और राज्य सरकार से निवेदन किया कि इस बारे में काफी आक्रोश है माननीय सदस्यों में। इसलिए इसमें सरकार ने तैयारी कर ली। फिर विवाद का विषय कौन सा रहा।

जहां तक किन्हीं माननीय सदस्य के निलम्बन का प्रश्न है, उसके बारे में मैंने सुबह ही कह दिया था, अगर प्रस्ताव आता है तो....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कोई प्रस्ताव नहीं, आयेगा।

श्री अध्यक्ष : कोई प्रस्ताव नहीं तो जरूरी भी नहीं, यह मैं आपको बता दूं, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका डिस्क्रिशन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं करेंगे। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका विवेक है। ×××

श्री अध्यक्ष : कायदे से बोलिये, माननीय सदस्य, आवेश में आकर बोलेंगे तो....

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसके क्या मतलब है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आवेश में नहीं बोल सकते। कृपया आप सदन से बहिर्गमन कर जाइये।

(बहिर्गमन)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, आप निकाल दीजिए हमें....

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र का यह....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। आप बाधा नहीं डालें। आपके नेता बोले रहे। मैं इस तरह से बरदाश्त नहीं करूंगा। कृपया....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर आपकी नाराजगी का इजहार और हो गया। तो में आपसे निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : नियमों का पालन करते हुए, न्याय करते हुए नारागी हो तो मैं क्या करूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसे मसले रोज खडे होते हैं। ऐसे प्रसंग रोज खड़े होते हैं। रोज माननीय सदस्य अपनी बात रखने के लिए यहां पर बोलते रहते हैं। आज तक कभी आपने किया है ऐसा....

श्री अध्यक्ष : अब इस पर चर्चा नही होगी, माननीय सदस्य। आप अन्य कोई बात कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, मैं कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अब आगे चर्चा नही होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : ××××

श्री अध्यक्ष : आपकी बात मान ली है। सरकार की ओर से स्टेटमेंट, यह उत्तर दिया गया है। बाकी बात है....

श्री भंवरलाल शर्मा।

सहानुभूतिपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : वह केवल शब्दों से नहीं होगा, । वह केवल शब्दों से नहीं....

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही चलने दीजिए, फिर देखेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह शब्दों से नहीं होगा, ×××

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

ठहरिये, सुनिये....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आसन के आचरण के प्रति आक्षेप करना कहां तक उचित है।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री नन्दलाल मीणा : आप आचरण की क्या बात बता रहे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर। प्लीज। आसन पैरों पर है। बैठ जाइये। बैठ जाइये। आर्डर। आर्डर। सदन के नेता महोदय।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सत्र के चलने के साथ ही मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि सत्ता पक्ष की ओर से हर सम्भव सहयोग देने के बावजूद विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों का एक रूख बनता जा रहा है कि जो कार्यवाही सदन में सरकार की ओर से प्रस्तुत की जावे, बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस सदन के माननीय सदस्यों के बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण सुझाव आवें उनसे....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : This is wrong and irresponsible statement.

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये सुनिये।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय बोल रहे हैं, सुनिये।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपकी बात को बहुत शान्ति से सुनता रहा हूं पौने दो घण्टे तक और अब तो दो घण्टे होने आए।

मैं ऐसा समझता हूं कि किसी भी सदन में, हमारे देश के किसी भी सदन में और यहां तक कि हमारी सर्वोच्च पार्लियामेंट है उसमें भी इस प्रकार के प्रश्नों को लाने का एक तरीका है लेकिन यहां मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ दिनों से एक ऐसी पद्धति बनती जा रही है असीम तरीके से, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस चीज को लागू किया जा रहा है। नतीजा उसका यह हो रहा है कि बहुत से महत्वपूर्ण सवालों पर जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उससे उनको वंचित रखा जा रहा है। आप बार बार इस बात की दुहाई देते हैं कि हम लोग जनता के द्वारा चुन कर आये हैं और हमारे मौलिक अधिकार हैं अपनी बात को यहां पर कहने के अपनी बात को रखने के। मैं, अध्यक्ष महोदय, बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप जनता के द्वारा चुन कर आये हैं तो यह 137 जो इधर की तरफ यहां पर बैठे हैं, भी जनता की तरफ से चुन कर आये हैं। इनको भी उतना ही अधिकार है जितना आपको अधिकार है। उतना ही अपनी बात को रखने का इस तरफ बैठने वाले लोगों को भी अधिकार है....

(व्यवधान)

हम लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए जिम्मेदारी ज्यादा है कि हमारे पास सत्ता है, हम राज्य का संचालन करते हैं। इसलिए उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हमने बहुत जब्त करके आपकी बात को बहुत गंभीरता से सुन करके, बहुत सी बातों को पी करके भी एक प्रकार से चुप रहने की प्रवृत्ति अपना रखी है। हमने हमेशा मौका इस बात का दिया कि विरोधी

(श्री शिवचरण माथुर)

पक्ष के लोग बोलें, माननीय सदस्य बोलें, उनकी बात को सुनें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जब जब भी आपने आदेश दिया है सरकारी पक्ष की ओर से उसका पूरी तौर से पालन किया गया है। आपने जो भी आदेश दिये हैं, जिन विषयों पर यहां पर वक्तव्य दिलाने वाली बात कही है, मैं ऐसा मानता हूं कि उन विषयों पर वक्तव्य ही नहीं बल्कि जो माननीय सदस्यों के द्वारा यहां पर चर्चा उठाई जाती है उसको भी सुनने का समय आपको नहीं है। केवल एक आधार को ले करके, किसी भी आधार को ले करके किसी प्रकार से सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाला जाय, यदि इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा तो मैं समझता हूं कि कितना काम चल सकेगा यह आपके देखने का सवाल है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो संविधान हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बनाया उसके अन्तर्गत जो नियमों का निर्माण किया गया है, जो कानून बनाए गए, उसमें हर तरह का प्रावधान मौजूद है किस तरह की उपस्थिति हैं। किस तरह की क्या क्या प्रक्रिया प्रत्येक मसलों पर हो, जो प्रश्न सदन में उपस्थित हों उनको किस प्रकार से निपटाया जावे, माननीय सदस्यों के सवालों को किस प्रकार से सदन में उठाया जावे, सब तरह की व्यवस्था यहां मौजूद है। प्रश्न काल के अन्दर मान लीजिए, आपका प्रश्न कोई लैप्स हो गया है तो आप दूसरे माध्यम से उसकी चर्चा यहां पर उठा सकते हैं। सारी की सारी बातें हमारे रूल्स में, नियमों में दी हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि इस सदन के सम्माननीय सदस्यों ने इन रूल्स को और गहराई से देखा है और कई बार परिवर्तन भी किया है। परिवर्तन इस बात को समझ कर किया है कि बात भी आपकी पहुंच जाय और सदन की कार्यवाही ठीक तौर से आगे चालू रहे। लेकिन मुझे दुःख है, खेद है कहते हुए कि इन सारे नियमों को ताक में रख करके, संविधान की सारी प्रक्रिया को ताक में रख करके एक योजनाबद्ध तरीके से सरकारी पक्ष की ओर से कोई कार्यवाही की जावे उसको लगातार आगे टालने की कोशिश की जावे, यह विरोधी पक्ष का एक रवैया बन गया है। यही कारण है, मान लीजिए कि कल शिक्षा की मद पर कई बातें पेश नहीं कर सके और आसन के पास भी सिवाय इसके कोई चारा नहीं था क्योंकि जब आप सदन की कार्यवाही चलने नहीं देते हैं तो उनको अपनी कार्यवाही पूरी करनी होती है। नियमों के अनुसार जो कार्यवाही की गई वह आपके सामने है। उसके बाद भी आज मैं देख रहा हूं बैठा बैठा यहां पर दो घण्टे से लगातार, प्रश्नकाल के बाद से लगातार दो घण्टे से मैं देख रहा हूं किसी न किसी बहाने से पोइन्ट आफ आर्डर उठा करके इस कार्यवाही को आगे टालने की कोशिश की जा रही है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले भी यहां पर निवेदन किया था कि यदि विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य नियमों के अनुसार कार्यवाही करते हुए सही ढंग से प्रश्नों को उठायें तो उनके प्रश्नों का उत्तर भी सही ढंग से मिल जाएगा और ज्यादा कारगर तरीके से मिलेगा। लेकिन यदि

(श्री शिवचरण माथुर)

सरकार को केवल एम्ब्रेसिंग पोजीशन में डालने की कोशिश की जावे तो आखिर राजनीति में आप भी रहते हैं और राजनीति से बाहर हम लोग भी नहीं हैं, हम लोग भी राजनीति में जिन्दा रहना जानते हैं। यदि किसी समस्या का राजनैतिक लाभ उठाने की चेष्टा आप करते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग भी अपनी नीतियों के आधार पर जनता के माध्यम से चुन कर यहां पर आये हैं, हम लोग कोई नोमीनेटेड सदस्य नहीं हैं, जैसे आप लोग चुन कर आये हो, हम भी उसी प्रकार से चुन कर आये हैं, नोमीनेटेड सदस्य के नाते यहां पर नहीं बैठते हैं। आपने अपनी नीतियों के आधार पर सन् 77 में हमको हराया। आप यहां पर बैठते थे। आप उन नीतियों का पालन नहीं कर सके, जनता के विश्वास के अनुरूप आप सम्पादन नहीं कर सके, उसके बाद में जनता ने आपको उधर भेज दिया तो आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आपका कोई हक है तो इधर बैठने वालों का भी हक है। इधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहां पर रखना चाहते हैं। आप उठा कर देख लीजिए, इस सदन की प्रोसीडिंग्स को उठा कर देख लीजिए, इस पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य कितनी ही बार अपनी बात को कहना चाहते हैं उसमें व्यवधान आपकी ओर से कितना डाला गया है। इसका मतलब साफ है कि इधर की तरफ बैठने वाले लोगों को आप उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं केवल इस आधार पर कि आपको जोर से कहना आता है और हम चुपचाप उसको संजीदगी से सुन करके जो कुछ भी यथासम्भव बन पड़ता है उसको करने की कोशिश करते हैं, यह मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं। साथ ही उस पक्ष में बैठने वाले सभी पार्टी के नेता महोदयों से मैं कहना चाहूंगा कि वे इस प्रकार की प्रक्रिया यहां पर चालू करें जिससे उनकी बात भी यहां पर आ जावे और सदन की कार्यवाही भी बाकायदा ठीक तरह से हो।

मैं एक बात और आपसे निवेदन करूं कि जो प्रश्न यहां पर पूछते हैं उस प्रश्न का जवाब देने के लिए कितना रुपया, कितना धन राज्य सरकार का खर्च होता है। हमारे मंत्रीगण सुबह से लगा करके शाम तक कितनी बार सप्लीमेंट्री की जानकारी के लिए, जानकारी इकट्ठी करने के लिए कोशिश करते रहते हैं और हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि यह सप्लीमेंट्री आएगा तो मैं यह जवाब दूंगा। लेकिन वह सप्लीमेंट्री तो एक तरफ रह जाता है और विषय से दूर जा करके, उस सारी बात को एक तरफ रख करके सदन का समय, कितना समय बर्बाद जाता है यह सदन के सोचने का प्रश्न है। मैं तो अपनी ओर से, अपने पक्ष की ओर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी तरफ से कभी भी असहयोग का वातावरण देखने को नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा। हम सहयोग करना चाहते हैं, विरोधी पक्ष की बात भी सुनना चाहते हैं। विपक्ष जो कुछ कहे उसे सुन करके अगर उनकी अच्छी बात

(श्री शिवचरण माथुर)

हो तो उस पर एक्ट भी करना चाहते हैं लेकिन विपक्ष की ओर से केवल राजनैतिक आधार बना करके सरकार को एम्ब्रेसिंग पोजीशन में डालने की चेष्टा की जावे तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत गम्भीरता से और बहुत दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि हम लोग भी राजनीति में जिन्दा रहना चाहते हैं । × × × इस प्रकार की एम्ब्रेसिंग पोजीशन में डालने की बात से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं । हम भी जनता का मत लेकर यहां पर आए हैं । जो कुछ भी आज राजस्थान के सामने समस्यायें हैं, कौन नहीं जानता कि राजस्थान के सामने समस्या क्या है और किस प्रकार से पैदा की गई है । उसको पैदा करने का कारण कौन है, यह भी आप जानते हैं । इस सदन के बाहर अगर आपसे बात करेंगे तो दूसरी तरह से बात करेंगे । ठीक है, साहब, ओवर ड्राफ्ट है, राज्य में वित्तीय संकट है । हमारे विकास को आगे बढ़ाने का सवाल है । कर्मचारियों का प्रश्न भी है । यह सब प्रश्न हैं । आप सदन में बैठ कर एक दृष्टिकोण अपनाते हैं, सदन के बाहर अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं, मैं समझता हूं कथनी और करनी में अन्तर है....

श्री देवीसिंह भाटी : वह आपको में है ।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : मैं इस सदन में वर्षों से बैठता आया हूं, इस सदन की अच्छी परम्पराएं रही हैं, सदन ने अच्छी परम्पराएं डाली हैं, मैं बहुत गम्भीरता से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की यह परम्परा रही है, कोई बात यहां कही हो लेकिन कटुता की भावना कभी दिमाग में नहीं आई । आज परम्परा अच्छी बनाना चाहते हैं, परम्पराओं को सुधारना चाहते हैं, और सुधार उनमें लाना चाहते हैं । मैं विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं । जहां तक मेरे पक्ष का सवाल है, मेरे पक्ष के माननीय सदस्य बहुत बातों को पीते हैं, शांति से सुनते रहते हैं। हमारी जिम्मेदारी को देखते हुए हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है । जब भी सीमा से बाहर कोई बात कही जाये, मैं समझता हूं उसकी अति होती है । अब ऐसा लगता है, उस अति की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस अति की ओर न बढ़कर, नियमों के अन्तर्गत जो बात उठाना चाहें, वह उठायें । मैं सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं, यह सरकार कभी भी आपके द्वारा उठायी गयी चीजों को टालने की कोशिश नहीं करेगी ।

जहां तक कल कर्मचारियों की हड़ताल का सवाल यहां उपस्थित हुआ, मैं कल यहां नहीं था । जो बात कल यहा सदन में हुई, मैं समझता हूं, किस के लिए कितनी अच्छी आप मानते हैं, यह आपके सोचने की बात है । लेकिन वह अच्छी बात नहीं है । हमने कभी भी आसन की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया । 18 तारीख को प्रस्तावित

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री शिवचरण माथुर)

कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल हुई, शासन ने आज्ञा दी कि उसके संबंध में राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से वक्तव्य देने की आज्ञा को कभी भी टालने की कोशिश नहीं की गई है। आपकी आज्ञा के अनुसार कल इस संबंध में एक वक्तव्य सरकार की ओर से दे दिया जायगा। मैं ऐसा मानता हूं, जिस भावना से प्रेरित होकर माननीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत संजीदगी से, गंभीरता से आपके सामने निवेदन किया, आपके सामने अपील की, बार बार इस हाउस में आर्डर बनाये रखने की, उसके बाद बार बार आसन की ओर आप इशारा करके उनके पद को एक प्रकार से चेलेन्ज करने की कोशिश करते हैं, यह संसदीय परम्पराओं के कितना प्रतिकूल और अनुकूल है, यह आप सोच लीजिये। मैं समझता हूं, आगे आने वाली पीढ़ियां, इस सदन में जो कुछ होता है. वह पढ़ेंगी, सुनेंगी। उस पर रिसर्च होगा, उस पर अनुसंधान होगा। जब अनुसंधान होगा, रिसर्च होगी, उस समय हम लोगों के लिये क्या कहा जायगा, यह आपके सोचने का सवाल है। मैंने अपनी भावना आपसे कही, मुझे उम्मीद है, उस भावना को ध्यान में रखते हुए आप यदि सहयोग चाहते हैं तो हम सहयोग देने के लिये तैयार हैं। लेकिन यदि सरकार को एम्ब्रेसिंग पोजीशन में डालने की बात आप करेंगे, किसी भी परिस्थिति का राजनैतिक लाभ उठाने की चेष्टा आपने की तो उसी प्रकार का हमारा भी रुख इस संबंध में होगा। यह बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं निवेदन....

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर कोई चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : इसका मतलब हमारी हर बात में निहित स्वार्थ होता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से वक्तव्य नहीं दिया गया है। सदन के नेता के नाते अपने विचार रखे हैं।

(व्यवधान)

कृपया नियमों का ध्यान रखिये। आर्डर आर्डर।

ऐसा है, वर्तमान में मंत्री जी, वन मंत्री जी का जो वक्तव्य हुआ है....

श्री कैलाश मेघवाल : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर सुनने से पहले मैं माननीय सदस्यों का ध्यान....

श्री कैलाश मेघवाल : वह नियम हमने पढ़ रखे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नियमों को फिर सुना देता हूं। उसके अनुसार कार्यवाही कर रहा हूं। यह निवेदन कर रहा हूं यह आपके भी ध्यान में है।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट विराजें।

श्री अध्यक्ष : आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की खुशी है कि इतने समय के बाद, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी बात कही। आज से कुछ दिन पहले, मुझे मालूम है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब स्वर्गीय सुखाड़िया जी को यहां श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी तब यह बात कही गई, यह सच है मेरा विधान सभा का काल बहुत कम है, लेकिन मैंने पुराने रेकार्ड पढ़े हैं, सुखाड़िया जी ने नेता के रूप में जिस तरह से इस सदन को चलाया, जो विशालता, जो शालीनता, जो संजीदगी सुखाड़िया जी ने बतायी, हमको खुशी होती, अगर वही आज सदन के नेता बताते। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सदन को चलाने की जहां आप जिम्मेदारी समझते हैं, सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, वह आप तक ही सीमित नहीं है, अध्यक्ष महोदय। सदन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी सदन के नेता की होती है। यह सदन के नेता को देखना होता है, सदन किस तरह से चल रहा है, किस तरह से नहीं चल रहा है। प्रतिपक्ष के लोगों को विश्वास में किस तरह से लिया जाये, किस तरह से नहीं लिया जाये। हम एक जनतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। देश में जनतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था का सबूत यह है कि कितने कटु और एक दूसरे के विरोध के भाषण देने के बाद मन के ऊपर कोई असर नहीं रहता। यहां पर हम भाईचारे की तरह, सोहार्दपूर्ण वातावरण में बैठते हैं....

श्री अध्यक्ष : वही पद्धति अपने यहां अपनाएं, मेरा यही नम्र निवेदन है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, मुझे पूरी बात कहने दीजिये।

अभी आपके और हमारे मुख्य सचेतक के बीच कुछ चर्चा हुई, सारा सदन इस बात को जानता है; कुछ टेंश एटमाशफियर है। मैं निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में × × × हुई, लेकिन उनकी कार्यवाही खतम नहीं हुई। आज के पहले भी इस सदन में जैसा कि अभी सदन के माननीय नेता ने कहा, कई मौके ऐसे हुए, इनसे भी ज्यादा गम्भीर चीजें पैदा हुई, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं, आज मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं माननीय मोहनलाल जी सुखाड़िया को, जिस तरह से उन्होंने उस एटमाशफियर को समझा, जिस तरह शालीनता दिखा कर के वापस जनतांत्रिक मर्यादाओं और गरिमा के अनुसार शासन चलाया, आज हम उम्मीद करते हैं माननीय मुख्य मंत्री जी से उसकी....

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई,

(श्री कैलाश मेघवाल)

(व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपसे निवेदन कर दूं, आदरपूर्वक, भाषण नहीं होगा, ××× अभी तक समझ में नहीं आया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां जो शब्द बोला जाता है, वह प्रत्येक शब्द भाषण है ? चाहे हम पूरक प्रश्न पूछें, तो भाषण है ? चाहे वक्तव्य में अपनी बात कहें, तो भाषण है ? हम भाषण देने का अधिकार रखते हैं, लेजिस्लेचर का नियम है....

श्री अध्यक्ष : आपको अवसर दिया गया, विषय पर बोलें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रसी का मतलब ही यह है : Party in majority must have their way; and the party in minority must have their say.

हमारा तो केवल 'say' हैं, इस भावना की कद्र करता हूं, माननीय मुख्य मन्त्रीजी हमारे 'say' का आदर करेंगे। लेकिन, मुख्य मन्त्री जी, कल से जिस तरह का एटमाशफियर चल रहा है, मेरा ऐसा ख्याल है, मैं क्षमा चाहते हुए निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय यह समझते हैं, सारे सदन की जिम्मेदारी उनकी है। बार बार अध्यक्ष महोदय डराने की भावना अपनाते हैं, 'नियमों का उल्लेख करिये' 'समय बरबाद कर रहे हैं, जिस ढंग से यह शब्द बार-बार कहे जाते हैं, मुझे इस पर एतराज है। मैं कहना चाहता हूं, सदन के नेता इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें। अपोजिशन के राज बहादुर जी यहां बोलते हैं, जो लोकसभा से आये हैं, आप ही के पक्ष में रहे हैं, आपके साथ मन्त्री रहे हैं, केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में, वे जब बोलते हैं, उनके लिये इस तरह के रिमार्क्स आ जाये, 'सदन का समय बरबाद कर रहे हैं' तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम किस ढंग से इस समय जी रहे हैं ? इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं, इस पर कोई सार्थक बात हो सकती है, कोई तर्क वितर्क कर सकते हैं। आज सबसे गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। मैं निवेदन करूं, मैं भूतपूर्व खनिज मंत्री हूं, खनिज के मामले में मैं कुछ कहना चाहता था। मैं जो आज तैयारी करके आया था, उस तैयारी के आधार पर कहना चाहता था, खनिज के आधार पर आज राजस्थान की रेवेन्यू की क्या प्रगति हुई। मैं सुझाव भी देना चाहता था। लेकिन मन जल रहा है। आपका साथ ही नहीं, मैं फिर सुझाव किसको दूं, जब आपकी तरफ देखते हैं, फिर जिस तरह का, माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव स्वभाव है, ××× नमस्ते करने के लिये हाथ भले ही जोड़ लेंगे, नमस्ते जी।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । समाप्त कीजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, माननीय मुख्यमन्त्री जी, इस तरह का सरचार्ज्ड एटमाशफियर, टेंशन का रुख सदन में चल रहा है, उसमें क्या आप सदन चलाना चाहते हैं । यह हमको भी मालूम है, आप राजनीति नहीं करना चाहते हैं, राजनीति हम भी नहीं करना चाहते हैं। यह भी हमको मालूम है, चुने हुए आप भी आये हो, चुने हुए हम भी हैं । यह भी हमको मालूम है जो भी अधिकार इस सदन ने दिये हैं, सदन में उनके तहत अध्यक्ष महोदय अपना कार्य चलाते हैं । यह भी हमको मालूम है, अध्यक्ष महोदय को हटाने की कुछ व्यवस्था है, उनके अन्तर्गत कुछ बोला जा सकता है । लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस सरचार्ज्ड एटमाशफियर को समाप्त करने में आप मदद दीजिये । आपकी यह गरिमा है । आपको माननीय अध्यक्ष महोदय को विश्वास में लेकर, माननीय अध्यक्ष महोदय को आपको विश्वास में लेकर सदन को चलाना चाहिये । जैसा मैंने देखा है, अध्यक्ष महोदय, आप हर बात में यह समझते हैं, मेरे खयाल से डिस्कशन तो गवर्नमेंट खुद चाहती है, सदन के नेता चाहते हैं, सदन ने आपको अधिकार जो दिये हैं. आपको वह अधिकार है (अश्रव्य) हमें भी कुछ अधिकार हैं । उसी अधिकार से हम पूछना चाहते हैं, आप हमको नाराज करना चाहें, आप हमको अप्रसन्न करना चाहें, तो हीट क्रियेट होगी । कई ऐसे मसले आते हैं, मैं यह नहीं मानता कि हम राजनीति नहीं चलाते हैं, कई बार हम राजनीति चलाते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, शान्ति का वातावरण हो, इसके लिये कल से क्या प्रयत्न किये गये । सदन के नेता ने क्या प्रयत्न किये कि सदन का वातावरण गंभीर हो गया है, सदन में जो कटुता आ गई है वह कटुता समाप्त हो । अगर कटुता रही तो वह जनतन्त्र के अनुकूल नहीं है । अगर इसी तरह का वातावरण रहा, आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास रहा तो वह भी जनतांत्रिक परंपरा के अनुकूल नहीं है । इसलिये, माननीय सदन के नेता महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप इसी तरह से सदन को चलाना चाहते हैं ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप लम्बे समय से सदन के नेता रहे हैं, आप माननीय सुखाड़िया जी के पुराने वक्त में जो कदम उठाये गये उनको अपनायें तो मुझे खुशी होगी । मैंने केवल एक आध दिन में उनको पढ़ा मात्र है, सुना मात्र है । मेरा यह निवेदन करना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सदन में शांत वातावरण कायम करें अन्यथा कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पायेगी, तर्क वितर्क से कुछ निकलेगा नहीं । एक ओर उनकी इच्छा पूरी करने के लिये, जस्टिफाई करने के लिये कहते हैं कि पैसा उनको मिलेगा । यह हम भी जानते हैं । हम भी यह जानते है कि 137 का दम सदन के नेता महोदय ने मारा । 137 के दम पर प्रस्ताव लाकर हम को सदन से निकाला जा सकता है, यह हम भी जानते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, 137 आपके साथ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते । लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति से जनतांत्रिक व्यवस्था कैसे चलेगी ? जनतन्त्र की व्यवस्था तो बड़ी डेलीकेट है । उस जनतन्त्र की व्यवस्था के

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रति विश्वास उठता चला गया है, उस शासन के प्रति लोगों की भावना में कमी आती जा रही है। वह इसलिये आ रही है कि कहीं न कहीं हमारी कार्यप्रणाली में कमी है। कमी न हो, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। उस कमी के कारण अगर कहीं भी हैं तो हम को दूर करने पड़ेंगे जनता का विश्वास जीतने के लिये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्य-वाही आगे चले लेकिन उसके पहले यह जो टेंशन आ गया है, ××× मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्षमा चाहते हुए, ××× एक पुस्तक जो है वह आपके हाथ में लेकर यों बताते रहिये, हम भी लेकर बताते रहेंगे, और हमें भी आप आदेश देंगे तो चले जायेंगे। हम अनुशासित दल के लोग हैं और हमारे दल का निश्चय है कि हम कभी भी सदन की मर्यादा को नीचे नहीं गिरने देंगे, सदन की व्यवस्था बनाने में मदद देंगे, सहयोग देंगे। सदन की व्यवस्था बनाये रखने के आपको अधिकार हैं लेकिन अधि-कारों का प्रयोग कैसे हो रहा है यह मुद्दे की बात है। इसको नहीं देखा जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले जायेंगे, वाक आउट होगा या आप निकाल देंगे। मैं केवल निवेदन करना चाहता हूं कि इस टेंशन को ठीक करें।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : मैं किसी भाषण की इजाजत नहीं दूगा।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति लेकर कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : वन मन्त्री जी के वक्तव्य पर....

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मैं आपका सहयोग करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बार बार पाइन्ट आफ आर्डर उठाया जा रहा है। मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्नों पर शासकीय वक्तव्य

श्री राज बहादुर : मैं विनती करना चाहता हूं कि एक असाधारण बात हुई है। माननीय मुख्य मन्त्री जी से एक विनती करना चाहता हूं, इन्होंने बहुत अच्छी रच-नात्मक भावना से जो कुछ भी कहा वह कहा लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया है। स्वीपिंग स्टेटमेंट है इसलिये वातावरण आदर्श नहीं है, वातावरण में खिचाव है, तनाव है। इसको शांत करने के लिये क्या सोचते हैं? जो भी स्थिति पैदा होती है क्या उसके

(श्री राज बहादुर)

लिये एक ही पक्ष जिम्मेदार है ? कोई न कोई कारण होता है उसमें जाना चाहिये। उसमें जाये बिना काम नहीं चलेगा। आपने जो इस विषय में, बेरी कमीशन के बारे में कहा यह कल कह दिया होता तो स्थिति खराब नहीं होती। मैं इसलिये कहूंगा, वह हमसे अपील करते हैं। मैं दलबन्दी 137 और 525 जो कुछ भी हो, मैं नहीं जाना चाहता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आदर्श स्थिति नहीं है, वातावरण आदर्श नहीं है। आपने स्टेटमेंट जो भी कुछ दिया है उसमें राजनीति है कि हमारे पास 137 हैं, तो इतना बड़ा आर्सीनल, नहीं मुझसे तो नहीं कहा....

श्री शिव चरण माथुर : मैने निवेदन इसलिये किया है कि यह जो प्रक्रिया चल रही है उसका जो आधार है उसको बदला जाना चाहिये।

श्री राज बहादुर : उस आधार को बदलने में सहयोग आवश्यक है। आपके मन्त्रिगण और आप समय पर आवश्यक उत्तर देना नहीं चाहते तो वह भी कह दें लेकिन आवश्यक रेस्पांस देना चाहिये, आखिरकार रेस्पांसिबल गवर्नमेंट है। रेस्पांसिबल नहीं तो कम से कम रेस्पांसिव तो होनी ही चाहिये। सरकार का एक कर्त्तव्य यह है कि जो भी मुद्दा हो, जो हमें नहीं सारी जनता को उद्वेलित कर रहा है उसमें आपका मंतव्य, आपका स्टेन्ड, आपका एटीट्यूड सामने आना चाहिये ताकि दुनिया समझ सके कि आप कहां हैं कहां नहीं।

श्री शिव चरण माथुर : मैं निवेदन करना चाहता हूं मैंने निवेदन यही किया था कि जो प्रश्न आप पूछते हैं हमारे मंत्रिगण कई बार देखते हैं कि उसमें क्या सप्लीमेंट्री हो सकता है, क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं, उसकी सारी तैयारी करके आते हैं। लेकिन आप चाहें कि जो आप चाहें वह कह दें, उससे आपको संतोष हो। जो आप चाहें वह कह दें उससे आपको संतोष होगा, इसका इलाज मेरे पास नहीं है, किसी के पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्री शिव चरण माथुर : आप भी पहले केन्द्रीय सरकार में मंत्री रहे हैं ! मैं समझता हूं आपने भी सवालों का जवाब अपने विवेक से दिया होगा। बहुत बार विरोध पक्ष के लोग जो कहते हैं उसका कांट्रेडिक्शन किया होगा, प्रतिवाद किया होगा। मैं कभी भी नहीं मान सकता कि कोई भी आदमी जो सामने वाला पूछे, उसी के अनुसार जवाब दे दे। जो वास्तविकता है उसके आधार पर सरकार की ओर से जवाब दिया जाता है और सारी तैयारी से दिया जाता है, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राज बहादुर : इसमें मेरी कभी भ्रांति नहीं है....

सुश्री पुष्पा जैन : मुख्य मंत्री जी गौर कर लें, सवालों का जवाब तैयारी से नहीं आता है उसके बावजूद जब हम उद्वेलित पाइन्ट को आपके नोटिस में लाना चाहते हैं तो हमें जबरदस्ती बिठाया जाता है, कहने का अवसर नहीं दिया जाता। हमारा प्रतिरोध यही है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, और कुछ नहीं कहना है, अभी प्रश्न खड़ा हुआ बेरी कमीशन का....

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन मोदी।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियम 144 की तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूं। अनुदान की मांगों पर मतदान हो रहा है उसके अन्दर हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों की आसन ही रक्षा करता है। कल इस प्रश्न पर वातावरण बना, कल इतनी भारी रकम राज्य सरकार ने चाही थी उस पर हम को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। मैं यह व्यवस्था चाह रहा हूं, कम से कम आज इस अवसर पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं हो। अगर इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो यह आसन का अधिकार है, कर्त्तव्य है कि हम को हमारे मोशन पर बोलने का अवसर प्रदान करें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव ठीक है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा निवेदन यही था, माननीय नेता महोदय ने बेरी कमीशन के बारे में कहा। हमने यह कभी नहीं कहा कि हम जो चाहते हैं वही उत्तर आप दे दें। जो कल स्थिति बनी वह प्रलोंग्ड, 6 महीने के लगातार प्रयास का परिणाम थी। चार चार महीने से बेरी कमीशन लागू करने की गारंटी आपके मुख्य सचिव दे रहे हैं। आप दे रहे हैं। लगातार सरकार को कर्मचारियों की तरफ से नोटिस आ रहे हैं। लगातार अव्यवस्था की प्रक्रिया धीरे धीरे पैदा होती चली जा रही है। आप कल नहीं थे, समझ में आ गया। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय नेता महोदय, क्या आपके जाने के बाद राज्य सरकार सारी चली जाती है? एक क्षण में आवेश में आ गये। फिर चर्चा की गई, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भी मुझे बारीकी दीखती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय बैठे थे उन्होंने कहा था कि जो वक्तव्य आयेगा वह आज के स्थगन प्रस्ताव पर आयेगा और बेरी कमीशन के ऊपर भी आयेगा। मुझे अभी भी डर लग रहा है, जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, जो बातें कही जा रही हैं उनमें कहीं प्रकट नहीं हो रहा है कि बेरी कमीशन के बारे में सरकार क्या रुख अखित्यार करेगी, कब तक लागू करेगी। इसके बारे में अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। मैं, माननीय नेता महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह राजस्थान के साढ़े तीन लाख लोगों को, उनके परिवार के 20 लाख लोगों को उद्विग्न करने का सवाल है। 18 तारीख से हड़ताल करने का नोटिस है। इसी समय विद्यार्थियों की परीक्षाएं प्रारम्भ होने वाली हैं। उससे राजस्थान का सारा जन जीवन जुड़ा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसे सामान्य विषय के रूप में मत लीजिये। कल भी कोई प्रभारी मन्त्री महोदय इस बात की चर्चा कर रहे थे कि इतना इंपार्टेंट इश्यू खड़ा हुआ है जिसने जन मानस, राज्य की सारी शक्तियों को उद्वेलित कर रखा है। लेकिन वक्तव्य देने की स्थिति नहीं होती है। इसके कारण

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

एक के बाद एक स्थिति पैदा होती गई। दाऊदयाल जी निकाले गये। उस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव कल आया। किन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बीच में समझौता करने की दृष्टि से हम सब लोगों ने प्रयत्न करने की कोशिश की उसके बाद भी ट्रेजरी बेंचेज के लोगों ने यह प्रयत्न किया कि यह स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। मुझे कोई एतराज नहीं, दाऊ दयाल जी यहां हों या न हों। दाऊ दयालजी बाहर गये, हम भी बाहर चले जायं तो कोई बात नहीं। उस वातावरण को शांत करने की कोशिश की गई। किन्तु सारे समय रुख यही था कि जो अनाउंस करना था वह दिया। कर यदुनाथ सिंह जी को वह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतनी ही बात कह कर समाप्त करूंगा, इस कारण से सारा समाज उद्वेलित है, बच्चे उद्वेलित हैं, कर्मचारी उद्वेलित हैं और सरकार 6 महीने के नोटिस के बाद भी यह कहने की स्थिति में नहीं है कि आज कहेंगे, कल कहेंगे। आज भी श्योर नहीं है। मैं चाहता था माननीय नेता महोदय आगे होकर हां कह दें। बेरी आयोग 7 महीने से लिगर आन हो रहा है उसके कारण आज कर्मचारियों में यह भावना पैदा हो रही है। मैं नहीं कहना चाहता लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कल ऐसी बात हुई, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई कि हम अपने अधिकार से वंचित कर दिये गये। वही क्रम कन्टीन्यू चल रहा है। वही स्थिति आज है। आपका रोष है....

श्री अध्यक्ष : रोष तो आपको है। हमारा कोई रोष नहीं है।....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। इस बात की चर्चा नहीं होगी। समाप्त कीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकार तो कम से कम रहने चाहिये। ऐसी स्थिति हुई है....

श्री अध्यक्ष : आपको लगता है लेकिन ऐसा नहीं है।....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया जाय।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : +++

श्री अध्यक्ष : आर्डर। अंकित न हो।

अनेक माननीय सदस्य :+++

(भारतीय जनता पार्टी का बहिर्गमन)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह आसन के ऊपर आरोप है। हम इसका विरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कल....

+++माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : यह चर्चा का विषय नहीं है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : चर्चा नहीं कर रहा हूं, सुझाव दूंगा।

मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कल सदन में जो वातावरण पैदा हुआ, और आज मुख्य मन्त्री ने यहां पधार कर एक वक्तव्य दिया जो उनके पद की गरिमा के अनुकूल था। मेरा निवेदन यह है उन्होंने कहा है कि सदन में सत्ता पक्ष के सदस्य कुछ विचार प्रकट करना चाहते हैं। उनको विचार प्रकट करने का अधिकार है। हमारा भी अधिकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहता था, इस प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। सबको अपना मत प्रकट करने का अधिकार है, परन्तु कल कुछ ऐसा वातावरण हो गया, उसकी पुनरावृत्ति न हो। आज भी टेन्शन है उसको दूर करने में सदन के नेता की तरफ से पहल होनी चाहिये थी। वह त्रुटि रह गई, वह कमी रह गई। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें सुधार करने के लिये ऐसा प्रस्ताव लाते जिससे दाऊदयाल जी का निलम्बन वापस लिया जाता तो यह उनके पद की गरिमा के अनुकूल होता। मेरा निवेदन है कि आप इस पर पुर्नविचार करें।

श्री अध्यक्ष : श्री तावड़।

मंत्री जी के वक्तव्य पर बोलेंगे।

(व्यवधान)

यह चर्चा का विषय नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है कि जो सत्ता पक्ष है वह मेजोरिटी में है। कल जिस तरह का वातावरण हुआ, यह एक रोष था, जो वाजिब था। हमारे जो प्रश्न आते हैं उनका सही ढंग से उत्तर नहीं दिया जाता है। जो स्थगन प्रस्ताव आते हैं, जो जनता के लिये महत्वपूर्ण होते हैं, उनको भी खारिज करके उन पर सरकार बयान नहीं देती है। सत्ता पक्ष ने, मुख्य मंत्रीजी ने यह बात किसी भी रूप में कही है उन्होंने, कहा कि हम सरकार की प्रेस्टिज को डेमेज करना चाहते हैं। सरकार की प्रेस्टिज को डेमेज करने की बात कही। हम भी जानते हैं, यह बात नहीं हो लेकिन उन्होंने थ्रेटनिंग भरे शब्द कहे। मुख्य मंत्री जी ने घुमा कर थ्रेटनिंग के शब्द कहे। जो विपक्ष की तरफ बैठे हैं वे भी चुन कर आये हैं, हम भी चुन कर आये हैं और आप भी चुनकर आये हैं। आपको जितना अधिकार है, हमको भी उतना ही अधिकार है। सदन में जो वातावरण कल बना, विरोधी पार्टी के नेता को गुड फेथ में लेकर, कान्फिडेन्स में लेकर उस वातावरण को नरम बनाया जाता और कल ही बेरी आयोग की रिपोर्ट के बारे में सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत कह दिया जाता तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। आज वही स्थिति पैदा हो गई है। आज भी वही टेन्शन है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, केवल उन्हीं के नहीं, हमारे लोगों के अधिकार भी व्यापक हैं। देश में प्रजातन्त्र है, प्रजातांत्रिक तरीके से हम बोलना चाहते हैं। प्रजातन्त्र की आवाज को दबाकर सदन की कार्यवाही चले, यह हम नहीं चाहते हैं। हमारा बोलने का पूरा अधिकार है। सरकार पूरी जागरूक रहे। हम महत्वपूर्ण मुद्दे

(श्री मेघराज तावड़)

उठाते हैं उनका सही ढंग से जवाब नहीं आता है जब कि हमारा अधिकार है। ऐसे मामले में सदन के नेता को माननीय सदस्यों को कान्फिडेन्स में लेकर पहल करनी चाहिये। सरकार की तरफ से कल दाऊदयालजी को निकाला गया है इसलिये सरकार की तरफ से ही उनको वापस लेने का प्रस्ताव आना चाहिए था। उनके पास सरकार है इसका यह मतलब नहीं है कि वे चाहे जो करें। उनको प्रस्ताव लाना चाहिये। सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव वापस नहीं लाया गया। अब मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि मुख्य मन्त्री उस प्रस्ताव को वापस लें, किसी सदस्य को निलम्बित नहीं करें और सबको कान्फिडेन्स में लेकर सदन की कार्यवाही चलायें। यही निवेदन करना है।....

श्री देवीसिंह भाटी : एक स्पष्टीकरण है। मुख्य मन्त्री महोदय ने जिस प्रकार से अपनी ओर से, अपने दल की ओर से....

श्री अध्यक्ष : कोई वक्तव्य नहीं था। मैंने पूर्व में ही निवेदन कर दिया था।....

(व्यवधान)

सदन के नेता महोदय ने अपनी बात कही। चर्चा का विषय नहीं होगा।

श्री देवीसिंह भाटी : किसी प्रकार की बाधा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की ओर से, जिस प्रकार मुख्य मंत्री ने........

(व्यवधान)

जितना उनको अधिकार है, उतना ही हमारा अधिकार है........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : वे बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : विशेषाधिकार रहे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

बात न करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सदन के सारे सदस्य इस बात से अवगत हैं, जानते हैं, बिना प्रश्न उठाये....

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

आर्डर ! कृपया बैठ जायें।

श्री देवीसिंह भाटी : सरकार का उत्तर आया है, 'जी हां'। यह मैंने एक उदाहरण दिया है। सरकार हमेशा प्रयत्न करती है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न अन्य माध्यम से उठावें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इन्हीं कारणों की वजह से हमें आखिर

(श्री देवीसिंह भाटी)

असन्तोष होता है। हमने प्रश्न पूछा, रोडवेज की बसेज में शिकायत पुस्तिका, फस्र्ट एंड बाक्सेज नहीं हैं। उत्तर में कहा गया सारे में उपलब्ध हैं। आखिर ऐसे प्रश्नों से क्यों नहीं असन्तोष होगा ? क्या आपको असन्तोष नहीं है ? सदन के सदस्यों को असन्तोष होना स्वाभाविक है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हम क्या करें, जब प्रश्न पूछते हैं और सही उत्तर न आवे ? हम कोआपरेट करना चाहते हैं। सदन चलाना चाहते हैं, शान्तिपूर्वक, माहोल में सदन को चलाना चाहते हैं तो हर बात का उत्तर आवे, अध्यक्ष महोदय।....

श्री अध्यक्ष : आय व्ययक पर विचार।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

ग्रामीण गरीब जनता द्वारा ले जाई जाने वाली जलाऊ लकड़ी पर की रायल्टी दर

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, वन मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया था....

श्री अध्यक्ष : उस पर कहें।

श्री मेघराज तावड़: माननीय अध्यक्ष महोदय, वन मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, मेरा स्थगन प्रस्ताव पर्टीकुलरली इस बात पर था कि जो जंगलात से, जंगल से जलाऊ लकड़ी लाते हैं उनके ऊपर रायल्टी बढ़ा दी गई है। रायल्टी के बारे में वन मंत्री ने कहा कि पुराने टाइम से 1·8·1979 से जो आदेश जारी किये गये है, वही आदेश लागू रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं, गांव में जो सिर पर लकड़ी लावे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, रायल्टी नहीं लगेगी लेकिन एक आदिवासी है वह लकड़ी सिर पर उठा कर लायेगा, बाकी दूसरी कास्ट्स के जो लोग हैं वे सिर पर उठा कर लकड़ी नहीं लाते हैं। मेरे गांव गोगुन्दा में जो कुम्हार हैं वे एक दिन लकड़ी ढूंढकर जाते हैं और दूसरे दिन गधे पर लकड़ी लाद कर लाते हैं। गधे पर लकड़ी लाते हैं उसका पांच रूपया टैक्स बढ़ा दिया है, रायल्टी बढ़ा दी गई है। पहले एक रूपया टैक्स था वह पांच रुपया हो गया। बैलगाड़ी से लाते हैं तो 30/–, 40-,50/- रूपये लेते हैं और ऊंट पर 10/ रुपया, 15/– रूपया बढ़ा दिया है। मेरा सरकार और मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो गरीब आदमी गांव में रहते हैं, वे बेचने के लिहाज से जलाऊ लकड़ी नहीं लाते हैं, वह अपने लिये लाते हैं। जलाऊ लकड़ी पर रायल्टी बढ़ाई है उससे गांव के लोगों में रोष है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर विचार करें। जलाऊ लकड़ी चाहे गधे पर लावें, चाहे ऊंट पर लावें उस पर बढ़ायी हुई रायल्टी वापस लें। पहले पचास पैसे, एक रुपया रायल्टी थी वही रखें। यह जलाऊ लकड़ी का सवाल है, आम गरीब आदमी का सवाल है। यह मेरा निवेदन है।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : माननीय

(श्री बहादुरसिंह)

अध्यक्ष महोदय, जलाऊ लकड़ी के विषय में मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि आपने यह बताया कि जलाऊ लकड़ी पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। यह आप अपने कानून के हिसाब से और अधिकारियों के हिसाब से जवाब दे रहे हैं। यह कानून जनता में नहीं माना जा रहा है। आम जनता आदिवासियों, गैर आदिवासियों, गरीब और अमीर, सबको जंगल से लकड़ी लानी पड़ती है, सब लकड़ी काम में लेते हैं। वहां इन लोगों को एक मामूली सा चौकीदार होता है वह रोक लेता है, गाली गलोच करता है, मारपीट करता है और वह पैसे भी वसूल करता है। वह कोई नियम कानून वगैरह तो जानता नहीं है केवल वर्दी पहन कर खड़ा रहता है और लोगों से अपने हिसाब से पैसे लेता है। उस पर प्रतिबन्ध लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है। मंत्री महोदय, आप इसकी व्यवस्था करें, इन छोटी छोटी सी बातों को अगर नहीं देखेंगे तो जंगल साफ हो जायगा। गरीब व्यक्ति को जलाऊ लकड़ी लेने का हक नहीं है। इसी प्रकार झालावाड़, डूंगरपुर, उदयपुर के किसान, आदिवासी लोग इतने परेशान और दुखी हैं कि उनको घर के काम के लिये जलाऊ लकड़ी नहीं मिलती है। वे यह समझते हैं कि उनको जलाऊ लकड़ी लेने का कोई हक नहीं है तो ऐसे राज को रहने का क्या हक है, ऐसे राज को कायम रखने का क्या मतलब है? वे ऐसा महसूस करते हैं। मुझे मन्त्री महोदय से निवेदन करना है कि झालावाड़, उदयपुर और डूंगरपुर में आदिवासी भील लोग ज्यादा रहते हैं उन लोगों के लिये इन बातों पर बहुत ध्यान दिया जाय और लकड़ी की व्यवस्था की जाय।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): जैसा कि मेघराज जी ने बताया उसी तरह से मैं भी आदिवासी क्षेत्र से आता हूं। मैं जानता हूं कि आदिवासी अगर सिर पर लकड़ी लाता है तो कोई टैक्स नहीं है, किसी प्रकार की बंदिश नहीं है। लेकिन वे किस तरह से अपना गुजारा करते हैं? वे लकड़ी बेच कर ही अपना गुजारा करते हैं। यदि एक दिन भी वह लकड़ी बाजार में बेचने नहीं जायेगा तो बाजार के लोगों को रोटी पकाना मुश्किल हो जायेगा। एक और आदिवासी को लकड़ी नहीं ले जाने देते हैं और दूसरी ओर अधिकारियों को लकड़ी की जरूरत पड़ती है, तो ट्रक लेकर जाते हैं और ट्रक भर कर लकड़ी ले जाते हैं। आपके कर्मचारी उन गरीब लोगों को लकड़ी काटने नहीं देते हैं। सब जानते हैं कि जंगल कटते हैं और लकड़ी बेची जाती है। जब अधिकारियों को जरूरत पड़ती है तो वे जाकर ट्रक भरकर लकड़ी ले आते हैं, कोयला ले आते हैं। आप यह आश्वासन दें कि आयन्दा इस प्रकार की दुर्घटना या घटना नहीं होगी। ट्रक लेकर लकड़ी ले जाते हैं उनको रोका जायेगा और आदिवासी को लकड़ी दी जायेगी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा पूर्व में निवेदन किया, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर विचार करने के लिये मन्त्रिमंडल में इस विषय को रखा है और बहुत शीघ्र ही खास तौर से बैलगाड़ी पर जो 30 रुपये की दर रखी गयी है उसके सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस विषय में

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

माननीय सदस्यों ने जो अपनी भावनायें रखी हैं उनके अनुरूप ही, मैं समझता हूं, जल्दी इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, सिर पर लकड़ी लाने के लिये कोई रायल्टी निश्चित नहीं की गयी है। इसी प्रकार कोई कर्मचारी अपनी तरफ से नाजायज तौर पर पैसा वसूल कर रहा है अगर उसकी शिकायत आती है तो उसकी निश्चित रूप से जांच करवायी जायेगी। मैं अपनी तरफ से भी यह हिदायत कर्मचारियों को दूंगा कि इस तरह से गरीब, खास तौर से आदिवासी लोगों, जो सिर पर लकड़ी ले जाते हैं, को परेशान न किया जाय।

श्री अध्यक्ष : जो कुम्हार गधों पर लकड़ी ले जाते हैं उनके लिये जो पांच रुपया किया है वह कुछ ज्यादा रखा है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : क्या साहब ?

श्री अध्यक्ष : जो कुम्हार लकड़ी लाता है गधे पर उसके लिये जो....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : वह विचाराधीन है।

श्री महाराम चौधरी : कुम्हार ही नहीं सब ला सकें, यह करें।

श्री शीशराम ओला : आप भी ले आवें क्या दिक्कत है।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जंगल के बारे में मेरा भी एक सुझाव है। किसान के खेत में या बाड़े में पेड़-पौधा होता है, चाहे नीम का हो या आम का हो, अगर वह उसको काट कर ले जाता है तो जंगल वाले उसको परेशान करते हैं। परसों की ही बात है एक भील एक पेड़ काटकर ले जा रहा था उसको अफसर ने रास्ते में उतार लिया और कहा कि 100 रुपया लाओ। इस तरह से वन विभाग वाले वहां से गुजरने वालों को परेशान करते हैं। खेत में पेड़ खड़ा है उसके लिये रेवेन्यू विभाग वालों को अधिकार है मगर जंगल वाले परेशान करते हैं। पंचायत या रेवेन्यू का जो अफसर है उसको पैसा दे दिया फिर जंगल वाले परेशान न करें, इसके बारे में मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था करावें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, खातेदारी की भूमि पर से वृक्ष काटने के लिये अलग से नियम बने हुए है। उसमें तहसीलदार की इजाजत लेनी होती है। उसकी इजाजत से जो लकड़ी ले जाते हैं उनके पास पास होता है तो उनके प्रति वन विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है लेकिन बिना इजाजत के जो रेवेन्यू विभाग के अधिकार की लकड़ी काटकर ले जाता है तो उसके खिलाफ जो कानून है उसके अन्तर्गत कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष : इस पर लम्बी चर्चा नहीं होगी।

श्री उदयराम धाकड़ (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहली बार ही खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, लकड़ी के लिये रेवेन्यू विभाग से आज्ञा लेनी होती है। जो रेवेन्यू विभाग का अधिकारी है उससे आज्ञा

(श्री उदयराम धाकड़)

लेनी होती है। काश्तकार हल बनाने के लिये या खेती की मशीनरी को ठीक करने के लिये लकड़ी काटता है तो उसके लिये वह रेवेन्यू विभाग में जायेगा, फिर लकड़ी को काटेगा। यह कहां तक वाजिब बात है ? वह कहां कहां जायेगा ? काश्तकार को छूट होनी चाहिए कि वह खुद के खेत की लकड़ी को काट कर काम में ले सकता है। केवल लकड़ी के लिये तहसील में जायेगा कितना टाइम बरबाद होगा, कितने दिन लग जायेंगे ? उसका तो हल टूटा हुआ पड़ा है, उसके लिये तो उसको तुरन्त जरूरत है लकड़ी की इसलिये यह व्यवस्था करावें।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह काश्तकार के लेबर का विषय है....

श्री अध्यक्ष : यह वन विभाग के लेबर का है। काश्तकार के लेबर का नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री चतुर्भुज : मैं सुझाव देना चाहता हूं।

श्री त्रिलोकसिंह : यह रेवेन्यू का है इसलिये मैं....

श्री अध्यक्ष : उदयपुर क्षेत्र का है वन विभाग का। रेवेन्यू का भी नहीं

श्री त्रिलोक सिंह : यह भयंकर समस्या है। जो जागीदारों के जमाने में नहीं हुआ था, राजाओं के जमाने में नहीं हुआ था वह आज काश्तकारों के साथ किया जा रहा है, यह अब सहन नहीं किया जायेगा। काश्तकारों को लूटा जा रहा है। तहसीलदार को क्या अधिकार है, हमारे खेत की जमीन है तहसीलदार क्या × × × रखता है।

श्री अध्यक्ष : मैंने श्री चतुर्भुज को अवसर दिया है।

श्री त्रिलोकसिंह : मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कानून को वापस लिया जाय।

एक माननीय सदस्य : × × × ऐसा ही होता है।

श्री चतुर्भुज (टोड़ारायसिंह) : हमारे यहां पर आम तौर पर जो पुराने जमाने में वन विभाग की जमीन घोषित की हुई है वही जमीन है परन्तु अब वहां पर गांव बस गये हैं और जंगल वहां से बहुत दूर रह गये हैं। ऐसे स्थानों पर यह कठिनाई है कि इनको जंगल में माना जाय या गांव की आबादी में गिना जाय। अब यह जंगलात के काम में आने वाली जमीन नहीं है। चूंकि अब यह गांव के अन्दर आ गयी है और गांव के अन्दर भी बाड़ा बना होता है, चूंकि वह जमीन जंगल में काम आने वाली नहीं है। आम जनता उस स्थान से लकड़ी ले सके क्या इसके लिए मौका देखकर

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री चतुर्भुज)

राज्य सरकार ग्राम जनता की कठिनाई को दूर करने का विचार रखती है? यही निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में यह वाजिब भी है। इसको जंगल में नहीं माने जाने का एक कारण यह भी है कि स्थानीय जनता को इससे कठिनाई पड़ेगी। वहां की जनता इससे परेशान रहती है। वह जमीन न तो जंगल वालों के काम आती है, न जनता के काम आती है। जनता परेशान रहती है इसलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए, ग्राम जनता को इससे फायदा पहुंचाने के लिये और उनकी इस कठिनाई को दूर करने के लिए ही मैं यह सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : वन मन्त्री जी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जहां खातेदारी भूमि पर से वृक्ष काटने की बात जो माननीय सदस्य ने बतायी है उसके सम्बन्ध में एक काम्प्रिहेंसिव एक्ट केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित है और मैं उम्मीद करता हूं कि वन के महत्व को देखते हुए इसको जल्दी ही पार्लियामेंट के द्वारा पारित कर दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि एक ही व्यक्ति को वृक्ष काटने का अधिकार दिया जाए।

जहां तक टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ भूमि जंगलात से निकाल कर चरागाह के लिए और गांव के काम के लिए देने की बात कही है, उसके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने 1980 में कानून बना कर यह पाबन्दी लगा दी है कि कोई भी जंगलात की भूमि, चाहे वह बिलकुल बेकार पड़ी हो, चाहे वहां वृक्ष न हों, राज्य सरकार द्वारा दूसरे कामों के लिए उपयोग में नहीं ली जा सकती है, न ही इस प्रकार की इजाजत दे सकती है। केवल राज्य सरकार किसी विशेष मुद्दे पर केन्द्र सरकार की सलाहकार समिति को अपने सुझाव प्रस्तावित कर सकती है।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 42 उद्योग, मांग संख्या 40 राजकीय उपक्रम एवं मांग संख्या 43 खनिज

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक 1982-83 द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा। मांग संख्या 42 उद्योग मुख्य मन्त्री जी।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,90,81,000 रुपये तक की राशि प्रदानजाय।

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या 40, राजकीय उपक्रम।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 40— राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री शिवचरण माथुर)

महोदय को 2,85,56,000/- रुपये तक राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या 43, खनिज। श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, खनिज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43—खनिज केसम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,73,01,000/- रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 42 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

1. वर्तमान औद्योगिक विकास की दोषपूर्ण नीति होने से राजस्थान का औद्योगिक विकास नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

2. राजस्थान में केन्द्र द्वारा गैस पर आधारित खाद कारखाना लगाने में किये जा रहे विलम्ब व राज्य के हितों को हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

3. राजस्थान वित्त निगम के क्रिया कलापों को व्यवस्थित कर उसका कार्य क्षेत्र बढ़ाने एवं लघु उद्योगों को ऋण सुविधायें दिलाने हेतु विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

4. राज्यों में लघु उद्योगों के सामने उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने एवं पिछड़े लघु उद्योगों की हालत सुधारने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

5. राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग लगाने हेतु सर्वे कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

6. राज्य में बड़े उद्योगों को विकसित करने एवं उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

7. राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने हेतु नई औद्योगिक नीति बनाने एवं लघु उद्योग के मालिकों को उनके माल का उचित मूल्य दिलवाने में विभाग द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

8. राज्य के उद्योगों में केन्द्र से अधिक पूंजी नियोजन कराने में सरकार विफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

9. सीकर जिले के खण्डेला क्षेत्र में पाये गये पाइराइट्स पर आधारित खाद का कारखाना लगाने हेतु चर्चा के लिये।

10. सीकर में बड़ा उद्योग लगवाने एवं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

औद्योगिक क्षेत्र सीकर के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री माधवसिंह दीवान (पाली) :

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

11. राज्य के औद्योगीकरण में ढील आने एवं चालू उद्योगों के उत्पादन में हो रही गिरावट की रोकथाम तथा बिलाड़ा व खारिया मीठापुर में सीमेंट का बड़ा उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

12. बीमार उद्योगों को सही रूप से चलाने हेतु ऋण आयोग का गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. सिकराय व आमेर क्षेत्र में कृषि पर आधारित कुटीर एवं ग्रामोद्योग के विकास की योजना बनाने बाबत चर्चा के लिये।

14. राज्य के औद्योगिक संस्थानों को विभाग द्वारा उचित मार्गदर्शन, कच्चा माल व सुविधायें नहीं दिये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

15. उद्योग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

16. विभाग द्वारा राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को विशेष प्रोत्साहन न देने पर चर्चा के लिये।

17. सिकराय व आमेर क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र घोषित न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

20. राज्य में नई औद्योगिक नीति घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

21. भीलवाड़ा नगर के बीमार उद्योगों को सहायता देने तथा भीलवाड़ा जिले में नये उद्योगों को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :

22. गांव के छोटे उद्योगों को आधुनिक सुविधा न मिलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

23. टोंक में औद्योगिक बस्ती के विकास में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

24. उद्योगों के विस्तार हेतु राज्य की औद्योगिक नीति में आवश्यक परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

25. उद्योगों को समय पर ऋण दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) :

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग) :

26. उद्योगों को समय पर ऋण दिलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) :

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

27. जालौर जिले में उद्योग स्थापित करने में की जाने वाली अवहेलना बाबत चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

श्री चतुर्भुज (टोड़ारायसिंह) :

28. उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को समय पर ऋण नहीं दिये जाने तथा भू-खंड आवंटित नहीं किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) :

29. उद्योगों को विशेष सहायता नहीं दी जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) :

30. राज्य सरकार राज्य में ग्रामीण एवं लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने में असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरबड़ (सूरसागर) :

31. जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत जनरेटिंग सेट्स के लिये समय पर विभाग द्वारा अनुदान की राशि उपलब्ध नहीं कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

32. जिला बूंदी में उद्योग लगाने के संबंध में विभाग द्वारा उद्यमियों को प्रोत्साहित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

33. शिक्षित हरिजन युवकों को लघु उद्योग लगाने हेतु विशेष प्रोत्साहन देने बाबत चर्चा के लिये।

34. जिला बूंदी में कुटीर उद्योग को पनपाने हेतु विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

35. नये छोटे उद्योग को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

36. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग को प्रोत्साहन देने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

Page No 111

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना):

37. राजस्थान में उद्योगों के विकास में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत):

38. ग्रामोद्योग व कुटीर उद्योग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कर्ज दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

39. बीकानेर में उद्योगों को प्रोत्साहन दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

40. कोलायत में पीली मिट्टी पर आधारित राजकीय उद्योग लगाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार):

41. सवाई माधोपुर में खाद कारखाना लगाये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी):

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग):

43. जयपुर नगर सीमा के अन्तर्गत भी छोटे उद्योग लगाने वालों को सब्सिडी अन्य औद्योगिक पिछड़े क्षेत्रों की भांति नहीं दिये जाने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना):

43. समदड़ी औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपतियों को प्लाट नहीं दिये जाने के कारण राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोजन निगम में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा):

44. गोगुन्दा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लघु उद्योग लगाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा):

45. विभाग द्वारा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शोभराजमल (चित्तौड़गढ़)

46. चित्तौड़गढ़ जिले में नये उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (लक्ष्मणगढ़):

47. औद्योगिक रूप से पिछड़े इलाकों में उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

48. चित्तौड़गढ़ जिले में नये सीमेंट उद्योग लगाने की स्वीकृति दिलाने व नये उद्योग लगाने हेतु सर्वे कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री शोभराज मल (चित्तौड़गढ़) :

49. चित्तौड़गढ़ जिले में खनिज पर आधारित उद्योग लगाने का सर्वे कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) :

50. मकराना इन्डिस्ट्रयल एरिया का विकास करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

53. मांगरोल में मसूरिया साड़ी उद्योग के निर्माण हेतु बुनकरों को पर्याप्त कच्चा माल तथा बने हुए माल को बेचने की उचित व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

54. अन्य प्रान्तों से नकली माल आने से कोटा का मसूरिया साड़ी उद्योग दिनों-दिन नष्ट होता जा रहा है उसे रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

55. इन्द्रगढ़ में सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

56. टौंक जिले में स्थापित छोटे तथा बड़े उद्योगों को समय पर कच्चा माल उपलब्ध कराने व निर्मित माल के विक्रय की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

57. जिला औद्योगिक कार्यालय टौंक को सक्षम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग) :

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) :

58. झालावाड़ जिले तथा डग-पाटन विधान सभा क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को विभाग द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) :

59. सवाई माधोपुर जिले में उद्योग-धन्धे खोलने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

60. बारां (कोटा) में उद्योग लगाने के लिए विभाग के उचित सहयोग के अभाव पर चर्चा के लिए ।

61. प्रान्त में नये उद्योगों को आकर्षित करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

श्री कुन्जीलाल (बामनवास) :

62. सवाई माधोपुर के जयपुर उद्योग को सरकार के अधीन लिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

(श्री कुन्जीलाल)

63. जिला सवाई माधोपुर में खाद का कारखाना लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

64. जिला सवाई माधोपुर में नये उद्योग स्थापित करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) :

65. सांचौर तहसील में उद्योग बस्ती की घोषणा कर लोगों को भू-आवंटन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

66. कोटा के उद्योगों में स्थानीय मजदूरों को न रखने पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

67. राज्य में ग्रामीण विकास हेतु लघु व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

68. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले में छोटे लघु उद्योग खोलने में असफल रही, उस पर चर्चा के लिए ।

69. बांसवाड़ा की छोटी औद्योगिक इकाइयों को ऋण व अनुदान समय पर उपलब्ध नहीं कराने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग) :

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) :

70. अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण उपलब्ध कराके उद्योग स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) :

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) :

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

71 राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त कराने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री भालू खां (चूरू) :

72. औद्योगिक रूप से पिछड़े हुये चूरू जिले का औद्योगीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

73. नये उद्योगों को अनुदान व सुविधायें अधिक दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

74. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में नवीन उद्योगों की स्थापना कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री बिहारी लाल पारीक (माण्डल) :

75. मांडल क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

Page No 114

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़) :

76. अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित कराने हेतु चर्चा के लिये।

77. किशनगढ़ में स्थापित पावरलूम उद्योग को सहायता दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) :

78. ग्रामीण लघु उद्योगों के सम्बन्ध में सरकारी नीति की अव्यवहारिकता में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. ग्रामीण लघु उद्योगों का गांवों में प्रसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) :

80. राजगढ़ स्थित औद्योगिक बस्ती की भूमि की विवादास्पद स्थिति को निपटाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

81. औद्योगिक दृष्टि से सीकर नगर को राजधानी विकास योजना में लाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

82. बाड़मेर जिले की तहसील शिव के ग्राम खानीयानी-राणासर-जैसीधर में ऊनी गलीचो व ऊंट की जट के ट्रेनिंग सेन्टर खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

83. इन्स्ट्रूमेंटेशन कोटा का सहयोगी माइक्रोवेव प्रोसेसर आधारित उपकरणों का कारखाना अन्यत्र स्थापित नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़):

84. भावी उद्योगों को नगरों में लाइसेंस न देकर ग्रामों में स्थापित करने की अनिवार्यता पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :

85. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला जिला सीकर के खण्डेला कस्बे में गोटे के कुटीर उद्योगों की दयनीय दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला जिला सीकर में सिलोदीपुरा में खाद कारखाने स्थापित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :

87. ग्राम सांवली तहसील दूदू जिला जयपुर में उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) :

88. जिला औद्योगिक केन्द्रों में भ्रष्टाचार, लघु उद्योग ईकाइयों में कच्चा माल

Page No 115

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

देने में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :

89. विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में लगे उद्योगों के अपने जनरेटर सैटस लगाने के अनुज्ञापत्र व सब्सिडी देने में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

90. राजस्थान में औद्योगिकीकरण को गतिशील बनाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

91. लघु उद्योगों को कार्यशील पूंजी जुटाने में असुविधा एवं बैंकों के कड़े रुख के कारण उद्योगों में रूग्ण इकाइयों की बढ़ोतरी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

92. उद्योग विभाग द्वारा अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के अवास के लिये भवनों के निर्माण की आवश्यकता होने पर भी विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) :

93. उद्योग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

सैयद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा) :

94. मसूदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उद्योगों को समय पर कच्चा माल उपलब्ध कराने में देरी होने पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) :

95. राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र के श्रमिकों को चूने की भट्टी का ठेका न देने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

96. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में ग्राम चींतोड़ा मांचा मोलन में चूना पत्थर के भण्डार होने के बावजूद उद्योग खोलने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

97. राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के बावजूद अभी तक कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित न करने पर चर्चा के लिये।

श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) :

98. केन्द्र सरकार से राज्य को औद्योगिक विकास के लिये दी गई राशि के विभाग द्वारा उचित उपयोग नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

99. राजकीय उपक्रमों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने से उत्पन्न संख्या के कारण रा. रा. ई. ड. एण्ड. ई निगम

(श्री सी. पी. जोशी)

में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

100. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम द्वारा राज्य के बाहर स्थापित औद्योगिक इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा है इस कारण निगम में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

101. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम द्वारा फर्जी टेक्नोक्रेट्स संस्थानों को ऋण उपलब्ध कराने में हुई अनियमितता के कारण निगम में विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

102. उद्योग निदेशालय द्वारा औद्योगिक विकास हेतु स्वीकृत कार्यक्रमों को पूरा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

103. उद्योग वित्त निगम द्वारा जिन जिन औद्योगिक इकाइयों को 31 मार्च, 1981 तक धनराशि स्वीकार की गई थी उनका सही उपयोग नहीं करने के कारण निगम में विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

104. उद्योग विभाग की अकर्मण्यता से प्रदेश में होने वाले औद्योगिक उत्पादन में ह्रास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

105. प्रवासी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु अभी तक भी वन विण्डो सुविधा उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

106. जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोजन निगम द्वारा अग्निशमन सेवा एवं विकास हेतु कोई व्यवस्था न किये जाने के कारण देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

107. प्रदेश के औद्योगीकरण हेतु मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. औद्योगिक उत्पादन में हुई गिरावट को रोकने हेतु विभाग द्वारा कोई ठोस योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

109. स्थानीय दस्तकारों को विभाग द्वारा कोई प्रोत्साहन न दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

110. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

111. लघु उद्योगों के लिये वित्त निगम द्वारा समय पर लोन न दिलाये जाने के कारण निगम को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

112. राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा क्रय किये जाने वाले सामान का उचित उपयोग नहीं होने के कारण निगम में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) :

113. राज्य सरकार द्वारा राज्य में उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिये आवश्यक सुविधायें एवं साधनों और अवसरों का अभाव तथा कोई प्रोत्साहन न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. केन्द्रीय उद्योगों को प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्रों में लगाने में राज्य सरकार विफल रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) :

115. लघु उद्योगों के उत्पादन में हो रहे ह्रास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 40 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 40 मुख्य शीर्षक राजकीय उपक्रम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

1. राजकीय उपक्रमों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

2. सीकर नगर औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में बड़ी ऊन मिल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. सीकर जिले के रेवासा नमक उद्योग के विकास में आ रही बाधाओं को दूर करने एवं नमक क्षेत्र का विकास कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत);

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी);

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

4. राजस्थान स्टेट टेनरीज की बिगड़ती हुई हालत तथा पश्चिमी राजस्थान में पशुओं की संख्या को देखते हुए एक और टेनरीज उद्योग जोधपुर में लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

5. राजकीय उपक्रमों में फिजूलखर्ची व चोरियों को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू) :

6. राजकीय उपक्रमों में अव्यवस्था के कारण लगातार घाटा होने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

7. पथ परिवहन निगम द्वारा किये जा रहे अनावश्यक व्यय में कटौती किये

(श्री रामकिशोर मीणा)

जाने की आवश्यकता पर उसमें किये जाने वाले विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

8. पथ परिवहन के कण्डक्टरों को नयी निर्देशावली द्वारा दी गई हिदायतों की अनुपालना कराने हेतु विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

9. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जब्त किये गये काम में लेने योग्य परिवहन निगम के टायरों का जल्दी निस्तार कराने हेतु विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

10. बालाजी व महुआ जाने वाली पथ परिवहन निगम की बसों को प्रात: 10 बजे व सायं चार बजे वाया सिकराय व भाण्डारेज चलाने हेतु विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

11. राजकीय चर्म उद्योग, टोंक के उत्पादनों का उचित मूल्य प्राप्त करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

12. राजकीय उपक्रम में व्याप्त अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) :

13. पाली से सोजत के बीच चलने वाली परिवहन निगम की बसों को वाया जाडण होकर मारवाड़ जंक्शन तक चलाने हेतु विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

14. पाली में रोडवेज बस डिपो खोलने हेतु विनियोजन कराने हेतु चर्चा के लिये ।

15. प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर परिवहन निगम की बसें चलाने हेतु विनियोजन कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

16. राजस्थान टेनरीज में उत्पादन क्षमता के अनुरूप उत्पादन न होने पर चर्चा के लिये ।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) :

17. राजकीय उपक्रम के अन्तर्गत कार्यरत निगम एवं बोर्ड्स को भुगतान की स्थिति से उभारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा);

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

18. पचपदरा में नमक उत्पादकों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) :

19. राजकीय उपक्रमों की दयनीय दशा सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (नदबई) :

20. राजकीय उपक्रमों की दयनीय दशा सुधारने में राज्य सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत);

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी);

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) :

21. राजकीय उपक्रमों में क्षमता के अनुरूप उत्पादन न होने, निरन्तर हो रहे घाटे तथा अनुशासनहीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

22. राजकीय उपक्रमों पर नौकरशाही के प्रभाव और भयंकर भ्रष्टाचार की शिकायतों पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) :

23. राजकीय उपक्रमों में हो रहे निरन्तर घाटे पर चर्चा के लिये ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

24. बीकानेर-सरदारशहर वाया कालू मार्ग का राष्ट्रीयकरण कर, राज्य परिवहन की बसों के संचालन हेतु विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

25. बीकानेर-कोलायत, बीकानेर-घड़साना-अनूपगढ़, बीकानेर-खाजूवाला-रावला, अनूपगढ़-रावला, नोखा-सुजानगढ़ मार्गों पर बिना परमिट अनाधिकृत व अवैधानिक वाहनों का संचालन रोकने तथा पथ परिवहन निगम की बसें चलाने हेतु विनियोजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

26. बीकानेर संभाग के अधीनस्थ अनूपगढ़ में राज्य परिवहन निगम का डिपो खोलने हेतु विनियोजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

27. पथ परिवहन निगम के बीकानेर संभाग के अधीनस्थ गंगानगर व हनुमानगढ़ आगार के अत्यधिक संचालन भार को कम करने के लिये सूरतगढ़ में परिवहन निगम का उप-आगार खोलने हेतु विनियोजन कराने हेतु चर्चा के लिये ।

28. परिवहन निगम में कार्यरत चल न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा वसूल किये गये जुर्माने आदि की राशि राज्य कोष के बजाय निगम कोष में जमा करवाने की व्यवस्था करने हेतु विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

29. पथ परिवहन निगम की द्रुतगामी, रात्रि वाहन सेवाएं व अन्तर्राज्यीय मार्गों की बसों का गति नियंत्रण हटाने हेतु विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

30. बसों की समय सारिणी राज्य स्तर पर बनाने की आवश्यकता हेतु विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(श्री देवीसिंह भाटी)

31. बीकानेर संभाग के रोडवेज कर्मचारियों की लम्बे समय से बकाया पड़ी लगभग 1000 जांच कार्यवाहियों और लगभग 200 अपीलों के निपटारों में होने वाले विलम्ब के कारण विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

32. राजस्थान रोडवेज में कर्मचारियों को बिना कारण बताये व जांच कार्यवाही बगैर ही सेवा से हटाये जाने के कारण विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

33. 7-8-81 से 23-8-81 तक बीकानेर संभाग की रोडवेज हड़ताल के दौरान काम पर आने वाले कर्मचारियों से बिना काम लिये ही केवल उपस्थिति को आधार मानकर प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 1 माह के वेतन के बराबर फर्जी ओवर टाइम का गैर कानूनी भुगतान किये जाने से उत्पन्न बिन्दुओं के कारण विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

34. रोडवेज कर्मचारियों के स्थायी आदेशों में अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के लिये निश्चित नियम व मापदंड तय करने हेतु विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

35. बीकानेर संभाग में रोडवेज कर्मचारियों की 7-8-81 से 23-8-81 तक की हड़ताल से जुड़े मुद्दों एवं कर्मचारियों की समस्याएं निपटाने के सरकारी आश्वासन को पूरा कराने हेतु विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

36. बीकानेर आगार के लिये परिचालकों की नियुक्ति हेतु चयनित उम्मीदवारों के पैनल के मौजूद रहते हुए भी हड़ताल के दौरान व इसके बाद में चयनित उम्मीदवारों की अनदेखी करके गैर चयनित व्यक्तियों को नियम विरुद्ध नियुक्तियां दिये जाने के कारण विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

37. 19 जनवरी, 1982 की देश व्यापी हड़ताल के दिन बीकानेर आगार में परिवहन निगम की बसों के संचालन हेतु आवश्यक चालकों से अधिक चालकों के मौजूद रहते हुए भी बिना आवश्यकता के हड़ताल की आड़ लेकर गम्भीर मामलों में निलम्बित किये गये चालकों को नियमों का उल्लंघन कर, बहाल करने वाले संभाग यांत्रिक अभियन्ता (डी. एम. ई.) के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

38. परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा मजदूर संगठनों के साथ हुए समझौतों के उल्लंघन, मुख्यालयों के आदेशों के विपरीत कार्य करने व पद के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार के मामलों में मजदूर संगठनों व कर्मचारियों की शिकायत की तत्परता से जांच कर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही कराने हेतु विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री देवीसिंह भाटी)

39. बीकानेर आगार द्वारा संचालित बीकानेर-कोटा मार्ग पर पिछले 6 माह में चार एवं बीकानेर दिल्ली मार्ग पर तीन माह में दो गम्भीर दुर्घटनाओं के दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने व भविष्य में दुर्घटनाएं रोकने की व्यवस्था कराने हेतु निगम में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

40. परिवहन निगम की कुल आय का एक तिहाई से भी ज्यादा यात्री कर के रूप में प्राप्त राजस्व को राष्ट्रीयकरण के विस्तार व बसों की संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी कर समुचित रख रखाव के जरिये यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के उपयोग में लेने हेतु विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

41. डूंगरगढ़-बीदासर के पक्के मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने हेतु राशि के विनियोजन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

42. राजस्थान परिवहन निगम के वाहनों में स्टेपनी, जैक व्हील, पाना व पर्याप्त टूल्स की व्यवस्था करने हेतु विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

43. बीकानेर आगार की निगम की बसों में आवश्यक उपकरणों के अभाव के कारण विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

44. परिवहन निगम के बीकानेर के वर्तमान केन्द्रीय बस स्टेण्ड पर ट्रैफिक व्यवस्था, यात्रियों के लिये पर्याप्त शेड, पीने के पानी हेतु प्याऊ, शौचालय व मूत्रालय की व्यवस्था कराने के लिये पर्याप्त राशि के विनियोजन कराने हेतु चर्चा के लिये ।

45. निगम की बसें लेट होने या मार्ग पर न जा सकने की स्थिति में यात्रियों की सुविधा हेतु सम्बन्धित बस के प्रस्थान समय से आधा घंटा पूर्व इसकी सूचना बस स्टेण्ड के सूचना-पट्ट पर, यात्रियों की जानकारी हेतु लगाने की व्यवस्था कराने हेतु अपेक्षित राशि विनियोजित कराने हेतु चर्चा के लिये ।

46. परिवहन निगम के प्रत्येक डिपो मुख्यालय से प्रस्थान करने वाली प्रत्येक बस में सीट नम्बर आवंटित किये जाने की व्यवस्था कराने हेतु राशि विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

47. भारतीय रेल्वे की तरह ही राजस्थान परिवहन निगम द्वारा भी प्रत्येक बस स्टेण्ड पर बुकिंग घरों की व्यवस्था कराये जाने हेतु विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

48. बीकानेर को राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों से सीधी निगम बस सेवा से जोड़े जाने हेतु राशि विनियोजित कराने हेतु चर्चा के लिये ।

(श्री देवीसिंह भाटी)

49. राजस्थान परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं नयी बसों की खरीद हेतु राजस्थान सरकार द्वारा अधिक मात्रा में पूंजी विनियोजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. बीकानेर आगार कार्यशाला में जैक व स्पोर्ट के लिये घोड़ियों की व्यवस्था कराने हेतु अपेक्षित राशि के विनियोजन हेतु चर्चा के लिये।

51. पथ परिवहन निगम के बीकानेर डिवीजन कार्यशाला में बिजली की कमी के कारण डीजल जनरेटर सेट की व्यवस्था करने हेतु राशि विनियोजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. परिवहन निगम के बीकानेर आगार कार्यशाला में माह अप्रेल, 1981 में लगाये गये पीने के पानी का कूलर जो कि लगभग 15 दिनों के बाद ही खराब हो गया था उसकी खराबी की जाँच व उसको पुनः कार्य दशा में लाने हेतु राशि विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

53. बीकानेर संभाग कार्यशाला में खराब पड़ी बसों को ठीक कराने हेतु अपेक्षित राशि विनियोजित कराने हेतु चर्चा के लिये।

54. नये बस मार्गों के राष्ट्रीयकरण करने, नये आगार खोलने तथा रिक्त पदों को भर्ती करने राशि के विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

55. बीकानेर आगार में परिचालकों की नियुक्ति हेतु अक्टूबर, 1979 में चयन समिति द्वारा चयनित उम्मीदवारों को नियुक्तियां दिलाने हेतु अपेक्षित राशि के विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

56. राजस्थान परिवहन निगम में विभिन्न वर्गों के काफी समय से काफी संख्या में रिक्त पड़े पदों की पूर्ति करने हेतु राशि के विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

57. बीकानेर आगार कार्यशाला के प्रभारी द्वारा 6/2 व 7/2/81 को सभी चालकों को जबरन छुट्टी देकर दो दिन संचालन पूर्णतया बन्द करवाने (अघोषित हड़ताल) के मामले में प्रारम्भिक जांच के दोष सिद्ध हो जाने के बावजूद भी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न किये जाने से दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

58. पथ परिवहन निगम में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कराने हेतु राशि के विनियोजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. राजस्थान परिवहन निगम के वाहनों में यात्रियों के सामान की सुरक्षा हेतु तिरपाल आदि की व्यवस्था हेतु राशि के विनियोजन हेतु चर्चा के लिये।

Page No 123

(123)

(श्री देवीसिंह भाटी)

60. मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर परिवहन निगम के दोषयुक्त (डिफेक्टिव) वाहनों को बीकानेर आगार कार्यशाला प्रभारी द्वारा मार्ग पर भेजने की गलत नीति के कारण निगम को हुई हानि के लिये विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

61. 29/11/81 को भारतीय तेल निगम द्वारा बीकानेर आगार को भेजे गये डीजल में लगभग 1000 लीटर पानी पाये जाने के कारण निगम में विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) :

62. राजकीय उपक्रमों में लगातार घाटा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) :

63. झुंझुनू से जयपुर वाया उदयपुरवाटी क्षेत्र में सायंकालीन 7.30 पर द्रुतगामी बस जो पहले चलती थी, के बन्द हो जाने से निगम को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) :

64. अजमेर से मकराना जाने वाले मार्ग पर निगम की खराब बस लगाने के कारण निगम में विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

65. टोंक में स्थित राजस्थान टेनेरी को वित्तीय संकट से मुक्ति दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

66. राजस्थान राज्य परिवहन निगम में किये जाने वाले विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

67. अवैध संचालन से परिवहन निगम को घाटा होने के कारण किये जाने वाले विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

68. कोटा-बारां मार्ग पर बसों की अव्यवस्था को ठीक कराने हेतु विनियोजन राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

69. राजस्थान परिवहन निगम द्वारा बारां (कोटा) में डिपो स्थापित कराने हेतु राशि के विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

70. राजस्थान परिवहन निगम में व्याप्त अव्यवस्था के कारण निगम में विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर);

श्री कुन्जीलाल (बामनवास) :

71. राजकीय उपक्रमों में होने वाले निरन्तर घाटे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

72. राजकीय उपक्रमों में व्याप्त प्रशासनिक अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

73. राजकीय उपक्रमों में होने वाले अनावश्यक व्यय को कम कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा);

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

74. कोटा, झालावाड़, बारां तथा बूंदी डिपो से रोडवेज की बसें पीपल्दा क्षेत्र के खातौली, पीपल्दा, गैंता, लुहावद व गुढला में समय पर व पूरी संख्या में नहीं चलने के कारण निगम में विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

75. राजस्थान रोडवेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण निगम में विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री रामधन (लाडनूं) :

76. राजकीय उपक्रमों की दयनीय आर्थिक स्थिति के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण);

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा (सुमेरपुर);

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत);

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढा) :

77. घाटे में चल रहे राजकीय उपक्रमों को नीलाम करके इस धन का उपयोग बांध बनाने व बिजली पैदा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :

78. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्याओं के समाधान हेतु विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री भालू खां (चूरू) :

79. चूरू जिले में राजकीय ऊनी मील के आधुनिकीकरण कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

80. पथ परिवहन निगम के टौंक आगार की भयंकर दुर्दशा को सुधारने हेतु विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीप्रसाद जैन (टौंक);

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

81. रोडवेज की दुर्व्यवस्था को ठीक किये जाने की आवश्यकता तथा निगम में

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

कार्यरत कर्मचारियों को ही लोन पर बसें देकर रोजगार एवं व्यवस्था करने की सम्भावनाओं हेतु निगम में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

82. राज्य में चल रहे विभिन्न राजकीय उपक्रमों की व्यवस्था एवं प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) :

83. राज्य के समस्त राजकीय उपक्रमों में व्याप्त अव्यवस्था व अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

84. जयपुर से बीकानेर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की पिंकसिटी एक्सप्रेस पुनः प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) :

85. राजकीय उपक्रमों की स्थिति को सुधारने एवं व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा (निवाई) :

86. निवाई औद्योगिक क्षेत्रों में हरिजनों के लिए भू-खण्डों में विशेष कोटा तय किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) :

87. राजकीय उपक्रमों में निरन्तर हो रहे घाटे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) :

88. रोडवेज निगम के असह्य घाटे को रोकने के लिये उसका पुनगर्ठन कर जनप्रतिनिधियों के जिम्मे कराने हेतु राजस्थान पथ परिवहन निगम में विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा)

89. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के घाटे में जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास डोसी (चौहटन);

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) :

90. बाड़मेर जिले में चौहटन से बारवास मार्ग पर राज्य पथ परिवहन निगम की बस नहीं चलाये जाने के कारण इसमें विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) :

91. गंगानगर शुगर मिल व राजस्थान टेनरी में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

Page No 126

(126)

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

92. राजस्थान परिवहन निगम में खरीद फरोख्त में हुए घोटाले, बसों की खस्ता हालत एवं उसमें फैला भ्रष्टाचार अनुबन्धित बसों के माइलेज के आधार पर भुगतान देने में अनियमितताओं के कारण निगम में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :

93. राजस्थान पथ परिवहन निगम बसों के टायरों के विक्रय में हुई अनियमियतताओं के कारण निगम में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) :

94. राजकीय उपक्रम जो लम्बे समय से घाटे में चल रहे हैं उनसे छुटकारा पाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

95. राजकीय उपक्रम में बढ़ते हुये घाटे को कम कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. राजकीय उपक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. राजस्थान राज्य परिवहन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था के होने पर भी निगम में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) :

98. राजकीय उपक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचारों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा):

99. घाटे में चलने वाली राजकीय उपक्रमों के प्रशासनिक व्यय में कमी करने हेतु चर्चा के लिये।

100. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में प्राथमिक चिकित्सा पेटी में वांछित सामग्री नहीं होने पर भी निगम में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

101. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में स्टाफ के कर्मचारियों के लिये स्टाफ सीट की अनावश्यक व्यवस्था पर निगम में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सी० पी० जोशी (नाथद्वारा) :

102. राजकीय उपक्रमों में स्थानीय लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता दिलाने हेतु उपक्रम विभाग द्वारा योजना बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

103. राजकीय उपक्रमों में भारी धन व्यय होने के बाद भी होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

104. राजकीय उपक्रमों में अप्रेन्टिस स्कीम लागू करने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

105. राज्य में राजकीय उपक्रमों में व्याप्त अव्यवस्था से होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

106. राजस्थान पथ परिवहन निगम में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

107. नमक व्यापार हेतु एक पृथक से निगम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. राजस्थान चर्म उद्योग में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) :

109. राजकीय उपक्रमों में व्याप्त गम्भीर अव्यवस्था एवं पूंजी विनियोजन पर नगण्य मुनाफा अथवा बड़ा घाटा होने पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 43 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 43 मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

1. रायल्टी की बकाया राशि वसूल नहीं किये जाने से राजकोष में होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

2. खनिज नीति को बदल कर खानों में काम करने वाले मजदूरों को ही खान पट्टे देने हेतु चर्चा के लिये।

3. प्रदेश में बड़ी-बड़ी लीज धारक व्यक्तियों द्वारा प्रदेश की डेड रेन्ट एवं रायल्टी में किये जा रहे घपलों को रोकने एवं लीज क्षेत्र को सीमित करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

4. रायल्टी वसूली व लीज रिनुअल में हो रही भारी अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

5. राज्य में खनिज क्षेत्र की दयनीय दशा से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

6. भीलवाड़ा जिले के ऊपरमाल बिजौलिया क्षेत्र में पट्टियों की खानों से अतिक्रमण हटाया जाने व नये भूखण्ड आवंटित किये जाने तथा नाजायज माल की चोरी रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :

7. खानों को लीज पर देने हेतु वर्ष 1977-78 में अपनाई गई प्रणाली को पुनः लागू कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

8. बाड़मेर जिले के गांव बरीमाड़ा-जैसीधर डबकापार तथा जैसलमेर जिले के गांव वीरमाणी में जिप्सम व राकफास्फेट के भंडारों का सर्वे कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

9. टौंक जिले में विभिन्न खनिजों के दोहन हेतु सर्वे कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

10. राज्य में खनिज उद्योग के विस्तार एवं व्यापक दोहन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) :

11. अरावली पर्वत श्रृंखला का खनिज सर्वेक्षण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

12. बाड़मेर व टौंक जिले में खनिज दोहन हेतु सर्वे करवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) :

13. राज्य की खनिज सम्पदा का उचित सर्वे कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) :

14. राज्य सरकार खनिज सम्पदा का समुचित दोहन करने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) :

15. सूरसागर, फिदुसर, कालीबेरी इत्यादि खनिज एरिया के विकास तथा विभाग द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कराने से खनिज मालिकों व मजदूरों में भयंकर असन्तोष है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री नरपतसिंह बरबड़ (सूरसागर) :

16. जोधपुर के खान क्षेत्र का विकास कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

17. खान पट्टे आवंटन में पिछड़ों को प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये।

18. खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

19. नागौर जिले में खनिज दोहन कार्य को गतिशील बनाने और सर्वे करके नये

(श्री महाराम चौधरी)

खनिजों का पता लगाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) :

20. राजस्थान में डोलामाइट खनिज का उत्पन्न कम हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

21. मेजर मिनरल्स की लीज लेने में वन विभाग से परमिशन लिये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

22. खानों के खनिज पदार्थों का दोहन उचित ढंग से नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) :

23. झुन्झुनू जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

24. कोलायत तहसील के गांव चानी व हाडला की जोडपायतन भूमि में खनन पट्टे दिये जाने से रोकने हेतु चर्चा के लिये।

25. बीकानेर के आस-पास गंगाशहर, देशनोक से अनधिकृत रूप से निकाली जा रही बजरी की रायल्टी नहीं लिये जाने पर सरकार को हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

26. कोलायत में खनन किये जा रहे खनिजों पर रायल्टी वसूली में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

27. जिप्सम की खानें निजी क्षेत्र को लीज पर दिये जाने से सरकार को अधिक लाभ हो सकता है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

28. पत्थर की खान स्थित सीमा वाले गांव के लोगों को रायल्टी से मुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. खनिज क्षेत्रों में खनन पट्टे आवंटन प्रणाली में आवश्यक सुधार किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

30. खनिज विभाग, उदयपुर में फर्नीचर के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. खनिज विभाग में व्यापत भ्रष्टाचार की जांच कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा) :

32. उदयपुर डिवीजन के खनिजों का सर्वे कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेंगू) :

33. चित्तौड़गढ़ जिले में लाइम स्टोन का सर्वे कराने एवं तांबे व चांदी की खानों का सर्वे कराने एवं गरीब लोगों को

(श्री घनश्याम जैन)

खनन पट्टे दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगनसिंह (बयाना) :

34. भरतपुर जिले में कमजोर वर्ग के लोगों के नाम ली गई खनन लीज से उत्पन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) :

35. मकराना में मार्बल की नई खानों का सर्वे करवाकर खानें अलाट करने तथा एग्रीकल्चर भूमि को एक्वायर करके लीज पर देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. मकराना के पास विदीया व ग्रेनाइट पत्थर की खान का कार्य बन्द करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

37. मकराना एवं उदयपुर डिवीजन में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मार्बल की खानें लीज पर देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

38. इन्द्रगढ़ की पहाड़ियों में लोहे के पर्याप्त भंडार का सर्वे कराने हेतु चर्चा के लिये।

39. इन्द्रगढ़ की पहाड़ियों में लाल व सफेद खड़ी की पर्याप्त खानें हैं उनके विकास हेतु चर्चा के लिये।

40. इन्द्रगढ़ की पहाड़ियों में ताम्बे के भण्डार हेतु सर्वे कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

41. खनिज सम्पदा का दोहन एवं खनन के लिये कमजोर वर्ग को पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग) :

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) :

42. झालावाड़ जिले के अच्छे स्तर के पत्थरों की खानों की जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. झालावाड़ में कली के पत्थर की खानों को गरीब लोगों को आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. झालावाड़ में ताम्बे तथा हीरों के लिये सर्वे कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) :

श्री कुन्जीलाल (बामनवास) :

45. विभाग द्वारा सवाईमाधोपुर क्षेत्र की बनास नदी से मनमाने तरीकों से बजरी विक्रय करने व रायल्टी वसूली में अनियमितता बरतने पर चर्चा के लिये।

Page No 131

(श्री कुन्जीलाल)

46. राजस्थान सरकार द्वारा लोगों को लम्बी लीज पर खानों का ठेका देने से सरकार को नुकसान होने और अलॉट शुदा से ज्यादा स्थानों पर किये गये कब्जे को हटाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

47. वन विभाग की निरर्थक भूमि को विभाग द्वारा खनिज कार्य हेतु हस्तागत करने पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

48. खनन श्रमिकों को खानों के ठेके देने व उन्हें आर्थिक सहायता देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री भरोसी (हिण्डौन)

49. हिण्डौन तहसील में खनिज विभाग द्वारा कोटरी, झिरना, मोठीयापुरा, पोछड़ी में दिये ठेके निरस्त करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री भैरू लाल (मनोहरथाना)

50. मनोहरथाना पंचायत समिति क्षेत्र में खनिज सम्पदा को पता लगाने हेतु सर्वे कराया जाने पर चर्चा के लिए।

श्री भैरू लाल मीणा (उदयपुर ग्रा.)

51. उदयपुर सम्भाग में विभिन्न क्षेत्रों में खनिज भण्डारों का सर्वेक्षण कराने एवं खनन कार्य प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण),

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर),

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

52. सोजत व नीम का थाना में अच्छी किस्म के लाइमस्टोन की खानों के वर्षों से एक व्यक्ति के एकाधिकार को समाप्त कर एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फल का लीज बनाकर क्षेत्रीय गरीब लोगों को खनन पट्टे आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल)

53. भीलवाड़ा जिले की अभ्रक खनिज के विकास एवं अभ्रक से वसूल की जाने वाली रायल्टी में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)

54. जिला नागौर के डीडवाना विधान सभा क्षेत्र में चूने का पत्थर व अन्य खनिज के दोहन कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

समर्थलाल (राजगढ़) :

55. राजस्थान की खनन सम्पदा का उपयोग करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

132

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

56. जिला बीकानेर तहसील कोलायत की खनिज खदानों के खनन के उपरान्त ठेकेदारों द्वारा नियमानुसार खड्डे मिट्टी से न भर नियमों की पालना नहीं करने की चर्चा के लिये ।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई)

57. जिला टौंक में बजरी के प्लाटों तथा खनन पट्टों को हरिजनों को नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

वैद्य भंरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

58. जमवारामगढ़ क्षेत्र के खनिजों को स्थानीय ग्रामवासियों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

59. ग्राम सावंली तहसील दूदू जिला जयपुर में चूने के पत्थर का सर्वे कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द)

60. आसीन्द तहसील में खनिज के अपार भन्डारों का सर्वे कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए

ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़)

61. खनिज विभाग द्वारा खानों के ठेके देने में की गई अनियमितताएं एवं घोटालों पर चर्चा के लिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

62. आमेर के पहाड़ी क्षेत्र का खनिज हेतु सर्वे कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

63. खनिज विभाग में फैल रहे भ्रष्टाचार एवं खनन उद्योग को विकसित करने में शिथिलता बर्ती जाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

64. सिरस्का टाइगर क्षेत्र के आस पास जो खनन कार्य गत कई वर्षों से चालू है उसको सिरस्किा टाइगर क्षेत्र में सम्मिलित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

65. खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)

66. बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में लिग्नाइट के भण्डार होते हुए भी उनका शीघ्र ही सर्वे न कराने से प्रान्त को हानि होने पर चर्चा के जिये ।

सैयद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा)

67. मसूदा क्षेत्र की पर्वत शृंखला का खनिज पदार्थों की बहुतायत को दृष्टिगत रखते हुए सहायक खनिज अभियन्ता का कार्यालय खुलवाने पर चर्चा के लिये।

68. मसूदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का खनिज पदार्थों के लिये विभाग द्वारा सर्वे कराये जान हेतु चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

69. कुशलगढ़ क्षेत्र में चूने के पत्थर के अनेक खनिज भण्डार होने पर भी सरकार ने उसके विकास का कोई कार्य नहीं किया इस पर चर्चा के लिये।

श्री पृथ्वीसिंह (खानपुर)

70. झालावाड़ जिले के खनिज संम्पदा की सर्वे कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

71. वैज्ञानिक आधार पर खानों को विकसित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. आर.एस.एम.एम. में ओवर वर्डन हटाने के लिये दिये गये ठेके में होने वाली हानि के कारण विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

73. राजसमन्द के पास प्राप्त मार्बल की खानों के लिये स्वीकृत डेलीनिऐटेड प्लान से उत्पन्न स्थिति की चर्चा के लिये।

74. राज्य के विभिन्न खनिज मालिकों से 31 मार्च, 1982 तक की बकाया राशि की वसूली करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

75. आर.एस.एम.एम. लि. झामरकोटड़ा उदयपुर में नौकरी लगाने में हुई अनियमितताओं के विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

76. सिरोही जिले के गांव पिण्डवा के समीप केलसाइट व वुलस्टोनाइट की राष्ट्रीय महत्व की खानों को अवाप्त करने एवं वर्तमान सट्टाधारी द्वारा रायल्टी देने में की जा रही गड़बड़ी से भी राज्यकोष को होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

77. खानों में सुरक्षा हेतु बनाये गये नियमों का पालन नहीं होने पर चर्चा के लिये।

78. धौलपुर स्टोन कम्पनी बरोली के बारे में गत दो वर्षों से राज्य सरकार द्वारा बरती जा रही नरमाई के कारण राज्य कोष को 50 लाख रुपये का घाटा उठाने के बारे में चर्चा के लिये।

79. मिनी सीमेंट प्लांट लगाने हेतु गांव साण्डमारी तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर में आवश्यकता से अधिक

(श्री सी. पी. जोशी)

खनन क्षेत्र का पट्टा देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

80. आर.एस.एम.एम. लि. झामरकोटड़ा उदयपुर के वित्तीय मामलों का नियन्त्रण किसी योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति को न दिया जाने तथा वर्तमान प्रभावी पूर्व की बी. जी. एल. कम्पनी के एक साधारण कर्मचारी के अनियमित रूप से वित्तीय मामलों के प्रभारी बन जाने से आर. एस. एम. एम. में आर्थिक अनुसाशनहीनता के कारण विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

81. धौलपुर स्टोन कम्पनी बरोली द्वारा खनिज विभाग के अधिकारियों पर दबाव डालने व विभागीय स्तर से बरती गई ढिलाई से उत्पन्न निराशा पर चर्चा के लिये ।

श्री कैलाशचन्द्र मेघवाल (अजमेर पूर्व)

82 खान एवं भूगर्भ विभाग का विभिन्न खनिजों का योजनाबद्ध प्राथमिक सर्वेक्षण का कार्य ठप्प होने पर चर्चा के लिये ।

83. खान एवं भूगर्भ विभाग की अकुशलता के कारण खनिज के दोहन में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिए ।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

84. धौलपुर स्टोन कम्पनी बरोली को राज्य हितों के प्रतिकूल लाभ पहुंचाने के लिये अकारण एवं अनावश्यक रूप से एक समिति का गठन कर जांच व रिपोर्ट का आधार तैयार करने पर चर्चा के लिये ।

85. आर. एस.एम.एम. लि. झामरकोटड़ा उदयपुर में खनन इत्यादि कार्यों हेतु क्रय की गई करोड़ों रुपयों की मशीनरी का पूरा उपयोग नहीं होने से हो रही क्षति के कारण विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

86. खनिज विभाग में एकाधिकारवादी प्रवृति व निहित स्वार्थों को प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

87. धौलपुर स्टोन कम्पनी बरोली के खनिज क्षेत्र का पट्टा दिनांक 20.10.78 को खंडित कर उसका कब्जा दिनांक 28.10.78 को ले लिये जाने के बावजूद सरकार की मिली भगत से वापस काबिज होने पर चर्चा के लिये ।

88. खनिज विभाग में एकाधिकारवादी एवं निहित स्वार्थों को लाभ देने हेतु नियमों में परिवर्तन करने तथा उनकी गलत व्याख्या करने पर चर्चा के लिये ।

89. आर. एस.एम.एम. लि. झामरकोटड़ा उदयपुर में अनुसूचित जाति एवं

(श्री रामकिशोर मीणा)

अनुसूचित जन जाति हेतु आरक्षण व पदोन्नति के राजकीय नियमों का प्रत्येक वर्ग एवं ग्रेड में पालन नहीं होने के कारण विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

90. जयपुर के समीप झालाना डूंगरी में अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को खनन पट्टे देने तथा सेक्टर नं. 6 में खान नं. 104 के लिये प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को गायब कर दूसरे को एलाट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

91. पट्टों के स्वीकार के अधिकार का प्रयोग सचिवालय में तत्परता से नहीं होने से स्वतः अस्वीकृति की श्रेणी में आये प्रार्थना-पत्रों के कारण राज्य कोष को होने वाली हानि तथा खनिज दोहन नहीं होने पर चर्चा के लिये।

92. धौलपुर स्टोन कम्पनी बरौली द्वारा दिनांक 30.4.80 को पट्टावधि समाप्त हो जाने के बाद भी सरकार की मिली भगत से अनधिकृत खनन जारी रहने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

92. ग्राम पंचायत कैलवा जिला उदयपुर के सरपंच द्वारा ग्राम तलाई तहसील राजसमन्द में अवैध खनन कार्य चालू करने व खनिज अभियन्ता राजसमन्द द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा),

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

94. राज्य में प्राप्त विपुल खनिज सम्पदा का समुचित दोहन न किये जाने पर चर्चा के लिये।

95. वर्तमान में कार्यरत खानों के समुचित विकास कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. राजस्थान में प्राप्त विपुल खनिज सम्पदा के सर्वे करा कर मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा),

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

97. नीम का थाना के बीस किलोमीटर के) व्यास में चूना पत्थर की लीज स्वीकृत करने की शर्तों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 42, 40 व 43 पर विचार

श्री अध्यक्ष : मचिर्वसिंह दीवान।

(अनुपस्थित)

श्री राम सिंह विश्नोई

श्री राम सिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा में उद्योग,

(श्री रामसिंह विश्नोई)

खनिज एवं राजकीय उपक्रमों की मांगों पर विचार होना है। मैं सबसे पहले राजकीय उपक्रमों, छोटे और बड़े उद्योगों के ऊपर मेरे विचार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग और खनिज राज्य की आमदनी का बहुत बड़ा जरिया हैं। जिस राज्य के अन्दर बहुत बड़े उद्योग और खनिज सम्पदा उपलब्ध होती है, उनका उपयोग राज्य सरकार अपने तरीके से राज्य के अन्दर करती है क्योंकि राज्य की खुशहाली की बहुत बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर हो जाती है। आज राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रान्त है। उस के बावजूद यहां पर हर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ता है। इसी कारण राज्य सरकार को जहां प्रति वर्ष करोड़ों रुपये जनता के जीवन-यापन के लिए खर्च करना पड़ता है वहां उद्योग धन्धे, राजकीय उपक्रम और खनिज सम्पदा के ऊपर अगर हमारी सरकार तवज्जोह नहीं देगी तो बहुत बड़ा नुकसान हमारी इस सरकार को और यहां का जनता को भुगतना पड़ेगा।

(2. 42. म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन,)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के अन्दर, हमारे जोधपुर शहर के अन्दर स्थापित उद्योग की स्थिति के बारे में आप से निवेदन करूंगा। इस वर्ष सरकार ने उद्योगों के ऊपर सामान की खरीद पर शत प्रतिशत टैक्स वृद्धि की और बिजली की दरों में बहुत बेशुमार वृद्धि की उससे हमारे उद्योग घोर संकट में पड़ गये हैं। 1978-79 में राज्य सरकार की जो नीति थी, उससे प्रभावित होकर हमारे प्रवासी राजस्थानियों, जो हमारे दूर दराज भारत के अन्दर बसे थे, यहां आकर राजस्थान में उद्योग लगाने का मानस बनाया था, अपनी मातृभूमि पर कुछ कर गुजरने का मानस बनाया था, वह आज हवा में बह गया है। आज यह स्थिति है कि हमारे जोधपुर शहर के अन्दर सरसों उद्योग है, वह आज मरणासन्न स्थिति में है। वे बैंक का कर्जा चुकाने की स्थिति में भी नहीं हैं। आज दो तीन सालों से बिजली की जो स्थिति है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस से आप लोग, राजस्थान के तमाम लोग वाकिफ हैं। पिछले वर्ष 81-82 के अन्दर जितनी बिजली हमारे उद्योगों को मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। शत प्रतिशत कटौती रहने के कारण हमारे तमाम उद्योग, यहां के उद्योगपति अपने सारे उद्योगों को समेटकर इस स्थिति में नहीं हैं कि कर्जा चुका सकें, ब्याज दे सकें। जोधपुर शहर के अन्दर उद्योगों में 50 हजार मजदूर कार्यरत थे उनकी स्थिति पेट भरने के काबिल भी नहीं रही। यह सब स्थिति है। हमारे इस बजट से दुष्परिणाम हमारे उद्योगों पर पड़ेंगे। मैं उम्मीद करूंगा, जो कुछ बजट में उद्योगों पर कर लगाया है, उस पर पुनर्विचार करें। आपने बजट भार बढ़ाया है उससे हमारे उद्योग धन्धे ठप्प हो जायेंगे, हमारे उद्योगपतियों की करोड़ों रुपयो की पूंजी लगी हुई है वह ठप्प हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में ग्वार गम की फैक्ट्री लगी हुई है, उस से

(श्री रामसिंह विश्नोई)

प्रति वर्ष राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को करीब 60 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। लेकिन इस उद्योग पर शत प्रतिशत टैक्स लगाये हैं, जो प्रतिशत किया है, उसकी वजह से हमारी पुरानी ग्वार गम की फैक्ट्री आज जोधपुर शहर के अन्दर बन्द हो गयी है या मरणासन्न स्थिति में हो गयी है, किसी तरह से कर्जा चुका नहीं सकती है। यह राज्य सरकार का फर्ज है, कर्त्तव्य है कि उद्योगों को पनपाने के लिए आपने उन पर जो टैक्स लगाये हैं उस पर पुनर्विचार करें, उन्हें वापस लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कर वृद्धि की है उस से सरकार को हानि होगी। आप बड़े-बड़े उपक्रम चला रहे हैं जैसे विद्युत विभाग है, रोडवेज उन पर भी सरकार तवज्जोह देती तो मेरे ख्याल से एक पैसे का टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। आज एक लाख पचास हजार यूनिट बिजली हम कंजूम करते हैं। 50-60 प्रतिशत हमारे बड़े उद्योग जो भारत सरकार से सम्बन्धित हैं उस 50-60 लाख यूनिट में से 80 प्रतिशत बिजली का उपयोग करते हैं लेकिन उनके ऊपर किसी भी तरह का कर भार नहीं लगाया है और केवल 10 प्रतिशत बिजली हमारे छोटे उद्योग काम में लेते हैं उनके ऊपर कर भार लगाकर बहुत बड़ा भार हमारे उद्योग पतियों पर डाला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मन्त्रीजी यहां पर विराजमान हैं, वे उद्योगों की स्थिति से वाकिफगार हैं। आज एक लाख पचास हजार यूनिट बिजली हम कंजूम करते हैं, अगर आप उस पर 3 पैसे का टैक्स लगाते हैं, तो उससे 16 करोड़ की आमदनी हमारी राज्य सरकार को हो सकती है और किसी भी तरह का कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज हमारे राजस्थान की रोडवेज है उसमें प्रति वर्ष 5 करोड़ का घाटा हो रहा है। 2 हजार गाड़ी चल रही हैं अगर आप सुव्यवस्थित ढंग से चैकिंग करते हैं तो रोडवेज के अन्दर आप 10 करोड़ का सुधार ला सकते हैं दो हजार गाड़ी है 30 हजार कर्मचारी हैं फिर भी 5 करोड़ के घाटे में चल रहा है। लेकिन आपके राजकीय उपक्रम रोडवेज, विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहे हैं कोई उनके ऊपर कन्ट्रोल नहीं है, बड़े बड़े उद्योग सारे घाटे में चल रहे हैं। बिजली पर टैक्स बढ़ाकर आपने किसानों की कमर तोड़ दी। पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जो उद्योगपति हैं उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जो उद्योग लगाये वे तीन चार साल के अन्दर उन्नति करते हैं। उनसे करोड़ों रुपयों की आमदनी राज्य सरकार को और भारत सरकार को होती है वह विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं उन लोगों के ऊपर आपने कर भार लगाया है, मैं समझता हूं वह किसी भी प्रकार से राज्य सरकार के हित में नहीं है। इससे बहुत बड़ा अहित राज्य सरकार का होगा और उद्योगपतियों ने उद्योग लगाये हैं वह ठप्प हो जायेंगे बन्द हो जायेंगे, उनको बाध्य होकर बन्द करना पड़ेगा और दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। करोड़ों रुपयों की राज्य सरकार की बैंकों की पूंजी लगी है वह भी चुकाने की स्थिति में नहीं होंगे और वह दिवालिया

(श्री रामसिंह विश्नोई)

घोषित हो जायेंगे । राज्य सरकार को प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों की जो ग्रामदनी होती है उस ग्रामदनी से भी महरूम होना पड़ेगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ग्रभी ग्वार गम के बारे में ग्रापको बताया कि हिन्दुस्तान 60 करोड़ का ग्वार गम विदेशों को निर्यात करता है । ग्रगर ग्रापने इस उद्योग पर कर लगाया तो हमारे राजस्थान के उद्योगपति, जिनके जोधपुर संभाग के ग्रन्दर उद्योग धन्धे लगे हुए है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के मुकाबले में खड़े नहीं रह सकेंगे क्योंकि बिजली की दर उन पर ज्यादा लग जायगी । कच्चे माल पर शत प्रतिशत दो सौ गुना ग्रौर तीन सौ गुना टैक्स लगाया है उससे भी बहुत बड़ा नुकसान उद्योग-धन्धों का होगा इसलिए जो भी कर लगाया है उसको वापस लें । पश्चिमी राजस्थान के ग्रन्दर जहां खेती की एयोरिटी नहीं है, जहां हर दूसरे-तीसरे साल में ग्रकाल पड़ता है ग्रौर लोग ग्रकाल में केवल खेती पर निर्भर रहते हैं इसलिए जब तक उस क्षेत्र में ग्रौद्योगीकरण नहीं होगा तब तक वहां का विकास नहीं हो सकता है । ऐसी स्थिति में उद्योगों के ऊपर टैक्स लगाना कर लगाने से बहुत बड़ा नुकसान हमारे किसानों का होगा, उससे हमारे क्षेत्र के उद्योगपतियों का, राज्य सरकार का बहुत बड़ा ग्रहित होने की सम्भावना है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवदानसिंह ।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या 40,42 ग्रौर 43 पर कटौती प्रस्ताव रखे हैं । इसके सम्बन्ध में ग्रापके माध्यम से सरकार को मेरे विचारों से ग्रवगत कराना चाहता हूं । कृषि ग्रौर उद्योग दो ऐसे स्तम्भ हैं जिनसे हमारे राजस्थान का विकास होता है । वित्त मन्त्री महोदय, कृषि ग्रौर उद्योग पर करों का भार बहुत बढ़ रहा है । करों का भार बढ़ायें, वह प्रोफेसन के हिसाब से बढ़ायें । जो कर लगाये जाते हैं, जो भी टैक्स लगाया जाता है वह ग्रामदनी के हिसाब से लगाया जाता है । उद्योगों की बिजली पर ग्रापने टैक्स बढ़ाया है ग्रौर किसानों पर भी ग्रापने टैक्स बढ़ाया है । ग्रगर ग्राप सहूलियतें दे रहे हैं तो ग्राप कृषि ग्रौर उद्योगों पर टैक्स बढ़ायें । सरकार का पैसा इन धन्धों पर ग्रगर ग्राप खर्च कर रहे हैं तो सरकार उनसे टैक्स ले, यह बिल्कुल उचित बात है । लेकिन इस टैक्स को किस हिसाब से लिया जाय ? किसानों का पैसा लें ? किसी के पास रुपया बढ़ गया सैकड़ों बीघा जमीन है उस पर भी ग्राज टैक्स बढ़ रहा है ग्रौर जिसकी ग्रामदनी कम बढ़ रही है उस पर भी टैक्स उसी प्रकार से बढ़ रहा है । जो टैक्स बढ़ाने का तरीका या प्रणाली है उसमें हमने यह किया कि समान प्रोफेसन पर एक समान टैक्स लगायें । इसी प्रकार बिजली की रेट्स में ग्रापने बढ़ोतरी की । इस प्रकार की चीज है कि जो छोटे उद्योग हैं उन पर उतना ही भार पड़ता है जितना कि एक करोड़ रुपया कमाने वाले पर पड़ता है । कुल मिलाकर जो इण्डस्ट्री घाटे में जा रही है उस पर भी वही भार पड़ रहा है जो हजारों करोड़ों-रुपया प्रतिवर्ष

(श्री शिवदानसिंह)

कमाने वाली इन्डस्ट्री पर पड़ रहा है। मेरी मान्यता है कि सरकार को टैक्स लगाना चाहिये और अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिये। सरकार कृषि और उद्योगों पर लाखों-करोड़ों रुपया अगर खर्च कर रही है तो उनसे वापस सरकार पैसा वसूल करे और दूसरे विकास कार्यों में लगाये। टैक्स लगाना चाहिये लेकिन उसको आमदनी से जोड़ना पड़ेगा। यह नहीं है कि प्रोफेसन के साथ जोड़कर सब पर एक समान टैक्स लगा दिया जाय। इसको स्लेब रेट की तरह लगाना चाहिये कि आपकी इतनी इरिगेशन है उस पर यह चार्ज होगा, आपकी इतनी आमदनी है उस पर यह चार्ज होगा। जिस स्मॉल इण्डस्ट्री की जितने यूनिट बिजली की खपत है उतने यूनिट तक उसका यह चार्ज होगा, उसके बाद में जो जितनी खपत कर रहे हैं उस पर इस हिसाब से यह चार्ज होगा। हमारे जोधपुर में कहीं तो ऐसा है 650 फैक्ट्रीज में लोड मिलाकर 10 मेगावाट बिजली खर्च हो रही है और डी. सी. एम. की जो फैक्ट्री है उसमें 100 मेगावाट बिजली खर्च हो रही है। कितना डिफरेन्स है ? एक फैक्ट्री पर 100 मेगावाट बिजली खर्च कर रहे हैं और सारे जोधपुर डिवीजन की फैक्ट्रियों पर करीब 10 मेगावाट बिजली का खर्चा आ रहा है। उनकी बहुत कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों की वजह से वहां के उद्योग पनप नहीं रहे हैं, उनका विकास नहीं हो रहा है। आज उद्योग धन्धे को फायदा नहीं है। किसानों और मजदूरों को उन उद्योगों से धन्धा मिल रहा है, जोधपुर में आज 400, 500 फैक्ट्रियां हैं उनमें कुल मिलाकर 50 हजार मजदूर हैं जब कि कोटा में डी. सी. एम. की फैक्ट्री लगी हुई है उसमें करोड़ों रुपया लगा हुआ है और 200, 400, 500 मजदूर काम करते होंगे, वहां पर मजदूरी भी पूरी नहीं देते हैं और हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर का पूरा उपभोग भी कर रहे हैं। हर साल प्रॉफिट है उस पर भी आपने यही सौ, दो सौ करोड़ रुपयों का टैक्स लगाया और एक बेचारा जो दस हजार, पचास हजार, लाख रुपया लगाकर फैक्ट्री लगाता है उस पर भी वही टैक्स लगा रहे हैं। कृपा करके इस टैक्स को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि वह इन्कम के हिसाब से लगाना चाहिये। जिसकी जितनी खपत है, जिसकी ज्यादा यूनिट की खपत है उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा तो जो ज्यादा खपत कर रहे हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगायें, कम खपत वालों पर कम टैक्स लगायें, जिसकी इन्कम ज्यादा हो उस पर टैक्स ज्यादा लगना चाहिये, जिसकी इन्कम कम हो उस पर टैक्स कम लगाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इंडस्ट्रियल डवलपमेंट है उससे कुछ लोगों की धारणा बन रही है कि इण्डस्ट्री से लखपति बन गये हैं और बड़े आराम में है। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा जो इण्डस्ट्री लगा रहे हैं, जिन्होंने खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये बहुत ही साहस करके हाथ बढ़ाया है वहां उनको कितनी कठिनाइयां हैं ? सब प्रकार की कठिनाइयां हैं फिर भी हिम्मत करके पूंजी उधार लेकर

(श्री शिवदान सिंह)

जो वहां धन्धे में पूंजी लगायी है यह बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार एक छोटे से बालक को पाल कर उसे बढ़ा करके पढ़ा-लिखा करके तैयार करते हैं। इसी प्रकार से उद्योग-धन्धे को भी बालक की तरह से दो साल, तीन साल, चार साल तक पनपाया जाता है, पूरी देख-रेख की जाती है सारी इनर्जी और पैसा उसमें लगाया जाता है तब कहीं जाकर उद्योग पनपता है। ऐसा नहीं है कि आज उद्योग लगाया और आज से ही उसकी इन्कम शुरू हो गई। तीन साल तक तो यह है कि कोई भी फैक्ट्री प्रॉफिट में जा नहीं सकती। इस बार वित्त मन्त्रीजी ने टैक्स लगाये है जो नई फैक्ट्रीज हैं उन फैक्ट्रीज पर भी एक पैसा टैक्स लगाया और पुरानी जो फैक्ट्रीज हैं उनके साथ सरकार का कमिटमेंट था कि पांच साल तक एक पैसा टैक्स लेगे उसकी बजाय सरकार ने दो पैसा कर दिया। इस प्रकार हमने हमारे कमिटमेंट को तोड़ा है। उद्योगपति राजस्थान के बाहर रहते हैं वह यहां आने के लिए निरुत्साहित होंगे और हमारी सरकार का जो कमिटमेन्ट था, उद्योगपतियों के साथ उसको पूरा कर नहीं सकते। हमारा फर्ज है जो भी कमिटमेन्ट करें उसे हम पूरा करें। उन पर पांच साल तक एक पैसा टैक्स, पांच साल से ज्यादा जिस फैक्ट्री को हो जाय उस पर दो पैसा रखते। पांच साल से ज्यादा जिस फैक्ट्री को समय हो जाय उस पर टैक्स बढ़ायें, जिसके साथ आपने रिटन में एग्रीमेन्ट किया है उसमें कण्डीशन है कि पांच साल तक हम आपके उद्योग पर एक पैसा टैक्स लगायेंगे उस पर आपको दो पैसा नहीं लगाना चाहिये। पांच वर्ष पूरे हो जायं उसके बाद टैक्स लगाना चाहिये। इसी प्रकार से नये उद्योग हैं उनको तीन साल तक प्रॉफिट नहीं हो सकता उन पर एक पैसा टैक्स होगा। तीन साल तक वह पनप नहीं सकते। मेरा निवेदन है कि तीन साल तक सरकार को टैक्स नहीं लगाना चाहिये। उनको पनपाने की सहूलियतें दी जानी चाहिये। उसके बाद जब पनप जाय तब पांच साल बाद दो पैसा कर दीजिये।

मेरा निवेदन है कि उद्योगों को पनपाने के लिये ऐसी कार्य प्रणाली अपनावें जिससे बाहर जो उद्योगपति हैं वह राजस्थान में आवें और यहां जो उद्योग हैं उनका राजस्थान से बाहर जाना रुके।

इसी प्रकार से मेरा आपसे निवेदन है कि उद्योगपति अपना स्वयं का जनरेटिंग सेट लगाता है, बिजली पैदा करने लिये।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं जो प्राइवेट जनरेटिंग सेट लगे हैं उन पर टैक्स लगाया है। अगर किसान खुद के काम में बिजली ले तो दो पैसा टैक्स माफ किया जाय, यदि वह किसी दूसरे व्यक्ति को बिजली देता है, सहूलियत देता है आप उससे 6 पैसे के बजाय 10 पैसे लें। लेकिन वह स्वयं इसका उपभोग कर रहा है उस पर आप टैक्स लगा रहे हैं और बिजली भी पूरी नहीं दे रहे हैं। मेरा आपसे कहना है कि दो पैसा माफ किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं उद्योगपति बहुत बढ़ रहे हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में करोड़ों रुपये की

(श्री शिवदान सिंह)

पूंजी लगी हुयी है। आपकी मोनोपोली है, एकाधिकार है और बेस्ट से बेस्ट क्वालिफाइड आदमी वहां लगे हुए हैं, फिर भी वह लॉस में क्यों जा रहा है ? उद्योग मंत्री जी आप कठिनाइयां समझें। सरकार की इतनी कोशिश करने के बाद भी उद्योग पति प्राफिट में नहीं हैं और एक उद्योगपति जिसके पास इतने साधन नहीं हैं, उसको कम्पीटिशन में रहना है उसको निरुत्साहित किया जा रहा है, इसका उद्योगों पर बुरा रिजल्ट पड़ने वाला है । मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर पुर्विचार करें। विद्युत दरों के मामले में मैं निवेदन करना चाहता हूं इस वर्ष उद्योगों पर 23 पैसे की जगह 47 पैसे किये हैं। करीब 100 पर्सेंट बिजली की दर बढ़ा दी और बिजली नहीं दे रहे हैं। उद्योग लॉस में जा रहे हैं और आप बिजली की दर बढ़ाते जा रहे हैं। यह परिपाटी हम डालने जा रहे हैं और यह समझते हैं कि इससे राजस्थान का विकास हो जायेगा, राजस्थान को इतना पैसा आयेगा। मैं दावे के साथ सरकार को कहना चाहता हूं कि आपकी यह विचारधारा बिलकुल गलत है, उद्योगपति लॉस में जाते जायेंगे, उनका प्रोडक्शन गिरता जायेगा, रिजल्ट यह निकलेगा कि जो पैसा आज आ रहा है वह नहीं आयेगा और सरकार को आमदनी होने के बजाय और घाटा ही होगा। इसलिये आप इस पुनर्विचार करें कि किस प्रकार उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सके। इसका एक ही तरीका है कि आप कंजम्पशन और इनकम के साथ टैक्स को जोड़िये। जिस प्रकार उनकी इन्कम बढ़ती है, जिस प्रकार वह कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, कम वाले के साथ कम टैक्स लगायें और ज्यादा वाले के साथ ज्यादा टैक्स लगायें। आज सरकार ने यह बताया कि टैक्स और विद्युत दर से इस वर्ष करीब 16 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो सरकार का केलकुलेशन है, वह बिलकुल गलत है। जो टैक्स, विद्युत दर बढ़ाई गयी है, मेरा इसमें केलकुलेशन यह है कि इससे सरकार को 55 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। वह किस प्रकार से होगी ? जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वह तो सरकार को टैक्स दे नहीं रही हैं। आप यदि बड़े उद्योगपतियों से टैक्स लें, डी. सी. एम., जे. के. और अन्य टैक्सटाइल इडस्ट्रीज लगी हुई हैं, डी. सी. एम. से 6 करोड़ रुपये जे. के. से 2 करोड़ रुपये की और जो 33-34 टैक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उनसे 3 करोड़ रुपये की अमदनी होगी....

श्री उपाध्यक्ष : कौन सा टैक्स लगाया जाये, इस पर आप सुझाव दें।

श्री शिवदान सिंह : मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार करीब 54 करोड़ रुपये की आमदनी होती है। जो इन्होंने आंकड़े बताये हैं वह गलत है। 54 करोड़ रुपये अगर सरकार लेना चाहती है तो सरकार का यह टैक्स वाजिब है। लेकिन सरकार यह कहे कि यह पर्चेज टैक्स और विद्युत दर लगा कर हम 16 करोड़ रुपये की आमदनी कर रहे हैं, तो सरकार के अधिकारियों ने जो आंकड़े दिये हैं वह गलत हैं, फ्राड हैं। 16 करोड़ रुपये, जैसा विश्नोई साहब ने बताया कि 3 पैसे प्रति यूनिट सरकार बचाये तो भी

(श्री शिवदान सिंह)

16 करोड़ नहीं होता। हम जब कि 10 पैसे प्रति यूनिट ले रहे हैं। वास्तविक स्थिति जो वित्त मंत्री जी ने बताई है कि राजस्थान में प्रतिदिन एवरेज करीब एक करोड़ 50 लाख यूनिट बिजली सरकार अवेलेबल होती है। उसका ब्यौरा उन्होंने बताया है कि 75 लाख यूनिट तो भाखड़ा और व्यास मैनेजमेंट बोर्ड से डेली प्राप्त होती है, 40 लाख यूनिट कोटा से प्राप्त होती है, अभी वह बन्द है उसको जोड़ कर एवरेज उन्होंने बताई है, और 30-35 लाख यूनिट अन्य दूसरे सोर्सेज से लेते हैं। कुल मिलाकर गत वर्ष का 1 करोड़ 50 लाख यूनिट डेली का औसत निकला हे और उस पर 10 पैसे बढ़ायें तो, उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, उद्योग मंत्री जी इस पर थोड़ा ध्यान दें, लेकिन सरकार तो सो रही है....

(व्यवधान)

एक करोड़ 50 लाख यूनिट पर 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया जाये तो रोज का 15 लाख रुपया सरकार को प्राप्त होता है और साल भर का केलकुलेशन करें तो करीब 44 करोड़ रुपये बनेगा। आपने यह बताया कि कैसे बढ़ा? पर्चेज टैक्स और विद्युत दर दोनों को मिलाकर सरकार को 16 करोड़ की आमदनी होगी, जो बिलकुल गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार इनके पास 44 करोड़ रुपया आयेगा। हम एक तरफ तो सहूलियतें नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ 44 करोड़ रुपये का टैक्स या विद्युत दर बढ़ाई है। एक पर्सेंट पर्चेज शुल्क, उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है। उसको जोड़ें केवल विद्युत दर 10 पैसे बढ़ाई जा रही है उससे सरकार को 44 करोड़ रुपये की आमदनी होगी....

श्री उपाध्यक्ष : आपका मतलब है, प्रोडक्शन टैक्स टर्न ओवर पर ?

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन करना चाह रहा था इस प्रकार सरकार ने जो आंकड़े दिये है वह बिलकुल गलत हैं।

हमारे वित्त मंत्री महोदय ने किसानों की पांच श्रेणियां की हैं। अच्छा होता यदि उद्योगपतियों की भी इसी प्रकार श्रेणियां करते, शायद वह भूल गये। एक उद्योगपति जिसको आज 100 करोड़, 200 करोड़ का सालाना प्रॉफिट है और दूसरा चाहे 10 हजार साल घाटे में जा रहा है हमारे वित्त मंत्री जी ने उन सबको एक श्रेणी में रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसी प्रकार उद्योगपतियों को भी डिवाइड किया जाये। राजस्थान में 20-25 हजार फैक्ट्रीज हैं, हमारे वित्त मंत्री जी चाहे एक लाख बतायें, वह पान की दुकान को, साइकिल की दुकान को भी इंडस्ट्रीज में मान लें, वह अलग बात है। हमारी 15-20 हजार इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं उनमें 10-15 फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो बड़ी-बड़ी हैं जिनमें करोड़ों रुपये की लागत है वह सब से ज्यादा सरकार के पानी, बिजली का उपभोग कर रही हैं सारी इंडस्ट्रीज में केवल ये इंडस्ट्रीज 80 प्रतिशत पानी बिजली उपभोग कर रही हैं और सरकार को एक पैसा टैक्स नहीं देती। उनका जो

(श्री शिवदान सिंह)

प्रोडक्शन होता है वहां सारा का सारा प्रोडक्शन डिपोर्ट ट्रांसपोर्ट से बाहर जाता है और वहीं बिकता है, राजस्थान सरकार की उनसे कोई आमदनी नहीं होती है । हमारे वित्त मंत्री जी ने किसानों पर विद्युत दर बढ़ाई उसकी हाउस में दलील दी कि किसान बिजली का उपभोग कर रहे हैं। जो बिजली का उपभोग कर रहे हैं उससे टैक्स लिया जाना चाहिये । उपभोग कर रहा है 'ए' और 'बी' पर उसका वजन डाल रहे हैं । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो हमारी 80 परसेन्ट बिजली का उपभोग जो यह 15 इंडस्ट्रीज कर रही हैं और राजस्थान को एक पैसा टैक्स नहीं दे रही हैं उनके टैक्स का पैसा आप बाकी फैक्ट्रीज से कैसे वसूल कर रहे हैं? उसका हर्जाना आप बाकी इंडस्ट्रीज से कैसे वसूल कर रहे हैं ? उन 15 इंडस्ट्रीज पर आप हाथ नहीं डाल रहे हैं, उन पर आप टैक्स नहीं लगा रहे हैं, उनकी बिजली नहीं रोक रहे हैं, पानी नहीं रोक रहे हैं, फाइनेन्शियल सोर्स नहीं रोक रहे हैं; सारा उनको दे देते हैं । उनको 100,200 करोड़, 50 करोड़ रुपये का सालाना फायदा होता है। नम्बर एक की आमदनी है उस पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं और जो 50 हजार रुपये की लागत से जोधपुर में, बाड़मेर, बालोतरा में इंडस्ट्रीज बनी हैं, जिनको लॉस हो रहा है, उन पर आप टैक्स लगा रहे हैं। इससे लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लॉस हो रहा है । जो फैक्ट्रीज आपको टैक्स नहीं दे रही हैं, उसका हर्जाना आप छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से लेना चाहते हैं, जो बड़ी मुश्किल से पैसा लगा रही हैं । वित्त मंत्री जी ने बताया कि हम उस किसान से पैसा लेना चाहते है जो सहूलियतों का उपभोग कर रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इंडस्ट्रीज पर भी यह फार्मूला लागू किया जाये, जो सहूलियतें ले रहा है इससे टैक्स वसूल किया जायेगा । यह नहीं हो कि 'ए' सहूलियत लेता है और 'बी' को टैक्स देना पड़ता है । बोर्ड आपका घाटे में जा रहा है । घाटे में क्यों जा रहा है ? आप टैक्स नहीं ले रहे हैं । श्री राम को लाखों रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बिल है, लाखों रुपया सरकार का उस फैक्ट्री पर बकाया है । वह पैसा वसूल नहीं हो रहा है । जो घाटा हो रहा है उनको पूरा करने के लिए छोटे लघु उद्योगपतियों को मारने जा रहे हैं । जो नुकसान बोर्ड को हो रहा है उससे छोटे उद्योगपतियों को मारना चाहते हैं यह सरासर छोटे उद्योगपतियों के साथ सरकार अन्याय करने जा रही है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें और जिस तरह से कृषि में आपने वर्गीकरण किया है उसी प्रकार इंडस्ट्री में वर्गीकरण किया जाये । जिस प्रकार की फार्मूला आपने किसानों के लिए लागू किया है कि जो काश्तकार उपभोग कर रहा है उससे वसूल किया जायगा इसी प्रकार इंडस्ट्री में आप यह कीजिये कि जो बिजली का जितना उपभोग कर रहा है उससे उतना पैसा वसूल किया जाय और दूसरे से वसूल नहीं करें, उसका बोझ दूसरों पर नहीं डालें ।

(श्री शिवदानसिंह राठोड़)

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष, महोदय, मै निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कितना भी बिजली पर टैक्स बढ़ाये, कितना भी कर दे, दो बाते जब तक सरकार नहीं करेगी एक तो ये 15 फैक्ट्रीज जो करोड़-पतियों की लगी हुई हैं या गवर्नमेंट फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, कोटा में डी. सी. एम., रेयन्स और श्रीराम फर्टिलाइजर्स, से जब तक टैक्स वसूल नहीं करेंगे तब तक बोर्ड को घाटा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप जानते हैं कि सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ प्रिविलेजेज हैं। इनसे कैसे टैक्स लिया जाय सके इसके लिए आप सुझाव दें।

श्री शिवदान सिंह राठोड़ : मेरा इस संबंध में सुझाव है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रान्सफर डिपो है उसे राजस्थान सरकार ले और भी कई तरीके हैं न जिनके द्वारा राज्य सरकार इनसे पैसा वसूल कर सकती है। आप कोई भी नाम रख दें आप टर्न-ग्रोवर टैक्स लगा दें, इस डिपों से उस डिपो में जो माल जा रहा है जो ट्रांसफर हो रहा है उस पर टर्न-ग्रोवर टैक्स लगा दें। राजस्थान में जो डिपो से माल ट्रांसफर होगा उस पर टैक्स लगायें। राज्य सरकार इसके लिये सक्षम हैं, नियमों में सरकार को छूट हैं, यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का मामला है, राज्य सरकार एक टर्न-ग्रोवर-टैक्स लगा दे। इस डिपो से उस डिपो में जो माल ट्रांसफर हो रहा है उस पर टैक्स लिया जाय। हमारी स्टेट में यह टैक्स लागू नही है....

श्री उपाध्यक्ष : टर्न-ग्रोवर पर ?

श्री शिवदानसिंह राठोड़ : जी हां। जो डिपों से माल ट्रांसफर हो जाता है उस पर टर्न-ग्रोवर टैक्स लगा दिया जाय, एक डिपो से दूसरे डिपो को ट्रांसफर हो जाय उस पर राज्य सरकार टर्न ग्रोवर टैक्स वसूल करे और बिजली पर....

श्री उपाध्यक्ष : किसी स्टेट में ऐसा लगा है क्या ?

श्री शिवदानसिंह राठोड : राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा प्रगतिशील कदम उठाये और यह श्रेय राजस्थान सरकार ले। लाखों लोग राज्य सरकार की वाहवाही करेंगे।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अरबों रुपये मिलेंगे।

श्री शिवदानसिंह राठोड़ : दूसरा सुझाव और रचनात्मक सुझाव है कि टर्न-ग्रोवर टैक्स के अलावा राज्य सरकार बिजली के कन्जम्पशन पर टैक्स लगाये। मैंने निवेदन किया था कि जोधपुर में 10 मेगावाट बिजली की खपत होती है। एक-एक फैक्ट्री में 100-100 मेगावाट की बिजली की खपत होती है जब कि सारे जोधपुर डिवीजन में एग्रीकल्चरल का लोड मिला कर करीब 10 मेगावाट की खपत बताते हैं। आप 100 मेगावाट बिजली के यूनिटस पर टैक्स लगायें जिससे अपने आप बिजली कंजम्पशन में कट करेंगे। उन फैक्ट्रीज की रेट्स डबल नहीं ट्रिपल किये जायं, और इनको माफ कीजिये।

(श्री शिवदानसिंह)

एक मेरा निवेदन है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भारी घोटाला है, आप कितना ही टैक्स बढ़ायें समुद्र में सब खप जायेगा, इसका पानी खारा ही खारा रहेगा, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पानी खारा है। यहां राजगोपालन आकर बैठ गया। मैंने बजट भाषण पर भी निवेदन किया था, उपाध्यक्ष महोदय, आज आपके माध्यम से पुनः सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को राजगोपालन ने मटियामेट कर दिया है। और यह एक × × ×बन कर बैठ गया है....

श्री उपाध्यक्ष : नाम लेकर नहीं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा है।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उन्होंने बोर्ड को मटियामेट कर दिया है, इसके तीन कारण हैं। एक तो ये किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं हैं, लघु उद्योगपति आते हैं तो उनसे मिलने को भी तैयार नहीं हैं और जो विभाग में टैक्निकल आदमी हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी राय ये कतई नहीं मानते जिसका रिजल्ट यह है कि बोर्ड का भट्टा ही बिठा दिया है। मेहरबानी करके इस बोर्ड से आई. ए. एस. अधिकारियों को हटायें और टैक्निकल पर्सन्स, जो इन्जीनियर्स हैं, जो समझते हैं जो क्वालिफाइड पर्सन्स है उनको लगायें, इस प्रकार की व्यवस्था हो। जब तक बोर्ड का चेयरमेन टैक्निकल आदमी आप नहीं लगायेंगे और बोर्ड को आई. ए. एस. के हाथ में रखेंगे तब तक इस बोर्ड का कोई कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इस काम को समझते नहीं हैं। आई. ए. एस. प्रशासन को चलाना जानते हैं, बोर्ड को चलाना कतई नहीं जानते हैं। इनको कोई नॉलेज नहीं। ये जान बूझकर जो बोर्ड के अच्छे क्वालिफाइड पर्सन्स, आदमी हैं उनको डिमोरेलाइज करते हैं जिसका नतीजा यह है कि बोर्ड बिलकुल डूबता जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आई. ए. एस. अधिकारियों को हटाकर टैक्निकल आफिसर को बोर्ड का चेयरमेन बनाया जाय। सीधी सादी बात है कि राजस्थान में हमारे बोर्ड में, विद्युत विभाग में करीब 30 पर्सेन्ट लॉस हैं जब कि अन्य राज्यों का एवरेज है 12 या 15 पर्सेन्ट। तो राजस्थान में बोर्ड में इतना नुकसान क्यों हो रहा है, इतनी बिजली कहां चली जा रही हैं? हम कहते हैं कि हमारी जो लाइन्स जा रही हैं उनमें नुकसान होता है। हकीकत यह नहीं है। हकीकत यह है कि बिजली की चोरियां हो रही हैं और यहां जो अधिकारी लगे हुये हैं वह मालामाल हो रहे हैं। उन असिस्टेन्ट इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के एक आदमी को 600 रुपये तनख्वाह मिलती है, आज लाखों रुपये के जयपुर में बंगले बने है। सारी बिजली की चोरी होती है और हमको समझा दिया जाता है कि ये ट्रांसमिशन लॉसेज है। जब कि 30 पर्सेन्ट लास हिन्दुस्तान में किसी स्टेट में नहीं हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अलावा 30 पर्सेंट ट्रांसमिशन लॉसेज कहीं नहीं हैं। अन्य राज्यों में 12 से 15 पर्सेंट लासेज

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित कीया गया।

(श्री शिवदानसिंह)

हैं और हमारे यहां 30 पर्सेंट लॉसेज हो रहे हैं? इसलिए जब तक टेक्निकल आदमी नहीं लायेंगे, आई. ए. एस. को बिठाए रखेंगे तब तक इसी प्रकार होगा। टेक्निकल आदमी और चेयरमेन का प्रशासन में कतई तालमेल नहीं है जिसका नतीजा है कि हमारा बोर्ड फेल्योर होता जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा राजकीय उपक्रमों के संबंध में सुझाव है। हमने राजकीय उपक्रम रोडवेज या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड शुरू किये इसके पीछे सरकार की मन्शा यह थी कि लाखों रुपये इन उद्योगों में लगाकर उससे जो प्राफिट होगा उसको हम जनता के डवलपमेंट के लिये लगायेंगे। राजकीय उपक्रम प्राफिट कमायेंगे उससे सरकार को जो नफा होगा उस पैसे को विकास में लगायेंगे और पब्लिक पर टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये, सारे सरकारी उपक्रम शुरु किये थे, उसके पीछे मन्शा यह थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि बिलकुल उलटा हो रहा है। उनसे लाभ हो और पब्लिक से टैक्स न लें, उस को डवलपमेंट में लगाये, उसके बजाय यह हो रहा है कि सारे उपक्रम घाटे में जा रहे हैं उस घाटे की पूर्ति करने के लिये बेचारे गरीब किसान और मजदूरों पर टैक्स लगा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा था कि हम किसानों पर टैक्स इसलिये लगा रहे हैं कि किसान बिजली पानी उपभोग कर रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, बिजली पानी उपभोग कर रहा है? इस घाटे के पैसे का कौन उपभोग कर रहा है? यह आपका घाटा जा कहां रहा है? रोड़वेज में आपकी दो हजार बसेजहैं लेकिन लगातार रोडवेज घाटे में जा रहे है? 1976-77 में 60 लाख के आसपास लॉस था, 1977-78 में 2·60 करोड़ के आसपास हो गया और मैं समझता हूं इस समय रोडवेज करीब 7-8 करोड़ के घाटे में चल रहा है। 7-8 करोड़ के घाटे की पूर्ति के लिए राजस्थान के किसान और मजदूरों से पैसा लेना चाहते हैं? जो रोडवेज में सफर करते हैं, रोडवेज में सफर कौन कर रहा है? गरीब आदमी कर रहा है जिसके पास कार नहीं है। पैसे वाला रोडवेज में सफर नहीं करता है, जो कार रखने की हैसियत वाला नहीं है साधारण व्यक्ति मध्यम वर्ग के लोग है वे इस रोडवेज में सफर कर रहे हैं। आपको राजकीय उपक्रमों से घाटा हो रहा है। राजकीय उपक्रमों इसलिये शुरू किया था कि लोगों से टैक्स कम लेंगे। उसके बजाय इन उपक्रमों में घाटे की वजह से आप लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं और टैक्स लगाकर उस घाटे को पूरा कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं यदि इन उपक्रमों को आप चलायें तो इनके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको टाइम बाउंड फेज्ड प्रोग्राम दीजिये कि इस इस समय तक इतना इतना प्रॉफिट होना चाहिये, जो प्रशासनिक कमियां है दूर की जानी चाहिये। अगर सरकार इसमें असमर्थ रहती है या हमारी मशीनरी प्राफिट में नहीं ला सकती तो है मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा

(श्री शिवदानसिंह)

कि आप राजस्थान से करोड़ों रुपये का टैक्स नहीं ले सकते । आपके सरकारी अधिकारी पैसा खा रहे हैं, दूसरे खा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस गरीब जनता को मारते जा रहे हैं, समाजवाद कहां ला रहे हैं । सरकार नहीं खा रही है, सरकारी अधिकारी खा रहे हैं, आप समझने का कष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : यदि इन उद्योगों को सरकार चला नहीं सकती है तो सोज बंद कर दीजिये, प्राइवेट डीलर्स को दे दें ताकि गरीब पर टैक्स न लगे । एक और बात, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं वह लाइम स्टोन के बारे में है। सोजत में 15-20 किलोमीटर लाइम स्टोन की खानों की लीजेज कुछ व्यक्तियों को दी हुई है वह व्यक्ति वर्षों से उन पर काबिज हैं । उन लोगों ने लाखों रुपये उससे कमाये हैं और लखपति से करोड़ पति बनते जा रहे है । वह इससे भी आगे बनते ही जा रहे है । तो मेरा निवेदन यह है कि लाइम स्टोन, बहुत ही कीमती पत्थर है । जो आपने कुछ आदमियों के हाथ में दे दिया है । सोजत और गोटन के बीच मेंजो खाने दी हैं मेरा निवेदन यह है कि आप उनकी लीजेज को केन्सिल कीजिये । और एक एक किलोमीटर का लीज आप शिड्यूल्ड कास्ट्स और उन एम्प्लायड ग्रेजुएट्स को दीजिये । आप इस प्रकार के व्यक्तियों को एक एक किलोमीटर की खान के टुकड़े दीजिये जो कि सीमान्त काश्तकार है या मध्यम वर्ग तबके के लोग है उनको आप यह लीज दीजिये । जिन लोगों की मोनोपोली है, वर्षों से जिन्होंने लीज लेकर लाखों रुपये कमाये हैं उनकी लीजेज को केन्सिल करिये । आप इन गरीबों को दीजिये, बस इतना ही मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं थोड़ा तैयार होकर नहीं आया हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजबहादुर ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं बहुत ही थोड़े में संक्षेप में थोड़ी सी बात सवालों के रूप में मुख्य मन्त्रीजी, जो हमारे उद्योग मन्त्रीजी है, से पूछना चाहूंगा ।

एक माननीय सदस्य : वह नहीं हैं ।

श्री राजबहादुर : वह नहीं हैं तो कोई बात नहीं उनके असिस्टेंड्स बैठे हैं श्री युक्त राज्य मन्त्रीजी बैठे है जो उनकी जगह काम कर रहे हैं ।

मैं वैसे कुछ अधिक नहीं कह कर संक्षेप में कहना चाहता हूं । पहली बात यह है कि यह आपका प्राडक्टिविटी ईयर है । उत्पादकता का वर्ष है, हम आशा करते हैं कि चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे, खनिज का क्षेत्र हो उसमें हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन को बढ़ाने के लिये उपाय किये जायेंगे । जिन

(श्री राजबहादुर)

मांगों की हमसे सिफारिश करायी जा रही है जो राशि हम लोगों से मन्जूर करायी जायेगी या जिन विभागों की मांगों को हम स्वीकार करने जा रहे उसके लिये कोई स्पष्ट नक्शा भी है कि हम यह उत्पादन किस प्रकार से करेंगे ! आप चाहें उद्योगों को ही ले लीजिये वैसे मेरा उद्योगों से ज्यादा संबंध नहीं रहा, मेरे पास कुछ उपक्रम थे लेकिन मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यदि आपके पास उद्योगों के लिये पावर नहीं है तो आपके उद्योग नहीं पनप सकते है, पावर के साथ वाटर नहीं है या वाटर फेसिलिटी नहीं है तो आपके उद्योग नहीं पनप सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी नहीं है तो आपके उद्योग नहीं पनप सकते हैं। और फिर अगर आपके पास रॉमैटीरियल की फेसिलिटी नहीं हैं तो आपके उद्योग नहीं पनप सकते है। और इसके अलावा अगर लेबर चीप और एफिशियेन्ट चाहे स्किल्ड या अनस्किल्ड आपके पास नहीं है तो आपका उद्योग नहीं पनप सकता है। जो भी पांच छः बाते हैं मैं उद्योगों का नाम नहीं लेना चाहता पर चाहे जो भी उद्योग हों यह पांच छः बातें होना आवश्यक है। अब आपके बजट में जो मांगें हैं और मांगों के पीछे जो वक्तव्य आपका होगा उसमें इसका आप संकेत दें यह मैंने सबसे पहला सवाल रखा है। मैंने यह सवाल पहले भी रखा आपके सामने, हम में से बहुत से लोग सवाल रखते हैं जैसा कि माननीय सदस्य शिवदान सिंह जी ने कहा, बहुत ही तर्कपूर्ण अपने वक्तव्य में कहा कि यह जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज आपकी हैं जैसे जे. के. नायलोन शीश राम फर्टिलाइजर या....

एक माननीय सदस्य : शीशराम नहीं, श्रीराम फर्टिलाइजर्स।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप भूल गये क्या बाबूजी ?

श्री राज बहादुर : नहीं, मैं भूला नहीं हूं। मैंने जान बूझ कर उसका नाम लिया वैसे मेरा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रहा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामजी यहां पर बैठे हुए हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं, श्रीराम जी पर आपका विशेष प्रेम है और अभी वह बीमारी से उठे हुए है।

श्री राजबहादुर : मुझे श्रीराम जी का नाम नहीं लेना था मैंने जानबूझ कर शीश रामजी का नाम लिया क्योंकि वह यहां पर नहीं थे। मैंने सोचा कि वह बुरा नहीं मानेंगे इसलिये मैंने शीश रामजी कहा, खैर श्रीराम फर्टिलाइजर्स कह देता हूं।

मेरा यह निवेदन है कि आपने बड़ा ही रेलेवेन्ट सुझाव दिया था कि डिपो टर्न ओवर पर टैक्स लगाया जाय चाहे वह सैन्ट्रल का कानून है। सैन्ट्रल का जो कानून है क्या वह आपके लिए आयत कुरान है ? क्या यह ब्रह्म वाक्य है जो बदल नहीं सकता सकता है ? आज अगर राजस्थान को या अन्य प्रदेशों को ऐसे कानून बनाने से आमदनी होती है तो आपको आमदनी करनी

(श्री राजबहादुर)

चाहिए। आपकी तो पहुंच है आप केन्द्रीय सरकार के एक्ट में अमेण्डमेन्ट कराइये। यहां पर कितना लाभ उठाया जा सकता है और यह लोग डिपो ट्रान्सफर से कितना लाभ यहां से ले जाते हैं? इसके साथ ही यह भी बताइये कि डिपो ट्रान्सफर से स्टेट रेवेन्यूज में कितना चीटिंग होता है इसलिए टर्न ओवर टैक्स लगाया जाय तो अच्छी बात है।

अब पावर के ऊपर मैं इसलिये अधिक नहीं कहना चाहूंगा कि पावर पर पहले बहुत कहा जा चुका है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उद्योगों को इन्सेन्टिव मिले। मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा मुख्य मन्त्री जी ने बजट पेश होने के पहले शायद उसके दो तीन दिन पहले या 25 तारीख को जब वह अलवर गये थे तब यह कहा कि मैं सारे उद्योगपतियों का आह्वान करता हूं कि उद्योगपति आगे आयें लेकिन जब हम इस बजट को देखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यह बजट कम्पलीटली क्रेशिंग फिलिंग बजट इण्डस्ट्रियलिस्ट को आगे आने के लिए आह्वान किया है। मैंने बजट को देखा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो, खैर, अंत में मालूम पड़ेगा लेकिन यह जो आह्वान कर रहे हैं और यह बिजली के ऊपर और टैक्स बढ़ा रहे हैं। बिलकुल अपोजिट काम किया गया है। जैसा कि शिवदानसिंह जी ने कहा कि सरचार्ज और ले लिया जाय वह दूसरी बात है लेकिन आपका जो सवाल है उसका जवाब यहां है कि डिपो ट्रांसफर के बारे में कुछ न कुछ होना चाहिये। अगर मैटीरियल वहां पर है या बाहर से आता है तो उस पर कुछ न कुछ होना चाहिये उस पर चाहे आप आयात शुल्क या और शुल्क लगायें लेकिन कुछ न कुछ होना चाहिये वरना आपके सवाल का जवाब नहीं है। आपने जो सवाल किया वह माकूल सवाल किया है और कोई जवाब देना नामाकूलियत होगी इससे अधिक कुछ नहीं कहता हुआ इतना ही कहना चाहता हूं, सवाल माकूल तरह से किया गया है। उद्योग मंत्री जो कि स्वयं मुख्य मन्त्री जी हैं, उनके हाथ में क्या नहीं है वह तो सर्वाधिक सम्पन्न हैं, जायें दिल्ली और कहें, साहब, डिपो ट्रान्सफर पर आपने एग्जेम्पशंस कर रखे हैं लेकिन इस एग्जेम्पशंस से मुश्किल पड़ जावेगी। यह नीति बदल जावेगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस समस्या के लिये नेशनल लेवल पर आप अगर कोई सुझाव देना चाहे कि राजस्थान के अन्दर इससे कितना फायदा हो सकता है तो आप अपने अनुभवों के आधार पर जो भी सुझाव देंगे उसका हम स्वागत करेंगे।

श्री राजबहादुर : तब तो यह और मुश्किल है। आप मेरे अनुभवों का लाभ उठाना चाहते नहीं हैं मैं कोई बात कहना चाहता हूं तो आपके पास एक हथियार है जो कि आखिरी हथियार है कि आप तो खुद भी केन्द्र में मन्त्री रह चुके हैं आप 52-23 साल मिनिस्टर रहे, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। यही जवाब रह जाता है और आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। और तो और कल स्पीकर साहब ने कह दिया कि आपने क्या 40 वर्षों तक पार्लियामेंट में रह कर यही सीखा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को इतना टची नहीं होना चाहिये ।

श्री राजबहादुर : नहीं साहब, मैं टची नहीं हूं । मैंने तो हंस कर टाल दिया । अगर टची होता तो मैं प्रोटेस्ट करता । मैंने कोई प्रोटेस्ट ही नहीं किया, न कुछ मैंने कुछ भी कहा, मैंने इसके लिये कोई अफसोस जाहिर नहीं किया, मैंने कोई दूसरा शब्द इसके लिये इस्तेमाल नहीं किया ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं तो बहुत ही नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं अगर नेशनल कान्टेक्स्ट में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपके अनुभव के आधार पर कोई सुझाव देते हैं तो हम आपके सुझावों का स्वागत करेंगे । हम आपके सुझावों से फायदा उठाना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि हम उन पर टैक्स लगायें । आप सुझाव दें आपके अनुभवों के आधार पर ।

श्री राजबहादुर : इसके लिये एक अंग्रेजी का शब्द है सिचुएशन पैराडोक्सीकल यह ऐसा है कि बड़े उद्योग अगर आप लगाना चाहते हैं तो इससे आपका मन्तव्य क्या है वह साफ होना चाहिये, आपका अन्तिम उद्देश्य क्या है, आप किधर जा रहे हैं । इन्डस्ट्रीज के ऊपर आपने जो एट्रोसिटीज की है मैंने पहले भी कहा है यहां पर, एक पन्डित जी ने कुछ शब्द कहे एज ए प्राइवेट मैम्बर कृष्णा मैमन ने कहा था The public Sector shall keep the comanbrng heights of socialism. पहले आप यह तय कर लीजिये कि आप पब्लिक सेक्टर को कहां तक डवलप करेंगे । आपने पिछले साल सत्ता में आने के बाद जुलाई, 1980 में रिजोल्यूशन मूव कर दिया है जो आर. एफ. सी. है उसको खतम तो नहीं आपने ढीला कर दिया है अगर ढीला कर दिया है तो अब आप को सैक्टर को प्रोत्साहन दे रहे हैं । को सैक्टर में स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी है पावर है इसमें आपने कह दिया कि हम विदेशी लोगों को आमन्त्रित कर सकते हैं । आपने यह कहा तो आप पहले मन्तव्य साफ कीजिये । पहले हमारे मुख्य मन्त्री जी सोशलिस्ट थे अब शायद रहे या नहीं, मुझे पता नहीं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अभी भी सोशियलिस्ट है ।

श्री राजबहादुर : एक बात और उठा दी आपने, मेरे से सवाल कर दिया तो उसका जवाब देना पड़ता है । अभी माननीय हजारी लाल जी ने कहा कि सोशलिस्ट हैं पर चुनाव के लिए पैसे चाहिए । सोशलिस्ट हो यह नहीं हो, चुनाव के लिये पैसे चाहिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनावों की प्रणाली को बदला जाय । अगर चुनावों की प्रणाली को बदला नहीं गया तो आज जो हो रहा है वही होगा कि चुनावों में मनी पावर चाहिये मसल पावर चाहिए, एक चाहिए मिसयुज आफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और चाहिये कम्युनल और कास्ट पावर । यह चारों पांचों पावर जिसके पास है, यह चार से पांचों बातें जिसके पास हैं वह ही चुनाव जीत सकता है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो आप कैसे जीत गये चुनाव, बाबूजी ?

श्री राजबहादुर : कहां जीत गया । मैं भी चुनाव हार गया 1977 में 80 के

(श्री राजबहादुर)

चुनावों में मैं भी आपके साथ था। अभी कौनसा पावर में आया ? हमारे पास कुछ भी पावर नहीं है सिवाय एक लव पावर के या एक स्नेह पावर भी होता है उस पावर से कुछ व्यक्ति ख्याल रखते हैं। जैसे आप मेरा ख्याल रखते हैं।

श्री महाराम चौधरी : आप तो कोई ऐसा सुझाव दे जिससे कि उन पर टर्न ओवर टैक्स लगाया जाय और उससे फायदा हो।

श्री राजबहादुर : मैं इसके लिये माननीय सदस्य शिवदानसिंह जी का समर्थन करता हूं कि टर्न ओवर टैक्स होना चाहिये। चाहे जितनी पावर इस्तेमाल करते हों, या चाहे जितना उत्पादन हो उसका जितना टर्न ओवर होता है उस पर कुछ न कुछ टैक्स होना चाहिये। इसके अलावा यह बात निश्चित है कि आपको सैन्ट्रल एक्ट में अमेंन्डमेंट कराना चाहिये। डिपो ट्रान्सफर पर कुछ न कुछ टैक्स लगायें, उससे हमें आमदनी होनी चाहिये। पर क्या हो रहा है आपने जितना टैक्स लगाया उसका बर्डन तो किसानों पर और छोटे उद्योगों पर पड़ा है। बड़े उद्योगपतियों को आप बुला रहे हैं। यह बुलाने की बात कहां हुई ? यह तो आपका बैकवर्ड और रिट्राग्रेट स्टेप है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। जो कि बजट पर सामान्य वाद विवाद के समय पहले भी कही थी, आपका रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें आपका केपिटल अमाउन्ट जो मीट होता है, उसके आपके यहां पर रिसोर्सेज क्या हैं ? पहले हमारे रिसोर्सेज जो थे वह आज भी हैं। आप उन रिसोर्सेज को बढ़ायें नहीं तो आपका आर. एफ. सी नहीं चलेगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। रिसोर्सेज की जो हालत है वह भी आप बतायें। आपने कहा कि हमें 750 करोड़ रुपये लेने है और आपने 447 करोड़ रुपये का इन्तजाम कर लिया है पिछले दो सालो में आपने 72 करोड़ रुपये रिअलाइज कर लिये हैं और 374. 62 करोड़ का आपके ऊपर बर्डन मौजूद है। आपको 642. 88 करोड़ रुपये का अब और इन्तजाम करना है यह जो आपने तीसरा बजट पेश किया है 80-81 का, 81-82 का बजट पेश किया और यह 82-83 का बजट पेश किया। माफ करिये 84-85 का बजट होगा वह तो चुनाव का बजट आ जायेगा। अब 83 का बजट और रहा इसलिए एक वर्ष या दो वर्ष में क्या करेंगे ? कौनसे क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन निश्चित बात है कि आप के रिसोर्सेज नहीं हैं। एक तरफ रिसोर्सेज नहीं हैं, दूसरी तरफ पावर नहीं है। पावर के लिए स्वयं मुख्य मंत्री जी ने अपनी लाचारी, मजबूरी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हमारे राजस्थान के खुद के स्रोत नहीं हैं। आर. ए. पी. पी. का एक यूनिट चलता है और दूसरा बन्द हो जाता है। उनका यह खुद का भाषण है, मेरा नहीं है। उन्होंने कहा कि सतपुड़ा और चम्बल का ठिकाना नहीं है वहां से पावर कभी आती है कभी नहीं आती है। भाखड़ा के बारे में जो कुछ है वह है लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी यह है कि राजस्थान के पास अपने स्रोत हो। उसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया है

152

(श्री राज बहादुर)

लिग्नाइट का। लेकिन लिग्नाइट का कब तक आयेगा और कितनी कमी पूरा करेगा यह मुझे मालूम नहीं है। इतना कहना चाहता हूं कि बिना पावर के, बिना सुविधाओं के आप औद्योगीकरण की बात नहीं सोच सकते।

एक बात मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि एक पैराग्राफ 34 पेज 12, जो वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच में दिया था, मैं है एक अद्भुत क्रांतिकारी पालिसी चेन्ज या पालिसी डिसीजन या पालिसी डिक्लेरेशन। वह कहते हैं,

"हमारा यह मानना है कि

यह पैराग्राफ 34 का दूसरा या तीसरा सेन्टेन्स है :

"हमारा यह मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के घाटे का भार अन्य करदाताओं पर नहीं पड़ना चाहिए। इन उद्यमी की सेवाओं का जो उपभोग करते हैं....

चाहे आर. एफ. सी. हो या ट्रांसपोर्ट हो या कुछ हो।

"....उन्हीं से उनका उचित मूल्य प्राप्त कर उन सेवाओं की लागत प्राप्त की जानी चाहिये। साथ ही इन उद्यमों द्वारा अपना लागत मूल्य प्राप्त करने के पश्चात राज्य के विकास कार्यों के लिये भी आवश्यक योगदान दिया जाना चाहिये।"

न सिर्फ यह कि ज्यादा खर्च होता है वह मीट करें, न सिर्फ यह कि जो कुछ उनका खर्चा हो वह मीट करें बल्कि कन्ट्रीब्यूशन और करें। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बहुत बड़ी इन्सटीट्यूशन है सब्सिडी की और सपोर्ट की। इन्डस्ट्रीज के लिए और पब्लिक सैक्टर इन्डस्ट्रीज के लिए क्या सब्सिडी का प्रिन्सिपल खतम हो जायेगा इसके बाद ? फिर एक बात मुझे बतायें कि आपने सब पर बिजली का टैक्स लगाया है तो यह रेलवे पर क्यों छोड़ दिया ? रेलवे को आपने बिलकुल बिजली के टैक्स से माफ कर दिया है। आपकी यह बजट की स्पीच में मौजूद है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। क्या कारण है उसका ? रेलवे अगर आपकी बिजली इस्तेमाल करता है तो Why could not they also be taxed?

आप सब को टैक्स करते है, उनको भी करिये। आपने कई चीजों को माफ किया है। मैंने इसलिए कहा कि आपके रिसोर्सेज की पोजीशन वैसे ही डेलीकेट है और उस पर यह बतायें

As a polecy decision have you given up the institution of subsidie and support to national institutions and also to public sector inpdustries particularly?

आपने एक बड़ी रियायत दी है लिकर इन्डस्ट्री को। आपने उसे कतई छोड़ दिया है। आपने तो कहा था कि लिकर के प्राहिबिशन के हटने के बाद घाटे को पूरा करने के लिए हम अपने रिसोसेज को बढ़ायेंगे। कितने रिसोर्सेज बढ़ाये, पता नहीं। उद्योग मंत्री जी बतायें कि लिकर इन्डस्ट्री को इन्होंने इतना बड़ा संरक्षण

(श्री राजबहादुर)

कैसे दिया ? लिकर इण्डस्ट्री पर क्यों नहीं लगा सकते थे ?

फिर उपक्रमों के बारे में आपने कहा है। आपकी रिपोर्ट में भी है और बजट स्पीच जो चंदनमल जी की थी उसमें भी था कि हम बहुत गहन अध्ययन कराने के लिए एक कमेटी एक्सपर्ट्स की और नान-एक्सपर्ट्स की बनायेंगे। यह उन्होंने कहा था। मेरा आपसे निवेदन यह है कि उस कमेटी में गिने चुने अपनी पार्टी के ही लोग रखें लेकिन ऐसे हो जिनमें कुछ विशेषज्ञता हो, जिनमें कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हो ताकि जो दृष्टिकोण इस हाउस में आता है, वह सामने आ सके।

तीसरी चीज, बहुत सन्तोष प्राप्त किया है मुख्य मन्त्रीजी ने अपने भाषण में, जो उन्होंने पहले दिया था, कि हमने स्माल इण्डस्ट्रीज को बहुत गति दी है, 1977-78 में जनता पार्टी के कुशासन में केवल 3396 रजिस्टर हुई और 1981-82 में 19534 हुई। इसका जवाब तो अच्छे शब्दों में श्री शिवदानसिंहजी ने दे दिया है। जो कुछ भी लगी हैं उनमें से आपने जो बजट में दिया है उससे कितनी बच पायेंगी पता नहीं है।

पूंजी विनियोजन की भी आपने बात की, 10 करोड़ 91 लाख से 17 करोड़ 13 लाख हो गया है। आर. एफ. सी. की लोन की तो गाथा सुन ही चुके हैं। जोधपुर डिवीजन, जहां से खेतसिंह जी आते हैं, के लिये मुझे बताया गया है कि 600 इण्डस्ट्रीज को आर. एफ. सी. ने लोन दिया और 400 के लगभग उसमें से खतम हो चुकी हैं, चल नहीं रही हैं। अब आर. एफ. सी. का लोन कैसे रियलाइज होगा, उसके ऊपर भी सोचिये। उद्योग मन्त्रीजी के सामने बड़ी कठिन पहेली है। मैंने कहा कि सिचुएशन पैराडाक्सीकल है। आप पहले सोचें कि आपको जाना किधर है। मेरा कहना यह है कि चाहे आपके उद्योग की पॉलिसी केन्द्र की हो या राज्य की हो, हमें तय करना पड़ेगा कि किसके द्वारा बेरोजगारी की समस्या, पिछड़ेपन की समस्या, गरीबी की समस्या, दूर हो सकती है।

एक बिग इण्डस्ट्री की बात कही है तो उसको टाला न जाये। बल्कि उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके यह सोच लिया जाये कि राजस्थान के हर जिले में एक बड़ी इण्डस्ट्री की आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि लगभग 71 पर्सेंट पापुलेशन का जो रेश्यो है वह लैण्ड पर निर्भर करता है। यह शायद हिन्दुस्तान के एवरेज से कुछ ज्यादा ही है। हिन्दुस्तान का एवरेज शायद 68या 67 पर्सेन्ट रह गया है। आपकी 71% population depends on agriculturer land. अगर इसको कम करना है तो औद्योगीकरण के अलावा दूसरी चीज नहीं है। औद्योगीकरण करने के लिए आपको सारी सुख-सुविधायें उपलब्ध करानी पड़ेंगी और सारी पॉलिसी चेन्ज करनी पड़ेगी।

एक बात और है, जब बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज केन्द्रीय गवर्नमेन्ट की, पब्लिक सैक्टर में और प्रान्तों में जा रही हैं तो

Page No 154

(154)

(श्री राजबहादुर)

आपके यहां क्यों नहीं आ रही हैं ? मैंने उस दिन नाम लिया था पेराम्बूर इन्टेग्रल कोच फैक्ट्री का। उसके कोचेज की और उसकी बोगीज की इतनी डिमाण्ड है जापान में और यूरोपियन कन्ट्रीज में कि आप चाहें तो इस तरह की और दो तीन इन्डस्ट्रीज लगा सकते हैं : आपके यहां कैरेज फैक्ट्री थी अजमेर में लोको फैक्ट्री भी थी लेकिन लोको फैक्ट्री शायद बन्द हो गयी केवल कैरेज फैक्ट्री थी। आपका क्लेम है। मेरा स्थान है राजस्थान इसलिए नहीं कहता लेकिन वहां वैगन फैक्ट्री मौजूद है। जहां यह चीज मौजूद हो तो आप बड़ी ईजीली क्लेम कर सकते हैं कि दूसरी यूनिट यहां आये। अगर बी. एच.ई. एल. हरिद्वार में अपनी यूनिट लगा सकता है तो राजस्थान में भी लगई जा सकती है। अगर मथुरा में रिफाइनरी हो सकती है तो रिफाइनरी पर बेस्ड जो भी पेट्रोकेमिकल इन्डस्ट्रीज है वह यहां आ सकती हैं। यही नहीं इसके अलावा भी ऐसी इन्डस्ट्रीज हैं जो कि पब्लिक सैक्टर में हैं। आप यह बता दीजिए कि आपके पास तीन या चार ही कारखाने हैं, एक तो इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड दूसरी हैवी मशीन टूल्स के अजमेर में है। उसके अलावा कोई और हो तो कह नहीं सकता लेकिन राजस्थान इतना बड़ा प्रान्त, जो कि एरिया के हिसाब से नम्बर 2 पर आता है मध्य प्रदेश को छोड़ कर और जिसकी इतनी बड़ी जनसंख्या भी नहीं है लेकिन जिसकी आवश्यकता बहुत है, जिसको पिछड़ा माना जाता है, यहां इन्डस्ट्रीज क्यों नहीं आती ? सुनें, फिर वही प्रश्न आता है कि आपके पास लैण्ड है, तो वाटर नहीं है और लैण्ड और वाहर है तो आपके पास पावर नहीं है पावर भी है तो मैटीरियल नहीं है। इन सारी चीजों की इन्टीग्रेटेड पालिसी नहीं बनाये ताकि मालूम हो, विचार में क्या है, विजन में क्या है। हमारे जो आफिसर्स बैठे है, जिनको ब्यूरोक्रेट्स कहकर पुकारा जाता है। मैं तो कहता हूं इनसे कि चुनौती इनको भी है। यह भी राजस्थान के लोग हैं। इनको सोचना है What is The integrated picture ? आपके दिमाग में है क्या चीज ? सोचा क्या है आपने ? इन सारी समस्याओं का जब तक हल नहीं होगा तब तक यह आपकी मांग क्या स्वीकृत कराली जायेगी ? जो बजट का प्रोसेस है, पार्लियामेन्ट की प्रोसेस है यह एक नाममात्र की फार्मेलिटी और उपचार रह गया है। हम कितने भी कटमोशन रख दें, कितनी भी बहस कर लें, कितने ही अच्छे सुझाव दे दें कोई उनका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। चिकने घड़े पर दो बूंद डाली और फिसल गयी, यह हाल रहता हैं। इसलिए मैं बिलकुल साफ कहूंगा। फिर कभी मैं सारी बातें कहूंगा कि किस तरह से पार्लियामेन्ट्री प्रोसिजर इन काम्पीटेन्ट है और इनएफीशियेन्ट है। कोई हमारा असर नहीं है और मन्त्री मण्डल में बैठे हैं उनका भी कोई असर नहीं है You are so much in prison of your own thinking, of your owu creation that you can hardly move. इसलिए मैं तो आपसे हिम्येयाइज करता हूं, पिटी करता हूं कि ईश्वर ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है ऐसे कठिन मौके पर डाली है इसको निभाने के लिए You will have to break

(श्री राजबहादुर)

the bonds. आपको सारा बन्धन तोड़ना पड़ेगा । एक नयी दिशा में सोचना पड़ेगा और गम्भीरता से सोचना पड़ेगा इसमें रियायत नहीं होगी Charity begins at home. अगर आप दूसरों से चाहते हैं कि ईमानदार हों तो आपको और हमें पहले सबक रखना पड़ेगा । अगर हम यह करेंगे तो देश को आगे बढ़ा सकेंगे वरना यह डेमोक्रेसी पेरेलाइज हो जायेगी ।

Thank you very mueh.

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय उपक्रम इसी विचार से और इसी ख्याल से खोले गये थे कि इनसे लोगों को रोजगार दिया जायेगा इनसे आमदनी होगी, उस आमदनी को जनता के विकास में लगाया जायेगा, विकास के कार्य किये जायेंगे और अच्छी अच्छी चीजें, सुन्दर चीजें, टिकाऊ चीजें लोगों को दी जायेंगी लेकिन इतने अर्से में हमें यह देखते हुए अफसोस होता है—यह जरूर है कि किसी किसी उपक्रम में लाभ भी दिखाया गया है लेकिन आजकल एक ऐसी टेन्डेन्सी बनती जा रही है कि ज्यादातर हमारे जो राजकीय उपक्रम हैं वे घाटे में जा रहे हैं । यहां तक कि अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं बल्कि जनता से जो टैक्स लिया जा रहा है वह भी उन पर खर्च किया जा रहा है । पता नहीं, हमारी पालिसी फेल हो रही है, उसके पीछे निश्चित षड़यन्त्र है या हमारी अर्थ व्यवस्था, कुव्यवस्था या क्या कारण है कि जिनमें हमने करोड़ों-अरबों रुपया लगाया है वे हमें फायदा नहीं दे रहे हैं बल्कि आज हमारे गले के जंजाल बने हुए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसे ही उपक्रम, जिससे मेरा नजदीक का सम्बन्ध रहा है, के सम्बन्ध में यह मैं निवेदन करना चाहती हूं वह है राजस्थान का लघु उद्योग निगम और हैण्डी क्राफ्ट एम्पोरियम । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मेरे अपने निजी अनुभव के आधार पर निवेदन करना चाहूंगी, मेरा इनसे वर्षों का सम्बन्ध रहा है । मैं बोर्ड की डाइरेक्टर थी तब मैंने जमकर कार्य किया । उपाध्यक्ष महोदय, जब इस एम्पोरियम की स्थापना की गई थी तो उसके पीछे राज्य सरकार की और हम सभी की जो महत्व-पूर्ण मंशा थी वह यह थी कि हमारे यहां के जो कारीगर हैं, यहां की जो ललित कला है, उसका विकास किया जाय । जो हाथ से काम करने वाले कलाकार हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ दिया जाय । कलाकारों का शोषण न हो सके, कलाकार को जिस तरह के कच्चे माल की आवश्यकता हो, वह दिया जाय । जो आर्थिक रूप से गिरे हुए कलाकार हैं, उनकी अंगुली पकड़ कर उनको चलने लायक बनाया जाय ।

राजस्थान का और जयपुर का हैण्डी क्राफ्ट दुनिया में अपनी सानी रखता है । एक से एक बढ़ करके यहां के कलाकार हैं । आज भी करोड़ों का माल बाहर निर्यात होता रहता है । इस एम्पोरियम को खोलने का खास मतलब यह था कि कलाकारों का

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

संरक्षण किया जाय अच्छी अच्छी डिजाइनें दी जायं और जो हमारी कला नष्ट हो गई है उनको पुनर्जीवित किया जाये और इन कलाकारों को आज के युग में काम में आने लायक बनाया जाय। उनके लिये हमने बहुत किया। डिजाइन सेन्टर बनाये, कई जो मरी हुई कला थीं उनका पुनर्जागरण किया। जो कला बिलकुल नष्ट हो गई थी कांच पर सोने का काम करने की, उस मरती हुई कला को बचाया। इसी तरह और भी कई कला थीं उनकी फिर पुराने पद पर प्रतिष्ठा कराई गई। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि इन पिछले पांच-सात सालों से इस एम्पोरियम की दुर्दशा हुई है। जो पहले किया था अब उसका उल्टा किया जा रहा है। जिन कलाकारों को संरक्षण देने की बात थी, आज उन्हीं कलाकारों का संरक्षण नहीं हो रहा है बल्कि आज उनका शोषण हो रहा है।

श्री राजबहादुर : अब आप डाइरेक्टर नहीं हैं क्या ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : जी नहीं। मैं हूं या नहीं मेरे बहुत से भाई हैं। मैं डाइरेक्टर की पैरवी नहीं कर रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बिलकुल उल्टा हो रहा है। आज यह समस्या आ रही है कि कारीगर को कोई संरक्षण नहीं मिलता, कारीगर को जो पहले कच्चा माल दिया जाता था जैसे हाथी दांत, चन्दन या दूसरी कई तरह की चीजें, वह सस्ते भाव के ऊपर दिया जाता था ताकि वह उनसे चीजें बनायें। वह कच्चा माल भी आज उनको नहीं मिलता है। आज कारीगरों से डाइरेक्ट खरीद नहीं हो रही है। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि जो पहले हाथ से काम करने वाले होते थे उसको पास बिठा कर उसके माल की खरीद की जाती थी। बोर्ड के मैम्बरों को पता रहता था कि कौन कारीगर किस कला का बनाने वाला है, किसको कितना कर्जा भरोसे के साथ दिया जा सकता है, कौन कितने वक्त में लाकर सामान दे देगा, किसकी क्या रेपूटेशन है लेकिन आज, उपाध्यक्ष महोदय, इस बोर्ड से उन कलाकारों का कोई सम्बन्ध नहीं रहा। उनसे जो सामान की खरीद की जाती है उसका पेमेन्ट उन्हें वक्त पर नहीं मिलता है जब कि पहले नियम यह था कि पर्चेज कमेटी जो सामान खरीदती थी उसका 10 दिन के अन्दर अन्दर उनको रुपया मिल जाना चाहिये अब नहीं मिलता है। उन कलाकारों को चक्कर खाने पड़ते हैं। अपना पैसा वसूल करने के लिये न मालूम किस किस की गर्ज करनी पड़ती है और न जाने क्या क्या दस्तूर काम में लिये जाते हैं तब जाकर कलाकारों को पैसा मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि एम्पोरियम कलाकारों से माल न खरीद कर बिचौलियों से खरीदता है। आज 20 प्रतिशत कलाकार ऐसे हैं जिनकी वहां तक पहुंच है, बाकी के कलाकारों और एम्पोरियम के बीच में ठेकेदार आ गये हैं। नजदीकी सम्बन्धों को काटकर दोनों के बीच में आ गये हैं बिचौलिये। कौन कौन हैं, मैं दो-चार नाम भी रखना चाहती हू

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

ताकि यह न कहा जाय कि हम कलाकारों से ही लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच-सात बिचौलियों के नाम बताऊंगी, सी. पी. पालीवाल। यह पालीवाल हैं जिन्होंने दो फर्मे चला रखी हैं। यह दो फर्मों से अलग अलग एम्पोरियम को सामान देते हैं। उसी की दूसरी दुकान, जो है भी नहीं, खुली हुई बताते हैं पालीवाल आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट के नाम से। ये आइवरी की तस्वीरें बनवाते हैं कारीगरों से मगर सप्लाई करते हैं एम्पोरियम को चन्दन की चीजें, हाथी दांत की चीजें और दूसरी वस्तुएं जिनका कि उस कला से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी तरह शशि एन्टरप्राइज, यह कलाकर नहीं है कलाकार से लेता है और बेचता है। एक अशोक कुमार है जो पीतल की ढलाई का काम करता है लेकिन बेचता है हैण्डी क्राफ्ट की सारी की सारी चीजें और उसको खरीदता है एम्पोरियम। इसी तरह शाह उद्योग है, उनका भी यही काम है। कलाकारों से माल लिया जाता है और सप्लाई किया जाता है।

अब मैं नमूना रखूंगी कि हमारे एक कलाकार को कितना घाटा होता है और साथ ही कन्जूमर को भी कितना नुकसान होता है। एक छोटा सा नमूना मैं रखती हूं। तारकसी की डिब्बी, जो कि 3×6 की होती है, कलाकार बेचता है 25) रु. में, बिचौलिया उसको खरीदता है 42) रुपये में और वही एम्पोरियम बेचता है 5) रु. में। 51) रु. की चीज जो कन्जूमर के हाथ में जाती है उसमें बिचौलिये को फायदा होता है 25) रु. का, आप अन्दाजा लगाइये कि न तो हमारे कन्जूमर को फायदा मिलता है और न सरकार को ही फायदा मिलता है। इस तरह सारे सामान में बिचौलिये रहते है। इसका नतीजा आज यह हुआ कि हमारे यहां के एम्पोरियम के ऊपर कन्जूमर बहुत कम जाता है। वह जानता है कि यहां सामान बहुत मंहगा मिलता है, पास ही की दुकान पर सस्ता मिलता है तो मंहगी दुकान पर जायेगा कौन ? कौन खरीदेगा आपके यहां से ?

एम्पोरियम का जिस जमाने में उत्थान किया गया था, एम्पोरियम एक के बाद एक खुलते गये कलकत्ता, बम्बई, आगरा में जिनसे 1 लाख 25 हजार की आमदनी थी वह बढ़कर 10 साल के अन्दर एक करोड़ की हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, आज उस एम्पोरियम की क्या दशा है ? सदन सुनेगा तो आश्चर्य होगा, बम्बई की दुकान में 2 लाख 28 हजार का घाटा है, आबू का एम्पोरियम 62,408 रुपये का घाटा दे रहा है, कलकत्ता का एम्पोरियम 69 हजार का घाटा दे रहा है, आगरा का एम्पोरियम 60 हजार का घाटा दे रहा है, उदयपुर के एम्पोरियम में 70 हजार का घाटा है और दिल्ली की दुकान में भी 60 हजार का घाटा है। यह एम्पोरियम लाखों रुपयों का एक्सपोर्ट किया करते थे, इनमें विदेशियों के दल के दल बैठे रहते थे सामान खरीदने के लिये। और तो और आपको आश्चर्य होगा कि जो सेन्ट्रल स्टोर है जयपुर में वह भी 11 लाख 20 हजार का घाटा दे रहा है। सेन्ट्रल स्टोर में होता क्या है, सारा का सारा सामान रखा जाता है और वहां से सारी ब्रान्चेज, जिनको जरूरत हो, को भेज दिया जाता है। मैं पूछती हूं सेन्ट्रल

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

स्टोर में 11 लाख का घाटा कैसे हो गया? यह कोई दुकान नहीं है। यह तो अपने यहां रखे हुए माल को दूसरी जगह भेज देता है। यह एक सोचने की बात है, विचारने की बात है।

जिस तरह से हमारे इस हैण्डी क्राफ्ट एम्पोरियम का नुकसान हुआ है, उसके मैं आपके माध्यम से 2-4 नमूने और रखूंगी। पहले इन्होंने कई तरह के विंग खोले जिनसे कलाकार काम सीखें, उनको ज्ञान प्राप्त हो। उसी तरह का फर्नीचर मेकिंग सेन्टर खोला उसमें कई तरह की चीजें बनाना सिखाते थे ताकि वहां से छोटे छोटे कारीगर उद्यमी बन करके निकलें। राज्य सरकार ने फैसला कर दिया था कि बिना टेण्डर लिये कोई भी विभाग यहां से आर्डर देकर फर्नीचर बनवा सकता है। आज वह फर्नीचर मेकिंग सेन्टर बन्द पड़ा है। और तो और शिक्षा विभाग ने कुछ आर्डर दे दिया था और रुपया पेशगी दे दिया गया, रुपया पेशगी भी उसके पास पड़ा है लेकिन शिक्षा विभाग का फर्नीचर बनाकर नहीं दे पाये।

इस एम्पोरियम ने और भी अपना काम फैलाया था। टोंक से बीड़ी सेन्टर खोला था। टोंक में बीड़ी बनाने का कारखाना खोला था, वहां बीड़ी बनती थी उसमें काम करके गरीब औरतों को आमदनी होती थी। वह भी बन्द कर दिया गया। बीड़ी का पत्ता वहां सड़ रहा है। वहां के मजदूरों की मांग है और लेबर मन्त्रीजी ने भी लिखा है कि वहां पर फिर से बीड़ी का सेन्टर खोला जाय। बहुत गरीब मुस्लिम औरतों के लिये वह रोजी का साधन है लेकिन वह भी बन्द पड़ा है।

लाडनूं की स्पिनिंग मिल है, उसको जोइन्ट सैक्टर में लेने की बातचीत चल रही है।

एक तरफ से नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, हर तरफ से इस एम्पोरियम का नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसके कारणों के ऊपर विचार किया जाय। मैं कहती हूं इसके सम्बन्ध में जो मैंने बातें कही है, उनकी इन्क्वायरी करायी जाय। जो लोग वर्षों से एक जगह जमे हुए हैं, उनको इधर उधर किया जाय। साथ ही कारीगरों को चैक से पैसा क्यों नहीं मिलता, इसकी भी जांच की जाय।

इसके साथ साथ मेरा कहना है कि हैण्डीक्राफ्ट बोर्ड का गठन जल्दी से जल्दी किया जाय। बोर्ड है नाम मात्र का, उसमें सारे के सारे आई. ए. एस. आफिसर, 4-5 विभागों के सैक्रेट्रीज हैं। उसमें जनता का प्रतिनिधि जाय, उसमें कलाकारों का प्रतिनिधि जाय, ट्रेडर्स का प्रतिनिधि जाय ताकि उसका काम ठीक ढंग से हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह पर्चेजिंग कमेटी बनी हुई है, पर्चेजिंग कमेटी में भी 4-5 आई. ए. एस. आफिसर हैं। अब आप सोचिये जो इतने बड़े बड़े विभागों के सैक्रेट्रीज हैं, क्या उन्हें पर्चेजिंग कमेटी में जाने के लिए वक्त मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्या यह काम उनके करने का है? यह काम उनके द्वारा नहीं किया जा

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

सकता। पर्चेजिग कमेटी में तो कलाकारों के आदमी हों, ट्रेड के हों, जनता के हों। पर्चेजिग कमेटी में एक एक चीज को उठा कर देखना पड़ता है। एक एक साड़ी की डिजाइन कैसी हो, कैसे चलेगी, कैसे आर्टिस्ट को एनकरेज किया जाना चाहिए, क्या क्या सामान दिया जाना चाहिए, यह सब काम होता है। यह काम आई. ए. एस. आफिसर मिलकर नहीं देख सकते उनके लिए तो रुचि वाले आदमी होने चाहिए। मैं आई. ए. एस. आफिसरों को कोई दोष नहीं देना चाहती कि आई. ए. एस. यह काम नहीं कर सकते, जन प्रतिनिधि कर सकते हैं मैं यह नहीं मानती। हर काम व्यक्ति की रूचि के ऊपर निर्भर करता है, चाहे वह किसी तरह का हो, एम. एल. बुर्ज वहां के मैनेजर थे, उन्होंने उसकी तरक्की की। वह भी एक आफिसर ही थे लेकिन उनकी रुचि थी, उनका ज्ञान था, उनका उसमें रुझान था। वह हमारे साथ काम करते थे हम कारीगरों के घरों में पहुंच जाते थे, कारीगर की जरूरत समझते थे, उसे पैसा देते थे। अब इस तरह का कोई ध्यान नहीं तो ऐसे आफिसरों को पर्चेजिग कमेटी में नहीं बिठाया जाय। आज हालत यह है कि पहले हर महीने में दो बार पर्चेजिग कमेटी की मीटिंग होती थी, 10 और 25 तारीख को। अब दो साल में पर्चेजिग कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है। दो साल के बाद मीटिंग हो गयी तो नीचे के अधिकारियों को बुलाया, उनसे दो बातें की, माल पड़ा है, मंगा लो। अगर पिछली तारीखों में माल लेकर देते हैं, खाना पूरी हो जाती है। ये बिजनेस, धन्धे हैं आर्ट की चीजों के यह रुचि से चलते हैं। उनमें जीवन डालने की जरूरत है। केवल कागजी कार्यवाही करने से, फाइल पर दस्तखत करने से नहीं चलते। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये हमारे मन्त्रीजी को कहना चाहूंगी कि वह 3–4 स्टेप लें और बोर्ड को मुकम्मल बनायें। पर्चेजिग कमेटी का गठन करें उसमें कलाकारों का प्रतिनिधित्व हो, उसमें ट्रेडर्स का प्रतिनिधित्व हो और उसमें जनता का प्रतिनिधित्व हो। साथ ही इसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं, मैं चाहूंगी कि उनकी जांच हो क्योंकि जो कुछ नुकसान हुआ है वह कलाकारों का हुआ है। उन गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। उनके साथ वही ट्रीटमेन्ट किया जाय, जो आज से 10 साल पहले कलाकारों के साथ किया जाता था। उन दिनों हर साल राजस्थान का कलाकार एक प्रेसीडेन्ट पुरस्कार लेकर आता था। आज राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिलता राजस्थान के कलाकारों को।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपने जो टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानसिंह देवड़ा।

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 82-83 की अनुदान की उद्योग और खनिज की मांगों के ऊपर जो कटौती प्रस्ताव रखे, उसी के अन्तर्गत कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसा, उपाध्यक्ष महोदय, आपको विदित ही है कि इस वर्ष को हमारी माननीय प्रधान मन्त्री ने उत्पादन वर्ष के रूप

(श्री मानसिंह देवड़ा)

में घोषित किया था। औद्योगिक क्षेत्र में एक हर्ष की लहर दौड़ी थी कि इस वर्ष उद्योगों को कुछ अधिक सुविधायें और राहत मिलेगी लेकिन जो 1982-83 का बजट सदन में प्रस्तुत किया गया, वह इसके कुछ विपरीत ही मालूम हुआ। सर्वप्रथम जो टैक्स स्थानीय कच्चे माल की खरीद पर लगाकर शत प्रतिशत बढ़ा दिया, एक पर्सेन्ट से दो पर्सेन्ट कर दिया गया, उससे उद्योगों को बहुत ही हानि उठानी पड़ेगी। इसका कारण जो कच्चा माल तांबा, पीतल, जस्ता, नमक, इत्यादि हैं, उन्हीं के आधार पर हमारे पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो यह टैक्स एक प्रतिशत से बढ़ाकर 2 पर्सेन्ट किया है, उसे हटाकर एक प्रतिशत ही किया जाय। उसी प्रकार विद्युत, जो कि इन औद्योगिक इकाइयों को 23 पैसे प्रति यूनिट मिलती थी, की दर बढ़ते बढ़ते आज करीबन 27 पैसे प्रति यूनिट तक पहुंच गयी है जो कि बहुत ही अधिक है। मेरा सुझाव है कि जिस प्रतिशत से कृषि पर एक पैसा या 2 पैसा प्रति यूनिट बढ़ायी है, उसी प्रकार इन औद्योगिक इकाइयों के लिए भी बिजली की दर बढ़ायी जाय। इसी के साथ जो डीजल के जनरेटर सैट लगे हैं, उनके ऊपर दो पैसे प्रति यूनिट चार्ज किया जाता था, जिसे बढ़ाकर 5 पैसे कर दिया गया है। यह बहुत ही अधिक भार है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसे भी हटाकर दो पैसे प्रति यूनिट कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको विदित ही है कि जोधपुर में पिछले कुछ अर्से में करीबन 600 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं। उनमें से अधिकांश इकाइयां कम से कम शत प्रतिशत आर. एफ. सी. तथा अन्य संस्थाओं से लोन लिए हुए हैं। आज उन इकाइयों की हालत बिजली की कटौती, मैं कहूंगा कि बिजली की शत प्रतिशत कटौती के कारण मरणासन्न तक पहुंच गयी हैं, लोन चुकाना तो दूर रहा, वे उस ऋण के ऊपर जो ब्याज लगता है, वह भी नहीं दे पा रही हैं. मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो बिजली की कटौती जो ज्यादा जोधपुर एरिया में है, उसे सुधारने के लिए कुछ प्रयत्न किया जाय। जो टैक्स कच्चे माल पर एक पर्सेन्ट से बढ़ा कर दो पर्सेन्ट किया है, उसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि पड़ोसी राज्यों में किसी प्रकार के रॉ-मैटीरियल के पर्चेज पर, स्थानीय कच्चे माल के पर्चेज पर किसी प्रकार का टैक्स लगा हुआ नहीं हैं। दूसरे बाजारों में जहां माल भेजा जाएगा वहां स्थानीय उद्योगपति टिक नहीं पायेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह टैक्स वापस लिया जावे।

दूसरी मेरी डिमाण्ड खनिज के बावत थी। खनिज पर रायल्टी के बारे में दो शब्द मैं कहना चाहूंगा। जोधपुर में अभी रायल्टी वसूली के कुछ नोटिसेज दिये गये हैं जिसमें रायल्टी दस गुना बढ़ा दी गई है जब कि खनिज विभाग को बारबार लिखने और अनुरोध करने के बावजूद भी उन ठेकेदार लोगों को रायल्टी के परमिट नहीं दिए। ठेकेदारों ने अपने विभागों से, चाहे पी. डब्ल्यू डी. हो, चाहे इरिगशन हो, अनुरोध किया कि रायल्टी हमारे बिलों में से डायरेक्ट काट कर खनिज विभाग को दे

(श्री मानसिंह देवड़ा)

दी जावे। इस प्रकार कुछ बिलों से भुगतान हुए, इसके बावजूद भी दस गुना रायल्टी देने के नोटिस निकाले गए हैं। मैं खनिज मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इसमें उन्हें कुछ छूट देकर कुछ समय दिया जावे, दस दिन या एक महीने का जिससे कि वह अपनी रायल्टी समय पर जमा करा दें। सरकार को इससे एक माह में तीस चालीस लाख की आय होगी।

मैं जोधपुर के खनिज एरिया सूरसागर फीदूसर, कालीबेरी इत्यादि क्षेत्रों के बारे में खनिज मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह जो खनिज एरिया है वह दस पन्द्रह माइल के रेडियस में फैला हुआ है। वहां पर करीबन पचास साठ हजार मजदूर कार्यरत हैं लेकिन पानी की किसी प्रकार की व्यवस्था विभाग द्वारा नहीं की गई है। उनको पानी की बहुत परेशानी है और उनमें बहुत ही असंतोष है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पानी की पाइप लाइनें बिछाने के लिए या हैण्ड पम्प लगाने के लिए विभाग से कुछ कार्यवाही की जावे। इसी प्रकार से सड़कों के बाबत भी मैं कहूंगा कि एक दो सड़कें जो बनी हुई हैं उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। खानों के अन्दरूनी भागों में जाने के लिए एक भी सड़क नहीं बनी हुई है जिससे खानों के मालिक कच्ची सड़कें बनाते हैं वह ट्रकों के चलने से ढह जाती हैं, एक्सीडेंट होते हैं और उसमें मजदूरों की मृत्यु होती है। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस क्षेत्र में जो सड़कों की कमी है उसको सुधारने के लिए आप प्रयत्न करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूरजपाल सिंह। उसके बाद रतनलाल ताम्बी।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कटौती प्रस्ताव उद्योग, खनिज एवं राजकीय उपक्रमों के बारे में दिये हैं। उसके विषय में कुछ अपने सुझाव देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए वहां की खेती के साथ साथ उद्योगों का विकास भी उस प्रदेश में होना अत्यन्त आवश्यक है। उद्योगों का विकास जिस प्रदेश में नहीं होता है वह प्रदेश प्रगति में पीछे रह जाता है। आज जो बजट पेश किया गया है उससे जो औद्योगीकरण की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में हो रही थी उस पर काफी आघात पहुंचा है। राजस्थान के अन्दर आज स्थिति यह बन गई है कि जो 10-15 बड़े-बड़े उद्योग हैं वही सारा लाभ ले रहे हैं और जो छोटे उद्योग हैं उनको बिजली की कटौती के कारण बहुत ही घाटा उठाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जब छोटे उद्योगपति घाटे में जा रहे हैं, इस प्रकार के अतिरिक्त कर भार लादने से उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। अभी जो टैक्स लगाये गये हैं एवं जो फैसिलिटीज उद्योगों को दी जा रही थीं वह विदड्रा की गई हैं, उसको देखने से ऐसा लगता है कि राजस्थान में औद्योगीकरण होने में जो कुछ प्रगति हुई थी वह बिल्कुल

(श्री सूरजपाल सिंह)

खतम हो जाएगी । जोधपुर डिवीजन के अन्दर 600 यूनिट जोधपुर शहर में ही लगी हुई हैं उनको इस बजट से और जो फैसिलिटीज नये उद्योगों को पनपाने के लिए दी गई थी उनको विदड्रा करने से बहुत जबर्दस्त नुकसान होगा । बिजली की कमी के कारण उनके उद्योग पहले से ही नष्ट हो गए थे और यह कर भार लगाने के बाद में और ज्यादा उनकी स्थिति दयनीय हो जायेगी । इसलिए मैं उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह जो नये उद्योगों के कच्चे माल पर पहले पांच साल के लिए जो एक पर्सेंट कर अब किया गया है, पहले छूट थी, पांच साल के बाद में एक पर्सेंट की व्यवस्था थी उसकी जगह अब उस फैसिलिटी को हटा करके कच्चे माल पर एक पर्सेंट और जो उद्योग लग चुके हैं जिन्होंने पांच साल पूरे कर लिये हैं उनसे दो पर्सेंट टैक्स लेने की बात कही गई है, इससे यह जो उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी । अगर राजस्थान सरकार यह समझती है कि यह पैसा लग रहा है भारत सरकार देती है या कोई अन्य एजेन्सीज देती है, हमारे बजट से इसके ऊपर क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पैसा चाहे भारत सरकार का हो, चाहे राजस्थान सरकार का हो, उसका प्रभाव निश्चित तौर पर देश की अर्थ व्यवस्था पर पड़ता है । मेरे खयाल से हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन लोगों ने यह बजट बनाया है और जिन लोगों ने इस बजट को बनाने में सलाह दी है उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि आज जब हमारी राष्ट्रीय नीति यह है कि औद्योगी-करण को बढ़ावा दिया जावे तो जो उद्योग एक्स-पोर्ट ओरियेंटेड हैं उनको हमें फैसिलिटीज देनी चाहिए । इस बजट को बनाते समय यह भी ध्यान नहीं रखा गया कि जिन उद्योगों से हम कुछ विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं उनको भी इन फैसिलिटीज को कन्टीन्यू रखने की बात की जाय । सभी प्रकार के उद्योगों पर कृषि पर इन्होंने इस प्रकार से जो टैक्स लेवी किया है मैं समझता हूं कि यह किसी प्रदेश के विकास के लिए उचित नहीं है । यह छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे ग्वार गम की इंडस्ट्री है, 90–95 इंडस्ट्रीज हैं । आपने एक पर्सेन्ट ग्वार गम पर, दो पर्सेन्ट पांच साल पुरानी इण्डस्ट्री है, उनके ऊपर लगाया गया है । जब पड़ोसी राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह में इस प्रकार का टैक्स नहीं है और हमारे यहां पर इस प्रकार टैक्स इम्पोज किया जाता है तो हमारे उद्योगपति दूसरे राज्यों के मुकाबले वर्ल्ड के मार्केट में स्टेंड नहीं कर सकेंगे । स्थिति यह होगी कि उन उद्योगपतियों को अपना व्यवसाय बन्द करना पड़ेगा, जो विदेशी मुद्रा हम अर्जित कर रहे हैं, उसमें हमें नुकसान होगा । आज हमें उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिये । उनको हर प्रकार से सहायता देनी चाहिये वह देनी तो दूर रही, जो सुविधा हमने उनको दी है, जिसके लिये हम कमिटेड हैं, जिस उद्योग के लिये यह कहा है कि कोई फैसिलिटी पांच वर्ष के लिये दी गई है, हम उसको विदड्रा कर लेते हैं तो यह उचित नहीं है । वर्ल्ड के मार्केट में कम्पी-टिटिवली स्टेण्ड नहीं कर पायेंगे । इसका नतीजा यह होगा कि जो विदेशी मुद्रा अभी

(श्री सूरजपाल सिंह)

हम अर्जित कर रहे हैं उसका नुकसान होगा। आप यह समझते हैं उद्योगों में लोगों ने पैसा लगाया है उसके बाद भी वह उद्योग परमानेन्टली एस्टेब्लिश रह सकेंगे। वर्ल्ड के दूसरे कन्ट्री हैं, गवार अपने यहां उत्पन्न करना शुरू कर दिया है इससे वैसे ही गवार गम की फैक्ट्री वालों का भविष्य अंधकारमय है। जो हमारे उद्योगपति कुछ साहस करके कुछ हिम्मत करके कुछ कर रहे हैं, उनसे इस तरह टैक्स लेवी करते हैं, जो उनको सुविधा दी गई है, उसको विदड्रा करते हैं तो उससे नुकसान होगा। जो कैटल फूड तैयार होता है, यह एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। जो कैटल फूड तैयार होता है वह एग्रीकल्चरिस्ट के काम आता है पर आज विधान सभा के अन्दर प्रश्न में आया था, उसमें भी कैटल फूड पर सब्सिडी देने की बात थी, क्या उसको दे सके? इससे उद्योग खतम हो जायेंगे। इस स्थिति में जिन उद्योगों को सुविधा हम देते हैं, जो एक्सपोर्ट ओरियेन्टेड हैं, एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हैं, ऐसे उद्योगों को भी वित्त मंत्रीजी ने कर भार लादने से मुक्त नहीं रखा है, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

आज उद्योगों पर बिजली शुल्क बढ़ाया गया है। आज 80 प्रतिशत विद्युत का उपभोग हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जे. के. टायर वाले हैं, हिन्दुस्तान जिंक वाले हैं, हिन्दुस्तान कापर वाले हैं, टैक्सटाइल वाले हैं, यहीं कर रहे हैं। 80 प्रतिशत जनरेशन का उपभोग कम से कम 300 मेगावाट का उपभोग केवल यह 15 उद्योग ही कर रहे हैं। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य, शिवदान सिंहजी ने कहा था कि वित्त मंत्री जी ने एक प्रकार का वर्गीकरण एग्रीकल्चरिस्ट पर टैक्स लगाने के समय किया, यह बात उनकी सही है। वित्त मंत्री उस वर्गीकरण को उस समय क्यों भूल गये जिस समय उद्योगपतियों पर टैक्स लगा रहे थे। आप समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते हैं, तो जो 15 बड़े उद्योगपति हैं उन पर टैक्स ज्यादा लेवी किया जाना चाहिये था। जो छोटे उद्योगपति हैं, जो पहले ही घाटे में चल रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लेवी करते हैं तो हमारे प्रदेश के अन्दर औद्योगीकरण समाप्त हो जाएगा। छोटे छोटे उद्योगपतियों को बाध्य होना पड़ेगा, अपनी इन्डस्ट्री को क्लोज करने या शिफ्ट करने के लिये। शिफ्ट करने कहां जायेंगे? जो इन्वेस्टमेंट कर दिया, शिफ्ट करने के बाद रुपये का दो आना रह जायेगा। इसलिये वह शिफ्ट भी नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी नहीं हैं। अगर शिफ्ट करने की स्थिति में होते तो शिफ्ट कर गये होते, आपका इन्तजार नहीं करते। विद्युत आप नहीं दे सकते हैं फिर भी उनके ऊपर टैक्स लेवी करते हैं, साथ ही जो एश्योरेंस दिया है, फैसिलिटीज दी हैं, उनको विदड्रा करते हैं, अगर उनको जाने में कुछ फायदा होता तो वह शिफ्ट कर गये होते। इस प्रकार का दुर्व्यवहार वह कभी बर्दाश्त नहीं करते। तो मेरा उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि आप उद्योगपतियों को जिन्दा रहने देना चाहते हैं, आपकी यह मंशा है कि राजस्थान के अन्दर उद्योग पनपें तो इन सारी चीजों पर बड़ी गम्भीरता से विचार करने की बात है। आज हमारे 15 बड़े उद्योगपति हैं, इन्होंने राजस्थान के लोगों को कितना

(श्री सूरजपाल सिंह)

एम्प्लायमेंट दिया है। सारे के सारे 15 बड़े उद्योगों के अन्दर बाहर के, बाहर के स्टेट के लोग एम्प्लाय होंगे। जो छोटे उद्योगपति हैं कम से कम जोधपुर डिवीजन के अन्दर, उन्होंने इन छोटे उद्योगों के अन्दर कुछ अपनी पूंजी लगाकर कुछ राज्य सरकार से या किसी एजेन्सी से, आर. एफ. सी. से, या सेन्ट्रल की किसी एजेन्सी से पैसा लेकर उद्योग स्थापित किये हैं, पचास हजार लोग इन उद्योगों में कार्यरत हैं। इस तरीके से हम सौतेला व्यवहार इन उद्योगपतियों के साथ करते हैं तो यह बहुत बुरी स्थिति है। राजस्थान को औद्योगीकरण की दृष्टि से आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, हमारे मुख्य मंत्रीजी बाहर जाकर के उद्योगपतियों को कहते हैं, राजस्थान में आकर आप उद्योग लगाइये। मैं कहता हूं, जोधपुर के उद्योग पतियों में कोई आपको डिफाल्टर नहीं मिलेगा। कितनी मेहनत, लगन से उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट जमाया है। उनकी साख है। आज भारत सरकार के पास जाते हैं तो वहां के यूनिट हैं, उनकी साख है। आप उनको इस तरह क्रश करके, इस तरह से उनके ऊपर अतिरिक्त कर भार लादकर आगे बढ़ने से मत रोकिये। इस पर पुनर्विचार करिये। उन पर टैक्स लेवी किया है, सेल्स टैक्स है, कच्चे माल के ऊपर टैक्स है। यह सारी फैसिलिटी विदड्रा की है, उनको आप यथावत रखें और राज्य के औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने में सहायता दें।

दूसरा, आज राजस्थान के अन्दर काफी मात्रा में खनिज सम्पदा है। मगर खनिज सम्पदा के ऊपर भी, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा आभास होता है, कुछ लोगों का एक प्रकार से मोनोपोलाइजेशन जैसा हो गया है। उसके ऊपर भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। इस खनिज सम्पदा से हम राजस्थान की इकानामी को काफी आगे बढ़ा सकते हैं। मगर इस पर पता नहीं क्यों राज्य सरकार ध्यान नहीं देना चाहती। वर्षों से मीलों की लीजेज लिये बैठे हुए हैं। उन पर पुनर्विचार करना चाहिये। आज हमारे यहां बड़ी खनिज सम्पदा है। इसके शोध में, इसके विकास में किसी तरह की रुचि लेने वाली बात नहीं है। राजस्थान में इतनी खनिज सम्पदा है, मगर खनिज विभाग का एक ही पेज का सारे अधिकारियों का मेरे खयाल से खर्चे खाते का हिसाब जरूर आता होगा, मगर हमारे समझ में नहीं आता। किसी भी वर्ग को ले लीजिये, साल भर यह ब्यूरोक्रेट्स बैठकर करते क्या हैं। इण्डस्ट्री में इनकी क्या उपलब्धि रही है? इसके अधिकारियों के खर्चे, भत्ते, टी. ए. डी. ए. यह विवरण जरूर आता है, वह विधान सभा के माननीय सदस्यों को ऐसे समय पर उपलब्ध होता है, रात को दो बजे, 11 बजे 12 बजे उपलब्ध होता है और 10 बजे सुबह यहां आ जाते हैं। उनको भी हम देख नहीं सकते हैं कि आपकी क्या उपलब्धि रही है। ब्यूरोक्रेट्स जैसे हैं, हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते भी नहीं है मगर कुछ जानकारी विभाग की तो प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कर भी लें तो यही ट्रेजरी बैंचेज में बैठे हुए........

एक माननीय सदस्य : आप किसमें बैठे हैं?

एक माननीय सदस्य : आप भी ट्रेजरी बेंचेज में हो।

श्री सूरजपाल सिंह : विपक्ष वालों ने ××× करके दो सौ करोड़ की मांगें एक मिनट में पास करवा ली।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : आपको आराम कर दिया।

श्री सूरजपाल सिंह : आराम नहीं है, आप आराम कह सकते हैं, माननीय सदस्य, मगर प्रजातांत्रिक तरीकों से यह उचित नहीं है। विरोध के लिये विरोध नहीं होता है। कंस्ट्रक्टिव विरोध होना चाहिये। तो मैं.......

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : आप तो ××× हैं।

श्री सूरजपाल सिंह : हम ×××× है इससे आपको लेना देना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो मुद्दे पर पर कहिये, माननीय सदस्य। आर्डर।

श्री सूरजपाल सिंह : मेरा निवेदन वह है, उपाध्यक्ष महोदय, मिनरल की तरफ, खनिज विभाग की तरफ भी मंत्री जी ध्यान दें। हमारे राजस्थान में अतुल खनिज सम्पदा है इसको हम विकसित करते हैं तो हम राजस्थान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। जो खनिज संपदा है, इस ओर ध्यान देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजकीय उपक्रमों के बारे में मेरी यह निश्चित मान्यता है, प्रायः सभी राजकीय उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। हम यह स्थिति कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। आज रोडवेज घाटे में है, आर. एस. ई. बी. के घाटे का तो कोई शुमार ही नहीं है। तो जितने राजकीय उपक्रम घाटे में चल रहे हैं उनकी ओर निश्चित रूप से हमें ध्यान देना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि राजकीय उपक्रमों में जन प्रतिनिधियों को शामिल करके, उनकी कमेटी बना करके ब्यूरोक्रेट्स के हाथों से बचा कर उनकी ओर कुछ ध्यान दिया जाय तभी हम राजस्थान के बढ़ते हुए ओवरड्राफ्ट को कम कर सकेंगे और राजस्थान की प्रगति, जो आज रुकी हुई है, को आगे बढ़ाने में कुछ मदद कर सकेंगे। मेरा यह सुझाव है कि राजकीय उपक्रम, जो घाटे में चल रहे हैं, के ऊपर राज्य सरकार को पूर्ण ध्यान देकर घाटे को रोकना चाहिये। इसको अगर नहीं रोकेंगे और घाटे की पूर्ति अगर हम साधारण आदमी पर टैक्स इम्पोज करके वसूली करके करते रहेंगे तो इसका अर्थ इन सफेद हाथियों को जिन्दा रखना है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि राजकीय उपक्रमों का घाटा दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है इसको रोका जाना चाहिये। ये राजस्थान की प्रगति में निश्चित रूप से अवरोध पैदा कर रहे हैं। क्योंकि यह घाटे में रहते हैं इसलिये टैक्स लगा कर इनको जिन्दा रखें, यह कतई उचित नहीं है। इनकी ओर भी शीघ्र ध्यान देना चाहिये। धन्यवाद।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने पहले मेरा नाम बोला था ।

श्री उपाध्यक्ष : हां ठीक है । आप यहां नहीं थे इसलिये नाम काट दिया ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, राजस्थान के उद्योग, खनिज संपदा और राजकीय उपक्रम से संबंधित मांगों पर आज हम विचार विमर्श कर रहे हैं । किसी भी प्रदेश या देश की आर्थिक स्थिति मुख्यत कृषि और उद्योगों पर आधारित होती है जहां तक कृषि का सवाल है, कृषि वर्षा पर और प्रकृति पर आधारित है । प्रकृति का जो राजस्थान को वरदान प्राप्त है उसके कारण आये दिन अकाल पड़ते हैं और किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत चिन्ताजनक बनी हुई रहती है । उसका प्रभाव भी निश्चित रूप से कच्चे माल की दृष्टि से, पानी की कमी की दृष्टि से और पानी की कमी के आधार पर बिजली के उत्पादन से उद्योगों पर पड़ना स्वाभाविक है । आज राजस्थान की जो बजट की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत हुई है उससे बहुत स्पष्ट हो रहा है कि राजस्थान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है । जिस प्रकार का बजट और सारी समीक्षा हमारे सामने मौजूद है इससे स्पष्ट है कि राजस्थान को उभारना कोई साधारण काम नहीं रहा है । मै इस मौके पर यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के उद्योगों का ढांचा है. यह कोई इन वर्षों से बना हुआ नहीं है । 15-20 वर्ष पहले राजस्थान में औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ । तत्कालीन मुख्य मंत्री, उद्योग मंत्री और वित्त मंत्री ने कलकत्ता, बंबई की यात्रायें करके वहां के प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों को राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये आकृष्ट किया था और कई प्रकार की सुविधायें देने के वायदे किये थे । उस आधार पर अपनी मातृभूमि पर उद्योगों का अंबार लगा । इस भावना को लेकर उद्योगपति कलकत्ता और बंबई से राजस्थान की ओर आने लगे थे । यह राजस्थान प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज राजस्थान में बिजली की अव्यवस्था, लगातार बढ़ते हुए कर भार की असहनीय अवस्था देख कर उद्योगपति गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की ओर वापस मुंह करके चलने लगे हैं । यह राजस्थान के लिये चुनौती की बात है । देश की नेता इन्दिरा गांधी इस वर्ष को उत्पादन वर्ष के नाम से जब घोषित कर रही हैं तब राजस्थान के उद्योग धंधे मरमरा कर उत्पादन की बजाय उत्पादन समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं । औद्योगीकरण की ओर यदि इसी तरह का रुख रखा गया तो राजस्थान के उद्योगपतियों की हालत बहुत गंभीर होने वाली है । मैं जिस जिले से आता हूं वह राजस्थान के उद्योग नक्शे पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है । न केवल उद्योगों की दृष्टि से, खनिज संपदा की दृष्टि से भी राजस्थान में प्रमुख जिला है । किन्तु आज जो हालात पैदा हो रहे हैं उन पर यदि राजस्थान सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया तो आने वाला समय राजस्थान की औद्योगिक क्रान्ति की गति में अवरोध पैदा करने वाला, एक नया इतिहास पैदा करने वाला कहा जायेगा ।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मैं इस दृष्टि से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बनाने की दृष्टि से जो काम हुआ उस पर आज के सन्दर्भ में पुनर्विचार किया जाकर उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस तरह महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि विकसित औद्योगिक प्रदेशों में एक वातावरण बना है तो राजस्थान सरकार को सुझाव देने की दृष्टि से निवेदन करना चाहूंगा कि आप चाहे राजकीय उपक्रमों को लें, दूसरे उद्योगों को लें, राजस्थान में इस तरह के लोग नहीं हैं जो संपूर्ण दृष्टि से उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिये सोचें। पहले जिस योजना की घोषणा की गई थी, हमारे भूतपूर्व मंत्री ने घोषणा की थी पहले, एक ही खिड़की पर सब सुविधायें उद्योगों को सुलभ करायी जायेंगी, चाहे जमीन का कन्वर्शन हो, चाहे ऋण, अनुदान का मामला हो, चाहे किसी प्रकार से कच्चे माल, तैयार माल को निर्यात करने का मामला हो। कहां है एक खिड़की? राजस्थान के उद्योगपति आज चक्कर लगाते फिरते हैं और कहते हैं कि राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये प्रयत्न करते करते वे थक गये। अब राजस्थान में उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। सम्पूर्ण औद्योगीकरण हो गया है। इस प्रकार की बड़ी कुंठा लेकर चलते हैं। मैं चाहूंगा कि राजस्थान में सबसे पहले एक ऐसा वातावरण बने, इसके लिये चाहे आप, राजस्थान सरकार महाराष्ट्र से, चाहे गुजरात से, उसके एक्सपर्ट्स को राजस्थान में प्रतिनियुक्ति पर लेकर राजस्थान के उद्योगों को आगे बढ़ाने की दिशा में क्रान्तिकारी कार्यक्रम बनाने की सोचे अन्यथा राजस्थान के औद्योगीकरण को आज का वातावरण पता नहीं कहां ले जायेगा। आज राजस्थान में 15 लाख मजदूर विभिन्न उद्योगों में काम कर रहे हैं। इन 15 लाख औद्योगिक मजदूरों का भविष्य खतरे में है। भीलवाड़ा में एक मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल है, उसकी तीन चौथाई मशीनें बेकार हैं। उसकी हालत खराब है। वह तालाबन्दी की स्थिति में है। मजदूर परेशान हैं। राज्य सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। वहां पर औद्योगिक अशान्ति का वातावरण दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति राजस्थान के कई भागों में है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से एक वातावरण बना है उस के लिये फिर से उपयुक्त औद्योगिक प्रणाली लागू की जाये, एक ही खिड़की पर सभी प्रकार की उद्योगों को सुविधाएं दी जायें।

मैं खास तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जब औद्योगिक क्रान्ति का वातावरण बना था तब सुविधाओं को बरकरार रख कर उद्योगों को आगे बढ़ाने की बात थी किन्तु आज आपने बिक्री कर बढ़ा दिया, बिजली की दर बढ़ा दी और दूसरे कई प्रकार की असुविधाओं में आपने उनको ढकेल दिया। इसलिये आज ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप बड़े उद्योगों से क्यों डरते हैं? आप बड़े बड़े उद्योगपतियों से टैक्स की वसूली क्यों नहीं करना चाहते हैं? पिछली विधान सभा में मैंने कहा था कि बड़े उद्योगपतियों में बहुत बड़ी बड़ी रकम बकाया है। उसके फिगर्स भी दिये थे आप उनसे वसूली नहीं करना चाहते हैं।

(168)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

किन्तु एक गरीब साधारण आदमी में कोई टैक्स बकाया है तो उस तरफ आपका ध्यान जायेगा। उस पर कुर्की, पी० डी० आर० लैन्ड रेवेन्यू एक्ट, कितने ही प्रकार के एक्ट की तलवारें लटका रखी है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी ओर आपका ध्यान नहीं जायेगा। आज राजस्थान में जे० के० की कन्सर्न हैं, राजस्थान में श्री राम की जितनी कन्सर्न हैं, राजस्थान में मोदी टायर्स हैं, सारे के सारे टैक्सटाइल्स संस्थान हैं, उन पर आपका टैक्स है किन्तु वे डिपो के नाम राजस्थान से बाहर माल ले जाते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा, जैसा कि एक पूर्व वक्ता ने सुझाव दिया था कि टर्न ओवर के नाम पर जो राजस्थान से बाहर माल जाता है, आप उस पर टैक्स लगावें तो 100 करोड़ रुपया इस प्रकार के टैक्स से वसूल कर सकते हैं उस पर आप टैक्स लगाइये।

इसी प्रकार राजस्थान में बिजली की चोरी का मामला है। इसको आप क्रिमनल आफेन्स घोषित क्यों नहीं करना चाहते हैं? इसका कानून आपने बना रखा है। राजस्थान में 30 से 40 प्रतिशत बिजली के लासेज हैं जबकि अखिल भारतीय स्तर पर 12 प्रतिशत का लास है। राजस्थान में बिजली बोर्ड कार्यवाही क्यों नहीं करना चाहता है। अभी मेरे पास समय नहीं है, करोड़ों रुपयों का बिजली बोर्ड में घोटाला हुआ है। यह महालेखाकार, गवर्नमेंट आफ इंडिया की रिपोर्ट है सब को वितरित हुई है राजस्थान सरकार का वित्त मंत्रालय कभी इसको देखता है? राजस्थान के उद्योग मंत्री, राजकीय उपक्रम विभाग कभी देखता है? इसमें करोड़ों का घोटाला है। चाहे राजस्थान रोडवेज को लीजिये, चाहे खास तौर से बिजली बोर्ड को ले लीजिये। इस प्रकार आप देख लीजिये कहां कहां फर्जी कार्यवाही की है। एक ही व्यक्ति ने कई नाम से लोन ले रखा है। लोन लेने के बाद उद्योगों को ठप्प करके चले जाते हैं। राजस्थान की जनता पर टैक्स बढ़ा देते हैं इस प्रकार का घाटा जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है, यह मान लें। मैं चाहता था कि मुख्य मंत्री जी आज इस सदन में बैठते। राजस्थान के औद्योगीकरण का मामला है। फिर भी, राज्य मंत्री उनके प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, मैं उनको यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के जितने भी राजकीय उपक्रम हैं, उन पर एक हाई पावर कमेटी बिठा कर जांच करायी जाये। भ्रष्टाचार में डूबे हुए अधिकारी राजस्थान की जनता के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। करोड़ों रुपयों के घोटाले का जिम्मेदार कौन है? आप एक सरपंच, कोआपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारी के खिलाफ फौरन कार्यवाही करते हैं परन्तु क्रिमनल आफेन्स का केस आप इनके खिलाफ क्यों नहीं लगाते हैं? इसका मंत्री महोदय, जवाब दें। क्या राजस्थान की जनता यह मान कर चले कि राजस्थान के ये अधिकारी, ये मंत्री इन लोगों से मिले हुए हैं इसलिये इस मामले में कार्यवाही नहीं होती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि महालेखाकार का यह प्रतिवेदन वाणिज्यिक मामलों का है, लाल पोथी, इसकी हिन्दी और इंग्लिश में प्रतियां हैं, माननीय प्रद्युम्नसिंह जी, यह आपके पास भी पहुंची होगी, इसको आप मंगवा कर देखें, राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता के साथ कितना अन्याय हो रहा है,

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इसको देख कर आप राजस्थान में आदर्श प्रस्तुत करें।

(4 35 म०प०)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

राजस्थान में बिजली उत्पादन की दृष्टि से स्थिति बड़ी गंभीर है। अभी आपका जो बिजली का उत्पादन होता है उसका 53 प्रतिशत आप उद्योगों को देते हैं और बकाया सभी प्रकार के चाहे कृषि को ले लें, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे जलप्रदाय योजनाएं हों, इरिगेशन हो, सब को मिला कर बकाया बिजली मिलती है। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि बिजली जब आप पूरी नहीं देते हैं, जब बिजली के आधार पर चलने वाले उद्योग ठप्प हैं, जब औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है, औद्योगिक दृष्टि से विकास अवरुद्ध हो गया है, तब इस समय बिजली की दर बढ़ाना, सैल्स टैक्स की दर बढ़ाना कहां तक उचित है? इससे राजस्थान में औद्योगिक रूप से संकट क्यों पैदा कर रहे हैं? मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी भीलवाड़ा जोधपुर में कई लोगों से मिलने का अवसर मिला। जो हालात हैं, उनको देखते हुए कह सकता हूं कि राजस्थान के कई उद्योग गंभीर रूप से ठप्प हो गये हैं। 2 पर्सेन्ट कट आपने बड़े उद्योगों में कर दिया है, दूसरे कन्सर्न, कारखानों में 40 पर्सेन्ट आप बिजली देंगे। जब उत्पादन नहीं हो रहा है. सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, कई प्रकार के उनके खर्चे हैं वह ज्यों के त्यों रहते हैं. उस हालत में इस प्रकार आप राजस्थान में सैट बैंक क्यों कर रहे हैं? कृपा करके आप देखें। जनरेटिंग सैट्स का जहां तक सवाल है उस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा, एक उद्योग जो निजी रूप से बिजली का उत्पादन करता है, अपने साधन से बिजली इकट्ठा करके काम चलाता है, उस पर भी आपने टैक्स लगाया है। ऐसी बात करके निश्चित रूप से उद्योग धन्धों को नष्ट करने की साजिश के आप शिकार हो रहे हैं। इस दृष्टि से आप थोड़ा सोचेंगे। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो वातावरण बना है, उसको आप बिगाड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे वरना यह इतिहास इस बात की गवाही होगा। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान में औद्योगीकरण का एक वातावरण बनाया था, जिस गति से कोटा में बड़े बड़े कारखाने लगे, जो कारखाने आप आज देखते हैं, यह उस व्यक्ति की देन थी। क्या उस इतिहास को आप मिटाना चाहते हैं। आप इन उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं या मिटाना चाहते हैं? इस दृष्टि से आप देखें। कोई बड़ा उद्योग आप नहीं लगा रहे हैं जो उद्योग लगे हुए हैं उनको आप समाप्त करने पर तुले हुए हैं कृपया आप इसको देखें।

दूसरी बात, मैं राजस्थान के राजकीय उपक्रमों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आप एक हाई पावर कमेटी अलग-अलग उपक्रम के लिए बिठावें। जो उपक्रम नहीं चल सकते हैं उनको आप समाप्त कर दीजिए राजस्थान की जनता इसका स्वागत करेगी। इस दृष्टि से खास तौर से आप इन तीन, चार बातों को देखेंगे और राजकीय उपक्रमों में जो घाटा है उसको प्राफिट में बदलने का प्रयत्न करेंगे। राज-

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कीय उपक्रमों में केवल आई० ए० एस० अधिकारियों ने ही ठेका नहीं ले रखा है, उनमें आप दूसरे एक्सपर्ट्स भी ले सकते हैं। कई रिटायर टेक्निशियन्स भी मिल सकते हैं उनकी सेवाओं का आप उपयोग कीजिए। इस दृष्टि से राजस्थान में जो घाटे की अर्थ व्यवस्था है उसको आप सुधारें वरना राजस्थान को आप गहरे गड्ढे में डाल देंगे और वह कभी उभर नहीं पायेगा। यह निवेदन करता हुआ मैं यह कहना चाहूंगा कि 100 करोड़ रु. राजस्थान में विद्युत के लासेज हैं। यह आंकड़े मैंने बनाये हैं। इसको आधार मानकर मैं चलता हूं। इसको आप एग्जामिन करावें। 100 करोड़ का भार राजस्थान की जनता का आप हल्का कर सकते हैं। इस दृष्टि से खास तौर से निवेदन करूंगा कि जो डिपो ट्रान्सफर के नाम हर कोटा के बड़े-बड़े मिल्स, प्रतिष्ठान मात्र बाहर भेजते हैं, उनसे चाहे टर्न ओवर के नाम चाहे और किसी नाम पर, मैं नाम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं, 100 करोड़ रुपया राजस्थान के खजाने में आ सकता है। छोटे-छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे उद्योग धन्धों को आप बाद में संभाल लेना, पहले बड़े उद्योगपतियों को देखें। इसी तरह से विद्युत की चोरी से लगभग 100 करोड़ की बचत कर सकते हैं।

तीसरा निवेदन मैं यह करना चाहूंगा, खनिज मंत्री जी, आप सर्वेसर्वा हैं खनिज विभाग के। मैंने कई बार निवेदन किया इस बार भी निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान को विपुल खनिज सम्पदा प्राप्त है। देश का सर्वाधिक खनिज राजस्थान में है। यह आपने एक पुस्तिका दी है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शायद आप खुद ही इसको नहीं पढ़ते होंगे। जो आपका आय-व्यय दिया गया है इसके अनुसार देश भर में सबसे ज्यादा खनिज हमारे यहां पर पैदा होता है। आप स्टेटेस्टिक्स के हिसाब से देखें तो राजस्थान को खनिज दृष्टि से वरदान प्राप्त है उस खनिज सम्पदा में आपके यहां खनन ढंग से नहीं होता है। लोग अतिक्रमण करते हैं, करोड़ों रुपयों के खनिज की चोरी हो रही है। आप इसमें कुछ काम करें, काम करके दिखायें तभी राजस्थान की जनता आपका कमाल मानने वाली है तभी जनता आपको मानेगी। लेकिन इतना टैक्स लगा दिया और इतने घाटे की व्यवस्था बताकर बजट बता दिया कि न तो स्कूल खोलेंगे न औषधालय खोलेंगे, इस बात को कोई मानने वाला नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूं कि खनिज विभाग आपके पास है उद्योग विभाग आपके पास है राजकीय उपक्रम अपके पास हैं इन तीनों विभागों के अन्दर आप राजस्थान में कुछ करके दिखा दीजिए।

इसके साथ ही बिजली चोरी का मामला भी है। राजस्थान में जो बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं वे टैक्स नहीं देते है। इसी प्रकार खनिज विभाग में घपलेबाजी और घोटाले हैं। उस दृष्टि से आपके अधिकारी की मिलीभगत से या आपके विभाग की मिलीभगत से करोड़ों रुपये का खनिज राजस्थान से चोरी हो रहा है, करोड़ों का घपला हो रहा है, अतिक्रमण हो रहे हैं। यदि इस दृष्टि से आप ध्यान देंगे तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में खासतौर से ध्यान देंगे। यह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इसके साथ साथ जिस जिले से मैं आता हूं वह जिला राजस्थान में सर्वाधिक खनिज वाला है। वहां पर सब प्रकार के खनिज होते हैं चाइना क्ले, माइका, सोपस्टोन, माइका ग्राइन्ड, जस्ता, जो अभी आगुचा में मिला है, सब के सब खनिज हमारे क्षेत्र में हैं। आगुचा में आप बनास का पानी लाइये, चम्बल का पानी लाइये जो आपकी यहां पर औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ने की प्रॉब्लम है अजमेर और भीलवाड़ा जिले की पानी की समस्या है उसको आप ठीक करके एक प्रकार से नया वातावरण राजस्थान में बना सकते हैं। इसके साथ साथ माइका स्मेल्टिंग कारखाने का मामला है। माइका के मामले में राजस्थान बिहार के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र है, वह भी हमारे यहां पर ही है उधर आपका ध्यान नहीं गया है। माइका निकलता है या नहीं यह भी शायद आपको पता नहीं है। क्या कच्चे माल के कारखाने की कोई योजना आपके पास है? नहीं है। आप इस प्रकार की कुछ इन्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं? माइका के वेस्ट से ताप निरोधक ईंटें बनती हैं उसके कारखाने की बात है। वह कारखाना लग सकता है, वह ईंटें भिलाई आदि में बिकती हैं। ये छोटी छोटी बातें करके समय निकालते हैं। आपने जिस तरह राजस्थान की जनता पर टैक्स बढ़ाया है उसी तरह से आप कच्चे माल पर आधारित कारखाना लगाने की तरफ भी ध्यान दीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में मुख्य मंत्री जी का क्षेत्र है उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, कोटा रतलाम की रेलवे लाइन निकल रही है उस पर दुनिया भर के सीमेंट के कारखाने लग सकते हैं वहां पर काफी लाइम स्टोन है आप लाइसेंस दें। पब्लिक सैक्टर में प्राइवेट सैक्टर में आप इसके लिए कुछ करें तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस रेलवे लाइन के ऊपर काफी इन्डस्ट्रीज लग सकती हैं उस तरफ आपका ध्यान नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान में औद्योगीकरण का जो एक वातावरण बना था कृपा करके उसको मिटायें मत, उस इतिहास को आगे बढ़ायें। राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से स्थान जो कुछ बना है उस स्थान को निश्चित रूप से कायम रखना है, आगे नहीं बढ़ायें तो कम से कम उसको उस जगह पर तो बरकरार रखें। यह मेरा आपसे निवेदन है। नोट तो काफी कर रखा है लेकिन समय कम है इसलिए ज्यादा नहीं कहकर ....

श्री यदुनाथ सिंह : बोलने वाले काफी कम हैं आज तो इसलिए बोले आप तो।

श्री सभापति : बोलने वालों की कमी नहीं है इसलिए आप समय का ध्यान रखें।

श्री रतनलाल ताम्बी : लेकिन ऐसे सुझाव देने वालों की कमी है।

श्री महाराम चौधरी : बहुत ही कम बोलने वाले हैं आज तो।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय राज्य मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी डिमाण्ड्स के पास होने से पहले आज इस बात का मानस बनाएं कि राजस्थान में उद्योगों को फिर से विकसित करने के लिए अनुदान की नीति, ऋण की नीति, जमीन कन्वर्शन की नीति और कच्चे माल को उपलब्ध कराने की व्यवस्था, कच्चे माल के

(श्री रतनलाल ताम्बी)

बाद तैयार माल के लिए मार्केटिंग या बाहर निर्यात करने की व्यवस्था के बारे में कोई अच्छी नीति की घोषणा करेंगे जिससे राजस्थान का औद्योगीकरण वातावरण, जो बिगड़ा हुआ है, ठीक हो। यह खास तौर से निवेदन है। दूसरा यह है कि जियोलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया ने काफी एरिया रिजर्व कर रखा है, कई वर्षों से रिजर्व कर रखा है न तो वहां वह किसी कार्य को करता है, न ही वह किसी को आने देता है और न ही वह उसका उपयोग करता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो यह जियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया है उसके संबंध में कोई कारगर कार्यवाही करें। वर्षों से जो एरिया ले रखा है उसको इरेज करवायें ताकि वहां पर नये नये उद्योग लग सकें। इसके साथ साथ यह निवेदन करना चाहता हूं आप राजस्थान में जनरल सर्वे करवाकर और भी कई प्रकार के जो खनिज धरती में दबे पड़े हैं उनके बारे में विचार करें और उनको विकसित करने का प्रयास करें इसके लिए आपके सर्वेक्षण की गति धीमी है और दिशाविहीन है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्रीजी पहले भी उद्योगों में रह चुके हैं और उनको उद्योगों का ज्ञान भी है, जानकारी भी है। उस ज्ञान और जानकारी के आधार पर हमारे उद्योगों की जो स्थिति है उसके लिए विशेष तौर से दिलचस्पी लें। दूसरा, एक तरह से उद्योग मिट गये हैं उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। एक सर्वे करायें और उनके लिए एक मास्टर प्लान बनाएं उसके आधार पर ही कार्यक्रम को आगे बढ़ायें। यह केवल कहने की दृष्टि से या विरोध की दृष्टि से या इस प्रकार की दृष्टि से नहीं बल्कि राजस्थान और देश के हित में कुछ बात कहने की दृष्टि से मैंने यह निवेदन किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट में, साहब, कहना चाहूंगा।

श्री भैरूंलाल मीणा : 25 मिनट हो गये हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपको तकलीफ बहुत होती है। यह क्या बात है ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं चुने हुए कुछ उद्योगों को राजस्थान में हाथ में लें और उनका सब प्रकार का उपयोग करें। उन उद्योगो से किस प्रकार के सहायक उद्योग लग सकते हैं उनकी योजनाएं बनाई जाएं। उद्योग विभाग से जानकारी मिलती है, लेकिन कई ऐसे उद्योगों की जानकारी नहीं मिलती है उनके लिए छोटी स्कीम बनाकर हर प्रकार की जानकारी लोगों को उपलब्ध करायी जाये ताकि अधिक से अधिक उद्योगों को लगाया जा सके। क्योंकि इधर सरकार में रोजगार उपलब्ध नहीं है, एम्पलायमेंट एक्सचेंज में लाखों नाम दर्ज हो जाते हैं और उधर अकाल की भी स्थिति है। इसलिए उद्योग अधिक लगाये जायें जिससे कि लोगों को अधिक राहत मिल सके, वर्तमान में जो 15 लाख लोग लगे हुए हैं उनमें कमी नहीं हो जाये इसके बारे में सोचा जाना चाहिए अन्यथा राजस्थान में कोई सुधार की बात नहीं हो सकती है। एक और निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय।

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार को बर्खास्त किया जाये यह निवेदन करना चाहते हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : राजस्थान में उद्योगों पर बिजली की कटौती की गयी है उसमें यह देखें कि छोटे छोटे उद्योगों को नुकसान न हो, उन पर भार न पड़े। इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो उद्योग सरकार की बिजली पर आधारित नहीं हैं, जनरेटिंग सेंट्स से बिजली लेकर काम चलाते हैं उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगायें। आधा अनुदान दे रहे हैं पर अन्य किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगायें ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके और वे अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ साथ समृद्ध उद्योगों की दृष्टि से एक वातावरए बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए। इन्हीं बातों को कहते हुए खनिज उद्योग, और राजकीय उपक्रम के बारे में मैंने जो कुछ सुझाव दिये हैं उन पर बहुत गम्भीरता से विचार करें यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : **श्री सी० पी० जोशी।**

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निधारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज अनुदान की मांगें पारित हों तब तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : सदन का समय सदन की अनुमति से मांगें पारित होने तक के लिये बढ़ाया गया।

मांग संख्या 42 40 व 43 पर विचार

श्री यदुनाथ सिंह : आप भी, सभापति महोदय, विपक्ष से नाराज मालूम होते हैं।

श्री सी० पी० जोशी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान के ज्यादातर उद्योगपति राजस्थान से बाहर गये और उन्होंने चाहे कलकत्ता हो, चाहे मद्रास हो और बम्बई हो वहां पर जाकर उद्योग लगाये। जब राजस्थान का रहने वाला नागरिक बाहर जाकर, अन्य प्रान्त के अन्दर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है तो क्या कारण है कि राजस्थान के अन्दर जो उद्योगों की दशा है वह ठीक नहीं है ? मेरा मानना है, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार का राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए वह बनाने का प्रयास किया गया है लेकिन पिछले 8-10 साल से हम कुछ नहीं कर पाये। मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों में जाकर हमारे लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं। उन प्रान्तों के और हमारे यहां के हालात को कम्पेयर करें तो एक बात साफ है कि हमारे जितने इन्डस्ट्रियल फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनके ऊपर हमने ब्यूरोक्रेट्स बैठा दिये हैं। श्रीमान्, आप इस बात को तो जानते हैं

(श्री सी. पी. जोशी)

कि ग्राई. ए. एस. का जो रिक्रूटमेंट होता है उसके ग्रन्दर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग तो दी ही जाती है लेकिन किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान होना एक ग्रलग क्वालिटी है। इन्डस्ट्रियल एक्टीविटीज को ग्रागे बढ़ाने के लिये जिस तरह की एक फ्री थिंकिंग ग्रौर रिस्क लेने की कंपेसिटी होनी चाहिए हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं, ग्रार. ए. एस. हैं, शायद उनमें यह बहुत बड़ापार्ट प्ले कर रही है। इसके साथ साथ वे इस बात को भी भली प्रकार से जानते है कि जब भी सरकार बदलती है या मन्त्री चाहता है तब तक ही वे रह सकते हैं ग्रौर फिर उनका डिपार्टमेंट बदल जाता है। इस बात को देखें कि कभी उनको ग्रार. एफ. सी. में लगा देते हैं कभी रोडवेज में लगा देते है ग्रौर कभी उनको ग्रार. एस. ई. बी. का चेयरमैन बना दिया जाता है। मेरा निवेदन यह है कि जब तक मैनेजेरियल ग्रासपेक्ट्स स्ट्रांग नहीं करेंगे, तब तक हम चाहे उद्योग को ग्रागे बढ़ाने की बात करें चाहे राजकीय उपक्रमों को ग्रागे बढ़ाना चाहें हम ग्रागे नहीं बढ़ा सकेंगे। जिस तरह से स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज का डैवलपमेंट रामैटीरियल ग्रौर मैन पावर का उपयोग करना चाहते हैं, वह तभी सही मायने में उपयोग हो सकेगा। यदि इनके बिना, इनका सारा बजट, राजकीय उपक्रमों को ग्राई. ए. एस. ग्राफिसर्स के हाथों में छोड़ दें, तो श्रीमान, एक बहुत बड़ा प्रश्न ग्रा जाता है। ग्राई. ए. एस. रिक्रूटमेंट की मिनिमम क्वालीफिकेशन ग्रेजुएशन है। एक कांम्पीटीटिव एग्जामिनेशन पास करके एडमिनिस्ट्रेटिव डिग्री लेने के बाद वह ग्रादमी इस बात के लिए सक्षम नहीं है कि वह हर तरह के काम कर सके। मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा यदि गम्भीरता से राजस्थान के ग्रन्दर राजस्थान के राजकीय उपक्रमों को हमें ग्रागे बढ़ाना है तो किसी भी तरह से जो मैनेजेरियल ग्रौर टेक्नोक्रेट्स ग्रादमी हैं उनकी सर्विसेज को निश्चित तौर से राजकीय उपक्रमों के ग्रन्दर लेना पड़ेगा। ग्राई.ए.एस ग्रार. ए. एस. के लेवल पर इन इन्स्टीट्यूशंस को छोड़ दिया गया तो राजकीय उपक्रमों को जो घाटा हो रहा है वह दिन पर दिन बढ़ता जायेगा। सभापति महोदय, ग्राप स्वयं इस बात को जानते हैं कि राजस्थान के टैक्स का बहुत बड़ा पैसा राजकीय उपक्रमों में लगा हुग्रा है उसका रिटर्न हमें कुछ नहीं मिले तो गम्भीरता से मैनेजेरियल ग्रास्पेक्ट्स को सोचना चाहिए।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं निश्चित तौर से हमें यह सोचना पड़ेगा कि यदि भारत सरकार ने इस बात को माना है कि इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट के साथ साथ डवलपमेण्ट के जो इन्सेन्टिव होने चाहिए वे तो हमारे देश में लागू नहीं हैं, न प्रदेश के ग्रन्दर लागू हैं लेकिन उनके रेगूलेशंस इस तरह के बना दिये गये हैं कि कोई नया एन्टरप्रिन्योर ग्राकर नई इण्डस्ट्री लगा नहीं सकता। इसलिए हमें इस बात को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि इण्डस्ट्रियल डवपलमेण्ट के लिए यदि फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन ग्रौर ग्रापका डिपार्टमेण्ट कोई सार्थक रोल

(श्री सी. पी. जोशी)

प्ले कर सकता है तो निश्चित तौर से इस बात की घोषणा करनी चाहिए बनिस्पत इसके कि इस तरह के रेगूलेशंस बना दिये जायें। आज यह हालत है कि इण्डस्ट्री लगाने जब कोई राजस्थान के अन्दर आता है तब वह आर. एफ. सी., रीको या आर. एस. एम. डी. सी. के चक्कर काटता है और ब्यूरोक्रेट जो वहां बैठा हुआ है उस को यह मालूम नहीं है कि एन्टरप्रिन्योर को क्या कठिनाई हो सकती है। इसलिए हमें इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि जो एन्टरप्रिन्योर स्टेट के अन्दर अपनी इण्डस्ट्री लगाना चाहता है, उस उद्योग को लगाने के लिए आज जिस तरह से पंजाब हरियाणा और महाराष्ट्र ने अपने यहां उसकी जो एप्लीकेशन है वहां से लगा कर उसकी लोन लेने की क्षमता है उसको पूल कर रखा है, एक ही आफिसर है उसी तरह हम करें तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा एन्टरप्रिन्योर राजस्थान के अन्दर आयेंगे। हम प्रवासी राजस्थानियों के लिये बम्बई में जाकर घोषणा करें, हम कलकत्ता में घोषणा करें ताकि राजस्थान के अन्दर आयें, लेकिन जब वह देखता है कि राजस्थान के अन्दर उसको अपनी एक्टीविटीज जनरेट करने के लिए जितना मोटीवेशन जितना इन्सेन्टिव चाहिए वह इन्सेन्टिव हमारी ब्यूरोक्रेसी की नीति के कारण नहीं मिलता है तो निश्चित तौर से वह गुजरात में जाता है, हरियाणा में जाता है और आस पास की स्टेट में जाता है। कम से कम मैं इस बात को ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूं कि पिछले 5-10 साल में जितने एन्टरप्रिन्योर बाहर की स्टेट से लेबर अनरेस्ट के कारण राजस्थान में आना चाहते थे, उन्होंने प्रयास किया लेकिन उनके अपने जितने निजी अनुभव हैं, डिपार्टमेण्ट के कारण, उसके कारण या तो अल्टीमेटली उन्होंने गुजरात में या हरियाणा के अन्दर अपना बिजनेस शिफ्ट किया। इसलिए निश्चित तौर पर इस बात को मानना पड़ेगा कि यदि हम राजस्थान में इण्डस्ट्रियल डवलपमेण्ट चाहते हैं तो हमारी नीति मे आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। आपके जितने रूल्स बने हुए हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी और इन्टरप्रिटे करने की क्षमता देनी पड़ेगा आज जब ब्यूरोक्रेट रूल्स को इन्टरप्रेट करता है, मैं बड़ी गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं आज एक आई. ए. एस. आफिसर, जिस ब्यूरोक्रेट को आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रीट्यूट का इन्चार्ज बनाया है वह वहां करप्शन बढ़ा रहा है उसके अलावा कुछ काम नहीं कर रहा है। क्योंकि एन्टरप्रिन्योर की बेसिक कठिनाई है उसको वह समझता नहीं है उसके कारण उसके पास जो पावर है, जिस कलम से कुछ चीज हो सकती है उस कलम से होने या नहीं होने के बीच जो मार्जिन होता है उसका सबसे बड़ा जो फायदा उठा रहा है वह ब्यूरोक्रेट उठा रहा है। मैं यह भी गम्भीरता के साथ कहता हूं आर. एफ. सी. और रीको में लोन सिस्टम बना रखा है, 60 प्रतिशत से अधिकांश एन्टरप्रिन्योर्स उसका फायदा उठा रहे हैं किन्तु एन्टरप्रिन्योर्स सक्सेसफुली एन्टरप्रिन्योरिंग एक्टीविटीज नहीं कर रहे हैं और आर. एफ. सी. के आफिसर्स और जो नये टेक्नीशियन हैं वे फायदा उठा रहे है। आपके रा-मैटीरियल को बाजार में जाकर ब्लैक कर रहे हैं। उन्होंने आपका पैसा कुएं में डाला है और स्टेट में इण्डस्ट्री को एस्टेब्लिश

(श्री सी. पी. जोशी)

नहीं कर सके हैं इससे बड़ा दुर्भाग्य श्रौर क्या हो सकता है ? जिस तरह की नीति श्रापने बना रखी है उससे श्रार. एफ. सी. के एक सरटेन श्रमाउन्ट के ऊपर के लोनी एग्री करेंगे । मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि श्राज हालात यह है कि श्रापकी टैक्निकल रिपोर्ट की एक एक बात बनाने के लिए एजेन्ट जयपुर के श्रन्दर मौजूद हैं । श्राज 120 प्रतिशत का पूरा प्रोजेक्ट बनाकर सबामिट करते हैं जिसके श्रन्दर उनकी मूल पूंजी का पता नहीं लगता है । मूल पूंजी भी सरकार की तरफ से वसूल करते हैं केवल मात्र ब्यूरोक्रेसी को बैठाकर लोन ले जाते हैं जिससे स्टेट के श्रन्दर मास स्केल पर जो इण्डस्ट्रियल एक्टीविटीज जनरेट होनी चाहिए थी वह नहीं हो पायीं । इसके लिए मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय कम से कम कसकर यह काम करें कि पिछले दस सालों में कितने एन्टर-प्रेन्योर ने श्रार. एफ. सी. श्रौर रीको से लोन लेकर श्रपनी यूनिट एस्टेब्लिश की है उनमें से कितने लोग सक्सेसफुली यूनिट चला रहे हैं श्रौर कितने लोगों ने प्रोजेक्ट से पैसा बनाकर श्रपनी माली हालत सुधारी हैं । श्राज हालत यह है कि टेक्निकैल लोगों को जानने के कारण वह इस बात को जानता है कि मशीनरी हमको कैसे मिल सकती है, लोन कैसे सेंक्शन होने की ट्राई कैसे कर सकता है, तो गम्भीरता से इस बात को सोचना पड़ेगा । केवल मात्र ब्यूरो-क्रेसी की पैसा बनाने की क्षमता जरूर बढ़ी है लेकिन स्टेट के श्रन्दर एन्टरप्रिन्योर के के लिए कोई इन्सेंटिव नहीं हैं । स्टेट के श्रन्दर जितना श्रौद्योगिक विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं होता है तो इसका सीधा मतलब यह है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता । फरदर पालिटिकल काम्प्लीकेशन्स होते हैं उसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर र उद्योग नीति पर श्राती है । मैं जब इस बात को कहता हूं तो मैं यह नहीं कहता हूं कि श्राल ब्यूरोक्रेट्स श्रार इन्काम्पीटेण्ट पर जिस तरह के हालात में सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट श्रॉफ इण्डिया ने ब्यूरोक्रेट्स को पब्लिक श्रण्डर टेकिंग का इन्चार्ज लगाकर चेंज किया है, जिस तरह का उन्होंने प्रोसेस किया है उस तरह की एक श्रावश्यकता श्राज राजस्थान का जो श्राई. ए. एस. केडर है उसमें कॉम्पी-टेण्ट श्रादमी को श्राप सलेक्ट करिये । हर श्रादमी को श्रपनी विम्ब्स पर श्रपनी इच्छा पर खाली चेंज करने के लिए कभी श्रार. एफ. सी., कभी रीको, कभी स्माल स्केल इण्डस्ट्री कभी श्रार. एस. ई. बी. का इन्चार्ज बनाते हैं । कुल मिलाकर श्रापकी यह नीति ब्यूरोक्रेट्स की लॉ लेवल की सर्विसेज के लिए भी उपयोगी नहीं हो सकती श्रौर जिस तरह श्राप कर रहे हैं वह भी नहीं हो सकता । मेरी ऐसी मान्यता है माननीय मुख्य मन्त्री महोदय इस बारे में निश्चित तौर से ध्यान देंगे ।

इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि जब राजस्थान का रहने वाला निवासी राजस्थान के बाहर जाकर सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकता है. पैसा बना सकता है, करोड़-पति हो सकता है, लखपति बन सकता है यदि उन लोगों की सेवाश्रों का उपयोग लेकर हम राजस्थान की नयी श्रौद्योगिक नीति बनायेंगे तो निश्चित तौर पर राज-

(श्री सी. पी. जोशी)

स्थान के औद्योगिक विकास में जो आने वाली कठिनाइयां हैं, उनका हम निश्चित तौर से समाधान करने में सफल होंगे। मैं समझता हूं कि आर. एफ. सी. रीको या आर. एस. एम. डी. सी. का जिस तरह का पैटर्न है, उस पैटर्न को ड्रास्टिकली चेंज करने की आवश्यकता है। केवल मात्र यदि आप अपने स्टेटस को मेंटेन करना चाहें तो उस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया का का जो डाइरेक्टिव चेंज हुआ है, जिस तरह उन्होंने डवलपमेण्ट की स्कीम्स पर ज्यादा स्ट्रेस देने का नियम बनाया है, आपकी गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया ने रेगूलेशन में इस तरह मेजर चेंज किये हैं जिससे नये आदमी आकर हिन्दुस्तान में इंडस्ट्रियल एक्टीविटीज जनरेट करें। आज फोर्थ सैक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, एक तरफ हमारी राजस्थान सरकार नीति नहीं बनाना चाहे तो निश्चित तौर पर यह हमारा दुर्भाग्य है।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा हमारी बाई टैक्नोलोजी वेस्ट के ऊपर डिपेण्ड है, उस वेस्ट टैक्नोलोजी के बनिस्पत हम इंडीजोनस टैक्नोलोजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी कठिनाई यह आती है कि आज नया एन्टरप्रिन्योर स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज में आता है उसको मार्केटिंग करने की कोई सुविधा नहीं है। मैं चाहूंगा, माननीय मन्त्री महोदय, इस बात की व्यवस्था करें कि जो नया एन्टरप्रिन्योर नई स्माल स्केल इंडस्ट्री लगाता है तो उसको मार्केटिंग करने की सुविधा आपको देनी पड़ेगी। वह मशीन लगाता है, प्रोडक्शन करता है लेकिन मार्केटिंग करने की कोई सुविधा नहीं है इसलिए निश्चित तौर से गम्भीरता से विचार किया जाये। यह एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल, कि राजस्थान के ब्यूरोक्रैट्स किस तरह से अपनी बैलेन्स शीट को मेन्टेन करते हैं। आज आर. एस. एम. एम. की जो हालत हो गई है उसका निजी अनुभव माननीय मन्त्री महोदय को अच्छी तरह से है। आज आर. एस. एम. एम. का जितनी ओवरबर्डन आपको हटाना चाहिये उतना ओवर बर्डन आपने नहीं हटाया। लास्ट पांच साल की बैलेन्स शीट के आकड़ों तक केवल आपने यह बताया कि आर. एस. एम. एम. प्राफिट में जा रहा है। आज हालत यह हो गई कि पांच साल तक ओवरबर्डन हटाने के बाद आर. एस. एम. एम. नेट लास में जायेगा। उस आर. एस. एम. एम. को डुबोने का श्रेय किसी को है तो राजस्थान के ब्यूरोक्रैट्स को है। राजस्थान के ब्यूरोक्रैट्स जिनकी अन्ध भक्ति के ऊपर आपने यह मान लिया कि बढ़िया कमिश्नर है, उस माइनिंग कमिश्नर ने यह हालत कर दी। जो ओवर बर्डन हटाना चाहिये था वह ओवर बर्डन हटा नहीं। आपने, मन्त्री महोदय, 6 करोड़ का ठेका जिस कम्पनी को दिया, मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है उस कम्पनी को पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है उस कम्पनी के पास मशीनरी नहीं है, उस कम्पनी को आपने ओवर बर्डन हटाने का 6 करोड़ का ठेका दे दिया। आपने, मन्त्री महोदय, जवाब में बताया 35.80 का टेन्डर मिनिमम था, जब दूसरी पार्टी ने 36 रु. का टेन्डर दिया उसने लिखा है इस बात को कि दूसरी पार्टी

(श्री सी. पी. जोशी)

से एक पर्सेन्ट कम पर काम करने को तैयार हूं। मैं समझता हूं 35.80 से एक पर्सेन्ट कम का क्या मतलब 35 रुपये में दूसरी पार्टी काम करने के लिये तैयार थी। हालांकि आपने जिन सात पार्टीज का टेन्डर इन्वाइट किया, उन पार्टीज की माली हालत क्या बताई उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। आपने उनको लिखकर नेगोसिएशन करने की जो कण्डीशन थी उसके आधार पर इस प्रकार का ठेका दिया। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं आप गम्भीरता से इस बात को सोचें, जिस कम्पनी को आपने ठेका दिया क्या इससे पूर्व इस तरह का कोई मेजर काम उसने हाथ में लिया ? पहली चीज। अगर नहीं लिया तो निश्चित तौर पर आर. एस. एम. एम. का जो पांच दस साल से बजट है, आपको जो बहुत बड़ी इकनम मिलने वाली थी उस इनकम के होने वाले घोटाले में जो घाटा होने वाला है, आपको उसको रिमूव करने के लिए गम्भीरता से सोचना चाहिये। माननीय मन्त्री महोदय, एक प्रश्न के जवाब में आपने कहा था राजस्थान के अन्दर एक करोड़ 92 लाख की रेवेन्यू माइन्स में बाकी है। आज दिन तक 1 करोड़ 92 लाख की माइन्स की रेवेन्यू वसूल नहीं कर सके इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है ? आर. एस. ई. बी. में आपकी ड्यूज बाकी हैं, आर.एस.एम. एम. के अदर आपकी ड्यूज बाकी हैं। और माइन्स के अन्दर क्या हालत है ? आगेरिया के अन्दर आपने एरिया डेलिनियट कर दिया, आपकी इच्छा हुई डेलिनियटेड एरिया हटा दिया, आपने राजसमन्द में किया था वहां आपने एरिया डेलिनियट कर दिया। यह आपने अच्छा किया। मैं एक बात गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं। आपने यह कहा डायमण्ड कटर का लाइसेन्स देंगे। जब आपने चाहा, आपने विदड्रा किया कि हम डायमण्ड कटर का लाइसेन्स वापस नहीं देंगे, एक्शन कर लेंगे। एक दिन आपने एरिया को डेलिनियट किया उस डेलिनियटेड एरिया को वापस डीडेलिनियट करने का आपने सिद्धांत बनाया। इस पर गम्भीरता से जाकर देखिये क्या हालत हुई। जिस तरह मार्बल की एक बहुत बड़ी इण्डस्ट्री डवलप कर रहे हैं आगेरी बेस पर या राजस्थान के बेस पर, वह इण्डस्ट्री आज डवलप नहीं कर रहे हैं। और 4-5 आदमियों ने जिसमें दो तीन ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबसे ज्यादा फायदा इस पालिसी का उठाया, और जो इस एरिया का रहने वाला गरीब आदमी है, वह जिन्दा रहने की स्थिति में नहीं है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दस साल के अन्दर माइनिंग डिपार्टमेंट ने यह फोरसीन नहीं किया कि राजस्थान में आने वाले समय में एक बहुत बड़ी इण्डस्ट्री मिनरल के आधार पर डवलप हो सकती है। लेकिन आपके पास प्लानिंग नहीं है, प्लान नहीं है आपको आइडिया ही नहीं और मिनरल के बेस पर इंण्डस्ट्री डवलप करना चाहते हैं। हेपहेजर्ड वे में, आपसे किसी ने अप्रोच कर ली तब तो आपने कोई यूज बना लिया, जब अप्रोच हटा ली तो वापस ले लिया। तो, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले दस वर्षों में मिनरल के बेस पर जो इण्डस्ट्री होनी चाहिये उसका एक मास्टर प्लान चार्ट आपके माइन्स डिपार्टमेंट के पास होना चाहिये, तब जाकर निश्चित रूप से मिनरल्स को आप

(श्री सी. पी. जोशी)

सही ढंग से एक्स्प्लाइट कर सकते हैं। आज जो आपका लीजिंग और रायल्टी का सिस्टम है, उससे हालत यह है कि रायल्टी, डेड रेन्ट की आज जितनी चोरियां हो रही हैं पहले कभी नहीं हुईं। मुझे आंकड़े बताये गये केवल मात्र 37 हजार रुपये आपने वसूल किये हैं। 37 लाख से अधिक की चोरी यहां हो रही है, वसूल किया 37 हजार रुपया, यह अच्छा अट्रेक्टिव फिगर नहीं है, सन्तोषजनक फिगर नहीं है। आज जिन लोगों की माइन्स मेजर मिनरल के नाम पर हैं, वह लेसी रायल्टी और डेड रेन्ट दे रहे हैं और यूज कर रहे हैं माइनर मिनरल के लिए। आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि हमारी जिस मिनरल की जो प्रोड्यूस निकलती है वह जिस उपयोग के लिये आ रही है, उस उपयोग में काम ले रहे हैं या नहीं। इसलिए मैंने डिबेट में बजट के समय में कहा था कि जिस तरह से आज एक कुलकपरस्त किसानों की लाबी डवलप हो गई, उसी तरह से आपकी हेपहेजर्ड मिनरल पालिसी रही। उसी तरह आने वाले दस साल में राजस्थान की मिनरल लांबी डवलप होगी जायेगी तब आपकी हालत खराब हो जायगी। इसमें आप एरिया डेलिनियट करें डायमन्ड कटर का लाइसेन्स आने वाले समय में उसको रोकने के लिये दें या नहीं, साइन्टिफिक डवलपमेन्ट की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ साथ जिस एरिया से मैं आता हूं उस जिले की बात कहना चाहूंगा। राक फास्फेट के बेस पर खाद का कारखाना यदि कहीं लग सकता है तो वह इलाका उदयपुर हो सकता है। आज सुपर स्मेल्टर की बात हो सकती है, तो वह इलाका उदयपुर हो सकता है। उस इलाके के आदिवासियों को जंगल की लकड़ी काटने के लिये, मन्त्री महोदय ध्यान दें, उन लोगों को रोजगार की सुविधा देनी पड़ेगी। आपके उदयपुर जिले के अन्दर तो इन दो बड़ी इण्डस्ट्रीज के अलावा और कोई इण्डस्ट्री नहीं हो सकती। आज मेरे भीलवाड़ा और चित्तौड़ के साथी भी कहते हैं वहां पर इन्डस्ट्री लगनी चाहिये, पर भीलवाड़ा और चित्तौड़ के लोगों की पर केपिटा इनकम उदयपुर जिले के आदिवासियों की पर केपिटा इनकम से बहुत कम है। आज वे माइन्स नहीं ले सकते, लकड़ी नहीं काट सकते, उनके जीवन यापन की हालत क्या हो रही है? अगर उनको रोजगार की सुविधा उपलब्ध करानी है तो यह आवश्यक है कि राक फास्फेट और सुपर स्मेल्टर का कारखाना उदयपुर के अन्दर लगावें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं, मन्त्री महोदय, इन पर निश्चित तौर से कुछ करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री यदुनाथसिंह।

श्री बिहारी लाल पारीक (माण्डल) : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है मेरी प्रार्थना है ××× मेरा निवेदन है, विनम्र शब्दों में प्रार्थना है।....

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य को शायद यह ध्यान नहीं है आसन का....

एक माननीय सदस्य : आसन पर इस तरह का आरोप लगाया सत्तारूढ़ पार्टी के माननीय सदस्य ने।

श्री बिहारीलाल पारीक : मेरा आरोप नहीं, प्रार्थना है।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : सभापति महोदय, आज देश की जो भयकर संकट की स्थिति है उसके लिये हमारे देश की उद्योग नीति जिम्मेदार है। सभापति महोदय, आजादी के बाद हमने जिस तरह की उद्योग नीति अपनाई यह हमारी उस उद्योग नीति का ही परिणाम है कि आज देश की 64 प्रतिशत जनता घोर गरीबी, दरिद्रता और भुखमरी का जीवन व्यतीत कर रही है और कुछ मुट्ठी भर लोग ऐशो आराम की चीजें मुहैया करने में लगे हुए हैं और बहुत ही विलासीता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सभापति महोदय, हमारी उद्योग नीति कैसी होनी चाहिये, हमारी राष्ट्रीय नीति कैसी होनी चाहिये, उद्योगों का लाभ किसको मिलने वाला है, उद्योगों से कितना रोजगार मिलने वाला है, हमारे देश में जो सीमित साधन हैं उन साधनों से हम कितना अधिक से अधिक उत्पादन कर पाते हैं, यह हमारी उद्योग नीति का दृष्टिकोण होना चाहिये। लेकिन, सभापति महोदय, हुआ है उसके बिलकुल विपरीत। जनवरी, 1956 में नेहरू जी ने विकास परिषद् की बैठक में बड़े उद्योगों पर जोर देते हुए भारी उद्योगों की नीति को अपनाया था, सभापति महोदय। उस नीति के रहते आज जो दुर्दशा देश में हुई, उस नीति के रहते आज जो लोग बहुत दरिद्रता का जीवन यापन कर रहे हैं, सभापति महोदय, उनको देखकर चित्र प्रस्तुत करूंगा कि हमारे जो सीमित साधन थे उन साधनों का जो उपयोग किया वह कुछ लोगों के लिये ही किया गया। चूंकि देश में आजादी मिलने के बाद हमारे पास साधन सीमित थे, उनका उपयोग तो इसलिए किया जाना चाहिये था कि राज्य में साधन जुटाकर उत्पादन करे और उसका बंटवारा आम लोगों तक हो पाये लेकिन यह नहीं हुआ। सभापति महोदय, जो उद्योग नीति रही उसके रहते कुछ घरानों की पूंजी दिन पर दिन बढ़ती गयी। सन् 1947 में जब देश आजाद हुआ तब तीस करोड़ का बिड़ला था, आज वह 1500 करोड़ का हो चुका है। सभापति महोदय, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का नेशनल सेम्पल सर्वे का रिकार्ड देख लीजिये। जो टाटा 40 करोड़ का था, 1400 करोड़ का हो गया और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये दिन भर मेहनत करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है उसके लिए हमारी आर्थिक नीति जिम्मेदार है। सभापति महोदय, जो आर्थिक नीति हमने अपनाई, हमें पूंजी का नियन्त्रण इस प्रकार से करना चाहिये था कि उस पूंजी में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे पायें लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभापति महोदय, सन् 1978 में नेशनल सेम्पल सर्वे ने एक रिपोर्ट पेश की उस रिपोर्ट से आपको स्थिति स्पष्ट होगी। उस रिपोर्ट में कहा गया है, आर्टिजन टाइप इण्डस्ट्री, स्माल

(श्री यदुनार्थाहस)

स्केल और लार्ज स्केल, फुल्ली, आॅटोमेटिक इण्डस्ट्री के बारे में, केपिटल से कितना से कितना एम्पलायमेंट जनरेट होता है। उद्योगों के बारे में आंकड़े हैं उससे यह स्थिति स्पष्ट होगी, सभापति महोदय। केपीटल कास्ट, पर लूम 50 रुपये, आर्टिजन टाइप में, पचास रुपये होगी, स्माल स्केल इण्डस्ट्री में दो सौ और लार्ज स्केल इण्डस्ट्री में दो सौ गुना पूंजी लग सकती है।

इसी प्रकार से नम्बर आफ लूम्स पर वर्कर जिसमें लागत थी वह एक ही स्माल स्केल में लागत थी, वहां आज 16 लूम्स हैवी इंडस्ट्रीज में लगी हैं। केपिटल पर वर्कर जब 50 रुपये आर्टिजन इंडस्ट्रीज में है वहां 200 रुपये स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में और वहीं एक लाख रुपये बड़ी इंडस्ट्रीज का है। सभापति महोदया, वहां पर यह दो हजार गुना बड़ी है....

श्री सभापति : आप अगर महोदय और महोदय का फर्क नहीं समझते हैं तो यह जो बयान दे रहे हैं, वह कहां तक उचित होगा ?

श्री यदुनार्थसिंह : "महोदय" ही कह रहा हूं।

(व्यवधान)

तो सभापति महोदय, जो नेट वेल्यू पर वर्कर हुई वह आर्टिजन में 300 हुई, वहां लार्ज स्केल में 3 हजार हुई, यह 32 गुना और 200 गुना तक रही। और वहां जो उससे लेबर उत्पादन हुआ, जो केपिटल हमको प्राप्त हुई, वह 32 गुना प्राप्त हुई। तो ज्यादा पूंजी लगने से हमको कम मिली। जिस प्रकार से छोटे उद्योगों में जहां कम पूंजी में ज्यादा लोगों को रोजगार देकर अपना उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, वहीं, सभापति महोदय, जो बड़े उद्योग हैं उनमें ज्यादा पूंजी से कम लोगों को रोजगार मिल रहा है और उत्पादन की गति घट रही है। ऐसा एक उदाहरण देना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि जहां फैक्ट्रियों की संख्या 1951 में 27610 थी वह 1978 में 84775 हुई, लेकिन जो ऐडिड वैल्यू थी 908 रुपये वह 1978 में 4001 रुपये हुई। इस प्रकार यह 12·8 प्रतिशत रही तो इस प्रकार दर बढ़ी।

(5.11 म. प.)

(श्री अहमदबक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन एम्पलायमेंट जो हुआ वह, उपाध्यक्ष महोदय, 4·8 प्रतिशत की दर से जनरेट हुआ। जहां 1951 में 30 करोड़ 29 लाख लोगों को रोजगार मिलना था वहां 58 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार मिला। जहां पर फैक्ट्रियों की संख्या तिगुनी हो गयी वहां रोजगार की संख्या दुगुनी भी नहीं हो पाई। इसलिए जो हमारी औद्योगिक नीति है वह घाटे की है और उसको 11 सितम्बर, 1962 में नेहरूजी ने स्वयं ने माना था। नेहरूजी ने प्लानिंग कमीशन की अध्यक्षता करते हुए स्वयं ने यह कहा था कि अब तक जो हमारी नीति है उसका लाभ आम आदमी

(श्री यदुनाथसिंह)

तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिये गांधी जी ने जो रास्ता बताया है छोटी इंडस्ट्रीज का, विलेज इंडस्ट्रीज का, काटेज इंडस्ट्रीज का, उस नीति पर चलने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गांवों में 80 प्रतिशत आदमी रहते हैं वहां यह नीति सफल नहीं हो सकती। इस प्रकार वह लोग आलस्य में पड़े हैं, उनके पास काम नहीं है, वह आलस्य में जीवन बिता रहे हैं उसके परिणामस्वरूप भूखों मर रहे हैं, गरीबी की हालत में हैं। उनको किस प्रकार गांवों से निकाला जाये ? इसलिये नीति का दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि उनको कहां तक रोजगार मुहैया कराया जाये, इस तरह के उद्योग लगाये जायें जिनमें कम पूंजी लगे। उपाध्यक्ष महोदय, छोटे उद्योगों में बिजली की आवश्यकता नहीं होती, रोजगार भी ज्यादा मुहैया कराया जाता है। जो उद्योग 15 आदमियों का रोजगार छीनकर एक आदमी को रोजगार देता है और जितनी पूंजी पैदा करता है उतनी पूंजी गांव में 10-15 आदमी पैदा करते हैं तो इस तरह से 15 आदमियों का रोजगार छीनकर एक आदमी के लिये....

श्री उपाध्यक्ष : अपने साथी के लिये 5 मिनट तो छोड़िये।

श्री यदुनाथसिंह : अभी तो मैंने शुरू किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये जो हमारी औद्योगिक नीति रही, वह गलत रही। उस नीति को स्वयं नेहरूजी ने अपने अन्तिम समय में गलत माना था और 11 सितम्बर की प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में उन्होंने कबूल किया था कि जिस नीति पर आज हम चल रहे हैं, जो औद्योगीकरण की नीति हमने अपनाई है उससे आम आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिये इस पर पुनर्विचार किया जाये। हमारे राज्य में क्या-क्या साधन मौजूद हैं, किस तरह से हर आदमी को रोजगार दें। यह बड़े उद्योगों से काम नहीं चलने वाला है। यहां जैसे माननीय श्री सी. पी. जोशी कह रहे थे कि जाब इंश्योर करना होगा। जाब इंश्योर करने से क्या होगा ? जॉब इंश्योर मत करिये सबको काम का अधिकार दीजिये। सबको काम मिलना चाहिये, यह दृष्टिकोण होना चाहिये। यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये कि रोजगार में दो आदमी लगे हुए हैं, जॉब इंश्योर करने वाली नीति ठीक नहीं है सबको काम का अधिकार नहीं दे पायेंगे तो आप उससे काम कैसे ले पायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान खनिज के मामले में देश का एक बड़ा रिच प्रदेश है। खनिज का दोहन किस प्रकार से किया जाये, किस तरह से राजस्थान को अग्रिम राज्यों में लाया जाये ? देश में रोजगार मुहैया कराने के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सेण्टर में लाबी नहीं है। हमारे राज्य में औद्योगीकरण की जितनी भी योजनायें हैं उनका हिस्सा बहुत कम है। इसी तरह से देश भर में जो रोजगार मिल रहा है उन लोगों में हमारे यहां के रोजगार पाने वालों लोगों की संख्या भी 1·91 पर्सेन्ट रही है। इसलिये रोजगार के लिये

(श्री यदुनाथसिंह)

औद्योगीकरण में बहुत कुछ किया जा सकता है। राजस्थान में इस प्रकार छोटे-छोटे उद्योग लगाये जावें। जहां बड़े उद्योगों की आवश्यकता हो, जो चीज छोटे उद्योग नहीं बना सकते, आदमियों के हाथ से बनी चीज को आप बड़ी फैक्ट्री में बनायेंगे तो जिसका रोजगार छीना गया है आपको चाहिये कि उसके रोजगार की पूर्ण व्यवस्था करें। आज देश में हाथ के जितने कारीगर हैं, उनका रोजगार छीना जा रहा है। बाटा ने सब मोचियों का रोजगार छीन लिया। एक प्रतिवेदन आया है उसमें देख लें, उसके आगे लिखा हुआ है, नाम फलां, जाति कुम्हार इसका मतलब है कुम्हार का काम करता था पेशा मजदूरी उससे कुम्हारी का काम छीना गया है। कोली का काम छीना गया है, वह मजदूरी करता था उसके पैसे छीने जा रहे हैं। यह सब इस औद्योगिक नीति के कारण छीना जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि छोटे-छोटे उद्योग गांव के स्तर पर लगाये जायें जहां वे अपनी जरूरत की चीज पैदा कर सकें। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में जितने भी खनिज के स्रोत हैं उनको ले लिया जाये। भरतपुर के बारे में कहना चाहूंगा। मथुरा में आइल रिफाइनरी कारखाना लगा है उसके आधार पर एक कारखाना भरतपुर में लगाया जा सकता है। सबसे पहले तो भरतपुर को औद्योगिक पिछड़ा जिला घोषित करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदयजी मंत्रिमण्डल में इस पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज उद्योगों पर बहस चल रही है, मैं भी अपने सुझाव पेश करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है यहां 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, उनका आधार खेती है। उसके अलावा जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, वहां जो गरीब जनता रहती है उनका मुख्य धंधा उद्योग है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिनका मुख्य आधार विद्युत है। हमारे मुख्य मंत्रीजी घोषणायें करने में बड़े माहिर हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि मैं मुख्य मंत्री बनते ही इस प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान दूंगा। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि वह बिजली की घोषणा कहां गयी? क्या वह दिल्ली जाते जाते में उसको भूल गये? माननीय उपाध्यक्ष जी, आज बिजली की बड़ी गम्भीर समस्या है सबसे पहले प्राथमिकता देकर उसका निराकरण करना चाहिये। परन्तु उसमें हमारा मंत्रिमंडल बिलकुल ही फेल्योर रहा है। इसलिये जो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, उसको दुबारा उसी स्तर पर लेकर बिजली की समस्या दूर करनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि हमारे प्रदेश में कुछ बड़े उद्योग अमरबेल की तरह पनप रहे हैं, जो कई तरीके से शोषण कर रहे हैं, उनका प्रदेश को कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री को कहना चाहूंगा कि प्रदेश के एक सच्चे सेवक होने के नाते उद्योगों द्वारा

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

फायदे उठाये जा रहे हैं लेकिन उनके द्वारा प्रदेश को लाभ नहीं मिल रहा है, उसके लिये कड़े कदम उठाये जाने चाहिये। वे कड़े कदम यह हो सकते हैं कि अभी उद्योगों द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उस पर कोई भी टैक्स इसलिये नहीं लगा पाते और यह कह दिया जाता है कि यह केन्द्रीय नीति के आधार पर हैं, परन्तु अगर आप में क्षमता है तो आप किसी न किसी तरीके से उनसे टैक्स लेकर लाभ उठा सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा इस प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों में से कुछ का पहले वेस्टेड इन्ट्रेस्ट था जिसकी वजह से बड़े उद्योगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता रहता था। यह इस बात से ही साबित होता है कि पहले उद्योगों को दो दो तीन तीन पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाती थी। क्या कारण था ? क्या उनको बिजली देना इतना ज्यादा जरूरी था ? जबकि उन उद्योगों में 90 प्रतिशत रोजगार जो मिलता था वह बाहर के आदमियों को मिलता था ! प्रदेश के मजदूरों, प्रदेश के नवयुवकों को, जो ग्रेजुएट थे या जो कुछ भी थे, कभी भी कोई वहां प्रोत्साहन नहीं मिला। क्योंकि उन उद्योगों का जो मैनेजमेंट था, वह किसी उद्योग का मैनेजमेंट तो पंजाब वालों के हाथ में था, किसी का मद्रास वालों के हाथ में था, किसी का बिहार वालों के हाथ में था, वे अपने प्रदेश के लोगों को वहां से इम्पोर्ट करके लाते थे और हमारे प्रदेश के आदमियों का शोषण करके अपने लोगों को रोजगार मुहैया करते थे। यह कितना अन्याय था !

माननीय मुख्य मन्त्रीजी आप समाजवादी विचारधारा की घोषणा करते हैं तो यह जो आपके सामने चुनौती है पहले उसको स्वीकार करिये। इन बड़े उद्योगों, जो इस प्रदेश की अमरबेल हैं, को ऐसा सबक सिखायें जिससे आपका ओवरड्राफ्ट का हौवा भी दूर हो ताकि हमको और सबको चैन की नींद आये।

दूसरा, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो छोटे उद्योग हैं, कुछ उनको भी थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता कुछ सुविधायें सैल्स टैक्स में बिजली में मिलती थीं, उन पर इस बजट में कुठाराघात कर दिया है, जो कि बहुत ही बड़ा अन्याय है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसा बजट है जो न किसानों को छोड़ता है, न छोटे उद्योगों को छोड़ता है। उद्योग विभाग और विद्युत विभाग की यह कतई क्षमता नहीं है कि जो बड़े उद्योग हैं उनकी तरफ आंख भी उठाकर देख सके। पता नहीं उनसे क्या संबंध है, क्या उनकी आंख देखते ही दुखने लगती है ? इनका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। आप समाजवादी हैं या बड़े उद्योगों पर पलने वाले हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक डेपुटेशन पश्चिमी राजस्थान के छोटे उद्योगपतियों का मेरे से मिला था। उसने मेरे को जानकारी दी थी कि इस प्रदेश में बिजली बोर्ड में चेयरमैन एक ऐसा ब्यूरोक्रेट बैठा रखा है जिसने जयपुर

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

शहर के उद्योगों को चोरी से बिजली सप्लाई की। क्या इन्ट्रेस्ट था उनका ? सिर्फ एक ही इन्ट्रेस्ट था। वह क्या था ? उनको पैसा मिलता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी भी बिजली कट होती थी तो झट ब्यावर में कटौती की जाती थी। 6-6 महीने तक उद्योगों को....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसे ऑफिसर जिसको जवाब देने का मौका नहीं है उस के खिलाफ आपत्ति न उठायें।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : चेयरमैन, आर. एस. ई. बी., उसका सरकार जवाब दे देगी क्योंकि वह उत्तरदायी है उसके प्रति। यह कहां का न्याय है ? छोटे उद्योगों को बिजली मिलनी चाहिये परन्तु उनको नहीं मिली, वह सिर्फ इसलिये क्योंकि कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। उनको 6-6 महीने तक बिजली नहीं मिली। आज उनकी हालत इतनी दयनीय है कि कई छोटे उद्योगों की नीलामी हो चुकी है, कई 2-4 दिनों में बिकने वाले हैं। उनकी दयनीय स्थिति के लिये क्या यह निकम्मा मन्त्रिमण्डल कदम उठायेगा ? यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिये। और तो और, हमारे वित्त मन्त्री ने, उन को जो कच्चा माल सप्लाई होता था, उस पर भी शत प्रतिशत टैक्स बढ़ा दिया। उन बेचारों ने क्या नुकसान किया था ? सिर्फ यही, शायद वित्त मन्त्री को राजी नहीं किया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश की उन्नति के लिये छोटे उद्योग बहुत जरूरी हैं क्योंकि इनके अन्दर प्रदेश के ही आदमियों को रोजगार मिलता है। और जो कच्चा माल है वह भी प्रदेश में ही श्रमिकों द्वारा और आपके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है इसलिये उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये। सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिये और जो भी सुविधा उनको पहले मिलती थी उसको उसी तरीके से बरकरार रखें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि झुंझनू जिले में एक सफेद हाथी है जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर। सरकार कह देगी, उसका मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, इसलिये हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जब उसको सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करा सकते हैं, उनको खनिज विभाग के द्वारा कई सुविधायें उपलब्ध करा सकते है, तो आप उन पर किसी भी माध्यम से अंकुश लगायें। उन से जो भी सुविधायें उपलब्ध होती हैं वह प्रदेश के बाहर वालों को दी जाती हैं, उसमें हमारे प्रदेश के आदमियों का निश्चित कोटा होना चाहिये। इसकी जांच होनी चाहिये कि ऐसा नहीं नहीं है तो क्यों नहीं है। क्या हमारा हक नहीं है ? वह हमारे प्रदेश की सम्पदा का उपयोग करते हैं परन्तु उसका फल दूसरे लोगों को दें, यह कितना अन्याय है ? आज जबकि जगह-जगह मांग हो रही है, वह एक बहुत बड़ा समाधान मिल सकता है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री जो उद्योग मन्त्री भी है, से यह निवेदन करना

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

चाहूंगा कि इसमें कुछ कारगर कदम उठायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक विशेष बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहां पर केवल उद्योग बहुत बड़े उद्योग के रूप में फैला हुआ है। इस उद्योग पर कुछ लिमिटेड घरानों का आधिपत्य है। जब हम यह तर्क देते हैं कि उद्योगों को बढ़ाने के लिये आप आसपास की स्टेट्स के मुकाबले उनको भी छूट दीजिये, जिस तरह से सेल्स टैक्स में वहां छूट है, उसी तरीके से यहां छूट दी जाय, जैसे वहां बिजली में छूट है, यहां भी दी जाय, तो इसमें एक विसंगति है। केवल उद्योग पर जहां बाहर 4 पर्सेन्ट सेल्स टैक्स लगता है, हमारे यहां पर दो पर्सेन्ट लगता है। क्या कारण है? क्या इसमें हमारे उद्योग राज्य मन्त्री का निहित स्वार्थ है? क्या उनके कुछ रिश्तेदारों के उद्योग लगे हुये हैं इसलिए उन्हें यह परिमाम मिला हुआ है? इस बारे में उनको सोचना चाहिये। इसके द्वारा हमारी रेवेन्यू बढ़ सकती है, हमारे प्रदेश को कुछ ज्यादा पैसा कर के रूप में मिल सकता है। इसके लिये उनको कदम उठाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान खनिज विभाग की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमारा प्रदेश खनिज सम्पदा में बहुत ही ज्यादा सम्पन्न है परन्तु उसका दोहन इसलिये नहीं हो पाता है कि सब कुछ व्यवस्था इस सरकार द्वारा कुछ लिमिटेड हाथों में दे दी गई है। इसलिये मैं चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार कोई समाजवादी रुख अपनाये और बेरोजगारों के लिये व्यवस्था करे ताकि वह इन छोटे-छोटे उद्योगों में हाथ बंटा सके।

लाइम स्टोन एक ऐसी सम्पदा है जिसके ऊपर कई उद्योग आधारित हो सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आप उद्योगों को पनपाना चाहते हैं तो आप उनको लाइम स्टोन उपलब्ध करावें। उपाध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा किया जाये तो यह प्रदेश भारत वर्ष का सबसे बड़ा सीमेन्ट का उत्पादक हो सकता है। जो भी सीमेन्ट प्लान्ट हैं जिनकी योजनायें सरकार के विचाराधीन है उनके लिये मेरा एक सुझाव है। आप मिनी सीमेन्ट प्लान्ट रजिस्ट्रेशन के लिये योजना रखते हैं लेकिन रजिस्टर्ड करते समय आप यह कह देते हैं कि हम आपको लाइम स्टोन उपलब्ध कराने के लिये बाध्य नहीं हैं। यह कैसी बात है? एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि आप यहां पर उद्योग लगायें; जब एक व्यक्ति यहां पर 20 लाख रुपये या 40 लाख रुपये की पूंजी लगाये तब दूसरी तरफ आप यह कह देते हैं कि हम लाइम स्टोन उपलब्ध कराने के लिये बाध्य नहीं हैं। तो यह आपका रवैया तर्क संगत नहीं है। आप इस विसंगति को दूर करें। अगर आप इस विसंगति को दूर नहीं करेंगे तो आपके यहां पर कौन उद्योग लगायेगा? क्यों कोई व्यक्ति आपके यहां पर 20 लाख या 40 लाख रुपये लगायेगा? इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रवासी राजस्थानी

(श्री वीरेंद्रप्रताप सिंह)

उद्योगपति यहां पर उद्योग लगना चाहते हैं उन उद्योगपतियों को आप को उत्साहित करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, झुन्झुनू जिले की तरफ मैं आपके माध्यम से खनिज मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, नीम का थाना के क्षेत्र में एक स्पेशल कन्डीशन लगी हुई है कि नीम के थाने के 20 मील के रेडियस में कोई भी लाइम स्टोन की लीज दूसरे को नहीं दी जाय। मैं पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से कि इसका क्या कारण है, उस कारण का स्पष्टीकरण किया जाये। इसके पीछे क्या तर्क है? नीम के थाने क्षेत्र में लाइम स्टोन के छोटे छोटे ऐसे कई पेसेज हैं जहां पर लाइम स्टोन उपलब्ध हो सकता है लेकिन वहां पर स्पेशल कन्डीशन होने की वजह से लाइम स्टोन की लीज नहीं दी जा सकती है। यही कारण है कि लाइम स्टोन पर आधारित कोई भी दूसरा छोटा या बड़ा उद्योग वहां पर नहीं पनप सकता है। ठीक है, आप कोई और सुविधा किसी उद्योग को देना चाहें तो दीजिये लेकिन यह जो सम्पदा झुन्झुनू और सीकर जिले से मैं है उसका सही रूप से दोहन नहीं होता है। वहां पर नाजायज तरीके से खनिज सम्पदा का दुरुपयोग हो रहा है। उसका दुरुपयोग नहीं हो इसलिये 20 किलो मीटर के रेडियस में लाइम स्टोन का उद्योग लगाने की स्पेशल कन्डीशन लगा रही है उसको तुरन्त हटाकर सरकार स्थिति स्पष्ट करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में जो राजकीय उपक्रम हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह दूसरी घंटी बज गई है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह अन्तिम घंटी नहीं बजी है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी का समय तो समाप्त हो चुका है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान राजकीय उपक्रमों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे प्रदेश में जो राजकीय उपक्रम हैं उनकी ऐसी अव्यवस्था है कि जिन उपक्रमों से हमको करोड़ों रुपये का लाभ होना चाहिये वहां हमको राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन से 10 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। यह घाटा किस कारण हुआ, क्यों हुआ? यह सिर्फ हमारे द्वारा बैठाये गये लोगों की क्षमता का परिचायक है। जैसा कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारे यहां पर ऐसे-ऐसे आदमियों को इन प्रतिष्ठानों पर बैठा दिया गया है जिनकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही नहीं है, उपक्रमों को चलाने के लिये हमने यहां पर आई. ए. एस. अधिकारी बैठा रखे हैं। अभी हमारे मुख्य मन्त्री जी ने रोडवेज में पुलिस के आई. जी. पी. को बैठा दिया है सिर्फ अपने आई. जी. पी. बनाने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अलग बात कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर आप राजकीय उपक्रमों में सही मायने में सुधार लाना चाहते हैं तो आपको इसमें सही लोगों को लगाना पड़ेगा। आपको जन प्रतिनिधियों को इसमें लगाना चाहिये ताकि जन प्रतिनिधि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समाप्त कीजिये।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गम्भीर सुझाव दे रहा हूं। राजकीय उपक्रमों में जन-प्रतिनिधियों को रखना चाहिये, उनमें मैम्बर्स भी जन प्रतिनिधि होने चाहिये जिससे वहां पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनको समाप्त किया जा सके और सक्रियता से वहां पर काम हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव और है। वह यह है जैसा, कि हमारी सरकार चहुंमुखी विकास करना चाहती है, तो यहां पर तब तक चहुंमुखी विकास नहीं हो पायेगा जब तक कि हमारे यहां पर जो खामियां है, उन खामियों को आप दूर नहीं करेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन खामियों को दूर किया जाय। बस यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चाव खां।

श्री चाव खां (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी का समय नहीं है और मैं ज्यादा समय लेना भी नहीं चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो यह बजट 1982-83 का पेश हुआ है उसके बारे में यहां पर चर्चा हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बजट का भार हमारे किसानों और मजदूर वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। बजट ने इस वर्ग के लोगों को दबोच लिया है और इससे उनकी कमर तोड़ दी गयी है। इसमें दो राय नहीं है कि हमें बजट से बड़ा दुख हुआ, उसके साथ-साथ खुशी भी हुई है कि जिन मजदूर और किसानों ने इनकी सरकार को बहुमत से जिताया है और जीत कर आने के बाद उनको जो इनाम मिलना चाहिये उसका आज तो नहीं, पर आगे चल कर पता चलेगा कि जिस सरकार को हमने चुनकर भेजा वह हमें यह इनाम दे रही है। जो इनाम मिलना चाहिये था वह उन्हें दिया, यह एक खुशी की बात है। इसके साथ ही दूसरी बात जो है वह मेरा सुझाव है। हालांकि हमारे पास समय नहीं, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मन्त्री जी यहां पर बैठें हैं और सारी केबिनेट भी बैठी है, सारे मन्त्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मुझे बड़ा दुख है कि आज सदन के हमारे कुछ माननीय सदस्य, पिछले दो तीन दिन में ऐसी चर्चा चली, जिससे वह माननीय सदस्य यहां से नाराज होकर चले गये, और आज भी सरकार ने उनकी जबान रोकदी है। ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह से बच्चे नाराज होकर चले आते हैं, लेकिन मां बाप उनको राजी करते हैं, उसी तरह उनको आप को राजी करना चाहिये। यह बहुत ही अच्छा होता अगर वह माननीय सदस्य भी यहां पर अपनी बात कहते। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि सरकार उनको नाराज नहीं करे। जैसे कि बच्चा

(श्री चाव खां)

नाराज हो जाता है और मां-बाप उनको राजी करते हैं, उसी तरह सरकार तो मां-बाप है इसलिये बच्चे तो नाराज हो जाते हैं लेकिन मां-बाप को नाराज नहीं होना चाहिये। सरकार को चाहिये कि उनको मना कर लाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

(अनुपस्थित)

श्री केसरीचन्द चौधरी।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज उद्योग विभाग की मांगों पर सदन में चर्चा चल रही है। इस पर मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने अपने सुन्दर और सुदृढ़ सुझाव यहां पर सदन में दिये हैं। मैं राजस्थान की औद्योगिक समस्या और बड़े उद्योगों की चर्चा नहीं करके, राजस्थान में एक बहुत ही छोटा उद्योग धन्धा है, जो किसी तरह से नहीं पनप सका; और किस तरह से पनप सकता है और उससे राजस्थान के औद्योगीकरण में क्या असर हुआ है, उसके बारे में आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान में पावरलूम उद्योग सन् 1971 में लगा, सन् 1973 के अन्दर 6 हजार पावरलूम लगे थे जो कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुए थे। लेकिन आश्चर्य की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, कि महाराष्ट्र, आन्ध्र और तमिलनाडु में आज करीब एक-एक शहर में 30-40, 50-50 हजार पावरलूम लग गये हैं और; हमारे राजस्थान में जो 6 हजार पावरलूम आज से दस वर्ष पहले लगे थे उनमें एक भी पावरलूम की बढ़ोतरी नहीं हुई है। जहां तक पावरलूम उद्योग का सवाल है, इस सरकार के लिये उसका न तो कोई महत्व है और न ही राजस्थान सरकार ने उसको कोई आर्थिक सहयोग दिया है, और न कोई सरकार के पास योजना ही है। अगर राजस्थान में उसको सहयोग दिया जाता तो आज पिछले तीन साल में यहां पर चार पांच सिन्थेटिक कपड़ा मिल्स लग जातीं। जहां तक राजस्थान का संबंध है यह उसकी बदकिस्मती है कि पिछले सालों राजस्थान सरकार ने पांच या छः जिलों को औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा घोषित करके बाकी जिलों को छोड़ दिया है। जिन जिलों को पिछड़ा घोषित किया गया है केवल उनको ही सुविधायें प्राप्त होती हैं। इस तरह से उन जिलों का विकास होता है। इसका परिणाम यह हुआ कि सूती मिलें वहां पर नहीं लग सकीं। जिन जिलों को कनेक्शन दिया हुआ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उनको ही सुविधायें हैं। आप सुविधायें चाहें तो दें इसमें दो मत नहीं है, लेकिन आज यहां पर 20 मिलें खुलतीं उसका क्या हुआ ? मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, आन्ध्र में तथा तमिलनाडु में जो 1500 पावर लूम हैं यहां 150-200 भी प्राप्त नहीं कर पाये हैं।

सहकारी क्षेत्र में भी जितनी मिलें लगनी चाहिए या जो प्लानिंग होनी चाहिए वह सम्पूर्णतया शून्य के बराबर है। बल्कि यह कहूं कि राजस्थान में सहकारी विभाग के पास न कोई प्लानिंग है, न कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और न इस तरफ कोई तैयारी

(श्री केसरीचन्द चौधरी)

आगे भी दीखती है। इतना ही नहीं, बल्कि आज स्थिति यह है कि राजस्थान के वित्त और उद्योग विभाग के बीच में कोई तालमेल नजर नहीं आता। आप कल्पना कीजिए, अगर उद्योग विभाग इस पावरलूम या और किसी उद्योग के मार्फत उत्पादन बढ़ाये, तो उसको टैक्स की आमदनी उतनी हो जितनी कि आपके घाटे की पूर्ति करे। लेकिन दूसरी ओर उत्पादन के सिलसिले में जहां 5 साल की आपने छूट दी उसमें भी टैक्स बढ़ा दिया। दूसरे, टैक्स का जो प्रपोजीशन है, सिस्टम है उससे धीरे-धीरे आमदनी कम होगी, बढ़ेगी नहीं; और आम आदमी, जिसे यह कहें कि गऊ, जो आपको दूध और घी देती है, उनकी हत्या करके उस जगह पहुंचा देंगे जिसमें आपकी आमदनी जीरो हो जायेगी।

बिजली के संबंध में काफी कहा गया है। मैं सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजकीय उपक्रम के सिलसिले में जहां हम ब्यूरोक्रेट्स की आलोचना करते हैं, सम्भवतः यह अपना-अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन आज हमें एक बात और सोचनी पड़ेगी। जो हमारा ट्रेड यूनियन आन्दोलन है वह इन सब में एक बहुत बड़ा बाधक है। बाज वक्त स्थिति यह होती है कि अगर स्ट्रांग एक्शन होता है तो अल्टीमेटली उस आफिसर को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ती है और उसका ट्रान्सफर उन्हीं कारणों से हो जाता है, जिसके लिए सरकार कहती है कि सख्ती से इन चीजों पर अमल कीजिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी बैठे हैं, अगर हमें यह उपक्रम मुनाफे में लाने हैं, तो इनकी वास्तविक स्थिति का अध्ययन भी करना पड़ेगा और सब तौर-तरीकों से यह उपक्रम कैसे मुनाफे में आयें, यह हमें सोचना पड़ेगा। जहां तक राजस्थान वित्त निगम का सवाल है, जहां तक उद्योग विभाग का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूं कि नया सेट-अप प्रेरणादायक है, ईमानदारी से बढ़ना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमें उनके साथ सहयोग करना चाहिए। मेरा निवेदन इतना ही है कि उद्योग विभाग कोई डेफिनेट स्कीम के तहत चले। बड़े उद्योग तो आप नहीं ला सकते, और ओवर ड्राफ्ट की बीमारी से आप पीड़ित हैं, लेकिन आप ऐसे उद्योग लगा सकते हैं जो कि सहकारी क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में लगाये जा सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि पावरलूम पर जो बिक्री कर लगाया है उस पर पुनर्विचार करें और पावरलूम ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ सकें उस पर भी आप विचार करें। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्र कुमार !

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंलाल मीणा।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, इधर भी निगाह कीजिए। इधर की बैन्चेज तो खाली है। दो चार सदस्य ही बोलने वाले हैं। आप इधर ध्यान दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : पार्टी का टाइम खतम हो गया आपका।

श्री मोहनलाल मोदी : पार्टी का टाइम खतम नहीं हुआ। आज तो आपको बोलने का पूरा मौका देना चाहिए।

श्री महाराम चौधरी : मुझे टाइम मिलेगा या नहीं ? उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आपकी पार्टी के दो मिनट बाकी हैं।

श्री महाराम चौधरी : दो मिनट ही बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बैठ जाइये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष, आपको बधाई है, मुझे बहुत देरी से समय मिला....

श्री उपाध्यक्ष : आप बदकिस्मत हैं। आपके दो ही मिनट आते हैं पांती।

श्री महाराम चौधरी : हमेशा यही लिखा हुआ है, यही करते रहेंगे। यही नीति अपनाते रहेंगे और यह आपकी दोषपूर्ण नीति है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : आपकी नहीं, सरकार की।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको 5 मिनट दे दूंगा।

श्री भैरूलाल मीणा।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, आज कटौती प्रस्ताव के ऊपर सब बोल रहे हैं। मैं भी उद्योग से काफी संबंधित रहा। 25 वर्षों तक मैंने मजदूर आन्दोलन में कार्य किया। अभी माननीय सदस्यों ने कुछ कहा उससे मुझे आघात लगा। मैं कहने वाला था कि मजदूरों को जितना शांत रखा जाये उतना ही उत्पादन बढ़ता है, न कि उनको छेड़ने से। इसलिए सरकार से मैं निवेदन करूंगा, सर्व प्रथम इस वर्ष को उत्पादन बढ़ाने का वर्ष घोषित किया है, उसमें जरूरी है कि मजदूरों को उनकी छोटी-छोटी मांगों को लेकर छेड़ा नहीं जाय। उद्योगों को लाभान्वित करने के लिए मजदूरों को भागीदार बना कर साथ लेकर चलेंगे तो मैं समझता हूं कि यह वर्ष सफल होगा।

आपने बहुत सी बातें इसमें दर्शायी हैं। बधाई है सरकार को कि मजदूरों की मांग बहुत समय से लम्बित पड़ी थी वह पूरी कर दी हैं और 7 रुपये से 9 रुपये कर दिये। साथ ही साथ मैं यह मांग करूंगा कि जो महंगाई का स्तर है वह भी इसके साथ जोड़ा जाये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप गलत तरीके से आते हैं, अमीन खां जी। आपको पीछे से आना चाहिए था। आप आसन और बोलने वाले के बीच में से आ गये। आइन्दा ध्यान रखना।

एक माननीय सदस्य : आइन्दा ध्यान रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इस सदन के अदब हैं कुछ, सीखिये उनको।

श्री भैरूंलाल मीणा : जो भी उद्योग हैं, मजदूरों को उनमें शांत रखना जरूरी है। जहां पर अशांति होगी वहां उद्योग में उत्पादन गिरेगा। मैं आपको बताऊंगा....

श्री महाराम चौधरी : समय समय पर आपको यह सिखाना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : यह महाराम हैं, महाराम।

श्री भैरूंलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि उपक्रम का मामला चला, उसमें मैं खास करके राजकीय उपक्रम को लेना चाहूंगा। वह घाटे में जा रहा है। उसमें जो अनियमिततायें हैं उनसे घाटा हो रहा है। मैंने खुद ने दो चार जगह देखा कि जो सरकारी अधिकारी एवं कन्डक्टर्स हैं सभी उसके अन्दर कुछ न कुछ भ्रष्टाचार के भागीदारी हैं। आपजानते हैं उसके अन्दर इन्टक के यूनियन के कम सदस्य हैं। हमारे पास कई दफा कन्डक्टर्स आये और उन्होंने कई दफा हमारे सामने यह बात रखी कि हमको इन्टक के मैम्बर बना लो। हमने यही कहा कि आप अपनी भ्रष्टाचार की आदत कम करेंगे तो इन्टक के मैम्बर बनायेंगे। अगर आप अपनी आदत में रहेंगे तो इन्टक में नहीं रह सकते हैं। उन्होंने अपनी सारी परिस्थिति बताई, जब हमने यह प्रश्न किया। वह कहने लगे कि हम क्या करें, यदि हम ईमानदारी से चलेंगे तो दूसरे दिन ही हमारा या तो ट्रान्सफर कर दिया जायेगा या फिर हमको सस्पेण्ड कर दिया जायेगा। हमने पूछा कि कारण क्या है। उन्होंने बताया कि जो अधिकारी चैकिंग पर आते हैं या जो भी उस पद पर बैठे हुए हैं उनको कुछ न कुछ टैक्स चाहिए। अगर हम चोरी नहीं करें तो उनको टैक्स नहीं दे पायेंगे और चोरी करेंगे तो उनको टैक्स दे पायेंगे। फिर हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। मैं आपको बताऊं जावर माइन्स में एक कन्डक्टर चलता था। मुझे हिन्दुस्तान जिंक में सर्विस करते हुए 25 साल हो गए और 1600 रुपये मुझे तनख्वाह मिलती थी। पता नहीं उस कन्डक्टर को कितनी तनख्वाह मिलती थी लेकिन उसने एक लाख की बिल्डिंग बना ली और उसके साथ ही उसने कितना टैक्स दिया होगा यह अलग बात है। यह जो अव्यवस्था का ढांचा है उस पर सरकार लगाम लगाये, कन्डक्टर के ऊपर नहीं, ऊपर के अधिकारी पर लगाम लगायें क्योंकि टैक्स देने की बात आती है तो कन्डक्टर जरूर चोरी करेगा और टैक्स देने की बात नहीं आयेगी तो ईमानदारी से काम करेगा। तो यह रहा राज्य परिवहन का घोटाला।

जावर माइन्स में बसें चलती थीं वह बन्द कर दीं? कारण यह था कि वहां पर कन्डक्टर को खाने को पैसे नहीं मिलते थे। जब मिलते थे तब तक चलती थीं, उनको पैसे नहीं मिले तो वहां की बसें बन्द हो गयीं।

श्रीमान्, जैसा कि नाथद्वारा से आने वाले सदस्य महोदय ने बताया कि सरकारी उपक्रमों में अनुभवहीन व्यक्तियों को रख दिया जाता है उनको उस कारखाने का या उस उद्योग का कोई अनुभव नहीं होता है। उनको वहां बैठा देने से उसमें घाटा होता है या अव्यवस्था होती है और वह उपक्रम घाटे की ओर चला जाता है।

आर० एस० एम० एम० में एक

(श्री भैरूलाल मीणा)

कलेक्टर को चेयरमैन बनाया, जबकि वह माइनिंग का मामला है। खान है और खनन है। उस खनन के बारे में कलेक्टर क्या जाने कि इन खानों को किस तरह खोदा जाता है और किस तरह से उनमें मशीनरी चलती है। इसलिए यह भी है कि जो जिस ट्रेड का अनुभवी हो उसी को ऐसे स्थानों पर लगाया जाये जिससे कि वह सुचारु रूप से चल सके और भ्रष्टाचार नहीं हो और उस काम में जो भी कर्मचारी हैं उनकी चैकिंग कर सकें।

(5.45 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं आपको बतलाऊं, जावर में ही हिन्दुस्तान जिंक में मैं खुद वहां पर था। बहुत अर्से पहले 1965–67 में वही कारखाना 40–50 पर्सेन्ट बोनस देता था। ऐसे प्रॉफिट की लाइन पर पहुंच गया था लेकिन ज्यों ही उसमें आफिसर्स की अनाप-शनाप भर्ती करना चालू कर दी और वहां इस तरह के आफिसर्स आये जिन्होंने छोटे मजदूरों से काम नहीं लेकर बड़े मजदूरों से काम लेना शुरू कर दिया तो वह कारखाना घाटे में जाने लगा और बोनस भी कहीं चला गया। यह तो मैंने एक उदाहरण दिया। इस तरह से कई कारखाने ऐसे हैं जो कि सरकारी उपक्रम में आते हैं और आफिसर्स को अनुभव न होने के कारण वह घाटे में जाते हैं। राक फास्फेट का जो मुद्दा उठाया उसमें सही बात है कि पहले जो माल निकलता था, ईजी तौर से जो निकलता था वह निकाल लिया, अब ऊपर पहाड़ आ गया और माल नीचे चला गया। फिर यह पता चला कि उस बर्डन को उठाने के लिये इस पहाड़ को न उठाया जाय तो वह माल नीचे से नहीं निकाल पायेंगे. इसलिये ठेका देकर माल उठाने की व्यवस्था की गई। सरकार को चाहिये कि पहले से ऐसी योजना हो। ऐसा कोई उद्योग हो तो पहले से प्लानिंग करके उसको क्रियान्वित किया जाय ताकि ओवर बर्डन की या किसी प्रकार की आपत्ति सामने नहीं आ सके। जैसा कि गुजरात के बोर्डर पर अम्बाजी के पास एक माइन है। हिन्दुस्तान जिंक ने विस्फोट किया था, जावर माइन्स है, दरीबा है। इन माइन्स को मद्दे नजर रखते हुए और उदयपुर की आदिवासी आबादी को देखते हुए मैं चाहूंगा कि जो सुपर स्मेल्टर कारखाना है उसे उदयपुर क्षेत्र में ही लगाया जाय ताकि उन आदिवासियों को और उनकी आर्थिक स्थिति को लाभ मिल सके।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भीलवाड़ा में।

श्री भैरूलाल मीणा : भीलवाड़ा भी उदयपुर में ही आता है, लेकिन हमारी तो मांग है उदयपुर में ही रहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, उदयपुर क्षेत्र के आदिवासियों को कुटीर उद्योग से लाभान्वित करने के बारे में भी सुझाव दूंगा। पहाड़ी इलाका है, सूखा इलाका है। उस पहाड़ी इलाके में बांस बहुत होता है, पहले ज्यादा होता था, अब कम होता है। वहां के आदिवासी बांसों के टोकरे बनाते हैं।

(श्री भैरूलाल मीणा)

आज भी वे टोकरे बना करके दूर गांवों में बेचने के लिये जाते हैं। जंगलात वाले कभी कभी उनको पकड़ लेते हैं फिर भी इधर उधर से जाकर बेचते हैं। यह बात जरूर है, हर चीज की जरूरत होती है और हर चीज को आवश्यकतानुसार चोरी से लावें या किसी तरह लावें उनको करना ही पड़ता है। यदि उन टोकरे बनाने वाले आदिवासियों को प्रोत्साहन दिया जाय और बांसों का पालन भी उन्हीं के हाथों में दिया जाय तो जंगल की रखवाली भी होगी और बांस भी मिलेंगे और बांसों से टोकरे भी बना लेंगे। मजदूरी भी मिलेगी। इससे उनको कुटीर उद्योग के रूप में काफी सहयोग मिल सकेगा, यह मैं चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, उदयपुर क्षेत्र में शीशे जस्ते के भण्डार काफी तादाद में हैं, इसलिये उसके लिये भी मैंने निवेदन किया था कि सुपर स्मेल्टर कारखाना उदयपुर में ही लगना चाहिये। उदयपुर क्षेत्र में लाइम स्टोन, सोप स्टोन, मार्बल स्टोन, कई तरह के खनिज हैं जो जमीन के अन्दर हैं। मार्बल की खानों का एरिया है उसके लिए पिछड़े लोगों ने पत्थर निकालने के लिये दरख्वास्तें दी हैं पर मैंने कहीं भी यह नहीं देखा कि किसी को अभी तक लाइसेन्स दे दिया गया हो। जिनके पास पैसा है, जिनके बोलने वाले हैं उनको लाइसेन्स दे दिया गया है और वे अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत से आदिवासियों ने दरख्वास्तें दी हैं लेकिन उनको लाइसेन्स नहीं दिया गया। उसमें कई तरह की कानूनी अड़चनें लगा दीं जिनके कारण उनको लाइसेन्स नहीं मिला। बहुत से आदिवासी इस काम को करने के लिये इच्छुक हैं। मैं चाहूंगा इस प्रकार के जो उद्योग हैं उनके लाइसेन्स देकर उनको प्रोत्साहित किया जाय तो उनकी आर्थिक स्थिति कुछ हद तक अच्छी हो सकती है।

उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जब उद्योग लगाने का मामला है, वहां आम तौर पर जो उद्योग लगे हुए हैं या कहीं उद्योग लगाने की घोषणा कर दी गई है, कुछ एरिया बता दिया गया है जहां उद्योग लगेंगे मेरा निवेदन है उद्योगों को लगाने के लिये तीन चीजों की आवश्यकता है बिजली और पानी की, तीसरी मजदूरों की शान्ति। इस बात को तो हम गारन्टी से कह सकते हैं कि उदयपुर में इन्टक का संगठन ज्यादा है इसलिये शान्ति तो रहेगी लेकिन पानी और बिजली की समस्या है। पानी के लिये देवास योजना को चालू कर दिया जाय तो पानी की समस्या हल हो सकती है। जब नसीराबाद में बनास नदी से पानी लाया जा सकता है और अन्य शहरों में 10-10 किलोमीटर से पाइप लाइन द्वारा पानी पहुंचाया जा सकता है तो उदयपुर में क्यों नहीं पानी लाया जा सकता? बढ़ती हुई आबादी है, बढ़ते हुए उद्योग हैं। इस सारी परिस्थिति को देखते हुए देवास योजना को शीघ्र ही चालू किया जाय ताकि आने वाली पीढ़ी के लिये पानी की समस्या न रह जाय। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, हम आज सदन में

Page No 195

(195)

(श्री मोहनलाल मोदी)

उद्योग, राजकीय उपक्रम और खनिज की मांग पर वाद विवाद कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खनिज सम्पदा का विपुल भण्डार है लेकिन सही तरीके से आज हम राजस्थान की उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। खनिज सम्पदा का अगर सही ढंग से उत्पादन करें तो समझता हूं यह जमीन का धन है—राजस्थान सरकार को आज जो टैक्स लगाना पड़ता है उसकी आवश्यकता नहीं थी। राजस्थान में आज इस तरह के टैक्स लगा दिये जो आम उद्योगपति, हरएक को हिट करते हैं, हर एक नाराज है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन पर पुनः विचार करें और जो नान टैक्स रेवेन्यू है, आज जो डिमान्ड है वह नान टैक्स रेवेन्यू को, उसकी तरफ सरकार ध्यान देगी।

खनिजों का जहां तक सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय, उसका एक आंकड़ा हमारे सामने आया है। मैं आपको बताऊं खनिजों का उत्पादन बढ़ने के बजाये घटता जा रहा है। आज इनकम बढ़ाई हुई बताई जाती है लेकिन असल मायने में वह इन्कम किस तरह बढ़ती है—रेट बढ़ा दी जाती है, रायल्टी बढ़ा दी जाती है लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ता है। अध्यक्ष महोदय, उत्पादन के कुछ आंकड़े मैं पेश कर रहा हूं। कॉपर और के 78 के आंकड़े हैं 1039,02। 79 के 1124.24 और 80-81 के 815 रह गये। लेन्ध सान्द्र के, अध्यक्ष महोदय, 1978 में 14, 1979 में 17.4, 1980 में 15,1। इसी तरह सान्द्र में 1978 में 64.3, 1979 में 79.4 और 1980 में 52.3। मैग्नीसाइड में 1978 में 1300, 1979 में 1200 और 1980 में 1203। इसी तरह रॉक फास्फेट की भी यही स्थिति है। रॉक फास्फेट का उत्पादन पिछले साल 3,99,024 टन का हुआ, इस वर्ष घट कर 2,79,604 टन का हो गया। यह स्थिति है। यह किस तरह चलेगा। कैसे इस राजस्थान की उन्नति आप कर पायेंगे ?

आप माइन्स की उन्नति करने के लिए न कहीं सड़कों से उस क्षेत्र को जोड़ना चाहते हैं, न बिजली के साधन देना चाहते हैं। आप जब तक इन चीजों की व्यवस्था नहीं कर पायेंगे तब तक उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। जहां मेरे क्षेत्र से सरकार को बहुत इनकम होती है, रायल्टी की होती है, डेड रेन्ट की होती है वहां मेरे पूरे के पूरे क्षेत्र में एक किलोमीटर रोड नहीं बनी है। एक रुपया भी सीकर जिले में मशीनों, सड़कों और किसी भी व्यवस्था में आपने खर्च नहीं किया है। आप किस प्रकार उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं ? आंकड़ों से उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। माइन्स का उत्पादन किस तरह बढ़ेगा ? उसके लिये यही है कि सही तरीके से माइन्स दी जायं। आज यह स्थिति है कि माईन्स की लीज देने में पहले ए० एम० ई० के दफ्तर में जायं, एम० ई० के दफ्तर में जायें फिर एस० एम० है, फिर डायरेक्टर, उसके बाद आपके सेक्रेटेरियट में आयें। लीज की जो टाइम लिमिट होती है, वह 12 महीने की होती है। लीज सेंक्शन नहीं करते हैं तो अपील में भी जाना पड़ता है। कहने का मतलब है आपके इस दफ्तर तक आते जाते वह टाइम लिमिट समाप्त हो जाती है।

(श्री मोहनलाल मोदी)

मेजर माइन की लीज के लिये जो माइन ओनर एप्लीकेशन देते हैं वे माइन ओनर दिल्ली के चक्कर खाते हैं, दिल्ली में अपील करते हैं इसके बाद वापस फिर आपके यहां फाइलें आती हैं। इस तरह से 2–2, 3–3 साल तक भी माइन की लीज नहीं दें तो उत्पादन कैसे कर पायेंगे ? मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप मेजर माइन के ऊपर थोड़ी तवज्जोह दीजिए। मैंने पिछले सत्र में भी यह कहा था कि मेजर माइन्स की लीज के लिए वन विभाग की तरफ से भारत सरकार ने कोई ऐसे आदेश कर दिये हैं, जिसकी वजह से आज आपको लीजेज देने में बहुत बड़ी दुविधा आ रही है। मैंने मन्त्री महोदय से भी इस बारे में निवेदन किया था कि आप इसको स्पष्ट करिये और ऐसा उपाय कीजिए जिससे इन लीजेज को देने में आपको सहूलियत हो। दूसरे, आपने रजिस्ट्रीकरण का ऐसा सिस्टम कर दिया, पहले जो रजिस्ट्रेशन होता था, आपकी खानों के पट्टों का जो एग्रीमेन्ट होता था, वह तहसील में होता था आज वह जिला लेवल पर होता है। उनका मूल्यांकन जिला लेवल पर होता है यानी चारों तरफ से आपने दुविधाओं में घेर लिया। किस तरह आपका उत्पादन बढ़ेगा ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपकी तो 6 महीने में ही लीज पास हो गई लाइम स्टोन की।

श्री मोहनलाल मोदी : शायद आपको पता ही नहीं है। शायद आपको जानकारी नहीं है, मेरे पास कोई लाइम स्टोन की माइन नहीं है, यह मैं आपको निवेदन कर दूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मोदीजी के पास।

श्री मोहनलाल मोदी : मोदी जी के पास तो टायर की है, रबड़ की है, सारी की सारी मोदीजी के पास हैं।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप 12 महीने तो लीज सैंक्शन नहीं करेंगे तो माइन्स का उत्पादन बढ़ नहीं पायेगा। आपको इस ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि लीजेज देने में सहूलियत हो। माइनिंग के लिए उनको मशीनरी उपलब्ध करायें। विशेष बात पिछली बार मैंने कही थी कि डोलोमाइट का उत्पादन बिलकुल गिर रहा है। आपकी सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि डोलोमाइट की लीजेज किस तरह से देंगे। जिस तरह लाइम स्टोन है उसी तरह डोलोमाइट का राजस्थान में विपुल भण्डार है, लेकिन राज्य सरकार की नीति स्पष्ट नहीं होने से डोलोमाइट का उत्पादन नहीं हो रहा है। आपके आंकड़ों के अनुसार डोलोमाइट का उत्पादन साल भर में 13320 टन का है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप राज्य सरकार की नीति स्पष्ट करें। आवश्यकता इस बात की है कि लाइम स्टोन से कम डोलोमाइट का उत्पादन नहीं हो लेकिन इसके बजाय आपने यह कर दिया कि आर. एस. एम. डी. सी. से पूछ कर उन लीजेज को दें ताकि आर. एस एम. डी. सी. करना चाहे तो डोलोमाइट का खनन वह करे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह माइनर मिनरल है

(श्री मोहनलाल मोदी)

जैसे लाइम स्टोन है इसी तरह से यह है। आ। इसकी लीजेज माइनर मिनरल के रूप में दीजिए। आज आपकी जितनी चिप्स बनती है, वह डोलोमाइट की बनती है। मार्बल के नाम से लीज मिलती है। डोलोमाइट सेम पत्थर है। अब वे मार्बल के नाम से लीज ले लें तो मार्बल चिप्स बना लेते हैं, डोलोमाइट के नाम से लीज ले लें तो वे चिप्स नहीं बना सकते हैं। सारा डोलोमाइट अगर फैक्ट्रीज में, इन्डस्ट्रीज में काम आये तो उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आपके यहां जो डोलोमाइट है वह बहुत हाई ग्रेड का नहीं है, वह आपकी इस्पात इण्डस्ट्रीज में काम आने वाला नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके अन्दर सुधार करिये, आपको इससे बहुत अधिक रेवेन्यू मिल सकती है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि यदि एक काश्तकार, एक मजदूर अपना मकान बनाने के लिए दो लड्ढ़े बिल्डिंग स्टोन लेकर आता है तो उसके औजार आपके विभाग वाले ले आते हैं और उन पर 10-20 गुनी पैनल्टी लगा देते हैं। दो लड्ढ़े लेकर आये और उस पर ट्रक जितना पैसा बाध देते हैं। कम से कम गरीबों को इससे छुटकारा दीजिए। वहां आपकी कोई लीज नहीं है। गांवों में पहाड़ी होती है, पहाड़ी पर वे लोग आबाद हैं। वहां पर वे लोग अपना घरोंदा बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं, उनको भी आप परेशान करते हैं। मै आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि मकान बनाने के लिए बजरी और बिल्डिंग स्टोन जो मेसनरी स्टोन है, आप एग्जेम्प्ट कर दीजिए। लोगों को छूट दे दीजिए ताकि लोग परेशानी में नहीं रहें। यह मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं आपसे राजकीय उपक्रम के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आपके सारे के सारे राजकीय उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। आखिर इसका क्या कारण है? उनके अन्दर क्या अव्यवस्था है। उनमें या तो आपके आदमी योग्य नहीं हैं या ईमानदार नहीं हैं, दो ही कारण हो सकते हैं। वही राजकीय उपक्रम आज किसी बिजनेसमैन को दे दीजिए, वे लाभ में चलेंगे और आप सरकारी तौर पर चलायेंगे तो घाटे में चलेंगे। दो चीजें हैं, जैसा कि मुझसे पहले वीरेन्द्र प्रताप जी ने कहा था कि आपने रोडवेज जैसी संस्था के अन्दर आई० पी० एस० ऑफिसर को बैठा रखा है। क्या इस तरह से आप इन राजकीय उपक्रम को चलाना चाहते हैं। आप ऐसा कीजिए कि बिजनेसमैन माइंडेड व्यक्ति को बैठाइये, यह पैसाकमाने वाला काम है। आप इनसे नान-टैक्स रेवेन्यू वसूल करना चाहते हैं......

श्री हरिसिंह (महुआ) : बिजनेसमैन का नाम और बता दें।

श्री मोहनलाल मोदी : बिजनेसमैन से मेरा मतलब यह है कि जो इसको समझने वाला आदमी है, जो व्यापार समझता है। आज आप एक डाक्टर को मोटर ठीक करने का काम दे दीजिए। क्या वह मोटर ठीक कर सकेगा ? यानी ऐसा आदमी हो

(श्री मोहनलाल मोदी)

जो समझने वाला हो। बिजनेसमैन से मतलब कोई व्यापारी से नहीं है। किसी को दे दीजिए, लेकिन किसी ऐसे आदमी को बैठाइये जो काम समझता हो। पुलिस आफिसर को बैठा दिया, आज जितने घाटे में आपकी रोडवेज चल रही है, अगर आज 8 करोड़ के घाटे में है और कल वह 15 करोड़ के घाटे में नहीं चली जाए तो आप मेरे से कह दीजिए। आप कम से कम ऐसे लोगों को बैठाइये, जो इसको चला सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को रखिये। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप राजकीय उपक्रमों से रेवेन्यू कमाना चाहते हैं, आप उनसे इनकम करना चाहते हैं तो उनमें जो कर्मचारी हैं, उनको आप उनमें साझेदार के रूप में समझिये। आप ईमानदार लोगों को रखिए। बिजनेस के लिहाज से कि आपका एक बिजनेस चल रहा है, उससे अन्दर जो कर्मचारी रखते हैं उनको आप सरकारी लोगों की तरह समझना छोड़ दीजिए। आप उनको अच्छी तनख्वाह दीजिए। दस हजार रुपये में रखिये आदमी, 20 हजार में रखिये, 15 हजार में रखिये। वे आदमी आपको पैसा कमा कर देंगे और आपको घाटे में नहीं जाने देंगे। आप सबसे पहले योग्य व्यक्ति, जो उस काम को समझने वाले हों, जो अच्छे आदमी हों, ईमानदार आदमी हों, को रखिये। आप सरकारी लोगों के अनुसार तनख्वाह देना छोड़ दीजिए उनको अलग से आप तनख्वाह दीजिए तब आदमी ईमानदार रहेगा। भूखा आदमी कभी भी ईमानदार नहीं रह सकता। आज आपके राज्य में ईमानदार ऑफिसर भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान में ईमानदार सरकारी कर्मचारियों की कमी है। ईमानदार ऑफिसर बड़े भी हैं, छोटे वर्ग के भी हैं, सिपाही भी हैं लेकिन आज आप इन ईमानदार ऑफिसर औ कर्मचारियों की कद्र नहीं करते हैं। जो ईमानदार ऑफिसर आपके कहने से काम नहीं करेगा, उसको बाड़मेर का रास्ता देखना पड़ेगा।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी आत्मा को फील होने वाली बात है। माननीय सदस्य ने कहा है कि भूखा आदमी ईमानदार नहीं हो सकता। वस्तु स्थिति इसके विपरीत है कि छका हुआ आदमी कभी ईमानदार नहीं होता, भूखा आदमी ही हमेशा ईमानदार होता है।

श्री यदुनाथसिंह : वह भूखा ही इसलिए रहता है कि ईमानदार है।

श्री मोहनलाल मोदी : यह अपना-अपना नजरिया है, आप उसको दूसरे····

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जितने मालदार हैं। सब गरीबों का पेट काटकर ही मालदार बने हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं थोड़ा अमेण्ड कर देता हूं कि भूखा रह कर आदमी ईमानदार नहीं रह सकता। यह कह दीजिए। आप उसको अपने नजरिये से लीजिए, लेकिन मैं यह बात कहता हूं कि आप उनको इतनी तनख्वाह दीजिए जिससे वे अपन

(श्री मोहनलाल मोदी)

पेट भर सकें। मेरे कहने का मतलब यही था।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें।

श्री मोहनलाल मोदी : दूसरा मैं यह कहना चाह रहा था, उन उपक्रमों के बारे में......

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : दो मिनट।

आप रोडवेज के मामले को ले लीजिए। आपके रोडवेज के बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, चालीस-चालीस, पचास-पचास, किलोमीटर की दूरी पर जो जगह हैं। जैसे आप यहां शहरों में सीधी बसें चलाते हैं वहां पर भी ऐसी व्यवस्था करियें। मैं समझता हूं कि इससे लोगों को फायदा मिलेगा। आज जितनी प्राइवेट जीपें चलती हैं दस-दस, बीस-बीस किलोमीटर तक ये जीपें चलती हैं, वे सवारियां ले जाती हैं। आपकी गाड़ियां या तो ओवर लोड आती हैं या खाली आती हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। दूसरा, आपने जयपुर में ही सब हैड ग्राफिस को इकट्ठा कर रखा है उसकी जगह तीन-तीन, चार-चार डिस्ट्रिक्ट्स मिला कर उन हैड आफिसेज को डिवाइड कर दीजिए और उनका चार्ज दे दीजिए तो आपकी रेवेन्यू और बढ़ सकती है। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के श्री बकोलिया।

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज अनुदान की मांगों के ऊपर बहस चल रही है, मैं आपके माध्यम से विशेष तौर पर इण्डस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में विशेष आग्रह करना चाहूंगा। यहां पर अभी डिमाण्ड पर डिस्कशन हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, अभी तक राजस्थान में इन्डस्ट्रियलाइजेशन के अन्दर, उद्योगों के अन्दर वह प्रोग्रेस नहीं हो पायी है। इसका कारण यह है कि हमारे कई माननीय सदस्यगण ने और विधायक महोदयों ने बार-बार यहां बताया कि ज्यादातर तकनीकी ज्ञान की कमी है। कुछ क्षेत्रों के अन्दर, उद्योगों के क्षेत्र में समझ लीजिए या उपक्रम में समझ लीजिए, राजकीय उपक्रम के अन्दर और कई जगहों पर जो आई० ए० एस० आफिसर हैं, वे तकनीकी ज्ञान नहीं रखते हैं उस कारण से प्रोग्रेस रुक जाती है। इसके लिए सत्ता पक्ष के 90% विधायकों की यह मत है और मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इसके अन्दर आमूलचूल कुछ परिवर्तन लायें। चार-पांच ऐसे विभाग हैं जहां पर

(200)

(श्री छोगाराम बकोलिया रेवदर)

केवल तकनीकी ग्राफिसर्स की या चेयरमैन की जरूरत पड़ती है, वहां पर अपनी ओर से कुछ कारगर कदम उठा करके उस ओर ध्यान दें, ताकि यह जो घाटे के उपक्रम चल रहें हैं और औद्योगीकरण क्षेत्र में अभी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, उसके अन्दर आगे बढ़ सकें। जैसा कि अभी तक बताया गया है राजस्थान के अन्दर औद्योगिक क्षेत्र में विशेष प्रावधान दे करके अनुसूचित जाति के लोगों को इण्डस्ट्रियलाइजेशन के अन्दर आगे पनपते हुए नहीं देखा है। आज जितने भी उद्योग राजस्थान के अन्दर पनप रहे हैं वे सेठों के माध्यम से पनप रहे हैं। केवल सेठ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और गरीब जाति के आदमी अभी भी पिछड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का इस ओर विशेष ध्यान आकर्षित करूंगा कि अनुसूचित जाति और गरीब तबके के लोगों के लिए इण्डस्ट्रीज के अन्दर विशेष तौर पर बेनिफिट देकर औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर इन्डस्ट्रीज स्थापित करने के लिए प्रावधान किया जाय। इस बजट के अन्दर स्पेशल कंसीडरेशन अनुसूचित जाति और गरीब तबके के लोगों के लिए किया जाये, जिससे कि वे एक तो स्टेट्स मैंटेन कर सकते हैं। दूसरा यह गरीबोत्थान के लिए एक विशेष कारगर कदम होगा। मेरा आपसे बहुत ही ज्यादा विनम्र शब्दों में आग्रह है कि इस ओर विशेष ध्यान दें।

जहां तक प्रश्न इण्डस्ट्रीज का है, अभी तक कहते हैं साहब, इसके अन्दर कभी बिजली की दर बढ़ने से फर्क पड़ेगा। मैं मानता हूं कि इसके अन्दर दर बढ़ाने से फर्क पड़ता है, लेकिन रॉ-मैटीरियल नहीं बल्कि जो प्रोडक्ट मैटीरियल आएगा उसके भावों में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। इण्डस्ट्रीयलाइजेशन के अन्दर, इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के अन्दर कमी तो तभी आ सकती है जबकि उसके अन्दर कोई तकनीकी कमी हो या इण्डस्ट्री एस्टेब्लिश करने के अन्दर इनिशियल स्टेज पर किसी को प्रोत्साहित नहीं करें। आप बार बार बाहर जाकर, राजस्थान से बाहर जा करके इण्डस्ट्री स्थापित करने के लिए राजस्थान के जो लोग बाहर रहते हैं उनको आग्रह करते हैं कि आप यहां आकर इण्डस्ट्री लगाइये, लेकिन वे लोग यहां आने में हिचकिचाते हैं। उसका कारण कुछ तो आपकी भी जानकारी में है। हमारे यहां पर इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट के अन्दर और कई दूसरे भी डिपार्टमेंट्स के अन्दर कुछ कमी के कारण से उनके उद्योग समय पर स्थापित हो नहीं पाते हैं। कई कमियां है। उनके साथ-साथ बिजली की कमी है। यह भी मेन फैक्टर है। उत्पादन में कमी आने के कारण से उनको दिक्कत आ सकती है लेकिन इनिशियल स्टेज पर इण्डस्ट्री स्थापित करने के लिए उनको समय पर लोन प्राप्त नहीं होता है। इसके कारण उनको कठिनाई आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान देवें और उद्योग स्थापित करने के लिए वह अपने डाइरेक्टिव्स इश्यू करें।

(श्री छोगाराम बकोलिया)

इसके साथ साथ घाटे में जो उपक्रम चल रहे हैं, उनके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में कुछ बात लाना चाहता हूं। जैसे कि राजस्थान स्टेट रोडवेज आज दस करोड़ के घाटे की स्थिति में जा रहा है, उसका कारण यही वताया गया है कि जो कण्डक्टर और कुछ अधिकारी लोग हैं वे पैसा खा जाते हैं। इस तरह से पैसों का मिसयूटिलाइजेशन या रेवेन्यू का लीकेज हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नियमों में भी अपने को तब्दीली लानी पड़ेगी। राजस्थान स्टेट रोडवेज में अभी कर्मचारियों को ही दोषी माना जाता है। मेरा सुझाव यह है कि उसके वजाय गुजरात और महाराष्ट्र की तुरन्त जो ट्रेवेल करने वाली जनता है उसको ही उसका दोषी मान लिया जावे तो जनता कभी भी यह वर्दास्त नहीं करेगी कि वह वगैर टिकट लिए ट्रेवल करे। क्योंकि पैसा लेने वाला. पैसा कमाने वाला कोई भी रिस्क ले सकता है, लेकिन पैसा देने वाला कभी भी रिस्क नही ले सकता। वह अपने आप टिकट मांगेगा उस जो रेवेन्यू का लीकेग है वह विल्कुल रुक सकती है। इसके लिए स्पेशल आर्डिनेंस और नियम वना करके राज्य सरकार ध्यान देवें और जनता को ही दोषी मानें। इसके लिए सख्त से सख्त कार्यवाही करें तो हो सकता है कि यह जो आठ करोड़ के लॉसिज हैं वह कवर हो सकते हैं।

इसके साथ-साथ इन लॉसेज को कम करने के लिए केवल मात्रा यही उपाय नहीं है। क्योंकि डिपो तो सारे प्रॉफिट में चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो काफी अदर एक्सपेंडीचर हो रहे हैं एस्टेविलशमेंट के और दुसरे वह बहुत अनगिनत हो रहे हैं, उनकी कोई लिमिटेशन नही है। उन लॉसेज को रोकने के लिए जो रोडवेज का सामान या कई तरह की दूसरी चीजें बाहर जाकर बिकती हैं। उनको रोका जायें और जितने एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज हैं, उनको कम किया जावे। एक बार यहां पर राजस्थान स्टेट रोडवेज ने कोई प्रिंटिंग मशीन खरीदी उसके अन्दर करोड़ों रुपयों का एक्सपेंडीचर किया। उसके बाद छपाई का सारा कार्य वन्द हो गया और जो करोड़ों रुपयों की मशीनरी थी वह वैसे ही वेच दी। इस तरीके से और कदम उठायेंगे और वापस लेने, देने और वेचने का क्रम चलेगा तो स्वाभाविक है कि लॉसिज जारी रहेंगे। इसलिए ऐसे स्थान पर जो व्यक्ति तकनीकी ज्ञान का पूरा जानकार हो, उस को अध्यक्ष बनाया जाय। जो सब माननीय सदस्यों की भावना है। उसके अनुरूप सरकार कदम उठाये।

इसके साथ साथ मैं खनिज के वारे में दो शब्द कहना चाहूंगा क्योंकि ज्यादा समय लेना अब ठीक नहीं है। खनिज के मामले में राजस्थान सबसे ज्यादा आगे बढ़ सकता है। राजस्थान के पूरे एरिया में स्पेशली पश्चिमी राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अन्दर खनिज के विपुल भंडार हैं, लेकिन खनिज के वारे में आपने अभी तक पूरा ध्यान नहीं दिया है। राजज सरकार अगर स्पेशल ध्यान दे तो करोड़ों रुपयों की आमदनी हो सकती है और बजट को काफी

(श्री छोगाराम बकोलिया)

हद तक लाभ में ले जाने वाली पोजीशन बन सकती है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने अपनी राय प्रकट की कि एक लीज को सैंक्शन करने के लिए एक साल लगता है। अगर वास्तव में एक साल के बाद में कोई खनन करता है तो एक साल के खनन के लिए रायल्टी के रूप में जो पैसा मिलना चाहिए उसका राज्य सरकार को लास होता है। इसलिए इमीजियेटली एक्शन होना चाहिए। एक दो महीने में एप्लीकेशन को डिस्पोज आफ करें, जिससे शीघ्र ही खनिज का उत्पादन हो सके. रायल्टी मैक्जीमम मिल सके।

इसके साथ-साथ कुछ ऐसे खनिज हैं जिनको आर. आई. एम. डी. सी. हाथ में लेकर निकाल रही है। लेकिन फ्लोरस्पार जैसा खनिज जो अभी निकल रहा है उसमें करोड़ों रुपयों का घोटाला चल रहा है। उसके अन्दर हो सकता है कि जिस पर्सेन्टेज का खनिज है, 80-90 प्रतिशत के फ्लोरस्पार को 60 पर्सेन्ट का करके बेच दिया जाता है किन्तु उसका पैसा कहां जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें, तो हो सकता है करोड़ों रुपयों का लाभ हो सके। मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि मिनरल अगर किसी दूसरी जगह मिल सकता है तो क्यों नहीं ? मिनरल कार्पोरेशन इसका खनन कर उसके बजाय बाहर के लोगों को पट्टा दो ताकि इण्डिविजुअल आदमी खनन कर सके। उससे यह होगा कि जो अभी पैसा मिल रहा है उसके अलावा रायल्टी भी मिल सकती है। अगर किसी को यह पता पड़े कि फ्लोरस्पार मिल सकता है तो उसका भी खनन करने का पट्टा देने का अधिकार राज्य सरकार को होना चाहिये। हालांकि उसके ऊपर बैन तो नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार से फ्लोरस्पार के खनन के लिये पट्टे की मांग करता है उसको नहीं दिया जाता है। इससे जो करोड़ों रुपया मिल सकता है उन करोड़ों रुपयों का लॉस हो रहा है। मिनरल डिपार्टमेंट उसका फायदा उठाता नहीं है। माइन्स एण्ड मिनरल कार्पोरेशन इसलिये लेता है कि जो दर है, तीन हजार रुपये प्रति टन उसको दो हजार मान करके हजार रुपये बीच में खा जाते हैं या हजम कर जाते हैं। मैं किसी अधिकारी का नाम लेना उचित नहीं समझता, इस पर विशेष ध्यान दें। यदि बाहर के आदमी को भी खनन का काम दिया जाये तो मेरे खयाल से इससे करोड़ों रुपयों की आमदनी हो सकती है।

इसके साथ साथ विद्युत बोर्ड के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

यह उपक्रम है। इसमें लॉस हो रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि लाइन लॉसेज अपने यहां 30 पर्सेन्ट है। उसका इण्डस्ट्री के प्राडक्शन पर भी फर्क पड़ता है। अगर 30 पर्सेन्ट के बजाय 20 पर्सेन्ट लाइन लॉसेज हों तो लाइन लासेज से दूसरे लॉसेज होते हैं वह नहीं होंगे। 20 पर्सेन्ट लाइन लॉसेज करने से 50 लाख यूनिट की बचत होगी। इस 50 लाख यूनिट

(श्री छोगाराम बकोलिया)

से अपनी इण्डस्ट्रीज की मांग को मीट आउट कर सकते हैं और कोई भी इंडस्ट्री अपने यहां एस्टेब्लिश कर सकते हैं। माननीय महानुभाव....

श्री अध्यक्ष : आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे हुए हैं।

श्री छोगाराम बकोलिया : यदि अपन उसको कम करें, ट्रांसमीशन लाइन को अधिक से अधिक ड्रा किया जाये, लाइन लॉसेज को कम किया जाये तो....

श्री अध्यक्ष : उस पर विचार करेंगे।

श्री छोगाराम बकोलिया : विशेष ध्यान दें। इसके सम्बन्ध में जिस तरीके से सदस्य महोदय ने विचार व्यक्त किये थे कि चेयरमैन टैक्नोक्रेट हो तो हो सकता है, लाइन लॉसेज को कम करने के बारे में अच्छे तरीके से....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको चेयरमैन बना दो।

श्री छोगाराम बकोलिया : मैं इसलिये नहीं कहना चाह रहा था। टैक्निकल आदमी हूं इसलिये टैक्निकल आदमी के लिये नहीं कह रहा। मैं बार बार चुप रहना चाह रहा था, लेकिन वे बार बार कह रहे थे इसलिये मैंने कहा। मेरे बनने या नहीं बनने की बात छोड़िये। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें तकनीकी ज्ञान बहुत आवश्यक है। इस डिपार्टमेंट के अच्छे जानकार, योग्य आदमी, जो मेरे से ज्यादा जानकार हों, मेरे से अधिक जानकार हों, मेरे से हण्ड्रेड टाइम ज्यादा जानकारी रखते हों, को अध्यक्ष बनाया जाय। टैक्निकल आदमी को बनायेंगे न तो जिस तरह की खामियां है, जो लाइन लॉसेज और दूसरे तरीके के लॉसेज हो रहे हैं वह नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष : अपन लोगों में तो आप ही हो।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : यह भी विचारणीय प्रश्न हो गया।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 40 राजकीय उपक्रम के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सर्व प्रथम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बारे में मैं कुछ अपने विचार प्रकट करूंगा। अध्यक्ष महोदय, तालीम का शोर इतना, तहजीब का गुण इतना, बरकत होती क्यों नहीं ? नीयत की खराबी से।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कहां से रट के आये ?

अनेक माननीय सदस्य : दुबारा।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, तालीम तो यह दी जाती है कि राष्ट्रीयकरण का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो और राष्ट्रीयकरण से देश की जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इस प्रकार इस नीति के कारण से अभी

(श्री देवीसिंह भाटी)

राजस्थान रोडवेज का रिआर्गेनाइजेशन किया गया है और तहजीब क्या ? ईमानदारी से उस नीति को लागू नहीं करते हैं। बरकत इसलिए नहीं होती है, क्योंकि उसके अन्दर छोटी-छोटी खामियां हैं। छोटी खामियों पर जानबूझ कर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा शिकायत नहीं करूंगा, पर एक-दो शिकायत जरूर करूंगा। जैसा मैंने प्रश्न पूछा। अध्यक्ष महोदय, मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या 507 था, उसके भाग सख्या (3) में मैंने पूछा "क्या डिपो की बसों में शिकायत, सुझाव पुस्तिका और प्राथमिक चिकित्सा का सामान उपलब्ध होता है ?" उत्तर आया, "जी हां।"

अब जो भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उनमें से एक भी कोई ईमानदारी से कह दें, क्या किसी भी राजस्थान रोडवेज की बस के अन्दर शिकायत पुस्तिका, सुझाव पुस्तिका या फर्स्ट एड बाक्स उपलब्ध हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : हकीकत यही है और उत्तर क्या दिया जाता है, इसका मुझे दुःख है। जैसा माननीय मंत्री महोदय ने फर्माया, हम विशेष ध्यान देते हैं। माननीय सदस्यों के प्रश्न आते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

एक माननीय सदस्य : खाली डिब्बा लगा हुआ है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, शिकायत हालांकि यह छोटी होगी।

एक माननीय सदस्य : शिकायत की जरूरत नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान रोडवेज में अलग अलग प्रोफार्मज हैं। जब डिपो से बस निकलती है तो उसके लिए दैनिक वाहन डिफेक्ट रिपोर्ट का एक प्रोफार्मा होता है। उसके अन्दर चालक अपनी ओर से लिखता है कि बस के अन्दर क्या-क्या कमियां हैं। वह लिखता है, यह 15-7-81 की बीकानेर डिपो की आर. आर. जी. 3959 के बारे में है, (1) चालक साइड आगे का मैन पट्टा टूटा हुआ है, (2) परिचालक साइड के पीछे का पट्टा टूटा हुआ है, (3) बैक पट्टी नहीं है, (4) फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, (5) हैड लाइट का शीशा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो काफी है, मैं उदाहरण दूंगा। इसी प्रकार उसमें लिखा है—(1) वायपर मशीन नहीं है जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा है। दूसरा लिखा है, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, (3) बैक पट्टी नहीं है (4) स्पेयर व्हील नहीं है (5) जैक राड, व्हील पाना नहीं है आदि आदि। इस प्रकार वह अपनी ओर से शिकायत लिखता है। इस प्रोफार्मा के पीछे लिखा है, दैनिक वाहन चैकिंग शीट। उसके अन्दर अलग अलग दिया है, सफाई धुलाई चैक करिये, आवश्यक हो तो दुरुस्त करने का प्रयास कीजिये। जैसे रेडिएटर, आयल, इंजिन आयल लीकेज, यूनिवर्सल जोइंट आदि आदि। टायर में हवा पूरी करिये, चैक करिये, आवश्यक हो तो दुरुस्त कीजिये। सीट की गद्दी, तकिये, देखने का

(श्री देवीसिंह भाटी)

कांच, फाटक का ताला, कंडक्टर घंटी, लाइटें सारी, डायनामों, फेन बेल्ट....

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : इनको चेयरमैन बना दो।

श्री देवीसिंह भाटी : सेल्फ स्टार्टर बेटरी। प्रोफार्मा रिपोर्ट के ऊपर मैकेनिक के हस्ताक्षर होने चाहिये। अध्यक्ष महोदय, कहीं भी नहीं है। हालांकि ये छोटी बातें महसूस होंगी। अध्यक्ष महोदय, क्या लोगों को पता नहीं है कि क्या नियम हैं, क्या निर्देश दिये गये हैं विभाग के द्वारा? परन्तु उनकी पालना नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, दुःख इस बात का है, पिछले सत्र में मैंने प्रश्न रखा था, माननीय मंत्री महोदय ने दो बार स्थगित करवाया था। उसके बाद भी उत्तर नहीं दिया गया क्योंकि उत्तर उसका हो क्या? हकीकत सामने है परन्तु जांच नहीं करा रहे हैं। जो समस्यायें हम यहां पर लाते हैं, उसमें हमारा निहित स्वार्थ कुछ नहीं होता है। हम उसमें विभाग को देखते हैं। विभाग को फायदा हो, यात्रियों को सुख सुविधा मिले, ऐसे एक्सीडेंट नहीं हों, उसके लिये हम सुझाव देते हैं। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि यहां बुराई करने के लिये बुराई करें। अध्यक्ष महोदय, मैं उसके अन्दर सुझाव दूंगा। हालांकि सदन को यह लगेगा कि यह छोटे-छोटे सुझाव हैं इन से क्या होता है। मगर इन छोटे-छोटे सुझावों पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा, निश्चित तौर पर निगम को फायदा होगा और समस्या में कमी आयगी। जैसे बस के अन्दर हार्न नहीं होता है, साइड ग्लास नहीं होता है, उसके कारण, अध्यक्ष महोदय, क्या होता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, पीछे से गाड़ी आ जाती है, साइड ग्लास नहीं होने से वह उस गाड़ी को साइड नहीं दे सकता है, जिसके कारण ओवर-टेक करके झगड़ा करते हैं, उससे समय का नुकसान होता है और डीजल व्यर्थ में वेस्ट होता है। इसी प्रकार की छोटी मोटी बातें हैं। हालांकि साइड ग्लास और हार्न में ज्यादा खर्चा नहीं है परन्तु इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे हैड लाइट्स हैं उनको हाफ ब्लेक शेड में करना चाहिए जिससे सामने से जो गाड़ी आती है उसके ड्राइवर की आंखों पर तेज लाइट न पड़े और वह समय पर साइड दे सके। क्योंकि वह भी टेंशन में रहता है जिस प्रकार से पथ परिवहन निगम का ड्राइवर मेंटल टेंशन में रहता है। इसी प्रकार डिपर है, वाइपर है, गाड़ी के अन्दर की लाइट्स हैं जो हाफ ब्लेक होनी चाहिये, इन छोटी छोटी बातों का ड्राइवर पर सीधा असर पड़ता है। सड़क पर जब उसका ध्यान एकाग्रचित्त होता है तो सीधी लाइट के रिफलेक्शन का उस पर सीधा असर पड़ने से गाड़ी का सही संचालन नहीं कर सकता और उससे एक्सीडेंट्स होते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार स्प्रिंग्स, जिसे पट्टा कहते हैं, टूट जाता है। जैसे मैन पट्टा टूट जाता है अगर वह समय पर ठीक नहीं किया जाता है तो उसके कारण दो तीन पट्टे टूटते हैं फिर वेल्डिंग करके लगा दिये जाते हैं जिससे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। तो इस प्रकार से स्प्रिंग्स जैसे ही टूटती है उसको तुरन्त बदल दिया जाय तो आगे दूसरा नुकसान नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार इसके अन्दर

(श्री देवीसिंह भाटी)

शाक-आब्जर्वर हैं वे समय पर चेंज कर दिये जायें तो एक्स्ट्रा जर्क नहीं लगेगा जिससे गाड़ी के दूसरे पार्ट्स को नुकसान नहीं होगा, यात्रियों व ड्राइवर को अन्य प्रकार से झटके भी नहीं लगेंगे और गाड़ी का सही ढंग से संचालन होता रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : आपका डिपो पर भाषण करवा दें तो ज्यादा उचित हो ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं सही सुझाव दे रहा हूं और भाषण देने के लिये भी तैयार हूं । यहां सदन में मंत्री महोदय इसके इन्चार्ज हैं—

श्री अध्यक्ष : सदन में इतना उपयोगी साबित नहीं होता ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकारी गाड़ी हो, चाहे जीप हो या कार हो उसमें आपको प्लास, पाना, व्हील, व्हील-पाना जरूर मिलेंगे, परन्तु राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस में न तो जैक होगा न स्पेयर व्हील, न व्हील पाना न कोई टूल होगा । इसी प्रकार दूसरे छोटे मोटे पाने, डीजल का फ्लेक्जिबल पाइप, फेन बेल्ट और छोटे-छोटे पार्ट्स साथ हो तो जगह जगह ब्रेक डाउन नहीं होता । मुझे याद है, पिछले महीने में बीकानेर से आ रहा था तो सिर्फ व्हील पाना और जैक नहीं होने से चार गाड़ियां लगातार 10 किलोमीटर में खड़ी थीं । मैं भी एक बस में था । उनसे पूछा गया, क्या कारण है ? व्हील नहीं है, व्हील पाना नहीं है । इन छोटे छोटे कारणों से कितना नुकसान होता है इनकी ओर ध्यान दें तो जरूर, निश्चित तौर पर फायदा होगा ।

अध्यक्ष महोदय, गाड़ियां डिपो से समय पर नहीं निकलती हैं तो यात्री बस स्टेण्ड पर इन्तजार करते हैं । वे निराश होकर घर लौट जाते हैं या दूसरे साधनों से जाते हैं जिससे निगम को डायरेक्ट नुकसान होता है । गाड़ियां समय पर नहीं जाने से, अध्यक्ष महोदय, सारा टाइम टेबल बेकार हो जाता है और जो फायदा होने वाला था वह नहीं होता है । चढ़ने वाले यात्री बेकार हो जाते हैं और बस खाली जाती है और दूसरी बस ओवर लोड होकर जाती है ।

इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, गाड़ियों की समय पर सर्विस होनी चाहिये जैसे आटोमोबाइल कम्पनी अपनी ओर से निर्देश देती है कि 8 हजार किलोमीटर पर आयल चैंज होना चाहिये, सी-आयल चैंज होना चाहिये, यू-बोल्ट का, आई-बोल्ट का, लूब्रिकेशन होना चाहिये । इंजन माउंटिंग, हैड टैप्ट ओवर-हालिंग आदि आदि समय पर कर ली जाय । अगर लुब्रिकेशन आदि नहीं हुआ है तो जो नुकसान होने वाला है उससे चौगुना नुकसान होता है । समय पर ग्रीसिंग और लुब्रिकेशन कर दिया जाय तो निश्चित तौर पर नुकसान कम होगा । जैसे माननीय सदस्य प्राइवेट गाड़ियां रखते हैं जो समय पर सर्विस करवाते हैं, उनको पता है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार 32 हजार किलोमीटर पर चारों हब की ग्रीसिंग करनी चाहिये, चारों रौड स्प्रिंग्स पर टैंशन देना चाहिये । यूनिवर्सल जोइन्ट क्रास व सैंट्रल बियरिंग खोल कर चैक करने चाहिये

(श्री देवीसिंह भाटी)

आदि । अध्यक्ष महोदय, ऐसे उदाहरण काफी हैं। समय कम है, अगर इन छोटे मोटे कारणों पर ध्यान दें—

एक माननीय सदस्य : यह किसी फोरमैन का है।

श्री देवीसिंह भाटी : फोरमैन का नहीं है, अध्यक्ष महोदय, आखिर मैं कारणों में जाने लगा कि किन कारणों से रोडवेज को नुकसान होता है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपने एक उपयोगी सुझाव नहीं दिया कि सवारी अन्दर बैठती है उसका पैसा रोडवेज में जमा होना चाहिये।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, वह भी कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है। काफी हो गया।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरे अच्छे सुझाव है। वैसे तो चर्चा होती रहती है, अगर इन पर ध्यान दें तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि निगम आज जिस प्रकार से घाटे में चल रहा है उसको चौगुना फायदा होगा। मैंने लिखित में भी दिया है। जैसे आपने फ्लाइंग स्क्वायर्ड तय कर रखा है फ्लाइंड स्क्वायड समय पर चैंकिंग करता है। मैकेनिकल डिफैक्ट क्या हैं उसके लिये कोई जांच नहीं करता है कि किस प्रकार से गाड़ियां चल रही हैं, क्यों मैकेनिकल डिफेक्ट रह गया ? क्या उसको भी मौके पर जाकर फ्लाइंग स्क्वायड चैक करे, अध्यक्ष महोदय।

बीकानेर डिपो के बारे निवेदन करना चाहूंगा, वहां अगर एक लैथ मशीन हो, पंप टैस्टिंग और टायर रीट्रेडिंग मशीन हो तो बाजार में जिस प्रकार से दरें बढ़ी हुई हैं, सामान बाहर जाता है उसकी अगर डिपो में व्यवस्था कर दी जाय तो निश्चित तौर पर फायदा होगा।

दूसरा, जो पावर-कट चल रहा है, उसके कारण डिपो के वर्कशाप में जो काम होना चाहिये पावर कट होने के कारण रात में काम नहीं होता है। इससे गाड़ियां उसी हालत में रह जाती हैं इसलिये एक्स्ट्रा जनरेटर सैट्स की व्यवस्था की जाय।

अब टिकटों की चोरी के बारे में दूसरे माननीय सदस्यों ने भी सुझाव दिये। इसमें मंत्री महोदय एक दफा प्रयास करें। यह परिचालक की जिम्मेदारी है कि बस में कोई बगैर टिकट यात्रा करें तो परिचालक जिम्मेदार होगा। इसके साथ यात्रियों की भी जिम्मेदारी तय कर दें।

श्री अध्यक्ष : कानून में ऐसा प्रावधान है। कंडक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, यात्रियों की जिम्मेदारी है।

श्री देवीसिंह भाटी : कंडक्टर और यात्री दोनों की ही जिम्मेदारी इसमें हो तो यात्री यह चाहेगा कि मेरा टिकट मुझे दें अन्यथा मुझे यहां सजा होगी तो उसके साथ ही कंडक्टर को भी चिन्ता रहेगी कि मैं भी कहीं इसमें फंस न जाऊं।

दूसरा, मैं मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि जैसे द्रुतगामी रात्रिकालीन बसें चलती हैं इसके अलावा जो आम, आर्डिनरी

(श्री देवीसिंह भाटी)

बसें रवाना होती हैं उनमें सीट नम्बर नहीं लगे होते हैं, जिसके कारण यात्रियों में झगड़ा होता है, समय की बरबादी होती है, बसें बीच में रुक जाती हैं इसलिये सीट नम्बर अंकित किये जायें तो ज्यादा उचित रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये । अब आप सदन की मेज पर रख दीजिये यह सब ।

श्री देवीसिंह भाटी : काफी लंबा चौड़ा है, अध्यक्ष महोदय । मंत्री महोदय से लास्ट बात निवेदन करना चाहूंगा कि समय समय पर जिस प्रकार से श्रमिकों के आन्दोलन चलते रहते हैं, उनसे निगम को इन्डायरेक्ट नुकसान होता है । इसके बारे में मंत्री महोदय ने भी 22-8-81 को पत्र लिखा था । उसमें लिखा कि आप मेरे सामने समस्यायें, सुझाव लावें। परन्तु मंत्री महोदय बता दें कि आपने कब प्रयास किया कि दोनों तरफ वालों से बैठ कर बात करें । सुझाव ले लिये लेकिन उनको कहां तक कार्यरूप में परिणत कर सकते हैं ये प्रयास नहीं किये । इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं पिछले सत्र में छाती ठोककर कहा था कि निगम में निश्चित तौर पर सुधार करूंगा और जो घाटा चल रहा है उसको खत्म करूंगा, परन्तु क्या किया, अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर में बतायेंगे ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिन मांगों पर सदन में चर्चा हो रही है, वह महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जिस वित्तीय संकट के दौर से हम गुजर रहें हैं, उसके तीन ही आधार स्तम्भ हैं, उद्योग, राजकीय उपक्रम और खनिज । ये तीनों ऐसे साधन हैं यदि हम इनका ठीक प्रकार से संचालन करें तो मेरी यह मान्यता है कि हमारे बजट का सारा घाटा ये तीनों पूरा कर सकते हैं । जहां तक उद्योग का प्रश्न है, इसमें मेरी मूल शिकायत उद्योग नीति से है । उसके बाद उद्योगपति, काम करने वाले और दूसरे लोग आते हैं । हमारी उद्योग नीति, जो पहले से निर्धारित है, में पूंजीवाद का प्रमुख स्थान है, हमको उसे आज के समाजवादी रुझान की ओर बदलना होगा । हम यह चाहते हैं कि समाजवाद आवे । हमारी पार्टी का यह मूल सिद्धान्त है । हम राज भी इसीलिये करने को आये हैं । राज करना हमारा शौक नहीं है, बल्कि राज करना हमारा एक कर्त्तव्य है । हम इस देश में और इस प्रान्त में समाजवाद लाना चाहते हैं । यदि हम अपनी मूल नीतियों से हटने का प्रयास करते हैं तो हमारे मूल सिद्धान्त से हटते हैं । मैं इस समय यह निवेदन इसलिये करना चाहता हूं कि जो हमारी उद्योग नीति है, उसको आप स्पष्ट तौर से देखें, वह उद्योगपति के हक में है । समाज के हक में बिलकुल नहीं है । जब उद्योगपति उद्योग शुरू करता है तो वह लगातार बढ़ता जाता है । इसके उदाहरण के रूप में चाहे आप टाटा, बिड़ला को लें, छोटे छोटे किसी दूसरे पूंजीपति को लें । उद्योगपति को उद्योग के लिये सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं और उद्योग का सारा लाभ उद्योगपति को जाता है जबकि उस उद्योग का लाभ हमको, आम लोगों को मिलना चाहिए । उपभोक्ता और उत्पादक को मिलना चाहिये । अगर हम उद्योग नीति में उत्पादक और उपभोक्ता के हित

(श्री मेरूंलाल भारद्वाज)

को ध्यान में नहीं रखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि जो कुछ उद्योगपति पैदा कर रहा है वह पूंजीपति हजम करता जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस रोज उद्योगपति को उद्योग का लाइसेन्स मिल जाता है, सरकार उसको सभी प्रकार की सुविधाएं देती हैं। मसलन उसको महंगे भाव की वह भूमि जो शहर के नजदीक है, जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में आम तौर से नीलामी में ली जावे तो 50/– रुपये, 100/ रुपये गज से कम नहीं मिले, सरकार उसे उद्योगपति को कुछ पैसे प्रतिगज के हिसाब से अलाट करती है। उसको कारखाने खड़े करने हैं, उसमें सरकार मकानात, बाउण्डरी और मशीनरी की जिम्मेदारी लेती है। मशीनरी बाहर से आती है तो उसके लाइसेन्स आदि का यह सारा जिम्मा एक प्रकार से सरकार लेती है। बैंकों से पैसा भी दिलाती है। बैंक में भी सरकार और जनता का पैसा है। यह सारी सुविधाएं सरकार मुहैया करती है। उसके बाद रा-मैटीरियल देती है। सब प्रकार की व्यवस्थाएं करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब माल तैयार होता है, उसके बाद यह सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी कर अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हो जाती है। जिस चीज को पैदा करने में, हमने सरकारी ने साधन लगाये हैं उसका सारा लाभ सरकार न लेकर उस उद्योगपति को इस बात के लिये छुट्टी दे देती है कि वह उस चीज का मूल्य निर्धारित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माचिस की डिबिया से लेकर तार तक कोई चीज ले लें, उस पर उद्योगपति सारा हिसाब किताब लगाकर, अपना पूरा मुनाफा, अपने सभी प्रकार के ठाट बाट, खर्चे को जोड़ कर यह तय करता है कि इसकी यह कीमत होगी। इस मौजूदा उद्योग नीति में उपभोक्ता का यह बड़ा दुर्भाग्य है कि उस पूंजीगत के हवाले हमने सब कुछ कर दिया है। वह इस मूल्य पर अपनी चीज बेचेगा। अध्यक्ष महोदय, कारखाने के अन्दर, जो उत्पादक जुटता है उसका भी कुछ लेना-देना नहीं है। आपने यहां तक दे ा उद्योग नीति में यह डिफेक्ट जो पैदा करने वाला है, जो पसीना बहाने वाला है, उस कारखाने, जिस कारखाने का सेठ करोड़पति नहीं अरबपति बनने जा रहा है, का मजदूर भूखा रहता है, नंगा रहता है और कई बार मजबूर होकर आन्दोलन के लिये उसको आना पड़ता है। मगर इस बात पर हमने ध्यान नहीं दिया। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, यद्यपि उद्योग नीति प्रान्त से कवर नहीं होती है, यह केन्द्रीय सरकार का सब्जेक्ट है, परन्तु केन्द्रीय सरकार प्रान्तों से मिल कर बनती है। माननीय मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि यह उद्योग नीति मूलतः हमारे समाजवाद के खिलाफ है, उसमें शीघ्र परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि आम उपभोक्ता, उत्पादक के हित में और सरकार और सरकार के खजाने के हित में उद्योगों का लाभ उठाया जा सके। जैसा मैंने आपको यह कहा है कि डिपो ट्रान्सफर की हमने सुविधा दे रखी है, अभी परसों के दिन हमारे वित्त मंत्री जी ने स्टेनलेस स्टील पर टैक्स लगाने का औचित्य सिद्ध किया था उसमें उन्होंने यह बात बतायी थी कि जोधपुर के अन्दर बीस करोड़ रुपये का स्टेनलेस स्टील बनता है, परन्तु चूंकि यह सुविधा है उद्योगपति वहां न बेच कर कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली जहां चाहे वहां

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

डिपो ट्रान्सफर के नाम से उस सारे माल को भेज देते हैं। ऐसी स्थिति में हम उस पर किसी प्रकार का टैक्स लगाने की स्थिति में नहीं रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कितना परिहास है, कोई उद्योगपति यहां माल पैदा करे और हमको टैक्स न चुकाये और सारा मुनाफा घर में बंटोरता रहे, जबकि डिपो ट्रान्सफर केवल कागजी आधार पर है। इस प्रकार की बातें हमको इस उद्योग में ध्यान देने की है।

मैं एक बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितने उद्योग हैं, उनमें कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनकी न तो आम भारतीय जनता को जरूरत है और अगर कोई जरूरत है तो उनकी प्राथमिकता का आधार बहुत नीचे है। हमको यह देखना होगा कि आम लोगों के काम में आने वाले उद्योगों का क्या महत्व है। आज पूंजीपति टेलीविजन का कारखाना लगाना चाहते हैं, आज पूंजीपति, बड़े ऐशो-आराम की चीजों के कारखाने लगातार स्थापित करते जा रहे हैं और इन पर हमारी ओर से किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। बल्कि यह देखा गया है कि टेलीविजन कारखाना खरीदने के लिये पूंजीपति को हमने कई एनश्योरेन्स दिये हैं और उसको घाटा पूर्ति के लिये सरकारी खजाने का पैसा दिया है। यह कहां की बात है? हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिये आदमी के जीवन यापन से सम्बन्धित चीजों के लिये, जीवन यापन से सम्बन्धित चीजें हैं, मोटा कपड़ा है, यह लगातार मंहगा होता जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने पहले तय किया था, हर मिल के लिये तय किया था कि इतना लाख मीटर मोटा कपड़ा बनाना पड़ेगा। मगर जब जनता सरकार आई तो मिलों पर मोटा कपड़ा बनाने के लिये जो पाबन्दी लगाई थी, उसको उसने पूंजीपतियों के हक में हटा दिया। नतीजा यह हुआ कि आज कोई भी मिल है, वह केवल जुर्माना देकर दूर हो जाती है और मोटा कपड़ा नहीं बनाती है। अध्यक्ष महोदय, गांवों में जो आज मोटा कपड़ा मिल रहा है वह या तो ठीक नहीं है या बहुत मंहगा है। इसका कारण यह है कि हमने पूंजीपति को मोटा कपड़ा बनाने की पाबन्दी से मुक्त कर दिया। क्या यह समाजवाद के अनुकूल है? मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की दूसरी सारी बातों पर हमको ध्यान देना चाहिये। कपड़ा, जीवन यापन की दूसरी चीजें जैसे पढ़ने की किताबें, कागज, रोजना के काम आने वाली घरेलू चीजें, सीमेन्ट, लोहा, जो आम गृहस्थी आम उपभोक्ता के हक में है, ऐसी चीजों का जो उद्योग काम करते हैं, उनको विशेष रियायतें देनी चाहिये और उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये। जो दूसरे लक्जरी उद्योग हैं उनको बढ़ने नहीं देना चाहिये बल्कि रोक देना चाहिये।

मैं आपको एक छोटी-सी बात याद दिलाना चाहता हूं। जनता पार्टी के राज में एक और करिश्मा सामने आया वह यह कि कीटनाशक औषधियों के जितने कारखाने पूंजीपतियों ने लगा रखे थे, उन पर उस सरकार के द्वारा यह पाबन्दी लगा दी कि आइन्दा किसी को लाइसेन्स नहीं दिये जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके कारण थोड़े-से पूंजीपतियों ने न केवल कीटनाशक औषधियों, जो गरीब किसानों के खेत में काम आती है, दाम चौगुने बढ़ा दिये बल्कि उनका स्तर भी गिरा दिया। गत साल लोक सभा में इस बात की चर्चा हुई थी,

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

अखबारों में हमने भी पढ़ा था। आपको भी ध्यान होगा, इसमें जितने नमूनों की जांच की गयी उनमें से 50, 60, 70 पर्सेन्ट में मिलावट साबित हुई। हम रोज ही हमारे खेतों में देखते हैं, कितनी औषधियां खरीदते हैं, आज विश्वास नहीं रहा। पैसे के पैसे देते हैं और कीटनाशक औषधियों में सिवाय पाउडर के और कोई चीज़ नहीं होती है। यह क्यों हुआ? यह पूंजीपतियों के साथ 4-5 ठेकेदारों के साथ हिन्दुस्तान के किसान का भाग्य जोड़ दिया। कीटनाशक दवाइयों के लिये नये लाइसेन्स देना बन्द कर दिया और उन लोगों को मोनोपोली हमने संभला दी। यह उद्योग नीति की खामियां हैं। मुझे खुशी है कि जब यह बात हमारी सरकार के सामने लाई गई तो नये सिरे से यह तय किया गया कि कीटनाशक औषधियां राजकीय उपक्रम द्वारा बनायी जायें। राजस्थान के कृषि उद्योग निगम ने इस ओर पहल की है। एक प्लान्ट की योजना बना कर सरकार के पास भेजी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि काटनाशक औषधियों का प्लान्ट राजस्थान कृषि उद्योग निगम के तहत लगेगा जिससे न केवल इन औषधियों की कीमत कम होगी, बल्कि उनका स्तर बहुत ठीक, उचित और सही होगा और उससे खेती को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम की बात पर आ गया हूं तो उस पर ही चर्चा करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं राजकीय उपक्रम पर रोडवेज और बिजली विभाग की चर्चा करूं, मैं उस उद्योग निगम की चर्चा करना चाहता हूं जिसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। वह है कृषि उद्योग निगम। इस निगम का कृषि के किसी उद्योग से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो यह समझता था, कृषि उद्योग निगम के पास कृषि से सम्वर्धिन्त राजस्थान के सारे विभाग होंगे, उद्योग होंगे पर वास्तव में वहां जाकर देखा तो मालूम हुआ कि इसका कृषि के किसी उद्योग से कोई सम्बन्ध नहीं है। अभी तक उसने कृषि से सम्बन्धित एक भी उद्योग नहीं लगाया। साढ़े तीन करोड़ रुपये की सरकार की पूंजी निगम में लगी हुई है, उसके लिये आज मुझे कुछ कहते हुए दुख भी होता है और शर्म भी महसूस होती है, शर्म इसलिये महसूस होती है कि उसके अध्यक्ष पद पर मेरा नाम जोड़ दिया गया है। मैं इसलिये कहना चहता हूं कि जो हमारे सरकारी निगम हैं उनमें जनता के खजाने का पैसा है। साढ़े तीन करोड़ में से एक करोड़ 22 लाख का तो घाटा है और एक करोड़ की लेनदारियों ऐसी हैं जिनमें 90-95 प्रतिशत केवल कागजों में लिखा हुआ है। वह पैसा सौ साल में भी वापिस आने वाला नहीं है। इसके अलावा एक करोड़ और 61 लाख रुपया हमने बैंकों और दूसरे लोगों से ऋण ले रखा है, इसका अर्थ यह हुआ कि साढ़े तीन करोड़ रुपया इस निगम ने साफ कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सम्बन्धित मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी पूंजी लगाने के बाद कभी किसी ने क्या इस कृषि निगम के ऊपर ध्यान दिया है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : अब आपको नियुक्त किया है ना?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैंने 6 महीने पहले, जब इसमें नियुक्त किया गया था,

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

सुझाव दिया था । मैंने लिखा है उसकी कापी सम्बन्धित कृषि मंत्री, को दी है । मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री के नाम लिखा है अगर उसको स्वीकार करो तो हम इस निगम को इस प्रकार की स्थिति से उभार सकते हैं । असली बात यह है कि आपने इन सारे निगमों को नौकरशाही के भरोसे पर छोड़ रखा है । मैं किसी नौकर की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरी नौकरशाही ही बुरी है । आज जो नौकरशाही की व्यवस्था है वह अंग्रेजों, राजाओं के जमाने की है और हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है । नौकर जो बिठाये हुए हैं वे कोई गैर नहीं हैं, हमारे ही बेटे भाई-भतीजे हैं । जब वे बाहर रहते हैं तो उनको हम अच्छा महसूस करते हैं और जब अन्दर जाते हैं तो खराब हो जाते हैं । इसका क्या कारण है ? मेरा लड़का, किसान का लड़का, मजदूर का लड़का जब वह खेत में काम करता है तो ईमानदार रहता है और जब वह नौकरी में पहुंच जाता है तो बेईमान हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष : इसलिये कि उसमें खराब होने के अवसर कम हैं ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इसका कारण यह है कि यदि ईमानदार रहना चाहे तो भी नौकरशाही की व्यवस्था के अन्दर नहीं रह सकता है । इसका कारण यह है कि आपने नौकरशाही को बेलगाम कर रखा है, लगाम नहीं है, लगाम, डंडे की बात नहीं है । इसकी बात तो मैं प्रजातंत्र में नहीं करता हूँ और वह इसमें चल भी नहीं सकती है, लेकिन काम के साथ वेतन की लगाम होनी चाहिए । आज कोई भी नौकर, ऑफिसर तो नौकर कहने में शर्म महसूस करता है । एक बहुत ही अच्छे आई० ए० एस० मेरे मित्र हैं, वे कहने लगे कि ऑफिसर लोग आप जैसे अच्छे कार्यकर्त्ताओं से इसलिये नाराज हैं क्योंकि आप लोग उनको नौकर समझते हैं । इस पर मैंने कहा कि महीने के महीने तनख्वाह लेते हैं और नौकर नहीं हैं, कोई बड़ा नौकर है, कोई छोटा नौकर है, फर्क क्या है ? इससे ऑफिसर नाराज हो जाता है । अरे भाई, वह नौकरी कर रहा है महीने की तनख्वाह ले रहा है । आप किसी को जिले का मालिक कहते हैं, इस राजस्थान में उसको जिलाधीश कहते हैं, उस नौकर को मालिक कहते हैं । अगर उसने गलती से स्वयं को मालिक मान भी लिया तो क्या बेजा कर कर लिया है । पर इस जनता राज में कोई नौकर किसी का मलिक नहीं बन सकता । मालिक है आम जनता, जनता ही मालिक है हम लोग भी उसके नौकर हैं और जो चुने हुए नुमाइन्दे हैं, वे भी नौकर ही हैं और वे तो नौकर हैं ही जो महीने की महीने तनख्वाहें लेते हैं । मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि वह नौकर है, तीस तारीख होती है आप उससे पूछते हैं कि उसने क्या काम किया है ? महीने की महीने पे बिल बन जाता है और तनख्वाह मुहैया हो जाती है । मेरा आपेक्ष है इस बात का कि जिस आदमी को एक बार नौकर रख लिया, उसके लिये अन्दर आने की तो जगह है, लेकिन फिर बाहर निकालने के लिये उसको 35 साल तक धकेल नहीं सकते हैं । जिस आदमी को दो गारन्टी मिल जाये, एक तो यह कि एक बार राज की नौकरी में आने के बाद में काकाजी बनकर रहेगा और दूसरी 30 तारीख को उसका पे बिल बनेगा, तनख्वाह मिल जायेगी, बस ये दो गारन्टी मिलनी

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

चाहिए फिर कोई बहुत ही भला ग्रादमी होगा जो काम करेगा ग्रौर भला होगा तो भी दूसरों को देखकर नाकारा बन जायेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि उस नौकर को नौकर ही बना कर रखें। वेतन को काम से जोड़ो "काम करेगा तो दाम मिलेगा ग्रौर यदि काम नहीं करेगा तो दाम भी नहीं मिलेगा", कम काम करेगा तो कम दाम मिलेगा यह हड़ताल ग्रौर यह सारा बवन्डर इसलिये ही ही है। माननीय विरोधी दल जो ग्राज हमारे सामने बैठा हुग्रा नजर नहीं ग्रा रहा है, परसों जब इस बात पर चर्चा चल रही थी तब ही मैंने कहा था....

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : ये हमको भूल गये हैं, शायद।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ऐसे विरोधी दल से मतलब नहीं है। कांग्रेस के साथी ही हैं लगभग हमारी विचारधारा के साथ हैं।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : कांग्रेस से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

कांग्रेस के लोग हैं जो कुछ उधर चले गये हैं....

श्री यदुनाथ सिंह : ग्रापका पूरा भाषण पार्टी के पक्ष से भरा हुग्रा है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : विचारधारा की दृष्टि से राजस्थान में कोई विरोधी दल है तो वह दक्षिण पंथी विचारधारा वाला जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी है जिसका किन या नाम भारतीय जनता पार्टी है। मैं जब विरोधी दल की बात करता हूँ तो मेरा मकसद बी. जे. पी. से होता है। मैं ग्रापके माध्यम से कहना हूँ कि × × × तो मैंने निवेदन किया था कि जिनके लिये ग्राप हंगामा खड़ा कर रहे हैं, वे एक प्रतिशत हैं, हिन्दुस्तान ग्रौर राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक प्रतिशत ही कर्मचारी हैं ग्रौर संगठित मजदूर वर्ग एक या दो प्रतिशत है ग्राप 97 प्रतिशत की बात नहीं करते हैं। उस जनता का कोई वकील नहीं है। जिन लोगों ने ग्रपने वोटों से ग्रापको बैंचों पर बैठने का मौका दिया है, उनके हितों का कोई संरक्षक है क्या? जिस देश की 48 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे जी रही हो, जिसकी ग्रामदनी दो रुपया रोज से ज्यादा नहीं हो उसकी कोई वकालत नहीं करे ग्रौर एक प्रतिशत संगठित लोगों के लिये गला फाड़कर सारा सदन सिर पर उठायें यह क्या ढंग है? ग्राप नौकर को ग्रपने पक्ष में करके राज में ग्राने ग्रौर जाने में विश्वास करते हैं। हमको इसके प्रति विश्वास नहीं है? मैं यह निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि काम के साथ दाम जोड़िये जिससे न केवल राज्य प्रशासन चलेगा बल्कि ग्रापके जो राजकीय उपक्रम हैं जिनके ऊपर चर्चा चल रही है वे सारे के सारे लाभ के धन्धे बन जायेंगे। मैं इसी प्रकार से एक छोटा सा उदाहरण देकर इस उपक्रम से दूर हट जाऊंगा। मैं ग्रापको रोडवेज के लिये तो इतना ही कहूंगा कि मैं ग्रापकी रोडवेज का पांच करोड़ रुपये में इस सदन के ग्रन्दर ठेका लेता हूँ। ग्रापकी वही रोडवेज चलेगी, वही

× × × ग्रभिव्यक्ति माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गई।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

टिकट दर रहेगी, उसको बढ़ाया नहीं जायेगा, वही रेट होगी तो मेहरबानी कीजिये। पर यह ठेके की बात समाजवाद में नहीं चल सकती है। और मैं पांच करोड़ रुपया भी कहाँ से लाऊंगा ? ठेकेदारों की तरह से नहीं। यह भी एक सरकारी कोष होगा, उसका लाभ भी उसी को होगा, एक भी पैसा इसमें से नहीं लिया जायेगा। मगर सवाल यह है कि जो बोर्ड है, और जो बिजली बोर्ड है उनका पुनर्गठन करें। मेहरबानी करके सभी बोर्ड में तीन तरह के आदमी लें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बोर्ड में बहुमत जन प्रतिनिधियों का होना चाहिए और सरकार सारा अधिकार इनके हाथ में दें। किसी एम० एल० ए० या एम० पी० को लगाये ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। किसी भी सामान्य जन को लगाये, कार्यकर्ताओं को लगाये, एम० एल० ए० या एम० पी० को ही यह मिलना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता। अभी भी बाहर अनेक अच्छे सेवा-भावी लोग हैं, ईमानदार और कार्यकुशल हैं, उनको इन बोर्ड्स में लगायें और उनका बहुमत बनायें। अगर आप 11 व्यक्तियों का बोर्ड बनाते हैं तो 6 आदमी जन-प्रतिनिधि लेने चाहिए बाकी पांच में से एक आदमी उस उपभोक्ता का होना चाहिए जिसके लिये वह बोर्ड है। एक उस कामगार का होना चाहिए जो वहाँ पर काम करता है, एक टेक्निशियन होना चाहिए। इस तरह से तीन तरह के आदमियों को उसमें स्थान दीजिये। टेक्निकल आदमी को बढ़ा दें, टेक्निकल आदमी को मैम्बर बना दें, पर इनका बहुमत नहीं करा सकते हैं, सारा बोर्ड इनके सुपुर्द नहीं कर सकते हैं। टेक्निकल आदमी के हाथ में हम जनता का भाग्य नहीं सौंप सकते हैं, यह उनके हवाले नहीं किया जा सकता है। जनता का हित जनता के नुमाइंदों के हाथों में ही सुरक्षित रह सकता है। इसलिये बोर्ड में जन-प्रतिनिधियों का बहुमत होना चाहिए। उसमें जन-प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व हो, उस कामगार का प्रतिनिधित्व हो जो वहाँ काम कर रहा है और उस उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व हो जिसके लिये राज्य ने यह निगम स्थापित किया है। इस प्रकार से इसका पुनर्गठन करें। हिम्मत करके मुख्य मंत्री जी आने वाले अप्रैल, मई में, इस समय तो....

श्री मोहनलाल मोदी : आप जिस निगम के अध्यक्ष हैं, उसका ठेका कितने में ले रहे हैं ? आप जिस निगम के अध्यक्ष हैं, उसका ठेका लेने की बात करें। उसको कितने रुपयों में ले रहे हैं ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैंने पहले ही कहा है कि चिट्ठी भेजी है। अगर वह बात पूरी तरह से मान ली तो उद्योग निगम का जो घाटा है, उसको कम करने की कोशिश करूंगा और उसके अन्दर पूर्ण सफल होऊंगा। इसलिये ही इस योजना को रखा है, पर कोई इस योजना को माने तो सही। माने तो फिर घाटा नहीं रहेगा। अगर नहीं कर सको तो, मोदी जी, जैसा कि मैंने कहा मैं वहाँ बैठा नहीं रहूंगा। पर कोई अधिकार तो हो, केवल नमूने का चेयरमैन बना रखा है, किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं, किसी प्रकार का वित्तीय अधिकार नहीं। एक पैसे को वह काट नहीं सकता है, एक मामले को उठा नहीं सकता है, नमूने के तौर पर····

श्री मोहनलाल मोदी : तो फिर घाटे में घाटा क्यों बढ़ा रहे हैं, उसको छोड़कर परे हों····

श्री भैरू लाल भारद्वाज : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो चेयरमैन बना रखे हैं और जो आगे आप कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बनाने जा रहे हैं, उन सब को या तो बनायें नहीं और अगर बनायें तो जैसा कि मैंने निवेदन किया है, उस प्रकार से इसका पुनर्गठन करें, उनको अधिकार दें, उनके अधिकारों को बढ़ायें। हर 6-6 महीने में हिसाब लीजिये कि आपने क्या किया है और यदि काम पसंद नहीं आये तो 6 महीने में बदल दीजिये। यह जरूर होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : बस एक बात कह कर समाप्त करूंगा।

मैं खनिज के मामले में जहां तक देखता हूं, खनिज के क्षेत्र में कुछ लिमिटेड लोग हैं, कुछ लिमिटेड परिवार हैं और अफसर, पूंजीपतियों की खनिज के अन्दर मिलीभगत है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जयपुर शहर के नजदीक जमवारामगढ़ का मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। सारे जयपुर शहर की जितनी इमारतें नजर आती हैं, सब लाइम स्टोन के पत्थर की ही हैं। लाइम स्टोन का भण्डार 15 मील से 20-25 मील के दायरे में बिखरा हुआ है। इस स्थिति में मैं पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा भण्डार होते हुए भी स्थानीय लोगों की वहां कुछ भी भागीदारी क्यों नहीं है? वहां पर रहने वालों की हिस्सेदारी है? कोशिश करें तो भी वहां के लोगों को खान कार्य नहीं मिलता है। कुछ लिमिटेड लोगों ने कब्जा कर रखा है। वे नाजायज तरीके से खनन करते हैं, चोरियां करते हैं और सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे इलाके को कोई लाभ नहीं पहुंचता है। मेरा निवेदन है कि खनिज के अन्दर भी आप रचनात्मक नीति अपनायें।

खनिज का राजस्थान में विपुल भण्डार है, यह कीमती है, इस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। उन लोगों को निकालना चाहिए जो अजगर की तरह कुंडली मार कर बैठ गये हैं। मैं इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन तीनों कार्यक्रमों पर मुख्य मन्त्री जी निश्चित तौर से यथार्थवाद से ऊपर उठकर नयी समाजवादी व्यवस्थाओं को कायम करेंगे। मुझे विश्वास है कि घाटे की स्थिति से उभर कर हम लाभ की स्थिति में पहुंचेंगे। वह लाभ केवल हमारे लिए नहीं आम जनता के हित में काम आयेगा। इतनी ही बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामप्रसाद (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भरतपुर की ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। भरतपुर में खनिजों का काम बहुत ज्यादा होता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे भरतपुर जिले में बयाना, रूपवास, पहाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, धौलपुर में पत्थर निकलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से एक बात कहना चाहता हूं कि खनिज का काम बड़े-बड़े लोग करते हैं, ऐसे पूंजीपति लोग, माननीय मन्त्री महोदय, करोड़पति हो चुके हैं। खान में हमारे छोटे-छोटे किसान, छोटे-छोटे गरीब लोग काम करते हैं। मैं एक बात माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि हजारों

(श्री रामप्रसाद)

आदमी जो खानों में काम करते हैं पत्थर निकालते हैं उनको टी. बी. हो जाती है। हजारों औरतें बेवा हो चुकी हैं, उनके आदमी मर चुके हैं। भरतपुर जिले में खान में काम करने वालों की हजारों औरतें बेवा हो चुकी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, करोड़ों रुपया बनाकर खा जाते हैं, तकिये और गद्दों पर लोटते हैं। जो बेचारे गरीब मजदूर लोग खानों में काम करते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा, जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके लिये हथौड़ा सिस्टम किया जाय ताकि उनको लाभ मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, खानों पर काम करने वाले लोगों की सैंकड़ों-हजारों औरतें बेवा हो चुकी हैं, उनके लिए एक ऐसा होस्टल खुलवाया जाये, जिससे····

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : हथौड़ा सिस्टम समझाओ मन्त्री महोदय को, वे जानते नहीं हैं। मैं सही बात कह रहा हूं।

श्री रामप्रसाद : मतलब यह है कि छोटे लोग काम कर सकें।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मतलब यह है कि जो आदमी हथौड़े से काम करता है, उसको लीज दी जाय।

श्री रामप्रसाद : वे सब जानते हैं। एक ही जिले के रहने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, उनको टी. बी. हो जाती है। एक अस्पताल की व्यवस्था की जाय जिससे उस इलाके में उनका इलाज हो सके। दूसरी बात, मैं माननीय मन्त्री महोदय से, माननीय मुख्य मन्त्री जी से व्यक्तिगत तौर से निवेदन करूंगा कि जो औरतें बेवा हो चुकी हैं उनको कुछ ऐसी सहायता मिलनी चाहिये जिससे उनका पालन-पोषण हो सके। जनता पार्टी के समय में एक हमारे बहुत बड़े नेता थे, जनता पार्टी के एम० पी० भी थे, जब जनता पार्टी का राज था तब × × × उसकी भी जांच करवाई जाये। क्योंकि जनता पार्टी के समय में····

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूं, यह सही नहीं है।

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, × × × उन्होंने····

श्री अध्यक्ष : कृपया किसी सदस्य का नाम न लें, जो सदन में उपस्थित न हो।

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि····

श्री यदुनाथ सिंह : बात तो सही है पर कहो मत।

श्री रामप्रसाद : एक बात और है, अध्यक्ष महोदय। जो उद्योग का मामला चल रहा है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है। मैं एक बात माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि छोटे लोगों को तो काम मिलना नहीं है। बड़े-बड़े लोग ही काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, काम करने का मौका तो छोटे लोगों को मिलता ही नहीं, फायदा उनको मिलता है जिनकी तोंद मोटी

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 217

(श्री रामप्रसाद)

हो चुकी है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि बेचारे गरीब आदमी को कब तक इस सदन में धोखा देते रहेंगे, कब उसकी सुनवाई होगी ? गरीब किसान तो और गरीब होता जा रहा है । जो किसान खेतों में काम करता है उसके लिए कुछ नहीं, और जो बड़े-बड़े लोग तकिये और गद्दों पर लोटते हैं उनको सारी चीजें मिलती हैं । अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि हथौड़ा सिस्टम किया जाये । गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए । उनके लिए जरूर-जरूर माननीय मन्त्री महोदय सुनवाई करें । जो दो नम्बर का काम करते हैं····

(व्यवधान)

साहबपुर में सफेद पत्थर की खान है, उसमें करोड़ों रुपयों का पत्थर निकलता है। सोसाइटी के नाम से कुछ लोग ही उस पैसे को खा जाते हैं । सोसाइटी बना रखी है, सोसाइटी के नाम से उस पैसे को डकार जाते हैं । जब माननीय मन्त्री महोदय दौरा करेंगे तो मैं मौके पर जाकर बताऊंगा कि क्या हालत हैं । अध्यक्ष महोदय····

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : पहाड़िया जी के राज में नहीं कही आपने यह बात । जब वे मुख्य मन्त्री जी थे, आप तो उनके ××

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहाड़िया जी के राज में भी इस बात को कहा है ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : ×××

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इतनी बात कह कर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपको नहीं बोलना है तावड़ साहब ?

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : मेरे को बोलना है ।

श्री अध्यक्ष : बोलने का समय दस मिनट का निश्चित किया जाता है ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय उद्योग नीति ग्रामीण उद्योग को कुछ सुविधा देने वाली नहीं बल्कि बिड़ला और टाटा के उद्योग को ज्यादा बढ़ाने वाली नीति है । अध्यक्ष महोदय, जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं उनकी अगर सम्पत्ति का पूरा ब्यौरा देखें तो सिर्फ टाटा की अकेले की सम्पत्ति इतनी है जितनी 14 करोड़ साधारण आदमियों की है । अध्यक्ष महोदय, आपकी और हमारी पूंजी शामिल करें तो 14 करोड़ आदमियों की सम्पत्ति के बराबर उसकी अकेले की पूंजी है । इसी तरह से बिड़ला की पूंजी जो है वह भी करीब उतनी ही है । करीब-करीब 40% जनसंख्या की पूंजी के बराबर एक से टाटा और बिड़ला दोनों की पूंजी है, यानी जो अपनी राष्ट्रीय नीति है या उद्योग नीति है वह शहरों में शहरीकरण बढ़ाने के लिये, पूंजी-

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(218)

(श्री महाराम चौधरी)

पतियों को और अधिक पूंजीपति बनाने की नीति है। ग्रामीण क्षेत्र में,

(7·10 रात्रि)

(श्री अहमद बक्श सिन्धी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग हैं उनकी उपेक्षा करने वाली यह उद्योग नीति है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर शहरीकरण और बढ़ा है। शहरों की आबादी अगर गांवों की तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं तो गांवों की तरफ उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये छोटे-छोटे उद्योगों के काम में आने वाली चीजें उपलब्ध कराने के लिये आपको विशेष तौर से विचार करना पड़ेगा। आपकी उद्योग नीति के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। दैनिक काम में आने वाली चीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिये आप प्रोत्साहन तथा दूसरी जो चीजें हैं विलासिता की चीजें हैं पाउडर है पेस्ट है या अन्य चीजें हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय का हुक्म, मुझको····

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय नहीं, मै हूं····।

श्री महाराम चौधरी : यह मेरे जिले की, मैंने यह आपके····

श्री उपाध्यक्ष : टाइम कम कर रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : आपने घण्टी बजाकर····

श्री उपाध्य : बोलिये–बोलिये।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय. ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर उद्योग पनपाने के लिये मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जो छोटे-छोटे उद्योग धन्धे हैं जैसे जट है, ऊंट की जट है, उससे बनने वाली जो चीजें हैं या समझिये भेड़ की जट है, उससे बनने वाली चीजें हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिये राज्य की तरफ से सरकारी अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाय। ग्रामीण क्षेत्र में धन्धा या काम करने वाले हैं वह सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के आदी नहीं हैं इसलिये उनको पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है। काम करना तो वह जानते हैं, लेकिन किस प्रकार से उनको सुविधा पहुंचाई जा सकती है इस सम्बन्ध में विचार कर अधिकारियों को गांवों में भेज कर ऐसे धन्धों को प्रोत्साहन देने की कार्यवाही करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों के बारे में मेरा निवेदन है कि छोटे छोटे उद्योग हैं इन उद्योगों को लगाने की जो कार्य प्रणाली है वह इतनी जटिल है कि उद्योगपति बिना कमीशन के तो काम शुरू करने की पोजीशन में ही नहीं पहुंच सकते। जहां कहीं उद्योग लगाये हैं वह काम कराने के लिये इस तरह से बांटते रहते हैं कि 25, 30 प्रतिशत में सब काम कम्पलीट कराते हैं। घर जाकर उनका यह काम कम्पलीट कर देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं खनिज विभाग की तरफ आपके माध्यम से मन्त्री

(श्री महाराम चौधरी)

महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नागौर के अन्दर खड्डी की बहुत खानें हैं। खड्डी देश के बहुत से भागों में बहुत ही उपयोगी हैं, यानि वह एक तरह से बहुत काम की चीज है किन्तु उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे वहां पर इस कार्य को तीन एजेन्सीज करती हैं। तीनों में भी आपस में होड़ लगी हुई है। एक समझती है ज्यादा भ्रष्टाचार करके पैसा कमाओ, दूसरी एजेन्सी समझती है, मैं ज्यादा भ्रष्टाचार करके पैसा कमाऊं। जब पांच सात रोज में आपसमें मिलते हैं तो यह सलाह करते हैं कि बोलो किस ने कितना कबाड़ा। इन तीनों में एक एजेन्सी है एसोसिएटेड सीमेन्ट कार्पोरेशन, जो सीमेन्ट कम्पनियों को खड्डी सप्लाई करने का कार्य करती है, दूसरी है फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया और तीसरी है राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन। ये तीनों एजेन्सियां सिवाय भ्रष्टाचार के और कोई काम करती ही नहीं। न ये खुद काम करती हैं, न इनके पास काफी स्टाफ लगा हुआ है। दूसरे बिचौलिये आदमियों को यह काम देते हैं। बिचौलिये आदमी, जिनको आगे करते हैं, खुद के मजदूर एम्प्लाय करके अगर खड्डी खुदवाकर सप्लाई करने की कार्यवाही करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। वरना सरकार को रायल्टी का नुकसान होता है और जो कार्पोरेशन हैं उनको नुकसान होता है। वहां आसपास जो रहने वाले हैं, छकड़े वाले, ऊंट छकड़े वाले उनको खड्डी की खानें दें। खड्डी निकालने के लिये एक तो फावड़े की आवश्यकता रहती है दूसरे सम्भल की आवश्यकता रहती है। ये दो ऐसे औजार हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिनसे हजारों मन खड्डी निकाल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, नागौर की स्थानीय परिस्थितियां ऐसी हैं कि हजारों मजदूर, जो हमारे आस पास के हैं, के पास में कोई दूसरा धन्धा नहीं रह गया है, तीन साल लगातार कहतशाली पड़ने की वजह से वे बेकार रहते हैं तीन चार महीने खेती का काम कर लेते हैं उसके बाद में एक यही धन्धा है, वह फावड़ा लेकर, सम्भल लेकर खड्डी खोदें और खड्डी को भर कर सप्लाई करने का काम करें। जिस खड्डी के अन्दर 75 पर्सेन्ट, 70 पर्सेन्ट केल्शियम की मात्रा है उसको यह एजेन्सीज काम में लें वह तो ठीक है, लेकिन वे यहां तक तैयार हैं कि जिस खड्डी के अन्दर 35-40 पर्सेन्ट केल्शियम नहीं है जो इनके लिये उपयोगी भी नहीं है, वह खान अगर उन मजदूरों को लीज पर दे दी जाये तो सरकार को लाखों रुपयों की रायल्टी मिलेगी और उन आदमियों को परमानेन्ट रोजगार भी मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो ...

श्री उपाध्यक्ष : आपका दो मिनट का टाइम था, दस मिनट हो गये।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष

(श्री महाराम चौधरी)

महोदय, सात मिनट तो आप स्वयं करके गये थे और दो मिनट, मेरे क्षेत्र की बात है इसलिए निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। भारद्वाजजी ने कृषि उद्योग के निगम के मामले में कहा है, कृषि उद्योग निगम के मार्फत खाद बनाने का कारखाना चल रहा है सड़े गले कचरे ही खाद बनाने का जो जयपुर का कारखाना है वह कृषि उद्योग निगम के अन्तर्गत चल रहा है। इस कृषि उद्योग निगम के अन्दर कृषकों के काम में आने वाली एक भी चीज नहीं बनती है। जो कुछ उन्होंने कारखाने में चीजें बनाई उनको डिस्को समझ लीजिये, हैरो समझ लीजिये, चाहे कटलर समझ लीजिये, गिरारी समझ लीजिये, ये जितनी भी चीजें कृषि उद्योग निगम ने अपने कारखाने के अन्दर बनायी हैं उनको खेतों के अन्दर तो काम में ले नहीं सकते इसलिए ये बिलकुल फेल हो गये और....

श्री उपाध्यक्ष : सब बात कह दी।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सप्लाई के मामले में यह नहीं कहा कि उनका कचरा इतना पड़ा है कि अगर बेच दिया जाये तो भी लाखों रुपयों का फायदा हो सकता है। इस कचरे का कोई यूज नहीं है, कबाड़ी को दे दें। पिछले दस साल से कचरा पड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपकी मेहरबानी है, लेकिन खान मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर क्षेत्र के आसपास खड्डी का क्षेत्र है। नागौर के स्थानीय मजदूर यह काम कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देकर उपयोगी कानून बनाकर उनको काम देने के लिये कोई व्यवस्था करायें।

धन्यवाद !

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : मेरा नाम नहीं बोला गया....

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम बोला गया था आप गैर हाजिर थे।

श्री मेघराज तावड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अध्यक्ष महोदय को कह दिया था मेरी मीटिंग थी मैं उसमें गया था। श्री महारामजी के बाद मेरा नाम था।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी देश के आर्थिक विकास में उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। जहां तक पश्चिमी राजस्थान का प्रश्न है पिछले 8-10 सालों से उद्योगों में जो प्रगति हुई है वह बहुत सराहनीय है। मेरे यहां बालोतरा के अन्दर बहुत ही अच्छी प्रिंटिंग और लाइन की फैक्ट्रियां हैं। जब से इंडस्ट्रीज लगी हैं, इंडस्ट्रियल एरिया कायम हुआ है, तब से बाहर के लोग भी आकर प्रिन्टिंग की अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, लेकिन पिछले दो-तीन सालों से यह स्थिति है कि सरकार द्वारा जो सुविधा दी जाती है, व्यवस्था की जाती है उसमें कमी होती जा रही है। वहां जो ड्रेनेज बनी हुई हैं वह हमेशा पानी से भरी पड़ी रहती

हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। उस क्षेत्र में कलर का काम बहुत अच्छा होता है और पानी भी बढ़िया है जिससे बढ़िया कपड़ा तैयार होता है। कोई बाहर का आदमी, बहुत ही सुन्दर प्रिन्टिंग करने वाला जब वहां की सड़कों को देखता है वहां के ड्रेनेज को देखता है तो उसको बड़ा शर्मिन्दा होना पड़ता है और हमको भी होना पड़ता है कि हम कैसे अपने मेहमान को एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री ले जायें। मैं सरकार का बहुत ही आभारी हूं कि सरकार ने बढ़ती हुई फैक्ट्रियों को देखते हुए वहाँ पर सैकेण्ड फेज का कार्य हाथ में लिया है। सैकेण्ड फेज का कार्य अलाट करने के लिये 250 एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं, लेकिन प्लाट 150 हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि जो आसपास की जमीन है उसको एक्वायर करके वहां कम से कम 300 प्लाट और बनायें ताकि वहां के लोगों की जो डिमाण्ड्स हैं वह पूरी हो सकें। इसके अलावा मेरे वहां पर नमक का उद्योग है। करीब चार लाख अस्सी हजार रुपये पानी के लिये जमा करवाये हैं। वर्षा की कमी के कारण वहां पर पानी नहीं है, उसके कारण जो मजदूर वहाँ काम करते हैं, नमक की खुदाई करते हैं, नमक निकालते हैं उनके पीने के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। एक लम्बे अर्से से वहां पर पानी की समस्या रही है। वहाँ पर नमक निकालने वाले कौम से खोरवाल हैं उनको बहुत पैसा खर्च करके यानि एक छकड़े की टंकी पर 50 रुपये देकर पानी मंगाना पड़ता है। मजदूरों का ज्यादा खर्चा पानी पर होता है। वहां पर पाइप लाइन डाल रहे हैं, लेकिन जो टैंक बना हुआ है, वह बहुत छोटा है। मैंने अधिकारियों को सुझाव दिया था और मैं आज माननीय मंत्री महोदय को सुझाव दे रहा हू कि दो ऐसे हौज बनायें जिनमें वर्षा के सीजन के अन्दर पानी संग्रह कर सकें ताकि आने वाले सीजन में पानी की कमी न हो। बाढ़ के कारण खानें नष्ट हो गयी थीं और उद्योग धंधे, जो बालोतरा में थे, को भी काफी क्षति हुई थी। सरकार ने हाउस के अन्दर आश्वासन दिया था कि जो उद्योग धंधे नष्ट हो गये हैं उन पर दो पर्सेन्ट के हिसाब से ऋण वसूल किया जायेगा, लेकिन, मंत्रीजी, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आश्वासन के बावजूद भी वहाँ 9 पर्सेन्ट वसूल हो रहा है। आपके आश्वासन के अनुसार कार्यवाही नहीं हो रही है। दूसरे, जो अन्य उद्योग लगे हुए हैं उनको बन्द कर दिया है। यदि सरकार कार्यवाही नहीं करेगी तो वहां पर कारखाने लगाने के लिये जो उद्योगपति उत्साहित हैं, वे उद्योग नहीं लगा सकेंगे। मेरा निवेदन है कि वहां ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को लगाने के लिये ऋण दिलाया जाये। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं और आशा करता हूं कि मैंने जो बात कही है और आपने जो आश्वासन दिया है वह आश्वासन शायद आज ही पूरा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : खनिज मंत्री उत्तर देंगे।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) मुझे बोलने का टाइम नहीं मिला....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री खनिज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : दो मिनट मुझे दें, पार्टी की तरफ से मैं तो बोला ही नहीं। हमारी पार्टी की मीटिंग थी, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी....

श्री उपाध्यक्ष : आपको पुकारा गया था। माननीय मंत्री जी बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : (गोगुन्दा) उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में क्या बोलूंगा मेरी पार्टी के दस मिनट हैं ...

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांगों पर चर्चा हो रही है। पहले दो मिनट राजकीय उपक्रम पर बोलना चाहता हूं। राजस्थान रोडवेज निगम में घाटा दिखाया गया है। घाटा है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह घाटा किस कारण है? बड़े-बड़े उच्चाधिकारियों द्वारा खरीद–फरोक्त में जबर्दस्त घोटाला किया जाता है उसको चैक किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय इसके साथ–साथ रोडवेज की जो बसें हैं उन बसों की व्यवस्था ठीक नहीं है। सीटें नहीं है कुछ नहीं है। इसकी व्यवस्था कीजिये, जैसे गुजरात की गाड़ी है वहां भी निगम है, लेकिन गुजरात की गाड़ियों की व्यवस्था अच्छी है। राजस्थान की बसों के बारे में जैसा श्री देवीसिंह जी ने कहा था कि बसों की न तो कोई व्यवस्था है, न सुविधा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में सरकार समाजवाद का दम भरती है और धीरे–धीरे राष्ट्रीयकरण की नीति को छोड़ती जा रही है। प्राइवेट बस मालिकों को ज्यादा से ज्यादा पनपाने की कोशिश की जा रही है इसलिये उनको रोडवेज से जोडकर एक नान नेशनलाइजेशन की नीति अपनाई है। इस नीति को छोडा जाये और राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाया जाये। रोडवेज के दूर-दूर के रूट्स के परमिट प्राइवेट बसों को न दें, वहां राडवेज की गाड़िया लगायी जायें। दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, जगह–जगह बस स्टेण्ड बने हुए हैं। उदयपुर में अभी बड़ा बस-स्टेण्ड बना है, लेकिन वहां बैठने की व्यवस्था नहीं है, कुर्सियां नहीं हैं कई बार अधिकारियों को लिखा फिर भी यात्रियों की बैठने की व्यवस्था नहीं की गयी है। वहां बैंचों की व्यवस्था की जानी चाहिये। सिटी बसें चाहे निगम की हों या और कोई वहां चलाई जा रही हैं, वे काफी नहीं हैं उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुझे मालूम है कि समय कम है इसलिये मैं अब उद्योग पर दो बातें कहना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्य भी कह रहे थे उद्योग के मामले में राजस्थान ही क्या हिन्दुस्तान की सरकार भी चाहती है कि उद्योग ज्यादा से ज्यादा पनपें लेकिन उद्योगों की हालत क्या है? उद्योगों के लिए किस तरह से फाइनेन्स डिपार्टमेंट

(श्री मेघराज तांवड़)

और वित्त निगम छोटी इंडस्ट्रीज के लोगों को पैसा देते हैं। माननीय मंत्री जी बैठे हैं दो मिनट आयेंगे नहीं तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि यह एक अहम् मामला है। वित्त निगम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के लोगों को पैसा देता है लेकिन उसकी नीति बहुत उलझी हुई है, साफ नीति नहीं है। छोटे-छोटे लोगों को परेशान करने की नीति है। मुझे दो मिनट इस बारे में चाहिए, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि छोटे उद्योग वाले किस तरह से परेशान होते हैं। उदाहरण के तौर पर उदयपुर का एक मामला मैं आपके सामने रखता हूं। आर० एफ० सी० ने 35 इंडस्ट्रीज को डिफाल्टर घोषित किया कि 35 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने किश्त जमा नहीं कराई। लोग समय पर किश्त जमा क्यों नहीं करा सके? एक तरफ तो उनको बिजली नहीं मिली और दूसरी तरफ कच्चा माल नहीं मिला। जब बिजली नहीं होगी तो निश्चित है कि प्रोडक्शन नहीं होगा और प्रोडक्शन नहीं होगा तो माल को निकाल नहीं पायेंगे और उनके पास पैसा नहीं आयेगा। इसी तरह का एक केस उदयपुर में और है। यह और लोगों पर भी लागू होता है। मैं समझता हूं पूरे राजस्थान में इस तरह की बातें अन्य जगह भी होंगी। 35 लोग डिफाल्टर हैं उनमें से और किसी का कुछ नहीं किया, लेकिन एक नया शिवा केमिकल इंडस्ट्रीज है जिससे निगम के लोग नाराज थे या बैंक के लोग नाराज थे इसलिए बिना कोई नोटिस दिए इंडस्ट्रीज पर ताला डाल दिया। पहाड़ियाजी जब मुख्य मंत्री थे उस टाइम यह केस आया। पहाड़ियाजी ने उनको लिखा लेकिन हुआ क्या, उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने बिना कोई नोटिस दिये इंडस्ट्रीज पर ताला लगा दिया। वे लोग पुलिस में गये, केस चला, हाई कोर्ट तक केस चला और वे डिफाल्टर पाये गये। कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आर० एफ० सी० को ताला लगाने की जरूरत नहीं थी, नहीं लगा सकते तो उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट ने एक कमीशन नियुक्त किया और कमीशन मौके पर गया यह देखने कि इनका कितना नुकसान हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इस कमीशन की रिपोर्ट थी कि 4,88,996 रुपये का जो उनके पास केमिकल का सामान था, एसिड वगैरह वह सारा डैमेज हो गया और केवल उसके पास बाकी रह गया था 46 हजार.......

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई अदालत का दावा है जो आप पढ़ रहे हैं?

श्री मेघराज तांवड़ : वह खारिज हो गया, उसके बाद आगे दूसरी उन्होंने रिपोर्ट दी, अब आर० एफ० सी० कुछ नहीं कर सकती। आर० एफ० सी० के खिलाफ कोर्ट ने फैसला दे दिया तो आर० एफ० सी० ने बैंक मैनेजर को आगे कर दिया कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। जो डैमेज हुआ उसका हर्जाना आर० एफ० सी० से वसूल किया जाना चाहिए, यह कोर्ट का फैसला हुआ तो आर० एफ० सी० ने बैंक को आगे कर दिया। बैंक ने बिना नोटिस दिए शिव केमिकल्स इंडस्ट्रीज को ताला लगा दिया, बिना नोटिस दिये उसका ताला

224

(श्री मेघराज तावड़)

तोड़कर अपना ताला लगा दिया। इस तरह से आर० एफ० सी० हो या बैंक हो, इंडस्ट्रीज को एक तरफ बिजली न मिले दूसरी तरफ कच्चा माल सप्लाई नहीं हो यह ठीक नहीं है। यह बात ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी पूंजी उसमें बाकी रह गई हो। सिर्फ एक किश्त चूक जाये इस कारण पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बंद कर दें। मुख्य मंत्री से भी वे लोग मिले थे.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट। ये उसकी सारी फोटोज हैं, यह सदन की टेबल पर रखता हूं कि कहां कहां कितना कितना सामान था उसका क्या डैमेज किया.......

श्री उपाध्यक्ष : You should go to the Court of law.

श्री मेघराज तावड़ : उसके बाद बैंक मैनेजर के खिलाफ पुलिस में केस दायर किया। सी० आई० डी० (सीबी) में जांच चल रही है। उदयपुर के पास सूरजपाल में स्टेट बैंक आफ बीकानेर व जयपुर की ब्रांच के मैनेजर हैं, उनको पुलिस ने भगाया, क्योंकि केस साबित हो गया था और उनको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था। उस अधिकारी से कहा, उनको टेलीफोन करके भगाया और अग्रिम जमानत करवायी। यह कहां का न्याय है? एक तरफ तो छोटी इंडस्ट्रीज को पनपाने के बजाय उनको सीज कर दें, बिना नोटिस ताला लगा दें और दूसरी तरफ जो गिल्टी पाया जाये उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करे। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपके पास होम डिपार्टमेंट भी है, पुलिस का अमला भी है और इंडस्ट्री का अमला भी है। मैं सदन की टेबल पर रखना चाहता हूं ताकि आप पेपर्स को देख सकें।

श्री उपाध्यक्ष : आप मंत्री महोदय से चेम्बर में मिल लेना।

श्री मेघराज तावड़ : अब खनिज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह सदन में लाया हूं ......

श्री उपाध्यक्ष : मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री मेघराज तावड़ : अब खनिज का मामला है, मैं तो बहुत जल्दी जल्दी बोल गया। जहां तक खनिज का मामला है, जब टाइम नहीं मिलता, मैं हड़बड़ा जाता हूं, मैं कौन सी बात कहूं मैं सुझाव देना चाहता हूं। खनिज विभाग में आदिवासियों के नाम पर सोसाइटियां बनाकर नान आदिवासी लोग हजारों रुपये कमा रहे हैं। आदिवासियों को कहीं आगे आने का मौका नहीं दिया जाता। कोआपरेटिव सोसाइटी का जिन्हें लाभ मिलता है वह आदिवासी नहीं हैं, नाम मात्र के आदिवासी हैं। आदिवासियों को उसका लाभ नहीं मिलता है, लाभ और लोग लेते हैं, ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं।

उदाहरण के लिए इंजीनियर हैं। जो

(श्री मेघराज तावड़)

इरिगेशन का दया बंध बना हुआ है उसके इंजीनियर महोदय ने एक आदिवासी के नाम से बैंक से लोन लिया और माइन्स डिपार्टमेंट से वहां लीज ग्रांट करवा ली। पूरे का पूरा पैसा आदिवासी के नाम निकाल दिया और इंजीनियर अपने और किसी के नाम से माइन को चला रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे आदमियों को पकड़कर आदिवासियों के साथ होने वाले अत्याचार को रोका जाय। खनिज विभाग द्वारा जहां पट्टे दिये जाते हैं चाहे वह रिखबदेवर्जा में हो चाहे मार्बल के राजनगर में हो, आदिवासियों ने जितने भी पट्टों के लिए अप्लाई किया, मार्बल के लिए अप्लाई किया या सोफटस्टोन के लिए अप्लाई किया, उनको वह जमीन अलाट नहीं होती, आदिवासियों को खनन के पट्टे नहीं मिलते हैं। इस ओर मंत्री और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आदिवासियों के लिए भी प्लाट्स रिजर्व रखे जायें ताकि वे भी इसमें आयें और धंधा कर सकें। पहाड़ी इलाके में खास तौर से कोटडा में कैल्साइट वगैरह है। गोगुन्दा, जालौर में बिलकुल जंगल है और कोई धंधा नहीं है। वहां धंधे पनपाये जाने चाहिये। बीड़ी उद्योग उस इलाके में खोला जाना चाहिए ताकि आदिवासियों का विकास हो, उनके डवलपमेंट के लिए कुछ हो सके, उनको धंधा मिल सके।

अब माइन्स के बारे में झामर कोटड़ा की बात एक मिनट में कहकर खतम करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आदिवासियों की समस्या पर हमदर्दी से गौर करेंगे। बैठ जाइये।

श्री मेघराज तावड़ : झामर कोटड़ा आर० एस० एम० एम० के पास में है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय, जिस दिन प्रश्न था आप आये नहीं हमारे पास बहुत मैटर है, 14 करोड़ रुपये का घपला हुआ है। राज्य सरकार के पास मशीनें हैं आर० एस० एम० एम० के पास मशीनें हैं काम करने के लिए उसके बावजूद प्राइवेट कंपनीज को ठेका देकर राज्य को घाटा दिया, करोड़ों रुपये का घाटा दिया है। वहां अधिकारी अनक्वा-लीफाइड होते हुए भी पोस्ट्स पर बैठे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं तो पूरी बात नहीं कह पाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बात कह दें। उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा।

श्री मेघराज तावड़ : मैं चाहूंगा आर० एस० एम० एम० ने मलवा हटाने के नाम पर जिस कम्पनी को ठेका दिया है, बाहर की पार्टियों को ठेका दिया है उसकी जांच करें तो आपको करोड़ों रुपये का घपला मिलेगा और घाटा जो हो रहा है वह नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। ये जो कुछ पेपर्स हैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं।

Page No 226

(५६)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी वाद विवाद का उत्तर देंगे।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग की मांग के बारे में, राजकीय उपक्रम की मांग के बारे में और खनिज विभाग की माग के सबंध में माननीय सदस्यों ने अपने मूल्यवान सुझाव यहां पर प्रस्तुत किये। मैं उनकी चिन्ता को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं। उन्होंने राजस्थान में बिजली की उपलब्धि की विशेष रूप से चर्चा की। आप और हम सब लोग जानते है कि पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में औद्योगिक प्रगति का वातावरण बना। एक वक्त था जब कि राजस्थान में इने गिने उद्योग ही काम करते थे। औद्योगिक दृष्टि से हमारे देश का सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश राजस्थान माना जाता था, लेकिन आज हमारे पास उद्योगों को लगाने का बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर है। जो बिजली के रूप में, रा-मैटीरियल के रूप में एक्सप्लाइटेशन के रूप में और जो दूसरे इनपुट्स के रूप में हमारे सामने प्रश्न आता है उन सबकी कमी थी। लेकिन हमारे देश में योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री, पण्डित जवाहरलाल जी नेहरू ने प्रारम्भ की थी। देश में एक बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर निर्मित औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। उस नीति की यहां पर कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। ऐसा मानता हूं कि हमारी घोषित औद्योगिक नीति की कई बार परीक्षा हो चुकी है। सारे हिन्दुस्तान में आज के हालात में वह एक सफल नीति घोषित मूलतः कही जा सकती है। हमने इस बात को स्वीकार किया है कि जो हमारे देश में मौलिक उद्योग नीति है उससे उद्योगों को बढ़ने में सहायता मिलती है। हमने पब्लिक सैक्टर में उद्योग लगाये ताकि देश की इकानामी में एक कमाण्डिग हाइट प्राप्त कर सकें। उसके बाद में कुछ दूसरे उद्योग लगाये उसमें पब्लिक सैक्टर को भी स्वीकार किया। उसके बाद जोइंट सैक्टर को भी स्वीकार करने वाली बात हमारे सामने प्रस्तुत हुई। तीसरे, प्राइवेट सैक्टर को साथ लेकर हमने देश का औद्योगिक विकास किया है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि बड़े बड़े उद्योगों को लगाने के बजाय छोटे छोटे उद्योगों को लगाने में जोर देना चाहिये।

(7.42 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं उनकी बात को मानता हूं और उनकी बात से सहमत भी हूं। एम्प्लायमेंट पोटेंशियलिटी, रोजगार देने की क्षमता बढ़ने की बड़ी सम्भावना छोटे कुटीर उद्योगों में और मध्यम दर्जे के उद्योग में है। बड़े उद्योग में सोफस्टीकेटेड मशीनें होती हैं और सोफस्टीकेटेड टेक्नोलोजी होती है। यह बात सही है कि बड़े उद्योग अगर नहीं होंगे तो मध्यम और छोटे उद्योग इकनामी के आधार नहीं बन सकते हैं। यदि हमारे देश में भिलाई का इस्पात का कारखाना नहीं होता, राउरकेला और दुर्गापुर का इस्पात का कारखाना नहीं होता तो मैं समझता हूं कि रांची की बड़ी मशीनें बनाने का कारखाना

(श्री शिवचरण माथुर)

नहीं होता और जो स्थिति आज हमारे देश में उद्योगों की बनी है वह सम्भवतः नहीं बन पाती। एक वक्त था जबकि सूई भी हमारे देश में बाहर से मंगाई जाती थी। लेकिन आज यह हकीत कहै कि बहुत से देशों को हमारे यहां से बड़ी-बड़ी मशीनें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। औद्योगिक दुनियां में हमारा स्थान बन चुका है। यह बड़े उद्योग और मौलिक इन्डस्ट्री के कारण ही सम्भव हो सका है। मैं यह मानता हूं कि बड़े उद्योगों के साथ में छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों का आधार बनता है। यही नीति हमारी भारत सरकार की है। हमने छोटे उद्योगों के साथ-साथ बड़े उद्योग लगायें और दूसरे सेक्टर में भी उद्योग लगाये, हमारे यहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप हो इसकी कोशिश भी की। एक मौलिक आधार बने इण्डस्ट्री का और उसके साथ में इन्डस्ट्रीज लगायें, यह चेष्टा की गयी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खास तौर पर पिछले तीन-चार सालों को औद्योगिक प्रगति का लैण्ड मार्क माना जा सकता है। ऐतिहासिक उपलब्धियां पिछले तीन चार सालों में हुई हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि अब राजस्थान ने औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति में एक और स्टेज प्राप्त कर ली है। प्रारम्भ में ऐसी स्थिति प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है जिस स्थिति के बन जाने से जो पोजीशन बनती है उससे आने वाले समय में काफी सहूलियतें हो जाती हैं और अपने आप विकास हो जाता है। राजस्थान चाहे आज भी बिजली की दृष्टि से, चाहे औद्योगिक दृष्टि से दूसरे प्रदेशों में पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाय, लेकिन मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जो नेचरल सम्पदा हमारे राजस्थान में है, रिसोर्सेज हमारे राजस्थान में हैं, उद्योग लगाने की क्षमता के आधार हैं। राजस्थान में उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर बन चुका है उसको देखते हुए आगे आने वाले वर्षों में उद्योगों की सम्भावनायें बढ़ी हैं। उसमें प्रगति होने की सारी सम्भावनायें हैं। माननीय सदस्यों ने बिजली के सम्बन्ध में जो चिन्ता व्यक्त की उससे मैं अपने आपको जोड़ता हूं। आज सबसे बड़ा इम्पुट है वह इम्पुट है बिजली का इम्पुट। आपको मालूम है कि राजस्थान में बिजली पैदा करने की क्षमता कुल 1138 मेगावाट की है उसमें चम्बल काम्पलेक्स की बिजली और भाखरा काम्पलेक्स की बिजली है। इसके अलावा जो हमारे यहां का सबसे बड़ा स्रोत बिजली का है वह है राजस्थान का अणु बिजली घर जिसकी दो यूनिट राणा प्रताप सागर में काम करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दोनों यूनिट जबसे लगे हैं सन्तोषजनक रूप से राजस्थान में बिजली नहीं दे रहे हैं। राजस्थान अणु बिजली घर की कुल मिला कर जो बिजली जेनरेट करने की कैपेसिटी है वह है 45 प्रतिशत तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जो बिजली की क्षमता है वह उद्योगों की क्षमता के बड़ी प्रतिकूल है। उसके साथ ही अगर 400–450 मेगावाट या 440 मेगावाट बिजली का एक दम से गैप हो जाये तो उसका प्रभाव हमारी खेती पर और उद्योगों पर कितना पड़ सकता है इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान

(श्री शिवचरण माथुर)

में अकेले खेती के लिये हमें 850 मेगावाट बिजली देनी पड़ती है। हमारी कुल क्षमता 1138 मेगावाट के जनरेशन की है जिसमें से 440 मेगावाट बिजली आर. ए. पी. पी. के दो यूनिट पैदा करते हैं। यह बात भी सही है जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा औद्योगिक प्रगति का खयाल रखना भी जरूरी है पर हमारे यहां पर सबसे पहला खयाल काश्तकारों को खेती के लिये बिजली देने का रखा जाता है। जो भी बिजली उपलब्ध है उसका 80 प्रतिशत हिस्सा खेती के लिये देना पड़ता है। इस कारण उद्योगों को दी जाने वाली बिजली में कटौती करनी पड़ी है। पिछले कई महीनों तक हमारे यहां बिजली की कमी रही है, अध्यक्ष महोदय, महोदय, इस कारण नॉन प्रायोरिटी सैक्टर की इन्डस्ट्री में हमें 100 फीसदी कट करना पड़ा। सीमेन्ट उद्योग है जिसके लिये भारत सरकार लगातार कहती है कि सीमेंट का यदि उत्पादन हमारे देश में नहीं होगा तो बहुत से उद्योगों का लगना बन्द हो जायेगा, कंसट्रक्शंस बन्द हो जायेंगे। बार-बार हमें भारत सरकार यह कहती है कि सीमेन्ट इन्डस्ट्री को बिजली हमें देनी है किन्तु हम उनको बिजली नहीं दे पाते हैं, और हमें मजबूर होकर उसमें 70 फीसदी कट लगाना पड़ता है और कभी-कभी तो हमें सौ फीसदी कट भी लगाना पड़ जाता है। स्माल-स्केल इन्डस्ट्रीज के लिये हमारी मंशा यह रही है कि उनको दी जाने वाली बिजली में हमें कट नहीं करना है। 8-10 घन्टे पावर देने की हम बात करते हैं। मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर सैक्टर को बिजली की कमी से बचाने के लिये, जैसा मैंने आपसे कहा, प्रायोरिटी किसानों को खेती के लिये देने की रहती है। मैं यह मानता हूं कि जितनी बिजली की उपलब्धि है उससे किसी को भी सन्तोष नहीं है। इसलिये सबसे पहले मैंने माननीय सदस्यों को यह कहा, बिजली की उपलब्धि के लिये क्रैस प्रोग्राम राजस्थान में बनाये जावें। मैं आपकी जानकारी के लिये यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार बिजली की कमी से चिन्तित है और बहुत कम समय में अपने स्रोतों के आधार पर राजस्थान में बिजली पैदा करने की क्षमता पैदा करेगी। मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि हमने दृढ़ता के साथ और मजबूती के साथ निश्चय किया है कि राजस्थान में बिजली के स्रोत पैदा करने की सम्भावनाओं का पता लगायें। सबसे बड़ी सम्भावना जो बिजली उत्पादन की राजस्थान में है वह लिगनाइट के आधार पर बिजली पैदा करने की है। बाड़मेर जिले में कपूरड़ी में और मेड़ता के पास में लिगनाइट के आधार पर बिजली बनाने की क्षमता अच्छी है। इसके अलावा पलाना, जो बीकानेर के पास में एक पुराना भण्डार है, उसका दोहन करके वहां पर पावर हाउस लगाने की बात आगे बढ़ चुकी है और करीब डी. सी. आर. से उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मिल चुकी है। मैं समझता हूं, 60–60 मेगावाट के दो प्लान्ट, 120 मेगावाट की क्षमता के लग जायेंगे। मेड़ता और कपूरड़ी के पास में भन्डार लिगनाइट के हैं वहां जो लिगनाइट है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 400-500 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। यदि मिनरल सोर्सेज का एक्सप्लाइटेशन करें तो वहां एक हजार मेगावाट का काम्पलेक्स तक बन

(श्री शिवचरण माथुर)

सकता है। यह कहना तो ग्रासान है, लेकिन एक हजार मेगावाट बिजली पैदा करने के लिये हमें 900 से 1000 करोड़ रुपये चाहिये।

मैं मानता हूं कि राजस्थान के जो ग्राज वित्तीय साधन हैं उनको देखते हुए हम कितना धन उपलब्ध कर सकते हैं यह सोचने का सवाल है लेकिन फिर भी हमें इस दिशा में काम करना है। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि इस वर्ष का जो बजट पेश किया गया उसमें जो प्लान का कम्पोनेन्ट था हमारा 340 करोड़ रुपये का, उस प्लान के कम्पोनेन्ट में जो ग्राज की कीमत है उससे हमने जो पिछली साल ग्रचीव किया था उसका 80 पर्सेन्ट ग्रचीव करने की स्थिति ग्राज बनती है। इतनी कठिन स्थिति होते हुए भी हमने लिगनाइट के लिए के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान इसलिए रखा कि हम इसको पहली प्राथमिकता देना चाहते हैं, चाहे दूसरे सैक्टर में हमें स्टार्व करना पड़े। हम यह मानते हैं राजस्थान में ग्राज 400 मेगावाट का बहुत बड़ा गैप है ग्रर्लियेस्ट ग्रपार्चुनिटी पर उसको पूरा नहीं करेंगे, तो राजस्थान का सारा भविष्य खतरे में पड़ जायेगा। मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता में ग्रपने ग्रापको जोड़ता हुग्रा कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का यह मत है ग्रौर यह विश्वास है कि हम ग्रपने रिसोर्सेज को बढ़ाने की चेष्टा में सफल होंगे।

कोटा का हमारा थर्मल पावर प्लान्ट, जो कि दो स्टेज में बनने वाला है जिसकी ग्रल्टीमेट क्षमता करीब 660 मेगावाट होगी, के कमीशन के शिड्यूल को हम एडवान्स करना चाहते हैं। पहले मई में उसकी पहली यूनिट ग्राने वाली थी। हमने हमारे इन्जीनियर्स से कहा कि उसको ग्रौर एडवान्स करो क्योंकि वही हमारा पूरी तरह से ग्राधार बनने वाला है। 110 मेगावाट का पहली यूनिट सम्भवतः ग्रप्रैल या मई के महीने में राजस्थान को मिल जायेगी। मैं समझता हूं कि थोड़ी समस्या हमारी हल होने वाली है। उसके साथ ही दूसरी यूनिट है, हमारी 110 मेगावाट की वह भी दिसम्बर तक या एक दो महीने ग्रागे, 1983 के साल में हमें मिलने की सम्भावना है। मैं समझता हूं कि इसके लगने के बाद में सम्भवतः कुछ हमारी समस्या का हल निकले।

हमने यह भी कोशिश की है, भारत सरकार से भी निवेदन किया कि इतना बड़ा गैप जब राजस्थान के ग्रन्दर बिजली का हो जाता है तो इतने बड़े गैप की राजस्थान ग्रपने साधनों से पता नहीं कितने दिनों में पूर्ति कर सके इसलिए जितने भी नेशनल रिसोर्सेज हैं पावर के, उनमें से राजस्थान को बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात इस सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि हम बिजली बाहर से लाने की कल्पना तो करना चाहते हैं, लेकिन यह भी हिसाब लगावें कि बाहर से हम बिजली किस भाव से लेते हैं। उसका ग्रन्दाजा मैं ग्रापको बताना चाहता हूं। हमको ग्राज दूसरे स्टेट्स से बिजली मिलती है, जो कि उनके पास कभी-कभी सरप्लस पावर होती हैं, हमेशा सरप्लस पावर उनके पास नहीं होती है। इन दिनों यू०पी० में ग्रच्छी

(श्री शिवचरण माथुर)

बारिश हो गयी तो थोड़ी सरप्लस पावर उनके पास अवेलेबल है। सरप्लस पावर वह देने की स्थिति में है। वह दे भी दे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह बिजली हमको कितनी मेगावाट मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 38 पैसा पर यूनिट के हिसाब से आज हमको पड़ोसी राज्यों से बिजली लेने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। हमारी यह चिन्ता है कि किसी प्रकार से हमारे कारखाने चलते रहें।

आज कई माननीय सदस्यों ने बिजली की दर को बढ़ाने की आलोचना यहां पर की। मैं आपको बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि परिस्थितियों को आप स्वयं देखें। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में जो हमारा रिवाइज्ड टेरिफ बिजली का है उसके बाद भी इन्डस्ट्री की बात भी बता रहा हूं, खेती की बात अलग फोरम से कही गयी है, लेकिन मैं खास तौर से इन्डस्ट्री का जो टेरिफ है उसका कम्पेरेटिव आइडिया आपको देना चाहता हूं। राजस्थान का जो बिजली का रिवाइज्ड टेरिफ है जिसको हमने 6 मार्च से लगाने वाली बात सोची है उसमें स्माल स्केल इन्डस्ट्री पर कुल मिलाकर, ड्यूटी लगाकर 40 पैसा प्रति यूनिट की रेट लगायी है, मीडियम इन्डस्ट्री की कुल मिलाकर 47 पैसा और बड़ी इन्डस्ट्री की 47.50 पैसा हमने लगाने वाली बात सोची है। इसके मुकाबले में आज महाराष्ट्र में छोटी इन्डस्ट्री पर 45.25 पैसा प्रति यूनिट टेरिफ है और मीडियम इन्डस्ट्रीज पर ड्यूटी मिलाकर 55.25 पैसा प्रति यूनिट टेरिफ आता है, जबकि हमारा 43 पैसा प्रति यूनिट टेरिफ रिवाइज्ड रेट से लगाया गया है। हरियाणा में टेरिफ 39.50 प्रति यूनिट आता है और मध्य प्रदेश में आप देखें तो मध्य प्रदेश में यह टेरिफ 44 पैसा और 48 पैसा प्रति यूनिट अर्बन एरियाज में 48 पैसा प्रति यूनिट है और रूरल सरियाज में 44 पैसा प्रति यूनिट है। उसके मुकाबले में हमारा 40 पैसा प्रति यूनिट टेरिफ है। मैंने कम्पेरेटिव आइडिया इस बात का दिया कि आज दूसरी स्टेट्स में जो पावर टेरिफ हैं उसमें से कई स्टेट्स से हमारे रिवाइज्ड टेरिफ के बाद भी कम है। सही बात यह है कि आज बढ़ी हुई रेट के हिसाब से उद्योगों को पूरी बिजली मिल जाती है तो रेट के बढ़ने से कोई उद्योग नुकसान में रहने वाला नहीं है। मुझे तो कई बड़े उद्योगों ने यह बात कही कि आप हमारे ऊपर डुअल सिस्टम लागू कर दीजिए। आप चाहे 49 के बजाय 70 पैसा पर यूनिट बिजली देने की बात करें तो उसको भी हम स्वीकार करेंगे, लेकिन साल भर हमें 100 पर्सेन्ट बिजली मिल जाये। मैं समझता हूं कि इससे उद्योग घाटे में नहीं जायेंगे। प्रश्न यह उठता है जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा जितना अधिक टेरिफ लगाना चाहिए वह बड़े उद्योगों पर लगाना चाहिए। मैं आज बड़े उद्योगों पर पावर टेरिफ बढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन सवाल यह है कि आज हमारे पास अगर अधिक पावर अवेलेबल है तो जो कई करोड़ रुपये का घाटा है उसको हम पूरा कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि अधिक टेरिफ पर भी लेने के लिए तैयार हो जायेंगे, क्योंकि उनका जो अपना जनरेशन है, वह करीब करीब 1 रुपया 40 पैसे प्रति

(श्री शिवचरण माथुर)

यूनिट पड़ता है उसके मुकाबले में 70 पैसा या 75 पैसा पर यूनिट बिजली मिल जाती है तो उनके लिये चिन्ता की बात नहीं होगी। उनके उद्योग भी चल सकेंगे और हमारा घाटा भी पूरा हो सकेगा। लेकिन कठिनाई की बात यह है कि आज राजस्थान में बिजली की आम तौर से जो स्थिति है उसको देखते हुए हम क्या करें, यह समझ में नहीं आता है।

अगर उद्योगों पर थोड़ा टेरिफ बढ़ाया जाता है तो माननीय सदस्य उद्योगों पर कम करने वाली बात कहते हैं। खेती पर बढ़ाने वाली बात की जाती है तो उसको भी कम करने वाली बात कही जाती है। मैं स्वयं भी जानता हूं कि जब भी कर भार बढ़ता है तो लोगों को कठिनाई होती है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह देखना पड़ेगा कि सारे के सारे कन्सेशन आप उद्योगों को दीजिए और बिजली मत दीजिए तो मैं समझता हूं कि सारे कन्सेशन एक तरफ रखे रह जायेंगे। बिजली आप नहीं दें तो एक प्रकार से सारे कन्सेशन्स सेट-आफ कर देंगे इसलिए अगर थोड़ी रेट बढ़ती है और उसके साथ में यदि बिजली की पूरी उपलब्धि राजस्थान के उद्योगों की हो जाती है तो मेरे ख्याल से बढ़ी हुई रेट उनको भारी पड़ने वाली नहीं है, यह मेरा विश्वास है। हमारी सबसे बड़ी चिन्ता यह है, अध्यक्ष महोदय, बिजली की उपलब्धि राजस्थान में हो। इसके लिए मैंने अभी भी दिल्ली में कई प्रदेशों के मुख्य मंत्रीजी से भी चर्चा की। मैंने पंजाब के मुख्य मंत्री से कहा कि आपके पास सरप्लस पावर है तो हमको दीजिए। हिमाचल प्रदेश की योजनाओं से बिजली लेने की बात करना चाहते हैं। यदि बढ़ी हुई रेट पर भी हमको बिजली मिले तो हम बढ़ी हुई रेट पर यहां बेचने की स्थिति में हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि काफी वर्ष पहले मैसूर से खरीदी हुई टरबाइन आई थी और वह कोटा में लगी हुई थीं। उसकी प्रोडक्शन कास्ट काफी महंगी थी, लेकिन उद्योग उस समय में बढ़ी हुई रेट पर भी बिजली लेने को तैयार थे। इसलिए आज सवाल यह नहीं है कि रेट कम हो, टेरिफ कम हो, सवाल यह है कि बिजली की उपलब्धि कैसे हो। मैं यह मानता हूं कि हम सब की चिन्ता और राजस्थान सरकार की चिन्ता यह है कि हम जल्दी से जल्दी अरलियेस्ट पासिबल टाइम में राजस्थान में बिजली उपलब्ध करें, क्योंकि औद्योगीकरण का जो एक अच्छा एटमास्फीयर बन चुका है, जो पूरा वातावरण राजस्थान में औद्योगीकरण के लिए उपलब्ध है। मैं जहां माननीय सदस्यों से यह बात कह रहा हूं वहां एक अच्छा फीचर यह भी है, बिजली की अधिक बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारी बेसिक बातें बिजली पर निर्भर हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1982-83 में हमारा जो प्रोजेक्शन है बिजली मिलने का तो सिंगरोली का जो थर्मल पावर प्लान्ट है उससे हमें शायद 30 मेगावाट बिजली मिल सकती है। कोटा की जो पहली और दूसरी यूनिट है जो फर्स्ट फेज की यूनिट है वह इस

232

(श्री शिवचरण माथुर)

वित्तीय वर्ष के अन्त तक, मार्च, 1983 तक हमें करीब 220 मेगावाट बिजली देने लगेगी। कुल मिलाकर इस साल 240 मेगावाट बिजली मिलने की सम्भावना है। मैं यह मानता हूं कि अगर 50 पर्सेन्ट प्लान्ट लोड फैक्टर पर भी चलें तो भी हमको 240 मेगावाट में से 120 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो सकेगी। यह स्थिति आगे बढ़ती जायेगी। 1983-84 में सिंगरोली से हमको 71 मेगावाट बिजली मिलेगी। कोटा की जो दूसरी यूनिट है जो कि सैकण्ड यूनिट का पहला स्टेज कहलायेगी उससे 220 मेगावाट, पोंग की पांच यूनिट हैं, वहां छठी यूनिट लगने वाली है उसकी जो पांचवीं यूनिट है उससे राजस्थान के हिस्से के मुताबिक 35 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि 1982-83 में में राजस्थान को 326 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। यदि इसका आधा भी मान लिया जाय तो 113-11 मेगावाट के करीब बिजली हमको उपलब्ध होने वाली है। इसी प्रकार 1984-85 में भी सिंगरोली के सुपर पावर प्रोजेक्ट से 88 मेगावाट, माही, जो हमारा अपना खुद का है, 25 मेगावाट, पोंग की छठी यूनिट से 35 मेगावाट बिजली हमको उपलब्ध होने की आशा है। तो कुल मिलाकर 148 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। 1985-86 से सिंगरोली से 88 मेगावाट, माही से 115 मेगावाट बिजली हमको मिलने की सम्भावना है। इस तरह करीब 203 मेगावाट, 85-86 तक हमको वहां से मिलेगी। इसका सारा जोड़ लगाने के बाद में 917 मेगावाट बिजली इन सोर्सेज से मिलने की सम्भावना है। मैंने जैसा कहा, इसकी आधी भी यदि मानें तो 450-500 मेगावाट बिजली हमको उपलब्ध हो जायेगी।

इसके साथ साथ हम दूसरे प्रदेशों से भी बिजली लेने की कोशिश कर रहे हैं। जहां आज बिजली की कठिनाई नजर आती है वहां मैं निराशावादी नहीं हूं. आगे आने वाले समय में बिजली की उपलब्धि राजस्थान को होगी। यह बात उद्योग लगाने वाले भी जानते हैं। यदि उद्योग लगाने वाले यह बात नहीं जानते होते तो मैं आपको बताऊं पिछले साल के मुकाबले इस साल 26 नये उद्योगों, जिनमें बड़ी और मीडियम इन्डस्ट्रीज हैं, के लाइसेन्स नहीं लिये जाते। पिछले साल में 16 को लाइसेन्स मिले थे और इस साल 26 को मिले हैं जिसमें लार्ज और मीडियम स्केल इन्डस्ट्रीज भी शामिल हैं। राजस्थान में जैसा मैंने आपसे कहा, बड़े, मझले और छोटे उद्योगों की अच्छी सम्भावनायें हैं। मैं ऐसा मानता हूं, सबसे अधिक सम्भावना राजस्थान में आज सीमेन्ट उद्योग के लगने की है। आज हमारे पास सबसे बड़ा सीमेन्ट का बैल्ट है कोटा, चित्तौड़ और कुछ आगे बढ़े तो नीमच का हमारा बैल्ट है। उसमें कम से कम 8 सीमेन्ट फैक्ट्रियां आने वाले समय में लगेंगी जिनकी क्षमता ।। और 12 लाख टन की होगी। कुल मिलाकर आने वाले चार पांच सालों के अन्दर 7 मिलियन टन से अधिक सीमेन्ट उत्पादन करने की क्षमता हो सकती है। आज ढाई मिलियन टन सीमेन्ट का उत्पादन कर रहे हैं उससे कम से कम तिगुनी क्षमता हमारे राजस्थान की हो जायेगी। जब इतनी क्षमता राजस्थॉन में बढ़ती है तो इसका कितना इम्पेक्ट राजस्थान के औद्योगीकरण पर पड़ने वाला

(श्री शिवचरण माथुर)

हैं, उस पर असर पड़ने वाला है, इसका आप अन्दाजा लगा सगा सकते हैं।

इसके साथ मुझे यह कहने में भी प्रसन्नता है कि राजस्थान में कुछ और प्रेस्टीजियस इन्डस्ट्रीज भी आ रही हैं। भारत सरकार ने करीब करीब फैसला कर लिया है कि बम्बई हाई की गैस पर आधारित एक फर्टीलाइजर फैक्ट्री, जिसमें करीब 300 करोड़ की राशि लगेगी, राजस्थान में कहीं लगने वाली है। साइट का अभी तक हमने तय नहीं किया है लेकिन यह जरूर निश्चित हो गया है कि राजस्थान में बम्बई हाई गैस पर आधारित फर्टीलाइजर फैक्ट्री लगने वाली है। इसी तरह राक फास्फेट पर ड्राई एल्युमिनियम सल्फेट बनाने की एक फैक्ट्री कहीं पर लगाने का प्रस्ताव भी भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। तीसरी जो फर्टीलाइजर फैक्ट्री राजस्थान में लगने वाली है वह सीकर के पास सलादीपुरा में पाइराइट पर आधारित लगेगी। ये तीनों फर्टीलाइजर की फैक्ट्रियां लगने के बाद में जो ग्रीन रिवोल्यूशन होगा उसमें एक बहुत बड़ी फतह राजस्थान में होने वाली है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के औद्योगीकरण में यह बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण लैण्डमार्क होगा।

इसी तरह से माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा, राजस्थान मिनरल रिसोर्सेज में बहुत धनी है। सौभाग्य से भीलवाड़ा में आगूचा के पास में एक बड़ा जिन्क और सिल्वर का भण्डार मिला है जिसके आधार पर एक बहुत बड़ी कैपेसिटी का सुपर जिन्क स्मेल्टर प्लान्ट लग सकता है। इसमें करीब 300-400 करोड़ की धनराशि लगेगी।

यह तो मैंने केवल प्लान्ट की बात बताई है। इसके साथ ही मिनरल की साइड में भी एक्सपेंशन होगा और एम्पलायमेंट का पोटेन्शियल भी डवलप होगा। उसके आधार पर कई इन्डस्ट्रीज लगाने की बात सामने आयेगी। आपको मालूम है राजस्थान में कई उद्योग अपने आप डवलप हो रहे हैं। हमारे देवारी औद्योगिक क्षेत्र, जो कि दिल्ली से मिला हुआ है और हरियाणा से भी मिला हुआ है, में अपने आप उद्योग लग रहे हैं और काफी उद्योग लगे हैं। अलवर में भी बहुत सी इन्डस्ट्रीज एक साथ लग रही हैं। एक बहुत बड़ा ले-लैण्ड कारखाना, जिसकी स्वीकृति शायद दो-तीन साल पहले दी गई थी, मुझे खुशी है, आज कमीशन होने की स्टेज पर है, चालू होने की स्टेज पर वह कारखाना आ चुका है। उसके आधार पर लगने वाली एन्सीलियरी इन्डस्ट्रीज भी होंगी। उसमें कम से कम 10 हजार से लेकर 25 हजार तक लोगों को रोजगार मिलेगा।

इसके साथ जितने इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स और बने हैं राजस्थान में रीको के माध्यम से उसके विकास में निरन्तर गति आ रही है। अलग अलग तौर से छोटे और बड़े उद्योग के लैटर आफ इन्टेन्ट की बात आ रही है, लाइसेन्स मिल रहे हैं और राजस्थान के खनिज पर आधारित कई उद्योग लगने की बात आ रही है।

मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के औद्योगीकरण

(श्री शिवचरण माथुर)

के संदर्भ में कई माननीय सदस्यों ने राजस्थान फाइनेंसियल कार्पोरेशन की चर्चा की है। उसके काम में बड़ी कमियां भी निकालने की कोशिश की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं चाहे हमारे पास में कितने ही सीमित साधन हों लेकिन हमारी कुछ अन्डरटेकिंग्स और एन्टरप्राइजेज ने काफी अच्छा काम किया है। मैं मानता हूं राजस्थान फइनेंसियल कार्पोरेशन उन आर्गेनाइजेशन्स में से एक है जो कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे देश में पहले नम्बर की स्थिति प्राप्त कर चुका है। मैं कुछ आंकड़े आपको बताना उचित समझता हूं। राजस्थान फाइनेंसियल कार्पोरेशन ने जो टर्म लोन सैंक्शन किये हैं उसमें प्रगति के आंकड़े आप देखने की चेष्टा कीजिये, 1978-79 में कुल मिलाकर 1053 यूनिट्स को 14 करोड़ 32 लाख सैंक्शन किया है वह बढ़कर 1980-81 में 2937 उद्योगों को 37.39 करोड़ हो गया, और वही बढ़कर सन् 1981-82 में 3640 यूनिट्स को 45.65 करोड़ हो गया इसका मतलब हुआ, 1978-79 का श्री टाइम्स लोन राजस्थान फाइनेंसियल कार्पोरेशन ने सैंक्शन किया। यह तो सैंक्शन की स्थिति है। जो सैंक्शन पैसा था उसमें से जो एक्चुअल बांटा गया उसकी स्थिति भी बताना चाहता हूं। 1978-79 में 7.97 करोड़ रुपया बांटा गया 14 करोड़ 32 लाख की सैंक्शन के अगेन्स्ट में। 45.65 करोड़ के अगेन्स्ट में 1981-82 में 26.96 करोड़ रुपया बांटा गया जो 1978-79 के डिस्बर्स्ड अमाउन्ट से साढ़े तीन गुना अधिक है।

इसी प्रकार सब्सिडी का जो कम्पोनेन्ट है, उसमें 1.35 करोड़ 1978-79 में था वह 4.21 करोड़ 1981-82 में हो गया जो कि साढ़े तीन गुना है। उसके डिस्बर्समेंट की पोजीशन भी 1 करोड़ के मुकाबले में 4.11 करोड़ हो गई जो करीबन चार गुना कही जा सकती है। इसी तरह राजस्थान फाइनेंसियल कार्पोरेशन में जो सीड केपिटल थी वह 1980-81 में 13 यूनिट्स को कुल मिलाकर 6 लाख थी वह 9 उद्योगों को 1981-82 में बढ़कर 35 लाख रुपये हो गई।

जनरेटिंग सेट्स को सन् 1980 81 में 73 यूनिट्स को 1 करोड़ 61 लाख दिये गये थे उसके मुकाबले में 56 उद्योगों को फरवरी तक डिस्बर्समेंट हुआ वह 43 लाख रुपया हुआ। मार्च के महीने में जो पिछले साल का टार्गेट था उससे अधिक बढ़ जाने की, मैं समझता हूं सम्भावना अपने सामने दिखती है। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट लोन दिया गया और छोटे उद्योग, जो एनसीलियरी इन्डस्ट्रीज हैं, को भी बहुत बड़े पैमाने पर लोन देने की बात की है। छोटे उद्योगों को राजस्थान फाइनेंसियल कार्पोरेशन के माध्यम से जो लोन दिया गया उसकी चर्चा यहां खास तौर से करना चाहता हूं। सन् 1978-79 में 201 यूनिट्स को 28.92 लाख रुपये दिये गये थे। सन् 1981-82 में 1210 यूनिट्स को 201.15 लाख यानि करीब करीब 8 या 9 गुना अधिक लोन बांटने वाली बात सामने आई है। इसी प्रकार शिड्यूल्ड कास्ट्स को खास तौर से जो लोन दिया गया वह 1978-79 में 9 यूनिट्स को 5.81 लाख के बजाय 1981-82 में 379 यूनिट्स

(श्री शिवचरण माथुर)

को 368.21 लाख दिया गया है। याने 3 करोड़ 58 लाख के करीब लोन दिया गया तो मैं समझता हूं 60 गुना अधिक उसके मुकाबले में है।

इसी प्रकार से शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है। जो 1980-81 में कुल मिलाकर 9-90 लाख था वह 43.04 लाख हो गया जो करीब साढ़े चार गुना है। जो हमारे वीकर सेक्शन्स हैं, उनको भी काफी लोन आर. एफ. सी. ने बांटा है। इसके साथ साथ लार्ज और मीडियम स्केल इण्डस्ट्रीज को भी काफी लोन बांटने की कोशिश की है। आर. एफ. सी. का आल इण्डिया बेसिस पर जो रैंकिंग है, उसके कुछ आपको फिगर्स देना चाहता हूं। पिछले साल 1980-81 में आर. एफ. सी. सेंक्शन की दृष्टि से सारे हिन्दुस्तान में चौथे स्थान पर था, इस साल 1981-82 में जो सितम्बर, 1981 में रैंकिंग हुआ है, उसके अनुसार आर. एफ. सी. सारे हिन्दुस्तान में पहले स्थान पर आ गया है। डिस्बर्समेन्ट की दृष्टि से राजस्थान पिछले वर्ष चौथे स्थान पर था, वहां आज सारे देश में दूसरे स्थान पर है। गुजरात हमारे थोड़ा ज्यादा होने की वजह से पहले स्थान पर है लेकिन हम चौथे से दूसरे स्थान पर आये हैं। मैं समझता हूं यह महत्वपूर्ण उपलब्धि आर. एफ सी. की हो सकती है। और भी बहुत से आंकड़े आर. एफ. सी. के दिये जा सकते हैं लेकिन मैं आपका समय नहीं लेना चाहूंगा। एक मोटी सी बात आपको और इस कार्पोरेशन के बारे में कहना चाहूंगा। इस कार्पोरेशन की 1977-78 में ग्रास इनकम 2.25 करोड़ थी, जो बढ़कर 1980-81 में 6.51 करोड़ हो गयी। नेट प्रोफिट 1977-78 में 90 लाख थी, वह बढ़ कर 1980-81 में 2.27 करोड़ रुपये हो गया।

मैं इस बात को कहने की चेष्टा इसलिए कर रहा हूं कि आज कई तरह की आलोचनाएं कार्पोरेशन की की जाती हैं। हमारे कार्पोरेशन हैं, मैं जानता हूं, उसमें और ज्यादा एफीसिएन्सी लाने की आवश्यकता है और संतोष इसमें नहीं होना चाहिए। एफीसिएन्सी और लायी जाय लेकिन जो कुछ भी आज तक हुआ है, उस पर हमको संतोष करना चाहिए। मैं समझता हूं इस कार्पोरेशन ने लोन देकर जो क्लाइमेट बनाया है, जो वातावरण पैदा किया है, उसके जरिये से आज राजस्थान में उद्योगों के लगने के लिए एक बहुत अच्छा क्लाइमेट, एटमासफियर बन गया है।

इसी प्रकार से हमारा जो रीको का दूसरा एक आर्गेनाइजेशन है, उसके भी मैं आंकड़े बताना चाहता हूं। मैं आपको आंकड़े इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जहां पर एन्टरप्राइजेज घाटे में चल रहे हैं, वहां कुछ एन्टरप्राइजेज ऐसे भी हैं जिन्होंने उद्योगों के लिए अच्छा और अनुकूल वातावरण पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं रीको के सम्बन्ध में आपसे कहना चाहता हूं। रीको ने 1978-79 में टर्म लोन सेंक्शन किये थे, 82.60 लाख वह टर्म लोन्स बढ़कर 1981-82 में 1165 लाख हो गये, करीब करीब 12 टाइम्स हो गये। उसमें से भी जो पैसा बांटा गया, वह 1978-79 में 51.80 लाख की तुलना

(श्री शिवचरण माथुर)

में 1981-82 में 790 लाख और बढ़ गया। इक्विटी तो हमने सब्सक्राइब की उसमें से डिस्बर्समेन्ट तो 1978-79 में 86.78 लाख था वह 1981-82 में बढ़कर 416 लाख हो गया। इसलिए यह कहा जा सकता है कि रीको ने भी इस सम्बन्ध में काफी अच्छा काम किया है।

और दूसरे आंकड़े भी मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मूल तौर से मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज हमारे आर. एफ. सी. और रीको ने राजस्थान में एक इण्डस्ट्रियल क्लाइमेट बनाने की कोशिश की है और उसमें काफी सफल हुए हैं।

अब माननीय सदस्यों ने यहां पर स्टेट एन्टरप्राइजेज की चर्चा की। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि स्टेट एन्टप्राइजेज को घाटे में नहीं चलना चाहिए। इस फाइनेंशियल ईयर में हमने खास तौर से हमारे स्टेट एन्टरप्राइजेज को मोनीटरिंग करके कहा है उनको ब्रेक ईवन स्टेज पर आना पड़ेगा और ब्रेक ईवन स्टेज पर नहीं आते हैं तो क्रैश प्रोग्राम लेकर कार्यवाही करनी पड़ेगी। मुझे कहते हुए खुशी है, मैं नहीं कहता कि कोई हमारे एन्टरप्राइजेज प्रोफिट में आ गये हैं लेकिन जो खास खास 2–3 उद्योग हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारा जो डीडवाना साल्ट का उद्योग है, उसको 78–79 में 44 लाख रुपये का प्रोफिट हुआ था।

(व्यवधान)

सुनिये। जो भी हो!

लेकिन इस साल साल्ट की कीमत एकदम क्रैश हो जाने के कारण उसमें प्रोफिट में कमी आयी है।

एक माननीय सदस्य : फलोदी भाग वालों का क्या हुआ?

श्री शिव चरण माथुर : इसी तरह से हमारा एक दूसरा उद्योग धौलपुर में स्थित है, हाइटेक ग्लास फैक्ट्री वह हमेशा से क्रानिकली बीमार उद्योग के रूप में बना रहता था। हम हमेशा चिन्ता किया करते थे कि कैसे इसको रिवाइव करें। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि इस साल उस उद्योग ने अपना ब्रेक ईवन पाइन्ट अचीव करके करीब करीब 90 पर्सेंट यूटीलाइजेशन कैपेसिटी प्राप्त कर ली है जो किसी वक्त में 35 पर्सेंट चल रही थी, आज वह वर्ष 81–82 में 90 पर्सेंट तक पहुंच गई है। लेकिन मेरा अंदाज है इस साल के अन्त तक के आंकड़ों के अनुसार 15 लाख का प्रोफिट हाईटैक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर के होने की संभावना है। जो 1978–79 में साढ़े सात लाख के लास में थी, जिसमें 1980–81 में 14 लाख का लास था, वह इस साल करीब 15 लाख के प्रोफिट में टर्न हो जायेगी। इस प्रकार की हमें आशा है।

इसी प्रकार से गंगानगर की शुगर फैक्ट्री है, उसमें जो शुगर की साइड है, उसमें निश्चित रूप से कुछ घाटा होता है लेकिन जो हमारा लिकर डिवीजन है, उसकी वजह से वह भी करीब 88 लाख

(श्रीशिवचरण माथुर)

रूपये का लाभ राजस्थान सरकार को देती है।

एक बात मैं आपको और प्रसन्नता की बताऊं कि हमारी टोंक की राजस्थान स्टेट टेनरीज है, आज तक वह भी एक प्रकार से बीमार इण्डस्ट्री के रूप में चली आ रही थी, आज उसने भी एक प्रकार से कार्नरटर्न किया है। मैं नहीं कहता कि वह पूरी तरह से इस साल प्रोफिट में आ जायगी। लेकिन जिस इण्डस्ट्री ने 1980–81 में 37.22 लाख का घाटा दिया था, वह आज की स्थिति में घाटा करीब 5 लाख रुपये का होता है।

श्री अध्यक्ष : इस साल जानवर ज्यादा मरने से चमड़ा सस्ता हो गया।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, इसका कारण यह नहीं है। कारण उसका यह है कि उसकी केपेसिटी जितनी थी, उसका यूटीलाइजेशन पूरा नहीं होता था। मेरा अंदाज यह है कि इस साल उसका 58 पर्सेन्ट यूटिलाइजेशन हो गया है। अगले वर्ष मेरा अंदाज है यह उद्योग निश्चित रूप से लाभ में चलने लगेगा।

मेरे पास और उद्योगों के भी आंकड़े हैं लेकिन माननीय मन्त्री महोदय को भी जबाब देना है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि उद्योगों के बारे में जो और—

एक माननीय सदस्य : रोडवेज और आर. एस. ई. बी. का नहीं दिया ?

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में आपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : विशेषकर इनका तो आ जाय, अध्यक्ष महोदय, कितना घाटा है।

श्री शिवचरण माथुर : लघु उद्योगों और विलेज इण्डस्ट्रीज के बारे में मैं आपसे कुछ और निवेदन करना चाहता हू। राजस्थान में विलेज इण्डस्ट्रीज और खादी इण्डस्ट्रीज की जो प्रगति हमको देखने को मिली है, वह भी बहुत ही अप्रत्याशित है। 1978–79 में विलेज इण्डस्ट्रीज में जो फाइनेन्स हुआ था वह 3456 यूनिट्स को 984 लाख रुपये हुआ था। 1981–82 में वह 10 हजार यूनिट्स को 3032 लाख हुआ है। जहां हम बड़े उद्योगों की बात कर रहे हैं वहां मझले, छोटे और गृह उद्योगों की बात भी करना चाहते हैं। मूल तौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जोधपुर के उद्योगों की गम्भीर स्थिति की चर्चा की है। मेरी चिन्ता है कि उन उद्योगों के बजाय बिजली के टैरिफ के बारे में सोचें, कैसे उनको बिजली दे सकते हैं, इस बात की हमको ज्यादा चिन्ता है। मैं निश्चित रूप से, आंकड़ों से भी बता सकता हूं। यदि पूरे समय बिजली मिलती है तो यह बढ़ा हुआ टैरिफ उनके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध नहीं होने वाला है हमको चिन्ता यह करनी चाहिए कि हम बिजली की उपलब्धि उनको करायें और आगे आने वाले वक्त में हम इस के लिए पूरे तौर से प्रयत्नशील रहे।

हमारे जो जिला उद्योग केन्द्र हैं उनकी मार्फत छोटे उद्योगों को एक जगह पर सब

(श्री शिवचरण माथुर)

चीजों की सुविधा मिल जानी चाहिए। उनको एक छत के नीचे सब सुविधायें देने की घोषणा की गई थी पहले वक्त में। किन्तु एक छत के नीचे अलग अलग आर्गेनाइजेशन बिठा दिए थे वे अपने अपने ढंग से काम करते थे। आर. एफ. सी. के प्रतिनिधि अपने ढंग से काम करते थे। इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि अपने ढंग से काम करते थे। जमीन दिलाने वाले अधिकारी अपने ढंग से काम करते थे। हमने उस सारे प्रोसजीर को स्ट्रीम-लाइन करके यह निश्चय किया है, इसके कुछ आदेश निकल चुके हैं, उनके अनुसार फंक्शनिंग जिला उद्योग केन्द्रों में शुरू हो गया है। हमने निश्चय किया है कि पचास हजार तक का सैंक्शन्ड लोन जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर दे दिया जाएगा। उसको ऊपर तक आने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि पचास हजार तक के छोटे-छोटे उद्योग अगर वहां पर लग जाते हैं और बड़े पैमाने पर लगते हैं तो उसका कितना लाभ उन इलाकों को होने वाला है। आप स्वयं सोच सकते हैं। कि इससे बहुत अच्छी सम्भावना राजस्थान में इण्डस्ट्रीज के डवलपमेंट की है।

हैण्डलूम के डवलपमेंट के बारे में राजस्थान आज तक बहुत पीछे रहा है। हमने कोशिश यह की है कि हम हैण्डलूम के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष में हमने पांच हजार हैण्डलूम्स लगाने की योजना हाथ में ली थी। वह योजना चालू है। इस साल हम उसको बढ़ा कर दस हजार हैण्डलूम्स में परिवर्तित करना चाहते हैं। राजस्थान में दस हजार हैण्डलूम लगें, इसके लिए एक बड़ा आर्गेनाइजेशन बनाने की दृष्टि से आज एक हैण्डलूम बोर्ड काम करता है। राजस्थान स्माल स्केल इण्डस्ट्री कार्पोरेशन कुछ हैण्डलूम लगाने वाली बात करता है। कई अलग अलग तौर पर आर्गेनाइजेशन इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमने इन सबको कोआर्डिनेट करके उसकी सारी पूंजी इकट्ठा करके, सारे उसके वेयरविदल को इकट्ठा करके निश्चय किया है कि राजस्थान में एक हैण्डलूम कार्पोरेशन की स्थापना की जाएगी जिसके जरिये जो हमारे ट्रेडीशनल काम करने वाले वीवर्स हैं, उनको एक बड़े पैमाने पर काम मिले। इसमें भारत सरकार की हमको काफी मदद मिलने वाली है। करीब पचास प्रतिशत सब्सिडी हैण्डलूम के क्षेत्र में भारत सरकार देती है। यह इस बारे में आज तक पिछड़े हुए थे लेकिन हमने निश्चय किया है और राजस्थान हैण्डलूम कार्पोरेशन बनने के बाद में इस काम को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। राजस्थान में एक एक्सपोर्ट ओरियेंटेड हैण्डलूम का कपड़ा भी बने। ऐसा कपड़ा बने जो न केवल हमारे देश में काम में आवे बल्कि जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकें। मैं मानता हूं कि उसकी सारी का सारी नो हाऊ और जानकारी आज राजस्थान में उपलब्ध है। हैण्डलूम कार्पोरेशन बनने के बाद में जहां यह कार्पोरेशन हमारे वीवर्स को हर तरह की सुविधायें देगा वहां अच्छी ट्रेनिंग देने वाली व्यवस्था भी करना चाहेगा। सारे के सारे काम को कोआर्डिनेट करके इस हैण्डलूम के काम को बढ़ाने की बात हम करना चाहते हैं।

(श्री शिवचरण माथुर)

अध्यक्ष महोदय, छोटे उद्योगों को हमने कुछ और सुविधायें देने वाली बात भी सोची है। पिग आयरन का दस हजार मैट्रिक टन का कोटा, मैं समझता हूं, राजस्थान को पहली बार उपलब्ध हुआ है हमारे प्रयत्नों से। इसको हम हमारी छोटी यूनिटों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यह प्रयास है कि जितना भी रा-मैटीरियल हो उसके हर जिले में डिपो कायम किये जावें ताकि रा-मैटीरियल उद्योगों को वहीं मिल जावे। उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसका असेसमेंट पूरी तौर से हो सके। हम यह नहीं कहते कि आजकी स्थिति में आवश्यकता की पूरी पूर्ति कर सकते हैं लेकिन एक बड़े अंश तक उन की आवश्यकता की पूर्ति हो जावे और वह उद्योग एक ब्रेक ईवन स्टेज तक चल सकें, इस तरह की कल्पना हम करके चलना चाहते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि इन सारी चीजों से राजस्थान में छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों का एक वातावरण जो बन रहा है उसमें प्रगति होगी।

मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। भारत सरकार ने अभी राजस्थान को किन्हीं खास उद्योगों के क्षेत्रों में फिलिप देने की दृष्टि से कुछ मदर इण्डस्ट्रीज, जिनको हम न्यूक्लस प्लाण्ट कहते हैं, लगाने का भी निर्णय किया है। उसके लिए चार जिले फिलहाल तय किये गये है, जोधपुर, नागौर, चूरू और भीलवाड़ा। इनमें जोधपुर की टास्क फोर्स की रिपोर्ट हमको मिल चुकी है। जोधपुर में कैसे बड़े उद्योग लगाये जावें इसकी रिपोर्ट पूरी तौर से भारत सरकार को पहुंच चुकी है उस पर निर्णय भारत सरकार को लेना बाकी है। मैं मानता हूं कि इसी प्रकार की टास्क फोर्स रिपोर्ट भीलवाड़ा, चूरू और नागौर की भी बन चुकी है। अलग अलग जगहों पर कौन कौन से बड़े बड़े उद्योग लग सकते हैं, उन उद्योगों के आधार पर कौन-कौन सी कितनी कितनी तरह की एनसीलियरी इण्डस्ट्रीज लग सकती हैं, मौके पर जाकर उनका सारा का सारा प्रारूप और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट बहुत जल्दी भारत सरकार को भेजने की बात हम कह रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार से चार न्यूक्लस प्लाण्ट चार जिलों के लिए सोचने की बात है, इसको अगले वर्ष में हम और बढ़ाने के लिए भारत सरकार को कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में न केवल ये चार जिले न्यूक्लस प्लाण्ट के लिए सीमित रहेंगे बल्कि और जिलों को भी धीरे-धीरे हम बढ़ायेंगे। हमारी पूर्ण तौर से योजना यह है कि इण्डस्ट्रीज का सेंट्रलाइजेशन, केन्द्रीयकरण नहीं हो, एक ही जगह बहुत बड़ी बड़ी इण्डस्ट्रीज नहीं लग जायें, उनका डिस्वर्सल हो, पंचायत समिति हैडक्वाटर्स तक भी जायें बल्कि कस्बे तक भी जायें, छोटे कस्बों तक भी जायें ताकि एम्पलायमेंट का पोटेंशियल केवल एक जगह केन्द्रित नहीं हो, और आज जो शहरीकरण की समस्या बन जाती है उससे हम बच सकें और देहातों में भी छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग लग सकें जिससे वहां का एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अप हो और लोगों को उससे लाभ मिले। मैं मोटे तौर पर, अध्यक्ष महोदय, आपको यही कह सकता हूं, बावजूद इसके कि आज बिजली की

240

(श्री शिवचरण माथुर)

हमारे सामने कठिनाई है, बावजूद इसके कि आज और कई कठिनाइयां हमारे सामने हैं, आर्थिक समस्या हमारे सामने बनी हुई है फिर भी जो वातावरण राजस्थान का आज बन चुका है, जो सम्भावनायें आज राजस्थान में उपलब्ध हैं उन को देखते हुए मुझे राजस्थान में औद्योगीकरण का भविष्य बहुत ही सुन्दर प्रतीत होता है। आज जिस प्रकार की निराशा की बातें उद्योग के सम्बन्ध में की जाती हैं, उनका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। निश्चित रूप से राजस्थान एक अच्छा औद्योगिक प्रदेश बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। खास तौर से जो मिनरल हमारे प्रदेश के बाहर नहीं हैं उन पर आधारित उद्योग राजस्थान में लगेंगे। इसी आशा के साथ कि राजस्थान औद्योगीकरण की तरफ आगे बढ़े, मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो दो मागें मैंने उद्योग और राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में सदन के सम्मुख प्रस्तुत की हैं उनको स्वीकार किया जावे।

श्री अध्यक्ष : राज्य मन्त्रीजी खनिज।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय एक निवेदन करूंगा। मुख्य मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया है....

श्री शिवचरण माथुर : एक बात और कहनी है। भारत सरकार ने इस साल राजस्थान को दो हजार पावर लूम्स अलाट किये हैं। ये पावर लूम हम खास तौर से जो कोआपरेटिव सोसायटीज हैं लूम्स की उनको ही दे करके कोआपरेटिव सैक्टर में बढ़ाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री मोहन मोदी।

श्री मोहन लाल मोदी : मुख्य मन्त्रीजी ने बिजली की स्थिति स्पष्ट कर दी। बिजली आप देने की स्थिति में हैं नहीं। जब बिजली दे नहीं सकते तो मिनिमम चार्जेज समाप्त कर दीजिए। इस पर ध्यान दीजिए।

श्री अध्यक्ष : बिजली पर बहस नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल मोदी : बहस नहीं है लेकिन आपने जो जवाब दिया है उसके सम्बन्ध में बता रहा हूं कि आप यह मिनिमम चार्जेज तो खतम कर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो अभी बातें कही, इसके संदर्भ में मेरा निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान के अन्दर उद्योग-धन्धे बन्द हैं। आपके विश्वास पर जो प्रवासी राजस्थानी थे उन्होंने आ कर के--उद्योग लगाये, वे करोड़ों रुपये के घाटे में दो साल से आ गये हैं। जब तक आप उनको बिजली देने का वायदा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं दिलाते हैं, जब तक आपके पास बिजली

Page No 241

(241)

(श्री रामसिंह विश्नोई)

उपलब्ध नहीं है तब तक आपने जो यह चार्जेज लगाये हैं क्या उनमें राहत देने की की सोचते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी। एक साथ।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक साथ ही पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब भाषण नहीं होगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने विचारों में दो तीन ऐसे प्रश्नों की ओर ध्यान इंगित किया था उस सम्बन्ध में मैं कुछ पूछना चाहूंगा।

सबसे पहले तो राजस्थान की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कोटा में है, उन इण्डस्ट्रीज को आपने सब तरह की सुविधायें देने के बाद भी कर मुक्त कर रखा है। बाहर उनके जो डिपोज है उनमें माल जाता है। टर्न ओवर के नाम से या किसी नाम से लगभग सौ करोड़ रुपयों के आसपास उनसे वसूल किया जा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हुए भी आपने अपने भाषण में इसका जिक्र नहीं किया। मेरा एक तो यह निवेदन है

दूसरा निवेदन यह था कि तीस से पैंतीस पर्सेन्ट बिजली का लीकेज और चोरी का राजस्थान में कीतिमान स्थापित किया गया है, यह देश के 12 प्रतिशत के आधार बहुत ज्यादा है। चोरी, गड़बड़ी और लीकेज होते हैं फिर भी आपने बिजली अभाव के और अव्यवस्था के संदर्भ में कुछ नहीं कहा है।

तीसरा निवेदन यह था कि बिजली की बहुत बड़ी बकाया बड़े बड़े लोगों में है। इस सम्बन्ध में बार बार ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी आपने यह नहीं कहा कि नीति निर्धारित करेंगे। आगे इस संबंध में क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : इतने लम्बे प्रश्न नहीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : चौथा निवेदन यह था, लाल किताब गवर्नमेंट आफ इण्डिया की शायद मुख्य मन्त्रीजी के समक्ष पहुंची होगी। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, राजस्थान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और वित्त निगम में बहुत बड़े घोटाले हैं। उस रिपोर्ट में यह है कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही से कई प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं। क्या इस सम्बन्ध में हाई पावर कमेटी, या विशेष जांच की व्यवस्था करेंगे ? राजस्थान की जनता की करोड़ों रुपयों की एकत्रित राशि का इस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है उसके सम्बन्ध में खास तौर से निवेदन करना चाह रहा था।

एक अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में छोटे छोटे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में कई जगह यह कहा है कि ताप बिजली घर स्थापित करेंगे। एक तरफ आपने यह कहा, दूसरी तरफ बजट में इसके लिये प्रावधान नहीं है। इस बजट में प्रावधान नहीं किया। इसके लिये क्या व्यवस्था है। या केवल यह घोषणा ही होगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल ।

श्री केसरी चन्दजी । मांगीलालजी, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये । इनके बाद आपको ।

श्री केशरीचन्द चौधरी : जो जवाब दिया है वह काफी संतोषप्रद है । मैं सिर्फ यह जानकारी चाहता था कि जिन उद्योग-धंधों के कच्चे माल पर आपने बिक्री कर बढ़ाया है अगर उसकी विसंगति आप पर जाहिर हो तो क्या आप उस पर विचार करने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल ।

श्री मांगीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि आपने इस बात को तो स्वीकारा है कि जहां पर जो मैटीरियल उपलब्ध है वहां पर उस का कारखाना लगना चाहिये । क्या यह सही है कि जालौर के अन्दर ग्रेनाइट का असीमित भंडार है परन्तु दुर्भाग्य से उसका प्रोजेक्ट वहां पर नहीं है ? जोधपुर में जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है वह घाटे में जा रहा है । घाटे में जाने के कारण क्या सरकार उसके बारे में यह सोचने के लिये तैयार है । कि यही प्रोजेक्ट जालौर में लगाया जाये ?

दूसरा निवेदन था राजकीय उपक्रम के बारे में । रोडवेज का जहां तक सवाल है उसमें एक समस्या है जो शिड्यूल्ड कास्ट्स से सम्बन्धित है । वह भी मैं आपकी सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं । एस. सी. और एस. टी. को जो अनुबंधित बसें दी हैं उन बसों का किराया पर किलोमीटर एक रुपया अस्सी पैसे के हिसाब से देते हैं । डीजल के भाव को देखते हुए रोडवेज ने अपना किराया बढ़ा दिया है । क्या सरकार इस पर विचार करेगी, अनुसूचित जाति के लोगों को अनुबंधित बसें दी हैं जिन के लिये लोन दिया है, लाखों रुपया उन पर कर्जा हो गया उन्हें इस रेट से क्या मिलेगा ?

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : तीन बसें हैं आपकी ।

श्री मांगी लाल : आपकी जबान में गुड़ हो कि मेरे तीन बसें हों । मेरे नाम से तीन बसें चलती हों, तो फिर और क्या चाहिये ।

दूसरी एक समस्या उन बसों को डीजल की है । यदि उन्हें डीजल सरकारी डिपो से मिल जाये तो सुविधा होगी । जो पैसा उनको सरकार से बस किराया पेटे मिलता है डीजल का पैसा उसमें से काट लिया जाये जिससे उनको सुविधा से डीजल मिल सके । मेरे को इस तरह की जानकारी है कि उनको परेशानी होती है जगह जगह पैट्रोल पम्प पर डीजल लेने में उनको बड़ी दिक्कत होती है । तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

(व्यवधान)

Page No 243

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री । आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य, इस तरह से तो चर्चा दुबारा हो जायेगी ।

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इतने सारे प्रश्नों का, ना तो मुख्य मन्त्री जी के लिये यह संभव है कि वह उत्तर दे सकें, इसका मतलब डिबेट रिओपन करना है दुबारा डिबेट की शुरुआत है । मैं, माननीय सदस्य, किसी को इजाजत नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

मैंने एक तरफ से शुरू किया था । मुख्य मन्त्री जी । आर्डर ।

श्री यदुनाथ सिंह : आप सत्ता दल को नहीं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर । बैठ जायें, माननीय सदस्य । मैं किसी प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के एक सदस्य को बलाऊ किया है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ चुके....

(व्यवधान)

आर्डर । दुबारा नहीं ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, वाद विवाद में ऐसा कोई नियम नहीं है । एक दफा वाद विवाद समाप्त हो गया, मुख्य मन्त्री जी ने उत्तर दे दिया, उसके बाद सभी माननीय सदस्य फिर सब प्रश्नों की झड़ी लगा दें, इस तरह चर्चा का कोई अन्त नहीं होगा । काफी समय हो गया है ।

मुख्य मन्त्री जी ।

(व्यवधान)

आर्डर, माननीय सदस्य । मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्रीजी, जो प्रश्न पूछे गये उनके उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

आर्डर । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

Page No 244

(श्री अध्यक्ष)

राज्य मन्त्री जी ।

श्री देवीसिंह भाटी : सिर्फ सत्ता पक्ष वालों को अलाऊ किया है सप्लीमेंट्री पूछने के लिये । अध्यक्ष महोदय विपक्ष के किसी माननीय सदस्य को सप्लीमेंट्री पूछने....

श्री अध्यक्ष : मैंने उधर एक दफा देख लिया था । आपमें से किसी ने....

(व्यवधान)

चर्चा नहीं, माननीय सदस्य । कोई भेद नहीं है पक्ष और विपक्ष में ।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या विपक्ष एक भी सप्लीमेंट्री पूछने का अधिकार नहीं रखता है ? विपक्ष के साथ अन्याय हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने किसी माननीय सदस्य को इजाजत नहीं दी है ।

श्री देवीसिंह भाटी : दी है, अध्यक्ष महोदय, आपने ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर । आसन पैरों पर है । बैठ जायें कृपया । जब बहुत सारे माननीय सदस्य खड़े हो गये, जिन्होंने पूरक प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर के लिये मैंने मना कर दिया मुख्य मन्त्रीजी को क्योंकि यह संभव नहीं है । इतनी देर के बाद पुनः सभी माननीय सदस्य इस चर्चा को नयी चर्चा का रूप दे दें, यह सम्भव नहीं था । इसलिये उन्होंने पूछा तो उनको तकलीफ ही हुई । माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

ऐसा कोई प्रावधान नियमों में नहीं है, एक दो माननीय सदस्य चाहें तो, उनको सुविधा के लिये मैं व्यवस्था कर सकता था । जब दुबारा डिबेट शुरू हुई, तो मैंने सभी माननीय सदस्यों को इस तरह बात के लिये मना कर दिया । ऐसा कोई प्रावधान नियमों के अन्दर नहीं है कि एक दफा मन्त्री या मुख्य मन्त्रीजी ने उत्तर दे दिया उस पर फिर दुबारा चर्चा होगी । ऐसा कोई प्रावधान नियमों में नहीं है । आसन ने मना कर दिया, समान बर्ताव किया है सबके साथ ।

श्री देवीसिंह भाटी : इस सदन की परम्परा रही है, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यर्थ में समय ले रहे हैं । मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : हम आसन को पूरा सहयोग दे रहे हैं । सिर्फ हमारी तरफ से एक माननीय सदस्य ने....

श्री अध्यक्ष : मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा ।

राज्य मन्त्रीजी ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हम किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं

(श्री देवीसिंह भाटी)

डालना नहीं चाहते सदन की कार्यवाही में।

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायें। मैं निवेदन कर रहा हूं, विनम्र निवेदन है मेरा।

राज्य-मन्त्री।

(व्यवधान)

एक आध प्रश्न होता तो मैं इजाजत दे देता लेकिन मैं नहीं चाहता कि दुबारा फिर चर्चा शुरू हो जाये।

राज्य मन्त्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री खनिज) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने आज वाद-विवाद के अन्दर भाग लिया।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, हम यहां पर बैठे हुए आसन को पूरा सहयोग दे रहे हैं। सिर्फ विपक्ष की ओर से एक माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछेंगे!

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को भी इंकार कर दिया और आपको भी। आपने वाद विवाद में हिस्सा नहीं लिया....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : आपकी इस व्यवस्था के खिलाफ मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा। बैठ जायें, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष वालों को अलाऊ किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। मेरा निवेदन है कृपया बैठ जायें।

श्री देवीसिंह भाटी : हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी का उत्तर सुना उसके बाद हमारा एक सप्लीमेंट्री....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी : ××× अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अन्याय है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय....

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें।

श्री मेघराज तावड़ : हम आपसे उम्मी- करते हैं, हम लोगों को मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दे दिया।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं तो सीधा प्रश्न कर रहा था, अध्यक्ष महोदय। फिर बहस का क्या अर्थ रहा जब सरकार ने उत्तर दिया है उसमें भी विरोधाभास....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था है तो मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे उम्मीद करते हैं, हम लोगों को भी मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मौका दे दिया, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : नहीं, अध्यक्ष महोदय, कई बातों का स्पष्टीकरण नहीं हुआ। हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है। ××× तो इस ××× के खिलाफ मैं अपनी पार्टी के साथ बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, खनिज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग से संबंधित मांग के विषय में जिन माननीय सदस्यों ने....

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव रखे उनका मैं बहुत आभारी हूं। जितने कटौती प्रस्ताव आये हैं जैसा कि आपने निर्देश दिया है उनका उत्तर माननीय सदस्यों को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था की जायेगी। राजस्थान में जहां तक खनिज संपदा का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, कितने ही प्रकार के खनिज निकलते हैं लेकिन चार मुख्य, जिनके बारे में लाइम स्टोन, लैंड-जिंक, राक फास्फेट और टंगस्टन जिनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने....

श्री अध्यक्ष : इमारती पत्थर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इमारती ही नहीं उसके साथ बहुत सुपर स्टोन है, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैंने मुख्य रूप से चार चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सीमेंट, लाइम स्टोन का सवाल है, इसके बहुत बड़े डिपोजिट्स चित्तौड़, बूंदी और कोटा तीन जिलों में पाये गये हैं। खनिज विभाग का यह पूरा

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

प्रयत्न है कि इन इलाकों में सीमेंट के कारखाने लगें। इस दिशा में खनिज विभाग ने पहल की है। जितनी एप्लीकेशन माइनिंग लीज की प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस की आई थीं आज राजस्थान के खनिज विभाग के पास कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। सारी एप्लीकेशन हमने क्लीयर कर दीं। कुछ भारत सरकार के पास पड़ी हुई हैं वहां से सेंक्शन आ जायेगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि खनिज विभाग अपनी तरफ से राजस्थान के औद्योगीकरण में, जो खनिजों पर आधारित उद्योग हैं उनको लगाने में पहल कर रहा है।

मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा, कितना उत्पादन होगा इस पर मुख्य मंत्रीजी ने प्रकाश डाल दिया, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं।

आगूचा, में लैड जिंक का डिपोजिट मिला है। हिन्दुस्तान में इतना बड़ा डिपोजिट किसी सूबे या प्रान्त में नहीं मिला है। यह कहा गया है कि आगूचा में जो लैड जिंक का डिपोजिट मिला है उसका आस्ट्रेलिया के बाद विश्व मे दूसरे स्थान पर नम्बर आता है। जो उसके ऊपर आधारित उद्योग हैं उनके बारे में मुख्य मंत्रीजी ने प्रकाश डाला है। अध्यक्ष महोदय, इस डिपोजिट का पता लगाने के लिये राजस्थान सरकार के जियोलोजिल विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। उसके इम्पोर्ट में देश का बहुत बड़ा धन फारेन एक्सचेंज के रूप में विदेशों को हमको देना पड़ रहा था। हमें उम्मीद है कि इसका उत्पादन शुरू हो जायेगा तो उस पैसे की बचत हो सकेगी और उस इलाके का विकास भी हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में आपको यह निवेदन करना चाहूंगा जहां तक रॉक फास्फेट के उत्पादन का सवाल है, देश में राजस्थान शायद पहले नम्बर पर है जहां पर राक फास्फेट का इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इस उत्पादन से फर्टिलाइजर प्लान्ट्स की मांग पूरी होती लेकिन उत्पादन इतना नहीं है कि देश में जितनी मांग है उसको पूरा कर सकें। इसलिये भारत सरकार को कई मुल्कों से आयात करना पड़ता है। अगर हमारा उत्पादन आज इतना नहीं होता तो इसकी एवज में भारत सरकार को इंपोर्ट करना पड़ता और फारेन एक्सचेंज के रूप में हम को नुकसान हो सकता था। रॉक फास्फेट के उत्पादन के बारे में, झामर कोटड़ा के बारे में, कई दफा सदन में चर्चा हुई है, कई दफा माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं। दो माननीय सदस्य इस विषय में बोले। माननीय तावड़ साहब और माननीय सदस्य, जो नाथद्वारा से आते हैं, ने भी अपने विचार प्रकट किये, वे यहां पर इस वक्त उपस्थित नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद संक्षेप में इतनी बात कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त इसका खनन कार्य शुरू हुआ था; वह बात निश्चित है, हमने इसका साइंटिफिक तरीके से कोई प्लान और योजना नहीं बनाई थी लेकिन भारत सरकार का जोर था कि आप जितना जल्दी उत्पादन शुरू कर सकें, आपको दोहन का कार्य करना चाहिये जिससे

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

देश में फारेन एक्सचेंज की बचत हो सके। उसी बात को ध्यान में रखते हुए खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। साथ में राजस्थान सरकार को भी धन की आवश्यकता थी और एक तरह से बहुत संपदा हम को प्राप्त हुई इसलिए दोहन का कार्य अधिक शीघ्र शुरू करना पड़ा। लेकिन अगर इसका प्लानिंग करते, सारी मशीनरी लगा कर उत्पादन शुरू करते, तमाम व्यवस्था करते तो जिस वक्त उत्पादन शुरू किया था उस वक्त शुरू न होकर 5-7 साल डिले की सम्भावना थी। मैं आपको सिर्फ 3-4 साल के आंकड़े देकर बताना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इस रॉक फास्फेट से सरकार को कितनी आमदनी प्राप्त हो रही है। मेरे पास पूरी टेबल है। हमने 1979-80 में 16 करोड़, 1980-81 में 17.51 करोड़ और इस साल मार्च के अन्त तक 23 करोड़ का टार्गेट फिक्स कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : भाव बढ़े है या नहीं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसके भाव भी बढ़े हैं. अध्यक्ष महोदय, लेकिन उत्पादन भी कम हुआ है। उत्पादन इसलिये कम किया है कि ओवर बर्डन का रेश्यो पूर्व में जो एक्यूमलेट हो गया था उसको हमने कांट्रेक्टर के जरिये हटाने की योजना बनाई है और कुछ डिपार्टमेंटल मशीनरी के जरिये हटाने की भी योजना बनाई गई है। अध्यक्ष महोदय, हम उत्पादन अधिक कर सकते हैं लेकिन इसमें खतरा बना हुआ है, ओवर बर्डन का रेश्यो मेन्टेन नहीं कर पायेंगे। शुरू में भी यही हुआ, इसके दोहन को ध्यान में रखते हुए हमने ओवर बर्डन का रेश्यो मेन्टेन नहीं किया। लेकिन पिछले दो साल से बराबर करते जा रहे हैं। डी. सी. सी. एन. डी. सी. आई और दूसरे जो स्पेशलिस्ट्स कंसल्टेंट्स ने हम को राय दी है उसके मुताबिक करते चले जा रहे हैं, साथ साथ खनन का कार्य हो रहा है। उसको भी कर रहे हैं और जो पुराना बैकलॉग है उसको भी डिपार्टमेंटल मशीनरी से हटा रहे हैं। ठेका दिया हुआ है, अध्यक्ष महोदय, मैं राक फास्फेट के बारे में यही निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सदस्य यहां पर नहीं है, होते तो मैं विस्तार से उत्तर देता। माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर फारेस्ट के संबंध में एक बात कही गई। आज यह बात सही है कि फारेस्ट कंजरवेसन एक्ट, 1980 के फोर्स में आने के बाद हम को बहुत बड़ी समस्या का राजस्थान में सामना करना पड़ रहा है। हम को ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों की सरकारों, जहां पर मिनरल बहुतायत में पाया जाता है, के सामने भी समस्या खड़ी हो गई है। आज स्थिति यह है कि फारेस्ट विभाग से बिना एन. ओ. सी. प्राप्त किये हम कोई अन्य सैंक्शन नहीं कर सकते। एन. ओ. सी. बिना प्राप्त किये माइनिंग लीज का रिन्यूअल ग्रान्ट नहीं कर सकते। आज यह स्थिति बन गई है कि बहुत बड़ा एरिया, जो पूर्व में राजस्व विभाग की तरफ से वन विभाग को ट्रांसफर कर

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

दिया गया था आज जहां बहुत सी जगह तो थिक फारेस्ट है, डैंस फारेस्ट है वहां तक तो समझ में आता है लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर फारेस्ट नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, मात्र झाड़ियां हैं, एक आध पेड़ हैं । यह समस्या हमारे सामने बहुत विकट खड़ी हो गई है । इसमें भविष्य के अन्दर भी जो खनिज सम्पदा भू-गर्भ में है उसके दोहन और हमारी आमदनी दोनों में फर्क पड़ सकता है। एम्पलायमेन्ट पर भी, अध्यक्ष महोदय, इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिये भारत सरकार से हमारी लिखा-पढ़ी चल रही है। हमने चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेठी का गठन कर दिया है जिसमें माइन्स सैक्रेटरी, रेवेन्यू सैक्रेटरी दोनों मिल कर जो प्राब्लम है, पर्टीकूलरली जो एग्जिस्टिंग लीज हैं, जिनका रिन्यूअल ड्यू हो गया है उनके बारे में देखेंगे कि क्या कर सकते हैं । इस तरीके से हम कार्यवाही करने जा रहे हैं ।

फारेस्ट के सम्बन्ध में हमारे हाथ बंधे हुए हैं । हम अधिक कुछ कर सकते की स्थिति में नहीं हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने फारेस्ट का प्रश्न उठाया था इसलिये वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं ।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं मंत्री महोदय को जानकारी दे दूं, बिहार सरकार की केबिनेट ने डिसीजन लिया है कि 10 एकड़ का जो रिजर्व फारेस्ट लैण्ड है उसको वह रिलीज करेगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य की राय से मैं सहमत नहीं हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय । कारण यह है कि खनिज मंत्रियों की जो कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें मैं उपस्थित था । वहां पर बिहार के खनिज मंत्री भी थे....

श्री अध्यक्ष : मंत्रियों के सम्मेलन के बाद की बात है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के खनिज मन्त्री, उड़ीसा के खनिज मन्त्री, मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री ने भी यह समस्या उठायी थी । इस समस्या का समाधान नहीं हो सका था। आज फारेस्ट लैण्ड चाहे तो राज्य सरकार किसी एरिया को एक्सक्लूड नहीं कर सकती है । किसी भी जमीन को फारेस्ट एरिया से निकालना है तो उसके लिये भारत सरकार के पास जाना पड़ेगा । और बिना भारत सरकार से पूर्व अनिमति के उस इलाके को फारेस्ट एरिया से नहीं निकाला जा सकता है । यह कानून के तहत स्थिति है, श्रीमन् ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कार्पोरेशन के घाटे का सवाल है खनिज विभाग में आर. एस. एम. डी. सी. है । आर.एस.एम.डी.सी. के अन्दर पिछले कई सालों से घाटा चला आ रहा था पूर्व के 6 महीनों के अन्दर 24 लाख रुपयों का घाटा था लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि आर.एस.एम. डी. सी. के अधिकारियों के अतिरिक्त प्रयत्न से, उसकी मेहनत के फलस्वरूप हमने इसमें ब्रेक-ईवन पाइन्ट अचीव कर लिया है । श्रीमन्, मेरा कुछ नहीं है इसमें ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माइनिंग लीज को सैंक्शन करने का सवाल है, प्रास्पे-

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

टिंग लीज देने का सवाल है, इसके अन्दर पिछले सालों की तुलना में माइन्स विभाग ने अच्छी प्रगति की है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेजर मिनरल्स के तहत माइनिंग लीज 1980-81 में 195 सैंक्शन हुई, 1981-82 में दिसम्बर तक 421 लीज सैंक्शन हुई हैं। यह काफी बड़ा इजाफा है। लीज सैंक्शन करने के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

इसी प्रकार मैं आपको निवेदन करूं मेजर मिनरल्स में पी. एल. 89 सैंक्शन हुई थीं 1980-81 में और 1981-82 में 125 सैंक्शन हुई हैं। श्रीमन्, माइनर मिनरल्स के तहत पिछले साल दिसम्बर, 1981 तक 1523 सैंक्शन हुई थीं, वहां दिसम्बर तक हमने 1653 लीज सैंक्शन की हैं। यह भी अपने आप में पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि प्रगति हुई है। जो लोग कह रहे थे, एक प्रश्न के उत्तर में मैंने निवेदन किया था, आज अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, उन्होंने वादविवाद में भाग नहीं लिया है इसलिये इस बारे में चर्चा करना मैं उचित नहीं समझूंगा।

इसी प्रकार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जो लीज सैंक्शन की है उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। श्रीमन्, एक दफा सदन में चर्चा हुई थी, बजट पर बहस हुई थी उस बहस के दौरान अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, मेरे वक्त में, हमारे राज में, जनता पार्टी के राज में शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स को लीज ज्यादा सैंक्शन हुई थीं। आपके राज में इन लोगों को एक भी लीज सैंक्शन नहीं की गई है। श्रीमन्, मेरे पास उस समय आंकड़े नहीं थे इसलिये मैं कहने की स्थिति में नहीं था। मैं उस समय उनकी बात का जवाब नहीं दे सका था। आज जो आंकड़े हैं, वे कम से कम रिकार्ड पर आ जायें इसलिये मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, 1977-78 में जब जनता पार्टी का राज था उस वक्त अनुसूचित जाति के लोगों को 123 खनन पट्टे स्वीकृत हुए थे और अनुसूचित जन जाति के लोगों को 65 स्वीकृत हुए थे, अन्य लोगों को 684 हुए थे टोटल, 872, इसी प्रकार 1978-79 के अन्दर, श्रीमन्, 193 शिड्यूल्ड कास्ट्स को और 41 शिड्यूल्स ट्राइब्स को। 1979-80 में 113 शिड्यूल्स कास्ट्स को और 44 शिडयूल्ड ट्राइब्स को, 1980-81 में 131 शिडयूल कास्ट्स और 41 शिडयूल्ड ट्राइब्स को, 1981-82 में दिसम्बर, 1981 तक 320 शिड्यूल्ड कास्ट्स को और 106 खनन पट्टे शिडयूल्ड ट्राइब्स को सैंक्शन किये गये हैं। मेरे कहने का मतलब है ...

श्री अध्यक्ष : आपको इसकी जानकारी नहीं थी। आपने प्रयत्न नहीं किया था....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जुलाई के अन्दर जिस वक्त मैंने इस महकमे का कार्यभार संभाला था उस वक्त इन्स्ट्रक्शन दे दिये थे कि इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जाये कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की एप्लीकेशन्स का निपटारा शीघ्र किया जाये और लीज सैंक्शन में उनको

Page No 251

(251)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

जितनी अधिक सहूलियतें दी जा सकें, वह दी जायें। क्योंकि उस समय मेरे पास फिगर्स नहीं थे, इसलिये कहने की स्थिति में नहीं था। इसलिये मैंने आंकड़ों को आज आपके सामने प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब कुछ और बातों की ओर आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज माइन्स विभाग में क्या हो रहा है, कुछ लीज लेकर लोग बैठ जाते हैं। जैसे मेरे पास एक लीज है किसी मिनरल या मिनरल्स की मैंने लीज ले ली लेकिन खनन कार्य नहीं चल रहा है उससे राजस्व की हानि हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिये यह निर्णय लिया गया है. यह तय किया गया है और ए. एम. ईज, को इस बात के आदेश प्रसारित किये गये हैं कि जिन लोगों ने माइनिंग लीज ले ली है और एग्रीमेन्ट एक्जीक्यूट किये हैं अगर उन्होंने काम शुरू नहीं किया है तो उनकी लीज केन्सीलेशन की दिशा में कार्यवाही की जाये, जिससे अन्य लोगों को वह ग्रान्ट हो सके और राजस्व की हानि न हो, लोगों को रोजगार मिल सके। इस दिशा में यह पहला कदम उठाने का निर्णय लिया गया है।

इसी तरह से कितने ही माननीय सदस्यों ने यह बात यहां पर कही कि जो आपके माइनर मिनरल्स कन्सेशन रूल्स के तहत माईनिग लीज ग्रान्ट करने का टाइम 9 महीने का है उसके अन्दर लोगों को परेशानी होती है। हम चाहते तो प्रशासनिक आदेश से इसको कम कर सकते थे। यह निर्णय गया है कि 9 महीने के स्थान पर 5 महीने की अवधि के अन्दर लिया, इन एप्लीकेशन्स का निपटारा करना बहुत लाजिमी होगा। जिस स्थान पर जिस अफसर की गफलत पाई जायेगी उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही होगी। पहले 9 महीने का समय लगता था उसमें खनन, दोहन के अन्दर राजस्व की हानि होती थी। लीज जल्दी सैंक्शन होगी तो लोग काम कर सकेंगे, राज्य को राजस्व मिल सकेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दिशा में यह कदम उठाया है।

दूसरी बात, बजरी के जो छोटे छोटे ठेके होते हैं वह बहुत से पंचायतों के इलाकों के अन्दर होते हैं। माननीय सदस्यों से इस मामले के अन्दर सुझाव आये नहीं हैं लेकिन मैं इस बारे में सुझाव माननीय सदस्यों के सामने रखता हूं ताकि उनको जानकारी हो। इस मामले को जो माइन्स डिपार्टमेन्ट कन्सलटेटिव कमेटी है उसमें ले जाना चाहूंगा। इस बात का विचार चल रहा है कि पंचायत क्षेत्र के अन्दर जो बजरी पड़ती है उसका ठेका पंचायत को दे दिया जाये जिससे पंचायत की आमदनी बढ़े। श्रीमन्, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो बड़ी नदियां हैं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : लेकिन बजरी सब पंचायत क्षेत्र में है। शहर में कहां है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं....

(व्यवधान)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

एक मिनट सुन लीजिये। आपको भूख लगी है तो समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पंचायत क्षेत्र में होकर निकलती है, जो आप कह रहे हैं सही है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो इम्पार्टेन्ट एरियाज हैं जो बड़ी नदियां हैं जहां से हमको बहुत आमदनी हो रही है और ऐसे कई एरियाज सुनसान पड़े हैं वहां लोग अवैध खनन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो बड़े बड़े इलाके हैं जहां से लाखों रुपये की आमदनी हो सकती है, बड़ी आमदनी हो सकती है उन इलाकों को देने की मंशा नहीं है। जो छोटे इलाके हैं जहां पर कि एक-दो हजार पांच हजार, 10 हजार और 20 हजार तक की आमदनी है उनको पंचायतों को देने के बारे में विचार चल रहा है। मैं इस मामले को कन्सल्टेटिव कमेटी, जो माइन्स विभाग की है, के अन्दर भी रखूंगा और उसमें विचार करके इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, विभाग के अधिकारियों से सूचना आई है जिसको मैंने माननीय सदस्यों को बताया है।

अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं एक और समस्या के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। यह समस्या राजस्थान के सामने है, उदयपुर के अन्दर है और भी कई अन्य जिलों में सामने आयी है। जमीनों के पट्टों के राइट्स तो काश्तकारों के पास ही हैं पर जो खनिज उनकी जमीन में छुपा हुआ है वह सरकार की सम्पत्ति है और सरकार की पूर्व अनुमति के बिना उसको खनन नहीं कर सकते हैं। मकराना, उदयपुर और धौलपुर में व कई अन्य जगहों पर इस प्रकार की समस्या आ रही है। लाइम स्टोन और मार्बल के एक्वीजिशन के लिये कार्यवाही करते हैं तो जहां तक मेरी जानकारी है इस खनिज विभाग के अन्दर सबसे अधिक मुकदमे च रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर सबसे ज्यादा मुकदमे अदालतों में कहीं पर चल रहे हैं तो खनिज विभाग में चल रहे हैं। जरा-जरा सी, छोटी-छोटी बातों पर लोग अदालतों से स्टे आर्डर ले आते हैं, विभिन्न अदालतों से ले आते हैं। राज्य सरकार को इन सब के कारण राजस्व की हानि होती है और खनिज सम्पदा का दोहन नहीं हो पाता है, उसमें बाधा हो रही है। इस बारे में क्या करना है और क्या नीति अपनायी जाये. खातेदारी अधिकार जिन लोगों के हैं और जिन्होंने ट्रान्सफर कर दिये हैं, अध्यक्ष महोदय, यह तो सत्य है कि जो जमीन है उसकी कीमत काफी है। कीमती जमीन है, लोगों को मालूम है कि उसके नीचे मिनरल है तो वे बेच जाते हैं और वे लोग अदालतों से स्टे आर्डर ले आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं पैरोकारी की बहुत कमी है, हमारे विभाग की तरफ से जो वकील हैं उनकी तरफ से कमी है। आज स्थिति यह है कि कई केसों के अन्दर चार-चार और पांच-पांच साल से स्टे वेकेट नहीं हुए हैं। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। हम इसको सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय लिया गया है कि माइन्स सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी जाये। उसमें विभाग के एक्सपर्ट लोगों को रखा गया है। वे निर्णय लेंगे

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

कि इसके बारे में क्या नीति अपनायी जाये। जिन लोगों के खातेदारी अधिकार हैं और जिनकी जमीन के नीचे खनिज दवा पड़ा है उसका अलाटमेंट किस प्रकार से हो, किस प्रकार से ऑक्शन किया जाये, किस प्रकार से अलाट किया जाये, कितनी कितनी जमीन दी जाय यह तो तय करना ही पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, सारी जमीन तो उनको नहीं दी जा सकती है, कितनी किनको दी जाये और कितनी वे हमको सरेण्डर कर दें जिससे कि प्लाट बनाकर लोगों को दिये जा सकें उसके बारे में दो महीने में निर्णय लिया जायेगा।

माननीय सदस्यों ने जो मूल्यवान सुझाव दिये हैं उनके लिये मैं उनका आभारी हूं। अब मैं मांग करता हूं कि इस मांग को पारित करने की कृपा करें।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, डोलोमाइट के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

एक माननीय सदस्य : लाइम स्टोन के बारे में कुछ कहना था आपको।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न की इजाजत दूंगा। वह सब तो बातें हो गयीं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। क्षमा करें।

(व्यवधान)

आपकी ओर से कोई प्रस्ताव लाना चाहते थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : पहले मांगे पास हो जाने दें या पहले वह प्रस्ताव लायें ?

श्री अध्यक्ष : पहले यह पास हो जाये।

एक माननीय सदस्य : एक बात रह गयी है। एक सुझाव देना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चेम्बर में बात कर लेना, मंत्री महोदय सबके उत्तर भिजवा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह बात नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न उठाया था....

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री यातायात) : पांच मिनट मैं लेना चाहता हूं। मेरे विभाग के बारे में कुछ बातें कही गयी हैं इसलिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सुनने वाला तो कोई है नहीं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सुनने वाला तो नहीं है पर रिकार्ड के लिए कहना है।

प्रस्ताव

श्री दाऊदयाल जोशी के निलम्बन की समाप्ति

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री दाऊदयालजी जोशी ने कल सदन की कार्यवाही में बाधा डाली उसके फलस्वरूप उनको सत्र के अन्त तक निलम्बित किया गया था। आज उनकी पार्टी के नेता और उनके विह्प आपके चेम्बर में आये थे। उन्होंने अफसोस जाहिर किया था और आपसे निवेदन किया था।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

मुझ से भी मिले थे। वह यह चाहते थे कि जो कुछ हुआ सो हुआ आगे कार्यवाही ठीक तरह से चले। इसके अलावा अन्य जितने भी विरोधी दल के नेता हैं बाबू राज बहादुर जी, हजारीलालजी इन सबसे मैंने बातें कीं। इन सब की यही मंशा थी कि श्री दाऊदयाल जोशी जिनका कि सत्र के अन्त तक निलम्बन किया गया है, के निलम्बन आदेश को वापस ले लिया जाय। उनकी यह भावना थी कि हम भविष्य में ठीक तरीके से सत्र चलाने में सहायता करेंगे। लेकिन आज भी उन्होंने छोटी सी बात को लेकर जो दिनभर बायकाट किया है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो आपने निलम्बन किया है उसको रद्द करने के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं जिस पर विचार करके आप अपना निर्णय दें।

"मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि वह प्रस्ताव, जिसके द्वारा श्री दाऊदयाल जोशी को सत्र के अन्त तक निलम्बित किया गया था, रद्द किया जाय।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

निलम्बन समाप्त किया गया।

मांग संख्या 42, 40 व 43 पर विचार

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के संबंध में कुछ बातें कही गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने राजस्थान परिवहन निगम में होने वाले घाटे व असुविधा का जिक्र किया। घाटे व असुविधा की उन्हें बहुत भारी चिन्ता है। चिन्ता होनी भी चाहिए जैसा मैंने पूर्व भी कहा था किसी भी विकासशील देश मे यातायात के अच्छे साधन होना आवश्यक हैं, परम आवश्यक है वहां घाटे व असुविधा की समस्या का होना भी आवश्यक है। यह कहा गया कि जो सुविधा है वह ठीक नहीं है। हमें इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा। सदन में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य जब खड़े होते हैं तब यह कहते हैं कि रोड़वेज में इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं। बिना आंकड़े दिये ही कई माननीय सदस्य कई बार ऐसी बात कह जाते हैं हाउस में जो तथ्यों से दूर होती है, मुझे इस बात का अफसोस होता है। यह कहा गया कि करोड़ों की प्रेस खरीदी गई। मैं कहूंगा कि करोड़ों की नहीं 20 लाख रुपये की प्रेस खरीदी गई। जो प्रेस 20 लाख रुपये में खरीदी गई थी उसको आज भी बेचना चाहें तो बेच दें, वह 60–70 लाख रुपये में बिक सकती है। तो प्रेस से घाटा नहीं है। घाटे के कारण तो मैं बताऊंगा क्या हैं ?

श्री अमीन खां : इसमें कोई कमी नहीं है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : घाटे के कारण तो मैं बताऊंगा। मैं बताना चाहता हूं कि रोडवेज के अन्दर बहुत बड़ा घाटा क्यों बना हुआ है। जब सन् 1977 के

(255)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

अन्दर हमने इस रोडवेज को दिया था उस समय इसमें केवल 1 करोड़ और 12 लाख का घाटा था और सन् 1980 में जब राजस्थान पथ परिवहन निगम हमको वापस मिला उस समय साढ़े बारह करोड़ का घाटा था। घाटे के साथ जो सम्पत्ति थी वह सम्पत्ति कैसी मिली ? टूटी फूटी बसें मिलीं। हालत यह थी कि जो बसें खराब हो चुकी थीं उनको रिप्लेस नहीं किया गया। तो करोड़ों का घाटा करने की जिम्मेदारी किसकी है ? उन्होंने यह घाटा छोड़ा था और उसकी जिम्मेदारी हम पर थोपना चाहते हैं। इसके अलावा समय समय पर कीमतें बढ़ती गयीं। डीजल की कीमत 1 रुपया 42 पैसे थी वह बढ़ गयी उससे राजस्थान पथ परिवहन निगम में घाटा हुआ। टायरों की कीमत भी लगातार बढ़ रही है।

पार्ट्स की कीमत बढ़ रही है, डीजल की कीमत बढ़ रही है। जनता पार्टी की सरकार ने सुध नहीं ली। हमारी सरकार ने इस पर विचार किया। डेढ़ साल तक बसें उसी किराये पर चलती रहीं जिसकी वजह से बसों की हालत और भी खराब हो गई। एक तरफ आप देखेंगे कीमतें बढ़ीं और उसी किराये पर डेढ़ साल तक बसें चलती रहीं तो करोड़ों का घाटा उसमें हो गया। बसों की हालत खराब हो गयी। नयी बसें खरीदी नहीं जा सकी। तीसरा कारण यह है कि यूनियनों को फिर से मान्यता दे दी गयी है। यूनियन को मान्यता दे दो यह हमारा संवैधानिक अधिकार है किन्तु 400 आदमी थैला लिये डोलते हैं, कोई काम नहीं करता है, हजारों रुपये तनख्वाह के हर महीने लेते हैं। जब उनकी मान्यता समाप्त की तो वे हाई कोर्ट में चले गये। मान्यता देने के कारण से एक करप्शन यह पैदा हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि पहले ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर केदारजी थे। राजस्थान में जितने भी लोगों को करप्शन के चार्ज में सस्पेण्ड कर रखा था, चाहे वह ड्राइवर हो, 400 लोग करप्शन में पकड़े गये थे, उनको वे एक ही कलम से लगा गये। एक यह कारण पैदा हुआ। फिर ऐसी बसों को नहीं लगाना, डेढ़ साल तक किराये में वृद्धि नहीं करना, रोडवेज के अन्दर बहुत सी इस तरह की अव्यवस्था पैदा हो जाना, ये सब ऐसे कारण हैं जो घाटे के लिये रोडवेज के अन्दर पैदा हुए हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि कौनसे मेजर्स किये ? आपने कहा था पिछली विधान सभा में......

श्री अध्यक्ष : इसलिए आज विपक्ष वाले आये ही नहीं। ...

श्री जयकृष्ण शर्मा : दो मिनट में खतम कर देता हूं।

पिछली विधान सभा में लोगों ने टिकट के सम्बन्ध में कहा था। जो व्यवस्था टिकट की थी, मैंने उस पर हाथ से लिखने का आदेश कर दिया, डेस्टीनेशन का कर दिया... ...

एक माननीय सदस्य : वर्कशाप में करप्शन है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : कोशिश हो रही है।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

और वह कर दिया। जैसा कि टिकट के अन्दर पहले होता था उससे उनकी दुबारा बेचने की गुंजाइश थी, इसलिए एक तो उसके अन्दर यह किया। एक चैकिंग स्टाफ का केवल 80 किलोमीटर का एक दायरा बना दिया। उस पर जिम्मेदारी डाल दी कि 80 किलोमीटर के अन्दर जो भी बिना टिकट पैसेंजर पकड़ा जायेगा उसकी जिम्मेदारी ए. टी. आई. की होगी। उसकी हमने रेस्पांसिबिलिटी फिक्स की है। अभी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पूर्व ही हमने यह किया है ऐसी बसेज को तय किया है, जो 100 के करीब हैं, कन्डक्टर टिकट नहीं देगा, केपल टिकट विन्डों से मिलेंगी, बहुत सी जगहों पर बुकिंग आफिसेज हैं, जगह जगह पर, वहां से टिकट मिलेंगी। अभी एक्सपेरीमेन्टल स्टेज पर हमने केवल 100 बसेज में यह व्यवस्था की है। यह भी व्यवस्था की है, जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि वर्कशाप्स में जो हो रहा है, उसके लिए क्या किया। अभी हम यह कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन डिपो को एक साथ मिला दिया जाये क्योंकि अलग अलग होने की वजह से कुछ अव्यवस्था होती है इसलिए उसमें भी सुधार लाने की जरूरत है।

लीकेज एक ही जगह नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि कन्डक्टर की भागीदारी है। यह बात पर्चेजिंग में पार्ट्स में वर्कशाप के अन्दर भी है। इन सबको रोका जा सकेगा तभी राजस्थान को अच्छी हालत में कर सकेंगे; अच्छी व्यवस्था हो सकेगी, और घाटे से बच सकेंगे। हमारी सरकार ने सोचा है कि कहीं भी करप्शन सरकार के ऊपर बोझ न बने इसलिए अबकी बार मानीटरिंग करने की हिदायत भी दी है। इस बात का मैं प्रयास करूंगा कि राजस्थान रोडवेज के अन्दर व्यवस्था सुधरे सुविधायें लोगों को अधिक हों, घाटा कम से कम हो, बल्कि नहीं हो, यहां तक मैं प्रयत्न करूंगा।

मांग संख्या 42, 40 व 43 का पारण

श्री अध्यक्ष : बहुत देर हो गयी, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज, आर्डर, कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–42, उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,90,81,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–40, राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,85,ʻ6,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

Page No 257

(257)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–43, खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,73, 01, 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 17.3.82 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 9 बजकर 17 मिनट पर बुधवार दिनांक 17.3.82 के म. पू. 11.00 बजे कत के लिए स्थगित की गई।)

258

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 452 की सूची

पीपल्दा क्षेत्र में निम्न गांवों में भूतपूर्व महाराजाओं द्वारा वनाये गये वन्ध व तालाव स्थित हैं :—

1. कमलदा
2. विजयपुरा
3. जालोद तेजाजी
4. चेनपुरा
5. टिकोड
6. भोजखेड़ी
7. कमरिया
8. पीपल्दा खुर्द
9. अयाना
10. माल वमोरी
11. ताहबोद
12. पाटून्डा
13. इटावा
14. बांगरोद
15. अमवरा
16. उडवादा
17. खेरली नौनेरा
18. भोजपुरा
19. सुमेरपुर
20. फातीपुरा
21. खांतोली
22. खेरुना
23. राजोदा
24. तलाव
25. सीसवाली
26. शाहपुरा
27. छीतरी
28. पटपड़ा
29. श्रीनाल
30. तसाया
31. चांदा
32. गनेशगंज
33. प्रेमपुरा
34. मुगेना
35. मुडली
36. विनायका
37. ढेरवी
38. अयानी ढूडली
39. दौलतपुरा
40. रामपुरिया
41. नीमोला
42. अचलगढ़

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 465 की सूची

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए			कनेक्शन दिये गये		
		मारवाड़ जंक्शन तहसील	देसूरी तहसील	योग	मारवाड़ जंक्शन तहसील	देसूरी तहसील	योग
1.	कृषि —	895	1128	2023	331	672	1103
2.	व्यावसायिक —	277	346	623	145	190	335
3.	घरेलू —	2288	4084	6372	1350	2648	3998

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

लेबर कॉलोनी, भीलवाड़ा में सड़कों, नालियों तथा शौचालयों की मरम्मत

467. **श्री बन्शीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

लेबर कॉलोनी, भीलवाड़ा के जर्जरित शौचालयों, मूत्रालयों, नालियों व सड़कों की मरम्मत व सफाई हेतु सन् 1980--81 व 1981--82 में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ?

उत्तर

लेबर कालोनी, भीलवाड़ा के भवनों, शौचालयों, मूत्रालयों, नालियों व सड़कों के मरम्मत हेतु इस विभाग से सार्वजनिक निर्माण विभाग को वर्ष 80–81 में 25,000/–की धनराशि आवंटित की गई थी, जो खर्च की जा चुकी है। वर्ष 81--82 के लिये इसमें 35,000/-- की धनराशि उक्त कार्यों हेतु आवंटित की गई है जिसके खर्चे का ब्योरा सार्वजनिक निर्माण विभाग से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त होगा।

कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) क्षेत्र में ग्रामवासियों को पेयजल की व्यवस्था

468. **श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में ग्रामवासियों के लिये पीने के पानी की सुविधा हेतु कितने हैण्ड पम्पस लग चुके हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कई गांव ऐसे हैं जहां एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगाया गया है ? यदि हां, तो गांव जिनमें हैण्ड पम्प नहीं लगे कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें। जिन गांवों में हैण्ड पम्प नहीं लगे उन गांवों में अब सरकार कब तक हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि कहीं-कहीं सात या आठ पाइप लगाये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या यह सही है कि कई गांवों में हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं व कहीं लग गये तो चालू नहीं किये गये हैं ? सरकार द्वारा खराब हैण्ड पम्पस को कब तक ठीक करा दिया जावेगा व चालू नहीं किए गये पम्पस कब तक चालू किये जावेंगे ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील में पीने के पानी के लिये जनवरी,

(जनस्वास्थ्य प्रत्रियांत्रिकी मन्त्री)

1982 के अन्त तक 88 गांवों में 176 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं।

(2) जी हां। सूचियां संलग्न हैं। जनवरी, 82 तक 59 गांवों में बोरिंग हो चुकी है, हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था की जा रही है। शेष गांवों में भी राज्य सरकार हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है एवं धन राशि उपलब्धि के अनुसार आगे आने वाले वर्षों में कार्य पूरा किया जायेगा।

(3) तकनीकी कारणों से जिन गांवों में अधिक गहराई तक हैण्ड पम्प के लिये खुदाई सम्भव नहीं हो सकी, उन गांवों में 70 से 80 फीट (7 या 8 पाइप) की गहराई तक ही हैण्ड पम्प के पाइप उतारे गये हैं।

(4) ऐसे हैण्ड पम्प जिन्हें अब रिपेयर नहीं किया जा सकता, का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

गांव	कोड संख्या	खराब हैण्ड पम्प	टिप्पणी
1—ताम्बेसरा	94	2	इनके स्थान पर नल लगाया जा चुका है।
2—टोण्डी	86	2	नल लगा दिया गया है।
3—मोखमपुरा	352	1	
4—पाल	381	1	
5—खुन्दीनी	263	1	नया लगा दिया गया
6—छोटी सरवा		1	,, ,,

जो हैण्ड पम्प यांत्रिक खराबी से कार्य नहीं करते हैं उनकी मरम्मत हेतु, खराबी की सूचना मिलने पर रिपेरिंग पार्टी जाकर उन्हें ठीक करती है।

262

कुशलगढ़ तहसील में माह जनवरी 82 तक ऐसे गांवों की सूचि जहां हैण्ड पम्प की खुदाई कर दी गई है परन्तु हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये है :—

क्रमांक	गांव का नाम	कोड नं०	सकल खोदे गये हैण्ड पम्प
1	2	3	4
1.	डूंगर मित	314	1
2.	खोरा बारी	312	1
3.	खन्दनी हाला	48	2
4.	जोगडीमाल	314	1
5.	घाटा	110	3
6.	गुण्डी कल्याण	326	2
7.	बोचड़दा	328	1
8.	सरकरवाडा	6	3
9.	रांगी	96	5
10.	पाली खुर्द	120	2
11.	लोहारिया छोटा	127	2
12.	मुमीपाटीया	100	2
13.	हिम्मतगढ	337	3
14.	फजपुरी	340	2
15.	सोमगढा का ग[illegible]	106	1
16.	सातसेरा खुर्द	333	2
17.	रेगनिया	167	2
18.	रावतासाथ	156	2
19.	पाडला	315	5
20.	उदयगढ बसुकी	259	2
21.	उमरावसी	173	2
22.	गुण्डी खुर्द	327	1

1	2	3	4
23.	झरी	261	3
24.	सुखोदा	124	2
25.	बागामोटा	342	1
26.	खेरादा	203	1
27.	हावारण्डी	358	2
28.	पाडाला कटरा	83	2
29.	भगतपुरा	232	2
30.	रातीमोडी	182	2
31.	गोटाका परसाद	155	2
32.	रोहनियालक्ष्मणसिंह	45	4
33.	बटवरला	39	3
34.	मराना	33	2
35.	बडाद ढोडिया	46	2
36.	बगोल	180	1
37.	गोडावारा भारंग	18	2
38.	हरिन्दासिंह	135	2
39.	बिया पाडा	242	3
40.	बोरिवाडा	165	4
41.	पालकापाडा	169	2
42.	सुनलयी	108	2
43.	गुकलहार	295	2
44.	गोपालपुर	294	2
45.	धार	290	2
46.	सुरवन	299	2
47.	सोठलिया	359	3
48.	सपगढ	371	3

Page No 264

२६४

1	2	3	4
49.	चोरबड	375	2
50.	सुनरिया	368	2
51.	बरसाला	265	2
52.	मोरजारी	377	2
53.	पीपलीपाडा	392	3
54.	कुण्डीया	361	1
55.	पीपलोद	362	2
56.	चोसवाडा	287	
57.	मंवरकोट	309	3
58.	चोराकला	330	2
59.	लूनावाड़ा	189	3

———

(265)

कुशलगढ़ तहसील के उन ग्रामों की सूची जहां हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड सं.
1.	सिवानिया	2
2.	झुमकी	3
3.	बावज अम्बा	5
4.	झिन्गोला	9
5.	कावड़िया	179
6.	हेजा भावजी	12
7,	जिराकोट	14
8.	अम्बा	15
9.	मुरादौर	16
10.	मोटिया	17
11.	हेजा मोगजी	21
12.	भूरी वेल	28
13.	बीजलपुर मालिया	24
14.	टोडी कालू	25
15.	टांडा मांगला	26
16.	भील कुआ	28
17.	गोडावारा मांजी	29
18.	मांडली नानी	30
19.	मांडली मोटी	32
20.	सेमलखेड़ा	34
21.	नियावाट	36
22.	जाकोरिया भेदर	41
23.	टांडा रतना	47
24.	झाकरिया नाथा	49
25.	गनेशपुरा	50
26.	सामतसेर	52
27.	महुरिया नाथा	53
28.	मारसेंजी	54
29.	झालकिया	55

Page No 266

क्र. सं	गांव का नाम	कोड सं.
30.	कुंभपुरा	56
31.	कालाखेत	56
32.	खुंटारतना	57
23.	खुंटा चतरा	58
34.	घुमुपुरा	59
35.	खरोद चतरा	60
36.	बिदाऊ माथा	61
37.	बासढ़ी पाडा	62
38.	सिमिला	64
39.	नवागांव	65
40.	भानी डूंगरी	68
41.	दुरजनिया	69
42.	मांचा	70
43.	मोलन	71
44.	चूनाखान	73
45.	अदेश्वर	74
46.	लाडेला	75
47.	जोगरी माला	76
48.	भामरी	77
49.	पडला भारकिया	78
50.	खांडी डेरे	79
51.	पडुला मखेवा	80
52.	बाला सिदूर	82
53.	घारकी	86
54.	बलदिया	87
55.	घारकी	88
56.	जामरी	89
57.	पाटापुर	90
58,	चोरपरनाला	91
59.	जसपुरा	92
60.	कसुम्बा	93

क्रम संख्या	गांव का नाम	कोड सं०
61.	ग्रोसढ	95
62.	टोडी	97
63.	चोखी डूंगरी	98
64.	मागरडा दमरसत	100
65.	मागरडा सातेला	101
66.	भाटमहूरी	104
67.	चारकानी	109
68.	चन्देरी	113
69.	टोरी	115
70.	भीमगढ़	118
71.	बकानेर	119
72.	चारकली	121
73.	रूपाखेड़ा	122
74.	बागियचा	125
75.	रूपापाड़ा	126
76.	तलावा	129
77.	किशनपाड़ा	131
78.	चितोरा खालसा	136
79.	कडियामल	137
80.	चितोरा माफी	138
81.	भाट काइरा	139
82.	बावली पाड़ा	141
83.	घोटी की टोडी	143
84.	सरसिया पाड़ा	144
85.	कालिया	146
86.	पंडवाल लोहिजा	147
87.	पंडवाल ग्रोंकार	148
88.	रोहिडया मन्ना	149

Page No 268

268

क्रम संख्या	गांव का नाम	कोड सं०
89.	रोहणिया	150
90.	गोलामेर	152
91.	बांकाखूटा	154
92.	माछरपाड़ा	157
93.	छोटा रूपजी	159
94.	रूपगढ़	160
95.	पटिया	161
96.	चियाका सेटे	162
97.	मंडारिया	164
98.	गडिया की टोडी	166
99.	खेड़ा	178
100.	संसा बदला	181
101.	रोहनिया	183
102.	बडवा छोटा	184
103.	काका डूंमरी	185
104.	बोटखेडी	186
105.	कानाकपाडा	187
106.	बडवास बड़ी	188
107.	बिहारीपुरा	191
108.	मीवलावत	192
109.	रागापाड़ा	193
110.	मंडारिया	194
111.	जामराई	197
112.	सुनारिया	198
113.	नाथपुरा	199
114.	मूंदडी	200
115.	हमीरपुरा	201
116.	तलाईमारा	202

क्रम संख्या	गांव का नाम	कोड सं०
117.	काजलपाडा	204
118.	रंजीतगढ़	205
119.	सारन	206
120.	सींगली	208
121.	काकनिया	210
122.	फेरा डूंगरी	212
123.	पोथिया	213
124.	कुण्डिया	215
125.	तलाईपाडा	216
126.	खूंटा	217
127.	कोटडा	218
128.	बदलाकी राल	219
129.	खजूरा	220
130.	बीजलपुरा	221
131.	उमरभूनका	222
132.	बालाछूना	223
133.	सूरजकुण्ड	224
134.	रतनमाल	225
135.	माल	226
136.	सोडिया	227
137.	तालाखेत	228
138.	दोलपुरा	229
139.	उदयगढ़ तालखेत	230
140.	सीकरवाड़ी	231
141.	गालापाड़ा	233
142.	हरकापाड़ा	234
143.	कुशलापाड़ा	235
144.	फूलपुरा	236

Page No 270

क्रम संख्या	गांव का नाम	कोड संख्या
145.	भरतगढ़	238
146.	टाडा बडला	239
147.	चूलीपुरा	241
148.	महूरी	244
149.	चियाका खूनिया	246
150.	छोटिया	248
151.	तलाई पाड़ा	249
152.	भीमखोरा	250
153.	टूंटी	251
154.	बोर खेड़ी	253
155.	बीली पाड़ा	254
156.	खजूरा	256
157.	जालमपुरी	257
158.	जालमहूजी	258
159.	जाड़ा	260
160.	कालींजरा	262
161.	नागनपट्टा	266
162.	हिण्डोलिया चारण	267
163.	उदयगढ़ मीसावत	268
164.	सारेल	269
165.	उन्डावा	270
166.	खेपुरा	271
167.	तलेटी	272
168.	कोठारिया	273
169.	गोरखा बटरा	274
170.	गोरादरा	275
171.	गवाड़ी	276
172.	गराड खेडा	277

क्रम संख्या	गांव का नाम	कोड सं०
173.	भीमपुरा	278
174.	सीमासागरा	279
175.	बिजोरीकला	280
176.	परैया देव	281
177.	सरपोटा	282
178.	सौभावाटी	283
179.	नाथपुरा	284
180.	खाडा	285
181.	मिरचीगटी	286
182.	बोरिवा	288
183.	गढ़वान	289
184.	बिजोरी खुर्द	291
185.	सेमलदा	292
186.	दरोपदिया	293
187.	सेमलपाडा	394
188.	बादूपाडा	395
189.	कुम्बरीपाडा	398
190.	साडेरा	293
191.	बावडी नीनामा	296
192.	आमली पाडा	297
193.	छापरी	303
194.	रीछवानी	304
195.	बादलीपाडा	305
196.	हिण्डोलिया	306
197.	धरतारा	307
198.	बासडी	308
199.	गलवानी	310
200.	कोयाजस	313

क्रम संख्या	गांव का नाम	कोड सं०
201.	टोडी	316
202.	कछाला	318
203.	भोजराज जूनी	519
204.	भोजराज नानी	320
ʼ05.	सलोन	321
206.	गोरवाड़ा	322
207.	चक घोरवाड़ा	323
208.	मुनिया का क्षूटा	324
209.	बागोरी	325
210.	झरान	329
211.	वोरकेमडा	331
212.	वोराखुर्द	332
213.	सतसेरा कलां	334
214.	कालदोबान	336
215.	बगाइचा	338
216.	कवाकी छानियाय	339
217.	सूलिया	341
218.	कोटरी	343
219.	खाखरिया	344
220.	मुरीपाड़ा	345
221.	खानापाडा	346
222.	सुन्दरीपाडा	347
223.	भोजराज	348
224.	भावरड़ा	349
225.	हल्दूपुरा	350
226.	ओडवा	351
227.	तारलिया	352

(273)

क्रम संख्या	गांव का नाम	कोड सं०
228	सातलिया	354
229.	रावलिया पाड़ा	355
230.	सातलिया टोडा	356
231.	भावनो की टोडी	357
232.	उमरझोका	363
233.	हल्दु पाडा	364
234.	खेरिया पाडा	366
235.	बारली पाडा	367
236.	खेडा	370
237.	धालका नावी	373
238.	सिगला कुन्डी	378
239.	पण्डा	379
240.	श्रामलिया माल	380
241.	पातलिया	382
242.	ऊकमरणा पाड़ा	383
243.	कडवाली खुर्द	384
244.	कडवाली कलां	385
245.	मटवाल श्रकजाखेड़ा	386
246.	गोपालपुरा	387
247.	जूनापानी	388
248.	सरोना	389
249.	मलवान	390

———

274

जनजाति सहकारी विकास निगम, बांसवाड़ा के गोदाम में आग से क्षति

469. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जनजाति सहकारी विकास निगम, बांसवाड़ा के गोदाम में माह मई, 1981 में भयंकर आग लग जाने से गोदाम में पड़े लाखों रुपयों की सामग्री की क्षति हो गयी ? यदि हां, तो आग लगने के कारण क्या रहे ?

(2) गोदाम में क्षतिग्रस्त सामान कितने समय से पड़ा हुआ था ?

(3) बांसवाड़ा के केन्द्रीय कार्यालय उदयपुर द्वारा जनवरी, 1981 से मई, 1981 तक कितना सामान क्रय कर विक्रय के लिये जारी किया गया था तथा इस अवधि में बांसवाड़ा के अन्तर्गत चलने वाली संस्थाओं में अनुमानित मासिक विक्रय किस किस उपभोक्ता सामग्री का कितनी राशि का हुआ ?

उत्तर

(1) जी, हां। आग दिनांक 5.5.1981 को सायंकाल 4.30 बजे लगी जिससे लगभग 1·20 लाख रुपये की सामग्री की क्षति हो गई है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार आग लगने का कारण टूटी फूटी माचिस एक बोरी में होना व खुली हुई तूली किसी रगड़ या गर्मी के कारण जल जाना है।

(2) क्षतिग्रस्त सामग्री मुख्यतया मार्च एवं अप्रेल, 81 माह से गोदाम में थी कुछ वस्तुएं पांच छः माह पूर्व से थीं।

(3) क्षेत्रीय कार्यालय बांसवाड़ा हेतु जनवरी, 1981 से मई, 1981 की अवधि में रुपये 11,21,2,5,37 का उपभोक्ता सामग्री का क्रय विक्रय किया गया। इस राशि में क्षेत्रीय कार्यालय बांसवाड़ा द्वारा सीधी क्रय तथा नियंत्रित वस्तुएं चीनी, कपड़ा आदि सम्मलित नहीं हैं।

इस अवधि में बांसवाड़ा क्षेत्रीय कार्यालय अधीन संस्थाओं की प्रति माह विक्रय की गई विभिन्न उपभोक्ता सामग्रियों की अनुमानित कीमत निम्नांकित है—

1. कपडा	62,630 रु.
2. खाद्य सामग्री	3, 67, 630 रु.
3. अन्य विविध सामग्री	16,890 रु.
कुल मासिक औसतन राशि	४,47, 150 रु.

पंचायत समितियों के मुख्यावास को विद्युत सम्बन्ध से जोड़ना

470. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में एसे कितने पंचायत समितियों के मुख्यावास हैं जो अभी तक विद्युत से जुड़े हुए नहीं हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के बायतू पंचायत समिति के मुख्यालय

(श्री देव दत्त तिवाड़ी)

बायतू ग्राम को विद्युत से जोड़ने का मसला 3-4 साल से लम्बित है तथा सदन में आश्वासन दिये जाने के उपरान्त भी मुख्यावास विद्युत से वंचित चला आ रहा है ?

(3) यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं ?

(4) कब तक उक्त पंचायत समिति मुख्यावास को विद्युत से जोड़ा जायेगा ?

उत्तर

(2) राजस्थान राज्य में तीन पंचायत समितियों के मुख्यावास शेष हैं जो अभी तक विद्युत से जुड़े हुये नहीं हैं।

(2) जी हां। पंचायत समिति बायतू के मुख्यालय ग्राम बायतू का विद्युतीकरण माह जनवरी, 1980 में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा चुका है।

(3) बाड़मेर तक उच्च प्रसारण प्रणाली के विस्तार के पूर्व इस क्षेत्र में ग्रामों का विद्युतीकरण संभव नहीं था।

(4) वर्ष 1982-83 में उक्त पंचायत समिति मुख्यालय का विद्युतीकरण किये जाने की सम्भावना है।

तहसील बौंली व बामनवास के क्षतिग्रस्त तालाबों की मरम्मत

471. श्री कुन्जीलाल (बामनवास) क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार तहसील बौंली व बामनवास के गत वर्ष की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तालाबों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

गत वर्ष आई बाढ़ से टूटे हुये तहसील बौंली के 16 व तहसील बामनवास के 4 सार्वजनिक तालाबों की मरम्मत हेतु क्रमशः 1·35 लाख व 0·40 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उक्त कार्यों में से अधिकांश कार्य चालू हो गये हैं, अभी कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

देवली पंचायत समिति के आवां ग्राम में इनीआवां लिंक रोड का निर्माण

472. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या टौंक जिले की देवली पंचायत समिति के आवां ग्राम में इनीआवां लिंक रोड पक्का बनकर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार लिंक रोड पर राज्य पथ परिवहन निगम की शटल सेवाएं चालू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां। यह लिंक रोड पक्का बनकर तैयार हो गया है। लेकिन ग्राम का नाम

276

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

इनी न होकर दूनी ग्राम है । राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा इस मार्ग पर वाहन संचालन किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि वर्तमान में इन मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना निगम के विचाराधीन नहीं है।

राज्य परिवहन निगम द्वारा बसों की खरीद

473. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थन राज्य पथ परिवहन निगम नई बसें खरीदने का विचार कर रहा है ?

(2) यदि हां, तो उनकी लागत कितनी होगी व कितनी बसें खरीदी जायेंगी ?

(3) सन् 1981 तक राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कुल कितनी बसों की खरीद की गई है ?

(4) वर्तमान में कुल कितनी बसें चालू हालत में हैं ?

(5) क्या यह सही है कि कई बसें मामूली खराबी के कारण निगम में बेकार पड़ी हैं ?

(6) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है व इनका लगभग कितना मूल्य है व कितने वर्षों से इसी हालत में पड़ी हुई हैं ?

(7) औसतन प्रति दिन कितनी बसों का ब्रेक डाउन हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1982-83 में 251 नई बसें खरीदने का प्रावधान रखा है जिसकी लागत करीबन 665.94 लाख रु होगी ।

(3) पथ परिवहन निगम द्वारा दिसम्बर, 1981 तक 2579 बसों की खरीद की गई है।

(4) परिवहन निगम के पास दिनांक 19/2/82 को 1982 वाहन चालू हालत में है ।

(5) जी नहीं।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(7) वर्ष 1981 में औसतन प्रतिदिन बस ब्रेकडाउन 33 है ।

राज्य विद्युत मंडल में लेखाधिकारी एवं लेखा नियंत्रक आदि पदों पर भर्ती । पदोन्नति

474. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लेखाधिकारियों से लेकर लेखानियन्त्रक तक के दिनांक 1-1-1982 से 15-1-1982 तक राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में कुल कितने पद स्वीकृत थे तथा स्वीकृत पदों के रिक्त होने पर पदोन्नति एवं सीधी भर्ती हेतु कितना कितना कोटा एवं क्या क्या योग्यतायें निर्धारित थीं ? कृपया विवरण सदन की मेज रखें ।

(श्री यदुनाथ सिंह)

(2) पदोन्नति के कोटे के आधार पर पदोन्नत व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या 1977 में इमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट रेगुलेशन बनाया गया था ? यदि हां, तो इसका क्या प्रयोजन था ?

(4) कितने एवं कौन-कौनसे पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के पद उक्त रेगुलेशन के अन्तर्गत भरे गये ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में जनवरी, 1974 से 15 जनवरी, 1982 तक लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं लेखानियन्त्रक के स्वीकृत पदों की सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल आफिसर्स (भर्ती पदोन्नति एवं वरीयता) विनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत लेखाधिकारियों के रिक्त पद सीधी भर्ती तथा सहायक लेखधिकारी संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। दिनांक 1. 4. 78 से पूर्व की अवधि में सीधी भर्ती से 25 प्रतिशत तथा पदोन्नति से 75 प्रतिशत रिक्त पद भरने की व्यवस्था थी। दिनांक 1. 4. 78 के बाद की अवधि के लिये यह अनुपात सीधी भर्ती से 60% तथा पदोन्नति द्वारा 40% है। वरिष्ठ लेखाधिकारी के सभी पद लेखाधिकारी संवर्ग से तथा लेखानियन्त्रक के पद वरिष्ठ लेखाधिकारी संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। विभिन्न पदों के लिये पदोन्नति एवं सीधी भर्ती हेतु "राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल अधिकारीगण (भर्ती, पदोन्नति, एवं वरीयता) विनियम 1974 में निर्धारित कोटा तथा योग्यता से सम्बन्धित प्रावधानों का उद्धरण तालिका "ब" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) पदोन्नति कोटा के आधार पर पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के नाम उक्त सूची 'अ' में अंकित कर दिये गये हैं। लेखाधिकारी संवर्ग में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पद भी वर्ष 1976 में केवल एक पद तथा वर्ष 1977 में विशेष भर्ती से भरे गये पदों के अलावा पदोन्नति द्वारा भरे गये हैं।

(3) जी हां। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल लेखाधिकारी एवं लेखाकार स्पेशल इमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट रेगुलेशन 1977 को बनाने के प्रयोजन मन्डल में लेखा संवर्ग को सुदृढ़ करने तथा संवर्ग में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती करना था। यह भर्ती प्रतियोगात्मक परीक्षा आयोजन कर की जानी थी।

(4) उक्त रेगुलेशन के अन्तर्गत 15 व्यक्तियों की लेखाधिकारी के पद पर सीधी-भर्ती द्वारा नियुक्ति की गई, जिनमें से 13 व्यक्तियों ने ही कार्यभार ग्रहण किया। उक्त रेगुलेशन के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा कोई पद नहीं भरे जाने थे।

तालिका "अ"

दिनांक 1. 1. 1974 से 15. 1. 1982 तक विभिन्न
पदों की स्वीकृत संख्या तथा अधिकारियों की
नियुक्ति, पदोन्नति दर्शाते हुये विवरण तालिका ।

क्र. सं.	वर्ष	पद का नाम	स्वीकृत पदों की	अधिकारियों के नाम पदोन्नति के माध्यम से	अधिकारियों के नाम सीधी भर्ती के माध्यम से
1	2	3	4	5	6
1.	1974	लेखाधिकारी	22	श्री चांदरतन	
				" के. सी. तनेजा	
2.	1975	"	25	" बन्सीमल माथुर	
				" बलवन्त सिंह	
				" अब्दुल नईम	
				" गोपीनाथ शर्मा	
				" सोहनलाल अग्रवाल	श्री पूरण चन्द काला
3.	1976	"	24	" रामलाल शर्मा	
				" आर. पी. अग्रवाल	
				" मूलचन्द जोशी	
4.	1977	"	29	" आर. एस. गुप्ता	श्री आर. के. सक्सैना
				" सतीश चन्द्र माथुर	" आर. पी. रस्तोगी
				" वेद पाल शर्मा	" ओ. पी. मुवालिया
				" आर. एस. दोराया	" अशोक कुमार जैन
				" आर. के. बंज	" अरुण कुमार जोशी
				" एन. के. जैन	" प्रहलाद शर्मा
				" रामसहाय	" निरंजननाथ द्विवेदी
					" विनय कुमार भटनागर
					" आनन्द जोशी
					" दीपक श्रीवास्तव
					" गिर्राज किशोर शर्मा
					श्रीमती प्रभा अग्रवाल
					श्री देवकी नन्दन पाण्डे (कार्य ग्रहण नहीं किया)

(279)

1	2	3	4	5	6
					श्री गजेन्द्र सुराणा (कार्य ग्रहण नहीं किया) श्री बजरंग लाल बागड़ा
5.	1978	लेखाधिकारी	37	श्री आर. जी. पारीक	
				" आर. सी. ब्रह्मक्षत्रीय	
				" आर के. मित्तल	
				" गंगा स्वरूप	
				" आर. एस. जैन	
6.	1979	"	41	— —	
7.	1980	लेखाधिकारी	41	श्री ताराचन्द सोगानी	
				" सोमनाथ वासन	
				" विमल चन्द जैन	
				" देवी सहाय	
				" छगनलाल	
				" मदनलाल बोरा	
				" पी. सी. द्विवेदी	
8.	1981	"	43	" एच. एम. चौरड़िया	
				" ग्यारसी लाल खण्डेवाल	
				" वी. के. जोशी	
				" ओम प्रकाश महेश्वरी	
				" सीताराम खुंटेटा	
				" रामप्रकाश सक्सेना	
9.	15.1.82	"	43		

1. 1. 74 से 15. 1. 82 तक विभिन्न स्वीकृत पदों को दर्शाते हुये विवरण तालिका

क्र.सं.	वर्ष	नाम पद का	स्वीकृत पदों की संख्या	व्यक्ति के नाम पदोन्नति के माध्यम से	सीधा भर्ती के माध्यम से
1.	1974	वरिष्ठ लेखाधिकारी	4	—	—
2.	1975	वरिष्ठ लेखाधिकारी	4	—	—
3.	1976	वरिष्ठ लेखाधिकारी	7	श्री जे0 सहाय श्री आर. मुकर्जी श्री शेर सिंह जैन	
4.	1977	वरिष्ठ लेखाधिकारी	11	श्री एस. एल. जोशी श्री आर. शर्मा	
5.	1978	वरिष्ठ लेखाधिकारी	12	श्री एच. एल. अग्रवाल श्री एम, एम. ग्रोवर	
6.	1979	वरिष्ठ लेखाधिकारी	13	—	—
7.	1980	वरिष्ठ लेखाधिकरी	13	श्री सौभाग्य चन्द्र माथुर श्री सुमेर चन्द जैन श्री जेठानन्द श्री पूरण चन्द काला श्री बंशी मल माथुर श्री जगदीश प्र. शर्मा श्री के. सी. तनेजा	
8.	1981	वरिष्ठ लेखाधिकारी	15	—	—
9.	15.1.82	वरिष्ठ लेखाधिकारी	15	श्री बलवन्त सिंह श्री के. एल. जोशी	

———

1. 1. 74 से 15. 1. 82 तक विभिन्न स्वीकृत
पदों को दर्शाते हुये विवरण तालिका

क्र.सं.	वर्ष	नाम पद का	स्वीकृत पदों की संख्या	व्यक्ति के नाम पदोन्नति के माध्यम से	सीधा भर्ती के माध्यम से
1	2	3	4	5	6
1.	1974	लेखा नियन्त्रक	—	—	—
2.	1975	लेखा नियन्त्रक	—	—	—
3.	1976	लेखा नियन्त्रक	—	—	—
4.	1977	लेखा नियन्त्रक	2	श्री वी0सी0भिरिल्ला	
5.	1978	लेखा नियन्त्रक	-	—	—
6.	1979	लेखा नियन्त्रक	6	श्री के0सी0माथुर श्री डी.पी. प्रभाकर	— —
7.	1980	लेखा नियन्त्रक	6	—	-
8.	1981	लेखा नियन्त्रक	6	श्री शेरसिंह जैन	—
9.	1982 (15.1.82 तक)	लेखा नियन्त्रक	6	—	—

————

तालिका—ब

Abstract from the Schedule to Rajasthan State Electricity Board Office of (Recruitment, Promotion & Seniority). Regulations, 1974.

5.	Chief Internal Auditor/Controller of Accounts.	Selection Post/ Seniority cum-merit 100% promotion through departmental candidate.	**For Direct Recruitment :** Chartered Accountant with atleast 10 years experience as Accounts Officer or Internal Auditor or both in the Rajasthan State Electricity Board/State or Central Govt. or in reputed pub ic or private undertakings. Out of this, he must have held a senior post of Accounts or Audit Officer for atleasts years. **For Promotion :** to be filled in by promotion/Selection of a departmental officer :— (a) Dy. Controller of Accounts (b) Sr. Accounts Officers with a minimum service of 5 years as Dy. Controller of Accounts/ Senior Accounts Officers. NOTE :— Where suitable person is not available then by direct recruitment or by deputationuts.
7.	Dy. Controller of Accounts/ Senior Accounts Officer.	100% by Promotion.	A Greduate from any University established by Law in India or a foreign qualification recognised by the Govt./Board equivalent thereto & who has served atleast for 7 years as an Accounts Officer in the Board.

8.	Accounts Officer/ Audit Officer/ Revenue Office	25% by direct recruitment and 75% by Promotion (Upto 31.3.78) From 1.4.78 60% by Direct 40% by Promotion.	(a) **For Direct Recruitment :** Chartered Accounts (Member of the institute of Chartered Accountants of India) OR (b) Cost & Works Accountants of the Institute of Cost & Works Accountants of India, Calcutta. OR (c) Cost & Works Diploma of any recognised University in India 5 year experience in responsible position in Accounts Department of Public or Private undertakings preferably Electricity undertakings. (d) S. A. S. Accountant with 5 years service as SAS Accountant. **For Promotion :** The minimum experience required will be 5 years service as Assistant Accounts Officer in the Board or a total service of 15 years as Accountant and Assistant Accounts Officer in the Board, provided the person so eligible does not superceed any of his senior who may not have become eligible because of requisite experience as prescribed in these Regulations. Promotion would however be made under these Rules if senior person has been rejected on any ground other then completion of requisite period of service prescribed for eligibility.

कृषि कार्य हेतु विद्युत् प्रदाय

475. श्री तेजपाल यादव (चौमू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रबी की फसल बोने से पूर्न विद्युत् मण्डल ने 7 घन्टे कृषि के लिए विद्युत सप्लाई की घोषणा की थी ?

(2) यदि हां, तो कितने घन्टे माह नवम्बर से अब तक विद्युत सप्लाई की गयी ?

(3) क्या यह सही है कि कृषि श्रेणी उपभोग में तीन हॉर्स पावर से पन्द्रह हॉर्स पावर तक और उससे अधिक हॉर्स पावर में 75 प्रतिशत विद्युत कटौती की गयी है ?

(4) क्या यह सही है कि 25 हॉर्स पावर तक के लघु उद्योगो में विद्युत कटौती नहीं की गयी है तथा उनको दिन में बिजली दी जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी।

(2) प्रश्न 1 के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं।

(4) शहरी व ग्रामीण फीडर्स पर जितने घंटे बिजली दी जाती है उसी के अनुरूप 25 हॉर्स पावर तक के लघु उद्योगों को भी बिजली उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार इन पर कटौती उस ही सीमा तक है जितने घंटे कम या सीमित बिजली सम्बन्धित क्षेत्रों को मिलती है।

नाथद्वारा में सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक के न्यायालय की व्यवस्था

476. श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ये सही है कि तहसील मुख्या वास नाथद्वारा पर सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक की अदालत की आवश्यकता है ?

(2) यदि हां, तो सरकार कब तक स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

गोविन्दगढ़ (अलवर) उप तहसील के गांवों का विद्युतीकरण

477. श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सब तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर के गांवों को बिजली देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने गांवों को ? नहीं, तो क्यों ?

(श्री तिलोकसिंह)

(2) क्या यह सही है कि गोविन्दगढ़ कस्बे में कई सालों से बिजली आ चुकी है किन्तु गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुँच पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार गांवों में बिजली देने के आदेश जारी करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। गोविन्दगढ़ सब तहसील के सभी ग्रामों के विद्युतिकरण हेतु योजना स्वीकार की जा चुकी है।

(2) जी हां। गोबिन्दगढ़ सब तहसील ग्रामों के विद्युतिकरण करने का कार्य स्वीकृत योजना के अनुसार योजना के तृतीय व चतुर्थ वर्ष में प्रस्तावित है।

ग्रामों में अनुसूचित जाति/जन जाति के मोहल्लों को जलप्रदाय

478. श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा गांवों में नल योजना द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध करने हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों को प्राथमिकता देने के आदेश जारी किये हुए हैं ? यदि हां, तो आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रख की कृपा करें।

(2) क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने के आदेश हैं अथवा ग्राम पंचायत को इसका खर्च वहन करना पड़ता है ?

(3) क्या विभाग द्वारा ऐसे लोगों की बस्तियों और मोहल्लों में पेयजल प्रदाय ग्राम पंचायत द्वारा खर्च वहन करने की सूरत में नहीं किया जाता है और इन लोगों को निःशुल्क पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा निरर्थक रहती है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) नई नल योजना का कार्य कराने से पूर्व स्वीकृत लागत का 2·1/2 प्रतिशत राशि (हैण्ड पम्प योजना के अलावा अन्य योजनाओं पर ही) ग्राम पंचायत से वसूल की जाती है।

(3) जी नहीं।

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ 1(18) एम० सी० पी०/सकवि/80-81/49597

जयपुर, दिनांक 15-9-80

परिपत्र

विषय :—हरिजन बस्ती/मोहल्लों की परिभाषा।

अनुसूचित जाति कम्पोनेन्ट प्लान के सन्दर्भ से हरिजन बस्तियों/मोहल्लों में आधारभूत सुविधायें पहुंचाने के प्रश्न को लेकर ऐसी बस्तियों/मोहल्लों के चिन्हीकरण की आवश्यकता महसूस हुई जिसके फलस्वरूप आधार भूत सुविधायें उपलब्ध कराने वाले विभिन्न विकास विभागों की राय से राज्य सरकार ने हरिजन बस्तियों/मोहल्लों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है :—

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में :—

(1) ऐसी बस्ती/मोहल्लों जिसमें परिवारों की न्युनतम संख्या 20 हो।

(2) ऐसी उक्त बस्ती/मोहल्लों में 75 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की हो।

(3) ऐसी बस्ती/मोहल्लों में यदि दो या दो से अधिक अनुसूचित जाति की विभिन्न उप जातियां पास पास (शामिल) रहती हों तो वह एक ही बस्ती/मोहल्ला माना जावेगा।

(ख) शहरी क्षेत्रों में :—

शहरी क्षेत्रों में हरिजन बस्ती, मोहल्लों के लिये भी उपरोक्त परिभाषा ही लागू होगी किन्तु उनमें परिवारों की संख्या न्यूनतम 50 होना अनिवार्य होगी।

अतः अनुसूचित जाति कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विकास विभाग, बोर्ड, निगम, स्वायत्त संस्थायें, राजकीय उपक्रमों एवं स्थानीय निकाय संस्थायें जो हरिजन बस्तियों/मोहल्लों में आधारभूत सुविधायें जैसे पीने का पानी, विद्युतिकरण, स्वास्थ्य सेवायें, शिक्षा, वातावरण सुधार, लिंक सड़कें इत्यादि योजनायें क्रियान्वित करते हैं उनके लिए हरिजन बस्ती/मोहल्लों की उक्त परिभाषा/मापदण्ड

प्राधिकृत रूप से मान्य होंगे और विभागाध्यक्षों द्वारा भी केवल इन्हीं परिभाषित क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी विकास कार्य अनुमोदित किये जावेंगे।

हस्ताक्षर
(विनोदचन्द्र पाण्डे)
शासन सचिव
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ 1(18) एस० सी० पी०/सकवि/80-81/49598-846

जयपुर, दिनांक 15-9-80

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. समस्त शासन सचिव।
2. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर।
3. समस्त जिलाधीश।
4. समस्त विकास अधिकारी।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।

हस्ताक्षर
(गजेन्द्र हल्दिया)
निदेशक,
समाज कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

No. F.(2)EE/P&D/SCP/81-82/8535-8689 Dated : 16/1/82

All ACEs, PHED.
All SEs, PHED Circle
All EEs, PHED Division

Sub :—Review of Special Component Plan for PHED.

Detailed instructions about S. C. Plan were issued vide this office letter No. F (2)P&D/SCP/81-82/4413—4503 dated 8.4.81, subsequently the social welfare Deptt., vide No. F. 1(18)SCP/SWD/80-81/49597 dated 15.9.81 issued the circular defining harijan basties, the copy of which was also forwarded to you vide this office No. F.(2)CE/P&D/SCP/81-82/7174-7240 dated 17.10.81. It is observed that inspiteof repeated instructions no attention is paid towards this matter.

The C. M. reviewed the progress of S. C. Cnmponet plan wherein he desired that districtwise targets for benefit of S.C. be fixed up and monitoring be done accordingly. Repeatedly it has been desired that depending upon the population at least one HP in a village should be installed in S. C. basti and its expenditure, number of S. C. families and population benefitted be shown under progress of component plan. Similarly in case of urban reorganisation schemes the distribution system should invariably be provided in SC basties, the pipe line so laid its cost and number of beneficiaries be shown under progress of SC component plan. It is observed that the information is not being sent :

Funds for extension of pipe lines in existing schemes in SC/ST [redacted], both urban and rural sector have been provided in all the districts, but it is observed that actual work in this item has not been carried out so far. You are requested to ensure proper utilisation of funds alongwith actual laying of pipelines at site immediately and send the progress to this office giving details of pipeline laid, expenditure incurred and Nos. of beneficiaries. This should not involve merely booking of expenditure for purchase of pipes, but actual work should be done, otherwise a serious view will be taken against the defaulters.

In certain urban schemes, H. P. are also being installed. There also, it should be ensured that proper benefit goes to SC population by

providing HP in SC basties. Details of such HP installed, its expenditure and No. of beneficiaries be intimated to this office.

For sending the information as impeified proforma is being enclosed. The information from April, 81 to December, 81 be sent to this office by 23rd Jan. 82 positively and subsequently this information should be sent monthly so as to reach this office by 10th of every month duly reconciled and consolidated in regional office.

Sd/-
Chief Engineer,
PHED, RAJASTHAN,
JAIPUR.

Copy of letter No. F. 1(4)FD/A&I/72 Jaipur, dated the 29th August, 1980 from Shri R. L. Jain, Dy. Secretary to the Govt., Finance (CA&I) Department, Rajasthan, Jaipur and addressed to the Chief Engineer, PHED, Rajasthan, Jaipur.

Sub :—Amendment in the Manual of Water Works Department.

I am directed to say that the following may be added as a note below sub-rule 2(1) of Rule 7 in Chapter II of the Manual of Water Works Department approved vide this Deptt., letter No. F. 2(3)FD/A&I/61 dated 6th November, 1969 :—

Note :—"Notional cost of free supply of water through Public stand posts shall be billed at the normal rates against Municipality/Panchayat Samity concerned and book adjustment will be carried out by debit to the Budget provision in the relevant service head made in the Receipt head of P.H.E.D. Assessment of Demand will be made on the basis of average consumption of water in respect of each public stand posts by installing master metres".

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPT., JAIPUR.

No. F. 10(134)PHED/80-81/16049—16114 Dated : 13 October, 80

Copy forwarded to the following for information/necessary action :—

1. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
2. The Financial Adviser & Chief Accounts Officer, Raj. Water Supply & Sewerage Management Board, Jaipur.
3. All Addl. Chief Engineers, PHED Rajasthan, Jaipur.
4. All Superintending Engineers, PHED, Rajasthan.
5. [redacted]tixe Engineers, PHED Rajasthan.

Sd/—
ACCOUNTS OFFICER,
PHED (HQ) RAJ., JAIPUR.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

No. F(2) P & D/SCP/81-82/4413-4503 Dated : 8-4-81

All ACEs PHED,

Sub :—**SPECIAL COMPONENT PLAN FOR PHED.**

The special component plan shows the flow of plan funds for the diresct benefit of Schedule Caste and the quantum of State, Plan funds earmarked for Welfare of the Schedule Caste.

As regards water supply and sewerage sectors the flow towards special component plan may consist of following items which my be divisible giving direct benefit to the Schedule Caste population or indivisible giving indirect benefit to the S. C. population. The items which can be incorporated for direct benefit may be extension of pipeline in Schedule Caste basties, providing water supply in village haveing more than 50% population, construction of tubewell and installation of Hand Pumps in Schedule Caste basties. As regards indirect benefit the re-organisation or augmentation or new schemes in villages or towns will benefit the Schedule Caste population with the likely overall benefit to the said villages or towns.

The sewerage system and conversion of dry latrines in flush latrines may directly benefit, the Schedule Caste population as such it is computed as direct advantage to the Schedule Caste population.

The Government has laid down the criteria for preparing S C. component plan for providing drinking water [redacted] facilities for S. C. basties/mohalla in existing water supply schemes [redacted] maintenance as well as under execution, and also for those sehemes, which are yet to be sanctioned.

The following guidelines have been fixed :—

1. **DEFINITION :—**

(a) For rural area a S. C. basti/mohalla would be defined as following,

(i) There should be atleast 30 households in the Mohalla/ Basti.

(ii) Atleast 75% of the population of such a Basti/ Mohalla should consist of Schedule Caste.

(iii) If two or more different castes within the Schedule Castes have households continuous to one another, they would all be treated as one basti/mohalla.

(b) For urban area, the same definition would apply except that the minimum number of households would be 50 instead of 30.

While determining the interse priority among the S C. mohal a/ basti, the number or households would be the determining factor and the Basti/Mohalla having greater number of households be higher in order of priority.

2. In regional water supply schemes one central tank in the village is provided. These schemes have been mostly taken up in the western districts of Rajasthan where the source of water for all the castes is usually one. It would not, therefore, be desirable to introduce a separate source of water in such cases. A suitable proportion of the expenditure on such schemes should, however, be reflected in the S. C. Plan as the Scheduled Caste mohalla/basti would proportionately benefit from this scheme.

3. In case of piped water supply schemes, a suitable number of taps should be provided in S. C. basti/mohalla and the total cost of scheme should be proportionately divided on the basis of population and show[redacted]an.

4. In cases of TSS, a proportionate cost should be shown in the S. C. Plan as in case of Reg. Water Supply Scheme. However, where the number of households in . C. basti/mohalla exceeds 50 a separate TSS should be considered for S. C. basties and included in the S. C. Plan.

5. In case of handpumps, the cost of such handpumps as are installed in S.C. basti/mohalla would be reflected in the S.C, Plan.

6. All expenditure incurred on conversion of dry latrines into flush latrines and sewerage schemes should be shown under S C. Plan as this expenditure directly benefites the seavengers.

7. For urban areas, only the actual expenditure in slum areas would be shown in S C. Plan.

8. As recommended by the "working group" on the development of Scheduled Caste, the existing position of Scheduled Castes with regards to the availability of drinking water in their Basti/Mohalla should be assessed, in the light of the following points :—

(i) Every new source of drinking water in the village should be located in the SC habitation.

(ii) Where only one drinking water source can be provided for village, it sould be located in SC habitation.

(iii) In case of piped water supply, a fair proportion of water stands (PSP) and handpumps should be located in SC habitation. In such cases the ratio of water stands (PSP) and handpumps per unit population should not be less for Scheduled Caste than for others.

(iv) The bulk of plan programmes and outlays for drinking water supply, both in state sector and centrel sector, should come into the SC Plan.

(v) The list of 'Problem Villages' has been prepared without taking into account the social problem experienced by the Harijan Basties. Therefore [redacted] Basties of 'Non-problem Villages' where Scheduled Castes do not experience full and equal access to the drinking water sources in the village should be included in the list of 'Problem Villages'. Similarly, in the list of 'Problem Villages'; the Harijan Basties. where Scheduled Castes will not be able to experience full and equal access to drinking water should be separately included in the list of 'Problem-Village', so that in such cases either a common source may be located in the scheduled caste Basti or a separate source may be located in the Basti.

294

(vi) The following information should be collected through surveys immediately :—

(a) Number of villages in the State,

(b) Number of villages with facilities for drinking water,

(c) The number of SC localities with drinking water facilities,

(d) The list of villages which have a drinking water source, but where the Harijan locality is without drinking water.

For schemes which are under maintenance detailed survey on above lines should be carried out within two months and proper estimates for providing drinking water facility in SC basti/mohalla should be sent. For the schemes which are under execution it should be ensured that PSP, HP or other source of water supply should be provided in SC basies/mohalla.

The Schemes which are now being prepared should also incorporate details of SC localities on above lines and proper provision for drinking water in such localities should be kept.

The monthly progress for the year 1981-82 should be sent the in proforma circulated vide this office letter No. 3633-3711 dated 12/2/81. The consolidated progress report in respect of SC Plan for the year 1980-81 be also sent to this office latest by 10th April, 81 as the same has been urgently asked by the Government.

Sd/-
CHIFE ENGINEER,
PHED, RAJASTHAN.

No. F (2) P & D/SCP/81-82/4413-4503 Dated : 8-4-81

Copy forwarded to :—

1. All SEs/EEs (including those in HQ office), PHED.

(295)

2. Director, Social Welfare Deptt., Raj. Jaipur.

3. SE (R)/SE (U) for checking the details in respect of SC basties while sanctioning new schemes and schemes under augmentation. While examining the town plan survey of village/town the marking of the Schedule Caste basties should be insisted.

Sd/-
CHIEF ENGINEER,
PHED, RAJASTHAN.

Page No 296

जोधपुर नगर परिषद् की सीमा में अवस्थित मकान व बाड़ों का नियमन

480. श्री नरपतराम बरबड़ (सूरसागर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1977 में सरकार ने उन बाड़ों व मकानों के नियमन करने के आदेश दिये थे जो नगर-परिषद् की सीमा बढ़ाने से नगर परिषद् की सीमा में आ गए थे ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर परिषद् की सीमा में इस प्रकार के हजारों मकान व बाड़े हैं जिनका नियमन किया जाना है ? यदि हां, तो इन मकानों व बाड़ों का नियमन कब तक, किस प्रक्रिया तथा नियमों के तहत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक [redacted] हेतु आवंटन रूपान्तरण एवं नियमन) नियम 1978 के नियम 11 (1) के परन्तुक में यह व्यवस्था थी कि यदि किसी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग कर लिया गया हो एवं बाद में नगरीय सीमाओं के विस्तार के कारण उस को नगरीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया हो तो ऐसे मामले में रूपान्तरण उन्हीं शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार होगा जो उस भूमि को नगरीय क्षेत्र में शामिल करने से पूर्व उस पर लागू थी। नये नियमों में यह व्यवस्था हटा दी गई है।

(2) जोधपुर नगर परिषद् की सीमा में भूमि पर अवैध रूप से किये गये निर्माण के ऐसे मामलों की संख्या काफी अधिक है परन्तु कौन-कौन से मामले वस्तुतः इस वर्ग के हैं यह अभी नहीं कहा जा सकता। अब इन मामलों का नियमन वर्ष 1981 के नियमों के तहत होगा।

अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों की भूमि का रूपान्तरण

481. श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (मावली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों की भूमि को आवासीय या औद्योगिक भूमि के रूप में परिवर्तित करने की श्रेणी में नहीं रखे जाने के क्या कारण है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में नियम बनाने हेतु विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (ख) में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के खातेदारों की भूमि का अन्य वर्गों के व्यक्तियों को हस्तान्तरण करने का निषेध है। इस निषेध के कारण जिन मामलों में अनुसूचित जाति एवं जन

(राजस्व मंत्री)

जाति के कृषकों की भूमि का अन्य वर्गों के लोगों को हस्तान्तरण हुआ है उनमें, हस्तान्तरण गैर कानूनी होने से रूपान्तरण नहीं किया जा सकता।

(2) उपरोक्त को देखते हुए इसका प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रतनगढ़ क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

482. श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1980–81 व 1981–82 में रतनगढ़ क्षेत्र के कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ ?

(2) वर्षवार विद्युतीकृत गांवों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) सन् 1982-83 में रतनगढ़ क्षेत्र के लिए गांवों के विद्युतीकरण की क्या योजना है ? सम्भावित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) आलसर नलकूप को चालू करने के लिए विद्युत लाइन हेतु कितनी राशि विश्व बैंक से प्राप्त हुई ?

उत्तर

(1) रतनगढ़ क्षेत्र में वर्ष 1980-81 में दो ग्राम तथा 1981-82 में (माह फरवरी, 82 तक) चार ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है।

(2) वर्षवार विद्युतीकृत गांवों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) 1982-83 के लिए ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम अभी निर्धारित नहीं किया गया है। अतः सूची सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है।

(4) ग्राम आलसर के नलकूप को चालू करने के लिये विद्युत मण्डल को विश्व बैंक से सीधी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

रतनगढ़ क्षेत्र में विद्युतीकृत ग्रामों की सूची वर्षवार

वर्ष 1980–81

क्र.सं.	ग्राम	कोड संख्या
1.	मेनासर	3/6/84
2.	कनवारी	3/6/86

वर्ष 1981–82

क्र.सं.	ग्राम	कोड संख्या
1.	लुनची	3/6/66
2.	ग्रामसर	3/6/33
3.	बिकान	3/6/34
4,	बादवा	3/6/30

कस्बा दौसा में जल प्रदाय की समुचित व्यवस्था

48 १. **श्री सोहन लाल बंशीवाल** (दौसा): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या दौसा में पीने के पानी की वितरण व्यवस्था आज से 20 वर्ष पहले के अनुसार ही है जबकि इन 20 वर्षों में दौसा की आबादी का काफी विस्तार हो गया है ?

(2) क्या दौसा में नगरपालिका के वार्ड नं. 6, 11 व 12 में पानी की सप्लाई-लाइन बिछाने के अनुमान बन गये हैं ? यदि हां, तो फिर उन पर कार्य चालू क्यों नहीं किया गया है ?

उत्तर

(1) दौसा कस्बे की पीने के पानी की वितरण व्यस्था 20 वर्ष पहले के अनुसार नहीं है। उसमें काफी सुधार हुआ है। 20 वर्ष पहले पीने के पानी की वितरण व्यवस्था बड़ा कुआ से व राम कुंड से ही की जाती थी जो करीब एक लाख गैलन प्रतिदिन की थी। किन्तु इस योजना का पुनर्गठन सन् 1974-75 में किया था उसके अनुसार उपरोक्त स्रोतों के अलावा हौदायली है डवर्क्स आदि से लगभग 3,60,000 गैलन प्रतिदिन जल वितरण किया जा रहा है।

(5) दौसा कस्बे के वार्ड नं. 6, 11 व 12 में पानी की सप्लाई लाईन बिछाने का अनुमान तैयार है। लेकिन सीमित वित्तीय साधनों की वजह से यह कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26 फरवरी, 1982)

विकलांगों को सुविधायें

111. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम);

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक);

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़);

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) व

श्री सुरजाराम टाक (नोखा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1981-82 को विकलांग वर्ष घोषित [redacted] विकलांग वर्ष में राज्य सरकार द्वारा कितने विकलांगों को कितनी सहायता राशि प्रदान की गई ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विकलांग वर्ष में कितने विकलांगों को राज्य के विभिन्न विभागों में नौकरी पर लगाया है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। राज्य में इस वर्ष

(श्री सुरजा राम टाक)

विकलांगों के पुनर्वास एवं नौकरी हेतु क्या कोई विशेष योजना है ? कृपया योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1981 के पूर्व विकलांगों को क्या सुविधाएं प्रदान की जाती थीं तथा वर्तमान में उन्हें क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ? कृपया विकलांगों को दी जाने वाली सुविधाओं सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या राज्य सरकार ने विकलांग वर्ष में राज्य के विकलांगों का सर्वेक्षण करवाया है ? यदि हां, तो कृपया जिलेवार विकलांगों की संख्या सदन की मेज पर रखे ।

(5) क्या यह सही है कि विकलांगों को पेन्शन देने में कोई आयु सीमा पूर्व में भी नहीं थी और अब भी नहीं है ? यदि हां, तो वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में कितने लोगों को पेन्शन दी गयी ?

[redacted], टोंक एवं झालावाड़ जिलों में विकलांग वर्ष के दौरान कितने लोगों को विशेष लाभ, नौकरियां एवं पुनर्वास की सुविधाएं दी गईं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1981 को विकलांग वर्ष घोषित किया गया था । वर्ष 1981-82 में विकलांगों को जनवरी, 1982 तक दी गई सहायता की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(परिशिष्ठ "क")

(2) विकलांग वर्ष में जितने विकांगों को राज्य के विभिन्न विभागों में नौकरी पर लगाया गया उसकी सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है पुनर्वास एवं नौकरी हेतु योजनाओं का संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(परिशिष्ट "ख")

(3) 1981 से पूर्व एवं वर्तमान में विकलांगों को दी गई सुविधाओं का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । सुविधाओं संबन्धी नियमों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

(परिशिष्ठ "ग")

(परिशिष्ट "छ", "च", "छ", "ज", "झ", "ट", "ठ", "ड")

(4) जी हां, प्राप्त सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(परिशिष्ट "ढ")

(5) जी नहीं । अपाहिज पेंशन हेतु पूर्व में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष थी

(समाज कल्याण मन्त्री)

और अब आयु सीमा घटा कर 8 वर्ष कर दी गई है। पेंशन की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट "ग")

(6) सूचना उपरोक्त परिशिष्ट "क", "ख" एवं "ग" में, जो सदन के पटल पर रख दी गई है, में दे दी गई है।

(नियमों की प्रतियां, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ढ, ड विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

परिशिष्ट "क"

विकलांग वर्ष के दौरान विकलांगों को प्रदत्त विभिन्न प्रकार की सहायता से लाभान्वित व्यक्तियों की जिलेवार सूचना :—

क्र. सं.	जिला	पेन्शन (जनवरी 1982 तक)	सहायता का प्रकार			कृत्रिम अंग/उपकरण सहायता	विशेष विवरण
			छात्रवृत्ति (जनवरी 1982 तक)	स्वनियोजन हेतु सहायता/निजी संस्थाओं में रोजगार	सहकारी विभागों में नौकरी		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जयपुर	48	—	200	190	1554	
2.	उदयपुर	80	—	11	115	181	
3.	जोधपुर	830	171 (31,020 रुपये)	73	57	437	
4.	कोटा	52	325 (58,220 रुपये)	—	111	135	

Page No 303

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	अजमेर	108	—	38	80	241	
6.	बीकानेर	84	68 (7525 रुपये)	47	99	551	
7.	गंगानगर	30	—	2	110	49	
8.	भरतपुर	529	—	23	74	460	
9.	अलवर	303 (54,323 रुपये)	—	11	31	51	
10.	पाली	310 (48,000 रुपये)	343 (67,500 रुपये)	116 (1,01,626 रुपये)	37	279	
11.	नागौर	20	—	—	23	54	
12.	स. माधोपुर	387	452 (1,77,000)	—	104	123	
13.	भीलवाड़ा	328	—	13	71	101	
14.	चित्तौडगढ़	262	312 (1,11,710 रु.)	12	60	51	—

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	झुंझुनू	67	—	10	39	46	
16.	सीकर	76 (34,500 रु.)	64 (22,910 रु.)	8	53	62	
17.	चूरू	69	—	—	32	23	
18.	बाड़मेर	44	—	14	51	15	
19.	जालौर	120 (11,198 रु.)	27 (2,480 रु.)	6	24	41	
20.	बांसवाड़ा	19 (1,981 रु.)	498 (1,66,920 रु.)	—	30	33	
21.	टोंक	75	165 (57,190 रु.)	4	22	91	
22.	डूंगरपुर	13	—	—	27	45	
23.	झालावाड़	62	108 (13,830 रु.)	4	46	106	

1	2	3	4	6	7	8
24. बून्दी	207	—	10	27	88	
25. सिरोही	240	—	—	25	19	
26. जैसलमेर	89	1 (400 रुपये)	10	12	4	
योग लाभान्वित व्यक्ति	4552	2574	612	1557	4736	

परिशिष्ट "ख"

विकलांगों के पुनर्वास एवं नौकरी हेतु योजना

स्वरोजगार हेतु अनुदान

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास की दृष्टि से उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके द्वारा किसी भी उद्योग अथवा व्यवसाय चलाने के लिये उन्हें बैंक ऋण उपलब्ध करा कर योजना पर होने वाले व्यय का एक तिहाई भाग एकीकृत ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है जो अधिक से अधिक 1 व्यक्ति के लिये 3,000 रुपये हो सकता है। इस योजना का लाभ वे व्यक्ति पा सकते हैं जिनकी आय 750/—रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो। यह योजना शहरी क्षेत्रों के विकलांगों के लिये प्रारम्भ की गई है। यह अनुदान उन सभी कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जाता है जिनके लिये बैंकों द्वारा विकलांग व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किया जावे। इसका कारण यह है कि बैंक अनुमानित व्यय का अधिक से अधिक 75 प्रतिशत ही ऋण के रूप में स्वीकृत करते हैं किन्तु गरीब विकलांग व्यक्ति शेष 25 प्रतिशत भाग न जुटा पाने के कारण ऋण योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। अतः उन्हें ऋण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये सक्षम बनाने की दृष्टि से यह योजना प्रारम्भ की गई है। इसके लिये जिला ग्रामीण अभिकरणों को 3·50 लाख रु. की राशि आवंटित की गयी है।

स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांग व्यक्तियों को भी स्वरोजगार हेतु ट्राइसम योजना द्वारा, जो राज्य के विशिष्ठ योजना संगठन द्वारा संचालित की जा रही है, प्रशिक्षण का लाभ दिया जा रहा है। इसी आधार पर शहरी क्षेत्रों के विकलांग व्यक्तियों के लिये इस वर्ष प्रावधान किया गया है। जिसके आधार पर प्रशिक्षणार्थी को भत्ता, प्रशिक्षण पर आने वाला व्यय, प्रशिक्षक को पारिश्रमिक एवं पाठ्यक्रमों के संयोजकों को भत्ते आदि का प्रावधान किया गया है। इस योजना की क्रियान्विति जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से की जा रही है जिसके लिये ग्रामीण विकास अभिकरणों को 2 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा अनुदानित स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा भी विकलांगों के प्रशिक्षण एवं पुनर्संस्थापन हेतु भी कार्य किया जाता है। इन संस्थाओं में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को मासिक भत्ता भी दिया जाता है।

विकलांगों को सक्षम बनाने हेतु कृत्रिम अंग/सहायक उपकरणों की सहायता

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, विशेष प्रकार के वाहन, साहाय्य एवं उपकरणों, यंत्रों आदि की सहायता दी जाती है ताकि वे सक्षम होकर

अपना जीवन निर्वाह कर सकें। यह साधन तीन पहियों की साइकिल, श्रवण यंत्र, प्रोस्थोटिक एड़ आदि है। इनमें वे सभी साधन सम्मिलित हैं जो विकलांग व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यकलापों के लिये सहायक हो सकते है तथा उनके पुनर्संस्थापन (स्वतन्त्र रूप से कार्य) करने आदि के रूप में दी जाती है। इन कार्यों के लिये 1,000 रुपये तक के उपकरण की सहायता उन व्यक्तियों को मिल सकती है जिनकी आय 3600 रुपये वार्षिक से कम हो।

राजकीय विभागों की नौकरियों में आरक्षण

वर्ष 1976 में राजकीय सेवाओं में 2 प्रतिशत स्थान विकलांग व्यक्तियों के लिये सुरक्षित रखे गये थे जिसे विकलांग वर्ष 81--82 में बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है।

बेरोजगार विकलांग स्नातक व स्नातकोत्तरों को बेरोजगारी भत्ता

यह योजना इसी वर्ष प्रारम्भ की गयी है। जो विकलांग व्यक्ति प्रथम व द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर परीक्षा पास करने वाले व्यक्तियों को क्रमशः 150/— तथा 250/—रु. माहवार भत्ता दिया जाता है जो अधिक से अधिक 2 वर्ष अथवा उसकी नौकरी लगे तब तक, जो भी पहले हो, देय है।

परिशिष्ट "ग"

विकलांग व्यक्तियों को वर्ष 1981 से पूर्व तक इसके पश्चात् दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण

वर्ष 1981 से पूर्व दी जाने वाली सुविधायें	इस वर्ष प्रारम्भ की गई अतिरिक्त सुविधायें/वर्तमान
1	2
छात्रवृत्ति-कक्षा 1 से विश्वविद्यालय स्तर तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां निदेशालय स्तर से स्वीकृत की जाती थीं।	इस वर्ष से छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का कार्य जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है।
पेन्शन—विकलांगों को दी जाने वाली न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। विकलांगों को प्रशिक्षण के लिये अनुदानित संस्थाओं के माध्यम से व्यवसायों में प्रशिक्षण की सुविधायें थीं।	पेन्शन दी जाने वाली न्यूनतम आयु सीमा 8 वर्ष कर दी गई है। इस वर्ष शहरी क्षेत्र के विकलांगों के लिये ट्राइम इस योजना के आधार पर प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ की गई है।
सरकारी नौकरियों तथा राजकीय उपक्रमों में 2 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे गये हैं।	इस वर्ष इस प्रतिशत को बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है जिसमें से 1 प्रतिशत स्थान नेत्रहीनों के लिये, 1 प्रतिशत स्थान मूक बधिर के लिये व 1 प्रतिशत स्थान अस्थिविकृत व्यक्तियों के लिये आरक्षित किये गये हैं।

1	2
विकलांगों को कृत्रिम अंग लगाने के लिये अजमेर, उदयपुर, जयपुर में केन्द्र थे।	इस वर्ष बीकानेर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर एवं पाली में भी कृत्रिम अंग लगाने के केन्द्र प्रारम्भ किये हैं जहां कृत्रिम अंग निःशुल्क लगाये जाते हैं। इन्हें आने जाने का किराया भी दिया जाता है। स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण की योजना प्रारम्भ की गई है जिसका क्रियान्वयन जिले के संबंधित ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से किया जा रहा है। स्वरोजगार के लिये विकलांग व्यक्तियों को जिन योजनाओं हेतु बकों से ऋण प्राप्त हो सकता है उनके लिये 33·33 प्रतिशत अनुदान ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है जिसकी एक व्यक्ति के लिये अधिकतम राशि 3,000 रु. है। बेरोजगार विकलांग स्नातक व स्नातकोत्तर (प्रथम व द्वितीय श्रेणी) को क्रमशः 150 व 250 रु. प्रतिमाह 2 वर्ष या नौकरी लगने पर, जो पहले हो, दिया जाता है।
राजस्थान रोडवेज की बसों में नेत्रहीनों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा है।	नेत्रहीन छात्रों के लिये पुस्तकें उपलब्ध कराने की दृष्टि से बीकानेर में ब्रेल डुप्लीकेटर की व्यवस्था की गई है।

1	2
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकलांगों के लिये 1-1/2 प्रतिशत मकान आरक्षित किये गये हैं।	नेत्रहीनों की सुविधा के लिये ब्रेल कागज और ब्रेल घड़ियां बिक्री कर से मुक्त की गई हैं।
विकलांग राज्य कर्मचारी को उनके वेतन का 10 प्रतिशत व अधिकतम 50 रु. प्रति माह वाहन भत्ता दिया जा रहा है।	इस वर्ष नेत्रहीन राज्य कर्मचारियों की राज्य बीमा की सुविधा दी गई है। विकलांगों के प्रशिक्षण के लिये शल्टर्ड वर्कशाप की स्थापना की जा रही है। टेपरिकार्डर।

परिशिष्ट "ढ"

विकलांगों के सर्वेक्षण का परिणाम

कुल विकलांगों की संख्या

क्र.सं.	जिला	नेत्रहीन	गूंगे बहरे	शारीरिक विकलांग	योग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	बांसवाड़ा	385	292	661	1338	
2.	भीलवाड़ा	739	193	758	1690	
3.	टौंक	5[illegible]2	194	1134	1938	
4.	कोटा	579	255	1337	2171	
5.	सिरोही	418	123	409	950	
6.	जालौर	1061	201	626	1888	
7.	स. माधोपुर	542	299	853	1694	

1	2	3	4	5	6	7
8.	बून्दी	283	64	609	956	
9.	डूंगरपुर	367	326	879	1563	
10.	गंगानगर	28[illegible]	236	1157	1681	
11.	झालावाड़	519	216	1550	2285	
12.	उदयपुर	1382	618	1861	3861	
13.	चित्तौड़गढ़	611	224	1487	2322	
14.	पाली	2572	394	1430	4396	
15.	अलवर	—	—	—	4503	
16.	बाड़मेर	522	187	553	1262	
17.	जैसलमेर	109	36	192	337	
18.	सीकर	604	382	941	1927	
19.	नागौर	858	417	1115	2390	
20.	अजमेर	1260	443	1724	3427	
21.	चूरू	87	11	705	803	

1	2	3	4	5	6	7
22.	जोधपुर	—	—	—	2384	
23.	बीकानेर	320	131	647	1098	
24.	भरतपुर	908	345	1682	2935	
25.	झुंझनू	549	327	1098	1974	
26.	जयपुर (जयपुर)	411	178	573	1162	
	योग :—	15914	6092	23972	52867	

परिशिष्ट "ग"

वर्ष 80–81 व 81–82 में विकलांगों को दी गई पेन्शन की जिलेवार सूचना :—

क्र.सं.	जिला	वर्ष 80–81	वर्ष 81–82 (जनवरी, 82 तक)	
1	2	3	4	5
1.	जयपुर	51	48	
2.	उदयपुर	46	80	
3.	जोधपुर	816	830	
4.	कोटा	52	52	
5,	अजमेर	93	108	
5.	बीकानेर	8	84	
7.	गंगानगर	15	30	
8.	भरतपुर	465	529	
9.	अलवर	368	303	
10.	पाली	17	310	
11.	नागौर	20	20	
12.	स. माधोपुर	332	387	
13.	भीलवाड़ा	25	328	
14.	चित्तौड़गढ़	182	262	
15.	झुंझनू	58	67	
16.	सीकर	19	76	
17.	चूरू	26	69	
18.	बाड़मेर	43	44	

1	2	3	4	5
19.	जालौर	119	120	
20.	बांसवाड़ा	4	19	
21.	टोंक	9	75	
22.	डूंगरपुर	13	13	
23.	झालावाड़	53	62	
24.	बून्दी	200	207	
25.	सिरोही	233	250	
26.	जैसलमेर	88	89	
	योग:—	3355	4552	

परिशिष्ट--4

अतारांकित प्रश्न संख्या 393 की सूची
ग्राम खारी चारनान

क्र. सं. 1	नाम 2	रकबा 3	तादाद 4	
1.	श्री रामदेव पुत्र खुमाणाराम मेघवाल	57	25	
2.	" मोडाराम जोगाराम सा. गजनेर	58	25	
3.	" रामूराम हनूताराम नायक सा. चांडासर	60	25	
4.	" मोडाराम परताराम मेघावाल सा. नाईयों की बस्ती	61	25	
5.	" गंगाराम आसूराम नाइयों की बस्ती	62	25	
6.	" चम्पादेवा पोकरराम कुम्हार नाइयों की बस्ती	63	25	
7.	" मवाराम लालूराम भाटिनी कोटडा	64	25	
8.	" बरमाराम मागूराम सांसी ,,	56	25	चक नं. 3
9.	" अमरसिंह रूपसिंह पूतसा बलाला	49	25	,, ,,
10	,, जिवराजसिंह धोकलसिंह राजपूत सा. बस्ती चौहानान	54	25	,, ,,
11.	,, लाधूराम ताजाराम मेघवाल सा. कोटड़ा	55	25	,, ,,
12.	,, विशालसिंह लखसिंह राजपूत	50	25	,, ,,
13.	,, जानी नाथूखां मुसलमान, गजनेर	135/62	25	चक नं. 4
14.	,, मेराराम हिम्मतराम ब्राह्मण	136/62	25	,, ,,
15.	,, रूखमा मोतीराम मेघवाल गजनेर	135/62	25	,, ,,
16.	,, फूसेखां समसेर खां मुसलमान	135/62	25	,, ,,
17.	,, जीयाराम मोडाराम हरिजन	135/62	25	,, ,,
18.	,, बंशीराम हजारीराम हरिजन	135/62	25	,, ,,
19.	,, मंवरलाल नेतूराम नायक	135/62	25	,, ,,
20.	,, चौथी मगाराम नाई सा. नाइयों की बस्ती	135/62	25	,, ,,

———

(317)

ग्राम मढ़

	रकबा	तादाद
1. श्री लूणराम हीजाराम मेघवाल सा. मढ़	42/1	16/2
		16/2 कुल

ग्राम मोटावता

1. श्री भींवसिंह गिरधारीसिंह राजपूत ग्रांदड़ा	13 मिन	25/	मोटावता
2. ,, सुगनाराम मघाराम नायक सा. रिवसलिया	13 मिन	25/	,,
3. ,, घन्नाराम जोगाराम मेघवाल सा. खींदासर	13 मिन	25)	,,
4. ,, हजारीराम सिरथराम मेघवाल सा. मिसकौर	13 मिन	25/	,,
5. ,, मोमन्दराम भीयाराम नायक सा. सियांणा	13 मिन	25)	,,
6. ,, गोमन्दराम खुमदान चारण सा. सियांणा	13 मिन	25/	,,
7. ,, बिसणखां मोहनराम कुम्हार सा. खिदांसर	13 मिन	25/	,,
		175/ कुल	

3/8

ग्राम गुडा

क्र. सं.	आंवटी का नाम	खं नं.	भूमि का विवरण
1.	श्रीमती अलीरखां मुसलमान निवासी गुडा	55	25 बीघा
2.	" प्रहलादपुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी गुडा	55	25 बीघा
3.	" रमाचन्द्र रूपाराम मेघवाल नि. मढ़	50	50 बीघा
4.	" मथाराम रूपाराम मेघवाल नि. मढ	50	50 बीघा
5.	" रामदयाल रूपाराम मेघवाल नि. मढ़	50	50 बीघा
6.	" लिखाराम रामकिशन ब्राह्मण नि. गुडा	55	25 बीघा
		कुल	225 बीघा

ग्राम गंगापुरा

1.	श्री खुमाराम पुत्र पोकराम	411 मोन	25
2.	" रुघनाथराम रामर्धन ब्राह्मण	"	25
3.	" नारायणराम चुन्नीलाल खारीचारनान	"	25
4.	" हुक्मामड उदाराम सा. खारीचारनान	38 मीन	25
5.	" मीखेताराम दीनाराम सां. गंगापुरा	39 मीन	25
6.	" हैमसिंह शिवजीसिंह सा. गंगापुरा	171 नं.	25
7.	" सुगनाराम दुलाराम सां. गंगापुर	40 मीन	25
8.	" करनाराम भरताराम मेघवाल, मोटावता	411 मीन	25
9.	" नत्थूसिंह सावतसिंह राजपूत, मोटावता		25
10.	" मोकरराम गोमन्दराम	411 मीन 5	25
		कुल	250

ग्राम गोलरी

1.	श्री सत्यनारायण मेघराज सेवग, नि. कोलायत	32 मीन	50
2.	" जेठराम खीरमाराम सा. कोटडी	34 मीन	50
3.	" पूनमराम रावतराम गावरिया सा. कोटडी	32 मीन	25
			125 कुल

319

सूची राजकीय भूमि सिवाय चक

क्र०सं०	नाम ग्राम	वर्तमान में राजकीय सिवाय चक खाली भूमि हैक्टेयरों में।
1.	मजनोर	2889
2.	चाडासर	219
3.	नाइयों की बस्ती	114
4.	कोटड़ा	—
5.	बलाला	398
6.	सालासर	917
7.	खारी	6
8.	गोयमरी	1193
9.	मोटावतां	381
10.	गंगापुरा	83
11.	मढ	1681
12.	कोटड़ी	362
13.	कोलायत	8
14.	गुड़ा	1631
15.	वियतारा	8
	कुल योग	9899 हैक्टर

318

सूची राजकीय भूमि आवंटन सन् 1976 से

क्र०सं०	नाम ग्राम	कुल भूमि बीघों में
1.	खारी चारनान	500
2.	मढ़	16/2
3.	मोटावाता	175
4.	गुड़ा	225
5.	गंगापुरा	250
6.	गोलरी	125
	कुल योग	1291/2

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 402 की सूची

क्रम संख्या	दुग्ध मार्ग का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति (लाखों में)	स्वीकृति करा वर्ष	खर्चा 80–81	खर्चा 81–82	निर्माण सम्बन्धी विवरण
1.	महाराणा प्याऊ से अजीतमाना	35	80–81	1,72,552	11,805,11	कार्य प्रगति पर है।
2.	लूणकरणसर से राज पुरिया तक	31·50	80–81	2,34,781	10,00,084	कार्य प्रगति पर है।
3.	रणजीतपुरा से	(क) 25	79–80	10,10,290	12,86,868	कार्य प्रगति पर है।
	गजवाल तक	(ख) 10	80–81			

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 404 की सूची

परिशिष्ट (क)

क्र० सं०	नाम निराश्रित बाल गृह	स्थान
1.	निराश्रित बाल कल्याण केन्द्र (राजस्थान विद्यापीठ द्वारा संचालित)	हटूण्डी (4 इकाइयां)
2.	दयानन्द बाल सदन	चांदवावडी रोड, कशरगंज अजमेर (2 इकाइयां)
3.	नूतन निराश्रित बाल गृह	56-सी प्रेमनगर, नई बस्ती, रामगंज (1 इकाइयां)
4.	राजस्थान महिला बाल विकास समिति, निराश्रित बाल गृह	मेवाखिक रोड़, रावडिया (1 इकाई)
5.	सिवन कला विद्यालय, नया बाजार	लाडो की हवेली, अजमेर (1 इकाई)

परिशिष्ट ख—/1

राजस्थान विद्यापीठ

मैनेजिंग कमेटी (व्यवस्थापिका) के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम	पद
1.	श्री जनार्दन राय नागर	संस्थापक उप कुलपति एवं कुल प्रमुख
2.	„ भवानी शंकर गर्ग	संस्थाधिष्ठाता
3.	„ जगन्नाथ जोशी	विद्यामहामात्र
4.	„ मुरलीधर वर्मा	पीठस्थिवर कार्यकर्ता प्रतिनिधि.
5.	„ सूरजमल शर्मा	महामंत्री एवं सम्पादक प्रतिनिधि
6.	„ बाबूलाल जैन	अभिभावक प्रतिनिधि
7.	„ सुरेन्द्रसिंह कोठारी	स्नातक प्रतिनिधि
8.	„ लक्ष्मीलाल व्यास	प्रधान अर्थ नियामक
9.	„ शिक्षा विभागीय प्रति	
10.	„ मदनलाल लोहाटी	संगठन मंत्री
11.	„ के. सी. तोषनीवाल	दानदाता प्रतिनिधि
12.	„ निर्मयसिंह	दानदाता प्रतिनिधि
13.	„ शरद नेवटिया	दानदाता प्रतिनिधि
14.	„ सेठ छगनमल मूथा	दानदाता प्रतिनिधि
15.	„ शान्ति भाई मनसुखा भाई कोठारी	दानदाता प्रतिनिधि

ह॰
हरीश कुमार शर्मा
प्रबन्धक सचिव

ह. देव कोठारी
उप निदेशक साहित्य
संस्थान (सदस्य)

ह. भूरामल शर्मा
व्यवस्थापक हरिहराश्रम
बदराणा

325

परिशिष्ट 20/2

दयानन्द बाल सदन, अजमेर की प्रबन्धकारणी सभा
के तथा कार्यकारणी के सदस्यों की सूची :

क्र. सं.	नाम	पद	पता
1.	श्री दत्तात्रेय बावले एम. ए.	प्रधान	मन्त्री, आर्य समाज शिक्षा सभा, अजमेर।
2.	" ठा. प्रमसिंह पूर्व उपकमिश्नर देवस्थान, प्रतागढ़, (राज0)	उप प्रधान	प्रेम भवन, कचहरी रोड़, अजमेर।
3.	" मन्जुनाथ शास्त्री	उपप्रधान	प्रधानाध्यापक, डी.ए.वी. उ. मा. वि. अजमेर
4.	" प्रो. महाराज कृष्ण	मन्त्री	501 बी, रेम्बल रोड़, अजमेर।
5.	श्री रामसिंह एम.ए. L L.B.	संयुक्त मंत्री	प्रधानाध्यापक, विरजानन्द उ.मा.वि. अजमेर।
6.	" विजय सिंह	उप मन्त्री	जलदाय विभाग अजमेर।
7.	" सुदर्शन सिंह	व्यवस्थापक	पूर्व एस0टी0आई, पश्चिमी रेलवे, दादाभाई क्वार्टर्स, अजमेर।
8.	श्रीमती कांता मारवाह	व्यवस्थापिका	हिन्दी विभागाध्यक्षा, सावि कन्या महाविद्यालय अजमेर।
9.	डा. सूर्यदेव शर्मा	कोषाध्यक्ष	चांद बावड़ी रोड, अजमेर।
10.	श्री पी. एन. मे[illegible]	आंतरिक अंकेक्षक	आर्य नगर, (श्रीनगर रोड) अजमेर
11.	" राघवसिंह	पदेन सदस्य	सहायक संचालक, समाज कल्याण, अजमेर
12.	" कृष्णराव बावले	अतरंग सदस्य	मयूर कालोनी, अजमेर।
13.	" दिनेशसिंह	"	आचार्य, दयानन्द कालेज, अजमेर।
14	" भाई योगेन्द्रजीत	"	प्राचार्य, जियालाल शिक्षक प्रशि. संस्थान, अजमेर।
15.	" आर. पी. शर्मा	"	प्रोफेसर दयानन्द कालेज, अजमेर।
16.	" सत्यपाल पीलानीया	"	प्रोफेसर, दयानन्द कालेज, अजमेर।
17.	" जगदीश प्रसाद भारद्वाज	"	प्रधानाध्यापक, डी. ए. वी. सं. स्कूल, अजमेर।

3:25

क्र. सं.	नाम	पद	पता
18.	श्री देव दत्त शास्त्री	अंतरंग सदस्य	चांद बावड़ी रोड़, अजमेर।
19.	" धीसालाल जोशी	"	सुन्दर विलास, अजमेर।
20.	" कृष्णप्रसाद श्रीवास्तव	"	रामगंज, नई बस्ती, अजमेर।
21.	" पन्नालाल माहेश्वरी	"	9।72, गंज, अजमेर।
22.	श्रीमति उर्मिला कपूर	"	सी-11, एल. आई. सी. कालोनी, अजमेर
23.	श्री एस. बी. ऋषी	"	ऋषि निवास, मेयो लिंक रोड, अजमेर
24.	" एस. के. चौपड़ा	"	सुशील भवन, मयूर कालोनी, अजमेर

विशेष आमंत्रित सदस्य

1.	श्री शिवचन्द सिंह	मैनेजर, दयानन्द बाल सदन, अजमेर।
2.	श्री गोविन्द सिंह	आचार्य, दयानन्द बाल सदन, अजमेर।

326

परिशिष्ट 20/3

नूतन बाल भारती अजमेर पंजीकृत संस्था की कार्यकारिणी समिति की सूची

रजिस्ट्रेशन नम्बर 87   दिनांक 15-7-71   चुनाव तिथि : 10-2-80

नाम	पिता का नाम	पूर्ण पता	पद	व्यवसाय
1. डा0एस0पी0शुक्ला	डा आर0डी0शुक्ला	26/376 पत्थरवालीगली रामगंज, अजमेर	अध्यक्ष,	मेडिकल प्रेक्टीशनर
2. श्री रामेश्वर लाल वर्मा	श्री हीरा लाल	कपल निवास नई बस्ती रामगंज, अजमेर	उपाध्यक्ष	समाज सेवी
3. प्रो0 रामखेलावन चौधरी	श्री डी0डी0 चौधरी	27/633 रामगंज, अजमेर,	मंत्री	शिक्षण
4. श्री सत्यदेव गुप्ता	श्री गुलाब राय गुप्ता	भजनगंज, अजमेर	उप मन्त्री	व्यवसाय
5. श्री भगवान स्वरूप भाटी	श्री किशन लाल	नया घर गुलाब बाड़ी अजमेर	कोषाध्यक्ष	नौकरी
6. कु0मधु भार्गव	श्री टी0एन0भार्गव	प्र0अ0 नूतन बाल भारती अजमेर	पदेन सदस्य प्रधानाध्यापिका	शिक्षण
7. श्री शिवदत्त शर्मा	श्री गोकुल चन्द	मोनियाइस्लामिया हा0सै0स्कूल अजमेर	सदस्य आजीवन	व्यवसाय
8. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता	श्री हीरा लाल गुप्ता	4/30 भजनगंज, अजमेर	आजीवन सदस्य	शिक्षण
9. श्री सुरेश चन्द शर्मा	श्री फूल चन्द शर्मा	20/26 रामगंज अजमेर	सदस्य	रेलवे सर्विस
10. कु0 उमा मुखर्जी	श्री जितेन्द्र लाल मुखर्जी	26/548 रामगंज अजमेर	सदस्य अध्यापकों का प्रतिनिधि	शिक्षण
11. श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	श्री अनन्त राम तिवारी	28/382 भजनगंज अजमेर		शिक्षण
12. शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि रिक्त				विभाग से मांगा जाय।

प्रमाणित किया जाता है :

1. कि नूतन बाल भारती अजमेर पंजीकृत संस्था की कार्यकारिणी समिति की यह सही सच्ची सूची है।

परिशिष्ट-ख/4

राजस्थान महिला बाल विकास समिति, विवेक बिहार मेयो लिंक रोड, अजमेर की कार्यकारिणी समिति की सूची।

चुनाव तिथि
21-1-80

रजिस्ट्रेशन नम्बर-283 दिनांक 30-3-1974

क्र० सं०	नाम	व्यवसाय	पता	पद
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती तेज कुमारी वर्मा	शिक्षण	विकास मार्ग अजमेर नई बस्ती भजनगंज	अध्यक्षा
2.	श्रीमती प्रतिमा परिजपे	गृह सेवा	नई बस्ती अजमेर रामगंज,166	उपाध्यक्षा
3	श्रीमती रमा शर्मा	शिक्षण	न्यू जोधपुर हाउस, मेयो कालेज अजमेर	महासचिव
4.	श्रीमती के० डी० मैसी	शिक्षण	पाल बिछला अजमेर	उप व संगठन सचिव
5.	श्रीमती पुष्पा शर्मा	नौकरी	रामलीला मैदान के पास जोन्सगंज अजमेर	कोषाध्यक्षा
6.	श्रीमती शारदा सक्सैना	शिक्षण	मंदड़ी मोहल्ला अजमेर	सदस्या
7.	श्रीमती सावित्री शर्मा	शिक्षण	भजनगंज, अजमेर	सदस्या

1	2	3	4	5
8.	श्रीमती सुलक्षण कौर साढ़ी	गृह सेवा	रेलवे क्वार्टस रामगंज अजमेर	सदस्या
9.	कु० राज महेन्द्र	शिक्षण	,, ,, ,,	सदस्या
10.	श्रीमती शान्ती शर्मा	गृह सेवा	रामगंज, अजमेर	सदस्दा
11.	कु० एन०एस० प्रेमा अय्यर	नौकरी	राबड़ीया मोहल्ला अजमेर	सदस्या

प्रमाणित किया जाता है कि यह राजस्थान महिला बाल विकास समिति पंजीकृत संस्था अजमेर की सही व सच्ची सूची है।

ह०
महा सचिव

329

परिशिष्ट–ख/5

सीवन कला विद्यालय, निराश्रित बाल गृह नया बाजार, अजमेर
संस्था की कार्यकारिणी की सूची

क्र०सं०	नाम	पद	पता
1.	श्री बाल कृष्ण गर्ग	अध्यक्ष	रामगंज, अजमेर।
2.	श्री दानमल माथुर	उपाध्यक्ष	मेयो कालेज केम्पस, अजमेर।
3.	श्री जी०एल० जोशी	उपाध्यक्ष	सुन्दर विलास अजमेर
4.	पं. शिवराम उपाध्याय	सदस्य	चांद आइस फैक्ट्री जयपुर।
5.	श्रीमती शांति देवी जैन	सदस्या	घी मण्डी, अजमेर
6.	श्रीमती रमा भार्गव	सदस्या	तोपदड़ा, अजमेर
7.	श्रीमती प्रभावती देवी	सदस्या	मोती डूंगरी रोड़, जयपुर
8.	श्रीमान प्रकाशचन्द्र सेठी	कोषाध्यक्ष	पुरानी मण्डी, अजमेर
9.	श्री चरन शरन भटनागर	मन्त्री	नया बाजार, अजमेर

———

330

परिशिष्ट ग

अजमेर नगर में संचालित निराश्रित बाल गृह का वर्ष 81–82 में स्वीकृत अनुदान व बालकों की संख्या

क्र०सं०	नाम संस्था	बालका/बालिकाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1.	राजस्थान विद्यापीठ हटूण्डी	96	39,657.60
2.	दयानन्द बाल सदन	25	16,270.00
3.	नूतन बाल भारती	22	17,727.00
4.	राजस्थान महिला बाल विकास समिति	20	13,916.00
5.	सीलन कला विद्यालय	25	21,162.00

331

परिशिष्ट—घ/1

राजस्थान विद्यापीठ

निराश्रित बाल कल्याण केन्द्र

हटुण्डी (अजमेर)

छात्रावास में आश्रय पाने वाले बालक एवं बालिकाओं की सूची, माह जनवरी 1982 को

क्रमांक	नाम बालक एवं बालिका मय पिता का नाम	पता
1	2/3	4
1.	राजेन्द्रकुमार/कल्लुसिंह कोली	मु. पो. गुजरात लोके कालोनी नं. 161
2.	रामपाल/हनुमानसिंह	हाथी भाटा अजमेर
3.	उदयसिंह/रामसिंह	263/26 रामगंज ब्यावर रोड अजमेर
4.	खेमचन्द/देवीलाल	लखाया माली की जमीन गूजर धरती अजमेर
5.	छगनलाल/लादूराम	261/30 प्रताप नगर अजमेर
6.	राकेश/पदम चन्द	माखूपुरा अजमेर
7.	मुकेश/पदमचन्द	माखूपुरा अजमेर
8.	मूलचन्द/रामपाल	घोला भाटा अजमेर
9.	शिवकुमार/किशोरीलाल	जादूगर लक्ष्मण चौक-अजमेर
10.	मनोहर/रतनपाल	सत्यनारायण जी का मन्दिर पाल बीचला अजमेर।
11.	पीरमोहम्मद/अकबर	बीचला छोटेलाल माली का मकान अजमेर
12.	घनश्याम/सीताराम	बीचला छोटेलाल माली का मकान अजमेर
13.	अरविन्द/रोशनलाल	नगरा अजमेर
14.	मांगीलाल/मीठालाल	सोमलपुर
15.	श्यामसुन्दर/रामभरोसे	रावड़िया होल्ला लिंक रोड अजमेर
16.	पंचम/बाबूलाल	328/2 बाबू गंज अजमेर
17.	राजू/मंगलसिंह	328/2 बाबू गंज अजमेर
18.	पूनम/अशोक	328/2 बाबू गंज अजमेर

1	2/3	4
19.	राजकुमार/किशनलाल	नगरा अजमेर
20.	राहत सुनील/इर्विन डेविड्	राधनपुर गुजरात
21.	राजेन्द्र कुमार/सोहनलाल	जवाहर नगर भीलवाड़ा
22.	दीपक/मदनमोहन गुप्ता	21/105 शान्ति नगर आशा गंज अजमेर
23.	निरंजनसिंह/बाबूसिंह	नोयकरण का हत्था अजमेर
24.	अब्दुल सलीम/आदमजी	नागफनी रोड, अजमेर
25.	मेघराज पुत्र/किशनलाला	मदनलालजी का मकान नेहरू गेट बाहर, ब्यावर
26.	निर्मलाकुमारी/मूलचन्द	नानकरणजी का हत्था मं. नं. 3431, अजमेर
27.	निशा कुमारी/लखीराम	नसीराबाद
28.	रमीला/रामपाल	छोला भाटा अजमेर
29.	आशा कुमारी/खेमसिंह	गूजरधरती शिव मदिर के पास अमरा अजमेर
30.	मंजू/रामनाथ	प्रकाश रोड अमराभाटा 1474/30 अजमेर
31.	सीताशर्मा/ओमप्रकाश	1136/2 अग्रवाल मोहल्ला नसीराबाद ।
32.	शारदा/रामसिंह	263/26 नईबस्ती रामगंज अजमेर
33.	मरीयम/मार्टिन डेविड्	1587 ए मालरोड अजमेर ।
34.	मारग्रेट/मार्टिन डेविड्	,, ,, ,,
35.	लुइजा/मार्टिन डेविड्	,, ,, ,,
36.	गीता कुमारी/गोविन्दरामजी	छोटेलाल की कुईया अजमेर
37.	लक्ष्मी बाई/खेमसिंह	745/30 गूजरधरती शिव मंदिर के पास नगरा, अजमेर ।
38.	कान्ता बाई/बाबूलाल	भगवान ब्रज नई बस्ती अजमेर
39.	निरोत्मा/माता शान्तिदेवी बाबूलाल	,, ,, ,,
40.	यशोदा/माता रतनीबाई	भोमसिंह चार्जमेन का मकान 28/210 नई बस्ती मजनगंज, अजमेर ।
41.	लीलाबाई/माता शान्तिदेवी	जादूगर, अजमेर ।

Page No 333

333

1	2/3	4
42.	गायत्री/भंवरसिंह	28/210 नई बस्ती भवनगंज, अजमेर
43.	निर्मला/मूलचन्द	धान बाड़ी नई बस्ती, अजमेर ।
44.	सुशीला/हेमसिंह	नोनकरण जी काहाथा गोपालजी के मंदिर के पीछे नगरा अजमेर ।
45.	लक्ष्मी/मोलीबाई	मसूदा हाउस के पास अजमेर ।
46.	मजना कुमारी/प्रेमसिंह	1285/26 भगवान गंज, अजमेर ।
47.	रेखा कुमारी/राजवन्ति	जादूगर अजमेर
48.	रेखा रानी/अकवर	जवाहर नगर भीलवाड़ा
49.	गीता/बाबूलाल	पुष्कर रोड़, अजमेर
50.	विमला/दत्ताशर्मा	रामगंज अजमेर
51.	वीणा/मुक्तिराम	नहर मोहल्ला अजमेर ।
52.	पुष्पा/मुक्तिराम	नहर मोहल्ला, अजमेर ।
53.	आशा शर्मा/लक्ष्मीराम	3059 पलसानिया रोड़ नसीराबाद ।
54.	रेणूकुमारी/मनोहरसिंह	लाखन कोटड़ी अजमेर ।
55.	वीना कुमारी/मुन्नालाल	शहरी क्षेत्र नसीराबाद
56.	सुशीला देवी/मुन्नालाल	,, ,,
57.	मधुरानीमाता/राजन्ति	नगरा अजमेर
58.	उषाशर्मा/मोहनलाल शर्मा	संगार चौधरी विहारी गंज, अजमेर ।
59.	शेरीन/इरविन डेविड़	राधनपुर गुजरात
60.	गुलशन सुशीला/इरविन डेविड़	,, ,,
61.	सीमा रानी/हीरालाल	फुल गंज नसीरावाद
62.	जय भारती/छुट्टनलाल	गोपालगंज नगरा अजमेर
63.	कौशल्या/अम्बालाल	क्रिश्चयन गंज, अजमेर ।
64.	दुर्गेश/छुट्टनलाल	गोपाल गंज नगरा, अजमेर ।
65.	शन्नोरानी/छुट्टनलाल	,, ,, ,,

1	2/3	4
66.	मन्जूलता/मुक्तिराम	3/22, नाहर मोहल्ला, अजमेर।
67.	नीता कुमारी/गोविन्दराम	गोपालगंज, नगरा, अजमेर।
68.	हेमकुमारी/किशन सोनी	नेहरू गेट के बाहर ब्यावर।
69.	चन्द्रकला/रामपाल	घोला भाटा अजमेर।
70.	द्रोपदी/हेमसिंह	डिग्गी बाजार, अजमेर।
71.	कलावती/सोहनलाल अरोड़ा	अजमेरी गेट के पास ब्यावर।
72.	शमीम बानो/आदमजी	मसूदा हाउस के पास अजमेर।
73.	कवती/पाण्डू	,, ,, ,,
74.	मीना/अमृतलाल	गांव कलोल
75.	शारदा/लालजी	डूंगरपुर
76.	मानकंवर/श्यामलाल जी वर्मा	शास्त्री नगर अजमेर
77.	शशीबाला/हीरालाल	कोली मोहल्ला नसीराबाद
78.	सुशीला/मांगीलाल	घोला भाटा, अजमेर।
79.	मंजू/मोतीलाल	परवतपुरम, अजमेर।
80.	मंजू जैन/मदनलाल जैन	आगरा गेट, अजमेर।
81.	अलका/मदनलालजी	,, ,,
82.	मीना शर्मा/माता कमला शर्मा	रावड़िया मोहल्ला लिंकरोड़, अजमेर।
83.	मीना/चेतराम	जादूगर, अजमेर।
84.	सुषमा/ओमप्रकाश	प्रेम नगर अजमेर।
85.	कमलेश/माता गंगा देवी	गूजरधरती, अजमेर
86.	ममता/माता विजयलक्ष्मी	14481 रामगंज कोलोनी अजमेर
87.	शोभा शर्मा/विजयलक्ष्मी	रामगंज कालोनी, अजमेर।
88.	मीना प्रमोद/प्रमोद वाल्टर	उल्लास नगर 17 सेक्सन कल्याण
89.	मंजू/प्रमोद वाल्टर	,, ,,
90.	राजकुमार/दुलीचन्द	भगवान गंज, अजमेर।

1	2/3	4
91.	हरविन्द कौर/यशवन्तसिंह	मुदड़ी मोहल्ला अजमेर 17/100
92.	मधु गुप्ता/शिवनारायण गुप्ता	21/105 शान्ति नगर अजमेर
93.	संतोष कुमारी/हीरालाल	लोगिया हास्पिटल के सामने अजमेर
94.	ललिता/माता मांगीबाई	आना सागर के पास अजमेर
95.	लक्ष्मी/रतनलाला	पाल बीचला सत्यनारायण का मंदिर अजमेर
96.	एन्जीना/ट्रायफीनारोत	अजमेर क्लब सिविल लाइन अजमेर
97.	लक्ष्मीदेवी/नारायणसिंह	गूजर धरती, अजमेर
98.	रेणु जोर्ज/माता परवीन	परवीन लोरेस मदार सेनेरियम, अजमेर
99.	वेरेटी प्राटर/माता बसन्ती	ड्लड़ा डिपो मदार।
100.	निर्मला/माता सुशीला	भूपेन्द्रसिंह जोहरीलाल मसूदा हाउस, अजमेर।

परिशिष्ट घ/2

दयानन्द बाल सदन (निराश्रित बाल गृह) में आश्रय पाने वाले
(माह जनवरी, 1982 में) बालकों की सूची मय पते के

क्रमांक	नाम छात्र	पता
1	2	3
1.	किशनसिंह आर्य प्रथम	ग्राम कूकड़ा (राजारेल) तहसील–भीम, जिला उदयपुर
2.	वन्नेसिंह	ग्राम गजनई, जिला पाली
3.	जीवनसिंह प्रथम	ग्राम पंचायत लाखाखेत (गजनई), जिला पाली
4.	महावीर प्रसाद	ग्राम डाबला, जिला भीलवाड़ा
5.	नारायणसिंह	ग्राम नाई खुर्द, पो. नाईकला जिला अजमेर ।
6.	बन्द भगत	राजीपड़हा समाज, लोहरदगा (रांची) बिहार
7.	जोरावरसिंह	ग्राम छापली (डूंगावास) जिला उदयपुर
8.	रामसकल	ग्राम राजीपड़हा समाज, लोहरदंगा (रांची) बिहार
9.	रामप्रसाद	,, ,, ,,
10.	कुंवरसिंह	,, ,, ,,
11.	बीरबल	,, ,, ,,
12.	बुद्धराम प्रथम	,, ,, ,,
13.	खीमाराम	ग्राम रूपनगर अरनाली, जिला अजमेर ।
14.	हीरासिंह	ग्राम परतव तहसील ब्यावर, जिला अजमेर
15.	हजारीसिंह	ग्राम नाईखुर्द पोस्ट नाईकला, जिला अजमेर
16.	प्रेमसिंह	ग्राम रूपाणा, पोस्ट जवाजा, जिला अजमेर
17.	किशनसिंह द्वितीय	ग्राम नाईखुर्द, पोस्ट नाईकला, जिला अजमेर
18.	सुरेन्द्रसिंह	राजीपड़हा समाज, लोहरदंगा (रांची), बिहार
19.	बीरमसिंह	ग्राम कूकड़ा, तहसील भीम, जिला उदयपुर
20.	पन्नासिंह	द्वारा, स्टेशन हाउस आफिसर, सदर कोतवाली अजमेर
21.	परमेश्वर	राजीपड़हा समाज, लोहरदंगा (रांची) बिहार
22.	एतेश्वर	,, ,, ,,

Page No 337

(337)

1	2	3
23.	रामसिंह	ग्राम डूंगरखेड़ा, तहसील भीम जिला उदयपुर
24.	बुद्धराम द्वितीय	राजीपड़हा, समाज लोहरदंगा (रांची), बिहार
25.	धनजंय	द्वारा आर्य समाज थाना (महाराष्ट्र)
26.	सुकराराम	राजीपड़हा, समाज लोहरदगा (रांची), बिहार
27.	शिवलाल	ग्राम बड़ाखेड़ा पोस्ट जोटकिराना, जिला पाली
28.	पूरणचन्द्र	राजीपड़हा समाज लोहरदगा (रांची) बिहार
29.	जसवन्तसिंह	ग्राम नाईकल, पोस्ट नाईखुर्द जिला अजमेर
30.	गोवर्धन	राजीपड़हा समाज, गोहरदगा (रांची), बिहार
31.	जीतबाहन	,, ,, ,,
32.	वासुदेव	,, ,, ,,
33-	सुकुमार	,, ,, ,,
34.	मनमोहन	,, ,, ,,
35.	लक्ष्मणराम	ग्राम पाटिया, तहसील भीम, जिला उदयपुर
36.	कचरूसिंह	ग्राम गोधाजी का ग्राम (गांव) तह. भीम जिला उदयपुर
37.	जीवनसिंह द्वितीय	ग्राम कूकड़ा, तहसील भीम जिला उदयपुर
38.	मोहनलाल	ग्राम भीम, जिला उदयपुर
39.	अनूपकुमार	द्वारा जिला बालक अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, अजमेर।

33

परिशिष्ट घ /3

नूतन बाल भारती

निराश्रित बाल आवास-गृह रामगंज, अजमेर

क्र. सं.	बालक का नाम	पूरा पता
1.	सोहनलाल	द्वारा, बाबूलाल, गड़रिया लुहार, रामगंज अजमेर
2.	मदनलाल	,, ,, ,, ,,
3.	रंगलाल	द्वारा देवीलाल हनुमान मन्दिर के पीछे, रामगंज अजमेर।
4.	बाबूलाल	द्वारा शंकरलाल, गड़रिया लुहार, ब्यावर रोड़, अजमेर
5.	खेमचन्द	द्वारा मूलचन्द, आर्यनगर, अजमेर।
6.	नरेन्द्र	द्वारा गंगाराम, रामलीला चौक, रामगंज अजमेर
7.	नन्दकिशोर	द्वारा पुष्कर नारायणी, 1836 जोन्सगंज, अजमेर
8.	राजेश	द्वारा रामनिवास पत्थर वाली गली, रामगंज, अजमेर.
9.	लक्ष्मण	द्वारा बाबूलाल, कोली, सेन्टपाल स्कूल के पीछे, अजमेर
10.	रजनीश	द्वारा रामबाबू जोन्सगंज, अजमेर
11.	पप्पू	द्वारा कालूकाली भगवानगंज, अजमेर।
12.	मोहन	द्वारा हजारी गांव सनोद नसीराबाद, अजमेर
13.	हुक्मसिंह	द्वारा राममोहन, बिहारीगंज, अजमेर
14.	भूपसिंह	द्वारा घीसीबाई, उदयगंज, अजमेर।
15.	प्रकाश	द्वारा नाथूसिंह कोली नई बस्ती, भजनगंज, अजमेर
16	नारायण	द्वारा रश्मिबाई, सुभाषनगर, अजमेर।
17.	विजय	द्वारा सोहनलाल कोली, रामगंज, अजमेर।
18.	घनश्याम	द्वारा रामपाल, जोन्सगंज, अजमेर
19.	तेजकरण	द्वारा राधेश्याम, जोन्सगंज अजमेर
20.	गणपत	द्वारा श्रीमति रतनी बाई जादूगर, अजमेर
21.	दिनेश	द्वारा श्रीमती सोमवती, जादूगर अजमेर।
22.	नरेश	द्वारा श्रीमती उषाबाई, अजय नगर, अजमेर
23.	प्रहलाद	द्वारा मंगलराम, जादूगर, अजमेर।
24.	मानसिंह	द्वारा मंगलराम, जादूगर अजमेर।
25.	अनिल	द्वारा यशवंतसिंह, गोविन्द नगर, अजमेर

(339)

परिशिष्ट-घ-/4

राजस्थान महिला बाल विकास समिति लिंक रोड़, रावडिया, मोहल्ला, अजमेर। जनवरी, 82 में रहे बालकों की सूची।

	नाम बालक	पूरा पता
1.	भंवरलाल	द्वारा त्रिलोकचन्द फुलबारिया, सबलसागर, भीलवाड़ा।
2.	खेमराज	द्वारा पार्वती देवी गूजर घरती, अजमेर।
3.	ललित	द्वारा ताराबाई, उदयगंज, अजमेर।
4.	धर्मेन्द्र	द्वारा रामसिंह, बिहारी गंज, अजमेर।
5.	गणपत	द्वारा कानाराम, उदयगंज, अजमेर।
6.	रामसिंह	द्वारा हीरालाल गूजर घरती, नगरा, अजमेर।
7.	गोविन्द	द्वारा तोताराम, लिंक रोड, अजमेर।
8.	राजेन्द्र	द्वारा हरप्रसाद, जादूगर, अजमेर।
9.	छोटू	द्वारा रामलाल, आर्यनगर, अजमेर
10.	मुकेश	द्वारा पूरनचन्द, उदयगंज, भट्टा, अजमेर।
11.	धनराज	द्वारा हीरासिंह, अशोक नगर, भट्टा, अजमेर।
12.	रजनीश	द्वारा रमेशचन्द रेलवे क्वार्टर्स रामगंज, अजमेर।
13.	ताराचन्द	द्वारा बुधाराम, अशोकनगर भट्टा, अजमेर।
14.	ओमप्रकाश	द्वारा मंगलदास, अशोकनगर भट्टा अजमेर।
15.	मुकेश	द्वारा सुआलाल कोली भजनगंज, अजमेर।
16.	सुशीला	द्वारा मगली बाई, रावडिया मोहल्ला, अजमेर।
17.	हरिचरण	,, ,, ,, ,,
18.	लक्ष्मण	द्वारा रेशमबाई, जादूगर, अजमेर।
19.	तेजसिंह	,, ,,
20.	देवीलाल	द्वारा मोहनलाल, अशोकनगर, भट्टा, अजमेर।
21.	लक्ष्मणसिंह	द्वारा किशनीबाई, गांव सिलकी, टाटगढ़, अजमेर।
22.	हेमन्तसिंह	द्वारा भानीबाई, प्रतापनगर, अजमेर।
23.	राजेन्द्र	द्वारा शान्तिबाई, उदयगंज, अजमेर।
24.	मुकेश	द्वारा जशोदा बाई 36/39, अलवर गेट अजमेर
25.	नवलसिंह	द्वारा आसूसिंह, गुलाबशाह का तकिया, तापदड़ा अजमेर

परिशिष्ट–घ/5

सीवन कला विद्यालय निराश्रित बाल गृह, नया बाजार, अजमेर संस्था के माह जनवरी, 1982 में आश्रय पाने वाले छात्रों की सूची

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	पता	जन्म तिथि	निराश्रित का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	जगदीश प्रसाद	मांगीलाल रंगर	मु. पो. कुचील, किशनगढ़	29-11-66	अनाथ
2.	प्रकाश मद्रासी	मोहनलाल	गोधा गुवाड़ी, अजमेर	5-10-72	पिता नहीं
3.	सुरेश साहू	छोटेलाल	लाखन कोटड़ी, अजमेर	3-9-70	पिता नहीं
4.	पन्नालाल	छोटेलाल	लाखन कोटड़ी, अजमेर	12-12-71	पिता नहीं
5.	गोरधन तैली	रामेश्वरलाल	देहली गेट, अजमेर	8-10-69	पिता अन्धा व मानसिक रोगी

1	2	3	4	5	6
6.	कुमारी मंजू	रामेश्वपलाल	देहली गेट, अजमेर	3-7-71	पिता अन्धा व मानसिक रोगी
7.	विजयसिंह	जगन्नाथसिंह	नई बस्ती लोहा खान, अजमेर	6-3-69	पिता नहीं है
8.	अमरचन्द	नारायणराम	गांव श्रीनगर, अजमेर	1-6-69	अनाथ
9.	गोपालशाह	देवशाह	दर्जी मोहल्ला, अजमेर	6-4-70	पिता नहीं
10.	ओम प्रकाश	रामनाथ	डिग्गी बाजार, अजमेर	21-9-73	पिता नहीं
11.	नन्दकिशोर	रामनाथ	डिग्गी बाजार, अजमेर	3-5-71	पिता नहीं
12.	शिव प्रकाश	कन्हैयालाल	गांव केरिया, भीलवाड़ा	5-11-71	माता मानसिक रोगी
13.	छीतरमल	सुखदेव	डिग्गी बाजार, अजमेर	11-1-71	पिता नहीं माता अपंग
14.	पुरुषोतम	स्वरूप नारायण	संतोषी मां का मंदिर, ब्यावर	13-4-70	पिता नहीं
15.	गुमानसिंह	छीतरमल	कसारी नाड़ी, अजमेर	5-4-70	पिता नहीं
16.	कैलाश तेली	माता सावित्री बाई	दिल्ली गेट बाहर, अजमेर	8-11-75	पिता नहीं
17.	विनोद	गणेश शाह	कायस्थ मोहल्ला, अजमेर	3-2-74	पिता नहीं
18.	गोमासिंह	छीतरमल	कसारी नाड़ी, अजमेर	20-5-72	पिता नहीं

341

1	2	3	4	5	6
19.	मंगलनाथ	माता छगनी बाई	रिसाला मण्डी नसीराबाद	7-2-67	पिता नहीं
20.	प्रभूनाथ	माता अनोपी बाई	नाथों का मोहल्ला, अजमेर	5-10-68	पिता नहीं
21.	कैलाश	लालचन्द	डिग्गी बाजार रंगर मोहल्ला, अजमेर	8-7-72	माता पिता नहीं
22.	संजय	गणेशशाह	कायस्थ मोहल्ला अजमेर	5-5-72	पिता नहीं
23.	रतनलाल	भैरोंलाल	भोपों का बाड़ा, अजमेर	1-8-72	माता पिता नहीं
24.	किशोरसिंह	पांचूजी	रूपनगर, किशनगढ़	3-2-71	पिता नहीं
25.	भंवरलाल	गिरधारी लाल	दिल्ली गेट बाहर, अजमेर	6-11-70	पिता नहीं

(343)

परिशिष्ट–च/1

राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर द्वारा
संचालित चार यूनिटनिराश्रित बाल कल्याण केन्द्र हटुण्डी
कर्मचारियों का विवरण

क्रमांक	पद	नाम	पूर्ण कालीन अथवा अंश कालीन
1.	सुपरवाईजर (एक)	श्री वीरेन्द्र कुमार कर्नीलियस	पूर्णकालीन
2.	गृहमाता (चार)	1. श्रीमती सम्पत देवी	पूर्णकालीन
		2. श्रीमती कमला उपाध्याय	,,
		3. श्रीमती लीलावती जैन	,,
		4. श्रीमती लीलाबाई वर्मा	,,
3.	रसोईया (चार)	1. श्रीमती सुगनी बाई	,,
		2. श्रीमती ग्यारसी	,,
		3. श्रीमती भंवरी	,,
		4. श्रीमती शिरोमणी	,,
4.	व्यावसायिक प्रशिक्षक (तीन)	1. श्रीमती दिनेश जोशी	,,
		2. श्रीमती विमला बाई	,,
		3. श्री कृष्णा	,,
5.	अंशकालीन स्वीपर	1. श्रीमती चम्पाबाई	अंशकालीन

345

परिशिष्ट–च/2

दयानन्द बाल सदन के कर्मचारियों की सूची

1.	श्रीमती सुधा मुकुर्जी	गृह माता
2.	श्रीमती कौशल्या बाई	गृह माता
3.	श्री किशनलाल	सीवल कला प्रशिक्षक
4.	मिठूलाल	काष्टकला प्रशिक्षक
5.	सजनी	रसोईया
6.	तीजादेवी	रसोईया

परिशिष्ट–च/3

नूतन बाल भारती अजमेर

(कर्मचारियों की सूची)

निराश्रित बाल गृह का स्थान

गृह माता एवं रसोइया पूर्णकालीन (2)

अंशकालीन क्राफ्ट टीचर (1)

पूर्णकालीन (2) तथा अंशकालीन (1)

गृह माता	रेखा शर्मा	
रसोईया	रूपवती	
क्राफ्ट टीचर	कुमारी बलविन्दर कौर	(अंशकालीन)

346

परिशिष्ट च/4

राजस्थान महिला बाल विकास समिति, अजमेर
कर्मचारियों की सूची

गृह माता	—	श्रीमती पुष्पा देवी
रसोईया	—	श्रीमती ग्यारसी देवी
क्राफ्ट टीचर (अंशकालीन)	—	श्री के. के. शर्मा

परिशिष्ट च/5

सीवन कला विद्यालय निराश्रित बाल गृह
नया बाजार, अजमेर

संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पद	अवधि
1.	श्रीमती नलिनी देवी	हाउस मदर	पूर्णकालीन
2.	श्रीमती कुन्ता देवी	क्राफ्ट टीचर	पूर्णकालीन
3.	श्रीमती जानकी बाई	कुक	अंशकालीन
4.	श्रीमती जानकी बाई	क्लीनर	अंशकालीन

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 404 की सूची

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 29 के तहत प्राप्त शिकायत जो दिनांक 12.3.1982 तक श्रम विभाग में विचाराधीन हैं की सूची :

1. 1/79 राधेश्याम नाथानी बनाम उदयपुर मिनरल डवलपमेन्ट, भीलवाड़ा
2. 4/79 मोहनसिंह बनाम गोपाल मशीन प्रा० लि०
3. 8/79 नरेन्द्र कुमार तिवारी बनाम ओम मेटल्स, कोटा
4. 9/79 ,, बनाम ओम ट्रेडिंग कारपो०, कोटा
5. 10/79 ,, बनाम श्याम काटेज इण्ड०, कोटा
6. 12/79 लालू राम बनाम ग्लास एण्ड पोटरीज, जयपुर
7. 17/79 सतीश चन्द्र बनाम आटो डीजल सर्विस, जयपुर।
8. 24/79 फैक्ट्री एरिया लेबर एण्ड वर्कर्स यूनियन बनाम राज० राईस एण्ड आयल मिल्स प्रा० लि०, हनुमानगढ़।
9. 13/79 राधेश्याम बनाम नगर विकास न्यास, जयपुर।
10. 20/79 राष्ट्रीय हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ, जयपुर बनाम सचिव, आवासन बोर्ड, जयपुर।
11. 21/79 छोटू अली बनाम नगर पालिका, नैनवा।
12. 33/79 भण्डार व्यवस्था निगम कर्मचारी संघ, जयपुर बनाम भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर।
13. 34/79 ,, ,, ,,
14. 36/79 भारतीय मजदूर संघ बनाम स्टेट टेनरीज, टौंक।
15. 30/80 महामन्त्री, गोपाल इण्डस्ट्रीज, श्रमिक संघ बनाम गोपाल इण्ड०, कोटा।
16. 31/80 राधेश्याम नाथानी बनाम उदयपुर मिनरल डवलपमेन्ट, भीलवाड़ा।
17. 52/80 मानसिंह शेखावत बनाम राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ, जयपुर।
18. 9/80 श्याम सुन्दर चतुर्वेदी बनाम नगर पालिका, करौली।
19. 13/80 भगवान सहाय सैनी बनाम नगर पालिका, राजगढ़।
20. 14/80 जगन प्रसाद बनाम नगर पालिका, राजगढ़।
21. 22/80 राम चन्द्र बनाम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, उदयपुर।
22. 25/80 भारतीय मजदूर संघ बनाम नगर परिषद, टौंक।

348

23. 26/80 भारतीय मजदूर संघ बनाम सिंचाई आधुनिकीकरण खण्ड, टोंक।
24. 27/80 राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाइज यूनियन, जयपुर बनाम महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
25. 29/80 राष्ट्रीय खेतड़ी ताम्बा प्रोजेक्ट मजदूर संघ बनाम प्रबन्धक, खेतड़ी कोपर कम्प०, खेतड़ी।
26. 37/80 कल्याण सहाय शर्मा बनाम राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, सेठी कालोनी, जयपुर।
27. 39/80 जिप्सम माइन्स वर्क्स यूनियन, बीकानेर बनाम राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लि०।
28. 43/80 खेलन राम ड्राइवर बनाम भरतपुर सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक।
29. 44/80 राजस्थान बैंक एम्प. यूनियन बनाम अलवर सेन्ट्रल ,,
30. 48/80 राज. सहा. बैंक कर्मचारी संघ बनाम सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, टोंक।
31. 53/80 मूल चन्द शर्मा बनाम नगर परिषद्, अलवर।
32. 55/80 छोटीलाल बनाम नगर विकास न्यास, जयपुर।
33. 57/80 बाबू लाल चौधरी बनाम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
34. 58/80 भैरू सहाय शर्मा बनाम नगर विकास न्यास, अलवर।
35. 59/80 प्रभात चौकीदार बनाम सहायक अभियन्ता, पी. डब्ल्यू. डी.।
36. 60/80 नगर परिषद् कर्मचारी सेवा, अजमेर बनाम नगर परिषद्, अजमेर।
37. 72/80 रामगोपाल शर्मा बनाम जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक।
38. 11/81 जयपुर हार्स ब्रीडिंग एसो. कर्मचारी यूनियन बनाम महाराजा सवाईमानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट, जयपुर।
39. 20/81 भारतीय मजदूर संघ बनाम मॉडर्न सिन्टेक्स, अलवर।
40. 25/81 हाई टेक ग्लास कर्मचारी बनाम हाई टेक ग्लास डिवीजन।
41. 31/81 मोहन सिंह गहलोत बनाम गोलछा ग्रुप।
42. 32/81 मोहन सिंह राठौर बनाम " "
43. 34/81 आर. के. स्वामी बनाम कोटा स्टीलरी रोलिंग।
44. 37/81 निजामुद्दीन बनाम पोद्दार स्पिनिंग मिल्स।
45. 39/81 वाणिज्य एवं लघु उद्योग श्रमिक संघ बनाम पोलिकिंग प्रा० लि०, जयपुर।
46. 43/81 जे. के. सिन्थेटिक्स स्टाफ यूनियन बनाम जे. के. सिन्थेटिक्स लि०, कोटा।
47. 49/81 लघु उद्योग मजदूर यूनियन कोटा बनाम इन्डो इन्जी. प्रा०लि०, ,,
48. 51/81 दयासिंह बनाम फ्रेन्ड प्रिन्टर्स, जयपुर।

49. 58/81 चांद खां बनाम स्टी लोडस, जयपुर ।
50. 59/81 राय बनाम जैम को इन्डस्ट्रीज ।
51. 62/81 अब्दुल हमीद बनाम स्नो व्हाईट ड्राईक्लीनर्स ।
52. 66/81 हैण्डलूम बुनकर मजदूर संघ, जयपुर बनाम जिला बुनकर सहकारी संघ लि. जयपुर ।
53. 68/81 महेश प्रसाद भार्गव बनाम सोमानी मैटल्स ।
54. 75/81 राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, गुलाबपुरा बनाम श्री विजय कॉटन मिल्स, विजयनगर ।
55. 9/81 रीको एम्प. फैडरेशन बनाम राज० स्टेट इण्ड०.एण्ड मिनरल्स ।
56. 12/81 हरिश्चन्द्र शर्मा बनाम सिंचाई उप खण्ड, अलवर ।
57. 13/81 उरमूल डेयरी कर्मचारी यूनियन बनाम राज. को-ऑप. डेयरी फैडरेशन बीकानेर ।
58. 14/31 खूबचन्द शर्मा बनाम आर. एस. आर. टी. सी., जयपुर ।
59. 17/81 भारतीय मजदूर संघ बनाम नगरपालिका, मालपुरा ।
60. 18/81 भारतीय मजदूर संघ बनाम राजस्थान स्टेट टेनरीज, टोंक ।
61. 19/81 राष्ट्रीय हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ, जयपुर ।

बनाम

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर ।

62. 21/81 महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी बनाम जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सरकारी संघ, लि.
63. 23/81 मनमोहन सिंह सोलंकी, भरतपुर बनाम कृषि उपज मंडी समिति, भरतपुर ।
64. 24/81 कंवल बाई व अन्य, कोटा बनाम भू-संरक्षण सहा० (वन), रावतभाटा
65. 28/81 नारायण लाल वर्मा बनाम आर. एस. आर. टीस. सी, जयपुर ।
66. 29/81 भारतीय नगरपालिका कर्मचारी संघ, जयपुर बनाम प्रशासक नगरपालिका, लालसोट ।
67. 36/81 घनश्याम किरोब व अन्य बनाम सहायक अभियन्ता पी. डब्ल्यू. डी., डीग ।
68. 38/81 नगर परिषद् इन्जी. कर्मचारी यूनियन, जयपुर बनाम नगर परिषद् जयपुर ।
69. 42/81 नगर परिषद् एम्प, यूनियन, कोटा बनाम नगरपालिका, रामगंजमंडी ।
70. 44/81 छोटे खाँ बनाम नगर परिषद् कोटा ।
71. 45/85 अलवर डिवीजन इरिगेशन एम्पलाइज यूनियन बनाम अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, अलवर ।
72. 46/81 त्रिलोकचन्द बनाम आर. एस. आर. टी. सी., अलवर ।

351

73. 47/81 कुवर सेन बनाम उप वन संरक्षक शेल्टरबेल्ट ।

74. 48/81 अब्दुल सत्तार बनाम नगर परिषद, अजमेर ।

75. 53/81 अखिल भारतीय जस्ता उत्पादक श्रमिक संघ,

बनाम

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर ।

76. 57/81 शमशेर अली बनाम राज. स्टेट टेनरीज लि., टौंक ।

77. 60/81 राज. ड्रेनेज एवंम नगर मण्डल कर्मचारी संघ,

बनाम

सहायक अभियन्ता फिल्स सब डिवीजन, एल. एम. सी., कोटा ।

78. 61/81 मोहम्मद रियाज बनाम नगरपरिषद, जयपुर ।

79. 63/81 महावीर प्रसाद जैन बनाम सहायक वन संरक्षक कन्दरा पर्यवेक्षण, कोटा ।

80. 70/81 राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, गुलाबपुरा बनाम राज. को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, गुलापुरा ।

81. 79/81 प्रेम प्रकश बनाम मण्डल वन अधिकारी, बीकानेर ।

82. 80/81 पी. डब्ल्यू. डी. वर्क्स यूनियन, कोटा बनाम नगर विकास न्यास, कोटा ।

83. 5/82 राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, विजयनगर बनाम श्री विजय कॉटन मिल्स, विजयनगर ।

84. 6/82 ,, ,, ,,

85. 7/82 ,, ,, ,,

351

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 409 की सूची

क्र. सं.	निविदा तिथि	टेण्डर प्राप्त होने की तिथि	कार्य आदेश की तिथि	ठेकेदारों के नाम	कार्य की संख्या
1.	9·1·81	10·2·81	9·3·81	1. श्री माणकचन्द अग्रवाल	2
				2. मै. सी. कन्स्ट्रक्शन	3
				3. मै. शोभालाल कुतुलाल	1
2.	23·2·81	14·4·81	7·5·81	1. मै. सी. कन्स्ट्रक्शन	1
3.	6·5·81	26·5·81	17·6·81	1. मै. राधेश्याम मल्ला	1
				2. भैरू लाल सोलंकी	1
4.	6·5·81	20·6·81	21·2·81	1. मै. सी. कन्स्ट्रक्शन	1
5.	6·5·81	20·6·81	25·1·82	1. मै. पुरुषोत्तम माली	1
6.	14·9·81	17·10·81	15·2·82	1. मै. सी. कन्स्ट्रक्शन	1

Page No 352

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 411 की सूची

सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन हेतु उपभोक्ताओं द्वारा एल. फार्म/रुपया जमा कराने वालों की सूची

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	गांव का नाम
1	2	3
	कृषि कनेक्शन	
1.	श्री रामसहाय गुर्जर	भिन्डरवाड़ा
2.	,, टोडर, ग्यारसा	कालेड़ा
3.	,, भगवान सहाय	छोकरवाड़ा
4.	,, रामधन, गंगाधर	,,
5.	,, प्रहलाद, छीतर	टोरडा
6.	,, मोतिया, जैना	,,
7.	,, गिराज, रामरूप	,,
8.	,, रामेश्वर, मूलचन्द	गागडवाडी
9.	,, रामकिशन, भगवान सहाय	,,
10.	,, बद्रीनारायण	गागडवाडी
11.	,, कन्हैयालाल	,,
12.	,, मानगा, बलदेवा	फारसपुरा
13.	,, मदनमोहन	,,
14.	,, राधाकिशन	,,
15.	,, लक्ष्मीनारायण	शेखपुरिया
16.	,, सूरज, शिवसहाय	,,
17.	,, बद्रीलाल	,,
18.	,, मूलचन्द	,,
19.	,, पन्नालाल	,,
20.	,, गंगाकिशन	घोलकोट
21.	,, कंवरपाल	शिकारी
22.	,, रेवा, बलदेव	,,
23.	,, धमन	कालवां

Page No 353

(353)

1	2	3
24.	श्री मांगीनाथ	कालवां
25.	„ मांगू, जीवा	„
26.	„ मांगू, जीवा	„
27.	„ मूलचन्द, कंवरपाल	„
28.	„ किशोरी, श्रीनारायण	„
29.	„ जीता, कजोड़	„
30.	„ गोपाल/श्योनारायण	„
31.	„ गिरधारी/कल्याण	„
32.	„ ग्यारसा/शोभदा	बिन्दरवाड़ा
33.	„ श्रवण/रामसहाय	अगवाली
34.	„ कल्याण/रघुनाथ	„
35.	„ रामनाथ	„
36.	„ भौरीलाल	करौली
37.	„ छाजूसिंह	„
38.	„ प्रहलादसिंह	आपरवास
39.	„ जीवनसिंह	„
40.	„ नारायण/रामचन्द्र	गुमानपुरा
41.	„ रामधनदास	राणोली
42.	„ मूलचन्द	„
43.	„ जैना/नारायण	लांका
44.	„ सूरजा/नारायण	„
45.	„ मूलचन्द	„
46.	„ लालू खान	„
47.	„ कल्याण सहाय	„
48.	„ किशोरीलाल	इटका
49.	„ चतुर्भुज	„
50.	„ चतुर्भुज	„
51.	„ गोकुलचन्द	„
52.	„ शिवप्रसाद	„
53.	„ चतुर्भुज	„
54.	„ ओंकार/भौरीलाल	„
55.	„ प्यारेलाल	„
56.	„ नारायण लाल	„

354

1	2	3
57.	श्री वीरवल, कल्याण	पारलीबाढ़
58.	,, बालावक्स	,,
59.	,, जोरालाल	,,
60.	,, रामधन	,,
61.	,, भौरीलाल	,,
62.	,, नारायण/बालू	,,
63.	,, श्योनारायण/लच्छा	झिक्का
64.	,, बद्री रामधन	पारलीबाढ़
65.	,, हरसहाय	झिक्का
66.	,, बन्सी/कालू	,,
67.	,, रामकिशन	,,
68.	,, लक्ष्मीनारायण	,,
69.	,, रामप्रताप	,,
70.	,, रेवड़/पून्या	रानोली
71.	,, रामप्रताप	बिरासना
72.	,, बद्रीराम	,,
73.	,, रामधन/लादू	,,
74.	,, हरफूल, टून्डा	,,

घरेलू कनेक्शन

75.	श्री रामजीलाल	राणोली
76.	,, हजारीलाल	गुमानपुरा
77.	श्रीमती किस्तुरी देवी	,,
78.	श्री मोहनलाल, मुरारीलाल	अचलपुरा
79.	,, सीताराम चौधरी	छोकरवाड़ा
80.	,, नाथूलाल	,,
81.	,, गंगाबिसन	टोरड़ा
82.	,, प्रह्लादसिंह	बिन्दरवाड़ा
83.	,, खेमराज	कालवां
84.	,, दामोदर प्रसाद, जौहरीलाल	,,
85.	,, कल्याण सहाय जांगिड	,,

1	2	3
	ओ. एण्ड एम. सब-ग्रॉफिस, बांदीकुई	
86.	श्री पूरणमल भौरीलाल	सिकन्दरा
87.	,, गंगासहाय	,,
88.	,, मांगीलाल, बाबूलाल	,,
89.	,, श्रीमती जड़ाव देवी	,,
90.	,, लक्ष्मण प्रसाद बैरवा	,,
	औद्योगिक कनेक्शन	
91.	श्री सुखचन्द	पाटलीवाढ़
92.	,, श्योनाथ	कालेरा
93.	,, रामजीलाल, मूलचन्द	मरियाडा
94.	,, प्रकाशचन्द	गनीपुर
95.	,, कंचन	पीलोड़ी
96.	,, रमजान खां	बसरा
	कृषि कनेक्शन	
97.	श्री रामसहाय	गाबड़ी
98.	,, घीसाराम, देवा	,,
99.	,, सुन्दर, गंगाधर	,,
100.	,, रामधन, श्योबक्श	,,
101.	,, हरगोविन्दा, रामधन	,,
102.	,, राम सहाय, गोकुल	,,
103.	,, सेडूराम	सिकन्दरा
104.	,, गिराज प्रसाद	,,
105.	,, श्रवण, लक्ष्मण	,,
106.	,, घासीलाल	,,
107.	,, सोन्या रेवड़	,,

३५८

1	2	3
108.	श्री रामस्वरूप	सिकन्दरा
109.	,, चन्दा, रामसहाय	,,
110.	,, भजनलाल	,,
111.	,, भगवान सहाय	वावनपाड़ा
112.	,, श्रवण, रामसहाय	,,
113.	,, छाजूराम	,,
114.	,, रामसहाय	,,
115.	,, श्रीनारायण, गिरधारी	,,
116.	,, मूलचन्द हट्टाया	,,
117.	,, गिरधारी, नन्दराम	भानपुर
118.	,, गंगासहाय	,,
119.	,, कन्हैयालाल	,,
120.	,, जयराम, वाल्या	,,
121.	,, अरजन, रामबाण	,,
122.	,, नारायण, कन्हैया	,,
123.	,, किलाण, मंगल्या	,,
124.	,, सांवता, हरमुख	बुडली
125.	,, किशनलाल, बालाबक्स	,,
126.	,, जनसी, सीताराम	,,
127.	,, रामसहाय, मूरा	,,
128.	,, सोन्या, गंगाराम	,,
129.	,, मूलचन्द गुठस	,,
130.	,, रामस्वरूप, रमेशचन्द	गीजगढ़
131.	,, रामेश्वर, रामविलास	पांचौली
132.	,, हजारीलाल, रामजीलाल	,,
133.	,, कजोड़मल, गौरीलाल	,,
134.	,, नानगा, तेज्या	रामगढ़
135.	,, मनफूल, कजोड़	पांचोली

1	2	3
136.	श्री रामसहाय, गोविन्दा	पांचोली
137.	,, मूलचन्द, वालूराम	,,
138.	,, गुढलराम, आनन्दा	,,
139.	,, अमरचन्द, नारायण	,,
140.	,, किलाण सहाय, मूलचन्द	,,
141.	,, छाजूराम, बुद्धा	,,
142.	,, हरबक्स, कानजी	,,
143.	,, मीठालाल, गेन्दालाल	,,
144.	,, कल्याण सहाय	,,
145.	,, लक्ष्मीनारायण	,,
146.	,, श्रीनारायण, रामस्वरूप	रामपुरा
147.	,, रामसहाय गणेसी	,,
148.	,, जयराम गूजर	पांचोली
149.	,, मूलचन्द, लक्ष्मण	,,
150.	,, गोरधन खेराती	,,
151.	,, रामनारायण, रतीराम	,,
152.	,, बालूलाल, मूलचन्द	,,
153.	,, श्योदान, लोड्या	मुरलीपुर
154.	मूलचन्द, रनजीता	,,
155.	हट्टीराम जमादार	,,
156.	नहन्या जनसी	सरिपाड़ा
157.	बीरबल, गंगाराम	,,
158.	हरसुख, रामकुवार	,,
159.	मूलचन्द, रीछपाल	,,
160.	,, लक्ष्मण, हरमुख	,,
161.	,, सोहनलाल	,,
162.	,, रामसहाय	,,
163.	,, बाल्या, काट्या	,,

1	2	3
164.	श्री रामप्रताप, किशोरी	मरिपाड़ा
165.	,, हरीराम	मरीपाड़ा
166.	,, रामसिंह	,,
167.	,, मूलचंद, गंगाराम	,,
168.	,, लक्ष्मण, रामकंवार	,,
169.	,, घुडवा, श्योदान	लीखली
170.	,, विजयसिंह, रामकुमार	,,
171.	,, ग्यारसा, मूलचंद	,,
172.	,, मूलचंद, रामधन	,,
173.	,, गंगाविशन, टूण्डा	,,
174.	,, रामकिशन, श्रीनारायण	,,
175.	,, कालू, घीसा	,,
176.	,, मनफूल, श्रीया, श्रवण	भाण्डारेज
177.	,, भूरा पुत्र पांचू वलाई	,,
178.	,, श्रीनारायण, गिरधारी, ग्यारसा	जगसायपुरा
179.	,, श्योजी पुत्र बिरदा, भोरया	उदयपुरा
180.	,, श्रवण, नानगा, दल्ला	,,
181.	,, प्रभात्या पुत्र भाग्या	,,

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 415 की सूची

विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर

गांवों की सूची जहां जल प्रदाय योजनाओं द्वारा जल वितरण शुरू कर दिया गया है	गांवों की सूची जहां जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत हो गई है परन्तु जल वितरण शुरू नहीं हो पाया है :—
1	2
1. मिरजे वाला	1. घानूर 5 वी
2. 3 यू (फरीदसर)	2. मटीलिरेथान 15 एफ टी
	3. कलियान 3 जी
	4. कोनी 5 पी
	5. महुयानवाली
	6. दौलतपुरा 3 क्यू
	7. खूनवाद 30 जी जी
	8. शिवपुर 1 एफ
	9. खतान 2 एफ
	10. 2 डी
	11. 1 डी छोटी
	12. 2 पी (रोहीरनवाली)
	13. 8 वाई मोहनपुरा
	14. 7 बी
	15. 4 सी ओरकी
	16. 4 बी
	17. 5 डी
	18. 31 जी जी
	19. 8 जी
	20. 3 सी
	21. 7 डी
	22. 18 एफ
	23. 3 एच एच
	24. 10 एफ
	25. 5 जी

1	2
	26. 7 जी
	27. 12 जी
	28. 18 जी जी
	29. 21 जी जी
	30. 28 जी जी
	31. 9 क्यू
	32. 2 एल एल
	33. 1 जेड
	34. 8 एच
	35. 11 जी
	36. 14 जी
	37. 3 एम
	38. 2 टी
	39. 2 एक्स

3591

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 418 का पत्र

कार्यालय नगर परिषद, उदयपुर (राजस्थान)

क्रमांक आर. डी. ए. । 636 । 78-79 दिनांक 26-7-80

श्री जिलाधीश महोदय,

उदयपुर ।

विषय :—मुख्य श्मशान घाट पर लकड़ी की व्यवस्था हेतु ।

०००

महोदय,

मुख्य श्मशान घाट पर नगर परिषद्, उदयपुर द्वारा मृतक जलाने के लिये लकड़ी की दर का वार्षिक ठेका दिया जाता था । इस वर्ष 1-4-80 से 31-3-81 तक का श्री हफीज बक्श का था लेकिन वन विभाग द्वारा निजी लोगों से लकड़ी लाने का परमिट जारी नहीं करने से लकड़ी का आयात नहीं किया जा रहा हैं ।

श्री हफीज बक्श द्वारा पर्याप्त लकड़ी नहीं रखने व ठेका अनुबन्ध नहीं लिखने से ठेका निरस्त कर दिया गया है । इससे श्मशान घाट पर लकड़ी नहीं है और मृतक के दाह संस्कार के लिये बड़ी कठिनाई आ रही है ।

हाल ही में माननीय श्री स्वायत्त शासन मन्त्री जी, राजस्थान सरकार, जयपुर ने श्मशान घाट पर लकड़ी की समुचित लकड़ी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है । वन विभाग द्वारा इस समय गुलाब बाग एवं गोवर्धन विलास में लकड़ी विक्रय के डिपो खोल रक्खे हैं । शहर के उतरी पूर्वी क्षेत्र में रहने वाली आबादी के लिये ये डिपो बहुत दूर पड़ते है । अत: श्मशान घाट पर वन विभाग का एक डिपो खुलवाने से यह दिक्कत दूर हो जावेगी और मृतकों को जलाने के लिए भी पर्याप्त लकड़ी मिल सकेगी नगर परिषद् डिपो के लिये नाम मात्र के शुल्क पर भूमि की व्यवस्था करने को तैयार है ।

अत: अनुरोध है कि वन विभाग स्टेट ट्रेडिंग से श्मशान घाट पर लकड़ी व कोयले का डिपो खोलने के लिये आवश्यक आदेश प्रदान करायें ।

भवदीय,

ह०/–

(नरपत सिंह चौहान)

प्रशासक,

नगर परिषद, उदयपुर

क्रमांक 234/80-81 दिनांक 26-7-80

प्रतिलिपि श्री डिप्टी कन्जरवेटर, स्टेट ट्रेडिंग, उदयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

ह०

प्रशासक,

नगर परिषद उदयपुर